राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का बीसवां दिवस [संख्या : 13

मंगलवार,

20 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
विधान सभा भवन जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: वैसे कौल और शकधर में लिखा हुआ है कि मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, केवल हाथ ही जोड़ते हैं। मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं। श्री प्रमोद जैन ''भाया''।

भारतीय तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना हेतु स्थल चयन

131. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में किन-किन स्थानों को इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी खोलने हेतु चिह्नित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी खोलने की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ एवं इसमें क्या-क्या सुविधाएं मांगी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अंतिम रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी खोलने हेतु स्थान का निर्धारण नहीं करने के क्या कारण रहे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी): (1) आई.आई.टी. स्थापित करने के स्थान का चयन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) केन्द्र सरकार से आई.आई.टी. खोले जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति सम्बन्ध प्रस्ताव पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2006 के द्वारा प्राप्त हुआ है। केन्द्र

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार आई.आई.टी. की स्थापना के लिए 500-600 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करवानी होगी तथा यह स्थान सड़क, रेल व वायु यातायात से भली-भांति जुड़ा हुआ होना चाहिए एवं इस स्थान पर आवश्यक भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

(3) अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से ही लिया जाएगा, जो प्रक्रियाधीन है।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों वाले सम्भावित स्थानों के चयन के प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगे गये, परन्तु तीन माह बाद भी आई.आई.टी. के सम्बन्धत स्थानों के प्रस्ताव भिजवाने में असक्षम रहने के क्या कारण रहे, सदन को स्पष्ट करें।

नम्बर दो, प्रश्न के बिन्दु संख्या एक के जवाब में बताया गया है कि स्थान का चयन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार द्वारा पहले स्थान प्रस्तावित किया जाएगा उसके बाद में संयुक्त रूप से टीम उस पर निर्णय लेगी। माननीय मंत्री महोदय ने सदन में गलत उत्तर देकर सदन को क्यों गुमराह किया, कृपया यह स्पष्ट करें।

नम्बर तीन, प्रस्तावित आई.आई.टी. हेतु प्रस्तावित स्थानों के चयन के प्रस्ताव नहीं भेजने पर क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रस्तावों का इंतजार करने के लिए बाध्य है एवं आई.आई.टी. क्या राजस्थान राज्य के लिए ही रिजर्व किया हुआ है, स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। भाषण नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): प्रश्न ही पूछा है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है उदयपुर में आई.आई.टी. ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर तो आने दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): वह इसी के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ज्वलंत है। क्या यह सही है कि उदयपुर में आई.आई.टी. के लिए प्रतिनिधि मण्डल आप से, मुख्य मंत्रीजी से मिला? वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर भूमि 500 हैक्टेयर से ज्यादा उपलब्ध है,

(श्री शांतिलाल चपलोत)

उसके कागजात आपको और मुख्य मंत्रीजी को दिये गये हैं और वहां दो नेशनल हाइवे क्रास होते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में आपका क्या विचार चल रहा है? उदयपुर से ज्यादा प्राथमिकता और किसी की नहीं हो सकती।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उदयपुर में सारी सुविधा है, नेशनल एयरपोर्ट है, नेशनल हाइवे है। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर में सारी सुविधा है। जोधपुर में सारी सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर से उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: आप मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आई.आई.टी. के लिए अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होना आवश्यक नहीं है। रुड़की में, खड़गपुर में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): कोटा में ब्राडगेज है, कोटा में नेशनल हाइवे है, कोटा में 40 हजार बच्चे पूरे देश के पढ़ रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर। आसन पांवों पर। मैं देख रही हूं आसन पांवों पर है तब कौन-कौन खड़ा है, मैं बराबर देख रही हूं। ...(व्यवधान) जब आसन पांवों पर होता है, चाहे मंत्रीगण हों, चाहे संसदीय सचिव हों, चाहे माननीय सदस्य हों, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि जब आसन पांवों पर होता है तब कौन-कौन खड़े होते हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाह रही हूं, पुन: कहना चाह रही हूं कि इस बात का खयाल रखें, जब आसन पांवों पर है तो खड़े होने का प्रयत्न न करें। ...(व्यवधान) अब आप एक बार विराजें। ...(व्यवधान) अभी कुछ नहीं, नो, नो। मूल प्रश्नकर्ता ने और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा उसका जवाब दें, उसके बाद में दूसरे को अलाउ करूंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, पहली बात तो यह है कि भारत सरकार ने कहा है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीन नये भारतीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाएंगे उनमें एक राजस्थान, एक आंध्रप्रदेश और एक बिहार होगा।

नम्बर दो, उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों खोले जाएंगे इनके लिए तीन प्रकार की सुविधा उनको चाहिए। एक उन्होंने कहा कि 500 से लेकर 600 एकड़ तक उनको नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करानी पड़ेगी। दूसरा, वह स्थान होगा वह इस प्रकार का होना चाहिए जो रेल यातायात से, सड़क यातायात से और वायु यातायात से सुलभ हो।

तीसरा उन्होंने कहा कि यहां पर जो आई.आई.टी. लगेगी उसमें जो फैकल्टीज आएंगी, उसमें सारे देश और दुनिया भर के लोग आएंगे इसलिए उसको इस स्थान पर होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को आकर्षित भी कर सकें। उन्होंने इसके लिए हमको कहा कि आप एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दीजिए। उसके बाद में भारत सरकार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और वह दोनों नियुक्त होने के पश्चात वे दोनों मिलकर इसमें कार्यवाही करेंगे। 16 दिसम्बर को हमको यह पत्र मिला, 23 तारीख को ए.के. पाण्डे जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उनको राजस्थान सरकार ने इसका अधिकारी नियुक्त कर दिया और भारत सरकार को इसका पत्र लिख दिया। भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है। ज्यों ही भारत सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त होगा, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के अधिकारी मिलकर स्थान के बारे में चयन कर लेंगे। अभी तक बिहार के लिए भी नियुक्त नहीं किया है। भारत सरकार ने केवल आंध्रप्रदेश के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। स्थान का चयन वहां भी नहीं हुआ है। इसलिए न तो राज्य सरकार ने इसमें विलम्ब किया है। राज्य को तो एक खुशी की बात है कि 2000 से लेकर 3000 करोड़ रुपये का इसमें इन्वैस्टमेंट होगा, राज्य का इससे विकास होगा, राजस्थान का नाम इसमें आएगा, इसलिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की ढिलाई आई.आई.टी. के मामले में नहीं करना चाहती। जहां तक स्थान के चयन का सवाल है मुझे बहुत जगहों से ज्ञापन मिला है, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ज्ञापन दिया, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी दिया, अन्य बहुत से स्थानों से भी ज्ञापन आये हैं, समितियां भी बनी हैं, मैं तो आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं यह विवाद का विषय है ही नहीं। राजस्थान में जो सबसे बढ़िया स्थान होगा, जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अधिकारी और विशेषज्ञ मिलकर तय करेंगे उस स्थान पर आई.आई.टी. बनेगी। अभी तक किसी स्थान का चयन नहीं हुआ है, सरकार की इसमें कोई ढिलाई नहीं है। हम निरंतर जागरुक और सक्रिय रहकर इस काम को प्रारम्भ करेंगे।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि आई.आई.टी. बनेगी, उसको बनाने से उस स्थान का भी विकास होगा, लेकिन उस स्थान के लड़कों या पढ़ने वालों को कोई प्रायरटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वह तो ऑल इण्डिया की परीक्षा है और इसमें लोग भर्ती होते हैं, होंगे। लेकिन हमारे यहां विनियोजन होगा, राजस्थान का नाम होगा, टैक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। यह सारी स्थिति है जो, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब क्या बाकी रह गया? सारी बात तो कह दी। ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी में आप आई.आई.टी. खोलिए। इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की तरफ से जो ...(व्यवधान) वहां प्रयोगशाला उपलब्ध कराई ...(व्यवधान) इसलिए जोधपुर से उपयुक्त स्थान कोई नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उदयपुर में ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारा निवेदन है कि जोधपुर से उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा में खोल दो, अलवर में खोल दो, भरतपुर में खोल दो, कहीं भी खोल दो। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वहां जमीन उपलब्ध है, एडिशनल जमीन उपलब्ध कराने को तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): हमारे पास इतनी लैण्ड है ...(व्यवधान) नेशनल हाइवे है। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): ...(व्यवधान) इस प्रकार का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। (व्यवधान) आई.आई.टी. जो इंस्टीट्यूट है उसको पूर्वी राजस्थान में खोला जाए। किसी भी एरिया में खोल दें, चाहे कोटा में खोल दो। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह इंस्टीट्यूट कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, जोधपुर में होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सबसे अच्छी व्यवस्था कोटा में है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का अधिकार है दो सप्लीमेंटरी पूछने का, और मैं आप लोगों से ...(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। कई माननीय सदस्यों को मैं देख रही हूं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं अंत में नाम लूंगी कि आप लोग खड़े हो जाते हैं, एक साथ चार-चार, पांच-पांच लोग, जो तरीके से कोई बात पूछना चाहता है उसको आप पूछने नहीं देते हैं। मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, उनको दो सप्लीमेंटरी का अधिकार है, वह एक बार फिर अपना एक सप्लीमेंटरी, और भाषण नहीं देंगे, सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री ने कोटा प्रवास के दौरान यह स्टेटमेंट दिया है कि राज्य सरकार ने मात्र धन्यवाद का पत्र भिजवाया है, इसके अलावा, कोई पत्र सरकार को अभी तक नहीं भेजा है। अन्य दो राज्यों द्वारा स्थान का चयन करके स्थान के नाम हमको भिजवा दिये गये हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय सही कह रहे हैं या माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय सही कह रहे हैं, यह स्थिति सदन को स्पष्ट करें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं पत्र ही पढ़ देता हूं जो मानव संसाधन मंत्रीजी से मिला है, वह पांच लाइन का है।

श्री अध्यक्ष: नहीं आप तो अपना पढ़िए, जो आपने लिखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हमने बताया न, अध्यक्ष महोदय, हमने तो दिसम्बर, 2006 में, 16 दिसम्बर को पत्र हुआ और ए.के. पाण्डे साहब को नियुक्त करके भेज दिया, भारत सरकार ने अभी नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पत्र कब भेजा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पत्र मेरे पास नहीं है, मैं कह रहा हूं, आप सुनिए न, धन्यवाद तो देना ही था।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): गुमराह कर रहे हैं सदन को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं सदन को कभी मेरी जिन्दगी में गुमराह नहीं कर सकता।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): आप उस पत्र को सदन के पटल पर रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, मैं रख रहा हूं। रख रहा हूं न आप बैठ जाएं। सुनिए आप। मैं सदन को रिलीजियसली लेता हूं, सदन मेरे लिए है। मैं सदन को कोई गलत बात, गुमराह नहीं करना चाहता। मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुन सिंहजी ने जो पत्र लिखा उसमें लिखा है ; "The Ministry now proposes to establish 3 new Indian Institutes of Technology during the 11th Five Year Plan period. I am glad to inform you that one of them would be set up in your State." दूसरा उन्होंने लिखा है - "I am directing you to kindly allot free of cost approximately 500-600 acres of land for this purpose." और अन्त में उन्होंने लिखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है - "I suggest that you may nominate a senior officer of your State to interact with the officers of my Ministry so that we may be able to jointly identify a suitable location for the proposed IIT in your State." यह पत्र उन्होंने भेजा। इस पत्र के बाद में 16 तारीख को पत्र आया दिसम्बर में और दिसम्बर में ही हमने ए.के. पाण्डे साहब को नियुक्त कर दिया। पुन: एक पत्र लिख देंगे, हमने नियुक्त कर दिया, आप नियुक्त करें। भारत सरकार ज्यों ही अधिकारी नियुक्त करेगी, जितने भी हमारे पास प्रस्ताव आये हैं, किसी से भेदभाव नहीं होगा। किसी स्थान की प्रायोरिटी नहीं और किसी स्थान की प्रायोरिटी कम होने का सवाल नहीं, सारा काम करके हम यह करेंगे। और सब राज्यों के साथ-साथ हम इसको कराने की कोशिश करेंगे। कौन-सा ऐसा राज्य होगा जो गलतफहमी में आई.आई.टी. नियुक्त नहीं करवाएगा?

श्री अध्यक्ष: बात सही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हम कोशिश करके लाये हैं, बार बार बात की है और उन्होंने दिया है, इतना अवसर आया है। इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम हमारी प्रक्रिया जारी रखेंगे, जो भी उपयुक्त स्थान वह टीम मिलकर तय करेगी उसी स्थान पर आई आई टी लगेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूछ लीजिए प्रश्न।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कोटा में गत चार और पांच सालों में आई आई टी की कोचिंग

(श्री हरिमोहन शर्मा)

क्लासेज चलाई जा रही हैं और पूरे देश में कोटा के जो कोचिंग क्लासेज हैं उनमें से ही सर्वाधिक स्टूडेंट चयन होकर के गये हैं? नम्बर दो, क्या यह सही है कि एक कोटा का प्रतिनिधि मण्डल माननीय मंत्रीजी से मिलकर जो-जो इन्फ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने तय किये हैं, जो मापदण्ड तय किये हैं उन मापदण्डों के हिसाब से हर पाइंट पर अपना जवाब, अपना जो टारगेट था वह देकर उनको आया है? उन पर अब तक क्या विचार हुआ है ?

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा है। (व्यवधान) सारी बातें आ गई हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है मंत्रीजी से, मंत्रीजी ने अभी कहा कि सेंट्रल से जो गाइडलाइन आई हैं उसमें अधिकारी तय करेंगे कि कहां खोलना है, कहां नहीं खोलना है। मेरा निवेदन यह है कि क्या अधिकारी तय करेंगे या पोलिटिकली तय होगा ?

श्री अध्यक्ष: जो नोडल अधिकारी हैं, तय करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है, यह बात सही है कि कोटा में कोचिंग बहुत बढ़िया है, आपकी भी कोचिंग बहुत ठीक ढंग से हुई है, कोचिंग चल रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोचिंग में तो आपने पूरे राजस्थान को मात दे रखी है सब को। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तो कोचिंग भी ठीक है। मैं यह कह रहा हूं कि सारे ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्रीजी को मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, विभिन्न स्थानों के भी मिले हैं, मैं उनका विवरण नहीं करना चाहता हूं और सबने अपना-अपना क्लेम किया है, वह भी देखे हैं। सारे क्लेम के साथ लेकिन मैंने कहा, तीन बातें उन्होंने सिर्फ मांगी हैं- नम्बर एक, पांच सौ, छह सौ एकड़ जमीन होनी चाहिए, रेल, वायुयान और सड़क इनसे जुड़े हुए होने चाहिए और शैक्षणिक व सामाजिक स्तर से उसका वह होना चाहिए, तीनों चीजें उन्होंने मांगी हैं। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): क्या ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी के हिसाब से तो झुंझुनूं का नम्बर आना चाहिए। झुंझुनूं वायुयान से भी जुड़ा हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बड़ा सवाल यह है कि कौन तय करेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, महिला शिक्षा में सबसे आगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा, केवल टेक्निकल एजुकेशन की कमी है। और वायुयान से भी जुड़ा हुआ है, एयरस्कीम है वहां पर झुंझुनूं में। वायु से, रेल से, सड़क से सबसे जुड़ा हुआ है, तब तो उसका नम्बर आना चाहिए। ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इसमें तो गंगानगर का भी दावा है, गंगानगर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलना था लेकिन नहीं खुला तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि श्रीगंगानगर को भी आई आई टी के लिए कंसीडर किया जाए क्योंकि गंगानगर भी इसके लिए उपयुक्त है। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बात कह दी, सरकार तो आपकी बात से ज्यादा प्रभावित हो जाएगी और हम वैसे ही मारे जाएंगे। आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी एक जगह के लिए आपको नहीं कहना चाहिए। आपको तो अध्यक्ष के नाते पूरे राजस्थान के प्रति...

श्री अध्यक्ष: आसन बिलकुल निष्पक्ष है। आसन बिलकुल निष्पक्ष है क्योंकि उन्होंने तीन शर्तें बताई थी, शर्तों के मुताबिक मैंने कहा, बाकी निष्पक्ष है आसन तो। ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): जयपुर सारी शर्तें पूरी करता है। जयपुर तीनों शर्तें पूरी करता है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन से एक बार जो व्यवस्था हो जाती है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती इसलिए आसन ने जो फर्माया है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ये तीनों शर्तें तो जयपुर ही करता है पूरी। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, हरिमोहनजी शर्मा ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे पिछड़े हुए हैं शिक्षा के मामले में। न्याय ही करना है तो जहां शिक्षित हैं वहां शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, जहां शिक्षित कम हैं, वहां यह करो, सारे सदन का विवाद कम हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी से कि सीकर शेखावाटी आज नहीं तो फिर कभी नहीं, इस सम्बन्ध में आपने सोचा है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष: आपके मंत्री रहते हुए यह काम होना ही चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सीकर शेखावाटी यदि नहीं है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): छोड़िए, सीकर, चूरू, झुंझुनूं यह बात करो।

श्री अध्यक्ष: सीकर और चूरू के बीच में ही तो झुंझुनूं है। सीकर-चूरू के बीच में है झुंझुनूं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके मंत्रीजी को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले बांगड़ कालेज इंजीनियरिंग की शाखा राजस्थान के अन्दर जोधपुर में खुली है, इसलिए यदि आपने आसन से यह कहा तो मैं भी मेरी भावना इनको कर देता हूं। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, फैसला करके आओ। ये केबिनेट में कलैक्टिव फैसला करके सदन में आवें, जनता को बताएं, आप यह एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता, ये मिनिस्टर कलैक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते और हाउस में आकर बोल रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी प्रैक्टिसेज का कम से कम इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि लैजिस्लेचर के प्रति कौन सा मंत्री रेस्पोंसिबिल है। इनके खुद के यूज अलग-अलग हैं। ऐसी कौन सी सरकार चल रही है जिस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरिमोहन शर्मा।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत चयनित जिले

132. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2005-06, 2006-07 और इसके आगे के वर्षों के लिये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत कोई योजना केन्द्र

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सरकार ने प्रस्तावित की है, जिसके अन्तर्गत किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो इस योजना का विवरण तथा केन्द्र द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश एवं उपलब्ध कराये अनुदान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के लिये कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया? यह योजना किस-किस जिले में आरम्भ की गई और किस-किस जिले को कितना-कितना बजट आबंटित किया गया तथा जिले के चयन का मानदण्ड क्या था?

(3) फसलों व पौधों के लिये कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता एवं विक्रय करने हेतु किन-किन कम्पनियों को अधिकृत किया गया है तथा इनमें से किन-किन कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला अनुदान प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया गया और क्या इनका वर्गीकरण किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी कम्पनी किस वर्ग के अन्तर्गत आती है?

(4) क्या उक्त प्रकार की दवाइयां खरीदने हेतु यह भी निर्देशित किया गया था कि केवल 'ए' ग्रेड कम्पनी से ही ये दवाइयां खरीदी जाएं? क्या उन निर्देशों के अन्तर्गत सहकारी समितियों ने 'ए' ग्रेड वाली कम्पनियों से ही माल खरीदा है? यदि हां, तो किन-किन से व नहीं, तो क्यों?

(5) 'ए' ग्रेड कम्पनी से खरीदे गये माल की अधिकतम खुदरा मूल्य में दर्शाये गये मूल्य के मुकाबले में 'बी' ग्रेड व अन्य ग्रेडों से खरीदे गये माल की अधिकतम खुदरा मूल्य कितनी अधिक अथवा कम थी? और यदि 'बी' व अन्य ग्रेडों की अधिकतम खुदरा मूल्य 'ग' ग्रेड के मुकाबले अधिक थी तो क्यों?

(6) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 व 2006-07 में किन-किन सहकारी समितियों को कितने-कितने अनुदान का भुगतान तय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) किन-किन कम्पनियों ने सहकारी समितियों को किस-किस ग्रेड का माल बेचा व कितना-कितना भुगतान सहकारी समितियों द्वारा किया गया?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी) : (1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 और इसके आगे के वर्षों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना राज्य में लागू की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइडलाइन एवं योजना का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी)

(2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 के लिए राशि 41.02 करोड़ एवं वर्ष 2006-07 के लिए राशि 76.27 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह योजना वर्तमान में राज्य के 17 जिलों (जयपुर, अलवर, अजमेर, नागौर, कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़, जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, करौली, सवाई माधोपुर, टौंक एवं बांसवाड़ा) में लागू की गई है। वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में जिलेवार बजट आबंटन परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विभाग ने राज्य के सभी 32 जिलों के चयन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये थे। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत जिले का चयन जिले में उद्यानिकी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की सम्भावनाओं के मद्देनजर क्लस्टर एप्रोच के आधार पर किया गया है।

(3) फसलों व पौधों में अनुदान पर कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता एवं विक्रय हेतु पंजीकृत की गई कम्पनियों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। कृषि विभाग द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न निर्माताओं द्वारा विक्रय किये गये कीटनाशकों की गुणवत्ता रिपोर्ट अमानक नमूनों के प्रतिशत के आधार पर 'ए', 'बी', 'सी' व 'डी' ग्रेड में वर्गीकरण किया गया है जिनकी सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। यह वर्गीकरण भविष्य में गुणवत्ता के लिए नमूने लेने के लिए किया गया है जिसका सम्बन्ध अनुदान पर कीटनाशी रसायन उपलब्ध करवाने से नहीं था।

(4) उद्यान विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ए ग्रेड की कीटनाशी सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों द्वारा स्वयं क्रय करने के निर्देश दिये गये थे। यदि कोई रसायन 'ए' श्रेणी के निर्माता द्वारा उत्पादित नहीं किया जा रहा है तो क्रमश: बी, सी या डी श्रेणी के निर्माताओं द्वारा उत्पादित कीटनाशी लिये जा सकेंगे। सहकारी समितियों द्वारा वर्गीकरण की प्राथमिकता के अनुसार कीटनाशी कृषकों को उपलब्ध कराये गये हैं।

(5) कीटनाशी रसायनों की दरों पर नियंत्रण लागू नहीं है। निर्माताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी दर पर कीटनाशी विक्रय किये जाते हैं।

(6) विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में क्रमश: 3.70 करोड़ रुपये व 1.60 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान सहकारी समितियों को किया गया है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी)

(7) सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कीटनाशी रसायनों के लिए कुल राशि 5.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कृषि विभाग द्वारा राज्य में ए बी सी एवं डी ग्रेडवार 180 कीटनाशी निर्माता कम्पनियों को वर्गीकृत किया गया है। परिशिष्ट-4 पर समितिवार, कम्पनीवार व ग्रेडवार उपलब्ध कराये गये कीटनाशी की सूची पूरे राज्य से संकलित करने में समय लगेगा जिसकी सूचना प्राप्त होने के उपरांत पृथक् रूप से अलग कराई जानी सम्भव होगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब तो जो आपको दिया गया है उससे भिन्न बताया है इन्होंने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह तो पढ़कर सुना दिया न, साहब। मैं तो मेरे प्रश्न पूछ रहा हूं। आपको जो 2005-06 में 41 करोड़ और 2006-07 में 76 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से मिला उसमें से आपने कुल कितना खर्चा किया? नम्बर दो, जब आपने ये डायरेक्शन यहां से दे रखे थे, आपने वर्गीकरण किया हुआ है कम्पनीज का ए बी सी एण्ड डी, और डायरेक्शन उसमें यह है कि आप ए ग्रेड की कम्पनी से ही यह माल खरीदेंगे, तो फिर आपने उसके विपरीत ए ग्रेड का उत्पादन होने के बावजूद भी सी और डी कम्पनी का माल जिसका ग्रेड आपने फिक्स किया था उनसे क्यों खरीदा?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप एक बात बता दीजिये कि यह 76.27 करोड़ राजस्थान के लिए है या फिर भारत के लिए है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): राजस्थान के लिए है। पिछले वर्ष 70 प्रतिशत...

श्री अध्यक्ष: राजस्थान का तो उन्होंने पूछा ही नहीं। वह तो राष्ट्रीय मिशन में आया है...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): राजस्थान के जिन जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन काम करता है उन जिलों के लिए अनुदान आया है। उसके अन्दर 70 प्रतिशत पिछली बार खर्च हुआ और इस बार लगभग 90 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सम्भावना नहीं, सम्भावना तो सारा ही कर दोगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप यह बताएं कि यह 76.27 करोड़ रुपया है यह राजस्थान के लिए ही है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): राजस्थान के 17 जिलों के लिए है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस राशि का जिक्र किया गया है वह राजस्थान के 17 जिलों के लिए है। 17 जिलों के लिए यह राशि आबंटित की गई है। 17 जिलों में 2005-06 में 13 जिले सम्मिलित किये गये थे और इस वर्ष 4 जिले और, जिनमें बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली और टौंक हैं उनको सम्मिलित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: 17 जिलों के लिए है। मैं क्लीयर होना चाहती हूं कि यह 17 जिलों के लिए आबंटित है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): 2004-05 में 15.26 करोड़ रुपये और 2006-07 में 24.55 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुल कितना खर्च किया आपने बजट प्रावधान में से, एक तो यह बता दें आप?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): 2004-05 में 25.26 करोड़ और 2006-07 में 24.25 करोड़....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो इतने करोड़ रुपये का आप उपयोग क्यों नहीं कर पाये? आपका जो बजट प्रावधान था, 2006-07 अब खतम हो रहा है, आपको जब इतना करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने दिया, दो साल में भी आप उसको उपयोग क्यों नहीं कर पाये? नम्बर दो, जो आपने ग्रेड की है कम्पनी की ए बी सी और डी, आप यह बता दें कि जो माल का प्रोडक्शन कम्पनी कर रही है उसकी कॉस्ट के मुकाबले में बी सी एण्ड डी कम्पनी की जो कॉस्टिंग है वह कितनी अधिक है? तीसरा, आपने इनका जवाब दिया है वह यह दिया है कि हमने प्राइस फिक्स नहीं कर रखी है। बी सी और डी कम्पनी, उनकी प्राइस क्लाइमैक्स पर है, पर ए क्लास कम्पनी जो प्रोडक्शन कर रही है उसके कम्पेरेटिवली उनकी लो है, तो यह माल उस बी सी और डी ग्रेड कम्पनी से इसलिए खरीदा जा रहा है कि वह सारा का सारा गोल-गप्पा उस अनुदान में वो कर देते हैं। उसमें प्राइस अधिक है, उनको अधिक प्राइस देनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष: श्री सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भारत सरकार ने हॉर्टिकल्चर के सम्बन्ध में तीन साल पहले राजस्थान सरकार को सूचित किया? सूचित करने के बाद क्या राजस्थान सरकार ने उस हॉर्टिकल्चर कमीशन का लाभ उठाने के लिए कोई तैयारी की? तैयारी की तो 700 करोड़ रुपये में से केवल मात्र अभी तक 40 करोड़ रुपये ही क्यों खर्च हुए?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): माननीय अध्यक्षजी, यह योजना जिन जिलों में लागू हुई हैं उन कई जिलों में बागवानी की तरफ किसान आकर्षित नहीं थे। हमने प्रचार-प्रसार करके 10 हजार हैक्टेयर में नये बाग़ इस बार लगाये हैं। पूरे राजस्थान में 50 साल में केवल 35 हजार हैक्टेयर में बाग़ थे और हमने केवल एक साल के अन्दर 10-10 हजार हैक्टेयर बाग़ की परिधि की है। धीरे-धीरे लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले साल जो कम हुआ उसका कारण था कि लोगों की एट्रेक्शन कम थी। अब लोगों को इस योजना का लाभ और इसके बारे में बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं। इस बार 90 प्रतिशत तक खर्च होगा और अगली बार मुझे उम्मीद है कि हण्डरेड प्रतिशत और उससे आगे हम बढ़ जाएंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 700 करोड़ में से 70 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं। केवल मात्र सब्सिडी के नाम पर, सब्सिडी का इंसेंटिव देकर उन किसानों की एक गैंग बन गई है जो गैंग लाभ उठा रही है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बता दो सरकार काम कर रही है तो। केवल वो आदमी जो सब्सिडी लेने वाले हैं, वो सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, सरकार की कोई तैयारी नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि जो लोग इस मामले में बहुत ही एक्सपर्ट, चतुर, चालाक और शिक्षित हैं वो लोग ही इस सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि यह सब्सिडी प्राप्त करने में काश्तकार को कितनी कठिनाई आती है? मैं पूरी डिटेल सदन में नहीं बताना चाहूंगा, पर इस बात से आप वाकिफ हैं कि काश्तकार सब्सिडी लेने में कितना परेशान हो रहा है और क्या-क्या इस मामले में परेशानी होती है। इसके सम्बन्ध में मैंने आपको व्यक्तिगत भी जानकारी दी थी। यह बात सही है कि काश्तकार जागरूक बहुत हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, बाग़ भी लगाना चाहते हैं पर कुछ कठिनाइयां हैं। वो मैं, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं दें। प्रश्न पूछें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं है, कठिनाइयां हैं। यह सब्सिडी काश्तकार जो लेना चाहते हैं उसको आसानी से नहीं मिलती है, जयपुर तक आने की उसकी हैसियत नहीं है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री भरतसिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्षजी, केन्द्र सरकार कृषि का विस्तार करने के लिए हॉर्टीकल्चर को एम्फेसिस कर रही है और उन्होंने दो साल में 117 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को इस मद में दिये हैं। मैं कृषि मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस हॉर्टीकल्चर को सही रूप से लागू करने के लिए गम्भीर है? अगर है तो जिन 17 जिलों में यह योजना लागू हो रही हैं, उनमें कितने कर्मचारी एक्सटेंशन में हॉर्टीकल्चर में ट्रेंड है? क्या सरकार और इन लोगों को भर्ती कर रही है? दूसरी चीज, हॉर्टीकल्चर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मिसाल देने के लिए जो सरकारी फार्म कृषि विभाग के पास हैं, क्या उन्होंने दो साल के अन्दर उन कृषि फार्म्स पर एग्जाम्पलरी हॉर्टीकल्चर फार्म स्थापित करने का प्रयास किया है, करेगी सरकार, यह मैं इनसे जानना चाहता हूं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सम्माननीय अध्यक्षजी, जहां तक सब्सिडी आने का प्रश्न है, केवल बागवानी पर नहीं, बहुत-से ग्रीन हाउस पर, पैक हाउस पर और हाइटेक नर्सरी पर, इन सब में यह सब्सिडी सरकार द्वारा भेजी गई है, लेकिन हमारा किसान अभी तक इतना एडवांस नहीं है। हर वर्ष हम 50-50 हजार पुस्तकें विभाग की तरफ से छपवाते हैं और किसान को हर पंचायत तक भिजवाते हैं, उनको जानकारी दी है कि आप हॉर्टीकल्चर मिशन में क्या-क्या फायदा ले सकते हैं। उसी का नतीजा है कि पिछले 50 साल में जो 35,000 हैक्टेयर में बाग़ थे, हमने दो साल में 15,000 हैक्टेयर से ज्यादा बगीचे इस योजना के कारण बनाये हैं और धीरे-धीरे.....

श्री भरत सिंह (दीगोद): आदमी कितने हैं? किताबें नहीं, आदमी कितने हैं उसमें क्रियान्वित करने के लिए? किताबें तो आप लाखों बांट दो, कर्मचारी हैं क्या आपके पास? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): नहीं-नहीं, मैं कोई बात कर रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 117 करोड़ में से केवल मात्र 47 करोड़ का भुगतान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 117 करोड़ रुपये में से केवल मात्र 47 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उसके साथ ही बी सी एण्ड डी कम्पनियां हैं, उनकी आप रेट देखो, वह तो खरीदा गया है और जो "ए" क्लास है, उनके कम्पेरिजन में रेट कम है उसको जान-बूझकर नहीं खरीदा गया है। इस प्रकार उन कम्पनियों ने मिलकर सारे अनुदान का दुरुपयोग किया है। कम्पनियों के माध्यम से जो सहकारी समितियों में काम करने वाले हैं और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल विभाग में जो वैरिफिकेशन करने वाले अधिकारी हैं, इन सबकी मिलीभगत से इन अनुदान का दुरुपयोग किया गया है और अनुचित अनुदान उठाया गया है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से जो निर्देश जारी हुए थे कि किसानों को उच्च क्वालिटी का कीटनाशक उपलब्ध करवाने में प्राथमिकता दी जाए, उस पत्र में यह भी लिखा गया था कि अगर किसान उच्च क्वालिटी का नहीं लेना चाहता है या वे कम्पनियां पैदा नहीं कर सकती या करती हैं तो आप बाजार से खरीद सकते हैं, उस पर अनुदान हम देंगे। किसानों को बाजार से भी खरीदने का हमने उस पत्र में लिखा है। लेकिन चूंकि किसानों से फीडबैक आ रहा था कि बी और सी कम्पनियां हैं इनका माल ज्यादा सोसायटियां खरीदती हैं और "ए" ग्रेड का कम मिलता है तो हमने पत्र जारी करके "ए" ग्रेड उपलब्ध करवाने के लिए लिखा है। तो उसमें कोई किसानों का बुरा नहीं है, इसमें तो किसान की भलाई हुई है, "ए" ग्रेड का माल उनको मिला है। बी और सी, डी कम्पनियों का अगर कोई किसान लेना चाहता है तो उसको भी सब्सिडी मिलेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, उसमें यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं, उसमें यह नहीं है। वह सी और डी कम्पनियां...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता था, चूंकि मामला स्पष्ट है, पहली बात तो यह है कि क्या सरकार "ए" ग्रेड का माल नहीं खरीदने वाले जो अधिकारी हैं या जो भी सम्बन्धत लोग हैं और सोसायटी में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, उन सबके बारे में जांच कराएगी?

श्री अध्यक्ष: यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): दूसरा एक प्रश्न और है, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्रीजी, आप सुनें, इर्रिटेट मत होइये। मेरा प्रश्न यह है, सरकार यह कहती है कि भारत सरकार से जो पैसा आया है उसके मुताबिक हमने बागवानी का काम बढ़ाया है। मुझे याद है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी में ईसरी गार्डन की जमीन तक आपने दूसरों को दे दी, लाखों रुपये आपने खर्च कर दिये। आपने तो सरकारी फार्म, जैसा दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सरकारी फार्म कम करते जा रहे हैं, आपके कर्मचारी नहीं हैं। जहां घोटाला हो रहा है, उसकी जांच आप करने की स्थिति में नहीं हैं। आप स्पष्ट बता दो, आप स्पष्ट बता दो...(व्यवधान) आप सुनिये तो सही, मंत्रीजी। आप सीनियर आदमी हो, आप सुनिये तो सही। आप तो यह करिये, इसके बारे में सरकार क्या करेगी, किस प्रकार से गड़बड़-घोटाले करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी? सरकारी फार्म्स जिन्होंने ट्रांसफर किये हैं और बागवानी रकबा कम किया है और कर्मचारी कम हैं तो उनको कैसे बढ़ाएगी, इन सब के बारे में बताएं? इस सदन में बता दो क्योंकि यह बहुत अहम मसला है। भारत सरकार जितना पैसा दे रही है, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, उस पैसे से घोटाले हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप वहां जो दुरुपयोग करने वाली बात है, वह बता दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): साथ ही यह भी बताएं, "ए" ग्रेड की कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं। और "बी" और "ए" का रेट का कम्पेरिजन भी आप बताएं। आप कैसे कहते हैं कि "ए" ग्रेड कम्पनी वाले के पास दवाइयां नहीं थीं? अपनी मर्जी से ही आप कह रहे हो कि "ए" ग्रेड वाले के पास दवाइयां नहीं थीं। आपने क्या वैरीफाई करवाया है कि कौन-कौनसी दवाइयां "ए" क्लास के पास थीं या नहीं थी उस समय? उस समय तो दवाइयों की आवश्यकता थी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से सम्बन्धित प्रश्न है मंत्री महोदय से।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सम्माननीय अध्यक्षजी, 140 कम्पनियां हमारे यहां विभाग में रजिस्टर्ड हैं और इसमें जो हमारे मानक नमूने हैं उनके आधार पर 44 कम्पनियों को "ए" ग्रेड का दर्जा मिला हुआ है। हमने किसी एक कम्पनी के लिए नहीं कहा, हमने किसानों को "ए" ग्रेड की

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी)

दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये और उसके साथ यह भी कहा कि अगर किसान बाजार से खरीदना चाहे तो सी, बी और डी ग्रेड की भी खरीद सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वह "ए" ग्रेड की ही खरीदे। लेकिन "ए" ग्रेड की दवाइयां गुणवत्ता में अच्छी हैं, उसके अन्दर जब हम पौध लगाते हैं, उसमें अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां मिलेंगी तो पौधा सरवाइव जल्दी करता है। जहां तक सब्सिडी का सवाल है, आपके राज में 25 प्रतिशत सब्सिडी थी और एक हैक्टेयर पर थी, हमने उसको चार हैक्टेयर में किया और 50 प्रतिशत किया। आपके राज में 1500 रुपये प्रति हैक्टेयर था, हमने...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो दिल्ली से पैसा आया है, आपने क्या दे दिया? सारा पैसा दिल्ली से आया है। और अनुदान में और घोटाला कर दिया आपने। बी, सी और डी ग्रेड की जितनी हाई रेट की दवाइयां थीं, उनसे खरीद ली गईं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): ...हमने 22000 रुपये प्रति हैक्टेयर किया, 11 गुना कर दिया। 11 गुना कर दिया। आपके राज में एक पैसा नहीं मिलता था, हमने 7000 प्रति हैक्टेयर किसानों को दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न का जवाब तो सुनिये। (व्यवधान) आप जवाब तो सुनिये पहले।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपयों का मामला है। बी, सी और डी रेट की क्यों खरीदी जब "ए" ग्रेड कम्पनी के पास दवाई थी? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी, आप उपलब्धि मत बताओ। आपके आदेश की पालना नहीं हुई।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): माननीय अध्यक्षजी, 17000 हैक्टेयर में नये बागवान लगाना, दो साल में 17000 हैक्टेयर में, एक कीर्तिमान बना है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके आदेश की पालना नहीं हुई। आप इर्रिटेट मत हों, मैंने पहले भी अर्ज किया है। आपके आदेश की पालना नहीं हुई और "ए" ग्रेड की दवाइयां नहीं खरीदी गई हैं। आप क्या कर रहे हो, यह बताओ? लम्बी बात मत करो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): आप एक मिनट सुन लें पहले। सम्माननीय अध्यक्षजी, मूल्य निर्धारण हम नहीं करते हैं, न हम कोई सीधी दवाई खरीदते हैं। किसान खरीदता है और अपना शेयर जमा कराता है और उसके बाद हम उनको अनुदान देते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, किसान नहीं खरीदता है। मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन है। वह दवाई विक्रेता ही किसानों के नाम से बिल बनाता है, वह खुद ही बनाकर खुद ही सारे अनुदान का पैसा ले लेता है।

श्री अध्यक्ष: यह बहुत गलत बात है। आप मंत्रीजी का जवाब सुनते नहीं हो। खुद ही बोलते जाते हो। आप मंत्रीजी को सुनिये पहले।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):...और किसी भी किसान की फर्जी लिस्ट वहां पर दे देता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत गलत बात है। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्री का जवाब भी सुनना चाहिए। सुनने के बाद यदि आपको कोई शक हो, शुबहा हो तो फिर पूछ लीजिये आप।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं मिला है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सम्माननीय अध्यक्षजी, प्रावधान यह है कि जितना प्रतिशत सब्सिडी होती है, मान लो, 90 प्रतिशत सब्सिडी है, किसान स्वयं अपनी इच्छा से उस कम्पनी का माल लेना चाहता है, उसके लिए 10 प्रतिशत पैसा जमा कराता है और 90 प्रतिशत हम बाद में भुगतान करते हैं जब किसान ले जाता है। हम किसी भी कम्पनी को यह नहीं कहते कि यह दवाई आप वहां रखो। "ए" ग्रेड की 15 कम्पनी हैं, किसी भी कम्पनी की वहां वह दवाई ले सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिये। जो आपकी दवाइयां स्पूरियस हैं या सब-स्टैण्डर्ड हैं और आपको कम्प्लेंट की, आज दिन तक किसी भी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट किया आपने?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जांच नहीं हुई।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): चार-चार कम्पनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। जो भी हम नमूने लेते हैं, उसमें दोषी पाये जाने पर कम्पनियों के लाइसेंस रद्द कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी एक बात तो जवाब दे दीजिये, कितनों को ब्लैकलिस्ट किया आपने?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): चार कम्पनियों को किया।

श्री अध्यक्ष: चार कम्पनियों को किया? इसमें चार कम्पनियां ही नहीं हैं, इसमें 200 कम्पनियां हैं। (व्यवधान) More than two hundred.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपने हॉर्टीकल्चर के सम्बन्ध में एक भी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया आज दिन तक। हॉर्टीकल्चर के सम्बन्ध में एक भी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ये वे कम्पनियां हैं जिनके दो-दो नाम हैं। एक को तो रिजैक्ट कर दिया, दूसरी से काम चला रहे हैं। आप तो, मंत्रीजी, यह बताएं कि डिग्गी जिनकी बनवा दी, उनको भी अनुदान-वनुदान देकर आपने पैसा तो ले लिया, कनेक्शन दे रहे हैं क्या बिजली के?

श्री अध्यक्ष: अब आसन ने पूछ लिया, आपका बाकी है क्या? मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। जब आसन ने पूछ लिया, वह जवाब देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले आपका आ जाए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सम्माननीय अध्यक्षजी, हमारे विभाग में रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है, तीन साल के जो मानक नमूने 100 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तक उसमें दर्ज हैं, उसमें जितनी भी दवाइयां, जो हमारे मापदण्ड हैं, उसमें आती हैं, उनको ही हम रजिस्टर करते हैं, दूसरों को हम रजिस्टर नहीं करते हैं। 140 कम्पनियां रजिस्टर की हैं हमने। जो सब-स्टैण्डर्ड पाई जाती हैं, उनका हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते हैं। वे तो रजिस्टर तब होती हैं, जब तीन साल तक सारे नमूने सही पाये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा करवा लें यहां पर। अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह रहेगा कि इस प्रश्न पर आधा घंटे की चर्चा की जाए। भारत सरकार से इतना बड़ा पैसा आ रहा है, सरकार की तैयारी नहीं है और लोगों को क्वालिटी की दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सब-स्टैण्डर्ड की दवाइयां मिल रही हैं। यह तो केवल सब्सिडी के आधार पर हॉर्टीकल्चर हो रहा है, इसका कोई आधार नहीं है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से विनती करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूं, यह जो इन्होंने कहा कि किसान खरीदता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य एक साथ पूछना शुरू कर देते हैं, आप एक-एक पूछिये। माननीय सदस्य, एक-एक पूछें।

श्री बद्रीलाल जाट: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस प्लान में चित्तौड़ जिला सम्मिलित है और सम्मिलित है तो क्या सब्सिडी में कोई कटौती हुई है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जब प्रश्न पूछते हैं माननीय सदस्य, तो आपको बैठ जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह: माननीय अध्यक्षजी, मैंने इनसे एक बुनियादी प्रश्न किया था कि 17 जिलों में आपका प्रोग्राम चल रहा है, कितने आपके पास ट्रेंड प्रशिक्षक वहां पर ग्राम सेवक हैं हार्टीकल्चर में, उसका उत्तर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: है ही नहीं कोई, है ही नहीं। मैं कह रही हूं न कि नहीं है, मुझे मालूम है, नहीं है।

श्री भरत सिंह: माननीय अध्यक्षजी, इतना बड़ा प्रोग्राम है, इससे राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे नौ हजार से ऊपर ग्राम पंचायते हैं, चालीस गांव वालों पर एक एक्सटेंशन का आदमी और हार्टीकल्चर का प्रोग्राम, तो राजस्थान सरकार इस दिशा में क्या पहल कर रही है कि यह कार्यक्रम सफल हो और हम इसको गांवों तक पहुंचा सकें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप एक-एक का जवाब तो आने दीजिये। नो-नो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी, क्या ट्रेंड आपके पास ग्राम सेवक हैं जो हार्टीकल्चर के बारे में जानते हों और जो जानकारी दे सकते हों काश्तकारों को? (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टी.टी.: पर्टीकुलरली होर्टीकल्चर, बी.एस.सी.. जो लड़के हैं, बी.एससी. (एग्रीकल्चर)...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो भी उनके जवाब तो देने दीजिये। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट: इन सत्रह जिलों के प्लान में क्या चित्तौड़ जिला सम्मिलित है? क्या राजस्थान सरकार ने सब्सिडी कम करने के कोई आदेश जारी किये हैं? जिन काश्तकारों के बागवानी के प्लान थे, उन्होंने आंवला के

(श्री बद्रीलाल जाट)

प्रोजैक्ट लगाये, उन्होंने लगाये थे, जुलाई से पूर्व और उन्होंने बिल भी सब्मिट कर दिये, जुलाई-अगस्त में तो उनकी सब्सिडी 22.50 हजार प्रति हैक्टेयर थी, 29 जनवरी को एक आदेश निकला कि उनकी सब्सिडी 12.5 हजार प्रति हैक्टेयर कर दी। उन काश्तकारों का भविष्य अंधकार में। वास्तव में, सर, चिंता का विषय है कि जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना इंसेंटिव प्रोग्राम है उसमें उन्होंने सहभागिता निभा कर सारी व्यवस्थाएं कीं, उसके बाद उनके साथ ऐसा कुठाराघात हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्नों का जवाब तो आने नहीं देते, बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: माननीय अध्यक्षजी, माननीय विधायकजी ने जो क्वेश्चन किया है, होर्टीकल्चर डिपार्टमेंट के अलग से 187 कृषि पर्यवेक्षक हैं उनमें से...

श्री अध्यक्ष: कितने?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: 187 होर्टीकल्चर के अंदर तो अलग हैं, उनके ए.डी. भी अलग हैं, उनके होर्टीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक...

श्री प्रमोद जैन भाया: कितनी ग्राम पंचायतें हैं, यह भी स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है, आप उनको जवाब देने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: 187 कृषि पर्यवेक्षक हैं और समय-समय पर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और जो भी कार्यक्रम आता है उसको लागू कराने में ये 187 कृषि पर्यवेक्षक काम करते हैं। ये होर्टीकल्चर के हैं और जो इनकी क्वालिफिकेशन है शुरू की, बी.एससी.(एग्रीकल्चर) के ये लड़के होते हैं।

श्री अध्यक्ष: ये 187 इन सत्रह जिलों में नियुक्त हैं या कहीं और भी हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: होर्टीकल्चर के अंदर हैं, 187 ।

श्री अध्यक्ष: इन सत्रह जिलों में ही?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: हां, जी। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह: पूरे राजस्थान के बता रहे हैं, मैडम। यह पूरे राजस्थान के बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: बाड़मेर, जैसलमेर में होर्टीकल्चर का काम नहीं है, वहां कैसे होंगे? जहां-जहां जिस जिले में काम है, वहीं होंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू वहां कोई होगा तो एकाध होगा। नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने तो यों ही पूछा। (व्यवधान) अब जवाब देने दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत साफ आरोप है कि सी और डी कम्पनी की रेट ए और बी कम्पनी की मेडिसिन की रेट से बहुत हायर है, किसानों के दस प्रतिशत भी वे खुद ही अपने पास से एडजेस्ट करते हैं, किसानों की फर्जी लिस्ट बनाकर दवाइयां अपने पास रखकर मार्केटिंग सोसाइटीज में उस बिलों को पेश कर देते हैं और सारी अनुदान की राशि वे खुद ही खा जाते हैं। इसकी जांच कराइये आप, वे खुद ही खा जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल: कोई है क्या उदाहरण आपके पास एक-दो?

श्री हरिमोहन शर्मा: हां, हां। हां, हां। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल: ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाते हैं सदन में।

श्री हरिमोहन शर्मा: हां, हां। रेट उठा कर देख लो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल: सदन पटल पर रख दें, जांच करवा देगी सरकार। क्या बकवास बातें करते हो। केवल सामान्य बात करने से कोई नहीं होता है, अगर आपके पास तथ्य हैं तो मामला रख दें। (व्यवधान) जबरदस्ती आरोप लगाकर ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: यह सिंचाई नहीं है, यह कृषि है।

श्री सांवर लाल: यहां कोई भाषण नहीं देते, अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: या तो आप यह कहो कि कृषि मंत्री जवाब नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: उदाहरण विचाराधीन हैं, चल रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ का मामला है, पहले से ही चल रहा है जांच में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, क्या आपके पास बागवानी करने वाले काश्तकारों का कोई रजिस्ट्रेशन या कोई

(श्री अध्यक्ष)

जानकारी है कि कौन-कौन किस जिले में कितने आपके ऐसे व्यक्ति हैं जो होर्टीकल्चर करके बागवानी कर रहे हैं? क्या नियमित रूप से कोई आपका अधिकारी है जो वहां जाकर उनको सलाह देता हो?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: हर जिले के अंदर अलग से होर्टीकल्चर का अधिकारी है और बीस जिलों के अंदर 187 पर्यवेक्षक हैं। जैसा आप पूछ रहे हैं, बीस जिलों में होर्टीकल्चर का काम है, वहां 187 कृषि पर्यवेक्षक केवल होर्टीकल्चर का काम करते हैं। जो भी किसान बागवानी करना चाहता है उनसे वे सम्पर्क करके रजिस्ट्रेशन करके उन्हें पौधारोपण कराना और तीन साल तक उनको देखना...

श्री अध्यक्ष: आपके पास रजिस्ट्रेशन है क्या उनका? रजिस्ट्रेशन है आपके पास?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी: उसका रजिस्ट्रेशन जब अनुदान लेगा तब रजिस्ट्रेशन...

श्री अध्यक्ष: जानकारी। मेरा मतलब जानकारी से है। क्या आपके पास इस तरह की कोई सूची है कि इस जिले में इतने लोग बागवानी करते हैं? ऐसी कोई सूची है? कोई सूची नहीं है आपके पास । (व्यवधान) आपके पास कोई सूची नहीं है, मैं कह रही हूं। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: अध्यक्ष महोदय, जो आपने जानकारी मांगी थी, मैं भी, अध्यक्ष महोदय, यही जानना चाहता था।

श्री रामप्रताप कासनिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो पौधे, जो दवा सब्सिडी पर मिलती है उससे उसी रेट में जैसे आपने सब्सिडी दे दी, कोई चीज दस रुपये की मिल रही है और उसमें सब्सिडी शामिल है, क्या यह सही है कि वही चीज बाजार में कम रेट पर उपलब्ध होती है? इसके प्रमाण गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में तो मैं एक नहीं, सैकड़ों पेश कर दूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग: अध्यक्ष महोदय, जो आपने प्रश्न किया, मैं जालौर एवं पाली के संदर्भ में...

श्री अध्यक्ष: नहीं। माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग: वही जानकारी करना चाहता हूं, क्या सरकार को यह जानकारी है कि घूम-फिरकर के वही दस-बीस काश्तकार बार-बार फायदा ले

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लेते हैं? ये प्रभावशाली लोग हैं, उनकी सूची आप देखें, जांच करेंगे क्या उसकी?

श्री अध्यक्ष: सूची है ही नहीं इनके पास। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। यह इतना बड़ा मिशन चल रहा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री। (व्यवधान) नो, नो, माननीय मंत्री खड़े हुए हैं, भाई।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: मेरा इसी के सम्बन्ध में प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मंत्री की बात तो सुन लें। एक सवाल पर चालीस मिनट हो गये। चालीस मिनट हो गये।

श्री अध्यक्ष: आप इनकी बात सुनिये। नो, नो। अब आपको पूछना है, उसके बाद पूछियेगा। माननीय मंत्री।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां यह आरोप लगाया सदन में कि कीटनाशकों के वितरण और उनके अनुदान में घोटाला हुआ है। यह निरर्थक है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, राज्य का कृषि विभाग एक भी पैसे की दवा नहीं खरीदता है। नम्बर दो, मैं यह भी सदन में जानकारी देना चाहूंगा कि जिन कम्पनीज के बारे में जिक्र हुआ है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास, इन कम्पनियों का श्रेणीकरण उनके द्वारा जितने सैम्पल्स हम लोगों ने लिये हैं, उदाहरण के लिए ए कम्पनी के हमने सौ सैम्पल लिये हैं, यदि पांच प्रतिशत से कम उनकी मानकता पाई जाती है, ऐसी कम्पनी को ए श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कम्पनी जिसने बहुत अधिक दवा बनाई हो, उसको। ऐसा नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। उन कम्पनियों का दर्जा उनके मानकीकरण के आधार पर हम लोगों ने दिया है। हमारा इस प्रकार का सर्कुलर जारी करने का जो उद्देश्य था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके पीछे एक ही मंशा थी कि ऐसी कम्पनियां जिनकी मानकता सही मिलती है, सबसे पहले काश्तकारों को हम लोगों ने सलाह देने का प्रयास किया कि ए क्लास से लें, फिर उसके बाद बी से लें, इस प्रकार का दिया। एक और जानकारी देना चाहूंगा, जितना भी अनुदान दिया गया है वह केवीएस और

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सहकारी समिति के माध्यम से उनको भुगतान किया जाता है। किसानों के अनुदान की जो हिस्सा राशि है, किसान अपने आप स्वयं जमाता है, विभाग के पास न तो कोई उसके बारे में हम लोग किसी को सजैस्ट करते हैं कि फलां कम्पनी से ही आप खरीदें। यह उसका विकल्प है, यह उसकी इच्छा है कि वह किस कम्पनी से खरीदे। दूसरी बात, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राशि खर्च कम क्यों हुई। इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, जानकारी दूं आपको कि हमें 05 और 06 में 41 करोड़ मिले जो लगभग जनवरी के महीने में प्राप्त हुए थे। दो-तीन महीने ही रह गये थे, इस वजह से उस योजना का प्रचार-प्रसार करना, और हम लोगों ने इतना प्रयास किया, अध्यक्ष महोदय, कि हम लोगों ने कृषि योजना आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर सारे प्रतिनिधि जिसमें माननीय विधायक भी सम्मिलित हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे जिला प्रमुख हों, सब लोगों को हमने सर्कुलर भेजकर निवेदन किया था कि इस प्रकार की योजनाओं के आवेदन पत्र उन ग्राम सभाओं के माध्यम से तैयार करके उन किसानों को लाभान्वित कराया जाएगा। इसी की पहल पर हम लोगों ने किया। जहां तक दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, आया है कि होर्टीकल्चर में ग्राम सेवकों की कमी है, निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के सीमित साधन हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि होर्टीकल्चर के बारे में यदि चिंता की है तो मात्र हम लोगों ने गत वर्ष से इसको शुरू किया है, उससे पहले बहुत कम इसका बजट होता था। ढाई गुना बजट भी राजस्थान सरकार ने, हम लोगों ने उसको बढ़ाया है। हमारा यह प्रयास है। खर्चा कम क्यों हुआ, उसके और भी कारण हैं, उसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट का भी खर्चा है, उसमें प्रोसेसिंग व्यवस्था जैसे आपके मोबाइल यूनिट भी लगाना है, आपके ग्रीन हाउस लगाना है, आपके पोलिनेट हाउसेज लगाना है, अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग इकाइयां लगाना है, उनके बारे में हम लोगों ने जन चेतना प्रारम्भ की है और हम यह चाहते हैं कि राजस्थान का किसान आगे बढ़कर उन योजनाओं को ले। इसी वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें खर्चा कम हुआ है। जैसा आपने कहा और सरकारी फार्मों के बारे में दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा, मैं जानकारी देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 19 हमारे जो फार्म हाउसेज हैं उन पर ग्रीन हाउस की स्थापना के लिए स्वीकृतियां हम लोगों ने जारी कर दी हैं। हमारे ग्रीन हाउस विकसित होकर उसका लाभ राजस्थान के

(श्री प्रभूलाल सैनी)

आम किसान को प्रदर्शन के रूप में हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। इसके बाद और हमारा आगे प्रयास रहेगा। जो भी काश्तकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रीन हाउस के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, लघु और सीमान्त कृषक जो ग्रीन हाउस की स्थापना करना चाहते हैं, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इजराइल में भी देखकर आई हैं, राज्य सरकार की ओर से पहले जो 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी उसको बढ़ाकर 75 प्रतिशत करके उन काश्तकारों को सब्सिडी का भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें जो भी सदन के बीच में आई हैं, मैं इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा कि कृषि विभाग बिलकुल हर बिन्दु पर तैयार है और हम उसकी पूरी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना यह कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह सकता है, लेकिन मैं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ए, बी और सी इनकी दवाइयों की कीमत में कितना अंतर है? जब आपने ग्रेड फिक्स की तो ए ग्रेड की दवाइयों के मुकाबले में सी एण्ड डी की कितनी ज्यादा रेट है? रेट कंट्रोल करने के लिए आपने हाथ खड़े कर दिये, हाथ खड़े कर दिये कि हम रेट कंट्रोल नहीं करेंगे, जचे जितने में ही बेचो। डी की चाहे पांच रुपए की चीज 50 रुपए में बेचो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सामने नहीं आएगा, यह कौनसा अन्याय है? इन्होंने कहा प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे, डी और सी कितना ही प्राइस ले, छूट है हमारी तरफ से। डी, सी और बी की प्राइस कंट्रोल नहीं होने से उसकी कीमत एक स्टैण्डर्ड कम्पनी के मुकाबले में ज्यादा करके उस किसान का दस प्रतिशत खुद ने उसमें जमा कराके और बिलों का वैरिफिकेशन कराके दवाइयां अपने पास रखकर उसका फिजिकल वैरिफिकेशन नहीं कर अनुदान उन कंपनियों ने उठा लिया। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है मंत्रीजी से। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बता दें मंत्रीजी, आप, आपने बी और सी कैटेगरी की दवाइयां अलाउ क्यों की, जब आपका ...(व्यवधान) कंट्रोल है नहीं, पैसा राजस्थान सरकार का और भारत सरकार का है तब आपने सर्कुलर लगाकर यह व्यवस्था क्यों की कि किसान उस क्रय-विक्रय समिति से मिलकर बी और सी कैटेगरी की दवाइयां भी ज्यादा प्राइस में ले सके? यह आपने

(डा. सी. पी. जोशी)

अलाउ क्यों किया? यही आपके ऊपर आरोप है कि आपके इस सर्कुलर के कारण उस किसान के साथ अन्याय हुआ और घटिया किस्म की दवाइयां ज्यादा पैसे में ली गयीं। यह प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप। प्रश्न यह है कि आपके सर्कुलर के कारण घटिया दवाई ज्यादा पैसे से लेने के लिए किसान फंसा। यह जिम्मेदारी आपकी है, इसका जवाब दीजिए आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब जवाब सुनें मंत्रीजी का। नो, जवाब सुनिए। (व्यवधान) जवाब सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बिजली के कनेक्शन भी दिला रहे हो क्या मंत्री महोदय से, इतना-सा मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये पहले, नो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, पिछले आधे घंटे से प्रयास कर रहा हूं, मेरा इतना-सा प्रश्न है कि मंत्री महोदय जिन किसानों को अनुदान दे रहे हैं, अनुदान के साथ-साथ उनको प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन भी उपलब्ध करवा रहे हैं या वह अपने स्तर पर ही ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आपको इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना इजाजत के बोले हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सीधे-सीधे यह आरोप लगाने का प्रयास किया है कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास की कम्पनी से किस प्रकार से ये कीटनाशक खरीद किये। यह मैं जानकारी देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ए क्लास की एक कम्पनी नहीं है, 40 कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं और इन 40 कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको एक भी ...(व्यवधान) दवाई हो तो इनके प्राइस देखो आप। (व्यवधान) ए, बी और सी में कितना अंतर है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं 40 हैं ए क्लास की, तो फिर सी और डी अलाउ क्यों की आपने? आप कंडीशन करते कि ए क्लास की ही लेंगे। सी और डी की अलाउ क्यों की आपने?

(डा. सी. पी. जोशी)

आपका इंटेंशन साफ होता है कि 40 कम्पनियां हैं तो आपने सी और डी अलाउ क्यों की?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को अपडेट करना चाहूंगा कि जो 40 कम्पनियां ए ग्रेड की हैं वो सारी दवा नहीं बनाती हैं। लगभग 150 से अधिक कीटनाशक दवाइयां बनती हैं, ए क्लास जो कम्पनी हैं यह जरूरी नहीं है कि सारी की सारी ए क्लास की कम्पनी ही बनाती हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप वैरिफाई कैसे करोगे? यह वैरिफाई कैसे करोगे कि यह दवाई ...(व्यवधान) आपके आदमी तो ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप भी लिखते ...(व्यवधान) सी और डी से ली है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपने कोई वैरिफिकेशन करवाया है इसके बारे में? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप यह वैरिफाई कर देते (व्यवधान) यह समझ में आता है, आपने क्रय-विक्रय की यह व्यवस्था कर ली है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दो साल से चालू है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, इसका वैरिफिकेशन आपने कब करवाया, यह बताने की कृपा करें? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ए ग्रेड कम्पनी की दवाइयां नहीं हैं, यह किससे वैरिफाई करवाया आपने? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि ए ग्रेड की दवाइयों में सभी प्रकार की दवाइयां बनती हैं, दवाइयों की बिना जानकारी के यह बात कही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सी.डी. देवल, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह जो सैंपल की बात आई है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, कुछ नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है, नो, स्थान ग्रहण करें ।

पाली जिले की स्वायत्तशासी संस्थाओं को बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि

133. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य सरकार ने पाली जिले की नगर पालिकाओं/नगर परिषद को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करायी थी? यदि हां, तो प्रत्येक नगर पालिका/नगर परिषद को उपलब्ध कराई गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले की नगर पालिका सादड़ी एवं बाली नगर पालिका द्वारा बाढ़ से हुई हानि के तहत जो धनराशि प्राप्त की गयी थी, उसका समानता के आधार पर वितरण नहीं किया गया?

(3) क्या यह सही है कि इसकी शिकायतें जिला कलक्टर, पाली एवं सरकार को की गई? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों पर कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या, नहीं तो क्यों? शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

आपदा एवं राहत मंत्री (श्री किरोड़ी लाल मीणा): (1) जी हां नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को उपलब्ध कराई गई राशि निम्न प्रकार है:-

नगर पालिका/नगर परिषद का नाम	**आबंटित राशि (लाखों में)**
1. नगरपरिषद, पाली	25.00
2. नगरपालिका, सादड़ी	60.00
3. नगरपालिका, जैतारण	20.00
4. नगरपालिका, सोजत	50.00
5. नगरपालिका, तख्तगढ़	45.00
6. नगरपालिका, बाली	45.00
7. नगरपालिका, सुमेरपुर	20.00
8. नगरपालिका, रानीखुर्द	20.00
9. नगरपालिका, फालना	45.00
योग	**330 लाख रुपये**

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(3) जी हां। निम्न दो शिकायतें प्राप्त हुई थी,

1. राजस्थान समाचार पत्र दिनांक 30.12.2006 एवं 31.12.2006 में प्रकाशित शीर्षक नगर पालिका सादड़ी के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों के कार्यों में अधिशासी अधिकारी, न.पा. सादड़ी द्वारा भेदभाव/पक्षपात बाबत् प्राप्त शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी, देसूरी से कराई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत तथ्यहीन पाई गई।

2. माननीय विधायक महोदय सी.डी. देवल के पत्रांक दिनांक 30.11.2006 के द्वारा नगर पालिका, बाली के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत बाबत् आप ही की शिकायत थी। आपकी शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर पालिका बाली के सभी पार्षदों को जिसमें कांग्रेस के भी शामिल हैं, नगर पालिका, बाली द्वारा करवाए जा रहे कार्यों से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिन नगर पालिकाओं को इन्होंने धनराशि अतिवृष्टि या बाढ़ बचाव के लिए दी है, उसका क्या आधार रहा है? अकाल राहत कार्य खोलते हैं तो आप रिपोर्ट मंगाते हैं, बाढ़ की आप रिपोर्ट मंगाते हैं, यह पैसा देने का आपका क्या आधार रहा, एक? नम्बर दो, सादड़ी और बाली में प्रत्येक वार्ड को कितने पैसे दिये, उसकी सूचना दे दें?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर से हमारे पास में यहां पर कुछ क्षति के प्रस्ताव आते हैं और प्रस्ताव के आधार पर जितने संसाधन हमारे पास होते हैं इतनी ही राशि नगर पालिकावाइज हम उपलब्ध करा देते हैं। देसूरी और बाली दोनों की वार्डवाइज लंबी पूरी सूची मेरे पास है, आप चाहें तो पढ़कर बता दूंगा, वर्ना मैं आपको अलग से दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यहां अख़बार की कटिंग जिला कांग्रेस कमेटी का...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड को इस राशि में कितनी आबंटित हुई उसका जवाब दे दें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पत्र यहां इसके साथ लगाने की क्या आवश्यकता थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह पारदर्शिता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर, पाली ने इनको इन नगर पालिकाओं में नुकसान की क्या सूची भेजी है, वह बता दें, क्योंकि यह सहायता उन ही लोगों को दी जाती है जिनका नुकसान हुआ है। सब कांग्रेस के जो वार्ड थे बाली के अंदर, उनको छोड़ दिया, सादड़ी के अंदर कांग्रेस के वार्डों को छोड़ दिया और लिमिटेड वार्डों को डबल-डबल पैसे दे दिए, कहीं 6 लाख दे दिए, कहीं 8 लाख दे दिए। इस भेदभाव का क्या कारण है? ये रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं एसडीओ, पाली और एसडीओ, देसूरी की, उसकी प्रति सदन के पटल पर रख दें।

(समय : 12.00 बजे)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि सुमेरपुर व तख्तगढी बाढ़ और अतिवृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं ...(व्यवधान) एक मेरे प्रश्न का भी साथ में उत्तर दे दें प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अभी बता देते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या यह सही है कि सुमेरपुर व तख्तगढ़ ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल तो समाप्त हुआ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के ...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, तीन सालों में पहली बार, सवा तीन साल में आपने मौका दिया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): शोकाभिव्यक्ति।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप मेरी बात सुनिये। मैं अध्यक्ष महोदय को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सवा तीन साल में एक प्रश्न लगा और उसका जवाब भी माननीय मंत्रीजी ने नहीं दिया, कम से कम आप इनसे जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: मुझे मेरे सामने जो घड़ी लगी हुई है उसके हिसाब से चलना पड़ता है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, घड़ी तो रोज ही लगी रहती है।

श्री अध्यक्ष: आसन की मजबूरी है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जब तक पांच साल आप अध्यक्ष रहेंगी, ये दोनों घड़ियां यों ही लगी रहेंगी। प्रश्न यह है कि ये जवाब तो दें। मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: समय के मुताबिक चलना पड़ता है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह है कि मंत्री उत्तर देते हैं तो मंत्री का उत्तर पूरा होने तक का समय प्रश्नकाल का भी रहा है, तो मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं तो पूरा उत्तर दे दें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता कि रानी नगर पालिका को इन्होंने बीस लाख दिये और पाली नगर परिषद है जिसको इन्होंने कुल मिलाकर ...

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, देसूरी से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आप संतुष्ट नहीं हो, आप रायपुर से आते हैं, सारी...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: हां रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आप प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे नियमों में आकर और इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं क्योंकि मैं शोकाभिव्यक्ति पढ़ने के लिए खड़ी हो गयी हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ठीक है, साहब। मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको कि तीन साल में पहली बार आपने प्रश्न में मेरा नाम तो पुकारा।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

जय कृष्ण शर्मा श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद आपका।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जयकृष्ण शर्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री श्री जयकृष्ण शर्मा का जन्म दिनांक 1 अप्रैल, 1925 को अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे में हुआ। आपने इण्टरमीडियेट तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री जयकृष्ण शर्मा तीसरी, चौथी, छठी तथा सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आपने तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधान सभा में अलवर जिले के थानागाजी तथा छठी एवं सातवीं राजस्थान विधान सभा में रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री शर्मा सितम्बर, 1967 से जून, 1968 तक राजस्थान सरकार में ऊर्जा, जन सम्पर्क तथा सहायता एवं पुनर्वास विभाग के राज्य मंत्री रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री थे। कृपया इसको चैकअप करवा लें। आपके साथ ही राज्य मंत्री थे 1967 में।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है।

ऊर्जा, जन सम्पर्क तथा सहायता एवं पुनर्वास विभाग के राज्य मंत्री रहे। तत्पश्चात् आपके पास जुलाई, 1971 तक आयुर्वेद तथा सहायता एवं पुनर्वास विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। श्री शर्मा जुलाई, 1981 से फरवरी, 1985 तक राज्य सरकार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व, यातायात एवं परिवहन तथा खान विभाग सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री रहे।

विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य भी रहे। श्री शर्मा यातायात, आवासन, रोजगार एवं प्राविधिक शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे।

श्री शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1959 से 1963 तक पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर) के प्रधान, वर्ष 1963 से 1965 तक अलवर के जिला प्रमुख तथा जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में विशेष रुचि रखने वाले श्री शर्मा हरिजन उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे श्री शर्मा वर्ष 1961 से 1964 तक जिला कांग्रेस कमेटी, अलवर के सदस्य भी रहे।

श्री जयकृष्ण शर्मा का दिनांक 16 मार्च, 2007 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री शर्मा को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अध्यक्ष महोदय, सद्दाम हुसैन को श्रद्धांजलि देनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य: सज़ा मिली थी उसको।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): कहां सज़ा मिली थी, उसको जबरदस्ती फांसी दे दी।

श्री अध्यक्ष: बीच में न बोलें।

(तदनंतर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। 12.20 बजे बैठक होगी।

(तदनंतर सदन की बैठक 12.05 बजे 12.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.20 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पहली बार यह ठीक नहीं रहा है कि श्रद्धांजलि के समय सदन की नेता मौजूद नहीं हैं। अपने यहां परम्परा रही है। अपने यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आपके द्वारा शोक प्रस्ताव पढा गया, श्रद्धांजलि दी गई तो सदन की नेता मौजूद नहीं थीं। रहना चाहिये था, आज तक परम्परा यह रही है ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आइंदा ध्यान रखेंगी। वह किसी प्रोग्राम में गई हुई थीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, जैसा मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया, मैंने भी पहले दिन आपसे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निवेदन किया था कि सद्दाम हुसैन को मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की विधान सभा में श्रद्धांजलि दी गई है तो राजस्थान विधान सभा में देने में क्या हर्ज है। उसने इतने साल तक भारत से दोस्ती निभाई, भारत का समर्थन किया, साथ दिया और जो भी कुछ कृत्य उसने किया वह राष्ट्रपति रहते हुए देश के हित में किया । उसकी मैरिट-डिमैरिट पर न जाकर मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि सद्दाम हुसैन को भी सदन की तरफ से श्रद्धांजलि दी जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में विचार करेंगे सरकार से भी और बीएसी की **मीटिंग में ।**

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप कहें तो मैं मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश विधान सभाओं में दी गई श्रद्धांजलि की अधिकृत सूचना आपको लाकर दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, सुन ली, आपने सूचना दे दी, विचार करेंगे ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से कोटपूतली को जिला बनाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है, न रीसेंट आकरेंस है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से संविदा चिकित्साकर्मियों की चल रही भूख हडताल के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी चूंकि लोग भूख हडताल पर बैठे हुए हैं, आज से आमरण अनशन पर हैं इसलिए माननीय सदस्य डा. बुलाकीदास कल्ला को अपनी बात तीन-चार मिनट में कहने की अनुमति होगी ।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से तहसील पीपल्दा के इटावा कस्बे में अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
2. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचोर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।
3. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में ।
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के रावतसर शहर की सेम की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।
5. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से जिला परिषद अलवर में 10 से अधिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापकों को अपने मूल विभाग में भेजने के सम्बन्ध में ।
6. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में ।
7. प्रो. बीरूसिंह राठौड, सदस्य की ओर से दुर्गापुरा (जयपुर) क्षेत्र में स्थापित श्री सीको प्रा. लि. को तुरंत प्रभाव से बंद कर अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में । यह सीको क्या बला है?
8. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर शहर में राधाकिशनपुरा स्थित मोडी कोठी में एकत्र गंदे पानी की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।
9. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में ।
10. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में बीसलपुर का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में ।
11. श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की ओर से जिला चित्तौडगढ़ को नये जिले प्रतापगढ़ से जोडने के लिये मुख्य जिला सड़क बनाने के सम्बन्ध में ।
12. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा निर्मित की गई सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

माननीय बुलाकीदास कल्ला ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं पहले नियमों में आया था, नियमों में अगर दो मिनट की आप परमिशन दे देतीं तो आपकी कृपा हो जाती। नियमों में मैं लगातार इतने दिनों से पर्ची लगा रहा हूं। यह मसला आया नहीं, मैंने मुख्य मंत्री महोदया के बीच में भी इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं की । अध्यक्ष महोदय, मैं नियमों में आया हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप पर्ची पर दे देना । स्थगन प्रस्ताव का नियम आपको मालूम है ? नियम 50 में ऐसे बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है । आप या तो पर्ची पर आ जाइए या आप 295 में आ जाइए ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, पर्ची भी लगातार लगा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: 295 में ले आइए, कल रख देंगे । 295 में ज्यादा अच्छा है, बेहतर है ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): पर्ची भी लगातार लगा रहा हूं पर्ची में नम्बर नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष: 295 में और अच्छी तरह से इलेबोटेट कर दीजिए आप । डा. बुलाकीदास कल्ला ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

संविदा चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग के संविदा कर्मचारी पिछले पांच दिनों से आमरण अनशन पर हैं ।

श्री अध्यक्ष: आमरण अनशन तो आज शुरू किया है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पांच दिनों से हैं, दिगम्बर सिंहजी को पता है । पांच दिनों से लगातार आमरण अनशन पर हैं ।

श्री अमराराम (धोद): पांच दिनों से लगातार आमरण अनशन पर हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पांच दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनमें से 19 मेल नर्स और फीमेल नर्स को तबीयत खराब होने के कारण हास्पिटल में भर्ती किया गया है । जो 7 वर्ष से संविदा कर्मचारियों के रूप में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, आयुर्वेद नर्सेज के रूप में काम कर रहे हैं, 7 वर्ष तक सरकार के संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके लिये माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने एक कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, सरकार इनको क्या नियमित कर्मचारी के रूप में रखेगी या नहीं रखेगी? अध्यक्ष महोदय, इनको मैटरनिटी लीव तक नहीं मिलती है, न और कोई परिलाभ मिलते हैं। इन संविदा कर्मचारियों का लगातार मांग पत्र सरकार के पास विचाराधीन है लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं दो बार उनके बीच में जाकर आया हूं। शहीद स्मारक पर गवर्नमेंट हास्टल के पास वे बैठे हुए हैं। आज के बाद उनको भूख हड़ताल की भी अनुमति नहीं है। तो कम से कम लोकतंत्र में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो आमरण अनशन पर बैठा हुआ है उसको लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन करने दें और उनसे बातचीत करके इसका स्थाई समाधान निकाला जाए। एक तरफ तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो मांग आई उसमें माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम इतने हजार पदों को भरने वाले हैं, 13 हजार से ज्यादा पदों को, और दूसरी तरफ जो 7 वर्ष से काम कर रहे हैं, आपकी सेवाएं कर रहे हैं, गांवों में रहकर चिकित्सा विभाग की ...

श्री अध्यक्ष: बाकायदा स्क्रीनिंग करके ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनकी जो नौकरी लगी है वह भी स्क्रीनिंग करके लगाई गई है । वे सारे के सारे ट्रेनिंग किये हुए लोग हैं। लैब टैक्नीशियन, मेल-फीमेल नर्स, रेडियोग्राफर सब ट्रेनिंग किये हुए लोग हैं। उनमें से कई लोग ओवर एज हो गये हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दूसरी नौकरी नहीं कर पाते। उनके लिये सरकार को दिशा-निर्देश और नीति तैयार करनी चाहिये ताकि इन लोगों को नियमित किया जा सके। उनसे बैठकर बातचीत करनी चाहिये । आपने स्वयं इस सदन में कहा था, सुखाड़ियाजी के वक्त में यदि कोई व्यक्ति गांव में भी भूख हड़ताल करता था तो कलक्टर और एसडीएम

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उनको सम्भालते थे। लेकिन मैंने आज पांच दिनों से देखा है कि उनको कोई सम्भाल नहीं रहा है, न उनका कोई स्वास्थ्य का परीक्षण हो रहा है । उनके कीटोन्स वगैरह आ रहे हैं । वहां कोई जन प्रतिनिधि फोन करता है कि यह बीमार हो रहे हैं, कोई मर जाएगा तब जाकर पुलिस आकर उनको हास्पिटल में भर्ती कर देती है। कम से कम भूख हड़ताल के जो नियम कानून-कायदे हैं, उनका सरकार को पालन कराना चाहिये । मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि उनसे बातचीत करके, उनको नियमित करके उनकी समस्या का समाधान करें ताकि इनकी सेवाओं का लाभ लिया जा सके ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी फर्माएं कुछ ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय कल्ला साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा । धन्यवाद इसलिए...

श्री अध्यक्ष: क्योंकि ध्यान दिलाया है एक ऐसी चीज की तरफ। Why not?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केवल इसलिए नहीं कि ध्यान दिलाया है ...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वे पांच दिन से भूख हडताल पर हैं और इनको ध्यान ही नहीं आया इसलिए इनको धन्यवाद दे रहे हैं ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं धन्यवाद तो इसलिए देना चाह रहा हूं कि इन तीन साल में आपकी मानसिकता में परिवर्तन आया है। उसके लिये धन्यवाद देना चाह रहा हूं । सन् 2000 में कर्मचारियों की एक बहुत जबरदस्त हड़ताल हुई थी, उसको आपकी सरकार ने बहुत बुरी तरह से क्रश किया था, उनके हितों पर बहुत जबरदस्त कुठाराघात किया था उस टाइम में ।

श्री अध्यक्ष: कुठाराघात किया था इसीलिए तो यहां बैठे हैं । आप तो अपनी बात बताओ । यह कुठाराघात नहीं करते तो यहां नहीं बैठते ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उस समय चिकित्सा जैसे विभाग में कांट्रेक्ट पर भर्ती करने की कार्यवाही तत्कालीन सरकार ने शुरू की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, द्वितीय श्रेणी नर्स

(डा. दिगम्बर सिंह)

1669 आज की तारीख में काम कर रहे हैं, ए.एन.एम. 2153 काम कर रहे हैं, लैब टैक्नीशियन 575 काम कर रहे हैं, सहायक रेडियोग्राफर 36 काम कर रहे हैं, इस तरह से 4433 ऐसे कर्मचारी हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री और चिकित्सक होने के साथ-साथ आपको निवेदन करना चाहूंगा, चिकित्सा विभाग में संविदा पर रखना, आप अगर किसी लैब टैक्नीशियन को जिसकी रिपोर्ट के ऊपर पूरा फिजीशियन का ट्रीटमेंट डिपैंड करता है उसको भी किसी एजेंसी के थ्रू प्लेसमेंट करें तो उसकी रिलायबिलिटी मैं नहीं समझता कि ज्यादा रहती है। लगातार प्रयास किया हमारी सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले जब मेरे डिपार्टमेंट की डिमांड थी उस समय मैंने आपके सामने, सदन में भी निवेदन किया था, हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का गठन कर रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य है सात-सात साल से, आठ-आठ साल से जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, इनको नियमित करने का। इनकी सेवाएं नियमित रूरल एरिया में मिलती रहें, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था। दूसरा बड़ा कारण यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिस दिन से मैंने सदन में यह व्याख्यान दिया है, मेरे पास लगातार लोग आने लग गये हैं कि शहर से हमारा गांव में ट्रांसफर करा दीजिए। शहर से गांव में ट्रांसफर की एक पालिसी बना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार इसमें संवेदनशील है। हमारे सैक्रेटरी के लेवल पर वार्ता हुई, डायरेक्टर लेवल पर भी वार्ता हुई, फिर हमारे सचिव स्तर पर भी इनके नेताओं से वार्ता हुई, उसके बाद मैंने खुद अपने चैम्बर में इनके प्रतिनिधि मण्डल से बात की और वे पूरा संतुष्ट होने के बाद गये कि हमारी जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई और सरकार तो हमें खुद ही इतना देना चाह रही है। उसके बाद पता नहीं, मेरे खयाल से या तो आप पहुंच गये इसलिए नहीं उठे, नहीं तो कल ही उठ जाने चाहिये थे वे।

माननीय कल्ला साहब, मैं तो सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उन कर्मचारियों के लिए पूरी तरह संवेदनशील हैं और उनके हित में निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। उसमें जो भी आवश्यक नियम-परिवर्तन होना था, वह काम भी हम कर रहे हैं। इनके एज रिलैक्सेशन का भी हमने उसमें रखा है। महिला कर्मचारी हैं, ए.एन.एम हों, चाहे रेडियोग्राफर हों, चाहे कोई भी हों, उनको कम से कम मैटरनिटी लीव का लाभ तो बहुत आवश्यक है,

(डा. दिगम्बर सिंह)

मिलना चाहिये। सरकार पूरी तरह से सावचेत है, इनकी पूरी देखभाल करेंगे। मैं निश्चित आपको वादा करना चाहता हूं कि उनको फालतू में बैठने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जो कुछ वह चाह रहे हैं हम तो पहले ही कर रहे हैं। तो किसलिए बैठे...

श्री अध्यक्ष: आप तो उनका अनशन तुड़वा दीजिए, बात यह करो। और देखी जाएगी (व्यवधान) अनशन तुड़वाओ, यह करो।

श्री अमराराम (धोद): आप तो नियमित करने की घोषणा कर दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनशन तुड़वाओ।

श्री अमराराम (धोद): मैरिट से आये हैं वे। ट्रेंड हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तक मैरिट से लेते आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच-बीच में अपना नाम करने के लिए आप दोनों क्यों खड़े हो गये? क्या मतलब है? वह बोल रहे हैं, बोलने दो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने क्या कहा, अगर इतने पूरे प्रोसीजर उसमें....

श्री अमराराम (धोद): आप कह रहे हो उठ जाएंगे, आप नियमित करने की घोषणा कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, उनकी बात सुन लीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरी बात सुनिये, एक मिनट। (व्यवधान) जब इनका सलैक्शन हुआ था, उस समय रिजर्वेशन का भी पूरा ध्यान रखकर बाकायदा मैरिट से सलैक्शन हुआ, यह बात सही है। उस समय क्यों आपने इनको कांट्रेक्ट पर रखा?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): समय नहीं था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हड़ताल थी। पैरा मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी। जितनी फार्मल्टी कर सकते थे ...(व्यवधान) मैरिट से लिया था।

श्री अमराराम (धोद): कांट्रेक्ट पर रखकर नियमित करने का नहीं किया, उसकी सज़ा भुगत ली। अब आप सज़ा भुगतना चाहते हो क्या ? (व्यवधान) बात समझ में आती है। यदि वे ट्रेंड नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं। ये ट्रेंड हैं, क्वालिफाइड हैं, मैरिट से आपने लिया है, अगर आपका रिजर्वेशन का

(श्री अमराराम)

कोटा पूरा नहीं है तो वह भी पूरा कर लीजिए। आठ साल से आप उनकी दे रहे हो, सवा तीन साल तो आपको हो गये। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कमेटी बनाई थी कि वार्ता करके एक महीने में वह कमेटी निर्णय दे देगी। उस कमेटी को एक साल से ज्यादा हो गया। अब पौने दो-दो साल बचे हैं उसमें भी यह कमेटी चलती रहेगी ?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): धोद से आने वाले माननीय सदस्य ऐसे कह रहे हैं जैसे एक दिन में सारा काम हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद): सरकार को सवा तीन साल हो गये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप...

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कमेटी का निर्णय अलग बात है। निर्णय को लागू करना इतना आसान काम नहीं है। परन्तु मैं यहां सदन में आश्वासन देना चाह रहा हूं कि इनके लिए हम पूरी तरह से..., अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही डिमांड में खुद बोल चुका हूं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपने डिमांड में जवाब में एक शब्द भी इस कांट्रेक्ट के लिए नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप एक-एक सैकण्ड में खड़े हो जाते हो। जब वह बोल रहे हैं...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है आपका। गलत बात है।

श्री अमराराम (धोद): यह कह रहे हैं डिमांड, आप बता दीजिए, डिमांड में कांट्रेक्ट के स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में एक शब्द भी कहा हो तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चाहे जब खड़े हो जाएं...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करेंगे, तीन साल से कार्यरत संविदा कर्मियों को निश्चित रूप से फायदा, यह तो आपने सुना नहीं। मेरी बात सुनिये आप तो केवल उनको... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यहां बात केवल इतनी है कि उनको आज जाकर अमरारामजी यह कह दें कि सरकार नहीं मान रही थी, हमने मनवाया है। केवल इनकी मानसिकता इतनी है। हम तो पहले से...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अमराराम नहीं, आप ही कहो, अमराराम का क्या।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह तो वही बात हो गई जो आपने ओलावृष्टि पर शुरूआत की थी। मैं तो आपको कहना चाह रहा था...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप नाम-वाम मत लो। आप किसी का नाम-वाम मत लो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम विभाग की तरफ से पहले ही निर्णय कर चुके हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का, केवल एलोपैथी में ही नहीं, यह और बताना चाहता हूं, आयुर्वेद में भी हम ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं का अलग से गठन कर रहे हैं। उसमें भी संविदा पर काम करने वाले लोग जो तीन साल से ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी नियमित करने की निश्चित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: और सब बात तो ठीक है आपकी, आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वह आमरण अनशन पर बैठे हैं। सवाल उनका आमरण अनशन तुड़वाने का है, वह प्रयत्न कीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वहां स्थिति ऐसी है कि उनका कोई नेता नहीं है। मेरे पास पांच लोग आये थे वे बिलकुल खुशी-खुशी तैयार होकर गये थे। वहां जाने के बाद पता लगा कि उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह अमरारामजी ने बहका दिया होगा।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं तो कल हरियाणा था। मैं तो कल हिसार में था। मैं यहां कहां था, था ही नहीं, हिसार में था।

श्री अध्यक्ष: आप कहीं भी बैठे हों, कुछ भी कर सकते हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, सरकार और मंत्री उनसे वार्ता करें और एश्योर करें कि हम इनको परमानेंट कर देंगे। (व्यवधान) सरकार को करना चाहिये। मंत्री महोदय टाल रहे हैं कि अमराराम जी ने भड़का दिया।

श्री अध्यक्ष: आप उनकी बात पूरी सुनें। आप उनकी बात तो सुनें पहले। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अमरारामजी क्यों तुड़वा दें? सरकार लेकर बैठे हैं, आप तुड़वाइये, आप उनको एश्योर कीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम वार्ता करेंगे। कल भी वार्ता की थी, आज भी वार्ता करेंगे और अगर आपकी नहीं चली तो उसको तुड़वा ही देंगे। आप मेहरबानी करके...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. बी.डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संविदा के आधार पर पहले अध्यापक भी लगाये गये थे इनको राज्य सरकार ने समय पर नियमित किया, शिक्षाकर्मियों को नियमित किया। जिस समय आप स्वयं जानते हैं कि अकाल पड़ा हुआ था, भंयकर हड़ताल थी उस समय सारे नियम कानून-कायदे ध्यान में रखते हुए संविदा के अलावा और कोई स्थिति नहीं थी कि इनको रखा जा सकता था। यह सरकार का इंटेशन था कि समय पर इनको पक्का किया जाएगा। अब मैं समझता हूं कि आपने तीन साल का जो आश्वासन दिया है, आप विधिवत रूप से उनसे बात कर लें। हम खुद उनके साथ आ जाएंगे। बैठकर उनकी भूख हड़ताल तुड़वाएं। उनको यह आश्वासन दें कि तीन साल से जो संविदा कर्मी हैं उनको आप नियमित कर देंगे। हम उनके साथ बैठकर आपसे बात करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, एक ही तो मंत्री हैं, संविदा पर आपने मेडिकल डिपार्टमेंट में भी नर्स, रेडियोग्राफर और लैब टैक्नीशियन रखे हैं और आयुर्वेद विभाग में भी रखे हैं। यह फर्क क्यों हो रहा है कि आयुर्वेद विभाग में तो संविदा कर्मी का स्थानान्तरण कर रहे हैं एक जिले से दूसरे जिले में और पैरामेडिकल स्टाफ है उसके स्थानान्तरण पर आपने रोक लगा रखी है, चाहे किसी का बाप मर जाए, चाहे किसी के डिलीवरी हो, चाहे कुछ भी हो। यह तो कम से कम एक करना चाहिये। परमानेंट दो साल में करें या तीन साल में करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो स्थानान्तरण की बात कर रहे हो (व्यवधान) सवाल आमरण अनशन तुड़वाने का है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह जो स्थानान्तरण की नीति है इसको तो कम से कम आयुर्वेद और इसमें संविदा कर्मियों पर सब पर एक रूप से लागू करिये।

श्री अध्यक्ष: आप तो स्थानान्तरण पर चले गए। सवाल आमरण अनशन तुड़वाने का है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वो भी मांग है एक उसमें। सुबह हमसे भी मिले, यह भी उनकी एक मांग है, वो ही मैं निवेदन कर रहा हूं। आप बताइये फर्क है कि नहीं? आयुर्वेद वाले जो संविदा कर्मी हैं उनको तो स्थानान्तरण की छूट दे रखी है और पैरा मेडिकल स्टाफ है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, यह भी उनकी एक मांग है। तो इसके ऊपर तो कम से कम एकरूपता होनी चाहिये, फर्क नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष ने ऐसा प्रतीत होता है कि जिद पकड़ ली है। जिद इसलिए कर ली कि प्रतिपक्ष ने इसको उठा दिया। आप अध्यक्ष महोदय, इसमें बीच-बचाव करें और इनको समझाएं कि जब इतनी खाली जगहें पड़ी हैं...

श्री अध्यक्ष: आपकी उपस्थिति में समझाऊंगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मेरी उपस्थिति की जरुरत नहीं है। आप सबको रिप्रजैण्ट करते हैं, आप इनको समझाएं कि ऐसी उलटी मत पकड़ो। जब आप भर्ती कर रहे हो, ओपन भर्ती हो रही है, इनको एडजेस्ट कर दो।

अध्यक्ष महोदय, यह तो सब आपको पता है कि ये सब मैरिट पर लाये गये हैं। आपको भी पता है। झुंझुनूं जिले के सबसे ज्यादा संविदा पर कर्मचारी हैं और सब जगह हैं। हार्ड-डेज के अन्दर संविदा पर जिन लोगों ने काम किया, अनुभव प्राप्त किया, जनता की सेवा की, उनको तो आप फेंक रहे हो और नई भर्ती कर रहे हो। उनका कोई कंसीडरेशन नहीं कर रहे हो। यह तो अन्याय है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कर रहे हैं न कंसीडरेशन उनका, कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं कर रहे हैं, कोई कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: करेंगे, करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उनको भी एप्लाई करना पड़ेगा। उनकी मैरिट दुबारा बनेगी उसमें, अध्यक्ष महोदय। अब नये लड़के आये हैं बाहर से, उनके बहुत हाई नम्बर हैं। उन नम्बरों पर तो वे पिट जाएंगे।

(श्री रामनारायण चौधरी)

इनका 4-4 वर्ष का, 5-5 वर्ष का अनुभव है, वह पिट जाएगा। आप कृपा करके इनको...

श्री अध्यक्ष: वह अनुभव नहीं पिटेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं। मान्यवर, आप आब्जर्वेशन दें और इनको समझाएं कि इनके साथ ज्यादती मत करो। गरीब आदमी हैं, लड़के-लड़कियां सब हैं और 80 प्रतिशत शेखावाटी के हैं, सीकर-झुंझुनूं के।

श्री अध्यक्ष: तो अपन यहां पैरवी कोई सीकर-झुंझुनूं की करने थोड़े ही आये हैं। सारे राजस्थान की करने आये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, वह राजस्थान की हो रही है। बात राजस्थान की हो रही है लेकिन सीकर-झुंझूंनूं गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि अब आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं। इसलिये उनकी ज्यादा उम्मीद है। आप इसको समझाएं तो ये मान जाएंगे। दिगम्बर सिंहजी को पहले बजट-भाषण के समय बोलना चाहिए था। बजट-भाषण आपने पेश करवाया, उस वक्त बोलना चाहिए था।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसमें बोला, साहब। मैं यही निवेदन कर रहा था।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, आप बोले नहीं उसमें कुछ भी।

श्री अध्यक्ष: आप चले गये थे, आप चले गये थे उस समय। ये बोले हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप विराजें तो मैं एक बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। वे अपनी मर्जी से विराजेंगे। तब तक बैठे रहें आप। हां, वे अपनी मर्जी से विराजेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब कृपा करके आप अध्यक्ष महोदय की बात मान लो, चलो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी कृपा हो जाए... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नहीं, अध्यक्षजी की तो मान लेंगे। अध्यक्षजी भी पिछली बार यहीं पर थीं, इसी विधान सभा में।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। नहीं, नहीं, माननीय सदस्य, नेता, प्रतिपक्ष खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): और 5 साल में पैरा-टीचर, पैरा-डाक्टर, पैरा-इंजीनियर। पैरा से आगे नहीं बढ़े थे। आज तो बड़ी चिन्ता करने लग रहे हैं। 5 साल में की थी क्या चिन्ता?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो रिक्वैस्ट करने वाले हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हजारों छात्र हैं, हजारों।

श्री अध्यक्ष: मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता जब खड़े होते हैं तो दूसरे माननीय सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पता है, साहब।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य ने बहुत बेची हुई है और बेचकर बहुतों को पागल बनाया हुआ है। अब कृपा करके छोड़ा है तो आप अब तो कुछ ख्याल रखो। सदन का और प्रतिपक्ष का नेता बोलता है...

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है कि किसने क्या-क्या कर रखा है, आप बहुत सीनियर हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नहीं, तो यह कैसे बोल रहे हैं उलटे। यह इनके बोलने का तरीका है?

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ये कैसे बोल रहे हैं? ये कैसे बोलते हैं?

श्री अध्यक्ष: जब तक नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, मुझे इनके बाद में खड़ा करें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप बोल लेना इनके बाद में।

श्री अध्यक्ष: अब आप खड़े हो गये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वे बैठे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम है बैठाने का, आपका नहीं। इनको बैठाने का मेरा काम है, आपका नहीं है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): क्या गलत कहा है, वह तो ...

श्री अध्यक्ष: मेरी समझ में नहीं आता, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं ओर आप कभी कोई खड़ा होता है, कभी कोई खड़ा होता है। क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको यह शिकायत हो गयी कि हमने इसको क्यों उठा लिया। इस वक्त हम उन लोगों की ग्रीवैंसेज को ज्यादा रिप्रजेण्ट करते हैं। आप राज के अन्दर मदहोश हो रहे हो। हम उनकी ज्यादा सुन रहे हैं। अगर हमने उस वक्त सही सलामत काम किया होता तो इनको जरुरत नहीं थी संविदा में आने की। उस वक्त इनको डाइरेक्ट अपाइंटमेंट देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम अब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप दो तो सही। कहो कि हम देंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर तुड़वा दो। तो उनका अनशन तुड़वा दीजिये आप जाकर।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरी बात तो सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप अध्यक्ष महोदय को साथ ले जाइये, उनको शरबत पिला दीजिये, जूस पिला दीजिये। जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आमरण-अनशन तुड़वा दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वाहवाही आप ले लो। वाहवाही आपकी होगी ओर इसमें सबका श्रेय है। यह कर दो, आप कर दो घोषणा।

श्री अध्यक्ष: आमरण-अनशन तो तुड़वा दो, उनकी बात तो ठीक है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के स्टेटमेंट से यह मंशा ..

श्री अध्यक्ष: मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य। नहीं, नहीं, मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य का नाम पुकारा है मैंने।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, एक बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बहुत हमारे आदरणीय हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हिल गये।

श्री अध्यक्ष: रिश्तेदार हो गये तो क्या गड़बड़ हो गयी?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आज पर्सनली कोई बात कहना, अगर कोई की बात करें, 5 साल तक आप भी मंत्री थे उस समय में, पैरा-टीचर, पैरा-डाक्टर, पैरा-इंजीनियर, तब तक तो आप कहीं नहीं दिखे, 5 साल तक आप कुर्सी पर बैठ गये। कल्ला साहब भी उसमें मंत्री थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने पैरा-इंजीनियर नहीं लगाये। हमने केवल पैरा-टीचर लगाये थे। आपकी सरकार की घोषणा है कि आप.. (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप यह कहते हो सरकार नहीं कर रही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी सरकार की घोषणा है कि आप चपरासी... (व्यवधान) सारे के सारे पैरा लगाएंगे। आपकी सरकार की घोषणा है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हमारी सरकार की घोषणा है तो हम पूरा करेंगे। (व्यवधान) हमारी सरकार की घोषणा है तो हम पूरा करेंगे, आप क्यों चिन्ता कर रहे हो। नहीं करेंगे तो हमारे साथ होगा, जो कुछ होगा। आपको चिन्ता करने की कहां आवश्यकता है। आप चिन्ता ही करते तो उस समय करते।

लेकिन, प्रतिपक्ष के नेताजी, हम आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। कोई भी बोले, उसमें उलटी टिप्पणी करना आप जैसे सीनियर आदमी के लिये ठीक नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आप ऊपर वाली अध्यक्षजी की कुर्सी पर भी बैठे हैं और मंत्री भी रहे हैं। आपको सम्मान से बोलते हुए अगर कोई कहता है, उसके बारे में कुछ कटाक्ष करते हैं तो आपके बारे में भी कोई

(श्री धर्मपाल चौधरी)

कह सकता है। आइंदा, आप थोड़ा-सा आपकी सीनियरिटी का ध्यान रखकर बोला करें।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के स्टेटमेंट से यह मंशा तो बिलकुल जाहिर हो गयी है कि सरकार इन संविदा के सारे चिकित्साकर्मियों को लगाना चाहती है, नियम बनाये जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको विश्वास देकर उठाने का कार्य कौन करे। बात यह है।

श्री अध्यक्ष: यही बात तो मैंने कही है। वही बात तो कह रही हूं कि इनकी हड़ताल तुडवा दें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय का बहुत सम्मान करता हूं। आपके एक भी आदेश को कभी आज तक टाला नहीं है मैंने।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, मिलीभगत भी है आपकी।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है, मैंने उस दिन बड़े साफ शब्दों में कहा था कि हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करेंगे और आयुष में भी ग्रामीण सेवाओं का गठन करेंगे। इसके पीछे हमारा मकसद यह है कि संविदा पर जो कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 3 साल जिनको हो गये ...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, वह तो आपकी सब बातें ठीक हैं। आप कह चुके, घोषणा कर चुके। लेकिन उनका प्रश्न जो है, उनका स्थगन प्रस्ताव केवल आमरण-अनशन को तुड़वाने का है। उसके बारे में बोलें आप, बाकी बातों की जरुरत ही नहीं है। आप कह चुके हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी बुलाया था, मैं आज भी बुलवाउंगा और पूरा प्रयास करुंगा कि वे अपना अनशन तोड़ें। (व्यवधान) बिलकुल निश्चित रूप से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, यह। बस ठीक है। बस हो गयी बात। चलिये, श्री प्रभुलाल वर्मा। 295 ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

इटावा कस्बे में अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा का कस्बा इटावा जिला मुख्यालय से 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे के आसपास का क्षेत्र जिला मुख्यालय से करीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वर्तमान में इटावा कस्बे में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग कार्यरत है जिसके क्षेत्राधिकार में तीन पुलिस थाने आते हैं। हर वर्ष तीनों थानों में 700 नये मुकदमे दर्ज होते हैं जिनमें 50 प्रतिशत मुकदमे जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा को स्थानान्तरित किये जाते हैं। इस क्षेत्र में सैंकड़ों मुकदमे वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा के यहां विचाराधीन हैं। कितने ही मुकदमें धारा 228 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजे जाते हैं। इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा की अदालत में इटावा क्षेत्र में खाद्य एवं अपमिश्रण से सम्बन्धित मुकदमे कोटा अदालत में विचाराधीन हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थापना कस्बा इटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में हो जाने से क्षेत्र की आम जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुबह की अदालत की पेशी में तो पक्षकारों का कोटा पहुंचना ही दूभर हो जाता है।

अत: श्रीमान से पुरजोर निवेदन करता हूं कि उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इटावा कस्बे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय खुलवाने की उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जीवाराम चौधरी।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि ए.सी.एम. कोर्ट में, ... (व्यवधान) ए.सी.एम. कोर्ट की जानकारी है, इसी की है। कोर्ट खोलने का है। ए.सी.एम.

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में खेतसिंहजी राठौड़ ने, जब वे विधि मंत्री थे तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 295 में जो बात लिखते हैं वही पढ़ी जाती है। नो, नो, प्लीज। आपने अपना पढ़ दिया है। नो प्लीज। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री जीवाराम चौधरी। आप क्या कर रहे हैं यह?

श्री जीवाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री मोहन मेघवाल।

सूरसागर में सैटेलाइट चिकित्सालय

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने गत तीन वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु अब तक 801 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हुए लगभग 2500 शय्याओं का विस्तार अस्पतालों में किया है तथा इन सुविधाओं के विस्तार हेतु निरन्तर प्रयासरत भी हैं। विकास की इस कड़ी में मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी लम्बा-चौड़ा है। इसमें जोधपुर शहर के 22 वार्ड एवं जोधपुर तहसील का लगभग सम्पूर्ण ग्रामीण एरिया पड़ता है जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जोधपुर का सम्पूर्ण खनिज व औद्योगिक क्षेत्र, लगभग 80 प्रतिशत कच्ची बस्तियों के अतिरिक्त शहर का मुख्य आबादी क्षेत्र, नव आबाद बस्तियां स्थित हैं। इस लम्बे-चौड़े क्षेत्रफल व जनसंख्या वाले विधान सभा क्षेत्र में एक भी सैटेलाइट चिकित्सालय नहीं है। इस क्षेत्र के समस्त निवासियों को अपनी छोटी व बड़ी बीमारियों के उपचार हेतु जोधपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, राजकीय मथुरादास माथुर चिकित्सालय एवं उम्मेद महिला चिकित्सालय पर आना पड़ता है जिससे इन अस्पतालों पर लगातार रोगियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नारवा

(श्री मोहन मेघवाल)

व बवनाड, सूरसागर, फीदूसर चौपड़, प्रतापनगर, चांदपोल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, रेजीडेंसी तथा बासनी क्षेत्र में राजकीय डिस्पेंसरियां संचालित हो रही हैं। यदि इन डिस्पेंसरियों में से ग्राम नारवा, बनाड़ तथा शहरी क्षेत्र की प्रतापनगर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड एवं बासनी में संचालित हो रही डिस्पेंसरियों को सैटेलाइट अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत कर दिया जाता है तो पूरे सूरसागर क्षेत्र की लगभग 12 से 15 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। ग्राम नारवा व बनाड़ में प्रस्तावित सैटेलाइट चिकित्सालय से लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता, प्रतापनगर के अस्पताल से एक लाख की शहरी गरीब व अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड अस्पताल से 2.00 लाख की मध्यम व गरीब तबके की आबादी को एवं बासनी अस्पताल से औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हजारों मजदूरों व यहां निवास कर रहे हजारों परिवारों को सीधी चिकित्सा सुविधा का फायदा मिलेगा।

आशा करता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय की मंशानुरूप आम जनता को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चिकित्सा मंत्रीजी आगामी वित्तीय वर्ष की शुरूआत उक्त सैटेलाइट चिकित्सालय खोलकर ही करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

टिब्बी के रावतसर शहर की सेम की समस्या

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत रावतसर क्षेत्र एवं रावतसर शहर में सेम (वाटर लागिंग) जल प्लावन से निजात दिलवाने हेतु।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत कस्बा रावतसर शहर/रावतसर क्षेत्र सेमग्रस्त क्षेत्र होने के कारण केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मार्च, 2000 में 406.66 लाख रुपयों की लागत से पायलट परियोजना स्वीकृत हुई जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 304.78 लाख रुपये व राज्य सरकार/लाभान्वितों का हिस्सा राशि 155.92 लाख रुपये थी। दिनांक 31.3.2003 तक परियोजना पेटे 305.46 लाख रुपये खर्च कर 14500 बीघा रकबा सेम मुक्त हुआ जिसमें 205.39 लाख केन्द्र सरकार, 73 लाख

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

लाभान्वितों एवं 27.07 लाख रुपये राज्य सरकार का अंश है। राज्य सरकार द्वारा समय पर अंश नहीं देने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा समयावधि को आगे नहीं बढ़ाया गया जिससे उक्त परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी।

(समय : 12.55 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

केन्द्र सरकार द्वारा राशि 27.59 लाख, शेष फण्ड व तृतीय किश्त 71.76 लाख, कुल 99.35 लाख का उपयोग नहीं हो सका जिससे परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी।

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 2.3.2006 को विधान सभा में प्रश्न किया गया तो माननीय सिंचाई मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि अपूर्ण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करवाया जाएगा एवं राज्य सरकार का हिस्सा राशि दी जाएगी एवं परियोजना की समयावधि भी बढ़ाई जाएगी। समयावधि बढ़ाये जाने या डी.आर.डी. हनुमानगढ़ में 27.59 लाख रुपये इस परियोजना के तहत बकाया पड़े हैं। उक्त 27.59 लाख रुपये एवं राज्य सरकार अपनी भागीदारी हिस्सा राशि, डी.आर.डी. हनुमानगढ़ में पड़ी राशि राज्य सरकार का शेष मिल जाए तो सेम नाले का रख-रखाव, डीसिल्टिंग व बकाया कार्य पूर्ण हो सकता है जिससे किसानों को राहत मिलेगी। मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कई बार लिखित/मौखिक में भी निवेदन किया गया था कि उक्त अपूर्ण परियोजना को पूर्ण करवाने हेतु राज्य सरकार को बकाया अंश राशि दिलवाने का कष्ट करें ताकि परियोजना को पूर्ण करवाया जा सके एवं सेमग्रस्त क्षेत्र से निजात मिल सके एवं कृषकों की समस्या का समाधान हो सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जयराम जाटव । (अनुपस्थित) श्री बद्रीलाल जाट । (अनुपस्थित) प्रो. बीरूसिंह राठौड़ ।

दुर्गापुरा (जयपुर) में स्थापित श्री सीको प्रा. लि. की अन्यत्र स्थापना

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, दुर्गापुरा क्षेत्र में दिसम्बर, 2004 में स्थापित श्री सीको प्रा.लि. को तुरन्त प्रभाव से बंद कर अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किये जाने बाबत् राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड संख्या 14 में स्थित दुर्गापुरा क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र है जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय कालोनियों को नियमित किया गया है जिसमें लगभग 75 हजार से अधिक आबादी विकसित है। इसके अतिरिक्त राजकीय शिक्षण, निजी शिक्षण संस्थाएं एवं विभिन्न राजकीय विभाग संचालित हैं।

उक्त क्षेत्र के मध्य में पहले से स्थापित पीपा फैक्ट्री को बंद करके वर्ष 2004 में खल में से तेल निकालने की नई औद्योगिक इकाई श्री सीको प्राइवेट लिमिटेड, दुर्गापुरा की स्थापना राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न नियमों के तहत स्थानीय क्षेत्रीय नागरिकों के विरोध करने के बावजूद की गई है। इससे उक्त क्षेत्र में ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण अत्यधिक होने से उक्त क्षेत्र के नागरिकों का जीना दूभर हो रहा है। इससे निकलने वाली हानिकारक गैसों से अनेक बीमारियां फैल रही हैं। इसकी भयंकर बदबू से उक्त स्थान पर एक मिनट खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। दिन भर भारी संख्या में ट्रक, ट्रोला आते जाते रहते हैं, सारा यातायात प्रभावित रहता है।

दिनांक 6.3.2007 को रात्रि लगभग 8 बजे अचानक फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ और आग लगने से आम नागरिकों को खतरा बन गया है। आग की लपटें 100 फीट दूरी तक तथा 40-50 फीट ऊंची थीं। यदि जिला प्रशासन ने चुस्ती नहीं दिखाई होती तो आज उक्त क्षेत्र का विनाश हो गया होता। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए तुरन्त कार्यवाही की है। उक्त फैक्ट्री में इससे पूर्व कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का तो यहां तक कहना है कि सीवरेज लाइन फैक्ट्री के सारे केमिकल व अन्य पदार्थ की निकासी लाइन बनी हुई है। अत्यन्त दु:ख का विषय है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर रखी हैं।

अत: मेरा सदन से अनुरोध है कि जन हित में उक्त फैक्ट्री को बंद कर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की जा सके। तथा किन परिस्थितियों में उक्त फैक्ट्री को अनुज्ञा पत्र जारी किया गया, इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

सीकर शहर में राधाकिशनपुरा, स्थित मोडी कोठी में एकत्र गंदे पानी की निकासी

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, सीकर शहर में राधाकिशनपुरा स्थित मोडी कोठी में गंदे पानी की निकासी बाबत्।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए सीकर शहर में राधाकिशनपुरा स्थित मोडी कोठी में एकत्र गंदे पानी की निकासी हेतु निवेदन करना चाहूंगी।

(समय : 13.00 बजे)

सीकर शहर में स्थित मोडी कोठी में कई दिनों से पड़ोसी कालोनियों का गन्दा पानी एकत्र हो रहा है। आवागमन पूर्ण रुप से अवरुद्ध हो गया है। गन्दे पानी से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो गयी हैं। लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। खासकर बच्चों की परीक्षा का सीजन चल रहा है। स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर भी जबरदस्त आक्रोश है कि इस समस्या के निवारण हेतु पूर्व में जिला प्रशासन एवं नगर परिषद् को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी आज तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है।

मैं यहां पर यह विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि इस प्रकरण को पूर्व में आई.डी.एस.एम.टी. की मीटिंग में भी लिया गया था परन्तु आज तक कोई वांछित कार्यवाही नहीं की गई है। इस समस्या का हल अति आवश्यक है क्योंकि यह परेशानी यहां के निवासियों के लिये ही नहीं अपितु हर आने-जाने वाले नागरिकों के लिये भी है। इस क्षेत्र के लोगों द्वारा निरन्तर इस समस्या के निवारण की मांग उठाई जा रही है।

अत: मैं पुरजोर शब्दों में माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं स्वायत्त शासन मंत्री से सीकर शहर में राधाकिशनपुरा स्थित मोडी कोठी में एकत्र गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हेतु निवेदन करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा। (अनुपस्थित) डॉ. श्रीगोपाल बाहेती। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आप माननीय सदस्यों को पुकार लेते हैं और वह यहां अनुपस्थित होता है या उपस्थित होकर आपकी आवाज पर खड़ा नहीं होता है। नहीं बोलना हो तो माफी मांगे आपसे कि मैं नहीं बोलूंगा। आप नाम पुकार लेते हैं और वह यहां मिलते नहीं हैं तो यह आसन का सीधा अपमान है। आसन का अपमान है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका अपमान है। तो ऐसे लोगों को ताड़ना दे दो आप कि नाम देकर चले क्यों जाते हैं।

श्री सभापति: अभी है ही नहीं तो ताड़ना किसको दें ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जनरल ताड़ना दे दो आप। (व्यवधान) आप जनरल ताड़ना दे दो ताकि यह व्यवस्था बन जाए। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जिन माननीय सदस्यों ने दिया, उनके लिये प्रतिपक्ष के नेता को ताड़ना दे दो।

व्यवस्था

प्रकरण उठाकर उस पर चर्चा के समय माननीय सदस्य का अनुपस्थित रहना सदन का अपमान है

श्री सभापति: अपनी-अपनी पार्टी के, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि चीफ व्हिप इसलिए बने होते हैं कि वे अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। जो माननीय सदस्य चाहे सवाल पूछें, चाहे नोटिस दें, यह उनकी ड्यूटी है कि वह उस समय सदन में मौजूद रहें और उन पर वह बोलें। यह आसन की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। यह मुख्य पार्टियों के विभिन्न जो चीफ व्हिप बने हुए हैं उनकी ड्यूटी है, पार्टियों की ड्यूटी है। इसलिए आप अपनी पार्टी के अंदर, विधायक दल में चर्चा करके यह व्यवस्था करें। आप नोटिस देते हैं और बोलते नहीं हैं। प्रश्न पूछते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष, दोनों ही तरफ से यह चिन्ता का विषय है। यह लोक सभा में भी कई बार उठा है कि सवाल पूछ लेते हैं और फिर सदन में मौजूद नहीं रहते, गायब हो जाते हैं। या नोटिस देते हैं और फिर उस

(श्री सभापति)

समय गायब हो जाते हैं। यह बहुत सीरियस बात है, गम्भीर बात है और इसको पूरे सदन को गम्भीरता से लेना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आसन का अपमान है।

श्री सभापति: नहीं, आसन का नहीं, सदन का अपमान है। आप नोटिस देते हो, समय कितना खराब होता है? इसमें सवाल पूछते हैं, नोटिस देते हैं, वह सरकार में जाते हैं, वहां से जवाब देते हैं । जवाब में कितना पैसा बर्बाद होता है। और फिर माननीय सदस्य उस पर बोलते नहीं हैं, गायब हो जाते हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है और सभी पार्टियों को अपने-अपने विधायक दलों में इस पर विचार करना चाहिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को भी निवेदन करूंगा कि चेयर की तरफ से इस पर स्ट्रिक्ट कोई व्यू लें कि जो माननीय सदस्य यहां अनुपस्थित रहते हैं, दुबारा जब वह नोटिस दें तो उनको बोलने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिये। इस तरह का मैं उनको रिक्वैस्ट करूंगा, क्योंकि यह केवल आसन का अपमान नहीं, यह सदन का अपमान है, पूरे प्रदेश की जनता का अपमान है। उसके पैसे के साथ खिलवाड़ है ऐसा करना, इसलिए बहुत गम्भीर है। आपने इसको उठाया इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, अभी माननीय पंचायती राज मंत्री ने सदस्यों की अनुपस्थिति के बारे में विपक्ष के नेता को ताड़ना देने की जो बात कही है, आप मुख्य मंत्री महोदया को थोड़ा निर्देशित करें कि वे अपने मंत्रीमण्डल के सदस्यों का भी एक दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाएं और प्रतिपक्ष के नेता के बारे में किस तरह बोलना है, उसकी उनको नसीहत प्रदान करें। ...(व्यवधान)

श्री सभापति : इस पर डिबेट नहीं है, आप बैठ जाइये। डिबेट नहीं हो रही है। इस पर बैठ जाइये। मैंने व्यवस्था दे दी।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता खड़े थे, तब तो हमारी अध्यक्षजी बोल रहे थीं कि हमारे सदन की नेता खड़ी थी, प्रतिपक्ष लॉबी में खड़ा था।

श्री सभापति: आप विराज जाइये। हर चीज पर कोई डिबेट होना जरूरी है क्या ? उन्होंने एक मुद्दा उठाया, उस पर मैंने व्यवस्था दे दी, बात खतम हो गयी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बात खतम नहीं हुई। सभापति महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं और नेता प्रतिपक्ष के बारे में मंत्री महोदय इस तरह टिप्पणी करें, यह साधारण बात है क्या ?

श्री सभापति: श्री अशोक कुमार नवलखा । आप विराज जाओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, विराज तो जाऊंगा मैं, पर आप आसन पर विराजमान हैं और नेता प्रतिपक्ष के बारे में माननीय मंत्री महोदय इस तरह की टिप्पणी करें और आप इस पर कोई व्यवस्था नहीं दें।

श्री सभापति: यहां सदन में आपस में टिप्पणियां करते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई एक सदस्य के बारे में टिप्पणी की बात नहीं है। हमारे बारे में कह देते तो मान जाते । नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस तरह की टिप्पणी की, उन्हें ताड़ना दें। आपको इस बारे में व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री सभापति: आप विराज जाएं। यह सभी सदस्यों का दायित्व है कि एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। यह सभी का दायित्व है।

श्री रामलाल : संयमजी, आप खुद तो कहना मानते हो क्या इनका?

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, संयमजी ठीक बात कह रहे हैं...

श्री सभापति: इसमें बहस की कोई बात नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बहस की बात नहीं है। हम तो यह कहते हैं, सभापतिजी, कि प्रतिपक्ष के नेता का आदर करना चाहिये, यह बात बिलकुल सही है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेताजी से भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि सबका सम्मान करना चाहिये। आज जो कोई खड़ा होता है उसके मन में आए वहीं टिप्पणी कर देते हैं। तो आप प्रतिपक्ष के नेता, खुद भी सम्भलकर रहो और इनको भी सम्भाल कर रखो।

श्री सी.डी. देवल : ...(व्यवधान) बोल रही थीं तब भी यह खड़े हो गये। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे तब भी खड़े हो गये और आज आसन पैरों पर था तब भी यह खड़े हो गये। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय अशोक कुमार नवलखा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चित्तौड़गढ़ को प्रतापगढ़ से जोड़ने हेतु मुख्य जिला सड़क का निर्माण

श्री अशोक कुमार नवलखा : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के तहत पालछा से करजू तलाया सड़क को जिला सड़क (एम.डी.आर.) घोषित करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला चित्तौड़गढ़ एवं नये घोषित जिला प्रतापगढ़ को मुख्य जिला सड़क (एम.डी.आर.) के माध्यम से सड़क मार्ग से जोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होने से इसकी स्वीकृति हेतु निम्न सड़क मार्ग का प्रस्ताव श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है :-

प्रस्तावित एम.डी.आर. का नाम "पालछा से करजू तलाया मार्ग"

प्रस्तावित एम.डी.आर. की लम्बाई - अनुमानित लम्बाई 114 कि.मी.

प्रस्तावित एम.डी.आर. में कच्ची सड़क 22 कि.मी. (वी.आर.)

प्रस्तावित एम.डी.आर.से पक्की डामर सड़क 92 कि.मी.

प्रस्तावित एम.डी.आर. में सम्मिलित सड़कें :-

1. भीलवाड़ा बस्सी विजयपुर कनेरा निम्बाहेड़ा एम.डी.आर. संख्या 20 पर स्थित गांव पालछा से उदपुरा 7 कि.मी. (तहसील चित्तौड़गढ़) पक्की डामर सड़क
2. उदपुरा से मेवासा 3 कि.मी. (तहसील निम्बाहेड़ा) कच्ची सड़क
3. मेवासा से मांगरोल चौराहा 15 कि.मी. (तहसील निम्बाहेड़ा) पक्की सड़क
4. मांगरोल चौराहा से भावलिया 02 कि.मी. (तहसील निम्बाहेड़ा) नेशनल हाइवे 79 पक्की सड़क
5. भावलिया से बिनोता भगवानपुरा 33 कि.मी. (तहसील निम्बाहेड़ा) वी.आर. पक्की सड़क
6. भगवानपुरा से साटोला 20 कि.मी. (तहसील छोटी सादड़ी) वी.आर. पक्की सड़क
7. साटोला से भैरवी 07 कि.मी. (तहसील छोटी सादड़ी) कच्ची सड़क

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

8. भैरवी से पीलीखेड़ा 03 कि.मी. (तहसील छोटी सादड़ी) पक्की सड़क
9. पीलीखेड़ा से फालाकोट 06 कि.मी. (तहसील छोटी सादड़ी) कच्ची सड़क
10. कालाकोट से कालाकोट 1.00 कि.मी. (तहसील छोटी सादड़ी) पक्की सड़क
11. कालाकोट से सरी पीपड़ी 6.00 कि.मी. (तहसील प्रतापगढ़) कच्ची सड़क
12. सरी पीपली से नेशनल हाइवे नं. 113 (निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़-बांसवाड़ा-दाहोद रोड) पर स्थित गांव तलाया।

उक्त एम.डी.आर. भीलवाड़ा बस्सी विजयपुर कनेरा निम्बाहेड़ा (एम.डी.आर.) सड़क के मध्य पालछा गांव से प्रारम्भ होकर निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दाहोद राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 113 के मध्य गांव तलाया से जाकर अनुमानित लम्बाई 114 कि.मी. की होगी। इस सड़क के निर्माण एवं स्वीकृति से भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिले से सीधा सम्पर्क सड़क से जुड़ जाएगा। विशेषकर इस मार्ग से छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी व प्रतापगढ़ तहसील के जनजाति बहुल क्षेत्रों को सड़क परिवहन की सुविधा मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतापगढ़ को नया जिला घोषित किया गया है तथा इस जिले में चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील छोटी सादड़ी व बड़ी सादड़ी को भी नये जिले के सीमांकन में सम्मिलित किया गया है। यदि यह एम.डी.आर. स्वीकृत होती है तो दोनों तहसील की जनता को जिला मुख्यालय जाने में काफी सुविधा एवं राहत मिल सकेगी।

अत: मेरा राज्य सरकार व माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त नई एम.डी.आर. को व्यापक जन हित में स्वीकृत करने तथा इसका निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

लूणी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत जन हित के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय, सड़क सुविधा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री जोगाराम पटेल)

सभापति महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग व कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा समय-समय पर अनेक सड़कों का निर्माण करवाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तो अपने द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण समय-समय पर करवा दिया है व उसके द्वारा करवाये गये कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नई सड़कों का भी निर्माण करवाया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के मामले में किये गये बढ़िया कार्य के लिए मुख्य मंत्रीजी व सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद।

किन्तु कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में 1996-97 में भाण्डू-फींच सड़क, 1989-90 में भाण्डू चौराहा-बडलिया सड़क, धवा-चाली सड़क व बाड़मेर रोड- वायरड़ा सड़क का निर्माण करवाया गया था। इन सड़कों का निर्माण के पश्चात एक बार भी रिन्युअल (मरम्मत) नहीं करवाया गया। लगभग 15-20 वर्षों से रिन्युअल नहीं होने से इन सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। जगह-जगह भारी गड्ढे हो गये तथा सड़कें पूरी तरह से टूट-फूट गई हैं। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिससे जनता में सरकार की प्रतिकूल छवि का संदेश जा रहा है तथा आमजन में भारी रोष है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में पिछले लगभग दस वर्षों में दो-तीन किलोमीटर सड़कों का दिखावटी व औपचारिकता के अलावा कोई भी जन हित की अति महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण नहीं करवाया गया तथा न ही रिन्युअल कार्य करवाया गया है। इस सम्बन्ध में अनेक बार प्रस्ताव भी भेजे गये हैं।

सभापति महोदय, भाण्डू-फींच, भाण्डू-बड़लिया, धवा-चाली व बाड़मेर रोड-कटारड़ा सड़कों का नवीनीकरण अगर शीघ्र नहीं किया गया तो हो रही जान-माल की हानि में अत्यधिक वृद्धि होगी तथा जनता में भारी आक्रोश बढ़ेगा जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इन सड़कों की स्थिति अत्यन्त ही खराब होने से यातायात व अन्य वाहनों को प्रतिदिन भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये सभी सड़कें अत्यधिक महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इस सम्बन्ध में अनेक बार निवेदन करने के बाद भी आज तक कोई न्यायोचित कार्यवाही नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने की पुरजोर मांग की जाती है।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

संविधानेतर पदाधिकारियों को जिलों का प्रभार

श्री सभापति: आज चार पर्चियां आयी हैं उनमें पहली पर्ची है श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी पर्ची के जिस विषय पर बोलने की अनुमति दी है उस पर शुरू करते हुए मेरे जेहन में अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की पंक्तियां आती हैं कि प्रजातंत्र प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था, शासन तंत्र है। राजस्थान में भी, सभापति महोदय, 2003 में जब विधान सभा के चुनाव हुए और राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष के रूप में वसुंधरा राजे ने राजस्थान की जनता से जनादेश मांगा, प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। माननीय सभापति महोदय, मंत्रिमण्डल के गठन के बाद पहली बार मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने आठ मंत्री लिये और उसके बाद कुछ महीने के बाद मंत्रिमण्डल का विस्तार करते हुए संख्या को 27 तक पहुंचाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जिस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ऐसे लोगों को, जिन्होंने न तो मंत्री पद की शपथ ली है, न ही जिन्होंने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है, पिछले कुछ महीने से ऐसे व्यक्तियों को जिलों में प्रभारी मंत्री बना कर भेज रही है और पूरी तरह से एक असंवैधानिक कृत्य राजस्थान की सरकार करने में लगी हुई है।

सभापति महोदय, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से कोई तकलीफ नहीं है लेकिन हम सब का यह सामूहिक उत्तरदायित्व है कि संविधान के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का अक्षरश: पालन होना चाहिए, जो संसदीय परम्पराएं हैं उन परम्पराओं का पालन होना चाहिए और जो जनादेश राजस्थान की जनता ने दिया है उस जनादेश के माध्यम से, उस जनादेश के अनुसार काम होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऐसे व्यक्ति जिलों में प्रभारी मंत्री बनकर जा रहे हैं जिनको न तो राजस्थान की जनता ने चुना है, जिनकी न राजस्थान की विधान सभा में शपथ हुई है, न महामहिम ने जिनको मंत्री पद की शपथ दिलायी है। सभापति

(श्री संयम लोढ़ा)

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 163, 164 और 167 के अन्दर प्रावधान किया गया है। जो गवर्नमेंट का रूल आफ बिजनस है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार पैरा अनुच्छेद 77 (3) के अन्तर्गत जो रूल आफ बिजनस का निर्माण किया गया है और राजस्थान सरकार ने अनुच्छेद 166 के अन्तर्गत रूल आफ बिजनस का निर्माण किया है, सभापति महोदय, न तो संविधान के किसी अनुच्छेद में रूल आफ बिजनस है उसमें किसी तरह का यह प्रावधान है कि इन लोगों को, इस रूप में शपथ जिन्होंने नहीं ली हुई है उनको प्रभारी बना कर, प्रभारी मंत्री बना कर भेजा जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, इस व्यवस्था से एक तरह से प्रजातंत्र के अपहरण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है। जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो, +++ किसी बोर्ड का चेयरमैन बन गया, उसको मंत्री का दर्जा दे दिया और जब तक ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लीगल आब्जैक्शन आपका हो सकता है पर +++ शब्द गलत है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था से ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): पिछली सरकार में गहलोतजी ने क्या किसी को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलायी थी? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदय, कोई भी ऐसे +++ नहीं बोलें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): कैबिनेट मंत्री का और राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया क्या? (व्यवधान) चेयरमैन नहीं बनाया क्या बोर्ड का? यह पहली परम्परा है क्या? यह पहली सरकार है जो बोर्ड के चेयरमैन बना रही है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लीगल आब्जैक्शन इनका हो सकता है ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): +++ कोई नहीं होता है, सब माननीय सदस्य हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदय, +++ शब्द को हटा दें, इस +++ शब्द पर ऐतराज है हमको।

श्री सभापति : यह +++ शब्द डिलीट किया जाए।

प्लीज, आप बोलने के समय थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिये। (व्यवधान) आप बैठ जाएं, मैंने व्यवस्था दे दी। क्या परेशानी है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है एक रेस्पांसिबल गवर्नमेंट है और इसमें पब्लिक रेस्पांसिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति जनता के माध्यम से चुन कर नहीं आया उसको आप जिले में प्रभारी मंत्री बना कर कैसे भेज सकते हैं?

सभापति महोदय, आपकी जानकारी में है और मैं लाना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री बनने के लिए भी या मंत्री बनने के लिए निश्चित रूप से यह आवश्यक नहीं है कि जिस वक्त उसे बनाया जाए वो सदन का सदस्य हो लेकिन सभापति महोदय, यदि कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री भी हो और मंत्री के रूप में भी शपथ लेता है तो 6 महीने के अन्दर उसको निर्वाचित होकर सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसे लोगों को जिलों के अन्दर प्रभारी मंत्री बनाकर भेजा जा रहा है जो न तो इस संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों की पालना कर रहे हैं और न ही संसदीय प्रावधानों की पालना कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जो वोट दिये उसके माध्यम से यह बहुमत प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से ही यह सरकार बनी और 163, 164 और 167 के प्रावधानों के सन्दर्भ में यह मंत्रिपरिषद् बनी, ये लोग जो जा रहे हैं इनकी जनता की क्या भागीदारी है, जनता का क्या योगदान है इसके अन्दर?

सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह खाली एक एग्जाम्पल नहीं है, जब से यह सरकार आयी है लगातार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है और संवैधानिक प्रावधानों को बिलकुल ताक पर रख कर यह काम कर रही है। 6-6 महीने तक मंत्रीमण्डल की बैठक नहीं होती। ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी का जो है ...

श्री सभापति: विषय पर बोलिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कहां जा रहे हैं, विषय वस्तु पर बोलें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विषय पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान) मेरा विषय इस सरकार के असंवैधानिक कृत्य के सम्बन्ध में है, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, सभापति महोदय, विषय वस्तु इन्होंने रख दी, ध्यान आकर्षित कर दिया, हम जवाब दे देंगे। पर ऐसे डिबेट चलेगी क्या पर्ची पर? डिबेट चली है कभी पर्ची पर? पर्ची पर डिबेट थोड़े ही चली है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: डिबेट नहीं, आप ध्यान आकर्षित करिये जो करना है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं वो ही तो बोल रहा हूं। मेरी पर्ची आप पढ़ लें, मैंने असंवैधानिक कृत्य शब्द का उल्लेख किया है और उसी पर मैं बोल रहा हूं।

अब शिक्षा मंत्रीजी इतिहास लिखवाना चाहते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक में उसका अनुमोदन करवाया नहीं, उसके लिए पैसों की व्यवस्था करें नहीं और जसवंत सिंहजी को बुला कर उस कार्यक्रम का शुभारम्भ करा दें, यह असंवैधानिक कृत्य नहीं तो क्या है, सभापति महोदय?

श्री सभापति: यह रिलेटेड नहीं है आपने जो बोला है ...(व्यवधान) यह रिलेटेड नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद की एक सदस्य होती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं, शिकायतें करें कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार हो रहा है ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, पर्ची पर क्या डिबेट? (व्यवधान) जो विषय था इन्होंने रख दिया, इस तरह से पर्ची पर डिबेट करवाने का कोई हक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ऐसी बात हाउस में कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह अपनी इच्छा के हिसाब से मर्जी आए जो बोलते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: I am on my legs.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): विषय से बाहर जाकर नहीं बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बैठो, बैठो, पहले बैठो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पहले स्थान ग्रहण करें। आपने जो पर्ची दी है थोड़ा मैं उसको पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा बगैर मंत्री पद की शपथ लिए व्यक्तियों को जिलों में प्रभारी मंत्री लगाने के असंवैधानिक कृत्य के सम्बन्ध में । केवल यहां तक आपका लिमिटेड सब्जैक्ट है। इसमें यह कहां से आ गया, कैबिनेट की मीटिंग कहां से आ गयी, इसमें दिल्ली कहां से आ गयी, इसमें कौन मंत्री क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं यह कहां से आ गया? केवल आपका लिमिटेड एक मैटर है जो डिस्ट्रिक्ट्स में ...(व्यवधान) लगाया गया है तो उस सम्बन्ध में आपने रख दिया विषय। (व्यवधान) एक मिनट, पहले आप बैठिए, पहले मुझे पूरी बात कहने दीजिए।

देखिए यह पर्ची का उल्लेख कहीं नियमों में नहीं है। यह पर्ची सिस्टम शुरू कर दिया एक परम्परा से बीच में और इसका एक लिमिटेड दायरा है। सब्जैक्ट कोई अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का है तो उस पर आप, नियमों में जाने में तो समय लगता है तो एक पर्ची दी और उस पर एक लिमिटेड टाइम तक बोल दिया, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया सरकार का। एक मिनट सुनिये, पूरी व्यवस्था सुन लीजिए। इसमें न तो डिबेट होती है न किसी मंत्री को इसका जवाब देने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है । यह स्पष्ट रूप से सबको पता है। इसलिए न इस पर डिबेट हो सकती है। एक से ज्यादा सदस्य चाहे किधर से बोलें, इधर से बोलें, वह भी इसमें अलाउड नहीं है। अगर आपको डिबेट करानी है तो नियमों में प्रावधान है डिबेट का, उनके अन्तर्गत आप आइये, गवर्नमैंट उसका जवाब देगी। इसलिए आपकी जो पर्ची है उसमें ध्यान आकर्षित करने का है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, स्पीकर के चैम्बर में बात हुई है, We met Speaker and we have requested, she was kind enough that she will allow it. आप स्पीकर से बात करें। We met early in the morning the Parliamentary Minister was there.

श्री सभापति: मैं एक मिनट,

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am very sorry. आप अपनी मैजोरिटी से हाउस को नहीं चला पाएंगे We requested early in the morning. आप बुलाइये स्पीकर साहब को, फैसला करा लीजिए This is not the way.

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप इस तरह से सडनली कह सकते हैं किसी चीज को।

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You have to give reply. You cann't suddenly, You have to give reply. यह कोई घर का राज नहीं है कि मन हो उसको भेजो, यह कोई घर का राज नहीं है। You have to go by the rules and regulations.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जवाब देंगे, जवाब देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जवाब दीजिए न आप। (व्यवधान) क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह नई परम्परा कैसे बना दी पर्ची पर? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई परम्परा नहीं है, रोज भाषण दे रहे हैं आप, रोज मंत्री बोल रहे हैं। (व्यवधान) कोई नई परम्परा नहीं है। पर्ची का कोई मतलब नहीं है ...(व्यवधान) मतलब ही इम्पोर्टेंट मैटर है। सरकार ने प्रभारी मंत्री भेजे हैं जांच करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप बीच में कैसे बोल सकते हैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रभारी मंत्री को मुख्यमंत्रीजी ने भेजा है कि सरकार के प्रभारी मंत्री जाएंगे और इसकी जांच करेंगे कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। (व्यवधान) It is not an important matter?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप डिबेट की नई परम्परा प्रारम्भ कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी परम्परा नई होगी, मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 20 तारीख को ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी नहीं चलेगी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, मेरी बात सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में मुख्य मंत्री ने कहा है कि हमारे प्रभारी मंत्री जिले में गये हैं, किसान का

(डा. सी. पी. जोशी)

कितना नुकसान हुआ है उसका जवाब देंगे। (व्यवधान) वह नुकसान देखने अगर गलत आदमी जाएगा, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। (व्यवधान) सदन को यह कहा गया है कि मंत्री और हमारे सैक्रेटरी कितना नुकसान हुआ है किसान का, देखने के लिए जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य, ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है? यह अपनी मन में आए जो करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य, मैं बोल रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, आप बुलाइये स्पीकर को। आप स्पीकर को बुला लीजिए।

श्री सभापति: आप विराज जाइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, आप बुलाइये स्पीकर को, You cann't settle by the majority.

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: इसमें अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य I am on my legs.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है, बैठिए आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री सभापति: मैं बोल रहा हूं तो आप बैठिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: यह अंकित नहीं हो रहा है, बैठिए आप।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): ×××

श्री सभापति: प्लीज नो डिबेट।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): ×××

श्री सभापति: एक मिनट प्लीज आप विराजिए। आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है, प्लीज आप विराजिए। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री सभापति: आप बैठिए, मेरी बात सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनेंगे, एक मिनट बैठिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री सभापति: मैं खड़ा हूं, सदन की परम्परा है ....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, एक मिनट पहले मुझे सुनिये। प्लीज प्लीज। देखिये, मुझे अंकित नहीं होने का निर्देश इसलिए देना पड़ा, एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं विदाउट परमिशन आफ दी चेयर बोलते हैं। कोई बात कहनी है तो पहले चेयर से परमिशन लीजिए। देखिये, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): ×××

श्री सभापति: एक मिनट। एक मिनट, पहले सुन लीजिए न ... (व्यवधान) मैं उनको भी रोक रहा हूं। मैंने पहले भी ऐसी व्यवस्था दी है कि पर्ची पर कोई डिबेट नहीं होती, पर्ची पर कोई डिबेट नहीं हो सकती, नम्बर एक। नम्बर दो, यह विषय संविधान से सम्बन्धत है क्योंकि आपने लिखा है इसमें, यह असंवैधानिक कृत्य है । आपने स्वयं लिखा है, संविधान से सम्बन्धत विषय है । केवल पर्ची के माध्यम से क्योंकि गम्भीर विषय है आप जो उठा रहे हैं मामला, अगर आप इसकी गम्भीरता को समझते। इतने लोग बोलने एक साथ खड़े हो गये, इसका मतलब आप इसको गम्भीर मानते हैं तब

ही इतने लोग बोलने खड़े हुए। तो ऐसे विषय को पर्ची के माध्यम से हाउस में नहीं लाया जाना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: आप पहले मेरी बात सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। पर्ची पर ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: आप पहले मेरी बात सुनिये, पर्ची पर केवल रीसेंट आकरेंस के विषय ही ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं मेरा वक्तव्य..

श्री सभापति: यस, यस, कनक्लूड करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो आपने मुझे आज्ञा दी है मैं उसी तक सीमित रहकर अब निवेदन करना चाह रहा हूं। ये रूल आफ बिजनस बने हुए हैं, यह भारत का संविधान बना हुआ है, माननीय सभापति महोदय, कौनसी चीज संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, रूल आफ बिजनस के नियमों के अनुरूप है कि नहीं है, सरकार को यह निर्देश देने का दायित्व किसका है? मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने, जब यह आपने संविधान विरोधी आदेश निकाले हैं कि ऐसे व्यक्तियों को प्रभारी मंत्री बनाकर जिलों में भेजा है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली हुई नहीं है, क्या फाइल पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव जिनका यह दायित्व बनता है कि वह सरकार का मार्गदर्शन करेंगे कि इस सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, रूल आफ बिजनस में क्या है, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि नहीं किया ? माननीय सभापति महोदय, यदि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है

(श्री संयम लोढ़ा)

तो मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार को मुख्य सचिव के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर फाइल पर मुख्य सचिव ने इन प्रावधानों का हवाला देकर सरकार का मार्गदर्शन करने की कोशिश की है कि यह संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है तो यह जिम्मेदारी राजस्थान की मुख्य मंत्री की बनती है। माननीय सभापति महोदय, यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना, उल्लंघन और राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका घोर एवं खुला अपमान है, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने किया है जिसके लिये उनको राजस्थान की जनता से क्षमा याचना करनी चाहिये। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं बात कुछ कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक सवाल सिर्फ। माननीय राठौड़ साहब, एक मिनट।

श्री सभापति: मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने मेरा नाम पुकार लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट में ही, उसका जवाब भी दे देंगे।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, श्री मानिक चन्दजी सुराना स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। स्टेट फाइनेंस कमी का अपाइंटमेंट कांस्टीट्यूशन के अमैंडमेंट के बाद होने लगा कि पंचायती राज संस्था को, लोकल बाडीज को कैसे पैसा बंटेगा। उनका यह दायित्व है। यह कांस्टीट्यूशनल था। आपने उस काम के लिये कि जो निर्णय लेते वक्त प्रभावित कर सकता है उनके निर्णय को, आप जिले में भेज रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? आप कर क्या रहे हैं बैठे हुए यहां पर? आपके मंत्री नहीं हैं क्या? आपके 27 मंत्री हैं, आप एक मंत्री को दो जिले दे सकते हैं। जो कारपोरेशंस हैं, मैं व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं हूं, हमारे साथ रहे हैं। भाभड़ाजी हैं, I am not personally against anyone. I am not casting any remarks against anyone. मैं तो सोच का दिवालियापन कह रहा हूं, इस सरकार की सोच का दिवालियापन निकल गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सोचते ही नहीं हैं आप। आपने करा क्या है? जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स का स्टेटस, एक कैबिनेट मिनिस्टर की सुविधाएं, वे सुविधाएं पाने के हकदार हैं, किसी चीज के हकदार नहीं हैं। इस प्रकार से जिलों में जब मंत्री जाते हैं, उनके क्या लोकल स्टेंड लिये, क्या जिले के अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं? वहां पर प्रभारी मंत्री जाते हैं उनको यह अधिकार है कि वहां के हालात को देखते हुए वह निर्देश देंगे। यह जो कृत्य है सरकार का, मेरे हिसाब से गैर-संवैधानिक कृत्य है। इसके ऊपर सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। फिर संघ में यहां कहा गया कि मंत्री जा रहे हैं और मंत्री में ये लोग भी शरीक कर लिये। चल ही यह रहा है। यह तो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मैंने आपसे कहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि मेरे मित्र, हमारे संग सदन में रहे हैं, मानिक चन्दजी सुराना, उनका मुझे नाम लेना पड़ रहा है। भाभड़ा साहब हमारे अध्यक्ष रहे हैं। मैं उन सबका सम्मान करता हूं लेकिन आपने करा क्या? पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर साहब, आपके यहां पर ऐसे महारथी बैठे हुए हैं, गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, जो वर्षों से सरकार में रहे हैं, एम.एल.ए. रहे हैं तो इन सबकी बुद्धि के ऊपर, क्या कोई सोचने वाला नहीं है? इनको आपने भेज दिया है। इसको आप तुरन्त अमैंड कीजिए भविष्य के लिए और जो हुआ है इसके लिए सदन से माफी मांगिये, यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने तो डिबेट ही प्रारम्भ करा दी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजेन्द्रजी, आप बाद में। एक मिनट। आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने डिबेट प्रारम्भ करा दी तो समय निश्चित कर लें। (व्यवधान)

श्री सभापतिः नहीं, डिबेट नहीं, आपने उन्हें हिन्ट दिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बोल लीजिए, राजेन्द्रजी, बोल लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर हमें अपनी बात कहने दीजिए। मैंने तो अलाउ नहीं किया है, मैं अलाउ करने वाला कौन होता

हूं? मैं कौन होता हूं कहने वाला? सरकार की बात है, किसको कहूं? यह क्या, फिर तो सब ही बोलेंगे।

श्री सभापति: आपने ही अलाउ किया है। आपने हिन्ट किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर इनकी तरफ से आपने इस डिबेट को अलाउ कर दिया तो फिर इधर से बोलेंगे। यह क्या है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, सबको बुलवाओ। माननीय सभापति महोदय, सबको बुलवाइये।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, मैंने आपका अलाउ किया। आपने हिन्ट किया इसलिए वे बोल रहे हैं, बोलिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, सबको बुलवाइये। एक मिनट मैं मेरी बात ... (व्यवधान) मंत्रीजी बोल लेंगे बाद में। हमारी सुन लें पहले। एक मिनट में बात सुन लो, मंत्रीजी। आप एक मिनट विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आप नई परम्परा कायम कर रहे हैं, पर्ची के ऊपर डिबेट प्रारम्भ हो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये न। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय सभापति महोदय, यह आपको भी धमका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप पूछ लीजिए। वह बोल दें। पहले उनका जवाब सुन लें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, आप बाद में बोलना। मंत्री का जवाब तो फाइनल जाता है। दो मिनट लगेंगे। सरकार का वक्तव्य आ जाएगा, फिर क्या है? दो मिनट बाद आप बात कह लेना। आप जो बात कहेंगे वह होगा। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): दस मिनट बैठ जाओ न, क्या दिक्कत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो वह बाद में पूछ लेना। मैं दो मिनट में अपनी बात ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, मंत्रीजी को सुन लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार इनकी भी कुछ बात सुन ले, उसके बाद सरकार वक्तव्य दे देगी, फिर बीच में क्या देना है यह? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं, माननीय सभापति महोदय, खाली एक एड कर रहा हूं। जो बात राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, उसमें दो बात एड करना चाहता हूं, आप जवाब दे दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर का ध्यान मैं पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर पर भी आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, काउंसिल आफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है। माननीय सभापति महोदय, ''The Council of Ministers consists of all the categories of Ministers of the Government of India, whether they are Members of Cabinet or Ministers of State Deputy Ministers." पार्लियामेंटरी अफेयर जो सैक्रेटरी हैं, are not included in the Council of ministers. यह मैं नहीं कोट कर रहा हूं । यह भी कोट कर रहा हूं पार्लियामेंट सैक्रेटरी का काम केवल मात्र क्वश्चन का जवाब देना है क्योंकि पार्लियामेंट सैक्रेटरी केवल शपथ लेता है चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में। मिनिस्टर शपथ लेता है गवर्नर के द्वारा । शिड्यूल में जो प्रैस्क्राइब है वह शपथ गवर्नर के यहां लेता है। इसलिए न केवल वह सदस्य जो मंत्री नहीं है ईवन पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को भी मंत्री, इन्चार्ज भेजना यह कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से हम्बल रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। आपकी मैजोरिटी है, मैजोरिटी में आप जो आए करें लेकिन मावलंकरजी का कोट करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ''For real democracy, one has to look not bearing in the provision of the Constitution or the Rules and the Regulations made for the conduct of business in the legislation but one has to foster a real democratic spirit in those who form the legislation. If this fundamental is borne in mind it will be clear that those questions would be decided by the majority. Parliamentary Government will not be possible if it is reduced to bear counting of heads or hands. If we are to go merely by majority we shall be foisting the seats of fosters, violence and revolve it, on the other hand we would foist spirit of tolerance, a spirit of freedom of discussion and a spirit of understanding, we shall be foisting the spirit of democracy."

इसलिए मैं मावलंकरजी की इस भावना के आधार पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो जो पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी की स्पिरिट है उस स्पिरिट के अन्तर्गत इस सरकार को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पार्लियामेंट सैक्रेटरी भी आपके किसी भी जिले के इन्चार्ज नहीं हो सकते । वे कौन्सिल आफ मिनिस्टर के मैम्बर नहीं हैं। आप उनमें झण्डा लगाकर भेजें, आप उनके एस्कोर्ट लगाकर भेजें, उनसे निर्णय करावें, यह भी संविधान का खुला उल्लंघन है। आफ्टर आल कौंसिल आफ मिनिस्टर का

(डा. सी. पी. जोशी))

लैजिस्लेटर के प्रति उत्तरदायित्व है और लैजिस्लेटर का जनता के प्रति उत्तरदायित्व है।

इसलिए, इस सरकार के मंत्रीजी, मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करना चाहता हूं, आज आपको अच्छा लग रहा होगा, आज हम राजशाही कहते हैं उसका बुरा लग रहा होगा लेकिन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को कमजोर करने का काम यदि घनश्यामजी तिवाड़ी और गुलाबचन्दजी कटारिया इतने सीनियर आदमी करेंगे तो लोकतंत्र भी आपको माफ नहीं करेगा कि आप साइलेंट रहकर इसके साथ पार्टी बने। यदि गलती हुई है तो उसको रैक्टिफाई किया जाना चाहिए और जनता में यहां से मैसेज जाना चाहिए कि यह सरकार पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी के जो कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन हैं उनको फालो करती है। यदि नहीं करती तो मैं समझता हूं कि मैजोरिटी के आधार पर आप कुछ भी कर लें, राजस्थान की जनता के साथ यह सबसे बड़ा अन्याय है। यह सरकार संविधान की पालना नहीं कर रही है, यह सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है। इस पवित्र सदन में आपने कहा है, यह तीन दिन की छुट्टी की है हमने, तीन दिन की छुट्टी में सैक्रेटरी जाएंगे, मंत्री जाएंगे। मंत्री जाकर कितना नुकसान हुआ है वह आप कह रहे हैं जनता के बीच में, असैम्बली में कहेंगे और किसानों को भरोसा दिलाएंगे। आप मुझे बताएं कि जो पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी कांस्टीट्यूशन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते थे, जो मिनिस्टर की फैसिलिटी वाले आदमी नहीं जा सकते थे, वे आदमी क्या हैं जो सूचना लेकर इस सदन को इत्तला करेंगे? मैं समझता हूं कि सदन के सामने सबसे बड़ा कन्सोलिडेटेड फण्ड का दुरूपयोग करने के आपने गलत आदमी से काम करवाये हैं। माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, आपकी कांशियस प्रिक करे कि नहीं करे, मेरी कांशियस प्रिक करती है कि सदन के अन्दर यदि यह काम होता है तो इससे गैर संवैधानिक कोई काम हो नहीं सकता है। इसलिए इस सरकार को संविधान की दृष्टि से काम करने के लिए या तो, सभापति महोदय, आप कहिये या फिर हमें गैर संवैधानिक काम करने के लिए छूट दीजिए। काहे को हम सरकार को क्रिटिसाइज करें, काहे को हम असेम्बली में आएं, काहे को कन्सोलिडेटेड फण्ड से खर्च करें? मैं समझता हूं, सभापति महोदय, आप स्वयं इसको उठाकर देख लें, 164 में क्या लिखा है, गवर्नर की पावर क्या है।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता

(डा. सी. पी. जोशी))

हूं, माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान रखें ''The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.

यह आपका 164(2) का प्रोविजन है "Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule." थर्ड शिड्यूल लिखा हुआ है, उसी के अंतर्गत जिसकी शपथ है वह कौंसिल आफ मिनिस्टर का मैम्बर हो सकता है, न कि आपका पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी वह आपका बड़ा आदमी हो सकता है, खास आदमी हो सकता है या राज दरबार में कामदार हो सकता है, लेकिन इस पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी के अंदर मंत्री नहीं हो सकता है और मंत्री नहीं हो सकता है तो इस विधान सभा के प्रति वह जिम्मेदार नहीं हो सकता है। यह गैर संवैधानिक काम अगर इस सदन के अंदर, आप तो बैस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको तो बहुत बड़ा पुरूस्कार मिला है, हम सबको गर्व है कि बैस्ट पार्लियामेंटेरियन आदमी आज चेयर पर बैठा हुआ है, वह बैस्ट पार्लियामेंटेरियन आदमी भी अगर गैर संवैधानिक काम की अध्यक्षता कर रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके इस सरकार को आप डायरेक्शन दीजिये।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): सभापति महोदय, मैं आपका बार-बार ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं लेकिन आपको नजर ही नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मंत्रीजी तो खड़े हो जाएंगे लेकिन मैं भी तो एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट मंत्रीजी, एक मिनट। सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से सिराही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विषय उठाया और उस विषय के माध्यम से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान की व्याख्या कर दी। यहां तक कहा गया कि यह सरकार संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में बिलकुल असमर्थ रही है और हम पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड)

सभापति महोदय, यह सही है, मैं उस ओर जाना नहीं चाहता, कि संविधान के अनुच्छेद 164(2) में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात भी की गयी है। 164 के अंदर मंत्रीपरिषद का गठन कैसे होगा, राज्यपाल किसे शपथ दिलाएगा, यह सारी व्यवस्था है। मैं उन व्यवस्थाओं की तरफ नहीं जाना चाहता। यहां यह कह दिया कि प्रभारी मंत्री के रूप में हमने कुछ असंवैधानिक लोगों को भेज दिया।

सभापति महोदय, यह प्रैक्टिस राजस्थान में ही नहीं, भारत सरकार का मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज भारत सरकार के अंदर ट्रैक टू डिप्लोमेसी विद अफगानिस्तान, इतना बड़ा मामला है, एस.के. लांबा, जो रिटायर्ड सैक्रेटरी हैं भारत सरकार के, वह देख रहे हैं। श्याम शरण यह रिटायर्ड फोरेन सैक्रेटरी हैं, न्युक्लीयर डील पर यह सारा काम कर रहे हैं, अधिकृत हैं। भारत सरकार के मंत्रीमंडल से अधिकृत हैं। पद्मना भैया रिटायर्ड सैक्रेटरी हैं, यह नागा समस्या की सारी चीजों को देख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो हमने इंतजाम किये हैं ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, यह पूर्णतया प्रशासनिक व्यवस्था थी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं क्या? आप शरण का या इसका उदाहरण दे रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह भी कह देंगे ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप एस.एन. गुप्ता से काम कराएं वैट का, वह इश्यु नहीं है? (व्यवधान) इश्यु यह है कि असैम्बली में जो जवाबदारी है वह किसका सम्बन्ध है। आप किसी से काम कराएं न।

श्री सभापति: माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य, आप पहले सुन लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कोई संवैधानिक व्यवस्था हमने नहीं की, पूर्णतया प्रशासनिक व्यवस्था की। इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने कोई प्रभारी मंत्री नहीं लगाया। उस जिले की समस्याओं के बारे में सरकार के पास महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की और अभी जो ओलावृष्टि की बात हुई, उन सारे तथ्यों के लिए

उन लोगों को भेज दें, उन सारी चीजों का आकलन करके सरकार के पास लेकर आएं। यह कोई नयी परंपरा नहीं है। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, यह वैधानिक व्यवस्था की बात नहीं है। इसलिए इसके माध्यम से यह कहना कि पूरी संवैधानिक व्यवस्था को जीर्ण-शीर्ण ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गुमराह किया है। यह माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को स्टेटमेंट है, मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेंट है कि हम प्रभारी मंत्री को और सैक्रेटरी को भेजेंगे ...(व्यवधान) बातें कर रहे हैं आप ...(व्यवधान) इससे बड़ा असत्य भाषण हो नहीं सकता। इस सदन में आपने घोषणा की है कि तीन दिन की छुट्टियों में प्रभारी मंत्री और सैक्रेटरी जाएंगे। यह प्रभारी मंत्री हैं आपके? (व्यवधान) सदन को गुमराह कर रहे हैं आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिये ...(व्यवधान) एक मिनट ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बातें कर रहे हैं खामखां ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आप तो यह बताएं कि बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री कौन हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आपने कहा कि हमने प्रभारी मंत्री नहीं लगा रखे, बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री कौन हैं, चलो यह बता दें? (व्यवधान) बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री संसदीय सचिव श्री ओम बिरला हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप पूरा उत्तर सुन लीजिये, प्लीज। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): और यह यहां कह रहे हैं हमने कोई प्रभारी मंत्री नहीं लगा रखे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप पूरा सुनिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, विषय को शायद हम, एज ए मंत्री प्रभारी लगाया, को लेकर यहां संवैधानिक विषय खड़ा कर रहे हैं, जबकि ये प्रभारी मंत्री के रूप में नहीं लगाये गये। प्रभारी के रूप में लगाया गया है। (व्यवधान) मेरी बात को आप सुन लें। यह जरूर है कि बोलते समय यह कहा कि हमने प्रभारी मंत्रियों को भेजा है, यह शब्द यहां जरूर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उच्चारण हुआ लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोगों को भी जो मंत्री न होते हुए भी एज ए प्रभारी मंत्री नहीं, एज ए प्रभारी इस सारे का आकलन करके और सरकार को तुरंत दें, इसके लिए कुछ लोगों को लगा दिया। मैं सोचता हूं कि यह सरकार का अधिकार है। अगर उसमें भी किसी सदस्य को, एक सैकिण्ड ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): राहत मंत्रीजी ने कहा है कि मंत्रियों को भेजा है, मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं कहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप उनको सुनिये, पूरा सुनिये, प्लीज। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): या तो यह कह दें कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा ...(व्यवधान) और या यह गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान) दोनों में से एक सही बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) यह गलत बात है। एक सेंटेंस बोलते ही फिर खड़े हो जाते हैं उस एक सेंटेंस का स्पष्टीकरण लेने के लिए। आप पहले पूरा उत्तर सुनिये, उसके बाद अगर आपके कोई डाउट हैं तो वह पूछने का अधिकार होता है। चाहे जो खड़ा हो जाता है बीच में। और इसमें डिबेट भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह जवाब दे रहे हैं तो पूरी बात उनकी सुनिये, यस।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, आप और मैं इतने वर्षों से यहां हैं, कई बार हम किसी विधायक को भी किसी जानकारी के लिए प्रभारी बनाकर किसी जिले में लगाते हैं और वह सूचना लेकर आते हैं। जैसे मेरे साथ में जो विधायक जुड़े हुए हैं गृह विभाग में, मैंने अपने इन सारे साथियों को भी जिला कमेटियां, जो मैंने बनाई हैं, जहां रिव्यू करके, वहां के जन-प्रतिनिधि होंगे, उसमें भी मैंने अपनी तरफ से उनको उस रिव्यू मीटिंग में रहने के लिए, यद्यपि वह रहने वाले जयपुर के होंगे और मैंने उनको बांसवाड़ा जिला दिया होगा, जबकि वहां की डिस्ट्रिक्ट की कमेटी में जिसमें सारे जन प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, वहां की नगरपालिका के सदस्य हैं वह होंगे और मेरे पुलिस के अधिकारी महीने में एक बार अपनी रिव्यू मीटिंग करेंगे। उसमे मैंने अपनी कमेटी से जो मेरे साथ जुडी हुई है आठ-नौ एम.एल.ए. की, तो जहां प्रभारी लगाया तो नियमों की अवहेलना नहीं हुई। जहां एज ए प्रभारी मंत्री

लगाया तो आपकी बात में दम है। इन दोनों में अंतर करिये। मैं सोचता हूं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिरोही का प्रभारी मंत्री कौन है, बताइये आप? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): प्रभारी मंत्री हैं, बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरी बात एक बार पूरी सुन लें ...(व्यवधान) जैसे हम सैक्रेटरी को भी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय गृह मंत्रीजी, आप तो यह बता दें कि भरतपुर और धौलपुर जिले का प्रभारी मंत्री कौन है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो सिरोही का बता दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भरतपुर और धौलपुर जिले का और बूंदी और सिरोही का प्रभारी मंत्री कौन है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गुमराह कर रहे हैं सदन को ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके हर जिले में सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए मानिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं? (व्यवधान) कृपया मुझे तो इतना बता दें कि भरतपुर और धौलपुर का प्रभारी मंत्री कौन है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप फिर से बात को घुमा रहे हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो भरतपुर का बता दें, भरतपुर का कौन है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रभारी मंत्री सुनें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): प्रभारी मंत्री कौन हैं, यह बता दें आप? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भरतपुर का प्रभारी मंत्री कौन है, यह बता दें आप? (व्यवधान) हम आपकी बात मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रभारी मंत्री और प्रभारी दोनों में अंतर है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कटारिया साहब, आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप कोई गलती होती है तो उसको तहे दिल से स्वीकार कर लेते हैं ...(व्यवधान) राजेन्द्रजी तो नहीं करेंगे। लेकिन आपसे तो उम्मीद करते हैं कि जो भूल आपसे हो गयी, संवैधानिक चूक हो गयी उसको आप स्वीकार करेंगे, और सदन से माफी मांगिये। (व्यवधान)

श्री सभापतिः सुनिये, पूरा सुनिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, दोनों में अंतर करना होगा, अगर यह कहकर कि ये प्रभारी मंत्री के रूप में लगाये हैं और मंत्री नहीं हैं तो हमने संविधान की अवहेलना की है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सैकिण्ड, एक सैकिण्ड। लेकिन अगर प्रभारी के रूप में लगाया है तो संविधान की अवहेलना नहीं हुई है। जाने वाले अगर गलती से अपने आपको यह कहें कि मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री हूं तो उसके कहने से इस आदेश की भावना नहीं है, कि कहीं यदि लगाया गया और मैं अपने आपको प्रभारी मंत्री हूं, तो नहीं होगा। सरकार ने एज ए प्रभारी मंत्री के रूप में अगर दिया है तब तो अवहेलना हुई। और प्रभारी का चार्ज दिया है तो प्रभारी का चार्ज तो दिया जा सकता है। आप में से भी किसी को किसी जिले का प्रभारी सरकार अगर चाहे किसी को तो लगा सकती है। इसमें कहीं अड़चन नहीं है। मैं सोचता हूं कि दोनों विषयों को मिलाएं मत। प्रभारी मंत्री और प्रभारी अगर दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाए तो मैं समझता हूं कि शायद उन्हें उलझन नहीं रहेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बता दें कि सिरोही जिले का प्रभारी मंत्री कौन है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आप तो बूंदी जिले का ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मंत्रीजी गुमराह कर रहे हैं ...(व्यवधान) यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप मुझे सुनिये। एक मिनट सुनिये ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): कलक्टर के साथ प्रभारी मंत्री की हैसियत से ओम बिरला ने अनेक स्थानों पर ...(व्यवधान) इनागरेशन स्टोन हैं जिसमें प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है।

श्री सभापति: एक मिनट, मुझे सुन लें। (व्यवधान) बैठिये, आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप पहले मेरी बात सुनिये ...(व्यवधान) पूरे राजस्थान के प्रभारी मंत्रियों की यह सूची है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लिस्ट पड़ी है मेरे पास। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, तो एक मिनट विराजिए पहले। माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में पेज दो पर दी गई डेफिनिशन क्लॉज की तरफ दिलाना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): This is for Assembly.

श्री सभापति: यस, पेज टू। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह असेम्बली के लिए ही है। This is for Assembly. इस पर पहले डिस्कस हो चुका है।

श्री सभापति: डेफिनिशन। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आप तो सरकार के प्रभारी मंत्रियों की सूची सदन पटल पर रख दो। इन्होंने जो लिस्ट निकाली है, उस लिस्ट की कॉपी सदन पटल पर रखवा लो उसमें 'प्रभारी' शब्द की जगह 'प्रभारी मंत्री' लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं जानकारी वाली बात कह रहा हूं, आप विराज जाइए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन को गुमराह किया है गृह मंत्रीजी ने। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया है और सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को गुमराह किया है। सूची राजस्थान सरकार ने खुद जारी की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सिट डाउन प्लीज। पहले चेयर को सुनिए। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापति: I am on legs. Take your seats please.

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री सभापतिः तगारामजी, आप बैठिए। आप एक मिनट बैठिए। (व्यवधान) I am on my legs.

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री सभापति: I am on my legs.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापतिः आप विराजिए, यह अंकित नहीं हो रहा है। Don't record it.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापतिः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। I want to say something.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सभापतिः They don't want to listen the Chair.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सभापतिः Take your seats please. Why don't you want to listen?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ××× ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः Please take your seats please. Mr. Sanyam Lodha, I am calling you. I am again asking you to take your seats please. I will call your name. This is very unfortunate that they don't want to hear the Chair. Take your seats please. I am on my legs. This is very unfortunate that some of the Members they don't want to listen even the Chair. Please maintain. मैं आप सभी माननीय सदस्यों का ध्यान डेफिनिशन क्लाज की ओर दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान) आप फिर खड़े हो गये? पहले मुझे कम्प्लीट करने दीजिए। मैं प्रक्रिया और नियमों में दिए गए डेफिनिशन क्लाज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें 'मिनिस्टर' की डेफिनिशन दी है। Minister means a member of the Council of Minister, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary. यह आपका नियम है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सभापति: आप बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) मुझे पुकारा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) आपने पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार ने उत्तर दे दिया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

(समय : 13.59 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया एक-एक माननीय सदस्य बोलें तो कोई बात आगे बढ़ेगी। ऐसे सब खड़े होकर यदि आप बोलेंगे तो....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया और सरकार ने उत्तर दे दिया। यह क्या बात हुई?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है। एक घंटे से बहस कर रहे हैं, एक घण्टे से।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया। (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं? आपने पर्ची थोड़े ही दी है, पर्ची तो उन्होंने दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं अभी दो मिनट में कम्प्लीट कर दूंगा, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं।

(समय : 14.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पर्ची के माध्यम से उठाया था कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ नहीं ली, यहां पर सदन में यह घोषणा की गई थी कि तीन दिन की छुट्टियां हैं उसमें प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाएंगे और जाकर यहां पर रिपोर्ट देंगे कि ओलावृष्टि कहां-कहां हुई, कहां कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में सदन को अवगत कराएंगे और उसके बाद राज्य सरकार तदनुरूप घोषणा करेगी कि किसानों की क्या सहायता की जाए। इसमें हमारा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है कि जो लोग गये वो ऐसे लोग थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली हुई थी और वे प्रभारी मंत्री के रूप में गये। यहां पर आप आसन पर विराजमान नहीं थे, सभापति महोदय ने डेफिनिशन का क्लाज पढ़कर बताया कि पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी मंत्री की परिभाषा में आते हैं, वे केवल प्रश्न का जवाब देने के लिए सीमित हैं। इसके अलावा प्रभारी मंत्री के रूप में आज तक हमको याद है, हमारी भी सरकारें रही हैं, कभी भी कोई पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी किसी जिले का प्रभारी मंत्री नहीं रहा। न कभी कोई चेयरमैन जैसे आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई अभाव अभियोग के अध्यक्ष, ये लोग कभी प्रभारी मंत्री के रूप में नहीं गये। हां, पोलिटिकल पार्टियों ने अपनी तरफ से उनको प्रभारी बनाकर भेजा है, लेकिन सरकार ने कभी भी नहीं भेजा। किसी भी अध्यक्ष को, किसी भी गैर मंत्री को मंत्री के रूप में किसी भी जिले में नहीं भेजा। लेकिन यहां पर संविधान का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है कि जो चेयरमैन थे माननीय मानिकचंद सुराना, जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनको, एस.एन. गुप्ताजी को, पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी को ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): क्या इनका नाम है जो ये बोल रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ये किस आधार पर बोल रहे हैं? यह कोई वाद-विवाद का मामला है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय मंत्रीजी, यह हाउस की प्रापर्टी है। यह संवैधानिक मामला है, हाउस की प्रापर्टी हो गया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): हाउस की प्रापर्टी नहीं, आप क्या पर्ची पर बोल रहे हैं? अगर हाउस की प्रापर्टी है तो आप पुट अप करें। आप क्या पर्ची पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय मत्री महोदय को यह पता नहीं है, यह हाउस की प्रापर्टी है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि यहां एडवोकेट जनरल को बुलाया जाए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय मत्री महोदय, सदन से उनको अनुमति दी गई है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या किसी अध्यक्ष को प्रभारी के रूप में भेजा जा सकता है? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह गलत परम्परा हुई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक तो प्रभारी मंत्रियों की सूची सदन की मेज पर रखी जाए। (व्यवधान) यदि किसी अध्यक्ष या पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी को प्रभारी मंत्री के रूप में भेजा है तो सरकार यहां पर माफी मांगे, खेद प्रकट करे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने प्रभारी मंत्री के रूप में बिना मंत्री पद की शपथ लिये लोगों को भेजा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैंने पहले भी यह कहा था ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए। आपने अपनी बात उठा दी, इनको भी सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या, अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे ध्यान में है ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने निवेदन किया है ..(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे बारे में जिक्र किया ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नहीं, आपका तो ठीक है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमें प्रभारी मंत्री के नाते भेजा है और हमने, अध्यक्ष महोदय, आपको रिपोर्ट भी प्रभारी के नाते दी है, प्रभारी मंत्री के नाते नहीं दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपकी बात बिलकुल सही है। आपने तो 'प्रभारी, जिला सिरोही' लिखा है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): यह रिपोर्ट देखकर आपको स्वयं को मालूम पड़ जाएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार ने आपको प्रभारी मंत्री के रूप में रामनारायण डूडी को हटाकर लगाया है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): मैं ओलावृष्टि में प्रभारी के नाते गया था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप छह महीने से प्रभारी हैं ..(व्यवधान) आप छह महीने से प्रभारी बने हुए हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): आप जोर से दबाकर मुझे .. (व्यवधान) मैं प्रभारी गया हूं, मंत्री के रूप में नहीं गया। और जो मैंने रिपोर्ट दी है जो अध्यक्ष महोदया को दी है, एज ए प्रभारी दी है, प्रभारी मंत्री के नाते रिपोर्ट नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप छह महीने से प्रभारी हैं या नहीं हैं?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): छह महीने से नहीं हूं मैं प्रभारी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पिछले साल आपने मीटिंग ली है या नहीं ली है? आप क्या गुमराह कर रहे हैं सदन को?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को यह सूचित किया था कि तीन दिन की छुट्टी की जा रही है और तीन दिन की

(डा. सी. पी. जोशी)

छुट्टी में सरकार की तरफ से मंत्री और सैक्रेटरी वहां पर जाएंगे और तीन दिन बाद जितना किसान का नुकसान है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य भी पधारेंगे, यह भी कहा था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, बिलकुल ठीक था, यह भी कहा था माननीय सदस्य भी जाएंगे। लेकिन आप, स्वयं चेयर ने सदन को आश्वस्त किया था कि किसान का नुकसान का जायजा लेने के लिए मंत्री जाएंगे, सैक्रेटरी जाएंगे और वे आकर सूचना देंगे। यह प्रभारी और न प्रभारी .. (व्यवधान) वहां मंत्री को जाना था, सदन को यह आश्वस्त करके गये थे। सरकार यह बता दे, दो बातें हैं नम्बर एक, क्या ओलावृष्टि के लिए आपने मंत्री को भेजा? नम्बर दो, क्या यह सही है कि पिछले दो साल से पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी अलग-अलग जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं? यह सही है या नहीं है, दो चीजों को स्पष्ट कर दें। मुख्य मंत्रीजी और अध्यक्ष सदन को यह आश्वस्त करें कि किसान का नुकसान का जायजा लेने के लिए मंत्री जाएंगे, सैक्रेटरी जाएंगे और उसके बाद मंत्री, सैक्रेटरी न जाएं तो इससे बड़ा सदन का अपमान क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मंत्री ही जाएंगे, यह शब्द है क्या? मंत्री ही जाएंगे? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यही है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मंत्री ही जाएंगे, ऐसा कोई है कहीं? कार्यवाही में आया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भारत के संविधान, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत दिलाना चाहता हूं जिसमें रूल्स आफ बिजनस का जिक्र किया गया है। इस रूल्स आफ बिजनस में जिक्र है ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वापस बोलिए।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सरकार चाहे तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए, जानकारी के लिए समुचित सूचनाओं के लिए किसी भी योग्य व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए अधिकृत कर सकती है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं कर सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपसे पहले बोलते हुए कहा था जिस भारत सरकार को पर्दे के पीछे से श्रीमती सोनिया गांधी चला रही हैं ..(व्यवधान) सैक्रेटरी हैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया के और ट्रैक टू डिप्लोमेसी विद अफगानिस्तान का पूरा काम देख रहे हैं। उसी के साथ-साथ रिटायर्ड ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 166 में क्या प्रावधान है, यह तो करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रिटायर्ड होम सैक्रेटरी नगा समस्या का सारा काम देख रहे हैं ..(व्यवधान) और ये प्रभारी मंत्री के रूप में नहीं ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पार्लियामेंटरी मिनिस्टर, उन्होंने यह लिखा हुआ नहीं है ..(व्यवधान) वहां कौंसिल आफ मिनिस्टर ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं और अकाल पीड़ितों ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गवर्नर को कौंसिल आफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में नहीं करेगी, यह डिसीजन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी की बात की है इन्हीं की सरकार के समय का 30 जनवरी, 1968 का आदेश निकला है कि पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी की क्या ड्यूटी है, क्या नहीं है। आप कहें तो मैं इसको टेबल कर देता हूं। इनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपका आदेश था ..(व्यवधान) हर जिले के .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भाषण दे रहे हैं ये हमारी बातों का जवाब देने की बजाय। .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बात सुनें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने जो प्रश्न उठाया ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हर जिले में, हर तहसील में, संभवत: हर गांव के अंदर राजस्थान सरकार का भेजा हुआ नुमाइंदा गया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, आकलन किया है, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इनको कुछ पता नहीं है और इन्होंने संवैधानिक उत्तरदायित्व के नाम पर सदन का बिना मतलब एक घण्टा खराब कर दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने दो बातें कही हैं कि अगर हमने प्रभारी मंत्री बनाकर भेजा है तो हमने असंवैधानिक काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सरकार के द्वारा प्रभारी मंत्रियों के सम्बन्ध में पिछले एक साल में जितने आदेश जारी किये गये हैं उनको टेबल करवा दीजिए। छह महीने से हमारे यहां अर्जुन सिंहजी प्रभारी मंत्री हैं, पहले रामनारायणजी डूडी थे इनको हटाकर गंगानगर लगाया गया। पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, जब आप उधर विराजते थे, सूरतगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या, विजय लक्ष्मीजी गंगानगर के अंदर जाकर मीटिंग लेती थीं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं थीं, बिलकुल नहीं थीं। बिलकुल गलत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और चूरू जिले में, जिस जिले में मैं हूं ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल गलत कह रहे हो। (व्यवधान) आप कापी लेकर आइए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप गलत सूचना दे रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कापी सदन की मेज पर रखिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रखिए कापी। यहां ममताजी मैम्बर थीं। (व्यवधान) ममता शर्मा खुद पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी थीं, किसी जिले की नहीं थीं। खाली जोर से बोलने से क्या होगा? (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नाम पर सदन का समय व्यर्थ गंवाया जा रहा है। सरकार किसी भी योग्य व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए कभी भी भेज सकती है। यह भारत सरकार भी भेजती है और राज्य सरकारें भी भेजती हैं और कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन भी नहीं है कि किसी को प्रभारी के रूप में नहीं भेजा जा सकता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपके घर का राज है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जोशीजी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का वह आदेश जिस आदेश के अंतर्गत सारे लोग जिलों में गये, पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो टेबल करो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): छह महीने का लेकर आओ, पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी मिनिस्टर था या नहीं था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनेंगे नहीं, आप तो टेबल करो उसको।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): टेबल कर दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये वे पढेंगे जो इनको पढ़ना है। हमने बहुत स्पेसिफिक पूछा है ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय ने मुझे पढ़ने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, आपको शांतिपूर्वक सदन ने सुना, अब आप इनको सुन तो लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने बहुत स्पष्ट पूछा है, प्रस्ताव मेरा है, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से आपने एक प्रश्न उठाया, लेकिन चूंकि वह संवैधानिक था इसलिए इतनी चर्चा हो रही है वर्ना चर्चा ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनकी सुन तो लीजिए। आप सुन तो लें उन्हें। प्लीज स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप 167 पढ़ लीजिए। "It shall be duty of the Chief Minister of each State – (a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration …"

एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मामले मुख्य मंत्रीजी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के थ्रू गवर्नर को करना है। ये प्रभारी भेजे हैं, यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि नहीं है ? ये काम केवल मात्र कांस्टीट्यूशन से कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का

(डा. सी. पी. जोशी)

आदमी कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। अपनी मनमर्जी की बातें कर रहे हैं। यह कोई राजा के राज में कपड़े लाने हों, घी लाना हो, दूध लाना हो, किसी से मंगवा लें, राज करने का जो काम है वह राज में अधिकृत आदमी है वही करेगा, बाकी काम नहीं कर सकता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, 167 में भी यह प्रोविजन है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी कौंसिल आफ मिनिस्टर की राय को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है इसलिए बोलते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह बता दें कि ये जो आदमी भेजे हैं, ये कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के मैम्बर हैं कि नहीं हैं ? एडमिनिस्ट्रेशन को अलग-अलग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: इनकी बात को सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पढ़िए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय क्रमांक प/11/6 मुख्य मंत्री/2003, जयपुर 21.1.2007 का इस सचिवालय का समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20.7.2004 एवं 22.11.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निम्नांकित मंत्री परिषद् के माननीय सदस्य एवं समकक्ष दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों को उनके नाम से अंकित जिले का प्रभारी नियुक्त किया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): समकक्ष किस कांस्टीट्यूशन में है, कैसे है, अध्यक्ष महोदय? समकक्ष कैसे कर सकते हैं? कांस्टीट्शून में समकक्ष वर्ड ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभारी लगाया जा सकता है। भारत सरकार भी लगाती रही है, राज्य सरकारें भी प्रभारी लगाती रही हैं। कांस्टीट्यूशन का कहीं किसी रूप में भी दुरूपयोग नहीं हुआ है यह। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र शपथ लिया हुआ आदमी ही लग सकता है, समकक्ष नहीं लग सकता है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): प्रभारी तो लगाया है लेकिन मंत्री के समकक्ष बनाकर प्रभारी नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स आफ बिजनेस भी क्या राजस्थान गवर्नमेंट का है क्या ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह जो संशोधन इन्होंने किया है, इसमें क्या मंत्रीमण्डल से सहमति ली गई है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रूल्स आफ बिजनस के अनुसार प्रभारियों को नियुक्त किया है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मुख्य मंत्री का अधिकार है यह, माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी का अधिकार है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, कोई अधिकार नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्यमंत्री का अधिकार कहां से है, उनके घर से नहीं है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कांस्टीट्यूशन में, संविधान में यह तो उल्लेख नहीं है, प्रभारी नहीं लगाया जा सकता है। प्रभारी लगाये हैं और प्रभारी लगाये जा सकते हैं और मुख्यमंत्री को कांस्टीट्यूशनल राइट है यह। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रिमण्डल के सदस्य को बनाने का अधिकार है, राजेन्द्रजी को बनाने का अधिकार मुख्य मंत्री को है, राज चलाने का अधिकार संविधान का है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राज चलाने का अधिकार सोनियाजी का है क्या ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मानते हो क्या ? (व्यवधान) यह गैर कानूनी काम नहीं चल सकता, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम कह रहे हैं ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं टेबल करना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार जिसने कांस्टीट्यूशन के अन्दर शपथ नहीं ली हो, शिड्यूल थर्ड के अन्दर नहीं,

(डा. सी. पी. जोशी)

वह समकक्ष हो सकता है क्या? Can he be a member of the Council of Ministers? अध्यक्ष महोदय, आप भी मैम्बर हैं, can somebody be member of the Council of Minister without taking the oath? (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह विवाद तो खतम नहीं होगा, इसलिए आप व्यवस्था दे दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसी को भी बना देंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स आफ बिजनैस में साफ प्रोविजन है, मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति ही प्रभारी मंत्री लग सकता है। यह रूल्स आफ बिजनस में प्रोविजन कहां है, यह तो बताइए न। मुख्य मंत्री कोई खुदा थोड़े ही है। संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा, वह मर्जी आए जैसे नहीं कर सकता है। यह नहीं है कि इसकी जागीर इसको दे दी, उसकी जागीर उसको दे दी1

श्री अध्यक्ष: आप स्वयं ही कहते जाएंगे, औरों की बात भी सुनेंगे ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स आफ बिजनस में कहां प्रोविजन है कि मुख्य मंत्री मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति को प्रभारी मंत्री लगा सकता है, कहां है प्रोविजन ? मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि संविधान की भावना के अनुरूप शासन व्यवस्था चलाने के लिए और भविष्य में ऐसी गंभीर त्रुटि नहीं करें इसलिए सरकार को माफी मांगने का आप निर्देश प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: यह मंत्रीजी ने बहुत साफ कहा है कि यदि यह लिखा गया, प्रभारी मंत्री शब्द यूज किया गया है तो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहीं नहीं है, ये टेबल कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरी बात तो सुन लीजिए पहले आप। लेकिन जैसा कि पढ़कर सुनाया आदेश आपने, उसमें मंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और प्रभारी तो किसी को भी बनाया जा सकता है। प्रभारी तो अर्जुन सिंह देवड़ा को जो बनाया गया है सिरोही का, उन्होंने नीचे अपने दस्तखतों में यही कहा है, प्रभारी, जिला सिरोही। उन्होंने नहीं लिखा प्रभारी मंत्री । प्रभारी तो कोई भी हो सकता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संविधान के अन्दर कैसे हो सकता है ? (व्यवधान) आप हाउस में ही किसी को बुला लीजिए। हर कोई एल एल ए हो जाएगा, आप हाउस में बुला लीजिए उनको। यह क्या मतलब है, आप एम एल ए को बुला लीजिए किसी को। इस हाउस में वही आदमी बैठ सकता है जो एम एल ए है। किसी को बुला लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय देवड़ाजी ही नहीं हैं, इस लिस्ट में बहुत-से लोग ऐसे हैं जो मंत्री मण्डल के सदस्य नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रभारी है न, वह तो अध्यक्ष या महामंत्री नहीं होते, प्रभारी तो मंत्री ही होते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा और नहीं हो सकता। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, कांस्टीट्यूशन के किस क्लाज में लिखा है कि प्रभारी जो है वह मंत्री ही होगा? कांस्टीट्यूशन का क्लाज बता दें। माननीय डा. सी पी जोशी या आप बता दें, कांस्टीट्यूशन के कौन से क्लाज में लिखा है कि प्रभारी जो है मंत्री ही होगा? आप बताइए, कांस्टीट्यूशन को कोट कीजिए। (व्यवधान) बताइए आप। (व्यवधान) कि जिलों में प्रभारी केवल मंत्री ही होगा। (व्यवधान) डा. सी पी जोशी बताएं, डा. कल्ला बताएं, कांस्टीट्यूशन के क्लाज बताएं आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसमें जो किया है प्रभारी मंत्री के समकक्ष करते हुए ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): प्रभारी मंत्री ही लगाया है हमने। (व्यवधान) कांस्टीट्यूशन के क्लाज बता दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री युनूस खान। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजीव अरोड़ा क्या थे पिछली बार जो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा लिए घूमते थे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रभारी मंत्री किसी जिले का नहीं बनाया, यह गलती आपने की है और इसको आप डिफेंड कर रहे हो यह भी बहुत गलत बात है। कोई गलती हो जाती है तो गलती स्वीकार करनी चाहिए। हमारे वक्त में कोई भी बोर्ड का चेयरमैन किसी भी जिले का प्रभारी मंत्री नहीं था। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह बहुत गलत परम्परा शुरू हो जाएगी। मुख्य मंत्री अपने रसोइयों को मंत्री का दर्जा देकर जिलों में भेज देंगी। आप बहुत गलत कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मुख्य मंत्री का प्रेरोगेटिव है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप तर्क से बात करो, समझ में आ सकता है, हल्केपन से बात करने से कोई मतलब नहीं निकलता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सारे तर्क रख दिये आपके सामने ... (व्यवधान) और आप सुनना नहीं चाहते ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय गृह मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को भी विश्वास में नहीं लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक चुनाव जीते नहीं, वार्ड मैम्बर रहे नहीं और वह जिलों के प्रभारी, मजाक बना रखा है आपने व्यवस्था को। (व्यवधान) मजाक बना रखा है, मजाक, पूरे जिले में लोग हंसते हैं आपकी सरकार के ऊपर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहले आप आदेश पढ़ लें, फिर जोर से बोलो। मैंने पहले भी यह कहा कि अगर उसको प्रभारी मंत्री के नाते लगाया तो ठीक नहीं है, अगर उसको प्रभारी के नाते लगाया है तो किसी को भी लगाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गृह मंत्रीजी, मैंने आपसे स्पष्ट पूछा है कि रामनारायण डूडी को हटा कर ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आदेश निकला हुआ है और पुराने आदेश का रेफरेंस देकर इस जनवरी के महीने में यह भेजते हैं, जिले के अन्दर ये लोग जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सरकार की बहुत स्पष्ट जानकारी में लाया हूं, आप सुनना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष: आप भी नहीं सुनना चाह रहे। आप सुनिए तो सही। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल भी करेंगे। टेबल हो गया, जब मेरे पास आ गया तो टेबल अपने आप हो गया। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि कह रहे थे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, आज सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स भी मुख्य बंद का प्रयोग करके पास की जाएंगी और सप्लीमेंटरी का जो फाइनैंस बिल है उस पर कुछ लोग बोलना भी चाहेंगे, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा होगी, मांग है आज, और उस हालत के अन्दर इतनी देर हो गई है, इस संवैधानिक विषय पर चर्चा करते हुए।

इस बारे में सरकार का आदेश बिलकुल स्पष्ट है। सरकार ने 21.1.2007 को यह आदेश निकाला है और इसमें मंत्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लिखा है- इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20.7.04 एवं 22.11.04 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने निम्नांकित मंत्री परिषद् के माननीय सदस्यों एवं समकक्ष दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों को उनके नाम के आगे.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये। आसन को सुनिये पहले आप। प्लीज। (व्यवधान) समकक्ष से मतलब यह है कि कोई किसी बोर्ड और निगम के

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष हैं, उनको किसी को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है और किसी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है इसलिए वो समकक्ष ही तो माने जाएंगे। जब वो समकक्ष माने जाएंगे तो मंत्री शब्द तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए समकक्ष तो मानोगे। समकक्ष दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैं नहीं समझती.... (व्यवधान) कई कामों के लिए.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: 2004 में पहले अन्य का था, बाद में अन्य को कर दिया इसलिए आंशिक परिवर्तन किया है, इसमें क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री मोहम्मद माहिर आजाद। आप पर्ची पर बोलें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: बस, पढ़ लिया न। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अध्यक्ष: यह रही कापी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, कैसे खड़े हैं आप? नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, पीठ करके खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि वो 2004 वाला भी आसन देख लेगा और आसन देखने के बाद इस बारे में जो कुछ व्यवस्था देनी है वह दे देगा। वह देख लेगा मैंने कहा न। आसन देख लेगा। अब आप आगे चलिये। (व्यवधान) मैंने आपको कह दिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

श्री अध्यक्ष: करा देंगे। मोहम्मद माहिर आजाद, आपको नहीं बोलना है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बोलना है साहब। आप खड़े थे तो मैं कैसे बोलता?

श्री अध्यक्ष: बोलिये।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी का और सदन का ध्यान एक अति-महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भू-माफियाओं ने पहले तो सिवाय चक जमीन पर कब्जे किये, जब सिवाय चक जमीन खत्म हो गई तो फिर चरागाह भूमि....

श्री अध्यक्ष: और फिर वन भूमि पर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ... और गोचर भूमि पर कब्जे किये और उसके बाद अब वन भूमि के ऊपर भू-माफिया कब्जा जमाने का काम राजस्थान में अपनी ताकत के बल पर कर रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी के समक्ष रखना चाहूंगा। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे यहां वनकर्मियों की भी कुछ कमी है, फोरेस्ट गार्ड की कमी है। वह भी मंत्रीजी कह सकते हैं, सही है। लेकिन प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के कारण आज जो वन सम्पदा है, वन भूमि है, उस पर कब्जे किये जा रहे हैं और उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूं। जैसे सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में रणथम्भौर और सवाई मानसिंह अभयारण्य है, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूची अगर आप इजाजत देंगी तो मैं सदन पटल पर भी रख दूंगा, मैंने माननीय वन मंत्रीजी को भी दी थी, कि हंगरी के ट्यूरिस्ट सवाई माधोपुर में आये, फोरेस्ट के कोर एरिया की भूमि के ऊपर वन विभाग के अधिकारियों ने टैंट लगाकर, उसमें कूलर लगाकर, सारी सुख-सुविधाएं दीं। एक तरफ अगर कोई आदिवासी अपने पशुओं को ले जाता है तो पशु को और उस आदिवासी को पकड़कर बंद कर देते हैं। एक तरफ अगर कोई खातेदारी की जमीन पर भी खेती कर रहा है और वह फोरेस्ट जमीन से एडजाइन है, जैसा मैंने भैंरूपुरा का उदाहरण दिया माननीय मंत्री महोदय को कि भैंरूपुरा के 35 काश्तकार खातेदारी की जमीन पर खेती कर रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड से उसका फैसला उनके पक्ष में हो गया, मुकदमा जीतकर आ गये, फोरेस्ट के अधिकारियों ने उसको फोरेस्ट की भूमि बताकर, इसलिए कि फोरेस्ट की भूमि बताकर इनको डराएंगे, ये सस्ती, औने-पौने भाव में बेच देंगे तो वे खुद फोरेस्ट के अधिकारी खरीद लेते हैं। मैंने माननीय मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में वहां के

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लोगों का ज्ञापन दिया। माननीय वन मंत्रीजी ने उसके ऊपर 12.8.2006 को डी.एफ.ओ., सवाई माधोपुर और उसके बाद पी.सी.सी.एफ. को निर्देश दिये कि आप परीक्षणात्मक, तथ्यात्मक रिपोर्ट 22 अगस्त को प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 अगस्त भी गई, और उसके बाद में छह-सात महीने चले गये। आज तक कोई रिपोर्ट आई हो तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं यह उदाहरण दे रहा हूं कि 250 फोरेनर्स आये और 250 टैंट कोर एरिया के अन्दर लगे। आप कहें तो मैं बता दूं एक-एक ट्यूरिस्ट का नाम, उसकी कंट्री का नाम, उसके पासपोर्ट का नम्बर कि कितनी तारीख को पासपोर्ट इश्यू हुआ, कितनी एक्सपाइरी डेट थी। सात अप्रैल और आठ अप्रैल, 2006 को टैंट लगाकर फोरेस्ट की जमीन पर रहे। वहां पर एक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया और उस व्यक्ति ने एक ट्यूरिस्ट से 500 डालर पर डे के हिसाब से लिया। जमीन फोरेस्ट की, रेवेन्यू का नुकसान सरकार को हो रहा है और कोई प्राइवेट व्यक्ति ठेका लेकर कोर एरिया की जमीन के अन्दर यात्रियों को ठहरा रहा है। मैंने इसकी पूरी सी.डी. भी माननीय मंत्रीजी को दी। अगर आप कहेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है, फोरेस्ट का बोर्ड लग रहा है, रणथम्भौर और सवाई मानसिंह अभयारण्य और इसके अन्दर यह टैंट लग रहा है और इस टैंट में सारी सुविधाएं दे रहे हैं। वहां रह रहे हैं, संगीत हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, दारू पार्टी हो रही है। कैसे वहां पर जंगली जानवर रहेंगे? क्या वे वहां से पलायन नहीं करेंगे? एक तरफ हम चिंता करते हैं कि हमारे वाइल्ड लाइफ की कमी हो रही है, एक तरफ हम चिंता करते हैं कि उनकी सही सुरक्षा नहीं हो रही है और दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके इतनी बड़ी तादाद में, 250-250 टैंट लगाये गये। आज साल भर होने को आ गया, इसके ऊपर क्या कार्यवाही की? मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की। किसान को खेती मत करने दो, दूसरे भू-माफिया को कब्जे करने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए हो रहा है कि 1986 से फोरेस्ट विभाग के अन्दर कोई फोरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं हुई। यहां तक कि जो वर्कचार्ज पर लग रहे थे, वे भी रिटायर हो गये। केवल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को लगाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फोरेस्ट गार्ड जिनको हम असिस्टेंट फोरेस्टर का कैडर देते हैं, इसका कोई फाइनेंशल लोड भी आपके ऊपर नहीं पड़ता। थोड़ा उनका सम्मान बढ़ जाता है ताकि उत्साह से काम करें, वह भी आपसे नहीं हुआ।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। अभी हाल ही में पूरे हिन्दुस्तान भर के फोरेस्ट विभाग के खिलाड़ियों के जयपुर में मैचेज आर्गेनाइज हुए। जयपुर को मेजबानी मिली, उसके लिए तो आपको बधाई, लेकिन हुआ क्या? शुरूआती दौर में ही हमारे वन विभाग के जो खिलाड़ी थे, वे हार गये। कारण क्या कि जो दूसरी स्टेट हैं, उन स्टेट से यंग ब्लड, अच्छे नौजवान खिलाड़ी वहां से आये और हमारे रिटायर्ड लग रहे हैं। अभी हालांकि बजट में घोषणा की गई है कि हम रिटायर्ड फौजियों को, पूर्व सैनिकों को इसके अन्दर भर्ती रखेंगे पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप फ्रैश नौजवानों की भर्ती करें, तब जाकर आप वन भूमि की सुरक्षा कर पाएंगे।

आज भैंसरोडगढ़ अभयारण्य के अन्दर बराबर मीडिया के अन्दर आ रहा है, सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर "राजस" के नाम से कुछ है। कोर एरिया की जमीन में से पाइप लाइन निकल रही है, वहां कंट्रोल टावर बन रहा है, उसी के अन्दर वहां पंपिंग सैट लगा रखा है। यह सारा काम आपकी वनारक्षित जमीन है, उसमें किसी को घुसने की इजाजत नहीं है, उसमें हो रहा है और सरकार चुप बैठी है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि हमारी सिवाय चक खतम हो गई, चरागाह खतम हो गये और वनों की जमीन पर भी कब्जे होते रहे, राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद भी वनों पर कब्जे हो जाएंगे तो हमारी प्रकृति जो आज नाराज हो रही है कि बेसमय बारिश हो रही है और समय पर बारिश नहीं होकर अकाल पड़ता है, मेरा निवेदन है माननीय वन मंत्रीजी, आप इसको गम्भीरता से लेंगे। चाहे वह भैंरूपुरा के किसानों का मामला हो चाहे रणथम्भौर और सवाई मानसिंह अभयारण्य हो, चाहे भैंसरोडगढ़ अभयारण्य के ऊपर कब्जे का मामला हो चाहे आपके फोरेस्ट के अधिकारियों की मिलीभगत हो, आप जांच कराएं। वे फोरेस्ट के अधिकारी जिन्होंने किसानों को नोटिस तो दिया कि यह फोरेस्ट की जमीन है और फिर उन्होंने खरीद ली अपने बीवी और बच्चों के नाम से, उसके ऊपर भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं तो मैं आपको जो पहले ज्ञापन दिया था, उसकी एक कापी और दे दूंगा। आप ट्रांसफर कर देते हैं। आपने उस अधिकारी को दोषी माना, इसने 50 लाख की ब्राडर सड़क के लिए अभयारण्य के ऊपर भी कब्जा दिया, उसकी जांच कराई और दोषी पाये जाने पर उसका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आपका सरकारी आदेश

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निकलने के बाद आज सवाई माधोपुर का डी.एफ.ओ. उनको रिलीव नहीं कर रहा है। सरकारी आदेश कहीं नहीं माने जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सख्त बनिये, सख्ती से ही आप इस वन भूमि को रोक पाएंगे। नहीं तो वन बर्बाद हो जाएंगे और राजस्थान की वन सम्पदा खतम हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: आप आसन का आदेश नहीं मान रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने......

श्री अध्यक्ष: You should take note of it. मंत्रीजी, you should take a note of it, क्योंकि दो बातें जो कही हैं, कर्मचारियों की कमी और वन भूमि पर अतिक्रमण। (व्यवधान) अब बोलने की जरूरत नहीं है। आप वन भूमि पर अतिक्रमण रोकिये और....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं वही बात कह रहा हूं। मैं सूक्ष्म में अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाई माधोपुर के पास में टैंट लगाकर वहां पर फोरेनर्स के ठहरने की बात की है। जब यह प्रकरण आप मेरी नालेज में लाये, मैंने जांच के आदेश दिये हैं। प्रकरण विचाराधीन है। इसमें निश्चित रूप से हाउस को भी आश्वस्त करता हूं कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी हो, मैंने आदेश स्पष्ट दिये हैं कि उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। अगर अधिकारी और कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता है तो निश्चित रूप से दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। मामला जांच विचाराधीन है।

इसके साथ में आपने भैंसरोडगढ़ अभयारण्य के बारे में बात की है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भैंसरोडगढ़ में जलोत्थान सिंचाई परियोजना, 1999 से आपकी सरकार के द्वारा एक पम्प हाउस को और पाइप लाइन को जो दी गयी है...

श्री अध्यक्ष: सरकार किसी की भी हो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उसके अलावा अभयारण्य क्षेत्र के अन्दर......

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरी तो कभी सरकार रही ही नहीं। मैं तो हमेशा विपक्ष में रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह बदनसीबी आपकी है। माहिर साहब, यह आपकी बदनसीबी है कि आप हमेशा विपक्ष में रहते हो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित अभयारण्य के अन्दर जो यह भूमि है, वह वन खण्ड के अन्दर नहीं है, यह अभयारण्य में है। वहां पर किसान अपना कार्य करते हैं। इस मामले में वन खण्ड के बारे में और जहां पर पम्पहाउस व पाइप लाइन डी.आर.डी.ए. के पैसों से लगाई गई थी, उनके द्वारा राज्य सरकार की इस जलोत्थान योजना पर 80 प्रतिशत राशि डी.आर.डी.ए. विभाग ने खर्च की और 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित काश्तकारों ने खर्च की है। निश्चित रूप से इसका भी मैं आकलन कर, जांच कर जो भी होगा, इसके बारे में जांच करवा दूंगा। आपको पुन: आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान में वन भूमि पर तीन साल के कार्यकाल में जहां कहीं पर भी माइनिंग का मामला हो, जहां कहीं पर भी एन्क्रोचमेंट का मामला हो, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत और वन अधिनियम 1953 के तहत कार्यवाही की जा रही है, एफ.आई.आर. लाज की जा रही है, तीव्र गति से कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिये हैं। आपने सवाई माधोपुर का किया है, इसकी जांच होते ही, जांच में अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये गये तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब तो दिया नहीं। आपने भैंरूपुरा के किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा कि उनके ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, खेती नहीं करने देते हैं। (व्यवधान) दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल का मामला है और यह मार्च भी खतम होने जा रहा है, साल भर में आपकी जांच पूरी नहीं हुई तो साल भर में तो आपकी सरकार का कार्यकाल ही खतम हो जाएगा, कब करोगे जांच, कब दोगे सज़ा?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नेशनल पार्क के पास की सड़क का मामला है, रेवेन्यू विभाग, सैटलमेंट विभाग और फोरेस्ट के अधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर कि हमारे नेशनल पार्क के क्षेत्र में कोर एरिया में हो या उस क्षेत्र के बाहर हो, इसकी जांच होने के बाद में ही कार्यवाही की जाएगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्री महोदय, आपके नेशनल पार्क की आपको सीमाओं का ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या एनक्रोचमेंट हटाओगे? सीमा

ज्ञान ही नहीं आपको तो नेशनल पार्क का आप क्या एनक्रोचमेंट हटाने की बात करेंगे? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: फोरेस्ट लैण्ड में है, माननीय अध्यक्ष महोदय। भैंरूपुरा के किसानों का क्या कर रहे हो आप? जो किसानों की जमीन है उसको खरीद रहे हैं फोरेस्ट के अधिकारी डरा-डरा कर किसानों को, उसका क्या कह रहे हो? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, भैरूंपुरा का तो जवाब देओ, किसानों की जमीन को डरा-धमका कर, ट्रैक्टर पकड़-पकड़ कर फोरेस्ट के अधिकारी खरीद रहे हैं, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो पूरे प्रमाण आपको मैंने दे दिये, आपके जिले का प्रभारी मंत्री कह रहा है फोरेस्ट लैण्ड है, अधिकारी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फोरेस्ट गार्ड आप फ्रैश भर्ती करो, पूर्व सैनिकों को छोड़ो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में जिस रेंजर के आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, वह रिलीव नहीं होने की बात कर रहे हैं, उसको आज ही रिलीव करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आपकी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं और वह उत्तर दे रहे हैं। पर्ची पर यह सिस्टम नहीं होता है।

एन.सी.आर. क्षेत्र में आने के बाद अलवर जिले के विकास की स्थिति

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान अलवर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारा जिला एनसीआर में शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन। जब हमारा जिला एनसीआर में शामिल हुआ था तब हमें बहुत आशाएं थीं कि हम राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में शामिल हो गये, हमारे जिले में बहुत बड़ा विकास होगा। लेकिन जहां विकास की बात है वहां तो कुछ नहीं हुआ। हमारे जिले में परेशानियां इस नेशनल कैपिटल रीजन की वजह से हो रही हैं। आज वहां पर अगर कोई छोटा-सा भी किसी को भूमि परिवर्तन कराना पड़े तो तीन-तीन आफिस हो गये उसके। एक उप नगर नियोजक आफिस अलवर में है, उस आफिस कार्य जिसके अंदर करता है वह सीटीपी, राजस्थान के अंदर आता है और हमारा जिला जो नेशनल केपिटल रीजन में है उसका सीटीपी

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(एनसीआर) अलग से बना हुआ है। वह ग्रामीण क्षेत्र का काम देखता है और सीटीपी (राजस्थान) शहरी क्षेत्र का काम देखता है। उप नगर नियोजक का आफिस जो अलवर में बना हुआ है, वहां पर कोई भी कागज, अगर आज शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में सरकार भी कोई स्कूल बनाती है, अगर गांव के लिए श्मशान घाट के लिए भूमि की आवश्यकता पड़े या किसी भी सरकारी काम के लिए, हास्पीटल के लिए जमीन का काम करना पड़े, तो कागज महीनों तक नहीं निकलता और प्राइवेट कागज तो फिर भी निकल जाता है क्योंकि वह आदमी उस कागज के पीछे लगा रहता है, लेकिन सरकारी भूमि का अगर कोई कागज आ गया तो तीन-तीन, चार-चार साल से कागज यहां पर पड़े हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि तीन जगह हमारा काम बिखरा हुआ है, अलवर अकेला जिला एनसीआर में है, आज एनसीआर में सिर्फ अकेला अलवर जिला है इसलिए अलवर जिले में ही इसका आफिस हो और वहीं पर एक अधिकारी हो। छोटे-मोटे जो काम हैं, अगर हजार गज की, पांच सौ गज की, दो सौ गज की भूमि भी परिवर्तन कराना पड़ती है, बाकी पूरे राजस्थान में तो वहां का एसडीएम और तहसीलदार कर देता है, कलक्टर कर देता है लेकिन हमारे यहां हर कागज एनसीआर की वजह से सीटीपी के आफिस में जाता है, तो एक तो इसका निवारण करेंगे।

दूसरा, एनसीआर होने के कारण से बहुत-सी सुविधाएं केन्द्र सरकार से मिल सकती हैं उस जिले को, लेकिन उसके लिए कोई बाडी ही नहीं बना रखी। अब तक एनसीआर में शामिल होने के बाद कि क्या-क्या हमको केन्द्र सरकार से सुविधाएं मिल सकती हैं उसके लिए कोई बाडी का निर्माण नहीं हुआ।अगर वह आज बाडी बन जाए, कितने ही हजारों करोड़ के रूप में वहां से पैसा राजस्थान सरकार को मिल सकता है, अलवर जिले को मिल सकता है और अलवर जिले का चहुंमुखी विकास हो सकता है। हमने सोचा था कि एनसीआर में शामिल होने के बाद में यहां पर अच्छे-अच्छे हास्पीटल्स बनेंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, सब साधन होंगे, इसलिए इसकी बाडी बनना बहुत जरूरी है। तो मंत्रीजी इस बाडी का भी निर्माण करेंगे और हमारे जिले की जो उम्मीद है उनको पूरा करेंगे।

इसके बाद में जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि ग्लोबल सिटी बनाने की भी हमारे यहां के अधिकारियों की कई बार दिल्ली में मीटिंग हो चुकी, ग्लोबल सिटी के लिए बहुत-से हमारे गांव भी उन्होंने अंकित कर रखे हैं।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

ग्लोबल सिटी के लिए अगर वहां पर कोई हमारी बाडी होती जो उसका ध्यान रखती तो ग्लोबल सिटी के अंदर इस अलवर जिले का बहुत बड़ा विकास हो सकता था। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करता हूं कि हमारा आफिस एक जगह कर दें, हमारे वहां पर एक बाडी बना दें एनसीआर की जो दिल्ली में जाकर इस पूरे जिले के जो-जो विकास के काम हो सकें उसके लिए कार्य कर सके। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री दाताराम । (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: दे दूं साहब, जवाब?

श्री अध्यक्ष: नहीं, क्या जवाब देंगे आप? एनसीआर में आपका क्या है, वह आप क्या देंगे जवाब? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी: माननीय अध्यक्षजी, नेशनल कैपिटल रीजन में हमारा जिला आया हुआ है...

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री धर्मपाल चौधरी: हमारे को आज अगर मान लो सौ गज की भी परमिशन लेनी पड़ती है, पूरे राजस्थान में नीचे तहसीलदार करता है, उसके बाद एसडीएम को पावर है, फिर कलक्टर को पावर है, फिर राजस्थान गवर्नमेंट आती है, पर अगर हमारे यहां पांच सौ गज की भी भूमि का परिवर्तन कराना पड़ता है तो उसको छह महीने से पहले परमिशन नहीं मिलती।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, वह दे रहे हैं जवाब। विराजिये अब आप, वह दे रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं, माननीय सदस्य की जो तकलीफ है या जो दिक्कतें हैं उनको एनओसी से सम्बन्धत मामलों में है कि तीन जगह से एनओसी लेनी पड़ती है इसलिए जो निवासी हैं अलवर जिले के, उनको परेशानी होती है। निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कोई भी आदमी तीन जगह से एनओसी लेगा तो उसमें परेशानी उसको आएगी। डिले भी हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं माननीय सदस्य के साथ अभी बैठ जाऊंगा कि किस प्रकार की इनको असुविधा है, जो भी असुविधाएें हैं उनको निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: वैरी गुड। बहुत अच्छा। (व्यवधान) नो-नो। नो क्वेश्चन। श्री दाताराम।

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एनसीआर में जो कर रखा है कि दिल्ली से जाकर ही कोई परिवर्तन आप कराओगे, क्या उसको आप कार्यवाही करोगे कि दिल्ली तक नहीं जाए फाइल? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो क्वेश्चन। श्री दाताराम।

श्री जुबेर खान: सारी फाइलें दिल्ली जाती हैं, यह मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम है।

श्री जयराम जाटव: वहां स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, किसी भी तरीके का बनाने के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं।

श्री जुबेर खान: ×××

श्री जयराम जाटव: ×××

श्री अध्यक्ष: श्री दाताराम। शुरू करिये। अंकित नहीं हो रहा है। श्री दाताराम का पुकार दिया। जो उनको बताना था, बता दिया उन्होंने। अब स्थान ग्रहण कर लें।

सुनारी नदी पर बांध का निर्माण

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुनारी बहुत बड़ी नदी है, वहां सुनारी घाट पर और खेतड़ी कापर में पानी सप्लाई होता है बहुत वर्षों से, तीस-पैंतीस साल से। जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि किसानों को खेती के लिए पानी तो बहुत बड़ी बात है, पीने के लिए भी अगर ट्यूबवैल लगाये जाते हैं तो उनमें पीने का पानी भी उतना अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। पिछली बार भी मैंने माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन किया था कि सुनारी घाट पर बांध बनाया जाये ताकि वहां का जल स्तर रूक सके। वहां आसपास में पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी से वर्षा के दौरान बहुत अधिक पानी आता है।पर अभी भी यह वर्षा हुई, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में पानी का बहाव आया। पर वह वहां रूकता नहीं है तो जल स्तर उसका निरंतर रूक नहीं पाता और निरंतर नीचे चला जाता है जिसके कारण से इतनी बड़ी समस्या हो गई है। खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र वैसे भी, अध्यक्ष महोदय, आप जानती हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और वहां बांधों की कमी है। अगर बांध अच्छी मात्रा में वहां बन जाये, जैसे खरकड़ा के पास में बन जाए

(श्री दाताराम गुर्जर)

एक बांध, तो वहां जल स्तर भी रूक सकता है और कापर की वजह से जो पानी वहां नीचे का, जो खारा पानी पड़ता है कैमिकल की वजह से, उसमें भी सुधार हो सकता है। खेतड़ी में फ्लोराइड पानी कापर की वजह से हो रहा है। तो उसमें दो बाँध, एक तो सुनारी घाट में और एक खरकड़ा नदी के ऊपर बना दिये जाएं तो पीने के पानी की प्रचुर मात्रा मिल सकती है और वहां का जो पानी फ्लोराइड का है उसमें भी सुधार हो सकता है। हमारी केन्द्र सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की बात रखी थी, वह सरकार केन्द्र में रही नहीं और दूसरी जो सरकार आई उसने उस बात को आगे बढ़ाया नहीं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने, अभी बजट में ऐसे करीब एक लाख एनीकट्स बनाने की बात कही है, पानी का संचय करने के लिए, जल चेतना भी उन्होंने जाग्रति पैदा करने के लिए चलाई, इसलिए इसमें इस बार ज्यादा से ज्यादा अच्छे बांध और एनीकट्स बनाये जाएं ताकि क्षेत्र का पानी क्षेत्र में रूक सके। हमारे क्षेत्र में विशेषकर खेतड़ी का पानी जो बहाव से जाता है वह नजदीक हरियाणा की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां चला जाता है, इसलिए हमारे खेतड़ी में पानी की बिलकुल कमी है। झुंझुनूं जिले में चम्बल के पानी की मांग की जा रही है उसकी भी जो प्रस्तावित योजना उसमें भी खेतड़ी को वंचित रखा गया है। खेतड़ी तो पहाडी क्षेत्र है, इसमें इस बार के बजट में अधिक संख्या में बाँध बनवा कर पानी के जल स्तर को बनाये रखने के लिए सरकार पहल करे। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। (व्यवधान) क्या जरूरी थोड़े ही है? You should take note of it, बस, that’s all.

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बांध के बारे में यहां चर्चा की है कि सुनारी घाट पर यह बांध बनवाना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक मालियों की ढाणी बनी हुई है वह डूब क्षेत्र में आती है। काफी किसानों ने वहां कुएं बना रखे हैं, बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं इसलिए बड़ा बांध बनाना संभव नहीं है। फिर भी सरकार ने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: झुन्झुनू में एक ही बांध है अजीत सागर और वह खेतड़ी में ही है, यह और बता दूं आपको।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): जो स्थान ये बता रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस स्थान पर फिर भी एक एनीकट बनाने का प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन है। हमने सर्वे रिपोर्ट मंगाई है, सर्वे रिपोर्ट में यदि उपयुक्त समझा गया तो निश्चित तौर से वहां एक एनीकट का निर्माण किया जाएग। जिससे माननीय सदस्य की जो मंशा है कि वहां पानी को रोककर किसानों के कुओं को चार्ज किया जाए, इनकी मंशा भी पूरी होगी। सरकार भी यह चाहती है, इस तरह से एनीकट बनाकर हम जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वह मदद करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.डी. देवल याचिका का उपस्थापन करे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार का आज वक्तव्य आने की बात थी जो ओलावृष्टि से जो फसल को नुकसान हुआ है, तो आज क्या सरकार उस पैकेज की घोषणा की बात करने वाली है?

श्री अध्यक्ष: करेगी सरकार लेकिन आज का हो जाने दीजिए, उसके बाद करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार पूरी चीज, ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है, आप 23 तारीख फिक्स कर दें, 23 को वक्तव्य दे देंगे, आप कहो तो।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, उपस्थापन कीजिए आप तो।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं जिला पाली कर्मावास पट्टा ग्राम से पीपलीया मार्ग पर पुलिया नदी पर रपट निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

जिला पाली के ग्राम बिजागुढा व रायरा कल्ला के बीच पुलिया के निर्माण बाबत छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

तहसील सोजत के चंदावल स्टेशन से बगडीनगर तक सड़क का डामरीकरण करने बाबत छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

तहसील सोजत के चंदावल से गुढाबसा तक डामर सड़क का निर्माण करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

तहसील सोजत पाली के ग्राम चंदावल नगर से क्षेत्रिया तक डामर सड़क करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खारची में धार्मिक महत्व के स्थलों को पक्की सड़क से जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

विधान सभा क्षेत्र खारची के वियालयों को क्रमोन्नत करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

ग्राम राणावास पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में समाज कल्याण छात्रावास खोलने बाबत छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

विधानसभा क्षेत्र खारजी...

श्री अध्यक्ष: एवं को बोलने की जरूरत नहीं है आप तो वैसे ही बोलते जाओ, लास्ट में बोलना।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ग्राम पंचायत को मगरा क्षेत्र से जोड़ने बाबत हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती (अनुपस्थित) श्री अशोक खण्डार (अनुपस्थित) श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर परिवहन निगम का नवीन आगार बणीठगी में खोलने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्बतसर जिला नागौर में परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हॉल का निर्माण कराए जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): मैं तहसील चाकसू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आई टी आई खोलने बाबत पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2006-07) का पारण

श्री अध्यक्ष: मुखबंद का प्रयोग किया जा रहा है।

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1- राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च,2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,81,000/- (तैंतीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2- मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,00,000/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 99,03,97,000/- (निन्यानवे करोड़ तीन लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4- जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,21,82,000/- (एक करोड़ इक्कीस लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,10,20,000/- (इक्तीस करोड़ दस लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,86,62,000/- (तेरह करोड़ छियासी लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7- निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,68,26,000/- (एक करोड़ अडसठ लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10- विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,80,000/- (अठासी लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11- विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,10,94,000/- (छह करोड़ दस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12- अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,28,52,000/- (चौदह करोड़ अठाईस लाख बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,05,85,000/- (अठहत्तर करोड़ पांच लाख पचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16- पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,11,68,000/- (चालीस करोड़ ग्यारह लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18- जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,95,31,000/- (पांच करोड़ पचानवे लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19- लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,28,03,000/- (सतावन करोड़ अठाईस लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(समय : 15.00 बजे)

मांग संख्या–20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,78,30,000/- (तीन करोड़ अठहत्तर लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,41,25,91,000/- (दो अरब इकतालीस करोड़ पच्चीस लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22- क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,75,54,000/- (तीस करोड़ पचहत्तर लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,03,000/- (तेईस लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25- कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,12,33,000/- (तीन करोड़ बारह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,48,37,000/- (सात करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,11,70,78,000/- (दो अरब ग्यारह करोड़ सत्तर लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,50,30,000/- (पन्द्रह करोड़ पचास लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,06,85,000/- (सड़सठ करोड़ छह लाख पचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31- पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 94,000/- (चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32- नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,14,00,000/- (एक करोड़ चौदह लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,06,88,56,000/- (एक अरब छह करोड़ अठासी लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,95,39,30,000/- (पांच अरब पचानवे करोड़ उनतालीस लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,55,56,89,000/- (तीन अरब पचपन करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36- सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,53,27,000/- (उनतालीस करोड़ तिरेपन लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,44,90,000/- (एक अरब सात करोड़ चवालीस लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,45,34,000/- (ग्यारह करोड़ पैंतालीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,54,000/- (छब्बीस लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40- राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,05,000/- (एक करोड़ बहत्तर लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42- उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,42,07,000/- (पांच करोड़ बयालीस लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,46,95,000/- (पांच करोड़ छियालीस लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44- लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,47,000/- (सैंतालीस लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45- राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,000/- (सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46- सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,000/- (चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47- पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,06,33,000/- (चार करोड़ छह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,01,18,66,000/- (दस अरब एक करोड़ अठारह लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,44,82,000/- (सात करोड़ चवालीस लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50- ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,38,51,000/- (बाइस करोड़ अड़तीस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघठक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,10,11,000/- (ग्यारह करोड़ दस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2007

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी

प्रार्थना है, कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला हुआ था कि यह सप्लीमेंट्री डिमांड और उसके साथ उसका फाइनेंस बिल इन दोनों का मुखबंद करके पारण होगा । कार्य सलाहकार समिति के फैसले के अनुसरण में ही हम लोग आये हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि उसी सप्लीमेंट्री डिमांड का यह फाइनेंस बिल है इस फाइनेंस बिल पर क्या डिस्कशन होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार 2004-05 में और 2005-06 में इस पर कभी डिसकशन हुआ ही नहीं । इसलिए मेरी प्रार्थना यह थी ...

श्री अध्यक्ष: यह आसन बंधा हुआ है जो कुछ कार्य सूची में है उससे, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे । आसन इस कार्य सूची से बंधा हुआ है । इसमें लिखा हुआ है कि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जाएगी । इसलिए आसन मजबूर है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बाकी तो आसन सर्वोपरि है, आपकी आज्ञा की पालना करना ....

श्री अध्यक्ष: यद्यपि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यह फैसला बीएसी की मीटिंग में हुआ था कि अनुपूरक अनुदान की मांगों के साथ-साथ मुखबंद करके इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन यह चूंकि लिख दिया गया इसलिए आसन मजबूर है, मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी । आप बोल रहे हैं ? विचारार्थ तो उन्होंने रखा नहीं अभी । आप थर्ड रीडिंग पर बोल लेना, पारित पर बोल लेना । विचारार्थ रखें आप ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ठीक है ।

विधेयक पर विचार

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

अब आप पारित का प्रस्ताव करो ।

विधेयक का पारण

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप न बोलें तो क्या फर्क पड़ेगा? नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, बोलना जरूरी है क्या ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान पिछली बार भी आकर्षित किया, अभी भी आकर्षित किया । यह सीएजी की रिपोर्ट हमको बजट पेश होता है उस समय मिलती नहीं है, सप्लीमेंट्री की डिमांड को डिस्कस कहां करें? इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य, यह कोई मेरा शौक नहीं है लेकिन मेरा यह शौक जरूर है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनस है बजट का उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं । इसमें न इस सरकार का दोष है। पर परम्परा ऐसी रही है कि उन परम्पराओं की शैल्टर लेकर हम राजस्थान में हमारा जो मुख्य काम है बजट का, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने अभी जो अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव रखा उसमें वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये विधान सभा में 24947 करोड़ 25 लाख 79 हजार रुपये की दत्तमत (वोटेड) मांगें तथा 10211 करोड़ 93 लाख 03 हजार रुपये प्रभृत विनियोग चार्ज अध्यक्ष महोदय, एप्रोपिएशन पुर:स्थापित किये गये हैं । अनुपूरक मांग की कुल राशि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो सप्लीमेंट्री रखा है उसमें अभी जो राशि है वह 3215 करोड़ 86 लाख 63 हजार रुपये होती है । इसमें 6 करोड़ 88 लाख 54 हजार रुपये प्रभृत विनियोग चार्ज (एप्रोपिएशन) तथा 3208 करोड़ 98 लाख 09 हजार दत्तमत (वोटेड) श्रेणी में है । अध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार की वर्ष 2006-07 की अनुपूरक मांगें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सरकार का, 2003-04 के एक्चुअल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं । 2003-04 के एक्चुअल्स में जो सप्लीमेंट्री ग्रांट थी वह थी 8021.91 करोड़ । उसमें वोटेड मांग थी वह है 3109.39 करोड़ । अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा जो प्रश्न है, 31 मार्च, 04 को इस सरकार ने 2293.55 करोड़ रुपये सरेंडर किये ।

श्री अध्यक्ष: आप तो इस पर बोल रहे हैं 2006-07 पर ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं उसी पर बोल रहा हूं, गाड़ी को

(डा. सी. पी. जोशी)

खींचते-खींचते वही ला रहा हूं । आपको पता पड़े कि सरकार का जो कुशल प्रबन्धन है वह कुशल प्रबन्धन केवल वाक्य से, भाषण से या यह जो आंकड़े बता रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, 2003-04 में क्योंकि 2003-04 में सरकार आधी कांग्रेस की थी, आधी सरकार नई आ गई थी उस समय 2293.55 करोड़ रुपये सरेंडर किये 31 मार्च को उसमें सबसे इंटरेस्टेड बात है, रेवेन्यू वोटेड सरेंडर किया 1609.20 करोड़ रुपये। अध्यक्ष महोदय, कैपिटल में सरेंडर किया 1072.20 करोड़ रुपये और लोन एंड एडवांस में इन्होंने सरप्लस रखा 116.57 करोड़ रुपये । 2564 करोड़ रुपये सरेंडर किये उसमें वह कौनसा हैड है, रेवेन्यू वोटेड में? सोशल सैक्टर में यदि हम 31 मार्च को सरेंडर करते हैं तो यह हम सब के लिये कन्सर्न का सवाल है। आप एक तरफ कैपिटल आडटले की बात करते हैं, कैपिटल आउट ले में आप कहते हैं कि हम फिजिकल एसेट्स बढायेंगे । अध्यक्ष महोदय, पर मैं फिगर देना चाहता हूं 2713.45 करोड़ रुपये जो 31 मार्च को सरेंडर किये, उसमें रेवेन्यू वोटेड, पेंशन और रिटायरमेंट में 42.40 करोड रुपये, पुलिस में 39.53 करोड़ रुपये। रोड एंड ब्रिज में, 31.65 करोड़ रुपये, एजुकेशन-आर्ट एंड कल्चर, रेवेन्यू वोटेड में 402.73 करोड़ रुपये, मेडिकल पब्लिक हैल्थ सैनिटेशन में रेवेन्यू वोटेड में 97.72 करोड़ रुपये, स्पेशल प्रोग्राम आफ रूरल डवलपमेंट में 48.45 करोड़ रुपये, अरबन प्लान एंड रीजनल डवलपमेंट में रेवेन्यू वोटेड में 462.55 करोड़ रुपये, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में, रेवेन्यू वोटेड में 29.75 करोड़ रुपये, सोशल सिक्योरिटी एंड वैलफेयर में रेवेन्यू वोटेड में 73.71 करोड़ रुपये, कम्युनिटी डवलपमेंट रेवेन्यू वोटेड में 131.43 करोड़ रुपये, इर्रिगेशन रेवेन्यू वोटेड में 31.52 करोड़ रुपये। अध्यक्ष महोदय, 2003-04 का सिनेरियो है जब 2003-04 में राजस्थान सरकार ने रेवेन्यू वोटेड में सरेण्डर किया। 2004-05 में सरकार आ गई थी, 2004-05 में सरकार आने के बाद 2004-05 के जो फीगर है उसमें इन्होंने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव यह किया कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड है वह सप्लीमेंट्री डिमांड इनकी केवल 1234.55 करोड़ की थी। 1234.55 करोड़ की थी जो पिछले समय से इम्प्रूवमेंट था। पर अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च को जो सरेण्डर अमाउण्ट है उस अमाउण्ट का वोल्यूम है 7292.34 करोड रुपये। अध्यक्ष महोदय, उसमें I am aware about this, चार्ज अमाउण्ट में ज्यादा था क्योंकि लोन पेमेंट में इनका था 5708 करोड़ रुपये। उसको बाहर भी निकाल दें तब भी, अध्यक्ष महोदय, वोटेड रेवेन्यू और कैपिटल में एंड लोन एडवान्सेज

(डा. सी. पी. जोशी)

में 31 मार्च को जो सरेण्डर अमाउण्ट हुआ वह 1560.56 करोड़ रुपये। अध्यक्ष महोदय, उस समय जो सरेण्डर हुआ उसकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सैक्रेटेरियट सर्विसेज में रेवेन्यू वोटेड में 69.37 करोड़ रुपये हुए। रोड्स एंड ब्रिज में सरेण्डर हुए रेवेन्यू वोटेड में 32.84 करोड़ रुपये। एजुकेशन-आर्ट एंड कल्चर में सरेण्डर हुए 165.07 करोड़ रुपये, मेडिकल हैल्थ सैनिटेशन में सरेण्डर किए 84.39 करोड़ रुपये। अरबन प्लान एंड रिजनेबल डवलपमेंट में सरेण्डर किये 25.76....

श्री अध्यक्ष: और मांग रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां जी ?

श्री अध्यक्ष: सरेण्डर वाली बात थोड़े ही है, और मांग रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यही तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप हमें कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। यह जो आपने दिया है इसका तो एक्चुअल आएगा तब पता पड़ेगा। यही चीज मैं आपका लाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सोशल सिक्योरिटी एंड वैलफेयर में रेवेन्यू वोटेड में सरेण्डर किया 52.83 करोड़ रुपये और पावर सैक्टर में 2004-05 में सरेण्डर किया रेवेन्यू वोटेड में 90.45 करोड़ रुपये।

अध्यक्ष महोदय, 2004-05 में इनकी ही सरकार थी। अब 2004-05 में सीएजी का है उसमें, अध्यक्ष महोदय, आप जानकार आश्चर्य करेंगे, सरकार की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पहले हम मेन डिमांड, ग्रांट लाते हैं, ग्रांट के बाद सप्लीमेंट्री लाते हैं और सप्लीमेंट्री के बाद बी.ई. और फिर आर.ई. होती है। बी.ई. और आर.ई. आने के बाद में कोई कारण नहीं है, अध्यक्ष महोदय, विभाग की सजगता हो, एक्सपेंडीचर पर कंट्रोल हो, पूरी चीज की जानकारी रखें, अध्यक्ष महोदय, तो एक्सेस कर देना चाहिये। जितनी हमने व्यवस्था की उस पैसे में हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पडा है या जो हमने व्यवस्था की उतना हम खर्चा नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, आप खुद जानकर आश्चर्य करेंगे, पिछले 2004-05 के मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं–"Supplementary provisions of Rs. 98.11 crore made in 10 cases during the year proved unnecessary in view of aggregate saving of Rs. 211 crore .." 211 करोड़ रुपये की आपने सेविंग की और सप्लीमेंट्री में भी आप आये।

(समय: 15.24 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(डा. सी. पी. जोशी)

"In 19 cases, against additional requirement of only Rs. 433.43 crore, supplementary grants of Rs. 637.99 crore were obtained, resulting in savings in each case exceeding Rs. One crore, aggregating Rs. 204.56 crore. … In four cases, supplementary provision of Rs. 441.10 crore proved short of requirement by more than rupees one crore in each case leaving an uncovered excess expenditure of Rs. 50.51 crore. …Significant excesses were persistent in four cases involving three grants … Persistent excess requires investigation by Government." उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पर्सिस्टेंट इनका जो एक्सपेंडीचर हुआ है उसको देखने की आवश्यकता है कि पर्सिस्टेंट एक्सपेंडीचर इनके किस हैड में हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे. Persistent savings more than Rs. One crore in each case and in excess of 10 per cent of the total grant/appropriation. उपाध्यक्ष महोदय, अरबन प्लान एंड रीजनल डवलपमेंट रेवेन्यू वोटेड में 2002-03 में 100.86 करोड़ रुपये, in 2003-04 462.62 करोड़, in the year 2004-05, it is 25.18 करोड़, यह रेवेन्यू वोटेड है। उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 सोशल सिक्योरिटी एंड वैलफेयर में 2002-03 में 127.23 करोड, 2003-04 में 74.65 करोड, the year 2004-05 में 51.9 करोड। उपाध्यक्ष महोदय, टयूरिज्म में 5.03 करोड, in the year 2002-03, in the year 2003-05 it was 2.57 करोड, in the year 2004-05 it was 2.67 करोड, अध्यक्ष महोदय, यह रेवेन्यू वोटेड में था। अध्यक्ष महोदय, कैपिटल वोटेड में, इन द ईयर 2002-03 हमारी सरकार ने 118.80 करोड रुपये, 2003-04 214.15 करोड, नैक्स्ट ईयर 50.62 करोड । उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट, महाराष्ट्र पैटर्न में बहुत आगे बढ़ा है। इन द ईयर 2002-03 कैपिटल इन्वैस्टमेंट में 49.47 करोड़, इन द ईयर 2003-04 it was 38.50 करोड, इन द ईयर 2004-05 it was 15.45 करोड। माननीय अध्यक्ष महोदय, टयूरिज्म कैपिटल में इन द ईयर 2002-03 4.60 करोड, इन द ईयर 2003-04 में 2.28 करोड़, इन द ईयर 2004-05 it was 2.46 करोड़। अध्यक्ष महोदय....

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा, मेरी इच्छा उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बन जाओ तकलीफ है ? आपकी भावना समझ में आ गई। आप बहुत विजिलेंट हैं, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, "Injudicious re-appropriation of funds. Re-

(डा. सी. पी. जोशी)

appropriation is transfer of funds within a grant from one unit of appropriation, where savings are anticipated to another unit where additional funds are needed. Cases where re-appropriations proved injudicious in view of final savings/excess in each case being more than rupees one crore are detailed as under: In nine cases, addition a funds of Rs. 706.65 crore provided through re-appropriation proved unnecessary in view of final savings of Rs. 36.63 crore .. In six cases, the withdrawal of Rs. 1,990.19 crore through re-appropriation was excess against necessity as the final expenditure still exceeded the modified grant by Rs. 102.49 crore…" उपाध्यक्ष महोदय, ग्रांट में भी आ गये, सप्लीमेंट्री में भी आ गये, एक्सेस में भी आ गये, उसके बाद भी 102 करोड़ रुपये एक्सेस में. "In six cases, additional funds of Rs. 149.60 crore provided through re-appropriation proved insufficient as the final expenditure exceeded the grant by Rs. 55.95 crore … In 15 cases, the savings were not properly assessed as even after the withdrawal of Rs. 347.44 crore through re-appropriation there was a final savings of Rs. 47.28 crore .." Anticipated savings, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, "According to rules, the spending Departments are required to surrender the grants/appropriations or portion thereof to the Finance Department as and when the savings are anticipated. However, at the close of the year 2004-05, there were 11 cases in which after partial surrender, savings of Rs. One crore and above in each case aggregating Rs. 122.26 remained unsurrendered." उपाध्यक्ष महोदय, 120.26 करोड़ रुपये एक्सेस में हैं लेकिन इसको सरेण्डर नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 04-05 इसलिए कोट कर रहा हूं, ये के ये आब्जेक्शन, एक और बात मैं आगे पढ़ देता हूं– "Besides, in nine cases. Rs. 36.70 crore (14 per cent of savings) were surrendered in excess (more than five per cent), which includes excess surrender of savings of Rs. 5.93 crore (eight per cent under Grant No. 26 – Medical, Public Health and Sanitation), Rs. 17.36 crore (34 per cent under Grant No. 21 – Roads and Bridges-Capital Voted) and Rs. 6.80 crore (seven per cent under Grant No. 46– Irrigation-Capital voted). It indicates inadequate financial control over expenditure. फाइनेंशियल कन्ट्रोल यदि, उपाध्यक्ष महोदय, होता तो यह जो सेविंग है, in nine cases of Rs. 36.70 crore, यह एक्सेस भी नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे 04-05 में इनकी सरकार थी पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सी.ए.जी. की रिपोर्ट जो 05-06 की है उसमें मैं जरुर चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि यहां पर ओरिजिनल ग्राण्ट थी 17539.70 रेवेन्यू वोटेड में और खर्च किया है 16947 करोड़। मतलब ओरिजिनल ग्राण्ट में कम खर्च हुआ है फिर भी सप्लीमेंट्री ग्राण्ट में 565.04 करोड़ रुपये की मांग की है। तो टोटल अमाउण्ट हो गया 18104.74 करोड़

(डा. सी. पी. जोशी)

रुपये। लेकिन एक्चुअल अमाउण्ट हुआ 16947.96 करोड़। उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च को जो सरेण्डर किया है रेवेन्यू वोटेड में, उसका अमाउण्ट है 1156.78 करोड़ रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, कैपिटल में ओरिजिनल में जो इनकी ग्राण्ट थी 5658.15 करोड़ रुपये कोई जरुरत नहीं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री मांगी 138.61 करोड़, टोटल अमाउण्ट हो गया 5796.76 करोड़। पर एक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ है वह केवल 4883.93, एण्ड नैट सेविंग, । सरेण्डर किया है 31 मार्च को वह अमाउण्ट है 912.83 करोड़ रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च को 05-06 में अमाउण्ट सरेण्डर किया है, वह अमाउण्ट है 5175.73 करोड़ रुपये, I am aware about this, उसमें जो वोटेड/चार्ज्ड अमाउण्ट है, वह 3009 का, उसको बाहर निकाल दें तो रेवेन्यू में जो वोटेड और कैपिटल में वोटेड है वह अमाउण्ट सरेण्डर किया है 2057 करोड़ रुपये। जो उपाध्यक्ष महोदय, सरेण्डर किये उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सरेण्डर किया है इन्होंने रेवेन्यू चार्ज इंटरेस्ट पेमेण्ट में 109.58 करोड़ रुपये, सैक्रेटेरिएट में 97.58 करोड़ रुपये, फोरेस्ट में 21.94 करोड़ रुपये, सेल्स-टैक्स में 37.19 करोड़, पेन्शन एण्ड अदर रिटायरमेंट व्यय में, 33.19 करोड़ रुपये, हाउसिंग में रेवेन्यू वोटेड में 24.29 करोड़ रुपये, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर में रेवेन्यू वोटेड में 319.95 करोड़ रुपये, मेडिकल पब्लिक हैल्थ सैनिटेशन में रेवेन्यू वोटेड में 101.6 करोड़ रुपये, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में रेवेन्यू वोटेड में 74.62 करोड़ रुपये, सोशल सिक्योरिटी एण्ड वैलफेयर में रेवेन्यू वोटेड में 109.11 करोड़ रुपये, रिलीफ फ्राम नैचुरल कैलेमिटी रेवेन्यू वोटेड में 46.29 करोड़ रुपये, मिस्लेनियस कम्युनिटी एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज में 57.96 करोड़ रुपये, माइनर इर्रिगेशन एण्ड सोइल कंजर्वेशन में रेवेन्यू वोटेड में 47.06 करोड़ रुपये, स्पेशल आर्गेनाइजेशन एण्ड स्कीम्स फार वैलफेयर आफ शिडयूल्ड कास्ट रेवेन्यू वोटेड में 36.71 करोड़ रुपये। इस तरह से 31 मार्च को 2057 करोड़ रुपये। रेवेन्यू वोटेड की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू वोटेड का मतलब आपका सोशल सैक्टर में जितना इन्वैस्टमेंट है, जो आप प्रोजैक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्शन में इस सरकार की एफिशियंसी होती, तो मुझे आज समझाएं, जब आपको मालूम है कि एक्चुअल एक्सपेंडीचर आपका 16 हजार है, जब ओरिजिनल ग्राण्ट में गये, उससे पहले आपने बी.ई. की, आपने आर.ई. की, क्या आवश्यकता थी कि आप सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में इसमें मांग करते? मैं समझता हूं रेवेन्यू वोटेड के जो मैंने हैड बताये, उनकी इफैक्टिव मानिटरिंग नहीं होती। यदि इफैक्टिव

(डा. सी. पी. जोशी)

मानिटरिंग होती तो यह अमाउण्ट यह नहीं होता। सबसे तकलीफ की बात है कि यह जो 05-06 का एक्चुअल है उसमें जो अमाउण्ट है, वह सप्लीमेंट्री का केवल मात्र 743.36 है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, 06-07 की जो आपने पास कराई है, यह बताए सरकार कि 700 करोड़ की जगह अब आप 3215 करोड़ ग्राण्ट कैसे मान रहे हैं जब आप रेवेन्यू वोटेड और यह सब सरेण्डर कर रहे हैं? 3 साल का पूरा है। आपकी पिछली जो सप्लीमेंट्री ग्राण्ट है, वह केवल मात्र 743.46 करोड़ की है। 04-05 की जो आपकी सप्लीमेंट्री ग्राण्ट है वह केवल 1234 करोड़ रुपये की है। अब मुझे बताएं कि इस सरकार का इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो यह सप्लीमेंट्री ग्राण्ट 2006-07 में 3215 करोड़ रुपये क्यों हो रही है जबकि चार्ज में केवल मात्र 6 करोड़ रुपये है? चार्ज का तो है नहीं इसमें। यह आपका मेजर अमाउण्ट है 3208 करोड़ 98 लाख 9 हजार, यह टोटल अमाउण्ट है रेवेन्यू वोटेड और कैपिटल वोटेड का। रेवेन्यू वोटेड और कैपिटल वोटेड के मैंने आपको फिगर दिये हैं, 02-03, 04-05, 05-06 के कि यह सरकार 31 मार्च को इतना बड़ा अमाउण्ट सरेण्डर करती है। इसका मतलब, केवल मात्र पब्लिक को यह बताने के लिये कि हमारी प्लान साइज बढ़ गयी है, प्लान साइज बढ़ाने के नाम पर हम एक तरफ तो असेम्बली में वोटेड ले लेते हैं, पर लेने के बाद में 31 मार्च को हम सरेण्डर कर देते हैं। अच्छा होता, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने जैसे चार्ज्ड अमाउण्ट को कम किया, वैसे सरकार यह रेवेन्यू वोटेड जो अमाउण्ट है उस अमाउण्ट को कम करती। तब जो पब्लिक के प्रति, जो गरीब आदमी के प्रति, जो सबको खुश करके लोगों के प्रति हमारी स्कीम बनाई है वह सार्थक होती। जो पापुलर बजट की बात कही है, जिसमें कहा कि गरीब आदमी को हम मदद करेंगे, जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की आकांक्षाओं को बढ़ाया है, जिसमें यह कहा गया है कि हम गरीब आदमी के प्रति अपने आप में समर्पित हैं, महिलाओं के प्रति समर्पित हैं। इस बजट में, उपाध्यक्ष महोदय, 1251 करोड़ रुपये का प्रोविजन करके वाह-वाही ले रहे हैं और इधर एवरी-ईयर 31 मार्च को 2000 करोड़ रुपये आप सरेण्डर कर रहे हो रेवेन्यू वोटेड के अन्दर। और वह भी आप कर रहे हो केवल मात्र सोशल सैक्टर के अन्दर। इसका मतलब यह है कि जिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे जो मैंने 04-05 के बताये, आज 05-06 के अन्दर भी वही की वही स्थिति है। वही के वही

(डा. सी. पी. जोशी)

एक्सेज हो रहे हैं। वही ग्राण्ट में आप अमाउण्ट सैंक्शन कर रहे हैं और उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, वह का वही हो रहा है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे यह आपको ध्यान में रहे कि यह सरकार जो अभी कर रही है वह यह का यह 06-07 में होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं unnecessary/excessive/inadequate supplementary provisions, यह 04-05 में भी था, 05-06 में भी है। ‘‘Supplementary provisions of Rs. 142.86 crore made in 12 cases during the year proved unnecessary as the expenditure did not come up to the level of original provisions in view of saving of Rs. 238.36 crore as detailed in Appendix – VIII. In 12 cases, supplementary grants of Rs. 321.42 crore were obtained against additional requirement of only Rs. 219.90 crore, resulting in savings in each case exceeding Rs. One crore, aggregating Rs. 101.52 crore. Details of these cases are given in Appendix – IX. In four cases, supplementary provision of Rs. 113.68 crore proved short of requirement by more than Rupees one crore in each case leaving an uncovered excess expenditure of Rs. 48.41 crore as per details given below: ..” उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू वोटेडर में मांग संख्या 21- रोड एण्ड ब्रिज में है, मांग संख्या 27- ड्रिंकिंग और वाटर स्कीम में है। कैपिटल वोटेड में रोड एण्ड ब्रिज में है और 42- इण्डस्ट्रीज में है। इसके अलावा ‘‘Significant excesses were persistent in three cases involving two grants as detailed below: 21-Roads and Bridges (Revenue-Voted) –in the year 2003-04, it was Rs. 2.67 crore, in the year 2004-05, it was 18.66 crore and in the year 2005-06 it was 17.73 crore. In the capital-voted, in the year 2003-04, it was Rs. 1.85 crore, in the year 2004-05, it was 17.37 crore and in the year 2005-06 it was 7.08 crore. 27-Drinking Water Scheme (Revenue-voted) – in the year 2003-04 it was 0.41 crore, in the year 2004-05 it was Rs. 15.46 crore and in the year 2005-06 it was 18.42 crore.” कंजीक्यूटिव 3 साल में, उपाध्यक्ष महोदय, एक्सेस है और हम कहते हैं, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। हम बहुत इसको ध्यान से देख लें। Injudicious re-appropriation of funds. “In six cases, additional funds of Rs. 137.44 crore provided through re-appropriation proved unnecessary in view of final savings of Rs. 47.18 crore as indicated in Appendix-XI. In 14 cases, the withdrawal of Rs. 214.80 crore through re-appropriation proved excessive as the final expenditure exceeded the reduced Major Head by Rs. 38.40 crore as indicated in Appendix-XII. In seven cases, additional funds of Rs. 51.48 crore provided through re-appropriation proved insufficient as the final expenditure exceeded the augmented Head by Rs. 46.67 crore as indicated in Appendix-XIII. In 14 cases, the savings were not properly assessed as even after the withdrawal of Rs. 175.25 crore through re-appropriation there was a final saving of Rs. 40.26 crore as indicated in Appendix-XIV.”

(डा. सी. पी. जोशी)

Anticipated savings not surrendered. उपाध्यक्ष महोदय, 04-05 में भी सरेण्डर नहीं किया और 05-06 में एंटीसिपेटेड सेविंग्स कितनी हैं। ''According to Rajasthan Budget Manual, Departments are required to surrender the grants/appropriations or portion thereof to the Finance Department as and when the savings are anticipated. However, at the close of the year 2005-06, there were 18 cases in which after partial surrenders, savings of Rs. one crore and above in each case aggregating Rs. 120.96 crore remained unsurrendered. Details are given in Appendix – XV."

इन द ईयर 2004, आपका विभाग मानिटरिंग कर रहा है उसके बाद भी उस पर सरेण्डर नहीं हो रहा है। इन द ईयर 05-06 में भी सरेण्डर हो रहा है। And what is the guarantee that in the year 2006-07 or 07-08 आप सरेण्डर को कण्ट्रोल कर पाएंगे? मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, it indicates, how the department is functioning and what is the control of the department. "Besides, in 22 cases of 19 grants and two appropriations, Rs. 4,895.20 crore (95.5 per cent) were surrendered (exceeding Rs. 20 crore in each case) on the last working day of March 2006, out of total surrender of Rs. 5,125.80 crore, indicating inadequate financial control over expenditure." The words are, "… indicating inadequate financial control over expenditure." "Details are given in Apendix – XVI."

"Injudicious surrender of funds. In three cases, the amount surrendered (at least Rs. One crore) was in excess (more than five per cent of savings), which indicated inefficient budgetary control. It was noticed that as against the total available savings of Rs. 68.92 crore, the amount surrendered was Rs. 74.66 crore, resulting in excess surrender of Rs. 5.74 crore as detailed below: .." In Sales Tax, the amount surrendered in excess was 2.85 crore, in Public Works it was 1.20 crore and in Housing it was 1.69 crore. टोटल 5.74 करोड़ एक्सेस में सरेण्डर कर दिया। "In four cases, Rs. 11.84 crore were surrendered though there was excess expenditure as indicated below: .." आपका एक्सेस भी था फिर भी सरेण्डर कर दिया, कितना बड़ा कण्ट्रोल है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है इसमें रेवेन्यू मद में, रोड एण्ड ब्रिज में 16.41 crore. Amount surrendered was 1.83 crore. Drinking water scheme, 0.26 crore. In the capital voted – Roads and Bridges, 2.69 core and in the industry, it was 7.06 crore. Total amount is 11.84 crore.

"Full or substantial portions (more than 50 per cent of total provision) of the supplementary provisions obtained under the following heads of account on 25 March, 2006 were surrendered/re-appropriated on 31 March, 2006, thus indicating inaccurate budgeting: …" … "In three cases of Grant Nos. 30, 33 and 42 entire provisions were re-appropriated/surrendered. In one case (Grant No. 29) supplementary provision of Rs. 0.01 lakh was obtained without any

(डा. सी. पी. जोशी)

necessity, resultantly the funds were not fully utilised and surrendered/re-appropriated to other heads on the last working day (31 March, 2006) of the financial year."

"Rajasthan Budget Manual envisages that Government expenditure should be evenly distributed throughout the year. Rush of expenditure particularly in the closing month of a financial year shall be regarded as breach of financial regularity and should be avoided. Contrary to this, in respect of 10 Heads of Account, expenditure exceeding Rs. 92 crore ranging between 79.5 and 100 per cent of the total expenditure for the year was incurred in March, 2006. This includes three cases where entire expenditure was incurred during March, 2006. Details are given in Appendix – XVII."

Non-reconciliation of accounts. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाउंट तब भी री-कंसाइल नहीं है, इसलिए मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान इस सरकार के इफैक्टिव बजट मैनेजमैंट पर आकर्षित करना चाहता हूं। इस जनता को हम बजट मैनेजमेंट के नाम पर कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज जो स्थिति बनी हुई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिस्कल डेफिसिट डिपेंड करता है जी.डी.पी. पर। इस बार राजस्थान में बरसात भी हुई, तूफान भी आया, ओले भी पड़े, इस बार खेती खराब हुई है, आप क्या यह असैस करवा कर आएंगे, यह जी.डी.पी. घटेगी और राजस्थान का फिस्कल डैफिसिट ठीक नहीं होगा।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ओवर ड्राफ्ट करने वाले यह ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिस्कल डैफिसिट को बंद करने के लिए, सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना बढ़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार टैक्स से रेवेन्यू नहीं बढ़ाना चाहती है। राजस्थान सरकार एग्रीकल्चर से अपने इनपुट को बढ़ाना चाहती है। पिछले चार साल से राजस्थान का एग्रीकल्चर स्टेगनेंट है। आपने कुओं को भी एनर्जाइज किया है? आपने इर्रिगेशन का पोटेंशियल बढ़ाया है? तब भी आपका रबी और खरीफ का जो पोटेंशियल है, वह बढ़ा नहीं है। आपकी जो रेवेन्यू की बोयंसी है, वह रेवेन्यू की बोयंसी न केवल राजस्थान में थ्रूआउट इंडिया एवरी स्टेट में भारत सरकार का भी है, उसके बाद भी राजस्थान सरकार की सॉफ्ट ऑप्शन है, इनकी हिम्मत नहीं है कि टैक्स लेकर हम जनता के लिए काम

(डा. सी. पी. जोशी)

करें। यह केवल मात्र ज्यादा पैसा लेकर सस्ती वाहवाही लूटने के लिए इस राजस्थान को आने वाले समय में ट्रैप में डालना चाहते हैं। क्योंकि आज रेवेन्यू बोयंसी होने के बाद भी, आपको जो अमाउंट देना है वह अमाउंट 74 हजार करोड़ रुपया हो गया है। आपको जो पर एनम पैसा देना है पाँच हजार करोड़ रुपये वह कम नहीं हो रहा है। अच्छा होता यह सरकार उस अमाउंट को कम करती। अच्छा होता यह सरकार जी.डी.पी. बढ़ाने के साथ-साथ रेवेन्यू जनरेट करने के सम्बन्ध में भी कोई काम करती। तब मैं समझता, यह सप्लीमैंट्री मांग जो हम कर रहे हैं वे एक्चुअल फिगर आते। मुझे कहते हुए यह तकलीफ है। यह समय है राजस्थान सरकार को, चाहे सरकार हमारी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, बजट के सम्बन्ध में एफिकेसी से अपना मोनेटरिंग करना चाहिए जिससे हर पैसे का जुडीशस उपयोग हो सके और राजस्थान की जनता को हम विश्वास दिला सकें कि यहां जो सदन में हम बैठे हुए लोग हैं वे जुडीशस इस काम को करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बजट से पहले सी.ए.जी. की रिपोर्ट देवें नहीं। सप्लीमेंटरी की डिमांड को हम डिस्कस करें नहीं। मैं समझता हूं कि यह जो हमारा सबसे बड़ा इम्पार्टेंट काम है, उस काम को हम लोग करते हैं। इसलिए मेरी इच्छा यह है कि हम सब साथी मिलकर इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ब्यूरोक्रेसी के भरोसे नहीं रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, राजस्थान सरकार का जो बजट आफिसर है वह दाई है इसका। वह दाई बनता है तो रिवार्ड मिलता है। जो भी बजट आफिसर रहा है वह आई.ए.एस. आफिसर बना है। क्यों बना है? हम पोलिटिकल लीडरशिप वाले इतने इनकॉम्पीटेंट हैं, हम अपनी बातों को उनके सामने रख नहीं सकते? वे हमको जो सजैस्ट कर रहे हैं, उनको ही हम प्रोविजन करके बात कर रहे हैं। इसलिए उसको रिवार्ड करने के लिए, चीफ सैक्रेटरी को भी रिवार्ड करना पड़ता है, हमको भी रिवार्ड करना पड़ता है। इसलिए आप उठाकर देख लीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज में कंसिस्टेंसी है, राज किसी का भी हो, जो बजट आफिसर बनेगा वह आई.ए.एस. आफिसर बनेगा, यह कंसिस्टेंसी है, चाहे पैसा वह 31 मार्च को सरेण्डर करे। चाहे वह सोशल सैक्टर में सरेण्डर करे, चाहे गरीब आदमी के गले का घंटा उठाकर करे। यह हमारी पोलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कमजोरी को यदि हम दूर नहीं करेंगे, तो हम

(डा. सी. पी. जोशी)

अपनी जिम्मेदारी को जो जनता ने हमें दी है, पूरा नहीं कर सकेंगे। इसी भावना से, मैं आशा करता हूं कि यह जो सप्लीमेंट्री सरकार ने अभी जो ली है उस सप्लीमेंट्री में ध्यान रखेंगे कि इनका जितना प्रोविजन है सप्लीमेंटी में, उससे एक्सेस नहीं हो। यह ध्यान रखेंगे कि जितना अमाउंट इनको सरेण्डर करना है वह टाइमली उसमें जमा हो जाए। यह कोशिश करेंगे कि बार-बार जिन डिपार्टमेंट, मांगों में आपका कंसिस्टेंसली, एक्सेस बढ़ता जा रहा है इनके सम्बन्ध में ध्यान देकर भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। जब अगली बार हम सप्लीमेंट्री लेकर आएं तब सदन के सामने यह कह सकें कि इस सरकार ने इन सब चीजों पर ध्यान रखा है और ये जो हैड हैं, इन हैड को कम किया। मैं समझता हूं कि तब हमारी यह सप्लीमेंट्री डिमांड और विनियोग विधेयक जो हम आज पास कर रहे हैं उसकी कोई सार्थकता है। अन्यथा आपने देखा कि 700 करोड़ से यह सरकार 3200 करोड़ रुपये के लगभग में नया सप्लीमेंटी ग्रांट लेकर आ रही है। इसका मतलब न तो इनके पास कोई आशा है। ये डिपेंड कर रहे हैं भारत सरकार से कितना पैसा मिलेगा। मुझे जानकर आश्चर्य होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप डिटेल में जाएंगे तो एक-एक का टोकन हैड क्या है उस टोकन हैड के आधार पर ये आशा कर रहे हैं, हमें पैसा मिलेगा। नहीं पैसा मिलेगा तो फिर 31 मार्च को इनको सरेण्डर करना पड़ेगा। वह फिगर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आएगा, वह हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरी इच्छा थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इस पर सदन में चर्चा करें और चर्चा करने के बाद यदि हम इन चीजों को कण्ट्रोल कर सकें, तो विनियोग विधेयक की चर्चा करना हमारे लिए सार्थक होगा। बाकी तो हमारे तगारामजी बैठे हुए हैं, इनसे फाइनेंस का काम करवा लो, सरकार बहुत अच्छी चलेगी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह हमेशा की ही बात है। (व्यवधान) एक समय की बात नहीं है, हमेशा की बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिस प्रकार से सरकार चल रही है इसमें मेरी इच्छा यह है, यह मंत्री बनने के लिए बहुत ही लालायित हैं, इनको वित्त मंत्री बना दिया जाए तो कम से कम राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है, उसका कुशल प्रबंधन होगा। रिफाइनरी भी लग जाएगी और राजस्थान के लोगों को खुशहाली आएगी। मैं समझता हूं कि राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब इनकी

(डा. सी. पी. जोशी)

भावना को समझेंगे और कुशल प्रबन्धन में इनके ज्ञान का भी लाभ लेकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): खुशहाली तो आएगी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पाइंट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आप कृपया, स्थान ग्रहण करें। You may reject it.

राज्य मंत्री, वित्त यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बिल को पायलट किया है। जवाब देने के लिए पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब खड़े हो जाते हैं, मुझे अफसोस है। आज तीन साल होने को आये, कब नये लड़के सीख़ेंगे? क्यों नहीं तैयार कराते हैं? आप जवाब दिलवाइये उनसे। कहां दिक्कत आ रही है? पढ़ा-लिखा है वह। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लैक्चरर थे। आप हर चीज में खड़े हो जाते हैं जवाब देने के लिए। आप गये वहां गैलरी के अन्दर और लिखवाकर लाये। और घिसा-पिटा दे देंगे। फाइनेंस के बारे में वे जानते हैं, वहां पर फाइलें आती हैं उनके पास। मेरा तो यह है। जाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, यह मैं मानता हूं, कोई मंत्री जवाब दे सकता है, any one can reply, लेकिन एक अच्छी परम्परा यहां पर आप नहीं डाल रहे हैं। अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं। संसद के अन्दर भी वित्त राज्य मंत्री जवाब देते हैं। कई मामलों में जवाब देते हैं लेकिन आप यह मत करिये। आप मत करिये, भगवान के लिए, उनसे जवाब दिलवाइये, जो आपको लिखकर दिया है उनको दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वह पढ़ देंगे। आप भी तो पढ़ेंगे और क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: पहले यह थोड़ा, पहले विचार कर लिया गया था कि इस पर बहस नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप विराज जाएं तो मैं जवाब दे दूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वित्त राज्य मंत्री काम्पीटेंट नहीं हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, डाक्टर साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी नई परम्परा आज ही कायम हुई है। हम कार्य सलाहकार समिति में जो भी निर्णय करते हैं, पूरा हाउस उसी के अनुसार रैगुलेट होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि कार्य सलाकार समिति में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी विराजे थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हैं ? अध्यक्षजी सर्वोपरि हैं। अध्यक्षजी ने कह दिया कि मैं कार्य सूची से पाबन्द हूं, फिर उसी बात को आप दुबारा दोहरा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था, उस पर अध्यक्षजी ने रिजैक्ट कर दिया और अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी, उसके बाद दुबारा फिर उसी बात को उठा रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कार्य सलाहकार समिति में जो कुछ डिस्कस हुआ, उसको आप यहां बोल नहीं सकते, संसदीय कार्य मंत्रीजी। उन बातों को आप यहां उठा नहीं सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग के बारे में सदन में कोई बात नहीं हो सकती। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक रखते हैं और सदन में आसन पर बैठा व्यक्ति उसको पारित कराता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान नहीं है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने यह आपत्ति माननीय अध्यक्षजी के समक्ष रखी थी, अध्यक्षजी ने उसको निरस्त कर दिया, व्यवस्था दे दी कि मैं आज की कार्य सूची से पाबन्द हूं। अब उसी बात को वापस दोहरा रहे हो। आप आसन द्वारा दी गयी व्यवस्था को फिर से चुनौती देना चाहते हो, क्या मकसद है आपका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है, उसकी व्यवस्था को चुनौती देने की कोई मंशा नहीं है, पर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा । पहले सरकार यह सोच रही थी कि कार्य सूची का निर्णय है मुखबंद करके, फाइनेंस बिल भी पारित होना है और सप्लीमेंट्री डिमांड भी पारित होनी है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम वैसे तैयार होकर नहीं आये। यह तो चूंकि नाथद्वारा से आने वाले माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य डीफैक्टो लीडर आफ अपॉजिशन है, यह चाहते हैं वैसे विधान सभा में चलाते हैं। इसलिए ऐसे जिद पकड़ ली। जिद पकड़ ली तो फिर आसन ने आज्ञा दे दी। आसन ने आज्ञा दे दी तो जितनी जानकारी मैं समझता हूं, पूरी जानकारी नहीं होगी, पर जितनी जानकारी तात्कालिक रूप से घण्टे, दो घण्टे में मैं प्राप्त कर सकता था, जो मेरे विद्वान वित्त राज्य मंत्री ने मुझे दी है, उसी के अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी बात का जवाब दूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप उन विद्वान को ही जवाब देने दो न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरे पाइंट आफ आर्डर का निस्तारण करें और यह भी आप कृपया मिथ्या भाषण न करें कि उन्होंने मुझे दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के कई सदस्य तो ऐसे हैं जिनको हमने या तो बैठे देखा है या चलते देखा है, उनके श्रीमुख से एक शब्द भी नहीं सुना। ऐसे-ऐसे शो-पीस भी हैं यहां।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं आई विटनैस हूं। मैं यहां से देख रहा हूं, उन्होंने कहीं नहीं दी। यह अधिकारी दीर्घा में गये और अधिकारी दीर्घा के अंदर जो उनके पास कागज तैयार थे, वे प्राप्त किये। आप उनको ही दे देते। मैं तो आपसे कह रहा हूं आप सीनियर हैं, ये यंगस्टर्स कब सीखेंगे ? आप हर चीज में दखलदांजी मत दीजिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वीरेन्द्रजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए यह दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त राज्य मंत्री जो जवाब देंगे, हम संतुष्ट रहेंगे। कोई सवाल-जवाब नहीं करेंगे। (व्यवधान) आपको यह आश्वस्त करते हैं कि कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में पेपर ले किये थे, क्या यह आपने हाउस में ....(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप तो विद्वान हो। (व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, हमें आपका भी ख्याल है। आपका भी स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा धीरे ..(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका यह व्यवहार नौजवानों के प्रति, एस.टी. के मंत्री के प्रति अशोभनीय व्यवहार है यह आपका। (व्यवधान)

श्री जीतराम (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा की बात कर रहे हैं, परम्परा तो रही है आज तक लोक सभा में ......(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नाथूसिंह जी हैं, नाथू सिंह जी से दिला दो।..(व्यवधान) इस सरकार ने यह फैसला तो कर ही लिया है कि मंत्री के समकक्ष आदमी को हम कर सकते हैं तो बैस्ट पार्लियामेंटेरियन भी हैं। बाकी तगारामजी से दोनों का जवाब दिला दो, जरूरत ही नहीं है, मान लिया दोनों का जवाब।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मेरी तगारामजी से कहां तुलना कर रहे हो, कृपा करो मेरे ऊपर तो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गलत कहां कहा है ? (व्यवधान) लेकिन कर्जा लेने वाली प्रथा क्या अभी-अभी चली है क्या ?

श्री जीतराम : आज तक परम्परा रही है कि लोक सभा के चुने हुए को प्रधानमंत्री ने पहली बार ....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): प्रभारी का जहां तक सवाल है, प्रभारी हैं और ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह कागज पुर:स्थापित करें तब तो तबीयत ठीक और उसका जवाब देओ आप .. (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे बारे में कहा, यह जवाब दे सकते हैं। मैं चाहूं तो इनकी एक-एक चीज का जवाब दे सकता हूं। यहां पूर्व वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, यह भी इस तरह की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स लेकर आये कि नहीं, पहले तो इसका जवाब दें? मेरे पास आंकड़े हैं, अभी निकालकर बताऊंगा कि इन्होंने कितना खर्च नहीं किया है। मैं यह जवाब दे सकता हूं ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी योग्यता और विद्वता को नहीं मान रही हैं, हम तो आपकी योग्यता को मानते हैं। आपकी नेता आपकी योग्यता को मान्यता नहीं दे रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ही तो कहते हैं कि अध्यक्ष और आयोगों के चेयरमैन को मंत्री बनाकर भेजा है, जगह खाली है और हमको नहीं बना रहे हैं। और अब खुद यह बात कह रहे हैं कि इनका जवाब दे सकते हैं। आप ही तो कहकर बुलवाते हो और आप ही एतराज करते हो, वाह भाई वाह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन में राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 पर विचार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार 3,215 करोड़ 86 लाख 63 हजार रुपये की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि इसमें 6 करोड़ 88 लाख 54 हजार चार्ज्ड है और 3,208 करोड़ 98 लाख रुपये वोटेड है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है । यह सदन की परम्परा रही है, राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के अंदर जब कभी बजट पारित होता है, सदन के सम्मुख वित्तीय लेखे प्रस्तुत किये जाते हैं और आय-व्ययक लेखों के बाद पूरे वर्ष के अंदर आकस्मिक व्यय भी होते हैं, जरूरत और उपयोगिता के अनुसार खर्चे भी करने पड़ते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह जो कह रहे हैं सप्लीमेंट्री के लिये, ऐसा कोई वर्ष नहीं जब सप्लीमेंट्री डिमाण्ड नहीं आई हो और सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के बाद बचत नहीं रही हो। मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, 2001 में आपकी बी.ई. थी 2,649 करोड़ की, सप्लीमेंट्री आप लेकर आये 7,676 की और उसके बाद बचत थी इनकी 1,782, यानि कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जब सप्लीमेंट्री भी आई है और सप्लीमेंट्री के बाद भी बचत किसी न किसी रूप में हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह सरकार जब से आई है इस सरकार के वित्तीय प्रबन्धन के लिये माननीय सदस्य ने कई टीका-टिप्पणी की। मैं उन बातों पर लम्बा जाना नहीं चाहता। पर जिस सरकार के वित्तीय प्रबन्धन के कारण भारत सरकार, जो इनकी सरकार है, 2003-04 के अंदर 59 करोड़ रुपये नये प्रोत्साहन राशि के रूप में, इसलिए कि वित्तीय प्रबन्धन अच्छा है और 2004-05 के अंदर सात करोड़ रुपये दे ..(व्यवधान) लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा । उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की सरकार अपने वित्तीय प्रबन्धन के कारण 438 करोड़ रुपये इनीशियेटिव के रूप में भारत सरकार से प्राप्त करने की हकदार हो गयी है, जो अभी भारत सरकार दे नहीं रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व खाते में बचत की बात इन्होंने कही, आंकड़े लेकर कही। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्व खाते के अंदर जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसके अंदर हमारी ओन टैक्स रेवेन्यू, नान टैक्स रेवेन्यू सरकार का खुद का, इसके अलावा इसके अंदर सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के पैसे भी है। अब सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का पैसो की रिलीज मिलती है भारत सरकार से, उन रिलीज के साथ-साथ राजस्थान सरकार का राज्यांश होता है। अब राज्यांश और भारत सरकार की रिलीज अगर ये विलम्ब से मिले तो हमारे पास उसका चारा क्या है ? या तो हम उन योजनाओं के अनुसार खर्च नहीं करें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इसका यह भी एक कारण रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार कर्मचारियों के अलाउंसेज देते हैं, इन अलाउंसेज के अंदर भी बचत हो जाती है और कई बार आधिक्य भी हो जाता है। यह कहना कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आये और उसके बाद सरेण्डर भी किया, 2003-04 की बात कर रहा हूं, बचत थी मात्र 542 करोड़ रुपये। 2002-03 बचत थी 2016 करोड़ रुपये और 2005-06 के अंदर बचत हुई 340 करोड़ रुपये। मतलब राजस्थान की सरकार, आपने जो सवाल उठाया, निरन्तर प्रयास के अंदर है कि यह बचत कम से कम हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अभी आपने यह कहा कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड और उसके बाद बी.ई., दोनों का अन्तर भी है । बी.ई. के अंदर जो राशि लेकर आते हैं उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमाण्ड जब लेकर आते हैं दोनों का जो अन्तर है, कम से कम होना चाहिये। यह बात बहुत सही है। कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा, दोनों का अगर प्रतिशत देखें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2001 सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आप आये 8,437 करोड़ की। मूल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो वह है 43.50 प्रतिशत। यह वित्तीय प्रबन्धन की बात कर रहे हैं। खुद के समय का देख नहीं रहे। आज 2006-07 के अंदर जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड हम लेकर आये हैं, मूल बजट का है 9.15 प्रतिशत।मतलब निरन्तर इस ओर सुधार कर रहे हैं।

(समय : 16.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री तकनीकी कारणों के कारण लेनी आवश्यक होती है। बजट भी मांगवार है इसलिए यह वास्तविक व्यय विभिन्न में कितना हुआ, इसका आकलन, आडिट रिपोर्ट की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से आडिट रिपोर्ट के अन्दर जो बात आपने कही, पी.ए.सी. के परीक्षण करने की बात है, पी.ए.सी. के रिकमण्डेशन के बाद सरकार निश्चित तौर पर उस पर विचार करेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का वित्तीय प्रबन्धन सरकार का है उस वित्तीय प्रबन्धन में हम राजस्व घाटे की बात करें तो निरन्तर कमी आयी है। राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में देखें तो इनके अन्दर निरन्तर कमी आयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने आपको बांधा है, एफ.आर.बी.एम. एक्ट के माध्यम से एक परिधि में बांधा है कि किस तरह हम वित्तीय अनुशासन में रहें। इस कारण हमने पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाया।

आपने अभी बात की कि 74 हजार करोड़ रुपये ऋण हो जाएगा, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऋण आज की बात नहीं है, केन्द्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, आज कोई सरकार ऐसी नहीं है जो ऋण नहीं ले रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस ऋण का उपयोग किस तरह से हो रहा है, इस ऋण से परिसम्पत्तियां बन रही हैं या नहीं बन रहीं। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 2006-07 जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जितना ऋण लिया उसमें 96.5 प्रतिशत की परिसम्पत्तियों का अर्जन करने का काम इस सरकार ने किया है जो अपने-आप में एक रिकार्ड है। वर्ना पहले आप देखें, जो ये ऋण ले रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब ऋण भी लिया और ऋण के साथ-साथ हमने राजस्व घाटे को कम किया और फिस्कल डैफिसिट को कम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना जब बनी, दसवीं पंचवर्षीय योजना को वित्त पोषित किया गया। 31831 करोड़ की योजना बनी उसमें 31563 करोड़ ऋण लेकर उसको वित्त पोषित किया गया। यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जो राजस्थान के विकास का मूल आधार है, जो राजस्थान के माथे से पिछड़ेपन के कलंक को पोंछने का एक शानदार अभियान है, इसके अन्दर योजना बनी है 68,422 करोड़ की और उसे ऋण लेकर पोषित किया मात्र 25,948 करोड़ से।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आये हैं, यह कोई आज की बात नहीं, लगातार सप्लीमेंट्री डिमाण्ड आती रही है। इस सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के आधार पर यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सवाल खड़ना करना ठीक नहीं है कि राज्य सरकार का वित्त प्रबन्धन ठीक नहीं है। राज्य सरकार ने एक तरफ सप्लीमेंट्री डिमाण्ड ली, बचत भी की। पुराने समय के अन्दर भी जब-जब सप्लीमेंट्री डिमाण्ड आयी है तब बचत भी हुई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वित्त विधेयक को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रीजी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो आपने वित्त आयोग को क्या आश्वासन दिया है कि आप फाइनेन्शल मैनेजमेंट ठीक करने के लिए राजस्व प्राप्तियां और ब्याज अदायगी में जो रेशो उन्होंने तय किया है उसको लाने में सक्षम होंगे? और वह कितना प्रतिशत है? (व्यवधान) नहीं, यह वित्त मंत्री का काम कर रहे हैं इसलिए इनको पूछना जरूरी है।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2006-07 में आपने कितनी ब्याज की अदायगी की और कितनी राजस्व प्राप्तियां कीं और इन दोनों का क्या रेशो रहा?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या प्रश्न यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, यह हाउस की प्रापर्टी है, थर्ड स्टेज पर कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया, बता दिया। अब इसके अन्दर ज्यादा चर्चा ...(व्यवधान) बहस तो होनी नहीं थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इन्होंने वित्त आयोग को आश्वासन दिया है कि हम राजस्व प्राप्तियों में ब्याज अदायगी का प्रतिशत कम करके फाइनेंशल मैनेजमेंट ठीक करेंगे।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह उत्तर देने के लिए खड़े हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने क्या फाइनेंशल मैनेजमेंट ठीक किया?

श्री उपाध्यक्ष: बता तो दिया ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बताएं कि इस साल जो राजस्व प्राप्तियां आपने की हैं और जो ब्याज अदायगी की है उसका रेशो क्या रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): एक मिनट कल्ला साहब ने जो पूछा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्व प्राप्तियों का इन्टरेस्ट पेमेंट और राजस्व व्यय का रेवेन्यू ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनको बताने दो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं आपको प्रतिशत में बता देता हूं कितना-कितना है। मैं बता देता हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको अगर वसुंधराजी वित्त मंत्री का चार्ज दे दें तो आप जरूर बताएं, हालांकि चार्ज तो इनके पास भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2006-07 की आर.ई. के अन्दर इन्टरेस्ट ओन रेवेन्यू रिसीट है था 22.47 परसेंट। अब आप अपने समय का पूछना चाहें तो वो भी बता दें। नहीं, फिर आप पूछना क्या चाहते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बता देता हूं कि मैं क्या पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने चलते-चलते कोई सवाल यों ही खड़ा कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलते-चलते नहीं, मैंने बहुत रेलेवेन्ट प्रश्न किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ध्येय क्या है? नहीं आप क्या पूछना चाहते हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने वित्त आयोग को 2009-10 तक क्या आश्वासन दिया है कि आप राजस्व प्राप्तिओं और ब्याज अदायगी का रेशो कितने परसेंट तक लेकर आएंगे? वर्ष 2006-07 में आपने राजस्व प्राप्तियों और ब्याज अदायगी का प्रतिशत कितना कम किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का सुझाव था ...(व्यवधान) और सुधार की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लेकिन इस रेशो को लगातार कम करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप कहो तो मैं आंकड़े प्रस्तुत कर दूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आंकड़ा नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इनको आंकड़े मैं बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह चर्चा का विषय नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इन्होंने यह आश्वासन दिया था वित्त आयोग को कि हम 2009-10 तक राजस्व प्राप्तियां और ब्याज अदायगी करते हैं, इन दोनों का रेशो 15 परसेंट तक लाएंगे। आपने मात्र 0.32 परसेंट रेशो कम किया है। 0.32 के हिसाब से आप दस वर्ष में भी यह रेशो 15 परसेंट तक नहीं ला सकते। इसलिए आप यह एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आ रहे हैं, यह जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और फाइनेंशल मैनेजमेंट आपका बहुत पुअर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई वादा, कोई कमिटमेंट राजस्थान की सरकार ने वित्त आयोग के सामने नहीं किया। यह गलत पढ़ रहे हैं। एफ.आर.बी.एम. एक्ट के माध्यम से हमने अपने आपको वित्तीय अनुशासन में बांधने का जो काम किया यह इसके आंकड़ों के बारे में बता रहे हैं। यह भूल जाते हैं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह बात मुख्य मंत्रीजी से कहलवा दो कि उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया है वित्त आयोग के सामने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो हमारी कमिटमेंट है ...(व्यवधान) यह उसकी बात कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप संसदीय कार्य मंत्री हो इसलिए इनको पता नहीं है। तमाम राज्यों को यह निर्देश दिया है वित्त आयोग ने कि राजस्व प्राप्तियों और ब्याज अदायगी का जो रेशो है वो 15 परसेंट तक लाया जाए, (व्यवधान) तब इसका फाइनेशल मैनेजमेंट अच्छा होगा। आपको मालूम ही नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट, विराजें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बहुत लम्बा प्रश्न नहीं ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, लम्बा नहीं है, ये तो फाइनेंशल मैटर्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप विराजें न, इसमें कोई भी डिबेट में भाग ले सकता है। आप सुनिये तो सही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद समझदार हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैन्थ फाइनेन्स कमीशन ने हर स्टेट को, माननीय कल्लाजी जानते होंगे, हर स्टेट को यह डाइरेक्शन दिया है। यह सही है कि उन्होंने दो डाइरेक्शन दिये हैं, एक तो डाइरेक्शन यह दिया कि रेवेन्यू रिसीट्स का जो इन्टरेस्ट पेमेंट है वो 15 परसेंट तक लाएं। दूसरा यह दिया कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है, राजस्व व्यय, उसका जो इन्टरेस्ट पेमेंट है उसे 17 परसेंट तक लाएं। 17 परसेंट से एबन कोई भी स्टेट यदि पेमेंट ज्यादा कर रही है तो हाई फिस्कल इस्ट्रेस की उसमें गिनी जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब-करीब ज्यादातर स्टेट, कुछ स्टेट्स को छोड़ दीजिए, कोई हाई फिस्कल स्ट्रेस में है, कोई फिस्कल स्ट्रेस की श्रेणी में हैं। राजस्थान में भी इनके समय पर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडीचर पर इन्टरेस्ट पेमेंट रेट थी वो 26 परसेंट से ज्यादा थी। (व्यवधान) 26 परसेंट और इस तीन साल में उसको घटा कर 23 और 24 परसेंट पर हम ले आये। 23 परसेंट के आसपास हम ले आये तो यह एक एचीवमेंट हमारा है जिसको आपको स्वीकार करना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 23.52, केवल 0.32 परसेंट कम हुआ है और इस कारण से हुआ है कि वहां ब्याज की दर कम हो गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी, आप यह भूल गये कि यह ट्वेल्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन है, यह सारी स्टेट्स को दी है। आप तो कह रहे हैं कि हमने कमिटमेंट दिया है, हमने काहे का कमिटमेंट दिया है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ट्वेल्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन है जो सारे राज्यों को उन्होंने की है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप एक तरफ तो यह कह रहे हो कि हमारा फाइनेंशल मैनेजमेंट सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप 0.32 परसेंट के हिसाब से यदि इस रेशो को कम करोगे तो दस साल में ही नहीं कर सकोगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 2008-09 तक हमारी सरकार रहेगी, हो जाएगा पूरा।

श्री उपाध्यक्ष: राज्य सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2009 पारित किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2007-08, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, विधि एवं न्याय मंत्री अनुदान की मांग संख्या-6 एवं श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री अनुदान की मांग संख्या-16 व 17 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन की प्रस्तुति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,80,81,82,000 (एक अरब, अस्सी करोड़, इक्यासी लाख, बयासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-16 पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16- पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,60,46,48,000 (दस अरब, साठ करोड़, छियालीस लाख, अड़तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-17 कारागार की प्रस्तुति

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 40,22,76,000 (चालीस करोड़, बाईस लाख, छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: डा. एन. एस. गुर्जर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज तक यह परम्परा रही है कि सदन जिस विभाग की मांगों पर विचार करता है उसके शासन सचिव और महानिदेशक पुलिस जैसे लोग अधिकारी दीर्घा में रहते हैं और सदस्य जो बहुमूल्य सुझाव देते हैं उनको नोट करते हैं। आज पुलिस, कारागार और न्याय प्रशासन की डिमांड पर चर्चा हो रही है, न प्रिंसिपल सैक्रेटरी होम, न डी जी पुलिस, न डी जी जेल, न एंटी करप्शन कोई भी अधिकारी यहां नहीं है। यह आज तक की परम्परा रही है। यह सदन परम्पराओं व नियमों से चलता है । मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। सम्बन्धत मंत्री जो हैं, उनको बुलाएं यहां पर ।

श्री उपाध्यक्ष: सम्पर्क में हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऐसे थोड़े है कि यहां पर इतने बहुमूल्य सुझाव देंगे और उनको कोई सुनने वाला और उनको कोई एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष: सम्पर्क में हैं वह। डा. एन. एस. गुर्जर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग आपकी बहुत ही सही है। पर चूंकि बाकी डिस्कशन चल रहा था, जैसे ही यह मांग रखी है वे लोग आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बिल्कुल सम्पर्क में हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है ...(व्यवधान) वह तो मैं भी जानता हूं लेकिन एक परम्परा है धन्यवाद देने की।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा कट मोशन था, मेरी जगह डा. एन. एस. गुर्जर को दे दिया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): क्या बोल रही हैं आप?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): सबसे पहले कट मोशन मेरा लगा हुआ था न्याय प्रशासन पर और मेरे अधिकारों को आप उधर ट्रांसफर कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हमने भी कट मोशन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): पहले मौका मेरे को देना चाहिए था, मेरा उसमें रिकार्डेड है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपको मिलेगा, बाद में मिलेगा, हमने भी कट मोशन दिए हुए हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मेरा रिकार्डेड पहले नम्बर पर है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं, उससे नहीं बोलते हैं। वह व्यवस्था दे दी अध्यक्षजी ने पहले ।

श्री उपाध्यक्ष: मौका दिया जाएगा आपको।

मांग संख्या 6, 16 व 17 पर विचार

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले न्याय व्यवस्था पर बोलना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत समय पुलिस पर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कांस्टीट्यूशन में एक व्यवस्था है। कांस्टीट्यूशन ने व्यवस्था की है सैल्फ संतुलन की। अपने आप में स्वस्थ संतुलन, जुडीशियरी और विधायिका में एक स्वस्थ संतुलन रहे। जहां विधायिका कानून बनाने का काम करती है एक्जीक्यूटिव भी उसको लागू करने का काम करती है, जुडीशियरी उसको इंटरप्रेट करके किसी के साथ अन्याय हो

(डा. एन. एस. गुर्जर)

रहा होता है उसको ठीक करने का काम करती है। आप तो स्वयं लॉयर हैं, लॉ के ज्ञाता हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन के पार्ट-11 में चैप्टर-1 है उसमें आर्टिकल 245 से 255 तक लैजिस्लेटिव लिस्ट हमारे कहां कानून कौन बनाएगा उसकी लिस्ट दी हुई है और इनको सैवन्थ शिड्यूल में डाल दिया। सैवन्थ शिड्यूल में डालने के बाद कुछ रेजिड्युअरी जो बच गयी उनके लिए रेजिड्युअरी पावर्स दे दीं, एंट्रीज में डाल दिया। उसके बाद यह कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कई बार यह सवाल उठाता है कि जुडीशियरी और विधायिका के बीच में Who is the supreme? तो सुप्रीम के लिए न तो विधायिका सुप्रीम है न जुडीशियरी सुप्रीम है, सुप्रीम हमारा कांस्टीट्यूशन है। कांस्टीट्यूशन में यह कहा है कि एक व्यक्ति का शासन नहीं है There is a rule of law. यह कांस्टीट्यूशन है जो शासन कर रहा है। यह लॉ है जो शासन कर रहा है, रुल आफ लॉ है और रूल आफ लॉ सबको समान दृष्टि से ट्रीट करता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है । आज विधायिका है वह भी अपने नियमों से बंधी हुई है, जुडीशियरी भी अपने नियमों से बंधी हुई है इसलिए कोई सुप्रीम नहीं है। इनको अपने-अपने दायरे में रहकर काम करने के लिए कहा गया है।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): जंगल राज के बारे में?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): जंगल राज वह होता है जब ये सब अपना दायरा तोड़ दें। जैसे जिस समय नदी अपना दायरा तोड़ देती है तो बाढ़ आ जाती है, लोग बह जाते हैं, वह त्रासदी, वह एक्सीडेंट हो जाता है, उसको एक्सीडेंटल सिचुएशन कहते हैं । तो इसको कांस्टीट्यूशनल एक्सीडेंट बोलेंगे यदि ऐसा हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, सब ये मेरे पास केसेज हैं, 1980 तक कई बार व्यवस्था है सज्जनसिंह, पहले बहुत सारे केसेज डिसाइड हुए, क्योंकि उस सब्जैक्ट पर मैं जाना नहीं चाहता, सब्जैक्ट से मैं दूर हो जाऊंगा इसलिए उन केसेज में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास सारे हैं, चाहे गोलखनाथ का केस हो चाहे भारती का केस हो चाहे और केसेज हों, और चाहे 80 का केस हो, मेरे पास सारे हैं क्योंकि मैं भी एक लॉ का विद्यार्थी हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप विद्यार्थी नहीं हो आप तो लॉ के मास्टर हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): शंकरी प्रसाद से शुरु हुआ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आपकी योग्यता की तो पूरा सदन तारीफ करता है, मुख्य मंत्रीजी थोड़ा सा कम सोच रही हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपने मेरी तारीफ की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शंकरी प्रसाद, फिर सज्जनसिंहजी का केस आया, गोलखनाथजी का आया, केशवानंद भारती का आया। इस तरह से और भी कई, मिनर्वा मिल्स केस आया, बहुत सारे केसेज आये। आप स्वयं इस बात को समझते हैं इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इसलिए उन्होंने यह कह दिया रूल आफ लॉ और विधायिका के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी 245 से 255 तक। जो थ्री आर्गन्स कांस्टीट्यूशन ने बना दिए, थ्री आर्गन्स अपने-अपने दायरे में रहकर। काम करें। उसके बाद कोर्ट्स क्या करेंगे उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आर्टिकल 32 में व्यवस्था कर दी, और हाई कोर्ट्स के लिए 226 में व्यवस्था कर दी रिट जूरिस्डिक्शन जिनको हम कहते हैं ।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को 132 से 136 और एक 143 में एडवाइजरी पावर और दे दी। 141 में कॉमन लॉ सिस्टम के तहत अक्ट्रिन आफ प्रेसीडेंट इसको भी लागू कर दिया। जुडीशियल रिव्यू की पावर भी जुडीशियरी को दे दी गयी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, सबको अपना-अपना काम बांट दिया गया। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से कई बार टकराव की स्थिति आ जाती है। मैं समझता हूं, यह हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है । कई बार टकराव की स्थिति पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में आती है, कई बार विधान सभाओं में और हाई कोर्ट्स में आती है। कई बार जुडीशियरी के बीच में और विधायिका के बीच में टकराव की स्थिति आती है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसी के कारण कई बार, चाहे विधायिका हो, आज राजनीति में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा लोकतंत्र में जनता के बीच कम हुई है, क्योंकि हम अपने दायरे से कई बार बाहर निकलते हैं, कई बार दायरे में रहकर कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमारी इमेज को धक्का लगता है। उसी तरह से आज जुडीशियरी है, जुडीशियरी की भी एक जमाने में जो रैपुटेशन थी, उस रैपुटेशन में थोड़ी-सी कमी आयी। कमी होने के कारण आज पार्लियामेंट में मांग होने लग गयी कि जुडिशियल सिस्टम को भी ठीक करने के लिए कानून बनाया जाए। जुडीशियरी जो फैसले देती है, कुछ फैसलों

(डा. एन. एस. गुर्जर)

को रिव्यू करने का अधिकार, एक उच्चाधिकार कोई बाडी बनाकर उसको पावर्स दे दी जाएं ताकि उनमें भी जो कमियां आएं उनको दूर किया जा सके। उसके बावजूद भी आज धीरे-धीरे यह स्थिति हो गयी। आज विधायिका है, उसके लोगों को तो चुनाव में जब जाते हैं तो जनता हाथ के हाथ उनको जवाब दे देती है लेकिन जुडीशियरी के लिये कोई इस तरह का अभी तक सिस्टम डवलप नहीं हुआ हमारे कण्ट्री में, हमारे देश में। उसका कारण यह रहा कि अब धीरे-धीरे जनता जागरूक हो रही है। ज्यों-ज्यों ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, भारी कानून उनकी जानकारी में हैं और जनता में जाग्रति आ रही है। वह चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, उनके अधिकारों के प्रति सब लोग जागरूक हो रहे हैं और आज कोर्टस के अन्दर इतने ज्यादा केसेज आ गये कि उनका निपटारा करना मुश्किल है। उपाध्यक्ष महोदय, हमको इस स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। 15-15, 20-20 साल से केसेज कोर्टस के अन्दर चल रहे हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइ। आप तो जानते हैं जस्टिस में डिले हो जाता है That is tantamount to deny. उसको डिले करना डिनाई के बराबर हो जाता है। इसलिये इस स्थिति से बचने का हमको प्रयास करना चाहिये। जुडीशियरी को प्रयास करना चाहिये, एग्जीक्यूटिव और विधायिका को प्रयास करना चाहिये और सिस्टम को इम्प्रूव करके इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि आम आदमी को सस्ता न्याय मिल सके।

मैं कुछ आंकड़े देकर बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पर न्यायालयों की संख्या तो बढ़ती गयी, मैं राजस्थान के सन्दर्भ में बात करना चाहता हूं, न्यायालयों की संख्या बढ़ती गयी, मुकदमों का जो निपटारा होता है, उनकी संख्या घटती गयी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो सबार्डिनेट कोर्टस हैं, लोअर कोर्टस हैं वे 1995-98 से 2002 के बीच में 190 खुलीं हैं। 2002-03 से 2007-08 तक 241 नयी कोर्टस खुलीं। लेकिन इसके साथ ही इनके ऊपर मुकदमों की जो पैंडेंसी है उसका जिक्र करना चाहूंगा। कोर्टस ज्यादा खुले, जो पैसा खर्च हुआ उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। 2000-01 में 86 करोड़ रुपया इन पर खर्च होता था, वह 2006-07 में आकर 177 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने कोर्टस ज्यादा खोले, हमने पैसा ज्यादा खर्च किया लेकिन लम्बित केसेज की संख्या बढ़ती गयी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इण्टरप्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन यह सिर्फ इसलिये बढ़ा कि कोर्ट ने ये आदेश कर दिये कि ये भत्ते होंगे, ये होंगे। 86 करोड़ इतना हो गया। अब तो न्यायपालिका की स्थिति तो यह हो गयी कि उनकी तनख्वाह कितनी होगी, मकान कैसे होंगे वह भी फैसले वही कर रहे हैं। और विडम्बना तो यह आ गयी है, अब यह स्थिति हो गयी है कि न्यायपालिका ने कहा कि पुलिस एक्ट बदलो। मुझे तो अफसोस इस बात को कहने में है कि लोक सभा भी और विधान सभाएं भी अब उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पुलिस एक्ट बदलने वाली हैं। आप किस जुस्डिक्शन में रहने की बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: नम्बर आफ केसेज बढ़ रहे हैं, माननीय सदस्य। लिटिगेशन बढ़ रहे हैं Different types of litigations are coming.

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे विद्वान साथी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरा काफी काम उन्होंने हल्का कर दिया ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आपका ही नहीं, कइयों का कर दिया।

एक माननीय सदस्य: यह तो दो विद्वानों का झगड़ा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हमारा झगड़ा नहीं है, हम बहुत अच्छे मित्र हैं। झगड़ा नहीं है। उन्होंने मुझे सप्लीमेंट किया है इसके लिये मैंने उनको धन्यवाद दिया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोर्टस की संख्या बढ़ गयी, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं लेकिन पैंडेंसी केसेज की बढ़ती गयी, लोअर कोर्टस की, सबार्डिनेट कोर्टस की बात कर रहा हूं। 2000 में जहां 8,93,000 थी लोअर कोर्टस में, 2003 में यह बढ़कर 9,10,000 हो गयी और 2005 में बढ़ करके 10,50,000 हो गयी। यानि कोर्टस की संख्या बढ़ा दी, पैसा ज्यादा दे रहे हैं और मुकदमे कितने-कितने दर्ज हुए हैं, मैं हाई कोर्ट वगैरह पर भी आऊँगा, लेकिन लोअर कोर्टस में 2000 में पाँच साल के अन्दर ही कहां 8,00,000 से बढ़कर 10,50,000 तक पैंडिंग केसेज की संख्या बढ़ गयी। अब आप अंदाजा लगाइये। आप तो स्वयं भी वकील रहे हैं, और वकील हैं, इस तरह से अगर पैंडिंग केसेज की स्थिति बढ़ती जाएगी तो आम आदमी को न्याय कैसे मिल सकेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये आपको आंकड़े दिये लोअर कोर्टस के। यदि

(डा. एन. एस. गुर्जर)

हाई कोर्ट के हम आंकड़े ले तो स्थिति और भी गंभीर है। मैं आपको सिविल केसेज के मामले जो हाई कोर्ट में पैंडिंग हैं, उनकी जानकारी देना चाहता हूं। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी, 2000 में जो केसेज आलरेडी कोर्टस और हाई कोर्ट के अन्दर पैंडिंग थे, वे 1,00,794 थे और बाद में दर्ज 39,428 हुए। डिस्पोजल उनमें से 31,496 हुए। यानि पैंडिंग तो पहले से चले आ रहे थे लेकिन जितने नये दर्ज हुए उनसे भी कम का डिस्पोजल हुआ और क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसम्बर को 1,08,427 रहा। इस तरह से 2001 में 1,08,429 पहले के थे, नये 40,365 हुए और 38,329 का डिस्पोजल हुआ तथा 10,458 बैलेंस रह गये। 2002-03-04 इन सब में यही स्थिति है। डिस्पोजल कम हो रहे हैं और बैलेंस बढ़ता जा रहा है। पैंडेंसी बढ़ती जा रही है। 2005 में आकर, मैं पूरे इसके आंकड़े नहीं देना चाहूंगा, सदन का समय व्यतीत नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल इंडीकेशन दे रहा हूं। 2005 में 1,46,513 मुकदमे थे ओपनिंग बेलेंस, 52,869 केसेज दर्ज हुए नये। 52,869 के अगेंस्ट में केवल 41,003 मुकदमों का निपटारा हुआ, डिस्पोजल किया गया। फिर पैंडेंसी रह गयी 1,58,347 । तो ये बढ़ते रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। यह केवल सिविल केसेज की बात कर रहा हूं, यदि क्रिमिनल केसेज देखें तो भयावह स्थिति है ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देवल साहब, यहां राज आपका और इनका नहीं है। यहां राज तो उसी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का है। यहां आपकी बात नहीं है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह तो आपके ही राज में 10 लाख पहुंच गये। इतने क्राइम बढ़ गये, गृह मंत्रीजी, यह तो आपके माननीय सदस्य बता रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): देवल साहब, आप तो आई ए एस अफसर रहे हैं..

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पता ही नहीं है इनको।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अगर आप इसका अध्ययन कर लेते तो आप खड़े होकर मेरे बीच में इण्टरप्ट नहीं करते। इनके क्या कारण रहे हैं और क्या उनकी है, आप विद्वान आदमी हैं, आई ए एस अफसर रहे हैं, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, तो आपको मैं इण्टरप्ट नहीं करना चाहता।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह आपके मित्र हैं ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां, मेरे मित्र हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं। पुराने हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कब से ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): जब यह आई ए एस अफसर थे तब से।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये आंकड़े भी आप लाये हैं क्या कि लिटिगेशन जो है वह हर साल ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? निश्चित कारण वह है कि इंस्टीट्यूशन आफ ... (व्यवधान) न्यू केसेज जो हैं वे भी दिनोंदिन बहुत बढ़ रहे हैं। यह कारण बता रहे हैं जजेज भी कि लिटिगेशन बढ़ रहा है उसके मुताबिक स्ट्रेन्थ नहीं है, कम है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां, लिटिगेशन मैंने बताया न, बढ़ रहा है। उस पर भी आ रहा हूं। स्ट्रेंथ पर भी आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: केसेज ज्यादा। नेचर आफ लिटिगेशन ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, 2001 में 1,05,000 पैंडिंग और अब 1,58,000 ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह तो लिटिगेशन ज्यादा तब ही हो गया न। नम्बर आफ लिटिगेशन ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड लॉयर हूं। मुझे मालूम है, मैं कानून का विद्यार्थी हूं।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): इसलिये ये शब्द चबा-चबा कर बोल रहे हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): चबा-चबाकर नहीं बोल रहा हूं, आगे सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप कानून के दायरे में बोल रहे हो और उपाध्यक्ष महोदय को अभी-अभी कानून के कारण से भारत ज्योति का पुरस्कार मिला है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये आपको बधाई देता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय को

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मिला है। कालू लालजी को भी भारत ज्योति का मिला। यह भी भारत ज्योति हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सारी ज्योति सदन में हैं। इधर भी ज्योति, उधर भी ज्योति, सारी ज्योति सदन में हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ज्योति गुर्जरों में ज्यादा जल रही है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किरोड़ी लालजी को मिला है क्या ज्योति इसमें?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रियदर्शिनी ज्योति अवार्ड यह जितनी भी बनती हैं, इसके लिये जो कमेटी है उसका मैं सदस्य हूं, इसलिये यह अवार्ड कैसे, मैं भी अवार्ड ले चुका हूं पहले। मुझे भी मिला है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सदस्य होते तो कालूलालजी ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं उसका सदस्य हूं ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं ...(व्यवधान) नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कैसे मिलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर आप इन्हें सुदर्शन होने का अवार्ड क्यों नहीं दिला देते? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। मैं आगे क्रिमिनल केसेज के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूंगा। 2000 में बैलेंस था 22385, नये केसेज दर्ज हुए 18349, डिस्पोजल हुए 16854, बैलेंस में रह गये 23896 । फिर 2005 में 41794 पैंडिंग रहे, जस्ट डबल हो गये जो बैलेंस रहा। 27503 केसेज नये दर्ज हुए, 21495 का डिस्पोजल हुआ और 47768 पैंडिंग हुए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बैलेंस रहा वह भी डबल हो गया पाँच साल में। डिस्पोजल करने के बाद में जो बैलेंस रहा वह भी डबल से ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो पैंडिंग केसेज जो शेष आ रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह स्टॉप भी नहीं हो रही है और इसका कारण मैं बताता हूं।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपका कमेंट आया है क्रिमिनल केसेज के बारे में, क्रिमिनल केसेज के बारे में मैं दे रहा हूं। साल दर साल के आंकड़े मैं नहीं देना चाहता हूं। क्यों बढ़ रहे हैं? आपने एक बात कही है कि जजों की संख्या कम है। लेकिन पर जज कितने-कितने केसेज का डिस्पोजल होता है तथा नेशनल लेवल पर कितना होता है और स्टेट लेवल पर कितना हो रहा है, उसकी थोड़ी-सी जानकारी सदन को देना चाहता हूं। 2001 में हमारे यहां नम्बर आफ जज 25 थे, 2005 में 30 हो गये बढ़कर। अब 30 जज हैं हमारे हाई कोर्ट में। पर जज 2001 में 1324 केसेज डिस्पोजल का था हाई कोर्ट में, वह अब 2005 में आकर भी केवल 1362 केसेज डिस्पोज आफ कर रहा है, यानि बढ़ोतरी नहीं हुई डिस्पोजल में। इसके अगेंस्ट में अगर 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 नेशनल एवरेज आफ डिस्पोजल पर जज, पर ईयर अगर आप देखें तो 1900 केसेज है। हर साल 1900 केसेज का एवरेज आ रहा है। हम उनसे लगभग 700 केसेज डिस्पोजल में पर ईयर कम हैं, हम पीछे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जजेज की संख्या कम है इसलिए मैंने यह आंकड़ा बताने का प्रयास किया है, यह जानकारी सदन में देने का प्रयास किया है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मिसलियनरी एप्लीकेशन शामिल हैं। यह ओरिजनल सूट का, ओरिजनल रिट का डिस्पोजल नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो और भी कम हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप तो सुझाव दीजिये कि इसमें किस प्रकार से क्या कर सकते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। हमारे यहां पर टोटल 785 जज हैं, और 3985 तो केवल फोर्थ क्लास लगे हुए हैं और 6 हजार अधीनस्थ स्टाफ है। तो स्टाफ की भी कमी नहीं है। एक आदमी का एवरेज लगाएं तो लगभग 40 व्यक्ति आते हैं, 40 और 45 के बीच में आंकड़ा बैठता है। मैं यह क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने के पीछे परपज यह है कि कहीं न कहीं इस व्यवस्था में जो पार्लियामेंट में मांग उठ रही है, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई न कोई बाडी बनानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं सिस्टम में लैकूना

(डा. एन. एस. गुर्जर)

है जिसको हमें ठीक करना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से, जो कानून की जिम्मेदारी सम्भाल रहे हैं, जो माननीय व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको सुझाव देना चाहूंगा कि सिस्ट्म को इम्प्रूव करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था पैदा करनी चाहिए। आज आम आदमी को किस तरह से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। किस तरह से उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। किस तरह से वकीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। वकीलों की फौज, आप लोअर कोर्ट में जाइये, हाई कोर्ट में जाइये, वकीलों को बैठने तक की जगह नहीं है और वह डिमांड करते हैं कि हमको चैम्बर दिये जाएं। लेकिन चैम्बर कम पड़ गये हैं। जनता का जैसे मेला लगा हुआ होता है कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में प्रवेश कर गये, कमरे में तो वहां इतना मेला होता है, कि आपको यह पता नहीं लगता है कि कौन अपराधी आया है, इसमें से कितने जमानतदार हैं, कौन वकील किसकी पैरवी कर रहा है, इतने तो वकील खड़े मिलेंगे, इतने अपराधी खड़े मिलेंगे जो जमानत कराने के लिए आते हैं, जिनको लाया जाता है, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, उतने जमानती खड़े मिलेंगे। जज साहब वहां फैसला देने के लिए बैठते हैं तो उनको भी उस भीड़ से असुविधा होती है। सुनने में भी असुविधा होती है, फैसला देने में भी असुविधा होती है। और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है, आपने पढ़ा होगा कि कई बार मिसबिहेव भी अपराधी कोर्ट में करते हैं। भीड़ का फायदा उठाकर कोई चप्पल फेंक देता है। कोई क्या फेंक देता है। कोई ऊटपटांग बोल देता है। यह स्थिति हमारी जुडीशियरी के लिए भी और हमारे लिए भी उचित नहीं है। यह ठीक नहीं है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह नहीं कहता कि आज विधायिका को इंटरफियर करना चाहिए। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं कि एक दूसरे के क्षेत्र में एक दूसरे को इंटरफियर करना चाहिए। न तो जुडीशियरी को विधायिका के क्षेत्र में इंटरफियर करना चाहिए और न विधायिका को जुडीशियरी के क्षेत्र में इंटरफियर करना चाहिए। मैं कतई इसके खिलाफ हूं कानून का विद्यार्थी होने के नाते। लेकिन जो उस क्षेत्र में हैं उनको अपनी स्थिति सुधारने के लिए स्वयं पहल करनी पड़ेगी। हमारी जनता जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मालिक है और हम सब लोकतंत्र के पुजारी हैं, उनको इस बात से खुशी हो सकती है। उसके लिए कुछ पहल भी की है जिसका मैं

(डा. एन. एस. गुर्जर)

स्वागत करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे, बाकी पाइंटस पर बोलेंगे इसलिए मैं सारे टच नहीं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ये जितने सुलह-समझौते के प्रयास हैं और दूसरा जो लीगल एड देने का काम किया है, ये दो काम बहुत महत्वपूर्ण किये हैं। जो गरीब लोग हैं, जो वकील खड़ा नहीं कर सकते हैं उनको लीगल एड देकर उनकी हैल्प करना, यह बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं तारीफ करना चाहता हूं, जुडीशियरी की भी तारीफ करना चाहता हूं और विधायिका की भी तारीफ करना चाहता हूं। दूसरा काम जो हुआ है कानूनी सेवा और सुलह-सफाई के बाद समझौता, जो कोर्ट के बाहर फैसले होते हैं, इनके आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं। यह कमाल का काम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2006 के साल का मैं आंकड़ा देना चाहूंगा। लोक अदालतें और इन लोक अदालतों में दो तरह की, स्थायी लोक अदालतें, उनकी 2006 में संख्या 1107 थी, संस्थित प्रकरणों की संख्या 1927 और निस्तारित प्रकरणों की संख्या 1849, यह कमाल का आंकड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: लोक अदालतों से काफी रिलीफ मिला है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह बहुत अच्छा काम हुआ है इसलिए मैं तारीफ करना चाहता हूं। इसी तरह से कानूनी सेवा क्लिनिकों द्वारा निस्तारित प्रार्थना-पत्र जिसमें मुकदमों से पूर्व सुलह और समझौता कराकर फैसले कराये जाते हैं। वर्ष 2006 में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या 2514 और निस्तारित प्रार्थना-पत्रों की संख्या 2336, यह भी काम का काम हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जुडीशियरी के लोग। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें पैसा नहीं लग रहा है आम आदमी का और इसमें देरी नहीं होती है और सामने बैठाकर जो हमारी पुरानी परम्परा थी, पंच परमेश्वर की, उसके आधार पर समझौता करा दिया जाता है। न तो पैसा खर्च होता है न समय की बर्बादी होती है। वर्षों तक मुकदमे लम्बित होते हैं। यह रिपोर्ट मुझे आज ही प्राप्त हुई है, मैं इसमें अभी यहां बैठे-बैठे जो काम की बात देख सका। मैं इसको ज्यादा समय पढ़ना चाहता था अगर यह रिपोर्ट मुझे पहले मिल जाती। लेकिन ये चीजें हैं जिनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि ये चीजें हमारे जो लोग यहां बैठे हुए हैं उन तक पहुंचे और उस पर वे कुछ काम करें।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके तहत जो खर्चे की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा और शेट्टी कमीशन ने उसकी एक रिपोर्ट दे दी, उसके आधार पर खर्चों का भार बढ़ा है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह उसी का परिणाम था। इस पर उन्होंने बोल दिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मेरे कहने का कुल तात्पर्य यह है कि विधायिका और जुडीशियरी, दोनों को मिलकर आम जन के हित में इस तरह के निर्णय करने होंगे जिनसे लोकतंत्र मजबूत हो। आम जनता को परेशानियों से छुटकारा मिले, इसके लिए हम सबको मिल-जुलकर प्रयास करने पड़ेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवाड़ीजी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, साथ-साथ ही हम विधायक रहे, और बहुत एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर हैं, मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में यह जुडीशियरी से बात करें और किसी नतीजे पर पहुंचें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस के बारे में कहना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से माननीय घनश्यामजी बहुत एक्सपीरियंस्ड और पुराने साथी हैं उसी तरह से माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया भी बहुत पुराने हमारे साथी रहे हुए हैं और बहुत सीनियर मिनिस्ट्र हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं। ...(व्यवधान) मतलब की बात पर ही आ रहा हूं अभी, आप सुनिए। आपको क्या दर्द हो जाता है अगर किसी की तारीफ करते हैं तो? ...(व्यवधान) अगर मैं कोई क्वालिटी बता रहा हूं और तारीफ करने की बात कहता हूं तो इसमें आपको क्या परेशानी होती है? आप आलोचना करने के लायक हैं, खूब करो न।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): परेशानी इनकी यह है कि ज्यादा तारीफ करने से मुख्य मंत्रीजी का स्नेह थोड़ा-सा आप में गड़बड़ हो जाएगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी भी अच्छा काम करती हैं तो उसकी भी तारीफ करता हूं। मंत्री भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी भी तारीफ करता हूं। सरकार भी कोई अच्छा काम करती है तो उसकी भी तारीफ करता हूं। अगर गलत काम करते हैं कोई, अगर गलत काम हो जाता है तो उसकी आलोचना भी करता हूं, लेकिन एक लिमिट में रहकर, एक दायरे में रहकर। लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है। आपको भी अधिकार है, आप भी अपनी पार्टी में बैठकर कई बातें बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): नहीं बोलते हैं, यह सोनियाजी की कभी भी बुराई नहीं करेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यहां पर आप तैयारी करके आइए न, जितनी क्रिटिसाइज करनी है हमारी करिए, हम जवाब देंगे। वह तो तैयारी करके आप आते नहीं हो और हम तैयारी करके बोलते हैं तो बीच-बीच में, बीच-बीच में जैसे स्प्रिंग लगी होती है उस तरह से खड़े होकर इण्टरप्ट करते हो। यह मुझे समझ में नहीं आता कि तैयारी करके बोलते नहीं और तैयारी करके जो आते हैं उनको बोलने नहीं देते। यह नई परम्परा शुरू हुई है इस सदन के अंदर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यदि आप तैयारी करके नहीं आते हैं तो कोचिंग इन्स्टीट्यूट, आप मेरे पास आ जाइए, मैं तैयारी करवा दूंगा आपको दोनों तरफ की। मैं वकील हूं, दोनों तरफ की तैयारी करवा दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले विधायकों की ट्रेनिंग हुआ करती थी, आजकल विधायकों की ट्रेनिंग होनी बंद हो गई, मेरा सुझाव है कि आप चालू करवाओ दुबारा ताकि यह तैयारी करके आएं कुछ और इण्टरप्शन करना बंद कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: तीन साल में ट्रेण्ड हो गये, आपके चिंता करने की बात नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): लेकिन फिर भी इनकी आदत नहीं जा रही इण्टरप्शन करने की।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गई आपकी बात।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज चाहे हम पुलिस की आलोचना करें लेकिन हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। यदि पुलिस अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए और जहां गड़बड़ करे वहां उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। मैं दोनों में विश्वास रखता हूं। आज पुलिस की मजबूरी है कि हमको जितना स्टाफ चाहिए उतना स्टाफ राजस्थान में पुलिस के पास नहीं है। आज मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहूंगा कि आंध्रप्रदेश के अंदर 1 लाख लोगों पर 98 पुलिसकर्मी हैं, महाराष्ट्र के अंदर 132 हैं, मध्यप्रदेश में 113 हैं, राजस्थान में केवल 102 हैं। ये तो शहरी आंकड़े हैं, यह तो शहरों की बात बता रहा हूं और यदि गांवों के अंदर देखें तो रूरल एरिया में केवल 2500, और एक्जैक्ट फीगर चाहिए तो 2450 लोगों पर एक कांस्टेबल है। अब एक कांस्टेबल 2450 लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, उनकी रक्षा कैसे कर सकता है, यह

(डा. एन. एस. गुर्जर)

कैसे सम्भव है? Physically and mentally it is not possible. इसलिए आजकल स्ट्रैस आ रहा है पुलिस में। आज आपने देखा होगा कि कई जगह पुलिस वाले शराब पीकर उत्पात मचा देते हैं, कई जगह किसी को गोली मार देते हैं। यह पुलिस में ही नहीं, हर जगह है, हमारी पैरा मिलिटरी फोर्सेज में भी होना शुरू हो गया है। यह क्यों हो रहा है? यह जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रैस पड़ता है न दिमाग पर और शरीर पर, काम के उस बोझ के कारण वह अवसाद में आता है, डिप्रैशन में आता है और डिप्रैशन में आकर वह ऐसा काम करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में उनसे ऐसा हो जाता है। इसलिए इस स्ट्रैस को कम करने के लिए हमें पुलिस की स्ट्रैंथ को बढ़ाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने ऊपर के लेवल पर अफसर तो खूब बढ़ा दिये, जहां डी आई जी पहले काम करता था वहां हमने आई जी लगा दिया। जयपुर को जहां पहले एक एस पी सम्भालता था, हमने चार-चार एस पी खड़े कर दिये। पहले एक आई जी पूरे स्टेट को सम्भालता था, हमने उसको प्रमोट करके डी जी बनाया और फिर अलग-अलग शाखा का एक-एक डी जी खड़ा कर दिया। तो हमारे यहां उलटा चल रहा है। चलना यूं चाहिए और यह यूं हो रहा है, करना यूं चाहिए, यानी ऊपर से छोटा होकर नीचे फैलना चाहिए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह आपने यूं और यूं कहा, यह इसमें नहीं आएगा, इसको बोलकर कहो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तिवाड़ीजी, इनको याद नहीं रहा कि यह विधान सभा में बोल रहे हैं या मूवी की शूटिंग में एक्ट कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): ऐसा है, संगति का असर तो थोड़ा-बहुत आता ही है। अब आप आजकल लीडर आफ अपोजिशन के पास बैठते हैं तो उनका असर आप पर भी हो रहा है धीरे-धीरे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनकी जब-जब फिल्म रिलीज हुई है पुलिस की सहायता से दर्शक पहुंचाये हैं हमने वहां पर। ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हमारी राजनीति की फिल्म में भी पुलिस वाले ही बीच में आकर बचाते हैं।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

पुलिस वालों का काम तो दोहरी मार का है, कुछ करे तो मरे, कुछ न करे तो मरे। यह जो ऊपर के लेवल पर छाते की तरह स्टाफ बढ़ता जा रहा है और नीचे कम होता जा रहा है, इसका उलटा होना चाहिए। नीचे स्टाफ बढ़ना चाहिए ऊपर अधिकारियों की संख्या कम होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी अगर पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो आंध्रप्रदेश में 100 किलोमीटर में 26 कांस्टेबल हैं, यू पी में 65, महाराष्ट्र में 45, मध्यप्रदेश में 19 और हमारे यहां राजस्थान में केवल 18 हैं। अब 100 किलोमीटर में 18 कांस्टेबल किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रख पाएंगे, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इस पर, माननीय गृह मंत्रीजी, आप विचार करिए। आप जैसा योग्य व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति इस पोस्ट पर बैठा हुआ है और उसके बावजूद ऐसा है। आप इसमें बजट ज्यादा लीजिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, कि दो ही चीजें राज्य की होती है, पहली, विकास, विकास में हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत प्रगति की है हमने सामाजिक सुरक्षा के लेवल पर और सामाजिक सेवाओं के विस्तार में। दूसरी, कानून और व्यवस्था की स्थिति। हर आदमी के जान और माल की सुरक्षा करें। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी और सरकार को, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अपराधों की संख्या के अंदर राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है, बहुत नीचे है। इसके लिए तो मैं बधाई देता हूं लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, चूंकि फिर कहेंगे कि बाकी लोग भी बोलेंगे लेकिन यह जो संख्या है इस संख्या को बजट ज्यादा लेकर कम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब बजट की स्थिति को देखें, यू पी में पुलिस के ऊपर 1372 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के अंदर 2118 करोड़ रुपए, मध्यप्रदेश में 935 करोड़ रुपए, आंध्रप्रदेश में 1150 करोड़ रुपए। आज जिस महाराष्ट्र पुलिस की हम तारीफ करते हैं 2118 करोड़ रुपये और हमारे यहां राजस्थान में केवल 820 करोड़, यानी आधे से भी कम। तो इतने से बजट में पुलिस की सुचारु रूप से व्यवस्था कैसे कर पाएंगे?

आज एक जिले का अपराधी जो हिस्ट्रीशीटर है, वह रोज अपराध करता है, चोरी-डकैती करता है, दूसरे जिले में जाकर हथियारों का लाइसेंस

(डा. एन. एस. गुर्जर)

बनवा लेता है, दूसरे जिले में जाकर खुद की सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करवा लेता है, यह क्यों सम्भव हो रहा है? क्योंकि पुलिस के पास अभी इस तरह का सिस्टम ही नहीं है कि फलां जिले में क्या हो रहा है, फलां जिले में क्या हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक बार पुलिस को सुझाव दिया था कि आप हर थाने को कम्प्यूटर से जोड़िए और कम्प्यूटर से जोड़कर यहां पर एक मास्टर कम्प्यूटर रखिए। आपको पता लगाना है कि जैसलमेर के अंदर फलां व्यक्ति का क्या रिकार्ड है तो जयपुर में बैठे-बैठे, आपको जयपुर में ही नहीं राजस्थान के किसी भी थाने में अगर कोई देखना चाहे तो क्लिक करेगा और तुरंत उसको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का यह रिकार्ड है। तो वह न तो फर्जी लाइसेंस ले सकता, न वह गलत गतिविधियां कर सकेगा और न अपराध कर सकेगा। आज एक जिले में अपराध करके दूसरे जिले में छिप जाता है, उसमें अपराध करके तीसरे में जाकर छिप जाता है और वहां की पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। इसके लिए हम विधायकों ने पहल भी की है। हमने चलाकर पुलिस को कहा कि हमारे विधायक कोष से जिन-जिन विधायक महोदय के विधान सभा क्षेत्र में पुलिस स्टेशन आएंगे वहां हम कम्प्यूटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकतर माननीय सदस्यों ने जिन-जिन ने मांगा उनको कम्प्यूटर प्रोवाइड किया। इसके लिए मैं हमारे विधायकों को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने दिया है। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपको बजट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, नीचे स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, उन पर स्ट्रैस कम करना पड़ेगा और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज ट्रेनिंग और फिटनैस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज हम थानों में देखते हैं, थानेदारजी कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं। कई बार हमसे मिलने भी आते हैं, हम देखते हैं, थानेदार जी को 100 फीट दौड़ाओ तो सांस फूल जाती है और आगे उनके कदम ही नहीं बढ़ते। एक अपराधी होता है वह फिट होता है, वह डबल स्पीड से दौड़ता है। चाहे कांस्टेबल हो या आफसर्स हो उनकी फिटनैस पर ध्यान देना चाहिए। फिटनैस में चाहे कर्मचारी हो, कांस्टेबल हो, चाहे अधिकारी हो, अगर वह फिटनैस ठीक नहीं रख सकता तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। या उसको नौकरी से बाहर कर देना चाहिए कि, जाइए, आप दूसरा धंधा करें, यह पुलिस का काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का पहला काम ही फिटनैस का है। आज मिलिटरी के अंदर रोज सुबह एक्सरसाइज कराते हैं, आप इसको कम्पलसरी

(डा. एन. एस. गुर्जर)

क्यों नहीं करते? जो रात की ड्यूटी देता है उसको तो एक्सक्लूड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी जो लोग हैं उनके लिए सवेरे-सवेरे पी.टी. जरूरी होगी, उनके लिए दौड़ आवश्यक होगी, चाहे 15 मिनट ही कराएं ताकि उनकी फिटनैस रहे। वे रात को बारह-एक बजे तक लेट सोएंगे, सुबह जाकर खूब खाएंगे-पीएंगे और सुबह 9 बजे सोकर उठेंगे तो उनकी फिटनैस कैसे रह पाएगी? इसलिए फिटनैस एंड ट्रेनिंग जरूरी हो। आधुनिक युग में ट्रेनिंग, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, वर्ल्ड के अंदर नये-नये प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं कि क्या-क्या नई चीजें लायी जाएं, क्राइम को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए, किन -किन उपकरणों का सहयोग लिया जाना चाहिए, ये कई प्रणालियां विश्व में लागू हो रही हैं उन प्रणालियों को हमको यहां लागू करना चाहिए और इसके लिए ट्रेनिंग, फिटनैस और रिफ्रेशर कोर्सेज कांस्टेबल और अधिकारियों के लिए समय-समय पर होते रहने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इनकी आप सुविधा भी बढ़ाएं। मैं इस समय यह भी कहना चाहूंगा कि जो कांस्टेबल नीचे हार्ड ड्यूटी करते हैं, ये नीचे के लेवल पर हार्ड ड्यूटी ज्यादा करते हैं। आज ऊपर के लेवल के आफिसर्स को हार्ड ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। ज्यादा से ज्यादा इंस्पैक्शन कर आएंगे थाने में, ज्यादा से ज्यादा जिलों का इंस्पैक्शन कर आएंगे या अपने आफिस में बैठकर काम कर लेंगे, लेकिन फील्ड में कांस्टेबल काम कर रहा है। जो फील्ड के अंदर एएसआई काम कर रहा है, हैड कांस्टेबल काम कर रहा है, थानेदार काम कर रहा है उनकी हार्ड ड्यूटी होती है इसलिए आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। उनको क्या-क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपने यह देखा होगा कि इनकी ड्यूटीज, जो नीचे कांस्टेबल हैं वे पहले ही कम संख्या में हैं, लेकिन वे कहां हैं, उनकी ड्यूटियां कहां लगी हुई है? चार-पांच दिन पहले समाचार-पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा, आज से 10 साल पहले अफसर रिटायर हो गया, उसके घर पर 10 आदमी, 15 आदमी, 12 आदमी, 6 आदमी काम कर रहे हैं। टैंट लगाकर उनके गार्ड लगाये हुए हैं। उनके घर पर काम कर रहे हैं। क्या कांस्टेबल की भर्ती आप इसीलिए करते हैं? माननीय गृह मंत्रीजी, आप साहस दिखाइए, आपको मालूम है और आप चाहेंगे तो कर दिखाएंगे कि पुलिस आफिसरों के घर पर, जितने भी आईएएस आफिसर्स को ओब्लाइज करने के लिए घरों पर

(डा. एन. एस. गुर्जर)

पुलिस वालों की ड्यूटी लगा रखी है, किसी को सामान लाने के लिए, किसी को बच्चों की सेवा करने के लिए, किसी को सब्जी लाने के लिए, किसी की सुरक्षा के नाम पर ड्यूटी लगा रखी है, इन सबको विथड्रा कीजिए। यह साहस दिखाइए और जितने भी रिटायर लोग हैं उनके यहां से विथड्रा कीजिए और वर्तमान में जो आफिसर्स हैं उनकी भी एक लिमिट बांधिए कि इनकी लिमिट यह रहेगी।

मुझे एक तरफ अजीब लगता है कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर जाते हैं, दो-दो पार्टियां होती हैं हर विधान सभा क्षेत्र में, एक उसके पक्ष में होता है, एक विपरीत होता है। कई जगह कई बदमाश होते हैं उनके खिलाफ क्वेश्चन भी पूछने पड़ते हैं, कई बार उनके खिलाफ चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं तो दुश्मनी भी हो जाती है। यदि विधायक सुरक्षा की मांग करे तो स्टाफ की कमी बताकर पुलिस मना कर देती है कि हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा सकते। लेकिन जब अफसरों की बात आती है तो एक मांगो और दस पाओ। यह मेरी समझ में नहीं आता है। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर कोई स्टेट ऐसा नहीं है, ज्यादातर स्टेट्स में विधायकों और एमपीज् की सुरक्षा के लिए गनमैन दिये हुए हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि ज्यों ही विधायक इलैक्ट हो, शपथ ग्रहण करने के साथ-साथ उसको एक व्यक्ति सुरक्षा के लिए मुहैया कराना चाहिए, सुरक्षा के लिए एक पीएसओ मुहैया कराना चाहिए। आप यदि इन अधिकारियों के यहां से हटा लेंगे तो आपके पास एक्सस हो जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक अचंभा हुआ, आज यही हाल मंत्रियों का है, मंत्रियों के पास भी पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है जितनी अधिकारियों के पास है। मुझे ध्यान है, एक बार मैंने यह प्रश्न पूछा, एक प्रश्न उठाया, अब कहां उठाया वह मैं नहीं बताऊंगा, मैं अनुशासन से बंधा हुआ हूं, लेकिन जो पीएसओ विधायकों को दिये जाते हैं, गृह मंत्रीजी, आप स्वयं जानते हैं उनको तो थर्टी एट रिवाल्वर देकर, पुलिस लाइन में जो फील्ड के अंदर नाकारा कांस्टेबल होते हैं, जिसकी शिकायतें होती हैं, जिसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, जो काम नहीं करता है, कामचोर होता है, जिसके खिलाफ कई शिकायतें आती हैं, ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं रहता है उस आदमी को थर्टी एट रिवाल्वर ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही आठ बजे तक बढ़ायी जाती है। माननीय सदस्य कनक्लूड कीजिए।

मांग संख्या 6, 16 व 17 पर विचार

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं खुद ही कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत ही विस्तार से कह दिया है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं खुद ही कनक्लूड कर रहा हूं, मैं कनक्लूजन पर ही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एक दलील दी गई, जितने अधिकारी हैं उनके पास स्टेनगन लिये हुए पीएसओ रहता है, मैंने जब वहां पूछा तो दलील क्या दी गई कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था छुपी हुई रिवाल्वर रहेगी उससे ज्यादा हो पाएगी। तो मैंने कहा कि आपकी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हैं आप यह स्टेनगन लेकर? इसका कोई जवाब नहीं। इसलिए, गृह मंत्रीजी, इसका सिस्टम बनाएं, नार्म्स बनाएं।

आज गाड़ियां हैं, एक-एक अफसर तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच गाड़ियां। इसके कुछ नार्म्स बनाइए कि किस अफसर को कितनी सुरक्षा के लिए कितने व्यक्ति दिये जा सकते हैं। रिटायर होने के बाद किसी को आवश्यकता है, यदि उसके जीवन को थ्रैट है तो उसको कितने दिये जा सकते हैं, उतने दिये जाएं। बाकी आप सबको विथड्रा कीजिए, आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। आज एक थाने के अंदर 10 या 15 सिपाही से ज्यादा नहीं हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं हमको हमारे क्षेत्र के अंदर कितनी दिक्कत होती है। जब कोई अपराध या दुर्घटना होती है तो वे कहते हैं स्टाफ नहीं है, थानेदार कहता है मेरे पास स्टाफ नहीं है किसको भेजें।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पुलिस स्टेशन में जो गाडियां हैं वे नाकारा गाडियां हैं। आज अपराधी बिलकुल लेटेस्ट गाड़ी लेकर आता है और थाने के अंदर टूटी हुई जीप पड़ी है जिसको धक्का देकर स्टार्ट करते हैं, वे कैसे इन अपराधियों को पकड़ पाएंगे? मैं पंचायती राज मंत्री था, मैं मेरा उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, मैंने उस समय प्रस्ताव दिया था कि मेरे विभाग में जितनी जिप्सियां हैं, मेरे विभाग में इतनी अर्जेंसी नहीं है, बीडीओ एक घंटे बाद भी गांव में पहुंच जाएगा तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए मेरे विभाग के अंदर जितनी जिप्सियां हैं, सारी थानों के अंदर पुलिस विभाग को दे दी जाएं।

(समय : 17.00 बजे)

मैंने उस समय आदेश दिया, आपको मैं फिर सुझाव देना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, आप कैबिनेट के अन्दर बैठे हुए हैं, आप एक प्रस्ताव लाइये फिर मुख्य मंत्रीजी से बात करिए, महिला-बाल विकास में जिप्सी की क्या जरूरत है? आज ये जितने दूसरे विभाग हैं उनमें जिप्सी की क्या जरूरत है ? जितनी जिप्सियां और गाड़ियां अच्छी कंडीशन में हैं वे आप सीईओ को या डीवाई.एसपी को और थानों के अन्दर दीजिए। और जितनी नाकारा गाडियां हैं, ये जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं, केवल घूमा-फिरी का काम करते हैं, आंकड़े जुटा कर छोटे मोटे काम करते हैं उनको दीजिए। वे गाडियां फिट हैं लेकिन पुलिस को एलर्ट और विजिलेंट रखने के लिए और आपको व्हीकल देने पड़ेंगे और लेटेस्ट हथियार देने पड़ेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, इसके सम्बन्ध में कुछ नार्म्स बनाएंगे आप, गाडियों के सम्बन्ध में भी, इनके जो लगाते हैं सुरक्षा में उसके सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष महोदय, लॉ मिनिस्टर साहब को और गृह मंत्रीजी को, दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में इस समय प्रयास कर रहे हैं। लॉ मंत्रीजी लॉ विभाग को ठीक करने में और गृह मंत्रीजी गृह मंत्रालय को ठीक करने में प्रयासरत हैं। लेकिन और प्रयासों की आवश्यकता है। मैं इन प्रयासों को पर्याप्त नहीं मानता हूं। आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, और आगे बढ़ाइए, और तेजी से करिए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति में भी और ये जो मुकदमे बढ़ रहे हैं, आम-आदमी को इनका लाभ मिल सकेगा।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, आज जगह-जगह अपराधी इतने निर्विध्न रूप से घूम रहे हैं, हम रोज देखते हैं कि चोरी करने वाला 10 बार पकड़ा गया है उसके बाद 11वीं बार भी उसको छोड़ देते हैं, जमानत कराके फिर चोरी शुरू हो जाती है। आप लोगों को मालूम है, अखबारों से हमको रोज पढ़ने को प्राप्त होता है। इसी तरीके से आज ठगी के मामले चल गये। मैं यहां उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे ही जिले में, मैं कोई वैसे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में बात नहीं करना चाहता, इंडिवीजुअल बात नहीं कर रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपये एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. के युवकों के ठग लिये गये हैं। गृह मंत्रीजी, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पैसे ठगे हैं, ठग करके वह पैसा कहां गया? कितने लोगों से आपकी पुलिस ने पता लगाया, कितने लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया? आपकी पुलिस ने पता लगाया कि यह पैसा है कहां? आपकी पुलिस ने यह पता लगाया कि इसमें अपराधी कौन-कौन हैं ? उनको पकड़ा ? उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. एस.टी., मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव के गांव, मेरे ऊपर भी दबाव बढ़ाया उन लोगों ने और कहा कि आपकी सरकार है, आप विधायक हैं, यह क्या हो रहा है। उनके साथ घरवाले उठ कर आ गये, कहने लगे, अपने जो आभूषण थे वे बेच कर पैसा दिया। माननीय विधायक बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र में भी हुआ, पूरे जिले में हुआ। और भी कई जिलों में हुआ। मैं आपको किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं, अपराधी कोई भी होगा, सज़ा भुगतेगा, पकड़ा गया, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन लोगों से पैसा लिया गया उन लोगों का पैसा वापस दिलवाइए। जिन लोगों का पैसा ठगी के नाम पर, नौकरी लगाने के नाम पर लिया गया है, उनका पैसा वापस दिलवाइए। उस पैसे को बरामद करिए, ट्रकों आपके पास कागज बरामद हुए हैं, उनकी छानबीन करिए। गृह मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में 7 दिन तक, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग गये, 7-7 दिन तक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब दबाव पड़ा जनता का और बाकी लोगों का, जन प्रतिनिधियों का, तब एफआईआर हुई। और उसके बाद फिर कार्यवाही ही नहीं हुई। एक थाने में तो यहां तक कह दिया कि 4 लाख रुपये दोगे तो एफआईआर दर्ज करेंगे। आज तक आपने उस थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या आपकी जांच टीम ने यह जांच करने की कोशिश की कि इस थानेदार ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की पुलिस में? एफआईआर दर्ज नहीं की तो आपने उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की ? आज 8-10

(डा. एन. एस. गुर्जर)

महीने हो गये, अखबारों में जिस मेन मुल्जिम का नाम आ रहा है, विनोद शर्मा, वह आज एक साल हो या 10 महीने, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है, तब से वह गायब है। क्या वह ओसामा बिन लादेन है जो पकड़ में नहीं आ रहा है ? राजस्थान की पुलिस इतनी कमजोर हो गई ? वह कोई बहुत बड़ा अपराधी भी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका आपराधिक रिकार्ड भी इतना बड़ा नहीं है कि बच कर पुलिस की आंखों में झूल झोंक कर हाथ नहीं आ रहा है। वह बहुत बड़ा हिस्ट्रीशीटर भी नहीं है, डकैत भी नहीं है या ओसामा बिन लादेन भी नहीं है। मुझे तो लगता है, ओसामा बिन लादेन है क्या ? मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को पैसे वापस दिलवाएंगे, जिन लोगों ने इस केस के अन्दर अपना कर्तव्य नहीं निभाया उन आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जिन बेरोजगार युवकों के साथ और गरीब जनता, एस.सी. एस.टी., ओ.बी.सी. के हैं ज्यादातर शिकार उन्हीं लोगों को बनाया गया है, उनके साथ न्याय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मदन राठौड़। माननीय सदस्य, 10 मिनट के अन्दर समाप्त करने का प्रयास करें, बोलने वाले सदस्य बहुत हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 6, 16 और 17 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन खड़ा होने के पहले ही आपने तो कनक्लूड करने के लिए निर्देश दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर चर्चा है जिस पर सभी सदस्यों को अपनी राय रखनी चाहिए और इसके लिए समय भी बढ़ाना पड़े तो निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर विषय उठाया है। यह बात बिलकुल सही है कि जब संसद में लोक सभा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद हुआ और एक दूसरे पर इस प्रकार की चर्चाएं होने लगीं कि कौन किसको निर्देशित कर रहा है, उस समय केन्द्र की सरकार ने थोड़ा ढुलमुल रवैया अपनाया, उसके कारण से आज यह दशा हो रही है कि हमको निर्देशित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा और प्रतिष्ठा का मामला है, हमारे मान-सम्मान का प्रश्न है। हमको कोर्ट निर्देश दे रहा है। कोर्ट निर्देश दे नहीं सकता, वह निर्देश दे रहा है। हम उस निर्देश को स्वीकार भी कर लें तो यह हमारा भी अपमान है। निश्चित रूप से हमारे सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट निर्देश दे

(श्री मदन राठौड़)

रहा है कि आप हमारी यह तनख्वाह कर लें। कोर्ट निर्देश दे रहा है, हमको निर्देशित किया जा रहा है कि शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू करें। निर्देशित किया जा रहा है कि इनकी सेवानिवृत्ति पर कम्युटेशन 50 प्रतिशत दिया जाए जबकि राज्य सरकार के अधिकारियों को 30 प्रतिशत ही है। हमको निर्देशित किया जा रहा है कि इन्हें भवन दिया जाए और आवास सुविधाएं इस प्रकार की दी जाएं। यह सब ठीक नहीं है कि इनके पानी, बिजली का बिल भी सरकार वहन करे, यह सब निर्देश करें। हमको निर्देशित किया जा रहा है कि अवकाश के बनिस्बत नकद भुगतान किया जाए। यह निर्देशित शब्द है यह बहुत दुःख देने वाला है। इसके लिए निश्चित रूप से चिंता करने की आवश्यकता है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि न्याय प्रशासन स्टेट का सब्जैक्ट है, उसमें केन्द्र भी निर्देशित नहीं करे या कोर्ट निर्देशित नहीं करे। लेकिन 50 वर्ष तक तो यह चलता रहा। स्टेट की व्यवस्था, न्याय व्यवस्थाएं राज्य सरकार सम्भालती रही। यहां की विधान सभा से निर्देशित होते थे, यहां से बजट तय होते थे और अब यह तय होने लग गया, वे खुद ही अपनी तनख्वाहें तय करने लग गये, वे अपनी सुविधाओं के बारे में तय करने लग गये। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक-एक न्यायाधीश के ऊपर 42-45 कर्मचारी उसकी सेवा में लगे हुए है, यह ठीक नहीं है। उनके भवनों पर कितना रुपया खर्च किया जा रहा हैं। यह भी विचार करें और आज विधायकों का निवास देख लें आप। मैं सोचता हूं कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मकान ज्यादा ठीक होगा, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे विधायकों के घरों में हैं। बाथरूम किस प्रकार के हैं, इन्हें शासन करने वाला कौन है, हम तो इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं लेकिन वे अपनी सुविधाएं खुद ही तय कर रहे हैं। उनकी तनख्वाहें भी वही तय कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है और निश्चित रूप से हमें अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट भी बहुत बढ़े हैं, कोर्ट भी खोले गये हैं लेकिन पैंडेंसी बढ़ी हैं, यह माननीय सदस्य ने अभी आपके सामने रखा। मैं सोचता हूं कि इसको पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जजेज बढ़े और उनकी सुविधाओं के लिए कितना रुपया खर्च किया गया है? 30 जजों के बंगलों के ऊपर 70 लाख रुपया खर्च हुआ। 70 लाख रुपया 30 जजों के बंगलों पर, यह विचार करने का विषय है। और इनके पास में चार-चार गेस्ट हाउस। मैं गांधीनगर में रहता हूं, गांधीनगर में टेनिस कोर्ट बना है इनके टेनिस खेलने के लिए। वहां पर एस्ट्रो

(श्री मदन राठौड़)

टर्फ लगाई जा रही है, जब रात में टेनिस खेलते हैं तो बिजली का खर्च भी होता है। अब पता नहीं यह कहां से खर्चा हो रहा है, किस मद में खर्च किया जा रहा है? यह विचार करने का विषय है कि इतनी सुविधाएं इनको मिल रही हैं लेकिन फिर भी न्याय देने में ये त्वरित नहीं न्याय दे पाते हैं इसमें समय नहीं दे पाते हैं। एक जज तो ऐसे हैं जो केवल आधा घंटा कोर्ट में बैठते हैं। यह सब जब सुनने में आया, अखबारों में तो वास्तव में चिंता हुई कि जज साढ़े 11 बजे तो समय पर आते नहीं, 4 बजे के बाद चले जाते हैं। और एक जज तो केवल आधा घंटा कोर्ट में आवें और वहां पर कोई काम नहीं करें। मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है और यह सब तय होना चाहिए। जब सेंट्रल एवरेज 1900 मुकदमे सुलटाने का है कि एक जज 1900 मुकदमे सुलटाए, यह तो राष्ट्रीय एवरेज है तो फिर हमारे यहां यह 1300 क्यों है, इसके बारे

(समय : 17.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

में जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक जज कम से कम 1900 मुकदमे जो राट्रीय एवरेज है वह तो तय करे। यह जवाबदेही सुनिश्चित करके उनको पाबंद किया जाना चाहिए, तभी जाकर इस व्यवस्था में सुधार होगा, तभी जाकर जनता को न्याय हम दिलवा पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 16 पर निवेदन करूंगा। यह बात बिलकुल सही है कि देश में अपराध तो बढ़े हैं, पूरे देश में अपराध बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पहले उन्हीं क्षेत्रों में अपराध ज्यादा हुआ करते थे। राजस्थान उस समय शांत माना जाता था। यह बात बिलकुल सही है कि राजस्थान शांत है पर कई अपराधी यहां शरणस्थली बनाने के लिए आ जाते हैं, वह जरूर चिंता का विषय है और इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई दृष्टांत आये हैं कि कई अपराधी यहां राजस्थान में शांति से अपना जीवन जीते थे। अपराध यहां कर नहीं पाये, यह बात बिलकुल सही है, अपराध उनको करने नहीं दिया गया लेकिन आतंकवादी यहां पर शरणगाह बनाकर रहते रहे हैं। यहां से जाकर बाहर अपराध करते थे और अपराध करके फिर वापस लौटकर यहां आ जाते थे। इसके बारे में थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि हमारे यहां पर पुलिस नफरी कम है। एक हजार स्क्वायर किलोमीटर पर यहां पर केवल 187 पुलिसकर्मी हैं जबकि आंध्रा में 267 हैं, बिहार में 558 हैं, उत्तर प्रदेश में 650 हैं, पश्चिमी बंगाल में 930 हैं और दिल्ली में तो 37120 हैं। यानि वहां पर इतनी नफरी है और हमारे यहां नफरी इतनी कम है, यह बात बिलकुल सही है। पुलिस पर दबाव भी कम नहीं है। कहीं बिजली की समस्या हो तो पुलिस को देखना पड़ता है, कहीं पानी की तकलीफ हो तो पुलिस को देखना पड़ता है, कहीं भी धार्मिक जुलूस हो तो पुलिस को उसमें व्यवस्था देखनी पड़ती है। कहीं पर साइबर अपराध हो, कहीं पर आर्थिक अपराध हो, कहीं पर मादक द्रव्यों की तस्करी हो, उन सब में पुलिस को पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए पुलिस नफरी की आवश्यकता है, उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, यह बात बिलकुल सही है।

सभापति महोदय, पुलिस ने अपराध कम किये हैं, राजस्थान में निश्चित रूप से अपराधों का ग्राफ कम हुआ है यह बात बिलकुल सही है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं आपके सामने थोड़ा-सा बताना चाहूंगा कि हत्या के मामलों में 2000 में 1513 लेकिन हमारे यहां अभी 2006 में 1209 हुए हैं। हत्या का प्रयास के 2000 में 2005 थे, अभी हमारे यहां 1694 मामले हैं। डकैती के पहले 99 थे, अभी हमारे केवल 37 हैं। लूट के प्रकरण 2000 में 1021 थे जो अभी केवल 631 हैं। अपहरण के पहले 2000 में 3070 थे जो अभी 1970 हैं। बलात्कार की घटनाएं पहले 1242 थीं जो अभी 2006 में 1085 हैं। बलवा की घटनाएं, गजब हो गया, मैं सोचता हूं कि हमारे विपक्षी यही करते रहे हैं, 2000 में 15687, 2001 में 11214, 2002 में 7178 थे और अभी हमारे समय में 1767 हैं, यानि हमने कितना काबू करने की कोशिश की है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सदस्य, बलवा करने वाले तो राज में आ गये, अब बलवा कौन करेगा, इसलिए कम ही होंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इतने समय तक जब आप राज में थे तो यही करते रहे क्या? थोड़ा विचार करो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, यहां गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, गृह मंत्रीजी, आपके विभाग से आदेश गया है कि

(श्री रामनारायण मीणा)

मुकदमे में समझाइश की जाए और मुकदमे कम दर्ज किये जाएं। मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। कल भी मेरे इलाके में हमने जब तक दबाव नहीं डाला, मुकदमा दर्ज करते नहीं हैं। गरीब आदमी हाथ जोड़ते हैं और बैठे रहते हैं। यह आपका आदेश नहीं हो सकता है, आपका विभागीय आदेश हो सकता है, कृपा करके आप ऐसे आदेश को विथड्रा कराएं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। केवल मुकदमे कम दर्ज हों, इससे कोई राज बनता-बिगड़ता है क्या? जब अन्याय होगा तो राज में फर्क पड़ेगा। जो भी है मैं आंकड़े पर नहीं जाता...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपका नम्बर आए तब बोल देना, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्योंकि तथ्य असत्य हैं इसलिए... (व्यवधान)

श्री सभापति: Hon'ble member, your point has been noted. I think, hon'ble minister will give it due consideration. Now let him finish, whatever he is trying to say. I think, it has been taken care of.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): असत्य नहीं है, यह रिकार्ड में है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि दहेज मृत्यु के मामलों में भी पहले बहुत ज्यादा अपराध थे, अभी अपराधों में कमी हुई है। ठीक इसी प्रकार से छेड़छाड़ के मामले भी बहुत कम हुए हैं। देखिये, एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने भवन निर्माण में क्या किया है। 2000-01 में बजट प्रावधान था 06 लाख का, लेकिन इन्होंने खर्च किये केवल 13 लाख, 2001-02 में 25 लाख का प्रावधान था और इन्होंने खर्च किये केवल एक लाख 16 हजार रुपये। अब आप विचार करें कि ये कर क्या रहे थे। इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। 2002-03 में 30 लाख का प्रावधान था और इन्होंने खर्च किया शून्य, 2003-04 में 10 लाख का प्रावधान था और इन्होंने खर्च किया शून्य। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, हमारे बजट प्रावधान था 25 लाख और खर्च किया 24 लाख 5 हजार, 2005-06 में प्रावधान था 30 लाख 53 हजार और खर्च किया 23 लाख 80 हजार। इसके अलावा 4 काम और विचाराधीन हैं। यह सारी स्थिति सामने है। अब तुलनात्मक व्यय इनका क्या बताएं? यह तो रहा आफसेज के भवन का और अब आवासीय भवनों का आप देखिये। 2001-02 में प्रावधान था 10 लाख का और इन्होंने खर्च किया एक लाख 85 हजार, 2002-03 में इन्होंने केवल 8

(श्री मदन राठौड़)

हजार खर्च किये, 2003-04 में इन्होंने केवल 2 लाख 62 हजार रुपये खर्च किये। यानि इन्होंने क्या किया? हमने 2006-07 में खर्च किया 301 लाख 77 हजार। यह तो हमारी स्थिति है अब आप कल्पना करें कि ये कैसे पुलिस को सुविधाएं दे रहे हैं। सभापति महोदय, पुलिस ने जो आंकड़ों में कमी की है, जो व्यवस्था में सुधार किया है इसका बहुत बड़ा श्रेय निश्चित रूप से गृह मंत्रीजी को और यहां जो महानिदेशक हैं, जो ईमानदार हैं, उनको दिया जाना चाहिए। उन्होंने ''आम-जन में विश्वास, अपराधियों में भय'' यह पुलिस का ध्येय वाक्य रखा। इन्होंने पुलिस के लिए जो सराहनीय प्रयास किये इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

इन्होंने जन-सहभागिता का कार्यक्रम अपनाया जो प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक किया। इन्होंने सी एल जी की कमेटियों का गठन किया। बहुत अच्छी बात है कि इसके माध्यम से काफी कुछ सहायता इनको मिली है। लेकिन एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सी एल जी में जो आप प्रतिनिधि लेते हैं उसमें कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर आपने इसमें एक अंकुश और लगा दिया कि राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए। यह ठीक बात नहीं है क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी का होगा तो उसका वर्चस्व होता है, समाज में सामंजस्य स्थापित करने में उसकी क्षमता होती है इसलिए उसको भी निश्चित रूप से उसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए, उसको लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इन्होंने हार्ड कोर क्रिमिनल्स पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की है, यह बहुत अच्छी बात है। हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं जो बार-बार बच जाते हैं और उन्होंने अपराध को अपना पेशा बना लिया है। अपराध प्रवृत्ति के हैं उन पर निगरानी रखने के लिए आपने अधिकारी नियुक्त किये हैं, यह बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से वास्तव में जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उन पर निगरानी रखकर उनको दंडित किया जाना चाहिए, उन पर काबू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम लागू की है वो है केस आफिसर स्कीम। एक बहुत बड़ा अपराधी होता है, वह अपराध करके गिरफ्तार भी हो जाए लेकिन वह गवाहों को धमकाता है, गवाहों को डराता है।

(श्री मदन राठौड़)

गवाह कोर्ट में उसके खिलाफ बयान देने से कतराता है, वह और कई माध्यमों से गवाह को बरगलाने की कोशिश करता है। इन्होंने केस आफिसर स्कीम लागू की, उसके माध्यम से उस अधिकारी की ड्यूटी है कि उसको सज़ा होने तक वो केस जब भी पेशी पर हो वह पेशी पर जाए और यह ध्यान रखे कि वह अपराधी उस गवाह को बरगलाने की कोशिश नहीं कर सके। इसके लिए भी इन्होंने जो प्रयास किये उसके सार्थक परिणाम सामने आये हैं। 3656 केस लिये हैं जिनमें केस आफिसर स्कीम लागू की है, उनमें से 1361 का निर्णय हुआ। 1361 में से 5 को मृत्यु दण्ड मिला, 148 को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, 67 को 10 वर्ष का कारावास मिला, 80 लोगों को 7 वर्ष का कारावास मिला और 410 लोगों को 5 वर्ष का कारावास मिला। इस प्रकार से 710 लोगों को ये सज़ा दिलवाने में कामयाब रहे हैं। निश्चित रूप से अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में इन्होंने सराहनीय प्रयास किये, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, इन्होंने एक स्पेशल आपरेशन ग्रुप एस.पी. के नेतृत्व में कायम किया। जहां कहीं भी ऐसे अपराध जो अन-ट्रेस टाइप के होते हैं, अन्धे, जिनकी कोई जानकारी नहीं होती वहां पर इस प्रकार से जो टीम है वह जाएगी। इसमें भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है, इसका भी लाभ निश्चित रूप से राजस्थान में मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जो लेबोरेटरी है उसको थोड़ा टाइट करने की आवश्यकता है, उसको सुसज्जित करने की आवश्यकता है, उसको साधन-सम्पन्न करने की आवश्यकता है ताकि वहां पर जो रिपोर्टिंग आए वो बिलकुल सही आएं। एफ एस एल के मामले में भी मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी आपने 32 गाडियां खरीदीं, अभी मैं एफ एस एल गया था, वहां मैंने देखा कि 32 गाड़ियां खड़ी हैं और उनको ले जाने वाला व्यक्ति नहीं है। जिलों के हिसाब से आपने गाड़ियां ले रखी हैं, पाली में जाना होगा तो पाली के लिए गाड़ी है...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सदस्य, एफ एस एल में तो अलाउड ही नहीं है, आप गये ही क्यों? वहां तो जाना ही नहीं चाहिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं किसी मुकदमे की जानकारी करने के लिए नहीं गया था। जब मुझे मालूम पड़ा कि वहां 32 गाड़ियां खड़ी हैं और उन

(श्री मदन राठौड़)

गाड़ियों का उपयोग नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा कि वास्तव में इसका पता लगाया जाना चाहिए। मैंने वहां देखा कि गाड़ियां वहां पड़ी थीं। वहां तो जितनी आपके पास टीमें हैं, उतनी गाड़ियां हैं। और इससे अधिक गाड़ियां हैं तो वे पुलिस को दी जानी चाहिए ताकि उनका सही उपयोग हो सके। वे केवल पड़ी रहेंगी। नई गाड़ियां हैं, बिलकुल न्यू ब्रांड गाड़ियां वहां पड़ी थीं। यह मेरे ध्यान में आया तो मैं सोचता हूं, इसका निवेदन आपके माध्यम से करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस के वाहनों में तेल नहीं है। अभी आज की तारीख में, इस महीने की अंतिम तारीख तक उनके पास में अपने वाहनों में तेल डालने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए भी थोड़ा विचार करना चाहिए।

अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सब स्थानों पर थानों में हमने कम्प्यूटर दे दिये लेकिन इनके पास में कम्प्यूटर आपरेटर्स नहीं हैं। इसके लिए या तो पुलिसकर्मियों में से कोई व्यक्ति ट्रेंड करके आपरेटर उसको बना दो या फिर कम्प्यूटर आपरेटर की पुलिस में भर्ती करवा दो तो मैं सोचता हूं, कम्प्यूटर का लाभ मिल सकेगा।

आपने पदोन्नति की, अच्छी बात की है लेकिन कैडर रिव्यू नहीं किया, यह ठीक बात नहीं है। आर.ए.एस. और आर.पी.एस. इसमें प्रमोशन जिस प्रकार से ले रहे हैं, उससे आर.पी.एस. निरुत्साहित हैं। थोड़ा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उनमें भी आत्म-सम्मान बढ़ना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, पदोन्नति में योग्यता और सीनियरिटी हो। आपने सीनियरिटी का तो ध्यान रखा, लेकिन योग्यता को आपने महत्व कम दिया है। जरा इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है तथा योग्यता को निश्चित रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसमें सीनियरिटी जरूर है लेकिन सीनियरिटी से योग्यता भारी होनी चाहिए। योग्यता को ज्यादा महत्व दिया जाए तो इसका लाभ मिलेगा।

आपने स्थानान्तरण पालिसी की है कि चार वर्ष फलां अधिकारी वहां रहेगा, उसके बाद में उसको जिले में बदल दिया जाएगा, किसी का आप जोन भी बदल देते हैं। लेकिन जब कभी भी आप पर संकट आता है, जब आपको लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है तो फिर उसी व्यक्ति को आप

(श्री मदन राठौड़)

वापस बुलाते हैं। तो फिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? क्यों उस व्यक्ति को जो जोधपुर का है, आपने भरतपुर में भेज दिया? फिर वह पेशी पर आएगा, उस पर भी सरकार का खर्चा होगा। वह परिवार से मिलने जाएगा तो भी सरकार का खर्च होने वाला है। तो जरा इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि यह पालिसी कितनी सार्थक रही। आप इस पर थोड़ा विचार करें।

थानों की स्थिति भी खराब है। थानों में मालखाने हैं, वे तो शराब के गोदाम बन गये। वहां पर गाड़ियां इतनी पड़ी हैं, मोटरसाइकिलें पड़ी हैं। जरा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज तो सारा कम्प्यूटर युग हो गया तो सब जगह पता चलाया जा सकता है कि इनका मालिक कौन है। उनको बुलाकर, जो कुछ भी उस पर पैनल्टी वेव करें, कोई और माध्यम से उसको छुड़वाकर, उसको मिल जाए, वह ले जाएं तो निश्चित रूप से आपके ये भण्डार वहां पर नहीं बनेंगे। इस बारे में थोड़ा ऐसा विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय से अभी एक अख़बार में आया था...

श्री सभापतिः अब आप कनक्लूड करें, you start concluding it.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, मैं कर रहा हूं, बिलकुल। निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना होगी। अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक बात कही थी कि जो पक्षद्रोही गवाह होते हैं इसमें निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। गवाह पक्षद्रोही हो जाता है और मुलजिम को लाभ पहुंचाता है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने की स्थिति बननी चाहिए। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। जो झूठी गवाही देते हैं, उसके खिलाफ में भी और चाहे कहीं पर भी कोई सज़ा का प्रावधान हो सके, इस बारे में विचार करना चाहिए। जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, 182 आप उनके खिलाफ चलाते हैं, मैं सोचता हूं कि आज दिन कितने लोगों के खिलाफ में कोई कार्यवाही हुई, कितने लोगों को इसमें सज़ा मिल रही होगी? आप विचार करें तो 182 और 211 के जो प्रावधान हैं, ये कारगर नहीं हैं। इनके बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, यह मानवाधिकार आयोग और यह महिला आयोग,

(श्री मदन राठौड़)

मैं इन आयोगों की तो आलोचना नहीं करता लेकिन किसी अपराधी को कुर्सी पर बैठाकर उससे यदि आदरपूर्वक पूछा जाए कि तुमने चोरी की या नहीं की, तो मैं सोचता हूं, वह इसका कोई जवाब, उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाएगा। हां, इसके लिए कोई मैथड अपनाया जाए, जैसा कि आर्थिक अपराधी और कई ऐसे अपराधियों को दूसरे तरीकों से अपराध उगलवाने का तरीका हो सकता है, वह आप तरीका अपनाएं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि corporal punishment is essential for discipline. इस बारे में थोड़ा-सा विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है, इससे आप सहमत नहीं हों।

सभापति महोदय, मैं टीवी और विज्ञापनों पर भी सेंसरशिप के लिए थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से। आज समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, टीवी पर जो भद्दे प्रसारण हो रहे हैं, आज बाप और बेटी साथ में बैठकर देख नहीं सकते। इसी प्रकार से विज्ञापन भी आ रहे हैं, थोड़ा इन पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इनसे भी दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इस बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चालान में थोड़ी तत्परता बरती जाए। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। जितनी जल्दी चालान करेंगे, देखिये, न्याय मिलता है लेकिन विलम्ब से भी यदि न्याय मिला तो उस न्याय का कोई महत्व नहीं रहेगा। जनता का विश्वास उठ जाएगा। इसके लिए इसमें भी थोड़ी त्वरितता लानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कारागार के बारे में दो निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में 105 जेलें हैं और उनमें 17481 कैदियों को रखने की व्यवस्था है, क्षमता है। हमारे यहां 13973 कैदी हैं, यानी दण्डित और विचाराधीन का 40:60 प्रतिशत का रेशो है। और प्रांतों में यह स्थिति नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे जेल के मंत्रीजी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह अनुपात आपने ठीक रखा है। यह भी व्यवस्था अच्छी आपने कर रखी है। कैदियों को जितनी हम सुविधाएं दे सकते हैं, उतनी आपने दी हैं। 10 खुले बंदी शिविर हैं, उनमें 456 की क्षमता है, यह भी अच्छी व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्था है।

जेलों के आधुनीकरण के लिए केन्द्र से हमने 1302 लाख रुपये मांगे लेकिन अभी तक उन्होंने दिये नहीं है। इसके लिए भी मैं सोचता हूं कि विपक्ष

(श्री मदन राठौड़)

के कई माननीय सदस्य यदि प्रयास कर सकें। यह बहुत कम राशि है लेकिन यह जेलों के आधुनीकरण के लिए बहुत आवश्यक है और यह रुपया भी मिलना चाहिए। यह नहीं मिल पाया है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग को हमने लागू किया, इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। जयपुर में और जोधपुर में हमने प्रयास किये, लेकिन इसको और व्यापक करना चाहिए। इसके लिए भी हमें किसी प्रकार का केन्द्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय, राजस्थान में 39 ऐसे थाने हैं जिनको ISO 9001-2000 यह प्रमाण-पत्र मिला है। यहां पर शिप्रा पथ थाना है, यदि कोई भी माननीय सदस्य जाकर देखे तो वास्तव में देखने लायक वह थाना है, बहुत अच्छा थाना है। ऐसा लगेगा कि कोई स्टार होटल में आ गये हों। सब प्रकार की वहां पर सुविधाएं हैं। उसकी किचन भी देखो, बहुत अच्छी वहां पर व्यवस्था है। इस प्रकार से वह थाना वहां बना है, मैं सोचता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रयास है। इस प्रकार का आदर्श थाना...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मदनजी, मेरी कांस्टीट्युएन्सी में आप चाहो तो व्यवस्था करा दूं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने पुलिसकर्मियों की भर्ती का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसमें 658 आपने आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर जो नियुक्तियां दी हैं, इसके लिए मैं गृह मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है, वह है नकली घी और नकली दूध की। एक डीवाई.एस.पी. ने मुझे बताया कि एक टैंकर जा रहा था नकली दूध से भरा हुआ, वह जिप्सी लेकर पीछा कर रहे थे। टैंकर के चालक को जब यह पता चल गया कि कोई पीछा कर रहा है तो उसने अपने खलासी को ऊपर से भेजा पीछे, पीछे से वह टैंकर की सीढ़ियों से नीचे आया और उसका वाल्व खोल दिया। वाल्व खोलने से वह सिंथेटिक मिल्क गिरने लगा और वह जिप्सी पीछा नहीं कर पाई। टैंकर तब तक भागता रहा, जब तक वह पूरा टैंकर खाली नहीं हो गया। यानी पुलिस को इस प्रकार से चकमा देकर, धोखा देकर अपराधी भागने में सफल हो गये। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी

(श्री मदन राठौड़)

समस्या है कि नकली घी और नकली दूध वालों को पुलिस को पकड़ने का अधिकार नहीं है और इनके पास में उसकी जांच करने का भी आधार नहीं बन पा रहा है। इनको रोकने के लिए सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए और पुलिस को निश्चित रूप से इसमें भी अधिकार देना चाहिए।

शराब तस्करी में पुलिसकर्मियों को इसमें लगाया जा रहा है, यह भी अच्छी बात है और इसके लिए भी बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं और...

श्री सभापति: अब आप, आदरणीय सदस्य, कनक्लूड कर दें। It's already been 25 minutes.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ए.सी.बी. और ए.सी.डी., इस बारे में भी कुछ बताना चाह रहा था। ए.सी.डी. ने भी बहुत अच्छे काम किये हैं, कई अधिकारी और कई कर्मचारी और कई और लोगों पर भी इन्होंने शिकंजा कसा है। निश्चित रूप से जो अपराधी प्रवृत्ति के कर्मचारी हैं, जो भ्रष्ट मानसिकता के कर्मचारी हैं, वे इस मानसिकता को छोड़ेंगे और सही तरीके से, जिस तरीके से हम इनसे अपेक्षा रखते हैं, समाज अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर वे खरा उतरने के लिए प्रयास करेंगे। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आदरणीय श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, यह सदन आज मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन, मांग संख्या-16 पुलिस और मांग संख्या-17 कारागार के ऊपर विचार कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने भी न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी बात कही। माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप तीन एजेंसी-विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने-अपने क्षेत्र में अपना-अपना काम करती हैं लेकिन कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यक्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जो कार्य उनका स्वयं का है न्याय देने का, उसके प्रति ज्यादा गंभीर नहीं हैं। मैं ज्यादा आंकड़े नहीं दोहराना चाहता, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी जो अदालत के चक्कर काटता है, उसने अदालत की जो परिभाषा बना रखी है वह मैं सदन के और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। +++ यानि एक छोटे-से मुकदमे में भी एक पीड़ित पक्षकार को कम से कम सौ पेशियों पर आना पड़ता है। आप अंदाज लगा लीजिये क्या स्थिति होती है। कुछ आंकड़े अगर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं तो स्थिति यह है, हाई कोर्ट को लें, 2004 में जब 24 जज थे तो मुकदमों का निस्तारण हुआ 22354, और जब 2005-06 में 30 जज हो गये तो मुकदमों का निस्तारण घट गया, 21495 रह गये। मेरे से पहले एक साथी ने बता दिया, मैं उसकी दोबारा गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां टोटल आरजेएस, आरएचजेएस और हाई कोर्ट के जजेज सब मिलाकर 785, और पियोन कितने हैं, चार हजार। हमको कोई आपत्ति नहीं है कि इतने पियोन क्यों हैं। लेकिन, सभापति महोदय, स्थिति क्या है कि चपरासी की वेकेंसी निकालेगा डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी परीक्षा लेगा डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी नियुक्ति करेगा डिस्ट्रिक्ट जज और उसको काम में भी लेगा डिस्ट्रिक्ट जज। मैं ईमानदारी से निवेदन करना चाहता हूं, पांच-चार डीजेज से हमारा भी सम्पर्क है, स्थिति क्या है। एक डीजे के यहां एक लड़का काम कर रहा था, मैंने पूछा, भई, तुम्हें क्या तनख्वाह देते हैं, कि साहब मुझे डेढ़ साल हो गया, मुझे यह कह रखा है कि वेकेंसी निकालेंगे और तुझे फिर नौकरी दे देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यह बेगारी प्रथा जज ले लें तो ठीक है, यानि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। सारे कायदे-कानून दूसरों पर लागू हों, इनके ऊपर कोई कायदा-कानून लागू नहीं हो। इनका बंगला, जैसा यह फर्नीचर खरीदना चाहें, जैसे खरीदेंगे, उसके पर्दे जैसे लगाना चाहेंगे वैसे लगायेंगे, सोफा सैट भी बाजार में ये पसंद करेंगे, सारी चीजें ये पसंद करेंगे और रिटायर होंगे तो उसको ये अपने साथ ले जाएंगे। मुकदमों की तादाद घट रही है और कर्मचारियों की तादाद बढ़ रही है, इन पर खर्चा बढ़ रहा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एवरेज डिस्पोजल केसेज का 1900 और राजस्थान का 1300 ही आ रहा है। आज स्थिति यह है कि सरकार ने एक लॉ सैक्रेटरी अपना लगा दिया तो सारे न्यायिक अधिकारी वापिस बुला लिये। सात राज्य इस देश के अंदर ऐसे हैं जहां लॉ सैक्रेटरी आईएएस लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय न्याय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी रूल्स में परिवर्तन करिये और परिवर्तन करके कम से कम लॉ सैक्रेटरी तो आप आईएएस बैठाइये ताकि राज्य सरकार उसके माध्यम से कुछ जो अपने काम हैं, वह कर सकें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इतना ही नहीं, +++ एक लॉ सैक्रेट्री हटाओ तो सारे अपने कर्मचारियों को बुलाने का काम इन्होंने कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधायिका को देखना होता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, कि कोई बीमार व्यक्ति है उसको दवा दिलाने की प्राथमिकता है या पहले इन ज्युडीशियल आफिसर्स के बंगलों पर एसी और कूलर लगाने की प्राथमिकता है। यह देखने का काम विधायिका का है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर तीन उदाहरण आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। पहला उदाहरण रामनिवास बाग़ का, आदेश दिये कि रामनिवास बाग़ से यातायात बंद कर दिया जाए, इसके आने से परिंदे, पशु और पक्षी प्रभावित होते हैं, प्रदूषण फैलता है और पर्यावरण को खराबी होती है। सरकार ने मान लिया, गेट के ताले लगा दिये। फिर खुद ही आदेश दे रहे हैं कि नहीं, नहीं, लोगों को बहुत घूमकर आना पड़ता है और बहुत जन असुविधा होती है इसलिए यह फिर से चालू कर दिया जाए। वापस से चालू कर दिया। दूसरा उदाहरण, ट्रैफिक रूल्स चैंज कर दिये। तीसरा, बीसलपुर की जो परियोजना थी जिससे जयपुर शहर को पानी मिलना था, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। करीब बारह महीने, तेरह महीने स्टे रहा और तेरह महीने बाद उसी टेंडर को मंजूर कर लिया और तेरह महीने बाद वही अपना आदेश, जो सरकार का था, वह का वही मंजूर कर लिया। लेकिन जयपुरवासियों को पानी मुहैया होने के लिए तेरह महीने इंतजार करना पडा, जयपुर को तेरह महीने बाद पानी मिला। एक साल डिले हो गया। लेबर कास्ट बढ़ गई, मैटीरियल कास्ट बढ़ गई। इस तरीके के निर्णय होते हैं। तीसरा उदाहरण मैं और आपके माध्यम से देना चाहता हूं। बीएसटीसी और बीएड में नियुक्तियां सरकार ने प्रारम्भ कर दी और करीब सैंतीस हजार लोगों को नियुक्ति दे दी। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि नहीं, ये आप गलत नियुक्तियां दे रहे हैं। उसके बाद जिस जज ने स्टे दिया, वह रिटायर भी हो गया। चलता रहा मामला। एक साल बाद फैसला वही दिया, कहा, नहीं, राज्य सरकार और आरपीएस.सी. ठीक थी। माननीय सभापति महोदय, इसका परिणाम क्या हुआ सैंतीस हजार शिक्षकों को 200 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। जो वेतन उनको इस पीरियड के अंदर मिलता, उनको उससे वंचित होना पड़ा और फैसला वह का वही दे दिया। इसलिए मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के मामले जो वह के वही हों, केवल अपने अहम् के कारण

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अगर न्यायपालिका विधायिका के और कार्यपालिका के कामों में दैनिक रूप से दखल देगी तो मैं समझता हूं कि इससे स्थिति बिगड़ेगी, चाहे मामला राजस्थान का हो और चाहे और का हो।

आज भ्रष्टाचार भी इसके अंदर बढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश सब्बरवालजी खुद कह रहे हैं कि आज न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार आ गया। यह बात मैं नहीं कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज कह रहे हैं कि आज न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था खतम करने के पक्ष में हैं। फैसलों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन उसकी गुणवत्ता घट गई है। यह कौन कह रहा है, यह केन्द्रीय विधि मंत्री कह रहे हैं। केन्द्रीय विधि मंत्री हंसराज भारद्वाज ने शुक्रवार को रायबरेली में दिये एक बयान में कहा था कि सरकार फास्ट ट्रैक अदालतों को जल्दी ही खतम करेगी क्योंकि ये जनता को गुमराह करते हैं, न्याय प्रक्रिया को सस्ता और सुलभ बनाते हुए, साधारण न्यायालयों में ही न्यायाधीशों के खाली पद भरकर इन मामलों को उसी में भेजा जाएगा। मतलब आज स्थिति यह हो रही है कि इंसाफ नहीं हो रहा है, फैसले हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अधीनस्थ न्यायालयों के वेतन-भत्तों सम्बन्धी कानून विधान सभा में लाए और इस हेतु एक अलग से विधान पारित हो, ताकि जन प्रतिनिधि ही यह तय कर पाए कि जनता का पैसा कैसे और किस पर खर्च किया जाए।

दूसरे, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि क्यों नहीं कोर्ट में जो एलडीसी और यूडीसी काम करते हैं उनका भी चयन आरपीएससी के माध्यम से हो? जो शोषण उनका हो रहा है, यह एहसान उन पर जताया जाता है जब तक सर्विस करते हैं, कि तुझे हमने नियुक्ति दी है। आप जाकर देख लें, हमने भी वकालत की है, अभी नाथूसिंहजी भी कह रहे हैं, कालीचरणजी ने भी वकालत की है, +++ तो आज इस सारे भ्रष्टाचार को और सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि विधायिका को सक्षम रूप से कोई न कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। यही स्थिति सारी कोर्ट्स में है। आप देखें कि 241 नये कोर्ट आपने खोल दिये उसके बाद भी मुकदमों की जो पैंडेंसी है, 2000 में 8 लाख 93 हजार थी, 2003 में 9 लाख 10 हजार

और आज 2005-06 में बढ़कर 10 लाख 50 हजार हो गई। आप अदालत खोले जाओ, आप स्टाफ लगाये जाओ और उसके बाद मुकदमों की पैंडेंसी वही की वही है, बल्कि बढ़ रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर यह कीजिये।

दूसरा एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं, आज आजादी के 58 साल बाद भी आरजेएस की भर्ती नीति में एससी और एसटी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी मैंने मुद्दा उठाया था, बैकलाग की बात भी की थी और आपने यह आश्वासन दिया था कि जिस तरह से आरपीएस और आरएएस के अंदर पांच अंक की छूट दी जाती है, ऐसे ही हम आर जे एस में भी पांच अंक की छूट देने का काम करें। इस सम्बन्ध में आपको मेघवाल समाज का ज्ञापन भी 22.2.2006 को मिला है जो आपने गवर्नमेंट को जवाब के लिए भेजा हुआ है। लेकिन 9 महीने हो गये हैं, 9 महीने में तो एक बच्चा बनकर बाहर आ जाता है, आपका जवाब नहीं आया, जांच नहीं आई। इसलिए इसको आप गम्भीरता से लें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के काम का बंटवारा होने के लिए रूल्स के अंदर आप चेंज लाइये और उसको कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन पुलिस विभाग की मांग पर भी करना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था की जैसी स्थिति है, सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। हालांकि सत्तापक्ष के दो माननीय सदस्य बोले, दूसरों को तो कह रहे थे कि तैयारी करके नहीं आये, जो काम इनको करना चाहिए वह काम हमको करना पड़ रहा है। न सिर्फ जयपुर में, न सिर्फ राजस्थान में, न हिन्दुस्तान में बल्कि एशिया में राजस्थान के और राजस्थान में भी जयपुर के दो थाने एक शिप्रापथ और एक रामगंज को चयनित किया गया है फर्स्ट और सैकिण्ड नम्बर पर। इसके लिए तो, गृह मंत्री महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि एशिया में इन दो थानों का चयन हुआ है। इससे हम संतोष कर लें...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपके पहले हमने बधाई दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसकी?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हमने बधाई दी है उनको अच्छा काम करने के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो कह रहे थे एफ आई आर दर्ज करने के लिए चालीस हजार मांग रहे हैं। आप तो हमारा काम कर रहे थे, नाथूजी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह कहा ही नहीं मैंने, एफ आई आर दर्ज करने के लिए चालीस हजार दिए। (व्यवधान) यह आप समझ ही नहीं रहे हैं, यह कौनसा मामला है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप रिकार्ड निकलवा के देख लो, मैंने आपको टोका नहीं, मुझे अब आप नहीं टोकें। आप बैस्ट विधायक हैं, आप जब बोलते रहे मैं सुनता रहा, इसलिए आप कोई बात हो तो बाद में कह दें।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां दो थाने हमारे आदर्श थाने और अच्छे थाने बने हैं, माननीय गृह मंत्रीजी आपको प्रतिवर्ष दो ऐसे थानों का भी चयन करना चाहिए जो नीचे से अपने काम को प्रतिपादित करने में असफल रहे हों। आप अगर अच्छे रहने वाले, आदर्श थाना रहने वाले को पुरस्कृत करें तो उनको भी कम से कम दण्डित किया जाए, ताकि यह डर रहे कि कहीं हम निम्न थानों में न आ जाएं। इस तरीके की कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

अभी यहां बड़े जोर-शोर से कहा जा रहा था कि अपराधों में कमी हुई है, चालानी का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं महिलाएं प्रदेश की आबादी का आधा हिस्सा हैं, 50 प्रतिशत नियर अबाउट, क्या यह सही नहीं है, गृह मंत्रीजी, कि महिला अत्याचारों की संख्या में वृद्धि हुई है, आप उठा कर देख लें? मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, यह आपने जो पुलिस विभाग का प्रतिवेदन हमको दिया है इस पुलिस विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि महिला अत्याचारों में रोज दो लूट हो रही है, तीन हत्या हो रही हैं, तीन बलात्कार हो रहे हैं, आप उठाकर देखें, 2005 में जहां 361 दहेज मृत्यु हुई थीं, 2006-07 में 394 हुई, 9.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला मुख्य मंत्री, महिला सशक्तीकरण वर्ष और महिला नारी का सम्मान हम नहीं कर पाये और उसके प्रति अत्याचारों में वृद्धि हो रही है, हमारे लिए बड़ी शर्म की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बात है। सारे मापदण्ड खतम हो गये। 58 साल की आजादी के बाद आज छह साल की बालिका से लेकर साठ वर्ष तक की महिला की इज्जत सुरक्षित नहीं है। चाहे जयपुर का एस एम एस अस्पताल हो, चाहे केन्द्रीय कारागार हो, चाहे जोधपुर का सर्किट हाउस हो, चाहे सेंट्रल जेल हो और चाहे महिला आवास गृह हो, कोई स्थान, यहां तक कि जोधपुर में भगवान का घर रणछोरदास मंदिर भी नहीं बचा जहां मां-बहिन की इज्जत लुटने का काम नहीं हुआ हो। इसको हम फर्क की बात नहीं कह सकते, यह बड़े शर्म की बात है। दूसरी तरफ दहेज और आत्महत्या के जो अपराध हैं उनमें 32.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, महिला उत्पीड़न के अंदर 17.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ एस सी और एसटी जो इस प्रदेश में 28 प्रतिशत है, 16 प्रतिशत एससी और 12 प्रतिशत एसटी, 50 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी आपने देख ली कि महिलाओं के साथ कैसा सलूक हुआ है, अब ये जो हमारे एससी और एसटी हैं इनके प्रति अपराधों को हम कम तो नहीं कर पाये, बराबर भी नहीं रख पाये, चाहे आंशिक वृद्धि हुई है 1.2 प्रतिशत, लेकिन आपके ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं, तसलीम करते हैं कि इसमें 1.2 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि हुई है। 50 प्रतिशत महिलाओं के अपराधों में वृद्धि हुई है और 28 प्रतिशत एस.सी., एसटी के अंदर वृद्धि हुई है तो 50 और 28, 78 प्रतिशत के साथ तो वृद्धि हो रही है, आप खुद अंदाजा लगा ले कि आप कितने लोगों को सही न्याय दे पाये हैं। यह आपका आंकड़ा है, आप अपने हिसाब से देख लें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी रोका जाना चाहिए। यह बात सही है मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सवाईमाधोपुर के एक छात्र हंसराज मीणा जिसकी पुलिस हिरासत में मोन टाउन थाने में मृत्यु हुई थी, उसको पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने जूता पहने हुए लात मारी। उसके अंडकोषों पर लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। आज तक उसकी कोई जांच नहीं आई, आपने उसमें किसी को दोषी नहीं पाया। (व्यवधान) जो भी हो सी आई डी की रिपोर्ट मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। दूसरी तरफ करौली जो धार्मिक स्थली के नाम से जाना जाता है, करौली में मदन मोहनजी महाराज का मंदिर, करौली जिले के अंदर दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र महावीरजी, दिगम्बर में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, केला माता का मंदिर, उस करौली की स्थिति यह है, जिस धार्मिक नगरी के मदन मोहनजी के प्रसिद्ध मंदिर में आज भी मुस्लिम भक्त काले और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भजन गाते हैं आज उस नगरी के साम्प्रदायिक सौहार्द को ग्रहण लग गया। 21.6.2006 को करौली का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। माननीय गृह मंत्री महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर साम्प्रदायिक घटनाएं भीलवाड़ा में हुई हों, आपके उदयपुर में हुई हों, झालावाड़ में हुई हों, कहीं भी हुई हों, चाहे बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हुई हों, लेकिन करौली जिला उससे महफूज था। एक अजीब तरीके का साम्प्रदायिक सदभाव करौली में था। वहां भी इस तरीके की घटना हुई। ये घटनाएं यूं हो रही हैं कि हम अपराधियों को दण्डित नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो और चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर अपराधी को उसका अपराध देखते हुए आप दण्डित करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर दंगाई छूट जाएंगे, अपराधी छूट जाएंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी व्यवस्था है, अगर मुल्जिम पक्ष आपसे तफ्तीश बदलने के लिए कहे तो उस पर तफ्तीश नहीं बदलनी चाहिए, पीड़ित पक्षकार अगर कहे तो ही उसके ऊपर तफ्तीश बदलनी चाहिए। मुल्जिम पक्षकार पहले थाने में और फिर सी ओ के यहां, फिर एडिशनल एस पी के यहां और फिर सी आई डी के अंदर उसको बदलवाता रहता है और लिंगर ऑन हो जाता है। तब तक गवाह होस्टाइल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है और वह बच निकलता है। इसलिए जब तक आप कठोरता नहीं रखोगे जब तक यह काम नहीं होगा।

दूसरा एक उदाहरण, 21 सितम्बर, 2006 को ही झुन्झुनूं में पत्रकारों और छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, जहां से हमारी अध्यक्ष महोदया आती हैं, जिस जिले से हमारे लीडर आफ अपोजिशन आते हैं। वह पुलिस का बर्ताव अच्छा नहीं था। आज तक भी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। वहीं घटना फिर हुई जयपुर के कलेक्ट्रेट के अंदर डांस पार्टी के मामले की जानकारी करने के वक्त। एक तरफ आप सूचना का अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ मीडियाकर्मी और पत्रकार वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए अगर वहां जाते हैं तो उनके साथ लाठी चार्ज किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके कैमरे तोड दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है, इसको आपको बदलना चाहिए। मुझे खुशी है, माननीय गृह मंत्रीजी आपने पुअर वेल्फेयर सोसायटी के अभिनंदन समारोह में एक बात कही थी, मैं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आरएसएस का स्वयं सेवक हूं तथा आरएसएस संघ में हूं, मैं राजस्थान के गृह मंत्री होने के नाते किसी भी जाति और धर्म के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होने दूंगा। यह बात सही भी है कि इस तरीके का आचरण होना चाहिए। आज अल्पसंख्यकों के साथ विशेषकर मैं मेवात क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं, मेवात में एक टेन्डेंसी बन गई, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, शादी हुई अभी पांच दिन पहले और शादी के अंदर उसने मोटरसाइकिल दी। वह मोटरसाइकिल लेकर हरियाणा से आ रहा है, पुलिस वालों ने पकड़ा, पकड़ कर उसके दो मारे डंडे और ले जाकर मोटरसाइकिल बंद कर दी। उसने कहा, साहब, ये कागज देख लो, रसीद देख लो, अभी निकाह हुआ है, विदा हुई है और मैं आ रहा हूं यहां से, मैं रजिस्ट्रेशन भरतपुर से करवा लूंगा, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कैसे कराता। बोले कुछ नहीं। या तो पैसे दे दो, नहीं बंद कर दी। कागज ले आए जब छूट जाएगी। मतलब यह है कि एक जाति, धर्म के लोगों के साथ, मेव बिरादरी के साथ हरेसमेंट न हो। यह जो बात आपने अपने मुख से कही, अगर इस तरीके का सर्कुलर निकल जाए। पुलिसकर्मियों में या अधिकारियों में इस तरीके की भावना हो कि भाई बीजेपी को तो वोट देते नहीं हैं मुस्लिम इसलिए बीजेपी का शासन है हम इनके ऊपर अगर हरेसमेंट करें, अत्याचार और ज्यादती करें तो सरकार में बैठे हुए कारिंदे और सरकार के मंत्री और विधायक खुश होंगे, मैं समझता हूं, इस भावना को खतम करना चाहिए। चाहे किसी भी मजहब और किसी भी धर्म और सम्प्रदाय के लोग हों, अगर अपराधी हैं तो उसको अपराधी जैसा ट्रीट किया जाए। अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है और अगर अपराधी नहीं है तो इस आधार पर उसका हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप एक नया पुलिस कानून लाने जा रहे हैं और उस पुलिस कानून में आप एस.पीज. को जिला कलक्टरों के मातहत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आपने पहले भी प्रवर समिति बनाई उसमें इस पर खूब चर्चा हुई है। चाहे आप जयपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था करें, चाहे आप राजस्थान में नया पुलिस एक्ट लाएं, चाहे आप एफआईआर की तरह से जो गवाह अपने बयान देते हैं उनको कलमबद्ध और सर्टिफाई करने का काम करें, सारी चीज करें, लेकिन पुलिस को स्टेट के अंडर में इण्डिपेंडेंट काम करने की छूट मिलनी चाहिए। वैसे ही कलक्टर जिला मजिस्ट्रेट होता है और उसके नाते कानून और व्यवस्था

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के सम्बन्ध में एसपी को गाइडेंस दे सकता है लेकिन आप कानून बनाकर अगर एसपीज को कलक्टर के अंडर में कर देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे कंप्लीकेशंस बढ़ जाएंगे और सही तरीके से जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा।

एक मैं आपसे यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में आपने कई अलग-अलग सैल बना रखे हैं, एक सैल आपको और बनाना चाहिए। आज जयपुर में और बड़े शहरों में भू-माफियाओं के अपराध बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। जयपुर में लाखों लोग इस चीज से पीड़ित होंगे कि एक-एक भू-माफिया, एक-एक भूखण्ड के पट्टे कई-कई लोगों को दे देते हैं। पैसे किसी से ले लिये, कब्जा किसी को दे दिया, पट्टा किसी को दे दिया। इतने लिटिगेशन बढ़ रहे हैं इसलिए आप एक सैल अलग से बना दें, तो आप देखिये, उसके अन्दर बड़ी तादाद में लोग आ कर अपने मुक़दमे पंजीबद्ध कराएगे और लोगों को न्याय मिलेगा। जयपुर में लतीफ की हत्या हो गयी। तोपखाना हुजूरी के तकिया हकीम शाह में बिजली गिरने से कलीम नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उसे अभी तक अंतरिम सहायता जो मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिल पायी है।

मैं एक निवेदन आपसे एफएसएल के सम्बन्ध में भी करना चाहूंगा। एफएसएल के ऊपर सुमेरपुर से आने वाले सदस्य ने अपनी बात कही है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि एफएसएल की पैंडेंसी बहुत है। एक कमेटी में एग्जामिनेशन में कुछ तथ्य हमारे सामने आये, तीन-तीन साल से ज्यादा की भी पैंडेंसी है। तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर उसका फैसला हो जाना चाहिए। दूसरा निवेदन मैं एफएसएल के सम्बन्ध में आपको करना चाहूंगा कि एफएसएल के निदेशक की सेवानिवृत्ति हो गयी और आप उसका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, जो उससे सैकिंड लाइन, थर्ड लाइन के आफसर होते हैं वो कई सालों से आशा संजोये रहते हैं कि फलां सन में हमारे निदेशक रिटायर होंगे तो एडिश्नल डाइरेक्टर का नम्बर आएगा, या उसका नंबर आएगा। फिर आप उसका काम बढ़ा देते हैं तो दूसरे लोगों को बड़ी निराशा होती है और सही तरीके से काम नहीं होता है। कोई स्पेशल परिस्थिति हो तो ही मैं समझता हूं कि आपको उसका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मैं भी सुमेरपुर से आने वाले सदस्य की इस बात से जरूर सहमत हूं कि हमारे यहां पुलिस की नफरी कम है। आपके कार्यकाल में पिछले साल भी आपने पांच-छह हजार कांस्टेबलों की भर्ती करायी और इस साल भी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी और महिला कांस्टेबल्स की भी भर्ती की जाएगी। उनको आधुनिक हथियार भी दीजिये, साधन भी खराब हैं वो साधन भी दीजिये, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि थानों में जो जब्ती का सामान पड़ा हुआ है उसका डिस्पोजल भी होना चाहिए। कोई एक टाइम पीरियड हो। पन्द्रह-पन्द्रह साल से किसी की कार पड़ी है, पन्द्रह-पन्द्रह साल से कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं, रिक्शा पड़े हैं, साइकिलें पडी हैं, दारू की बोतलें जब्त हैं। रखने की जगह नहीं है। मैं जहां गांधीनगर में रहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे घर के सामने पुलिस थाना है, आप स्वयं जाकर देख लें, चाहे, गृह मंत्रीजी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कभी आकर उसका मौका देख लें कि जो दहेज का सामन लोग जमा कर जाते हैं वो खुले के अन्दर पड़ा हुआ है। बारिश आ रही है, सोफा भी भीग रहा है, बैड भी भीग रहा है, गद्दे भी भीग रहे हैं, क्या कीमत रह जाती है उसकी? वहां रखने की कोई जगह नहीं है। मान लिया कि आपने सामान जब्त कर लिया, कोर्ट आदेश देगी, फैसला होगा तब किसी को देंगे। लेकिन जहां इतना खर्चा हो रहा है तो आप कैसे भी करें लेकिन उस सामान को सही ढंग से रखने की व्यवस्था तो हो। यह नहीं कि तो दूसरे का है, लावारिस पड़ा हुआ है। इसलिए आपको इसके लिए काम करना चाहिए।

मैं गृह विभाग से सम्बन्धित एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हज हाउस के निर्माण की बात है, आज ही मेरे एक सवाल का जवाब आपने बड़ी खूबसूरती से दे दिया कि हज कमेटी इसका निर्माण कराएगी और हज कमेटी इसकी तैयारी कर रही है। Haz committee is a part and parcel of the home department. सरकार जब छोटे-मोटे मामले, मुकदमे वापस ले सकती है तो इस हज हाउस के ऊपर भी जो छोटे-मोटे लिटिगेशन हैं, उनको वापस लेकर हज हाउस बनाइये। इस साल जो लोग हज पर गये थे उनको आपने टैंट लगा-लगा कर ठहराया। मालूम है आपको कि टैंटों पर कितना खर्चा हुआ है? आप हर साल लाखों रुपये टैंटों पर खर्च करोगे इससे अच्छा तो बिल्डिंग बन जाए, जो हज के टाइम हाजियों के भी काम आए और दूसरे लोगों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के भी काम आए। कहीं भी बनाएं आप लेकिन कम से कम आपको इस हज हाउस का काम सुलटाना चाहिए।

मैं एक निवेदन, माननीय सभापति महोदय, होम गार्डस के बारे में भी करना चाहूंगा क्योंकि होम गाडर्स को कोई टच ही नहीं करता। राजस्थान होम गार्डस एवं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की लगभग 90 हजार की नफरी है जबकि पुलिस फोर्स की नफरी लगभग 59 हजार ही है। पुलिस विभाग में 2 डीजी, 11 एडीजी, 24 आईजी, 36 डीआईजी एवं 53 पोस्ट एसपी की हैं। होम गार्डस में 1 डीजी, 1 डीआईजी ही लगा रखे हैं। अत: इस विभाग में भी 1 एडीजी और 1 आईजी और 2 डीआईजी आपको लगाने चाहिए। पुलिस विभाग की नफरी की कमी को मद्देनजर रखते हुए होमगाडर्स के जो कांस्टेबल्स हैं उनको चुनाव की ड्यूटी पर ही काम में लें या सुरक्षा की ड्यूटी पर ही काम में लें, इसके अलावा कई ऐसे काम भी हैं। उत्तरांचल में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी बंगाल में, दिल्ली में, यूपी में कानून और व्यवस्था में भी होम गाडर्स से ड्यूटी ली जाती है, उनसे तफ़तीश भी कई जगह करायी जा रही है, उनको काम दिये जाते हैं। मुल्जिम को लाने और उनको हाज़िरी पर या मुकदमों में पेशी पर ले जाने का काम भी उनके द्वारा किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि विभागीय नियमों का प्रारूप अनुमोदन के लिए राज्य को भेजा हुआ है, इसका अनुमोदन शीघ्र किया जाए ताकि विभाग में काफी संख्या में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हो सके।

नागरिक सुरक्षा की अग्निशमन सेवाओं का भी विस्तार किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, जो महिला होमगाड्र्स हैं, उनकी ड्यूटी केवल आप चुनाव के टाइम लेते हैं, चुनाव के अलावा उसको लेते नहीं हैं। आप उसको 90 रुपये या 100 रुपये पर डे जो भी देते हैं, अब चुनाव तो पांच साल में हो रहे हैं या कोई और विशेष सुविधा हो रही है उसमें ले रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो महिला होम गार्डस हैं उनको आप गर्ल्स कॉलेजेज, गर्ल्स हास्टल्स में, जनाना अस्पताल में, महिला थानों में, रोडवेज के वर्कशॉप्स में, सेन्ट्रल जेल आदि में भी लगा कर उनका उपयोग कर सकते हैं।

मैं एक उदाहरण आपको और पुलिस का करूं, अभी विद्याधर नगर थाने में एक मरे हुए व्यक्ति जिसको मरे हुए पांच साल हो गये, उसके खिलाफ

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भी वारंट जारी कर दिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। मरे को जिन्दा बता रहे हैं । विद्याधर नगर पुलिस है बड़ी कारसाज, पांच साल पहले मर चुके रमेश चंद को जिन्दा कर एफआईआर में नाम दर्ज कर दिया और उसका गिरफ्तारी वारंट भी इश्यु कर दिया। मानता हूं कि ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं लेकिन फिर भी इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए।

मैं एसीपी के बारे में एक लाइन ...

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पांच-दस मिनट में खतम कर रहा हूं। मैं एसीपी के बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं एंटी करप्शन ब्यूरो जरूर अच्छा काम कर रहा है लेकिन छिपकलियां ही छिपकलियां पकड़ने से काम नहीं चलेगा कुछ मगरमच्छों को भी तो पकडकर दिखाना चाहिए। आप पकड़ रहे हो पटवारी को, एलडीसी को, थानेदार को और जो बड़े-बड़े लोग हैं उन सरमायादार लोगों को, मगरमच्छों को भी पकड़िये। वैसे जो भी काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है ।

मैं कारागार के बारे में अपनी राय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, कैदी जेलों से भाग रहे हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हुई। परामर्शदात्री समितियों की, पैरोल समिति की समय पर बैठकें नहीं होतीं। विधान सभा की समितियां और न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी और मानवाधिकार आयोग जो निरीक्षण करते हैं, जो सुझाव देते हैं उन पर भी कोई अमल नहीं होता है। जेलों में कुख्यात अपराधियों का साम्राज्य हो रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पुलिस के पूर्व महानिदेशक और राज्य सभा सांसद आदरणीय ज्ञानप्रकाश पिलानियाजी ने एक लेख लिखा है, 'जेलें बनीं अपराधियों की आरामगाह।' आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूंगा या, होम मिनिस्टर साहब, आपको दे दूंगा। मैं समझता हूं कि इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मिलाई में भ्रष्टाचार हो रहा है, पर्याप्त सुविधा कैदियों को नहीं मिल रही हैं। जो शिक्षित कैदी हैं उनको आईआईटी और दूसरे जो ट्रेनिंग के काम हैं वो कराने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल जेलें सब मिलाकर 108 हैं। बंदी खुले शिविर दस हैं इनमें मात्र 456 लोग ही रह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खुली जेल के जो शिविर हैं उनकी तादाद आपको बढ़ानी चाहिए। इस पर आपका कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता है, केवल आप जगह देते हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कैदी स्वयं उसके ऊपर अपने झोंपड़े बनाते हैं, उसमें रहते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को वहां आ जाते हैं। तो जो कैदी एंटाइटल हो गये, जिन्होंने आधी सज़ा भुगत ली, जिनका कंडक्ट अच्छा रहा है, पैरोल पर भी गये भी वापस आ गये, मैं समझता हूं कि इन खुली जेलों की संख्या बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इसमें दी जानी चाहिए।

मैं आपसे अंत में एक निवेदन और यह करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक घटनाएं एक हद तक रुकी हैं लेकिन फिर भी एकाध जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे प्रदेश के लिए और हमारे लिए बड़ी शर्मनाक होती हैं। इन पर रोक लगे और जो दंगाई हैं या जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए।

(समय : 18.00 बजे)

अंत में एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करूंगा।

एक स्कूल अब ऐसा भी चलाया जाए
जिसमें कुछ और नहीं प्यार सिखाया जाए।
किसी मंदिर में दीया ऐसा जलाया जाए
जिसके उजियारे में कुरान पढ़ाया जाए।
रावणों की यहां वैसे भी कमी क्या है लोगों,
अब दशहरे पर तो रावण न जलाया जाए ।
जो यह कहते हैं कि यह देश है कुछ लोगों का,
ऐसे लोगों को घनश्यामजी अब इतिहास पढाया जाय ।

आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति: आदरणीय कालीचरणजी ।

सूचना

संविदा चिकित्सा कर्मियों द्वारा किया जा रहा आमरण अनशन समाप्त

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, आज सुबह राज्य के संविदा चिकित्सा कर्मियों के बारे में सदन में चिंता व्यक्त की गई थी और यह मांग की गई थी कि चिकित्सा मंत्रीजी उनसे बात करें । चिकित्सा मंत्रीजी ने न केवल उनसे बात की है बल्कि उन्होंने अपना आंदोलन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
भी वापस ले लिया है इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चिकित्सा मंत्रीजी भी यहां मौजूद हैं यह क्यों नहीं कहते, सारी बात आप ही क्यों कहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको क्या दिक्कत है?

मांग संख्या 6, 16 व 17 पर विचार

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16, 17 और 6 पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, अपराधों पर नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है । मैं क्योंकि जयपुर शहर से चुन कर आया हूं इसलिए मैं अपने आपको केवल जयपुर शहर तक सीमित रखूंगा । सभापति महोदय, मैं जयपुर की बात करूं उससे पहले मेरे से पूर्व नगर से आने वाले माननीय विधायक ने जो कहा इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं तो यह सोचता था कि यह बहुत सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति हैं और राजनीति से ऊपर उठ कर बात करेंगे । परन्तु इन्होंने मेव के बारे में यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, फिरकापरस्त पार्टी है । (व्यवधान) पुलिस वहां केवल इसलिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश होंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जुमला अब बहुत पुराना हो गया कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, फिरकापरस्त पार्टी है, यदि इनका राज आ गया तो क्या पता मुसलमानों के साथ क्या होगा। देश में अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके, यहां पर भी आठ साल तक भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री रह चुके, वसुंधराजी भी तीन साल से मुख्य मंत्री हैं, वास्तविकता तो यह है, जब-जब राजस्थान में कांग्रेस का राज आया है, तब-तब साम्प्रदायिक घटनाओं में वृद्धि हुई है और जब-जब भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में आया है, साम्प्रदायिक घटनाओं में कमी हुई है। सभापति महोदय, मैं आंकडों के हिसाब से यह बताना चाहूंगा । (व्यवधान) यह जिम्मेदारी से बचने का अच्छा तरीका है ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, इधर से भी नाम पुकार लिये, उधर से भी नाम पुकार लिये, बीच में जो लोग बैठे हैं इनका भी थोडा ध्यान रखें ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सदन में अन्याय हो रहा है ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सभापति महोदय, साम्प्रदायिक दंगे जब कांग्रेस का राज था, दो हुए, हमारे तीन साल के राज में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । इसी प्रकार से साम्प्रदायिक घटनाएं कांग्रेस के राज में 1999 में 3, 2000 में 2, 2001 में 5, 2002 में 22 और 2003 में 1, हमारे राज में तीन साल में 2004 में 2, 2005 में 2 और 2006 में 2 । इसी प्रकार से साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं देखिए आप, 1999 में जब इनका राज था 38, 2000 में 50, 2001 में 54, 2002 में 62, 2003 में 37 और हमारे राज में 2004 में 15, 2005 में 19 और 2006 में 15 । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर साम्प्रदायिकता कौन फैलाता है । मैं कह रहा हूं न कि यह सब तो आंकडे बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब राज में आती है, अटल बिहारी वाजपेयीजी ने यह कहा था कि राज का कोई धर्म नहीं होता है, राज में सब बराबर होते हैं। हमारा यह मानना है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराध कोई भी व्यक्ति करेगा चाहे वह किसी भी मजहब का हो, उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्रीजी को कि जब से उन्होंने राजस्थान में गृह मंत्री की बागडोर सम्भाली है, उसी सिद्धांत के आधार पर वह चल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, साम्प्रदायिक तनाव में कमी आई है, साम्प्रदायिक दंगों में कमी आई है । सभापति महोदय, मैं इस बात के लिये भी आदरणीय गृह मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा, नगर से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही, कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार जयपुर के दो थानों को प्रदेश में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं एशिया में सर्वश्रेष्ठ थानों के रूप में चुना गया है शिप्रा पथ थाना और रामगंज था। परन्तु केवल हम उनकी वाहवाही कर दें कि शिप्रा पथ थाने और रामगंज थाने को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है इतना ही पर्याप्त नहीं है । मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि दोनों थानों के जो भी इंचार्ज हैं, जो भी वहां के कर्मचारी हैं, जो भी वहां के पुलिसकर्मी हैं उनको निश्चित रूप से पुरस्कृत करना चाहिये और यदि नियम आडे नहीं आते हों तो यदि हम उनका प्रमोशन भी करें तो कोई खास बात नहीं है । निश्चित रूप से इससे और थानों के पुलिस कर्मियों को एनकरेज होने का मौका मिलेगा ।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, मैं जयपुर तक अपने आपको सीमित रखूंगा। यह बात सही है कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, पिछले तीन सालों में जयपुर शहर की कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से काफी सुधार हुआ है । अपराधों पर अंकुश लगाने में भी हमारी सरकार को सफलता मिली है । सराहनीय प्रयास भी हमारी सरकार ने किये हैं । परन्तु आज भी यदि हम यह कहें कि जितना हमने अपराधों पर नियंत्रण किया, वह पर्याप्त है, कानून व्यवस्था में जितना सुधार लाने का हमने प्रयास किया, वह पर्याप्त है, तो यह उचित नहीं है । आज जयपुर शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, महानगरीय संस्कृति जयपुर शहर में पनप रही है। जहां पहले जयपुर शहर का 18 किलो मीटर का क्षेत्रफल था, आज 55 किलोमीटर का क्षेत्रफल हो गया है । जयपुर शहर की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, आज लगभग 35 लाख की पापुलेशन जयपुर शहर की हो गई है । प्रदेश की राजधानी होने के कारण यहां केन्द्रीय और राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग और मुख्यालय हैं। सेना की दक्षिणी, पश्चिमी कमान की स्थापना के साथ ही आर्मी का भी एक बड़ा केन्द्र जयपुर शहर हो गया है । 50 से अधिक निजी और सरकारी कालेज जयपुर शहर में हैं, सैकडों स्कूल हैं। ट्रेड यूनियनों के द्वारा आये दिन यहां आंदोलन किये जाते हैं। राजनीतिक और धार्मिक जुलूस और शोभा यात्राएं आये दिन यहां निकलती रहती हैं। पिछले साल का यदि रिकार्ड देखा जाए तो 490 धार्मिक जुलूस और शोभा यात्राएं जयपुर शहर में निकाली गई । प्रमुख पर्यटन केन्द्र होने के कारण जयपुर शहर में पर्यटकों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है । 2005 में जहां ड़ेढ करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक जयपुर शहर में आये इस बार 1 करोड़ 90 लाख के लगभग देशी और विदेशी पर्यटक जयपुर शहर में आये हैं। जयपुर शहर ब्राड गेज से जुड गया, यह भी एक चुनौती का काम है । राजधानी होने के कारण यहां वीआईपीज का भी आये दिन आना-जाना लगा रहता है । पिछले साल 450 वीआईपीज जयपुर शहर में आये । सभापति महोदय, इसी प्रकार वर्तमान में लगभग 10 लाख वाहन यहां पर पंजीकृत हैं । प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक वाहन यहां पर पंजीकृत हो रहे हैं। यातायात का दवाब निरंतर बढ़ता जा रहा है। रोज तीन से पांच लाख की फ्लोटिंग पापुलेशन जो आस-पास के कस्बों में रहते हैं, वह यहां पर रोजगार के लिए आते हैं। कच्ची बस्तियों में लगभग चार लाख लोग यहां पर रहते हैं।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

राजस्थान सरकार जो आई.टी. कारिडोर की योजना यहां पर ला रही है, इससे निश्चित रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी यहां आकर्षित होंगी। जयपुर आईटी सेंटर के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। हीरे-जवाहरात का व्यापार जिस तेजी के साथ यहां बढ रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। गोल्ड सूक प्रोजैक्ट और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे प्रोजैक्ट से भी यहां का व्यापार फलेगा-फूलेगा। इन सब बातों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये सब बातें जो मैंने बताई हैं, इनके कारण आज जयपुर शहर में पुलिस अपराध पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। वह पर्याप्त नहीं है।

जयपुर शहर की कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाए, इसके लिए मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से सरकार को देना चाहूंगा। सबसे पहला सुझाव, मैं जब से विधायक बना हूं, 1985 से मैं लगातार यह मांग करता आ रहा हूं कि जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मौजूदा पुलिस व्यवस्था, पुलिस एक्ट, 1961 पर आधारित है। आज कलकत्ता, बोम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, नागपुर, थाने, बड़ौदा, राजकोट, चेन्नई आदि कई शहरों ने पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की है। इनमें कई शहर तो जयपुर से जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे हैं जैसे राजकोट, सूरत, पुणे, थाणे। ये बहुत छोटे-छोटे शहर हैं, पर वहां भी आज पुलिस कमिश्नरी लागू है, पर हमारे जयपुर शहर में यह लागू नहीं है।

आज शहरी क्षेत्र की जटिल समस्याओं के निपटारे के लिए एक संगठित पुलिस व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है ताकि एक जगह कमांड रहे, शक्ति का केन्द्र एक रहे, उसकी जवाबदारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आज जो पुलिस व्यवस्था है उसमें दोहरी नियंत्रण और जिम्मेदारी की व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है उसका एक सिरा तो पुलिस के पास रहता है और एक सिरा मजिस्ट्रेट के पास रहता है। आज यातायात का सुचारु संचालन, कानून व्यवस्था, संगठित अपराध नियंत्रण और अनुसंधान ये सब बातें पुलिस के पास रहती हैं, परन्तु आज यातायात की, वाहनों की पार्किंग पुलिस विभाग के पास नहीं है। आज डायवर्जन किस प्रकार से होगा, यह पुलिस विभाग के पास नहीं है। इसी प्रकार से वीआईपी की सुरक्षा, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था एक ही जिम्मेदार शक्ति के पास हो तो पुलिस कमिश्नर पद्धति में ही सम्भव है। वर्तमान में अपराध नियंत्रण

(श्री कालीचरण सर्राफ)

तो पुलिस की जिम्मेंदारी है जबकि अपराधों पर पाबंदी की शक्ति सीआरपीसी की धारा 107, 109, 110 के तहत कार्यवाहक मजिस्ट्रेट के पास होती है।

माननीय सभापति महोदय, बड़ी तादाद में रोजमर्रा धार्मिक, राजनैतिक जुलूस, सभाएं, धरना, प्रदर्शन आदि होते हैं इनको संचालित करने की जिम्मेदारी तो मजिस्ट्रेट के पास है और उस समय शांति-व्यवस्था बनाये रखने का काम पुलिस के पास है। पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू होने के बाद धारा 107, 116, 109, 151 और 110 के तहत मुकदमों के निस्तारण का अधिकार पुलिस को मिल जाएगा। आदतन अपराधियों को जिलाबदर करने का अधिकार भी पुलिस को मिल जाएगा। हजारों पैंडिंग मुकदमे है उनका फैसला नहीं होता। इनसे भी जयपुर शहर की जनता को निजात मिलेगी। मेरा यह निवेदन है कि यह व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस का अपराध पर नियंत्रण और यातायात का नियंत्रण निश्चित रूप से एक की जवाबदारी हो जाएगी, एकल सिस्टम हो जाएगा तो ज्यादा हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, 1978 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने दस लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में कमिश्नर पद्धति लागू करने की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं 2001 में केन्द्र सरकार ने पदमनाभैया कमेटी का निर्माण किया था उसने भी यही सिफारिश की थी। 2003 में जस्टिस मलिमक्ष कमेटी जिसका गठन केन्द्र सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए किया था उसने भी यह कहा था कि पांच लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में कमिश्नर पद्धति लागू होनी चाहिये। पूर्व अटार्नी जनरल आफ इंडिया श्री सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिग की एक कमेटी बनी है, उसने भी काफी अध्ययन के बाद यह सिफारिश की है कि जिन शहरों की जनसंख्या 5-10 लाख से अधिक हो वहां नि:संदेह पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जानी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि बार-बार मांग किये जाने के बाद भी जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू नहीं की जा रही है, इसमें आनाकानी की जा रही है। मैं जयपुर शहर का विधायक होने के नाते पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से यह मांग करना चाहता हूं और गृह मंत्रीजी से यह अपेक्षा करता हूं कि जब वह अपना जवाब दें, उस समय जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जाएगी, इसकी घोषणा करेंगे और कब से लागू की जाएगी, इसकी तारीख भी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

आप निश्चित रूप से यहां बताने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से यह जयपुर शहर का सौभाग्य होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि जयपुर शहर में पुलिस की सक्रियता और सजगता के कारण 2006...(व्यवधान) शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। 1997 में आईपीसी के तहत 13559 अपराध यहां पंजीकृत हुए थे, 2005 में इनमें कमी आई। जहां 1997 में 13559 अपराध पंजीकृत हुए, 2005 में केवल 13131 अपराध यहां पर पंजीकृत हुए। 1997 में पापुलेशन थी 20 लाख, आज हो गई 33 लाख, यानि जनसंख्या में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी और अपराधों में, पहले थे 13559 और अब है 13131, यानि कमी आई है। आज विपक्षी यह आरोप लगाते हुए नहीं अघाते कि बीजेपी का राज आने के बाद राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड गई, अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है, अराजकता का राज है। ये आंकड़े इस बात का द्योतक हैं कि राजस्थान की राजधानी में, राजस्थान के बारे में मैंने पहले कहा, मैं नहीं बताना चाहूंगा...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका सुराज वाकई है, तब ही 19 भ्रष्ट अधिकारियों को एसीडी के द्वारा चालान की अनुमति मांगने के बावजूद आपकी मुख्य मंत्री ने चालान की अनुमति नहीं दी है, जिसमें एक के घर से तो एक करोड़ बीस लाख रुपये नकद पकड़े गए थे। यह आपका सुराज है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह हमारे राज में ही छापे पड़े हैं, आपके राज में नहीं पड़े।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके तीन साल के कार्यकाल के कारनामे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपके राज में नहीं पड़े, हमारे राज में पड़े हैं। विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण दे रहे हो। एसीडी वाले तो पकड़ते हैं और आपकी मुख्य मंत्री बचाती हैं उनको। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): एसीबी हमारे राज में ही पकड़ रही है, आपके राज में नहीं पकड़ रही। आदरणीय सिरोही से आने वाले माननीय विधायक, आपके राज में तो एसीबी को परमीशन ही नहीं थी कि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

भ्रष्ट अधिकारी को आप पकड़ें। एसीबी के अधिकारी आज छापे मारकर जिन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जब उनके यहां छापे गिर सकते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज सरकार की तरफ से जवाब में घोषणा करवाइये कि जिन 19 भ्रष्ट अधिकारियों के चालान की अनुमति नहीं दी है एसीडी के द्वारा मांग करने के बावजूद...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपका नम्बर आए तब...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार उनके आदेश जारी कर देगी, यह कहो आप। आपकी सरकार का दामन साफ है तो आज मंत्रीजी से घोषणा करवाइये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपका नम्बर आए तो यह मांग कर लेना, मैं भी आपकी मांग का समर्थन करूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी के जमीर को जगाने की शुरूआत कर रहे थे कि तब तक जगा रहे।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार):ठीक है। माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि अपराधों के पंजीकरण में कमी आई है। यह बात भी सही है कि हमारा राज आने के बाद हमने कानून-व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की है, अपराधों पर हमने नियंत्रण भी प्राप्त किया है। पर, माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस बल की जो स्थिति है जयपुर शहर में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पुलिस बल जहां 1997 में जयपुर शहर में एक हजार जनसंख्या पर 1.66 था, माननीय गृह मंत्रीजी, वह 2005 में घटकर 1.1 रह गया है। इसी हिसाब से यदि पुलिस बल की संख्या घटती रही तो जयपुर शहर में अपराध की स्थति क्या होगी, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी बताने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, यह बात भी सही है कि कांग्रेस के पांच साल के राज में एक भी कान्स्टेबल की भर्ती इन्होंने नहीं की। मैं इस बात के लिये तो बधाई देना चाहता हूं कि आपने पिछले 2 सालों में 6 हजार कांस्टेबलों की भर्ती पुलिस विभाग में की है और इस बार भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि 5200 कांस्टेबलों की भर्ती में अगले 2

(श्री कालीचरण सर्राफ)

साल में और करुंगी। परन्तु यदि जयपुर के सन्दर्भ में यह देखा जाए, मैं चाहूंगा गृह मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो यह बताएं कि ये जो 6 हजार कांस्टेबल आपने पहले लिये और अब 5200 और लेंगे, उसमें जयपुर में आप कितने लगा रहे हैं। जयपुर के सन्दर्भ में देखा जाए तो 1996 में जहां पुलिस बल की संख्या 3339 जयपुर में थी, आज वह बढ़कर 3357 हो गयी है। यानि 12 पुलिस कर्मी हमने 12 सालों में जयपुर शहर में बढ़ाये हैं, केवल 12 बढ़ाये हैं। 3339 थी सन 1996 में, वह बढ़कर हो गयी है अब 3357 । यानि 12 पुलिस के कांस्टेबल, अधिकारी नहीं, पुलिस कांस्टेबल जयपुर शहर में हमने बढ़ाये हैं। मेरा यह कहना है कि सन् 1997 में जहां 20 लाख की पापुलेशन थी, आज 35 लाख हो गयी, क्षेत्रफल जहां 18 वर्ग किलोमीटर था, आज 55 किलोमीटर हो गया, तो निश्चित रूप से यहां पुलिस नफरी में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जयपुर शहर में, कम से कम 5 नये थाने और 10 पुलिस चौकियां बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि सन् 1997 में कुछ थाने और कुछ पुलिस चौकियां यहां पर बनायी गयी थीं, परन्तु यदि आज मालवीय नगर, सांगानेर और झोटवाड़ा, इन थानों का क्षेत्रफल देखें तो इतना लम्बा-चौड़ा क्षेत्रफल है, इतनी पापुलेशन है इन थानों के अन्तर्गत कि वहां एक की जगह 2 थाने होना निश्चित रूप से आवश्यक है। मालवीय नगर, झोटवाड़ा और सांगानेर, ये थाने मैं आपको उदाहरण के लिये बता रहा हूं, लेकिन 5 थानों की आवश्यकता है। इन थानों के तो इसी वर्ष से टुकड़े करके और दो-दो थाने यहां पर हो जाएंगे तो यह उचित रहेगा। इसी प्रकार से पुलिस चौकियां- आज जयपुर शहर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देख लीजिये, कोलियों की कोठी, रैगरों की कोठी, खो-नागोरियान, घाट की गूणी, जब गलता की तरफ जाते हैं तो सिसोदिया गार्डन के पास एकदम सुनसान रहती है, इन जगहों पर निश्चित रूप से पुलिस की चौकियां बननी चाहिए। गृह मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो जयपुर शहर में कितने नये थाने आप खोल रहे हैं, मेरी यह मांग है कि 5 थाने और 10 चौकियां निश्चित रूप से जयपुर में होनी चाहिए।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि जयपुर क्षेत्र में वी.आई.पी. लगातार आते रहते हैं। जब कोई

(श्री कालीचरण सर्राफ)

वी.आई.पी. आता है और हम सांगानेर थाना या मालवीय नगर थाने पर फोन करते हैं कि इंजार्च साहब कहां गये तो वहां एक ही जवाब मिलता है एयरपोर्ट गये हैं क्योंकि फलाने जी आ रहे हैं। सांगानेर थाने फोन करें तो कहते हैं एयरपोर्ट गये हैं। नीचे के अधिकारी से बात करा दो तो जवाब यह मिलता है कि सारे थाने के कर्मचारी एयरपोर्ट गये हैं। मेरा यह कहना है कि यहां जब आये दिन वी.आई.पी. आते हैं, 500 के लगभग एक साल में वी.आई.पी. का ट्यूर यहां होता है, तो एक अलग से आप उनका स्कवाड बना दो जिनका काम केवल यही हो कि जब भी कोई आवे-जावे तो उनको अटैण्ड कर ले और फिर कोई जुलूस वगैरह निकले तो उसमें अटैण्ड कर ले। पूरे थाने डिस्टर्ब हो जाते हैं जब भी कोई वी.आई.पी. आता है, जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है, जब भी कोई शोभा-यात्रा निकलती है। इसको दूर करने के लिये यदि एक अलग से उनकी स्कवाड बन जाएगी तो ज्यादा ठीक रहेगा।

इसी प्रकार से पर्यटन पुलिस के बारे में प्रयास तो हुए हैं और पर्यटन पुलिस का गठन भी हुआ है, परन्तु वह अभी इतनी प्रभावी नहीं हुई है। मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से पर्यटन बढ़ता जा रहा है जयपुर में, पिछले साल एक करोड़ 90 लाख पर्यटक जयपुर शहर में आये तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा के लिये भी और उनके कारण कोई कानून-व्यवस्था में बिगड़ाव नहीं आए, इसके लिये आवश्यक है कि पुलिस बल की एक सबल बटालियन अलग से बने जिसका काम केवल पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन से सम्बन्धित काम ही हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ यहां जयपुर शहर में आप आये दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि फलां महिला को अकेली देखकर उसके नौकर ने हत्या कर दी, फलां जगह किरायेदार ने मकान मालिक की लड़के के साथ बलात्कार कर लिया। आज इस प्रकार के जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण यह है कि लाखों की तादाद में लोग बाहर से आ रहे हैं। एक दूसरे में आजकल रिश्ता खतम हो गया। मोहल्ले में यह पता नहीं है कि मेरे बगल वाले मकान में कौन रहता है। आपने एक योजना चालू की थी जयपुर शहर में कि कोई भी मकान वाला अपने यहां कोई किरायेदार रखेगा तो उसका एक थाने से फार्म लिया जाएगा और फार्म भरकर उसको थाने में जमा कराएगा, उसका

(श्री कालीचरण सर्राफ)

रजिस्ट्रेशन कराएगा। इसी प्रकार से जब घर में हम कोई नौकर को रखते हैं, उसके बारे में भी यही व्यवस्था है। परन्तु उस व्यवस्था का क्या हुआ? मैं गृह मंत्रीजी को भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था मुकम्मल रूप से जयपुर शहर में चल रही है? आज यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो 10 प्रतिशत भी इस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है और इसके कारण अपराध घटित होते हैं। मेरा गृह मंत्रीजी के माध्यम से पुलिस के अधिकारियों को यह अनुरोध है कि आपने यह व्यवस्था तो बढ़िया लागू की, परन्तु यह लागू हो और 100 प्रतिशत लागू हो इसके लिये निश्चित रूप से समय-समय पर इसका सर्वे होना चाहिए। जिनके यहां नौकर हैं, जिनके यहां किरायेदार हैं उनका यदि थाने में सत्यापन नहीं कराया, फार्म भरकर नहीं दिया, उसकी जानकारी नहीं दी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करिये। 5-7-10 लोगों पर भी यदि एक-एक थाना क्षेत्र में कार्यवाही हो गयी तो निश्चित रूप से सारे लोग इस व्यवस्था का पालन करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर शहर की यातायात पुलिस की स्थिति के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। सन् 1980 और 81 में हमारे जयपुर शहर में मात्र 81267 वाहन पंजीकृत थे, 1990-91 में इनकी संख्या बढ़कर 266254 हो गयी, इतने वाहन पंजीकृत हो गये। 1999-2000 में यह संख्या बढ़कर 597657 हो गयी और 2004 में लगभग 9 लाख वाहन यहां पर पंजीकृत हुए। प्रत्येक वर्ष एक लाख वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया था, यातायात पुलिस की नफरी की स्थिति क्या है। 1996 में 600 थी, आज भी 600 है। आज 200 पाइंट हैं ट्रैफिक पुलिस के, उसमें से केवल 90 पर कांस्टेबल रहता है यातायात पुलिस का। 110 पाइंट तो खाली पड़े रहते हैं, केवल लाइट जलती रहती है। आपने देखा होगा, जयपुर में रहते हैं, लाइट जलती है, कोई लाल लाइट में जाता है तो जाए, कोई नहीं जाता है तो नहीं जाए, पर कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यातायात का दबाव जयपुर शहर में बढ़ रहा है, पुलिस नफरी में निश्चित रूप से इजाफा होना चाहिए। आज शहर के अन्दर की स्थिति यदि हम देखें तो पार्किंग के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात सही है कि यह सरकार आने के बाद आतिश मार्केट में आपने वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की है। पर आज जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, रामगंज बाजार इनमें पार्किंग की कोई

(श्री कालीचरण सर्राफ)

व्यवस्था नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि जलेबी चौक पूरा खाली पड़ा है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। रामलीला मैदान और यूनियन फुटबाल ग्राउण्ड, यहां अण्डरग्राउण्ड पार्किंग की यदि व्यवस्था की जाए तो उचित होगा।

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि आज ट्रैफिक पुलिस के पास अपना कोई इनडिंपेडेंड फण्ड नहीं है। आज कोई भी बात होती है तो कभी जे.डी.ए. को कहेंगे कि हमारे यहां लाइट लगवा दो, कभी नगर निगम को कहेंगे कि यह जेब्रा-लाइन बना दीजिये। इनके पास इतना भी फण्ड नहीं है। आन्ध्र-प्रदेश में हैदराबाद में यह व्यवस्था है कि चालानों के माध्यम से जो रेवेन्यू आता है उसका 30 प्रतिशत ट्रैफिक पुलिस के पास ही रह जाता है। आज यदि देखा जाए तो प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये की रेवेन्यू जयपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से जमा होती है। उसका यदि 30 प्रतिशत उनको दे दिया जाए, एक करोड़ रुपया सालाना भी यदि उनको दे दिया जाए तो कहां लाइट लगानी है, कहां जेब्रा-लाइन खींचनी है, कहां क्या व्यवस्था करनी है, इस प्रकार की व्यवस्था वह किसी भी प्रकार से कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक-दो सुझाव मैं और देना चाहूंगा। जयपुर शहर में जब से 1991 में दंगा हुआ उसके बाद एक जबरदस्त समस्या जो सबको चिन्तित करने वाली है, आज इनर-वाल्स के अन्दर जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां का हिन्दू तेजी के साथ पलायन कर रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

इससे कोई केवल हिन्दू चिन्तित हों, ऐसा नहीं है, जो हमारे लोकल मुस्लिम बंधु हैं वे भी इससे चिन्तित हैं। बाहर का-बिहार का, बंगाल का, उत्तरप्रदेश का जो मुसलमान आ रहा है वह तीन गुणे, चार गुणे दामों पर वहां मकान खरीद लेता है। जांच होनी चाहिए कि यह पैसा आखिर कहां से आ रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भैरोंसिंहजी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंनें रजिस्ट्री पर अघोषित रोक लगा रखी थी। कानूनन तो हम रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकते, यह बात सही है, पर उन्होंने कलक्टर को ये निर्देश दे रखे थे कि इस प्रकार का कोई यदि क्रय-विक्रय का मामला आता है तो उस पर सख्ती से कार्यवाही करिये। पूछताछ करिये कि पैसा कहां से आया। इस बात की जांच करिये और उसके बाद रजिस्ट्री करवाइये। उसका यह परिणाम था कि उस पर रोक लगी हुई थी। पर फिर कांग्रेस का शासन आया। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वहां पर सुविधाएं अच्छी, ज्यादा नहीं दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): विराजिये आप, विराजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप शिक्षा की सुविधाएं नहीं दे रहे वहां पर। पेयजल की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं इसलिए पलायन कर रहे हैं और किसी कारण से नहीं कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): वे केवल हिन्दू ही कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं। मेरा कहना यह है कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कनक्लूड करिये, प्लीज।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): बस दो मिनट। दो-तीन मिनट और बोलूंगा। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की यदि कहीं पर स्थिति आती है, कोई मकान बेचता है, कोई हिन्दू किसी मुस्लिम को बेचता है या मुस्लिम किसी हिन्दू को बेचता है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वहां की मार्केट रेट क्या है। दुगने, तिगने दामों पर तो नहीं बिक रहा। और बिक रहा है तो वह पैसा कहां से आ रहा है। सब की जांच होकर फिर यदि हम रजिस्ट्री करें तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगायी जा सकती है।

गृह मंत्रीजी, आपका ध्यान मैं विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सिंडिकेट का भी मैम्बर हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की मीटिंग में परसों यह मामला आया था। 1996 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिथि गृह जो हैं, गैस्ट हाउस, उसका कुछ हिस्सा पुलिस विभाग ने लिया था कि कानून व व्यवस्था की स्थिति खराब है तो हमको यहां एडिशनल एस.पी. और डीवाई. एस.पी. का आफिस बनाना है इसलिए आप इनको हमें दे दीजिए। 1996 में उन्होंने दिया था यह भवन। अब यूनिवर्सिटी कई बार उनको यह लिख चुकी है कि इसको खाली करे, पर खाली नहीं हो रहा है। आपसे भी कुलपतिजी मिले थे और आपने डी.जी. साहब को लैटर भी लिखा था। आपने यह लैटर लिखा था 19.11.2005 को कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति डाक्टर एन.के. जैन ने एक पत्र के माध्यम से मुझे अवगत कराया है कि यूनिवर्सिटी गैस्ट हाउस विस्तार भवन 18 जून, 1996 को तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए पुलिस को अस्थाई व्यवस्था के लिए दिया गया था। आज 9 वर्ष हो गये परन्तु पुलिस का यह भवन अभी तक खाली

(श्री कालीचरण सर्राफ)

नहीं किया गया है, इसके कारण बाहर से आने वाले प्रोफेसर्स व अन्य अतिथियों को आवास सम्बन्ध काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। कुलपति महोदय का पत्र मूल ही संलग्न करते हुए लेख है कि कृपया इस बारे में सम्बन्धत अधिकारियों को निर्देशित करें कि भवन को अविलम्ब खाली कर विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपने की कार्यवाही करें।

(समय : 18.32 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

परन्तु आपके पत्र की भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मेरा यह कहना है कि आप जब अभी जवाब दें तो यह आश्वस्त करें कि यह भवन आप कब तक खाली करवा देंगे?

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि दरबार स्कूल खाली पड़ा है। वहां पर अब स्कूल नहीं चलता। वहां यदि अब आप पुलिस हैडक्वार्टर बना दें तो यह जयपुर शहर की कानून व्यवस्था के लिए बहुत उचित होगा। यदि पुलिस हैडक्वार्टर आप कहीं और बनाना चाहते हैं तो वहां आपके पास जमीन की कमी है, आवास गृहों की कमी है। वहां यदि आवास गृह बन जाएंगे, पुलिस रेजिडेंस बन जाएंगे तो इससे भी वहां के लोगों का मनोबल बढ़ेगा और कानून व्यवस्था में जयपुर शहर में सुधार होगा।

मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो मैंने कुछ समस्याओं के बारे में आपके सामने जिक्र किया है, उनका समाधान आप निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17, पुलिस, कारागार व न्याय व्यवस्था पर मुझे बोलने का सदन में जो मौका दिया, उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बैठा-बैठा एक चीज देख रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम दलित समाज के लोग, पहले तो हमें पढ़ने का मौका ही नहीं था लेकिन अब पढ़-लिखकर हम अच्छे अधिकारी भी बने हैं, विधान सभा में भी हम आये हैं। यहां पर मंत्री भी बने हैं। लेकिन मुझे आज देखकर, यह देखा भी है, सुना भी है, बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे वित्त राज्य मंत्रीजी जिस चीज का उत्तर

(श्री सुरेश मीणा)

देते, वह बगैर पढ़े नहीं हैं, अच्छे लैक्चरर रहे हैं, लेकिन उनको सदन में बोलने नहीं दिया और उनका जवाब दूसरे मंत्रीजी ने दिया है। यह हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। शर्म की बात है यह। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वह बगैर पढ़े होते, हमारे मंत्री महोदय बगैर पढ़े होते तो हमें बिलकुल दु:ख नहीं होता। लेकिन आज दु:ख है। यदि वह जानते नहीं हैं तो कम से कम उनको सीखने का मौका तो मिलना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: और खास तौर से वे सदन में बैठे हुए भी थे।

श्री सुरेश मीणा (करौली): हां, सदन में बैठे थे।

श्री अध्यक्ष: खास तौर से बैठे हुए भी थे। नहीं बैठे हुए होते तो अलग बात थी। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठे हुए थे। उनको बोलने का मौका तो कम से कम देते। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं था। उनका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं था इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था संसदीय मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आप उनका स्वास्थ्य खराब करने में लगे हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह तो आप करते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में लगातार ऐसी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, अब आप बताइये कि जिस वक्त शोकाभिव्यक्ति हो रही थी, मुख्य मंत्रीजी सदन में नहीं थीं। यह कोई संसदीय परम्परा के अनुरूप है क्या? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब शोकाभिव्यक्ति हो रही थी तब आप नारे लगा रहे थे। जब शोकाभिव्यक्ति हो रही थी तब विपक्ष नारे लगा रहा था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई संसदीय परम्परा के अनुरूप है क्या? कम से कम, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को यह तो निर्देश दीजिए कि संसदीय परम्पराओं का पालन करे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष को पालन करने के लिए कहा जाएगा लेकिन प्रतिपक्ष भी तो पालन किया करे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, वह तो पालन करे।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): जब शोकाभिव्यक्ति हो रही थी उस समय क्या दृश्य हो रहा था, वह भी अपने सीने पर हाथ रखकर देख लें, फिर दूसरों को कहें। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति आज पुलिस विभाग पर यह मांग की है। मैंने पिछले सदन में भी यह बात रखी थी, सारा सदन जानता है, हमारे माननीय मंत्रीजी तो मेरे से कहते हैं कि तू तो एस.सी., एस.टी. का ही एम.एल.ए. है इसलिए मेरा यही है। माननीय गृह मंत्रीजी यहां पर विराजमान नहीं हैं लेकिन मैंने पिछले सदन में यह पूछा था कि राजस्थान में कितने थाने हैं? उन थानों पर एस.सी., एस.टी. के कितने इंचार्ज बनने चाहिए रिजर्वेशन के हिसाब से? आज पूरे राजस्थान में हम देखते हैं कि कोई ज्यादा से ज्यादा 25-30 या ज्यादा से ज्यादा 50 इंचार्ज हमारे लगे हुए हैं जबकि 28 परसेंट के अनुसार 200 के ऊपर हमारे इंचार्ज राजस्थान में होने चाहिए थानों में। आज हमारे अधिकारी बर्फ में लगा रखे हैं। किसी भी अधिकारी को अच्छी जगह पर नहीं लगा रखा। यह बड़ी तौहीन की बात है। जब कि इस राजस्थान सरकार को बनाने वाले एस.सी., एस.टी. के 42-43 एम.एल.ए. हैं। उनकी बदौलत आज यह सरकार सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन इनके अधिकारियों की हालत पतली है। इनकी हालत इतनी पतली है, मंत्री का तो पहले ही बोल दिया। हमारी तो बत्ती बुझा दी। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य, आप उन्हें बोलने दें, बीच में नहीं बोलें। ...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ... (व्यवधान) सरकारी नौकरियों और थानों में तो रिजर्वेशन से कम जा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): अभी लोग जागने लगे हैं। पता आने वाले समय में लगेगा। अभी जगे हैं लोग। अभी जगे हैं। लेकिन नौकरियों में अभी हमारे साथ बेइमानी हो रही है। हमारे जो पद हैं उनको खाली रखा जा रहा है। भरा नहीं जा रहा है। नहीं तो हम तो बहुत हो जाते। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कौन कर रहा है बेइमानी? आपके साथ बेइमानी कौन कर रहा है? कौन बेइमानी कर रहा है?

श्री सुरेश मीणा (करौली): सरकार करती है बेइमानी।

श्री अध्यक्ष: अच्छा ?

श्री सुरेश मीणा (करौली): जिसके हाथ में सरकार होती है वही बेइमानी हमारे साथ करता है। यह बहुत बुरी बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कांग्रेस वालों के पास थी तब भी किया था ?

श्री सुरेश मीणा (करौली): मैं किसी की बड़ाई तो कर ही नहीं रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने मेरे से उस टाइम कहा था कि आपके 35 इंचार्ज थानों पर लगे हुए हैं, ये कांग्रेस के टाइम के हैं। कांग्रेस के टाइम के हैं, लेकिन मैंने मंत्रीजी से यह कहा था कि, मंत्रीजी, कभी समय आएगा तो पूछूंगा कि आपने कितनी उन्नति की है। लेकिन मुझे लगता है कि संख्या जो पहले थी वही की वही है, एक भी संख्या आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। थानों में स्थिति यह है कि एस.टी., एस.सी. के अधिकारियों से थोड़ी-सी गलती हो जाती है तो ए.पी.ओ. किये जाते हैं, उनको सस्पैण्ड कर दिया जाता है। यह देखने को मिलता है। जीता-जागता उदाहरण है अभी जयपुर कलक्टर का। यह घोर अन्याय है। अजमेर में एस.सी. का था और भीलवाड़ा में एस.सी. का था, ए.पी.ओ.कर दिया उन अधिकारियों को। इतना अन्याय इस प्रजातंत्र में हमारे साथ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एस.टी.,एस.सी.के लोगों के साथ न्याय किया जाए। आपको सरकार में बैठने का मौका दिया है जनता ने, एस.टी.,एस.सी. के लोगों ने 42-43 एम.एल.ए. भेजकर आपकी सरकार बनाई है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भीलवाड़ा में कब था एस.सी. का? एस.सी. का था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में व्यवधान नहीं डालें, मंत्रीजी, बोलने दें उन्हें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी स्थिति आसन और वक्ता के बीच की है, आपको तो खड़ा ही नहीं होना चाहिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को एक चीज के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: अभी तो आप अत्याचार की बात कर रहे थे, अब धन्यवाद पर आ गये।

श्री सुरेश मीणा (करौली): राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 26 में आपने पदोन्नति के लिये जोन आफ कंसिडरेशन में छह गुणा से दस गुणा किया जिससे योग्य पुलिसकर्मियों को पदोन्नति का अवसर मिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलाग के पदों को भी भर लिया गया, इसके लिये मैं मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यह है एस.टी.,एस.सी. की न्यायप्रियता, जहां बात थी वहां बिलकुल ठीक किया, जहां अच्छा लगा वहां बड़ाई कर दी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): लेकिन इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1989 के नियम 27 के इण्डोर एवं आउटडोर के पास हुए अभ्यर्थियों में से रिक्तियों में छह गुणा साक्षात्कार में बुलाये जाने का प्रावधान है। जोन आफ कंसिडरेशन रिक्तियों में छह गुणा एवं उसका आधा तीन गुणा साक्षात्कार में बुलाया जाता था। अब जोन आफ कंसिडरेशन रिक्तियों में दस गुणा है एवं इसका आधा पांच गुणा साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना चाहिये जिससे एस.टी., एस.सी. का बैकलाग पूरा हो सके। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं, कुछ ही दिन पहले एस.टी., एस.सी. के जो सब-इंसपेक्टर से इंसपेक्टर बने थे, उनमें हमारा बैकलाग पूरा नहीं हो पाया था इसी कंडीशन से। अब सरकार को ज्यादा दिन नहीं हैं, डेढ़ साल है, अब तो कुछ मेहरबानी करो, माननीय गृह मंत्रीजी, कि हमारे 200 इंचार्ज बनाये जाएं । कम से कम अच्छे अधिकारी अच्छी जगह पर लगाएं। बरफ में लगे हुए हैं, बढ़िया जगह लगाया जाए ताकि दुबारा आपको मौका मिले। दुबारा आप इसी जगह पर बैठो, यह एस.टी., एस.सी. आपको मौका दें।

अनेक माननीय सदस्य : बढ़िया से क्या मतलब है ?

एक माननीय सदस्य : जहां बर्फ नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बढिया से क्या मतलब है? बढिया कौनसी जगह है ?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सम्मानजनक स्थान के लिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एस.टी., एस.सी. के लोगों पर चाहे सरकार किसी की रही हो, लेकिन अत्याचार होते रहे हैं। राजस्थान में पुलिस विभाग में गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं होता है। गरीब लोगों के केस दर्ज भी नहीं किये जाते हैं। इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जाए। एस.टी., एस.सी. के लोगों पर जो अन्याय हो रहे हैं, वे अन्याय नहीं हों, क्योंकि प्रजातंत्र में अन्याय हो रहा है, वह सही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, उनके यहां जाने का कभी मौका मिल जाता है तो देखते हैं, गाय, भैंस ज्यादा रखते हैं कई अधिकारी, तो हमारा सिपाही जो गांव में कभी गोबर के हाथ नहीं लगाता था, वह सिपाही अधिकारी के यहां गोबर उठाता हुआ देखा है हमने। इतना बड़ा अन्याय है। यह जो स्थिति है, यह नहीं होनी चाहिये। हम नहीं कहते। अधिकारी एक-दो सिपाही रख सकता है, लेकिन चार-चार, पांच-पांच, दस-दस सिपाही इस प्रकार के रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जब थानेदारों से कहते हैं, वहां चोरी हो रही है, वहां झगड़ा हो रहा है, आप गश्त क्यों नहीं करते ? वह कहते हैं सरकार ने हमको डीजल-पैट्रोल देना ही बंद कर दिया, हम जाएं किससे? पैदल जाएं क्या? माननीय गृह मंत्रीजी, जो मेरा इलाका है वह तो बिलकुल ऐसा इलाका है कि उसमें पुलिस की गश्त ज्यादा होनी चाहिये। गश्त की व्यवस्था हो। वह तेल की जो बात करते हैं, उसकी पूर्ति की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद दूंगा लेकिन मैं दुबारा माननीय गृह मंत्रीजी से, पूरी सरकार से निवेदन करूंगा कि एस.टी., एस.सी. के लोगों पर थोड़ा-सा आशीर्वाद रखें क्योंकि इनकी वजह से आप राज में हो और दुबारा राज में आ सकते हो, वर्ना आपकी घण्टी बज जाएगी। मेरा निवेदन है कि हमारी जो वाजिब मांग है, वह पुरी की जाए।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो आपका पूरा ध्यान रखा है। आसन ने तो पूरा ध्यान रखा है आपका।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भारत ।

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): दो हो गये उधर से, अब एक हम बोलेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमारी तरफ से एक बोले हैं? उधर से चार बोल चुके और पांचवां नाम आपने पुकारा है। ऐसा अन्याय तो मत करो, अध्यक्ष महोदय। उधर से चार बोल चुके और हमारी तरफ से एक बोले हैं।

श्री अध्यक्ष: गुर्जर, डाक्टर और कालीचरण सर्राफ, तीसरे कहां बोले। इनके बाद बुलवा देंगे आपको। मैंने नाम पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 16, 6 और 17 पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आपने कृपा करके जो समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार। माननीय अध्यक्षजी, पुलिस के लिये कहा जाता है, न तो वह हिन्दू है, न मुसलमान है, न सिक्ख है, पहले वह भारतीय है। अपने कार्य में दक्ष है । अपने काम में लगा रहता है। आज भी आप और हम देखें, बिना पुलिस व्यवस्था के हमारा कार्य बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में मैं गांधीजी के शब्द कह रहा हूं ....(व्यवधान) आज बोल रहे हो फिर मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। माननीय अध्यक्षजी, पूज्य महात्माजी ने यह शब्द जिनके बारे में कहा है, आज हम सब देखते हैं कि किस तरह से पुलिस अपने काम में व्यस्त है। सुबह ड्यूटी, शाम को ड्यूटी, रात को ड्यूटी, 24 घण्टे की ड्यूटी, उसके लिये किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। 24 घण्टे ड्यूटी करने के पश्चात् जो देखने में आया है, मुझे भी ढाई साल गृह मंत्रालय में काम करने का सौभाग्य मिला, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आज की तारीख में ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तब से आपके स्वभाव में परिवर्तन आया है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): हां, मैं नहीं हो रहा चिड़चिड़ा, अभी तक आपको भुगते जा रहा हूं। अध्यक्षजी, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है । उनका परिवार उनके साथ नहीं रह पाता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस बारे में विचार करें। जो छोटे कर्मचारी हैं, एक कांस्टेबल गंगानगर रहे और वह कोटा का रहने वाला हो, सकता है कि उसने वहां उस कोटे में या वहां के हिसाब से ही फार्म भरा हो, आया हो, पर दस-दस, बारह-बारह साल तक उनके ट्रांसफर नहीं हो पाते, पारीवारिक रूप से भी कठिनाइयां होती हैं और उसमें फिर वो जीझता रहता है। मैंने स्वयं सैकड़ों कांस्टेबल के ट्रांसफर इसलिए किये कि नहीं, वो अपनी फैमिली से ज्यादा बहुत दूर नहीं रहें, मैं चाहूंगा, इसमें आप

(श्री शांतिलाल चपलोत)

किसी प्रकार की कोई न कोई नीति बनाएं कि कम से कम कांस्टेबल, हैड-कांस्टेबल अपने घर से सौ, डेढ़ सौ किलोमीटर दूर से ज्यादा नहीं जाएगा। वह अपने परिवार के साथ रह सके। बच्चे-बच्चियों को पढ़ाना उसका भी दायित्व है तो हमारी सोशल वैलफेयर गवर्नमेंट है, इसका भी दायित्व है कि उन बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से सरकार कर सके और वो भी उसमें सहभागिता निभा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में जब से माननीय वसुंधराजी की सरकार आयी है, क्राइम में कमी हुई है। मैं बार-बार इसके आंकड़े नहीं दोहराना चाहता, चाहे डकैती हो, हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, बलवा हो, नकबजनी हो, चोरी हो या अन्य प्रकार के मुकदमे हों, उनमें एकदम गिरावट आयी है पहले की बनिस्बत। यह एक अच्छे, कुशल कार्य करने का काम है। कुशल कर्मचारियों को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं इतना-सा कहना चाहता हूं कि इनके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, इनकी क्या समस्या है, उनके रूट में जाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे ध्यान है, इनको शायद 600-625 रुपये मैस भत्ता मिलता है, यह बहुत कम है। कम से कम 15 रुपये सुबह और 15 रुपये शाम के बिना भोजन हो नहीं सकता, 30 रुपये यानी 900 रुपये तो 800 रुपये मैस भत्ता अवश्य होना चाहिए। आखिर 10 रुपये सुबह और 10 रुपये शाम में आदमी कैसे काम चलाएगा? यह मुझे कुछ व्यावहारिक नहीं लग रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल क्राइम इस प्रकार के हैं कि क्राइम करने वाले पढ़े-लिखे भी हैं और चालाक भी हैं, ए.टी.एम. से किसी प्रकार से पैसा निकाल लेते हैं। अभी आपने और मैंने पढ़ा कि बैंकों से पैसे निकाल लिये बिना कार्ड के और बिना चैक बुक के लाखों, करोड़ों रुपये की हेराफेरी कर ली। अब उसके लिए जांच करने वाले अधिकारी विशेष तरीके के चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग भी आपको अलग प्रकार की करनी पड़ेगी। साइबर अपराध किस प्रकार के हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई बार नयी-नयी टैक्निक के अपराध हो रहे हैं। अब, और तो और, कम्प्यूटर में वायरस करके

(श्री शांतिलाल चपलोत)

किसी प्रकार के अपराध पैदा कर दे, एस.एम.एस. करके किसी से अश्लील बातें कर ले, उसके लिए आपके पास विशेष प्रकार के ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है। इसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपने बहुत कुछ किया है, मैं जानता हूं, फिर भी आज की तारीख में भी आपकी गाड़ियां तो वैसे की वैसे हैं। जीपें नौ दिन चलती हैं और ढाई कोस चलती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब मेरे जैसे आदमी और कोई एम.एल.ए. साहब आएं और पुलिस अधिकारी उनसे मिलने नहीं आए तो हमारी त्यौंरियां चढ़ जाती हैं। अरे! थानेदारजी मेरे से मिलने नहीं आया या मैंने फलानी जगह बुलाया और नहीं आया। मेरा ऐसा अनुरोध है कि जो उनको डीजल या पैट्रोल, जो भी गाड़ियां हैं उसमें 100 लीटर एक महीने का मिलता है, क्या उसमें वो उस आदमी के पीछे भाग सकता है जो चोरी करके गया है? कहां से लाएगा? वो कैसे उसके काम्पिटिशन में जाएगा? एक तो पहले ही उसकी गाड़ी बीमारू गाड़ी है और उसके बाद वो लेकर भी गया तो तीन लीटर पर डे का हुआ। तीन लीटर में दस का एवरेज हुआ तो वो 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता और उसको गश्त करनी है, रात को भी गश्त करनी है और दिन को भी। आपको जाना है, फलानी जगह जाना है, एयरपोर्ट भी जाना है, दूसरे वी.आई.पीज. की ड्यूटी में भी जाना है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसके बारे में विचार किया जाए, कम से कम डीजल-पैट्रोल उनका बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे दिन की हार्ड ड्यूटी पुलिस वालों की रहती है, हार्ड ड्यूटी का कोई न कोई अलाउंस तो तैयार करो कि उसको यह पैकेज देंगे। आखिर क्या होगा? 24 घंटे आप मुझ से काम नहीं ले सकते, पर उससे काम लेना पड़ता है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है जब चाहे जब आप उसको बुलाओ। रात को चोरी हो गयी तो भाग कर उसको जाना ही है, वो सो नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में जरा विचार करें।

एक दूसरा निवेदन है, शहर में मुझे पता नहीं, पर शायद 10, 15 परसेंट ही तनख्वाह का हाउस रैण्ट मिलता है। अब यह बड़ा शहर है, यहां पर इतने में कौन उनको मकान किराये देगा? इसलिए इनके लिए या तो आप अच्छे क्वार्टर्स बनाने का संकल्प लें जैसा कि आपने बजट में दर्शाया है कि

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पांच हजार क्वार्टर्स आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसके अलावा भी जिनको नहीं मिल पाता है उनके लिए आप हाउस रैण्ट को बढ़ाने की चेष्टा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है, अब मुझे पता नहीं कि उसको आप कितना मानेंगे, जब पुलिस वाला तामील कराने जाता है तो पास या तो आप तय कर दें कि, भाई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 100, 125 रुपये महीने का देगा, उसकी तनख्वाह से काट लो आप और वो आने-जाने में उसका टिकिट बन जाए। नहीं तो बार-बार आने-जाने में उसका काफी तो व्यय हो जाता है। और कोई वो टिकिट लेता है नहीं। इसलिए क्यों नहीं 100, 125 रुपये महीने का उसके लिए तय कर दें कि, भाई, 125 रुपये इनका तू दे और तू इस गाड़ी में बैठ। मैं समझता हूं कि पास सिस्टम हो जाए, उसके लिए यह ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट है उसने उल्लेखनीय कार्य इन दिनों में किया है। उसमें कुल-मिलाकर 2006 में 370 अभियोग पंजीबद्ध किये, उसमें से 251 अभियोग में अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। 45 अभियोग आय से अधिक के पंजीबद्ध हुए और 94 अभियोग पद के दुरुपयोग से सम्बन्धित हुए। उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। पुलिस का भय जो व्यक्ति बिलकुल सच्चा है, साधारण है उसको नहीं हो और चोर, डकैत ये लोग कम्पित अपने आपको समझें, तभी पुलिस की महत्ता है। मैं चाहूंगा कि जितने आपने ये अभियोग दर्ज किये हैं, उनका अतिशीघ्र चालान भी हो जिससे यह लगे कि सरकार नाम की चीज है और पुलिस एक्शन ले रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ करना है। जो रेट इस तरह की आयी है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस के कर्मचारी बहुत कम हैं। अभी जो किताब की प्रस्तावना है उसके हिसाब से कह रहा हूं कि 75762 हैं जबकि हमारी आबादी 6 करोड़ के आसपास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वहां तीन थाने हैं, सभी के यहां तीन, चार थाने होंगे एक विधान सभा में, उसमें 12 कर्मचारी होते हैं थानेदार सहित।

(समय : 19..00 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत)

एक जना तामील करवाने जा रहा है कोर्ट केस के सम्मन लेकर, एक जना और कोई काम लेकर जा रहा है, दूसरा किसी और ड्यूटी में चला गया, तीसरा और किसी ड्यूटी में चला गया है, एक रोजनामचे में बैठ गया, एक टेलीफोन सुन रहा है, आदमी पांच भी काम करने वाले नहीं रह पाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि गांव के थानों में कम से कम बीस कर्मचारी तो आप रखो। आप कह रहे हैं कि नहीं, साहब, आपके एक हजार पर आठ या दस पुलिस वाले हैं, आठ और दस नहीं हैं, एक हजार की आबादी पर आठ और दस नहीं हैं। हमारे गांव के हिसाब से हम कह रहे हैं, आप शहर के हिसाब से कहो। हमारे यहां की आबादी ढाई लाख है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, हालांकि पहले वाले माननीय सदस्यों को बहुत लम्बा समय दिया गया लेकिन चूंकि बोलने वाले बहुत हैं...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं तो एण्ड ही कर रहा हूं। मैं तो जानता हूं मेरा हश्र यही होना है।

श्री अध्यक्षः अब आप एक दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मेरा दुर्भाग्य है कि जानबूझकर नाम बाद में देते हैं। उसके लिए तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आपने कह दिया तो मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, दो मिनट में खतम कर दें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है आज कि एक तहसील में पचास-साठ कांस्टेबल, वह भी तीन हजार पर एक कांस्टेबल हुआ। शहर के हिसाब से आप हिसाब मत लगाओ, गांव में तीन हजार पर एक आदमी भी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में विचार करें। दूसरा क्योंकि काफी कुछ किया जा रहा है और काफी कुछ होम डिपार्टमेंट में होगा, मोस्ट काम्पीटेंट आप मिनिस्टर हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, आपने बजट में भी कहा है कि हर उप खण्ड पर आप सी आई लगाएंगे, हमारी यह मांग है कि हर उप खण्ड पर आप डी वाई एस पी स्तर के व्यक्ति को लगाएं जिससे सारे राजस्थान में न्याय हो सके। मैंने जो कट मोशन्स दिए हैं उनमें भी यही कहा है कि मावली में भी आप डी वाई एस पी स्तर के व्यक्ति को लगाएं।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मेरा एक अनुरोध और है, माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की भी टकराहट की नौबत आ गयी। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका ऐसे ही टकराती रहेंगी? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में सोवरीनटी की परिभाषा आइन्स्टीन ने कही है। उसने कहा है कि – ''If a determined human superior, not in the obedience of life superior, receives habitual obedience from the bulk of given society, that human superior is sovereign and independent." एक निश्चय किया हुआ व्यक्ति, निश्चित समूह से आया हुआ। हम सब जनता से वोट लेकर आये हैं। जनता ने हमको राज करने का अधिकार दिया है। चाहे इस पक्ष को दिया चाहे उस पक्ष को दिया, वह एक अलग बात है पर वह सोवरीन फंक्शन कर रहा है। अब उस फंक्शन में हमारे संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सब का बैलेंस बनाकर चला है और चैक एण्ड बैलेंस की थ्योरी बराबर बन रही है। पिछले दिनों देखने में आ रहा है, थोड़ी-सी असहिष्णुता या कुछ नासमझी समझी जाए किसी भी तरफ से, कि आज की तारीख में हम एक दूसरे को टालरेट नहीं कर रहे हैं। यह देश के लिए भयावह स्थिति हो जाएगी। यदि न्यायपालिका का अंकुश नहीं रहेगा तब भी काम नहीं चलेगा और यदि हमारी विधायिका का अंकुश भी नहीं रहेगा, कानून तो हम ही बनाते हैं, कोर्ट तो उसका इंटरप्रिटेशन करती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम मिल जुलकर ऐसा प्रयास करें कि न्यायपालिका में और कार्यपालिका में टकराव नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): बस खतम कर रहा हूं। मैं माननीय न्याय मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं, राजस्थान में उदयपुर में पहले भी हाई कोर्ट थी, लेटेस्ट पैटर्न के तहत थी, उसके बाद आपने एकीकरण कर दिया, जोधपुर किया और सन् 1977 या 76 के आसपास आपने यहां पर हाई कोर्ट की बैंच वापस कर दी जयपुर में। उदयपुर की जनता जोरदार तरीके से मांग कर रही है कि उदयपुर में हाई कोर्ट की बैंच हो। वहां हर 7 तारीख को पिछले 25-30 सालों से एक हड़ताल कायम चली आ रही है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में विचार करें।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): 2500 मुकदमों पर ए.डी.जे. कोर्ट

(श्री शांतिलाल चपलोत)

बनता है, मावली में 4500 मुकदमे हैं, वहां ए.डी.जे. कोर्ट बनाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन, मांग संख्या 16- पुलिस और मांग संख्या 17- कारागार पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

सबसे पहले मैं न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करुंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 162—Extent of executive power of the State.- "Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws." यह 162 अनुच्छेद का प्रोविजन है जिसके अन्तर्गत यह लिखा है कि जिन चीजों पर विधान सभा कानून बना सकती है वे सब हमारे परव्यू में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 211 और 212 में ''211. Restriction on discussion in the Legislature. इसमें लिखा है कि No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties." यही रैस्ट्रिक्शन रखा है कि उनकी डिस्चार्ज आफ ड्यूटीज के सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं करेंगे। पर 212 में यह भी कहा है, कि ''212. Courts not to inquire into proceedings of the Legislature.- "The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure." माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संविधान की धारा इसलिए कोट की है, आज भारत में अलग-अलग विधान सभाओं में, लोक सभा में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वह नाइन्थ शिड्यूल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार को डायरेक्शन देकर एक्ट बनाने का हो, पुलिस एक्ट का, चाहे क्वेश्चन और क्वैरी के सम्बन्ध में सांसदों को जब लोक सभा से बाहर निकाल दिया गया उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हों, इन तीनों जजमेंट के सम्बन्ध में हमें चर्चा करने की आज आवश्यकता है।

चाहे गोलखनाथ का केस हो, चाहे केशवानंद भारती का केस हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसमें कहीं पर तो उन्होंने फण्डामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से ऊपर माना और कहीं यह कहा गया कि फण्डामेंटल राइट्स को भी उस लेवल तक हम चेंज कर सकते हैं जहां तक

(डा. सी. पी. जोशी)

संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाए। यह मोटे-मोटे संविधान में कन्फिलक्ट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, जो संविधान की हमारी सबसे बड़ी क्षमता थी, ताकत थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सब्बरवाल ने भी माना कि सैपरेशन का जो अधिकार है जुडीशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में, यह बेसिक स्ट्रक्चर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है तो निश्चित तौर पर हमें सदन में यह चर्चा करने की आवश्यकता है कि राजस्थान विधान सभा जो कानून बना रही है, राजस्थान विधान सभा में गवर्नर जो बिजनस आफ रूल्स को पास करके मंत्री से काम करवाते हैं, उन बिजनस आफ रूल्स के अन्तर्गत जो प्रोविजन हैं, जिन प्रोविजन के अन्तर्गत मंत्रीगण विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए हम संविधान की व्यवस्था से परे हट जाएं कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट इस तरह के हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे चाहे गोलखनाथ का केस हो, वहां भी 6-5 का अन्तर है। चाहे केशवानंद भारती का केस हो, उसमें 7-6 का। मैजोरिटी से, थिन मैजोरिटी के जजमेंट के आधार पर। मैजोरिटी के जजमेंट के एक पार्ट के जज ने दूसरे पार्ट में मैजोरिटी वाले जजमेंट के साथ भी अपने आपको सम्मिलित किया। क्या मैजोरिटी के निर्णय के आधार पर लैजिस्लेटर को यह डायरेक्शन दिया जा सकता है कि शेट्टी कमीशन की रिकमण्डेशन के आधार पर आपको कंसोलिडेटेड फण्ड से इतना पैसा देना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर लैजिस्लेचर को यह डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप इस तरह का कानून बनाएं जिस कानून के अन्तर्गत पुलिस एक्ट जो पुराना, इर्रेलेवेंट हो गया है उसमें यह प्रोविजन किया जाए? क्या, अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट सरकार को यह डायरेक्शन दे कि उनके निवास, जज जो रहने वाले हैं उनके मकान की व्यवस्था ऐसी हो? उनके टी ए, डी ए की व्यवस्था इस तरह की हो? उनके फर्नीचर की व्यवस्था इस तरह की हो? उनके क्लब की व्यवस्था इस तरह से हो? अध्यक्ष महोदय, ये बेसिक मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने की आज आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिये नहीं है कि जुडीशियरी के प्रति हम सम्मान नहीं करते हैं। जुडीशियरी के प्रति हिन्दुस्तान के हर आदमी को सम्मान करना पड़ेगा क्योंकि यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। लैजिस्लिचर एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी की पावर को उन्होंने

(डा. सी. पी. जोशी)

बिलकुल सैपरेट ढंग से डिफाइन किया है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमारे लोक सभा के जो स्पीकर हैं उनका एक इंटरव्यू कोट करना चाहता हूं, उस इंटरव्यू से हमें ध्यान रहेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा स्पीकर साहब ने कहा, ''You should understand what the meaning of politics is. One of the primary tasks in politics is to recognize the aspirations of the people and the downtrodden and take steps to give them concrete shape. Make no mistake; legislatures have not been constituted to promote literary debates. As an instrument of the Constitution, the judiciary is also not a centre to promote legal learning. The institution is as much obliged to the people's interests and has to see that it has a justifiable reflection in its functioning. Now, who understands the people's interests better? Who is authorized under the Constitution to advance the interests of the people? It is the legislature. Now, an assumption is being sought to be built up that Parliament as a whole does not understand the public interests. In my humble opinion, the judiciary must accept the legislature's views on the public interest where it has been unambiguously expressed. The judiciary, sitting in ivory towers, is not even supposed to take part in political discussions. I think that this is an unnecessary controversy that is being created." इतना क्लीयरकट वर्शन एक लांग स्टेंडिंग पार्लियामेंटेरियन का जो आज सौभाग्य से हमारे लोक सभा के स्पीकर हैं, उनका यह भी कहना है -

''All these came into the Ninth Schedule. You can see that these were all basically people's wishes being given legal shape by the legislatures. That is why legislatures exist. To give expression to, and make laws to channel the people's wishes. With all humility, let me point out that the Supreme Court can not make laws."

अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय आज राजस्थान की विधान सभा में भी करने की आवश्यकता है। इसलिये नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हमें डायरेक्शन दिया गया है इसलिये हमें पुलिस एक्ट बनाना है या हाई कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उनको सैलेरी देनी है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं इस राजस्थान विधान सभा के गौरवशाली इतिहास को। यह वह विधान सभा है जिस विधान सभा के विरोधी दल के नेता, मुख्य मंत्री और आज वह उप राष्ट्रपति के पद पर हैं। यह वह विधान सभा है जिसमें 18 साल तक मोहन लाल सुखाडिया ने मुख्य मंत्री पद का काम किया। आज जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है। आप भी पार्लियामेंटरी पार्ट हैं, आप भी पार्लियामेंटरी एग्जीक्यूटिव के मैम्बर हैं। यह लीड राजस्थान की असेम्बली को लेने की

(डा. सी. पी. जोशी)

आवश्यकता है। If we cannot contest against this, I think we will fail in the duties to perform as a Legislator. यह समय आ गया, अध्यक्ष महोदय, आपको विधान सभा के अध्यक्ष के अनुरूप हिन्दुस्तान की दूसरी विधान सभा के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह समय आ गया है कि हम इस पर थारो डिबेट करें। थारो डिबेट इस बात के लिये कि क्या सुप्रीम कोर्ट या कोर्टस कानून में इंटरप्रेट करके, या कानून बनाने का जो अधिकार 368 के अन्तर्गत कांस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट को और असैम्बली को है उस अधिकार को हम इसलिये छोड़ दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के आधार पर हम लोकतन्त्र में कुछ निर्णय करवाना चाहते हैं। यह खास तौर से समझने की आवश्यकता है। उस समय की यदि सरकार, यू.पी. के अन्दर तत्कालीन गवर्नर किसी को मुख्य मंत्री की शपथ नहीं दिलाते, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्शन नहीं देता कि मुख्यमंत्री का फैसला इस तरह से करिये या आज झारखण्ड में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिये कुछ लोग कोर्ट में नहीं जाते और कोर्ट यह डायरेक्शन नहीं देता कि हाउस की प्रोसीडिंग कैसी होगी, तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो हमारा अधिकार था, स्पीकर को पूरी छूट थी। इस विधान सभा के जितने अधिकारी हैं उनको पूरी छूट है कि प्रोसीडिंग जितनी भी असैम्बली की हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आज क्वेश्चन क्वैरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसमें राइडर के साथ फैसला दिया। उन्होंने फैसला यह दिया कि लोक सभा के सदस्यों को बाहर निकालने का अधिकार तो आपको है लेकिन उन्होंने कंडीशन डाल दी कि प्रोसीडिंग के अन्दर यदि गलती है, उस तरह की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अन्दर इंटरवीन कर सकता है। यह राइडर उनके साथ रखा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताइये कि क्या विधान सभा या लोक सभा ऐसा प्रस्ताव पास करे कि सुप्रीम कोर्ट केवल मात्र कानून का इंटरप्रिटेशन करेगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेजिस्लेटर्स को डायरेक्शन नहीं देंगी, कानून बनाएं, Can we pass such resolution? I think we can't. We have to understand it कि यह जो इम्बैलेंस बना उस इम्बैलेंस को हम कैसे ठीक करें।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में दो-तीन राइडर हैं मैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि इस स्थिति का क्या नुकसान होगा यह समझने की आवश्यकता है। "The genesis of the basic structure

(डा. सी. पी. जोशी)

doctrine is perhaps a confirmation of what senior advocate Raju Ramachandran later wrote in Supreme But Not Infallible; Essays in Honour of the Supreme Court of India." यह लिखा है, अध्यक्ष महोदय, ''The Indian judiciary, he writes, has used the basic structure doctrine mostly to protect judiciary power. He argues that a weakened political class, anxious to show adherence to the rule of law has quietly acquiesced in judicial primacy, and the Supreme Court, armed with the ultimate power to annul amendments to the Constitution, has used the doctrine and lesser powers flowing from it, extensively. Raju Ramachandran put it succinctly in his essay; "The basic structure doctrine proceeds upon a distrust of the democratic process, which itself must surely be part of the basic structure. In limiting the amending power, the basic structure doctrine in fact stifles democracy, a basic feature."

''Indira Jaising, senior advocate of the Supreme Court and an eminent commentator on constitutional issues, on the news portal, rediff.com; लिखा है, अध्यक्ष महोदय, ''The judgment is likely to have devastating results and raises several questions. The final arbiter on what are fundamental rights, what amounts to a violation of fundamental rights and what are the basic features of the Constitution is now the Supreme Court. It makes the Supreme Court one of the most powerful courts in the world and also one of the most unaccountable, as it is a self-nominated judiciary."

दो मैंने आपको कोट किये। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनकी खुद की जो मानसिकता है, बताती है इस बात को कि यदि हमने जुडीशियरी के इस मामले के सम्बन्ध में लैजिस्लेटर्स से चर्चा नहीं की तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपना जज बनकर यह फैसला कर ले कि कंसोलिडेटेड फण्ड से आप पैसा दीजिये, सुप्रीम कोर्ट कल से फैसला करके यह फैसला कर दे, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं कि लैजिस्लेटर की जो हमारी पावर है उसमें कर्टेलमेंट होगा। इस पर चिन्ता करने की आवश्यकता है। यदि हमने चिन्ता नहीं की तो फिर आने वाले समय में एक जजमेंट इस बात का हो कि एक आदमी जज होने के बाद अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, उसकी डैथ हो गयी, उसके कम्पनसेशन के लिये इतना रुपया करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यह विधान सभा भी प्रस्ताव पास करे कि यह पांच साल का टेन्योर है, एक आदमी को मंत्री बनाया, उसकी डैथ हो गयी, उस मंत्री के पद को पाँच साल तक बनाये रखना था इसलिये उसको इतने लाख रुपये का कम्पनसेशन दिया जाए Can somebody stop it? I think nobody can stop it. इसलिये यह खास तौर से समझने की आवश्यकता है। जिस आर्गन को यह

(डा. सी. पी. जोशी)

निर्णय करना था कि कानून बनाने का अधिकार लैजिस्लेचर का है और कानून के इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार जुडीशियरी को है उसकी कहीं न कहीं लिमिट यदि डिस्टर्ब होती है तो लोकतन्त्र के लिये सबसे बड़ा खतरा है।

मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं किराजस्थान की विधान सभा को लीड लेने की आवश्यकता है। राजस्थान की विधान सभा यदि लीड नहीं लेती तो हम दूसरी स्टेट के सामने हमारी परम्पराओं का, हमारी बातों का जो उदाहरण देते हैं वह हम उदाहरण नहीं दे सकेंगे। मुझे भी मालूम है, मैं भी पिछली सरकार में मंत्री था और मुझे जानकारी है। मेरे साथ मेरे वित्त मंत्रीजी बैठे हैं भूतपूर्व, यह इश्यू आया था तब भी कि शेटटी कमीशन की रिकमंडेशन के आधार पर जजों को तनख्वाह दे दी जाए। डायरेक्शन दे दिया। चीफ सैक्रटरीज को नोटिस दे दिये गये कि चीफ सैक्रेटरी महोदय यदि यह नहीं करेंगे तो कोर्ट उनको पूछेगी। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक सुनहरा अवसर था जब दिल्ली की सरकार फैसला करती, और फैसला करके उस पर निर्णय लेती तो हम कहीं न कहीं इस स्थिति को रोक सकते थे। यह जो बाढ़ आ रही है, यह पानी की जो बाढ़ आ रही है, इस बाढ़ को पहले से हमने एंटीसिपेट नहीं किया और बांध नहीं बनाया तो लोकतन्त्र बहुत कमजोर हो जाएगा, यह समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आजकल मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी अखबार में आ रहा है, वह चिन्ता का विषय है। चिन्ता का विषय, अध्यक्ष महोदय, यह कि यदि न्याय मंत्री और कानून मंत्री को विधान सभा में जवाब देना है तो आपका कौन आदमी कोर्ट से आए, नहीं आए, यह सरकार और कोर्ट के बीच में है। पर मेरे जैसे आदमी के लिये और सरकार के आदमी के लिये पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम आज की डेट में जुडीशियरी के इस निर्णय के आधार पर राजस्थान की विधान सभा में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। क्या राजस्थान विधान सभा में कुछ काम नहीं करना चाहते हैं? हमें याद करना पड़ेगा कि नाइन्थ शिड्यूल जब इंट्रोडयूज हुआ लैंड रिफार्म के सम्बन्ध में, जब हिन्दुस्तान में अलग-अलग कोर्ट ने लैंड रिफार्म के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्णय दिये थे, तब पहली बार नाइन्थ शिड्यूल के सम्बन्ध में पार्लियामेंट में मूव हुआ था कि नाइन्थ शिड्यूल को इनक्लूड किया जाए। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सेन्टेंस कहा था, मैं चाहता हूं कि उस पर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हम इन

(डा. सी.पी. जोशी)

चीजों को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में यह हमारे लिये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि नाइन्थ शिड्यूल क्यों प्रारंभ किया गया था। नाइन्थ शिड्यूल को लागू करने के पीछे क्या मंशा थी। और यदि नाइन्थ शिड्यूल लागू नहीं होता तो आज गरीब आदमी को लैंड रिफार्म का फायदा नहीं मिलता। लैंड रिफार्म का फायदा मिला, आज गांव का गरीब आदमी जमीन का मालिक बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यदि उस समय जागीरदारी एक्ट के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान की अलग-अलग कोर्ट ने जो निर्णय दिये थे, उन कोर्ट के निर्णय को अपहोल्ड किया जाता, नाइन्थ शिड्यूल बनाकर डीबार नहीं किया जाता तो हिन्दुस्तान का गरीब आदमी जिसने आजादी के समय में कल्पना की थी कि देश आजाद होने के बाद में खेत का मालिक बनेगा, उस आदमी को कभी भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता। इसलिए उस समय के हमारे प्रधान मंत्री ने यह फैसला करवाया, नाइन्थ शिड्यूल का प्रोविजन रखवाया और नाइन्थ शिड्यूल में सबसे पहले लैंड रिफार्म की इस चीज को इनक्लूड करवाया कि कोर्ट में इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, उस समय के प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था, मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं ''It is for this context that the Prime Minister Jawaharlal Nehru made his oft-quoted statement:- "Somehow we have found that this magnificent Constitution we have framed was later kidnapped and purloined by lawyers."

''The Supreme Court's judgment in the IR Coelho case has given rise to misgivings that the very objective of creating the 9th Schedule under Article 31B to keep out judicial review." 73 के बाद जितना नाइन्थ शिड्यूल में इनक्लूड किया, उन सब की जुडीशियल रिव्यू के सम्बन्ध में बात कह दी। आज दिन तक एक भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आज दिन तक एक भी निर्णय नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के सम्बन्ध में हम क्या निर्णय करें। किसको बेसिक स्ट्रक्चर मानें। कहीं पर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके सर्विस रूल्स को भी मान लिया है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। अनुच्छेद 14,19,21, किसको हम फंडामेंटल राइट्स मानें, आज दिन तक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करके यह अधिकार अपने पास रखकर इस हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को कमजोर करने का, लैजिस्लेचर को कमजोर करने का काम किया है। इसलिए ज्यादा आवश्यक है, या तो सुप्रीम कोर्ट से हम रेफरेंस दें, वह फैसला करवा लें कि फंडामेंटल

(डा. सी. पी. जोशी)

राइट्स हैं, कौनसा तीसरा है, प्रिंसिपल ने कौनसी चीज को फंडामेंटल के ऊपर माना है। इन चीजों के सम्बन्ध में यदि निर्णय नहीं किया तो यह हरदम खतरा बना रहेगा कि आप हमारी चीजों को मानें, नहीं मानें तो हम यह कर देंगे। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के 50 साल के बाद सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है।

एक अच्छी बात हो गयी है जिस बात पर एप्रिहेंशन करके उन्होंने नाइन्थ शिड्यूल को रिव्यू करने की बात की है। अब आज की डेट में अगले 20-25 साल तक कोएलीशन गवर्नमेंट रहेगी, कोएलीशन गवर्नमेंट रहने के बाद किसी को खतरा नहीं होना चाहिए कि कोई मैजोरिटी के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। क्योंकि अमैंडमेंट जो 368 का है, अब वह अमैंडमेंट भी जब तक कन्सेंसस नहीं बना तब तक हिन्दुस्तान में होना संभव नहीं है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का डाक्ट्राइन प्रपोज किया, उसको भी अब नये सिरे से समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। इस सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात व्यक्त की है। लेकिन मैं सरकार से निश्चित रूप से आशा करता हूं कि सरकार आगे आए, एक हैल्दी एटमास्फियर बने, अच्छा होता जुडीशियरी से पहले बात कर लेते। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कि मानते हैं कि जुडीशियरी से पहले बार करके रास्ता निकाल लिया जाना चाहिए था। लेकिन यदि हम यह मानते हैं कि हमारा कांशियस डिसीजन है, जो होना चाहिए, यह लैजिस्लेचर की सुप्रीमेसी है, तब हमें इस बात पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ला सैक्रेटरी जो उस लाइन में है कि आगे जाकर के हाई कोर्ट का जज बनेगा तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो हाई कोर्ट का जज बनने वाला आदमी है वह आदमी यहां राय भी देगा और जज बनने के बाद फैसले भी करेगा। यह स्थिति भी हमारे लैजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को कांशियस डिसीजन लेने की आवश्यकता है। यदि आप यह कांशियस डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमारा सैक्रेटरी आई.ए.एस. लेवल का आदमी बनेगा, क्योंकि वह लॉ सैक्रेटरी जो जुडीशियरी का आदमी है, वही आदमी जब हाई कोर्ट जज बनेगा और जज बनने के बाद निर्णय को वह रिव्यूकरेगा तो यहां क्या राय देगा और वहां पर क्या निर्णय करेगा? इस तरह से मैं समझता हूं कि वह जज पूर्वाग्रही होकर निर्णय करेगा। यह भी जुडीशियरी के लिए ठीक नहीं है तो इस बात को खास तौर से समझने की आवश्यकता है।

(डा. सी. पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति नहीं बनती राजस्थान में तो अच्छा होगा, क्योंकि राजस्थान की स्थिति में यह समझने की आवश्यकता है। इस जुडीशियरी के सम्बन्ध में भी समझने की आवश्यकता है। जुडीशियरी में अपोइंटमेंट भी दो तरह से होते हैं, एक तो जुडीशियल सर्विस से आदमी आते हैं, एक एडवोकेट जो सीनियर होते हैं उनमें से आदमी अपाइंट होता है। क्या यह स्थिति इसलिए तो नहीं बन रही है, यह भी आवश्यक हो गया है कि हम इस बारे में चिंतन करें। सरकार इस बारे में सोचे। हाई कोर्ट जज बनने के सम्बन्ध में यह जो दोहरी व्यवस्था है इस व्यवस्था को भी कहीं दुबारा रिव्यू करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन सब मुद्दों पर सरकार को कांशियस डिसीजन लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि चुनावों में सरकारें आएंगी और जायेंगी। यह स्थिति बनेगी और रहेगी। लेकिन आपका और हम सबका धर्म है कि हम सब मिलकर यह कोशिश करें कि लैजिस्लेचर की जो सुप्रीमेसी है, लैजिस्लेचर का जो काम है कानून बनाने का, वह अथोरिटी इरोड नहीं हो। इसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी को आगे आकर सभी दलों से बात करके एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसे दूसरे प्रदेशों की विधान सभाएं मिलकर फॉलो करें। इस सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय, न्यायालय के सम्बन्ध में मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। मुझे पता नहीं मेरी पार्टी की राय इस बारे में क्या है, मैं जो विचार व्यक्त कर रहा हूं वे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं उन लोगों से हूं जो पहले मानते हैं इस बात को कि लैजिस्लेचर की जो सुप्रीमेसी है वह कानून के सम्बन्ध में है। बाकी जो बैलेंस बनाया गया है सेपरेशन का कार्यपालिका और जुडीशियरी का, वह बनना चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में निश्चित रूप से कुछ करेगी।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में डेटा सब आ गया। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह ट्रेडिशनल कंसैप्ट है आपका, आपका मतलब सरकार का, हमारी सरकार का, आपकी सरकार का, पुलिस आंकड़े दे हमारे अधिकारियों को, इतने क्राइम हो गये, घट गये, बढ़ गये, बेसिक फंडामेंटल क्या है? क्या 50 साल के बाद हम रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को बदल पाये हैं? आज भी कांस्टेबल भर्ती करने के लिए दौड़ेगा, पास करेगा, यह करेगा। 50-60 साल के बाद भी आज रिक्रूटमेंट पालिसी को हम

(डा. सी. पी. जोशी)

बदलना नहीं चाहते हैं। जो कांस्टेबल भर्ती हो रही है उसकी रिक्रूटमेंट पालिसी में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम आज भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। क्राइम है सिटी का, प्रोन सिटी क्राइम, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। वी नैवर डिस्कस कि रूरल क्राइम क्या है, रूरल आदमी की तकलीफ क्या है। माननीय कटारियाजी, गृह मंत्रीजी खुद साउथ राजस्थान से आते हैं, क्या 50 साल बाद मौताने की बात को हम ठीक कर पाये? क्या 50 साल बाद नाते और नुक्ते के सम्बन्ध में हम बात कर पाये हैं? आज भी थानों में जहां ओ.बी.सी. की कॉस्ट है, जहां नाते और नुक्ते होते हैं, वहां थानेदार की पोस्टिंग की क्या व्यवस्था है? कोटड़ा में आपने एनलाइसिस किया, मैं चाहता हूं कि आप एनलाइसिस करिये। 50 साल में साउथ राजस्थान में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं, ये आत्महत्याएं नहीं हैं, मौताने के नाम पर झगड़े हैं। क्या हम मौताने की व्यवस्था करना चाहते हैं? क्या उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए साउथ राजस्थान में पुलिस के आदमी को अलग ठीक ढंग से रिक्रूट करके भेजा है जो आदिवासी के साथ इंटरेक्ट कर सके? झुंझुनूं, अलवर का आदमी साउथ राजस्थान में, कोटड़ा में पोस्टिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह वहां के आदमियों की साइकालोजी नहीं समझ पाएगा। क्या यह आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान के सम्बन्ध में रिक्रूटमेंट की पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ यह भी आवश्यकता है, मैंने आंकड़े देखें हैं, मंत्रीजी ने बताया है, हमने चालान पेश कर दिये, ये कर दिये। आपने अच्छा केस स्टडी शुरू किया लेकिन कोर्ट के आंकड़े अलग बताते हैं। हाई कोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं, 2005 में क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल केसेज में ओपनिंग 41794 केस, इंस्टीट्यूशंस में 27503 केस और क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसम्बर को है 47768 । इसका मतलब जुडीशियरी में 47768 केस का डिस्पोजल किया ही नहीं गया। अब आप कितनी ही मेहनत करें, कितना ही अच्छा इनवैस्टिगेशन कर लें, चालान पेश कर देंगे, पर आपने यह आंकड़ा नहीं दिया कि उन चालानों के बाद कितने आदमियों को सक्सैसफुल सज़ा मिली। सज़ा आपके हाथ में नहीं है। सक्सैसफुल सज़ा मिलने के लिए पुलिस की इनवैस्टिगेशन चालान के साथ में जुडीशियरी में मामला आ जाता है। वहां जो व्यवस्था है उसको बदलने की आवश्यकता है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर जिसको अपाइंट डैमोक्रेटिक सरकार करती है, चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार

(डा. सी. पी. जोशी)

हो, क्या पब्लिक प्रोसीक्यूटर का हमने असेस किया है कि वह जो केस प्लीड कर रहा है उसमें कितनी सक्सेस आयी? कितने फेल चले गये? पब्लिक प्रोसीक्यूटर पुलिस की सारी इनवैस्टिगेशन को बिलकुल बेकार कर देता है। मुझे कहते हुए कोई तकलीफ नहीं है। मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता, पर पब्लिक प्रोसीक्यूटर आपकी सबसे वीक लिंक है। वह वीक लिंक होने के बाद में जिस तरह का क्राइम पनप रहा है, मुझे यह बताएं कि क्या पुलिस के पास यह रिकार्ड है, आप तो चाइल्ड सिस्टम की बात करते हैं, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, वह सिस्टम आपने इंट्रोडयूज किया, पर क्राइम रेकिंग सिस्टम हमने इंट्रोडयूज किया क्या? आज तो आई.टी. है, हजारों आदमियों का डेटा आप ले सकते हैं, हजारों आदमियों का फिंगर प्रिंट ले सकते हैं। मुझे कहते हुए तकलीफ यहां लेबोरेटरी के सम्बन्ध में, आपका जो एफ.एस.एल. है। अब मुझे बताएं कि 50 साल से साइन्टिफिक ढंग से क्राइम का इन्वैस्टिगेशन करके हम लोगों को कैसे सज़ा दिलाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि सबसे पहली आवश्यकता है क्राइम इन्वैस्टिगेशन करने की। जो एफ एस एल है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनका हमने ठीक ढंग से नहीं किया तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितने हमारे एफर्टस हैं वे सारे एफर्टस बेकार हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के इसी कागज से कोट करना चाहता हूं, एफ एस एल का संगठनात्मक स्वरूप-416 पद हैं उसमें से 140 पद खाली हैं। और पद कौन से खाली हैं? वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 58 में से 28 खाली हैं? वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 58 में से 41 पद खाली हैं, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के 52 में से 29 पद खाली हैं, प्रयोगशाला सहायक के 66 में से 11 पद खाली हैं, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 65 में से 14 पद खाली हैं। अब आप मुझे बताएं कि यही फिगर हैं आपके, यही वे आदमी हैं जिनको एनेलिसिस करना है, यदि एनेलिसिस करने वाले आदमी ही नहीं हैं तो हम कौन से क्राइम का इन्वैस्टिगेशन करना चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब्बरवालजी का पुलिस एक्ट आपको मंत्रीजी, याद दिलाने की आवश्यकता है कि टाइम हैज कम, जहां लॉ एण्ड ऑर्डर को इन्वैस्टिगेशन से अलग करने की आवश्यकता है। पिछले 50 सालों में हमने सबसे कम जिस पर ध्यान दिया है तो वह ध्यान दिया है इन्वैस्टिगेशन और एफ एस एल पर। इस पर आज साइन्टिफिक ढंग से बात करने की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए तकलीफ है, आप जानकर

(डा. सी. पी. जोशी)

आश्चर्य करेंगे, मैं गलत हूं तो मंत्रीजी करैक्ट कर दें, स्टेट फण्ड से उपरोक्त सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2003-2004 में 3.5 करोड़ रुपये, 2004-2005 में 75 करोड़ और 2005-2006 में 2.2 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त राशि से नवीनतम संवेदनशील उपकरणों को आयात करने का रखा है आपने। इसके खाली आर्डर दे रखे हैं। ऑर्डर दे रखे हैं, इसका मतलब, माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 साल में हमें एफ एस एल के नाम पर जो व्यवस्था करनी थी वह नहीं कर पाये हैं। आपका कितना ही इन्टेंशन अच्छा हो, आपकी कितनी ही इण्टीग्रिटी हो, आज कितने ही लोगों को आपके बारे में यह मालूम है कि आप मैन आफ इण्टीग्रिटी हैं, आपका इण्टेंशन अच्छा है, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन्वैस्टिगेशन करने वाली एजेंसी सबसे कमजोर है तो मैं नहीं समझता कि आपका इन्वैस्टिगेशन कैसे ठीक ढंग से काम कर पाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको खुद पता है, पुलिस सेवा के पदों में भारतीय पुलिस सेवा के 34 पद रिक्त हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 4 पद रिक्त हैं, पुलिस उप अधीक्षक के 29 पद रिक्त हैं, निरीक्षक के 140 पद रिक्त हैं, उप निरीक्षक के 605 पद रिक्त हैं, सहायक उप निरीक्षक के 1232 पद रिक्त हैं, मुख्य कांस्टेबल के 641 पद रिक्त हैं, कांस्टेबल के 3600 पद रिक्त हैं। 5 हजार कांस्टेबलों की भर्ती, माननीय मंत्रीजी, वह भी चार खेप में करने के बाद हम सुदृढ़ीकरण कर लेंगे, इससे हम सुदृढ़ीकरण की जो आशा कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि आपके ये सारे करने के बाद भी कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: 25 मिनट हो गये हैं आपको बोलते हुए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कहें तो एक मिनट में बैठ जाऊं? मैं तो आप हुकुम दीजिए, आपके हुकुम से बैठ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानता हूं कि सत्य बात, कड़वी बात कहनी नहीं चाहिए। राज अच्छा चल रहा है, कोई क्राइम नहीं है, सब ओर शांति है, फिर यह विधान सभा में दारू पीकर आदमी कैसे घूम रहा था? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं इन छोटी चीजों में नहीं जाना चाहता। पुलिस ह्यूमन बींग है, उसमें से कुछ आदमी क्राइम भी करेगा, जयपुर में भी क्राइम होंगे, पुलिस की कस्टडी में डैथ भी होगी, लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति भी होगी, I don't want to say about this. यह तो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो भी यही चीज आएगी। पर मैं बेसिक बात और कहना

(डा. सी. पी. जोशी)

चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग Have you ever changed? What are the criteria? एक आदमी ने दस साल पहले जमीन ली, उस जमीन की कीमत आज एक करोड़ रुपए हो गई, आप छापा लगाकर कहते हैं कि उस आदमी पर हमने छापा लगाया और उसकी एक करोड़ रुपये की प्रापर्टी है। एक करोड़ रुपए की प्रापर्टी कब की? आप यह नियम बनाएं कि जिस समय उसने परचेज की उस समय की या आज की? आपका बड़ा जोरदार प्रचार होता है कि हमने इस आदमी के छापा लगाया, आलीशान बंगला, इतनी मोटर, इतनी कार। यह आउटडेटेड कंसैप्ट है। आज की डेट में जो चीजें सम्भव हैं उन रूल्स को, नियमों को बदलिए, नियमों को बदलने के बाद इन चीजों को ठीक करिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब ज्यादा आवश्यकता इस बात की है, अब तो राइट टू इन्फार्मेशन, सूचना का अधिकार, ह्यूमन राइट कमीशन, आज सरकार द्वारा पुलिस से काम लेना बहुत मुश्किल है। पुलिस एक्ट के प्रोविजन आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस एक्ट के प्रोविजन के बाद और प्राब्लम आएगी। इसलिए अनसाइन्टिफिक पुलिस से अनसाइन्टिफिक इन्वैस्टिगेशन करवाओ, यह सम्भव नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे सानुरोध प्रार्थना है, माननीय मंत्रीजी, मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करूंगा, आप एस.सी. और एस.टी. के जो क्राइम हैं, उनको अलग एनेलाइज करिए। आपके रूरल क्राइम हैं, माननीय मंत्रीजी, आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गांव में दो हजार, पांच हजार रुपये उधार के लिए उस गरीब आदमी के साथ वो ज्यादती हो रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस गरीब आदमी को कुमुलेटिव ब्याज देना पड़ता है। ब्याज नहीं दे पाता है तो उसकी औरत को उसको गिरवी रखना पड़ता है, उसका मकान गिरवी रखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास क्राइम रिकार्ड नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे गंदा क्राइम किसी परिवार को नष्ट करने का काम कहीं हो रहा है तो गांव के उस गरीब आदमी के साथ जिसने पैसा ले रखा है, उस आदमी के साथ हो रहा है। हमने आज तक उस क्राइम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इण्टीग्रेशन करने की आवश्यकता है न्याय, पुलिस और कारागार को, तीनों विभाग एक के पास हों कि पुलिस का चालान बनने के बाद पब्लिक प्रोसीक्यूटर उसको फालो कर रहा है कि विधि के सम्बन्ध में कितना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप उचित समझते हैं

(डा. सी. पी. जोशी)

कि डिपार्टमेंटस को इण्टीग्रेट किया जाना चाहिए in the larger interest of the functioning of the government? मेरा विचार है कि इन तीनों विभागों का इण्टीग्रेशन करने का भी समय आ गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो डैमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वोट का राज है और राज आना है, राज जाना है तो ये कास्ट के नए-नए आंदोलन शुरू हो रहे हैं। कभी रिजर्वेशन तो कभी एस.टी. का तो कभी ओ.बी.सी. का, ये नए आंदोलन शुरू हो रहे हैं। इन आंदोलनों को रोकने के सम्बन्ध में भी समय आ गया है कि हम इन्वैस्टिगेशन को और लॉ एण्ड आर्डर को अलग-अलग करें। यदि हमने लॉ एण्ड आर्डर के साथ इनको मिक्स अप किया तो इन्वैस्टिगेशन कमजोर हो जाएगा। कांस्टीट्यूशन में शांतिपूर्ण, इज्जत के साथ जो आदमी रहना चाहता है, उस आदमी के रखने का जो काम है वह तो गौण हो जाएगा और लॉ एण्ड आर्डर को मेंटेन करने में हमारी सारी एनर्जी लग जाएगी। मैं समझता हूं कि इन्वैस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करने की भी आज आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुलिस एक्ट है, उस पुलिस एक्ट के सम्बन्ध में आपके प्रयास सराहनीय है, पर आज यह आवश्यकता है कि हम कांशियसली अगले 50 सालों के लिए पुलिस का एक्ट बनाने की कल्पना करें। साइबर क्राइम इसमें इम्पार्टेण्ट है। क्राइम प्रीवेंट करने के लिए, क्राइम होने के बाद पुलिस का सीन आता है, पर आज नई स्थिति बन रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में, सरकार क्राइम आर्गेनाइज करने में फैसिलिरेटर का काम कर रही है। मेहरबानी करके यह ठेके पर सेल्स टैक्स, ठेके पर दारू, ठेके पर सब काम करना, आर्गेनाइज क्राइम में शैल्टर करने की जगह, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको नहीं रोक पाये तो यह आपके लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मैं आपको विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, क्या आपके पास रिकार्ड है कि आज दिन तक यदि पहले किसी पर कोई केस 307 में रजिस्टर हो गया, तो उसकी ट्रैकिंग करने के बाद हमारे पास जानकारी है कि ऐसे कितने आदमी हैं जिनको पहले 307 में रजिस्टर किया था। उसके बाद उनको फालो करें, हमारे पास इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। इसलिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि फर्स्ट केस 307 का जिस आदमी पर लागू हो गया, सज़ा मिली कि नहीं मिली, यदि आपने ट्रैकिंग सिस्टम पर डाल दिया तो आप कानून की ठीक ढंग से व्यवस्था कर पाएंगे।

(डा. सी. पी. जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का मोटा काम यह बिजनस चलाना नहीं है, यदि कानून व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए, गांव के गुण्डे से गांव का आदमी शांतिपूर्ण रह गया, बाजार के गुण्डे से बाजार का आदमी सही व्यापार कर सका। ये थाने, अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, थानों में खाने का पूरा खर्चा उस इलाके के इल्लीगल एक्टिविटी करने वाले लोगों के पे रोल पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ड यूज करना चाहता हूं, थाने में, मंत्रीजी, आपसे विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी थाने में वहां पर जितनी नफरी में आदमी हैं, उनके खाने-पीने की व्यवस्था का काम वे लोग कर रहे हैं जो उस इलाके में इल्लीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्या हमने इस व्यवस्था में सोचा है? मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं, मंत्रीजी, आपने कुछ लीड ली है, आवश्यकता इस बात की है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यदि कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में लोगों का विश्वास जगा पाए तो लोकतंत्र मजबूत होगा। यही बात मुझे आपसे कहनी है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री जोगाराम पटेल।

मैं, माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि तीन मंत्री बोलेंगे, और कब तक बैठने का सदन का इरादा है, सदन का समय कब तक बढ़ाया गया है, मुझे पता नहीं। (व्यवधान) आठ बजे तक। तो आठ बजे हम मंत्रीजी का जवाब शुरू करवा दें, यह तो कम से कम निर्णय कर लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप जो आदेश देंगे लेकिन आज न्याय प्रशासन के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण बहस होनी है।

श्री अध्यक्ष: आपको भी बोलना है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप इजाजत देंगी तो बोलूंगा, अन्यथा बोलने का प्रश्न ही नहीं है। बोलने का प्रश्न ही नहीं है। आसन की अगर आज्ञा मिलेगी तो बोलूंगा। न्याय प्रशासन और पुलिस की मांग साथ होने से, खैर, न्याय प्रशासन तो आप देख रहे हैं, समय आ गया है जब इस बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। जुडीशियरी और लैजिस्लेशन के सम्बन्ध में आज चर्चा करनी होगी। यहां पहल करके कम से कम उनके कानों में तो यह बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पहुंचाएं कि उनके बारे में जन प्रतिनिधि क्या सोचते हैं। आप मुनासिब समझें तो आप इजाजत दें, वर्ना तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि जिस हिसाब से चर्चा चल रही है इस हिसाब से तो ..(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): पिछले कई वर्षों में यह विधान सभा 9-9, 10-10 बजे तक चली है।

श्री अध्यक्ष: टाइम बढ़ाने का प्रस्ताव तो कर ही रहे हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 12 बजे तक चली है और कई बार वाहियात एक-एक घंटे खराब किया जाता है। बिना कारण के एक घंटा खराब होता है। लोग तैयार होकर आते हैं, अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता?

श्री अध्यक्ष: मैं किसी भी माननीय सदस्य को 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दूंगी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह ठीक है, आप ऐसा कर दीजिए, पर आप बोलने तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य खुद पौन घंटा बोलकर अब गर्दन हिला रहे हैं कि हां, मत दो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अलाउ करिए, अध्यक्ष महोदय, आप कल शाम तक खतम करिए।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 10 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

आप तो बोले ही नहीं और कह रहे हैं बढ़ा दो। बढ़ाने का एक नहीं बोला। मैंने कहा हां तो इधर से आई। आप लोग तो एक भी नहीं बोले।

सदन का समय रात्रि के 10 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कई माननीय सदस्य बोलकर चले भी गये, जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दे दिया है वे कृपया अपना स्थान छोड़कर, सदन छोड़कर नहीं जाएंगे, यह परम्परा है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जब जवाब दें ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो 10 बजे तक भी काम नहीं चलेगा, आपको टाइम और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक ये मांगें पारित न हो जाएं तब तक यह मानकर चलो। आप एक आदेश दीजिए कि सब माननीय सदस्यों का खाना आज रात का यहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: कह दो खाने के लिए, क्या दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आपकी अनुमति हो तो इंतजाम करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत बड़ा मामला है आज।

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है, इंतजाम हो जाएगा। (व्यवधान) जोगाराम पटेल। आप लम्बा बोलते हैं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं।

मांग संख्या 6, 16 व 17 पर विचार

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे थोड़ा समय देना चाहिए था, पर आपकी मर्जी। आज इस हाउस में मुझे अपने 25 साल के ज्युडीशियरी में एपीयर होने के अनुभव के अगेंस्ट में जो कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला, उसे एक्सप्रेश करने की जरूरत थी, कुछ प्रैक्टिकल जो देखा उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत थी, पर 10 मिनट में कुछ हो नहीं सकता, इतना समय आपने दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने आज हर कार्नर से न्यायपालिका के उस आस्पैक्ट की तरफ ध्यान दिलाया और यह कहने का प्रयास किया कि न्यायपालिका अपने अधिकार से परे जाकर विधायिका के जो अधिकार हैं उन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है। लब्बोलुआब में देखा जाए तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि न्यायपालिका

(श्री जोगाराम पटेल)

को अधिकार नहीं है कि विधायिका का जो कार्य है, विधायिका का जो कार्यक्षेत्र है, विधायिका का जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करे या उस पर कोई डिस्कशन करे। यह एक गंभीर विषय है। राजस्थान की विधान सभा में नहीं, और कई विधान सभाओं में उठता होगा। पार्लियामेंट में उठा है, ऐसा तो हमने अखबारों के मार्फत् पढ़ा या टीवी में देखा है। पर कभी इस बारे में किसी ने आत्मावलोकन किया? मेरे सभी सम्मानित लैजिस्लेशन के जितने भी माननीय सदस्यगण यहां पर विराजमान हैं, या भारत की किसी भी विधान सभा में कहीं भी विराजमान हैं या लोक सभा में विराजमान हैं, यह स्थिति कहां से पैदा हुई और क्यों पैदा हुई? क्या ऐसा अपने आप में ही कुछ हुआ या समय या परिस्थितियों की वजह से हुआ या ऐसा कोई आवश्यक हुआ कि न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र के कुछ परे जाकर भी निर्णय लेने की आवश्यकता पैदा हो गई और निर्णय लिया भी गया? कई निर्णयों का उदाहरण भी दिया गया, कांस्टीट्यूशनल बताया गया कि यह हमारा अधिकार है, चाहे आर्टिकल 165 हो, एट्थ शिड्यूल हो, नाइन्थ शिड्यूल हो, फण्डामेंटल राइट हो। इन सबके बारे में बताने से पहले एक बात का विचार करना पड़ेगा जो विचार करने का मैं निवेदन करूंगा, वह यह है कि आखिर ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुईं? जब से कांस्टीट्यूशन बना तब से यह चल रहा है और क्या ऐसी कुछ परिस्थितियां आईं जिन परिस्थितियों की वजह से हमारे में से कोई आदमी गया, हमारे में से कोई माननीय सदस्य गया या हमारी जनता में से कोई माननीय व्यक्ति गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हो या और कोई उच्च न्यायालय हो, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह प्रार्थना की? और प्रार्थना करने वाला हमारे में से कोई था, परिस्थितियां पैदा करने वाला हमारे में से कोई था। उन परिस्थतियों के बाद जब कोई निर्णय हुआ तो जिसके पक्ष में हुआ वह कह रहा है कि न्यायपालिका बहुत अच्छी है और न्यायपालिका ने हमारे अधिकारों की रक्षा की। किसी के विपरीत हुआ वह कहता है, न्यायपालिका बहुत खराब है और न्यायपालिका ने हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया। ये दो परिस्थितियां आपके सामने हैं।

एक उदाहरण के रूप में आग्रह करूंगा, एक विषय यहां लाया गया कि न्यायपालिका ने अपने अधिकारों के सम्बन्ध में, अपनी फैसिलिटी के सम्बन्ध में चाहे तनख्वाह हो या फैसिलिटी हो उसके सम्बन्ध में स्वयं ने सुओमोटो रिट करके या रिट करवाकर आर्डर पारित करवा दिया। मुझे आज भी याद है

(श्री जोगाराम पटेल)

वो क्षण जब जस्टिस वर्मा डिस्ट्रिक्ट जज थे, वे साइकिल पर आते थे और उनके पास से एसडीएम की गाड़ी निकलती थी। मुझे वह क्षण भी आज याद है जब हमारे सीजेएम सिटी बस के अंदर भीड़-भड़ाके में लटककर कोर्ट में आते थे। आज भी वह क्षण मेरे सामने है जब हमारे सारे मजिस्ट्रेट पैदल कोर्ट में आते थे। मुझे आज भी वो क्षण याद है जब हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, पैदल-पैदल पीछे घूमकर कोर्ट में आते थे। आज की तारीख में भी चार जजों को एक कामन गाड़ी दी गई है। आज की तारीख में जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं और जो दूसरे लोअर ज्युडीशियरी के जज हैं उनको एक कामन गाड़ी दी गई है, साथ चार आते हैं और चार ही वापस जाते हैं। आज भी मुझे याद है कि हाई कोर्ट जज या लोअर जुडीशियरी के जितने भी जजेज हैं उनके लिए रैस्ट्रिक्टेड है कि इतना ही आपको पैट्रोल मिलेगा, इतनी ही आपको गाड़ी मिलेगी। मुझे आज भी याद है कि आज एक हाई कोर्ट के बाबू के पास 40 हजार तक फाइलें होती हैं। यहां यह भी बताया गया कि एक के पीछे 40 का स्टाफ है। कितने माननीय सदस्य कभी लिटिगेंट के रूप में, कितने माननीय सदस्य अधिवक्ता के रूप में और कितने माननीय सदस्य दर्शक के रूप में न्यायालय में गये हैं और न्यायालयों में जाकर वास्तविकता का पता लगाया है? अगर वास्तविकता का पता लग जाता, उस परिस्थिति को देखा जाता तो ये जो इंटरप्रिटेशन या भावना आ रही है, वह भावना शायद नहीं आती। ये एक कटु सत्य है कि वो परिस्थिति थी कि एक सीजेएम लेवल का आदमी सिटी बस की भीड़ में कोर्ट में जाता था। वो ही परिस्थिति थी कि डिस्ट्रिक्ट जज साइकिल पर कोर्ट में आता था। तब धीरे-धीरे उनको यह लगा कि ऐसे तो कोई अधिकार मिलने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने कांस्टीट्यूशनल पावर को काम में लिया और धीरे-धीरे आर्डर होने लगा। बाकी यह परिस्थिति पैदा हो जाती और इस बात का निराकरण कर दिया जाता तो शायद यह आज बहस का मुद्दा नहीं बनता। आज जजेज अपने आप, सुओमोटो आर्डर पास कर रहे हैं। ये आर्डर क्यों पास कर रहे हैं? यह उस परिस्थति का परिणाम है, उस परिस्थिति की वजह से पैदा हुई समस्या है और उस समस्या का निराकरण नहीं किया गया इसलिए समस्या पैदा हुई।

कई ऐसे एपिसोड आपके सामने विधान सभा में हुए हैं कि बहुमत होते हुए भी पोलिटिकल गेन्स के लिए उनको यह कहा गया कि उनका बहुमत नहीं है। और जब वे सुप्रीम कोर्ट में गये तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका प्रोटैक्शन

(श्री जोगाराम पटेल)

किया। तो दूसरे पक्ष ने यह कहा कि न्यायपालिका नहीं होती तो हम हमारा बहुमत साबित नहीं कर पाते, न्यायपालिका नहीं होती तो हम हमारा हक नहीं ले पाते। उस दिन तो न्यायपालिका ने चूंकि आपके फेवर में जजमेंट किया, उस दिन तो न्यायपालिका बहुत अच्छी थी और जब दूसरा कोई आर्डर हो गया तो न्यायपालिका बुरी हो गई। यह एक परिस्थिति है जिस परिस्थिति को समझने और इसके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी डिबेट होनी चाहिए, दोनों पक्ष रखे जाने चाहिए कि आखिर यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई, इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस बारे में कभी आज दिन तक इस विधान सभा में या पार्लियामेंट में यह डिस्कस्शन हुआ कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं या हमारे माननीय सांसद हैं, उनका क्या कर्तव्य है और उन कर्तव्यों को कहां तक हम निभा रहे हैं? हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारा जो प्रदर्शन हो रहा है उसके प्रति आम जनता में हमारे प्रति क्या धारणा बनती जा रही है? यह विषय भी बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में हम सब को बैठ कर विचार करना चाहिए कि हमारे बारे में क्या धारणा बनती जा रही है। यह जब हम अभी शेयर करेंगे तो हम तोल पाएंगे कि क्या जुडीशियरी ज्यादा एक्सीड हो रही है या हम कोई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं या हम परिस्थितियों से विमुख हो रहे हैं, हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से आम जन हमारी तरफ नहीं देख कर जुडीशियरी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है और अपने हर अधिकार के लिए रिट के मार्फत हो और किसी के मार्फत हो, उधर जाता है। यह एक परिस्थिति है, जो अभी गंभीर बहुत विषय है पर जिसके सम्बन्ध में इतने थोड़े समय में डिस्कस नहीं हो सकता।

दूसरा, यह बताया गया कि हाई कोर्ट का स्टाफ बढ़ रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है, लोअर जुडीशियरी की तनख्वाह बढ़ रही है, जजेज बढ़ रहे हैं, कोर्ट बढ़ रही हैं, फिर भी लिटिगेशन जो हैं वे बढ़ रहे हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा, अपने यहां अध्यापकों की भर्ती का मामला आया, कई हजारों की संख्या में अध्यापक भर्ती हुइ और उस संख्या में जो रिटें हाई कोर्ट में हुई वे भी कई हजारों में ही हुई। अब जब वह परिस्थिति पैदा होती, जब आप संख्या काउंट करते हैं तो वह संख्या तो उसी हजारों में होगी क्योंकि एक कोई कार्य हुआ उस कार्य की वजह से किसी को कोई एतराज हुआ, वह कोर्ट में चला गया, एक नहीं हजारों चले गये तो वह संख्या बढ़ गई। अब वह डिस्पोजल करने के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, कभी

(श्री जोगाराम पटेल)

आपका कोर्ट में जाने का काम पड़ा हो, एक जज के पास कम से कम रोजाना डेढ़ सौ केसेज लगते हैं, कम से कम रोजाना कोई काज लिस्ट आकर देख ले, रोजाना कम से कम डेढ़ सौ केस लगते हैं, अगर वह एक केस में तीन लाइन लिखे तो डेढ़ सौ केस में कितनी लाइनें हो गई? फिर उसको वह काम भी करना है कि उसमें माइंड एप्लाई भी करना है, उसको वह काम भी करना है, जजमेंट भी देखना है, जजमेंट डिक्टेट भी करना है, कानून भी पढ़ना है, फिर क्वालिटी आफ जजमेंट का विषय पैदा होता है। ऐसी स्थिति में इस परिस्थिति से निपटने के लिए कि क्वालिटी आफ जजमेंट भी हो, जुडीशियस जजमेंट भी हो, हर पार्ट की अपर्चुनिटी आफ हियरिंग भी हो और उसके बाद अगर निर्णय पारित किया जावे तो यह लिटिगेशन बनने के पीछे जो रीजंस हैं उन रीजंस में भी जाना पड़ेगा। कभी इस बारे में विचार नहीं किया गया कि आज की तारीख में जो कोर्ट में सबसे ज्यादा लिटिगेशन का कारण है, वह सरकारी पक्ष के केसेज हैं। इसके बारे में आज तक कभी विचार नहीं हुआ। सरकारी पक्ष के अगर केसेज हटा दिये जावें तो मेरा विश्वास है, 30 से लगाकर 40 परसेंट के बीच में जो केसेज हैं वे सरकारी पक्ष के हैं। एक जो डिले होता है वह सरकार की रिप्लाई से, पक्षकार की रिप्लाई से, टाइम देने से, एडजोर्नमेंट मांगने से, इस पार्ट में भी होता है। उस पार्ट में अधिवक्ता और पक्षकार की भी एक भागीदारी है केसेज को बढ़ाने की या उस केसेज को लम्बा करने में या उस केसेज को डिले करने में। इस बारे में विचार करने का विषय है। हां, यह भी कटु सत्य है कि पिछले कुछ समय से न्यायपालिका कुछ ऐसे-ऐसे निर्णय भी कर रही है जो उनको नहीं करने चाहिए, वह अपनी अधिकारिता से बाहर जा रही है। पर यह भी सत्य है कि ऐसे निर्णय हुए हैं जो कार्यपालिका है या विधायिका भी नहीं कर सकती क्योंकि पोलिटिकली कमेंसमेंट होता है। एक उदाहरण के रूप बताऊं, पर्यावरण से सम्बन्धत जितने भी केसेज हैं या जोधपुर सिटी के अन्दर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के केसेज हों, जोधपुर सिटी के अन्दर सारी की सारी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां सिटी के अन्दर थीं, आना-जाना मुश्किल था, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं पर पार नहीं पड़ी, हाई कोर्ट ने आर्डर पास किया, पुलिस को बाउण्ड किया, गवर्नमेंट को बाउण्ड किया कि इतने समय के अन्दर ये बाहर जाने चाहिए, वे बाहर चले गये। आज सब कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। ट्रैफिक कंट्रोल का मामला हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 12 मिनट हो गये हैं आपको बोलते, आपको मैंने केवल 10 मिनट के लिए कहा था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा आपसे निवेदन है, मैंने तो आपके सारे बिन्दु बताये जिन बिन्दुओं पर विचार करने की आवश्यकता है और यह बिन्दु विचार करने का विषय है। इसको टाइम फ्रेम के अन्दर बांध कर नहीं देखा जा सकता। आपका समय भी बढ़ गया अब तो ठेठ रात के 10 बजे तक का। वे ट्रांसपोर्ट कम्पनियां बाहर चली गईं। आज जनता यह कहती है कि बहुत अच्छा काम हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जितने नार्म्स बनाये गये, उन नार्म्स की वजह से यह पुलिस को फायदा हुआ या सरकार को फायदा हुआ। पर्यावरण के जितने भी केसेज गोचर के हैं, ओरण है, उनका प्रोटेक्शन क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साहब, ऐसा है तो फिर तो बोलने का कोई तात्पर्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा पांच-सात मिनट का टाइम दें।

श्री अध्यक्ष: ऐसे तो फिर हम 10 बजे तो क्या 12 बजे तक भी खतम नहीं कर सकते।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बज जाएगा तो बज जाएगा, अब 12 बजने का है तो।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन था, इन सब के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि बोलने के लिए आपने समय नहीं दिया...

श्री अध्यक्ष: फिर भी बोलूंगा। नहीं दिया समय फिर भी बोलूंगा, यही मतलब है ?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने जो समय दिया उसके अन्दर ही पूरा करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: समय तो समाप्त हो गया आपका।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक-दो मिनट ही बस।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट से ज्यादा अलाउ नहीं करूंगी मैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, एक-दो मिनट में ही।

श्री अध्यक्ष: फिर आप एक-दो कह रहे हैं, कोई एक बात, आपको एक पाइंट कहना हो तो कह दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह इंटरफियर होता है तो बोल नहीं पाते हैं, नैचुरली एकदम सही है। बोलना शुरू करें उससे पहले ही आप टोकना शुरू कर दें तो फिर नहीं बोल पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आसन की भी मजबूरी है, यदि इस तरह से एक-एक घंटे तक हर माननीय सदस्य बोलेंगे तो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह जो समय आसन के बार-बार निर्देश की वजह से खराब हो रहा है, वह मेरे समय में काउंट करें तो आपकी मर्जी है, मेरा। निवेदन यह था, वर्तमान समय में मैं न्याय प्रशासन के बारे में इतना निवेदन अवश्य करूंगा।

श्री अध्यक्ष: कर दिया न्याय प्रशासन के बारे में।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज की तारीख में भी कई ऐसे कोर्ट हैं जिनमें फर्नीचर नहीं है, बैठने को एक कुर्सी नहीं है ऊपर पंखा नहीं है। आज की तारीख में भी हैं। पर इस बात का भी बराबर ख्याल रखना पड़ेगा कि न्याय लेने वाले को, उस पक्षकार को, बैठने वाले जज को और बैठने वाले स्टाफ को बराबर-बराबर सुविधा मिल रही है कि नहीं। एक पक्ष तो यह निवेदन करूंगा।

दूसरा जहां तक पुलिस का मामला है नफरी के सम्बन्ध में, व्यवस्था के सम्बन्ध में, ये सारी बातें हुईं, पर मैं एक सुझाव आपको जरूर निवेदन करूंगा। आपकी मार्फत एक मिनट का टाइम लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भाव-भंगिमा से मुझे पता लगता है कि कांस्टेबल लेवल का अधिकारी जो है उसकी रेस्पांसिबिलिटी एण्ड ड्यूटीज को डिफाइन करने की आवश्यकता है। हर अधिकारी की रेस्पांसिबिलिटीज एण्ड ड्यूटीज डिफाइन की हुई हैं, यह एक ऐसा तबका है जिसकी रेस्पांसिबिलिटी एण्ड ड्यूटीज डिफाइन नहीं की हुई हैं। साथ ही साथ विशेष मेरा निवेदन यह रहेगा जैसा अभी बताया गया कि साइंटिफिक तरीके से आज का जो युग आ रहा है उस युग के अनुसार उसको डवलप करना भी जरूरी है। वह जमाना अब नहीं रहा कि हाथ में डंडा लिए हुए पुलिस वाला होता था, आज का जमाना वह रहा है कि वह पुलिस वाला मैकेनिकली, माइंडली अण्डरस्टेंड करेगा कि क्राइम्स के रीजंस क्या है। क्राइम्स का रीजंस समझ में आएगा, उस दिन क्राइम का कहा है कि प्रीवेंटिव मेजर्स जितने होने आवश्यक हैं और आज का जमाना है कि प्रीवेंटिव मेजर्स जितने ज्यादा होंगे क्राइम उतना ही कम होगा। क्राइम होने के बाद उसको कम करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्राइम को प्रीवेंटिव मेजर्स से रोकें।

(श्री जोगाराम पटेल)

अंत में जो निवेदन मैं करुंगा वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि आज की तारीख में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बाद जो प्रोसीक्यूशन होता है और स्टेट की ओर से जो प्रोसीक्यूट करता है वह एजेंसी वीक है। उस एजेंसी को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, परसेंटेज आफ क्राइम है उस क्राइम में जो सज़ा होनी है वह सज़ा का परसेंटेज कम रहेगा और अगर वह एजेंसी सही कर दी जावे, एफिशिएंट हो, रैगुलर हो, मिनिमम केसेज उसके पास हों, स्टडी करने का टाइम मिले, आज भी उसके पास लाइब्रेरी नहीं है, आज कभी भी वह अथोरिटी नहीं पढ़ते हैं, कोई भी उनके पास साइंस की कौन सी है, किस तरह से कन्विस कराना है, कौन सी कब-कब अथोरिटी आई है, किस तरह से कौन सा क्राइम, कौनसी पिस्तौल से लगा हुआ, कौन सा चाकू लगा है वह साइंटिफिक मेजर्स आज भी उनके पास नहीं हैं इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बाद जो प्रोसीक्यूशन एजेंसी है उसको डवलप करना मैकेनिकली और साइंटिफिक तरीके से भी जरूरी है। मेरा निवेदन अंत में ....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिभा सिंह।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और प्रतिपक्ष के नेता का भी धन्यवाद करूंगी कि ...(व्यवधान) यह तीनों की हमारी मिली जो है वह झुंझुनूं वाले जानते हैं, आप बीच में न बोलें। (व्यवधान) नहीं, यह जातिवाद नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपको किसी को धन्यवाद ज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है, It is your right. आपको अधिकार है बोलने का।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 6, 16 और 17 पर अपनी समालोचनाएं प्रस्तुत करूंगी। वित्त विभाग का जो प्रतिवेदन है, वर्ष 2006 व 2007, उसको मैं देख रही थी, उसमें जो सब्जैक्ट्स लिये गये हैं, वे बहुत अच्छे हैं, जो विचार हैं वे बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे को बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है।

(समय : 20.00 बजे)

यह सरकार का बहुत कमजोर पहलू है कि बहुत सारी चीजें, बहुत कानून हमने बनाये लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। महिला राष्ट्रीय विधिक

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

साक्षरता सप्ताह का पेज नम्बर तीन पर है जिसमें 1 से 8 मार्च तक एक सप्ताह को राष्ट्रीय महिला सप्ताह घोषित किया गया, लेकिन पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि मैं सोचती हूं कि हिन्दुस्तान में भी लोगों ने 9 तारीख के पेपर देखे होंगे जिसमें मुआवजा मांगने आने वाली महिलाओं के साथ किस तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है वह आप लोगों के सामने है। इसके बाद तीन नम्बर पेज पर ही हमने बाल विवाह निषेध दिवस 29 व 30 तारीख को, अक्षय तृतीया को घोषित किया है। यह नियम तो पहले भी था, अब कोई नई चीज नहीं है लेकिन हम इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रांग किस तरीके से बना रहे हैं कि लोगों के अन्दर भय रहे और वो बाल विवाह का निषेध करें। इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या के सम्बन्ध में पेज नम्बर 5 पर कहा गया है। इसके अन्दर जो कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, उसकी आज तक दो ही मीटिंग हुई हैं। उन दो मीटिंगों के अन्दर जो कन्या भ्रूण हत्या के रिकार्डेड केसेज थे, बार-बार पूछने के बाद भी गवर्नमेंट यह नहीं बता सकी कि उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है। इसी तरह से इसमें पेज नम्बर 5 पर बाढ़ पीडितों हेतु हैल्प लाइन की बात की गई है। अभी हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 9 तारीख को अपना बजट भाषण पेश किया था उसमें राज्य सरकार ने बाड़मेर के बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदनाएं तो बहुत प्रकट की हैं लेकिन एक पैसे का प्रावधान नहीं किया है। तो खाली हैल्प लाइन से क्या होने वाला है? इन चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी।

दूसरी चीज, मैं नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं में नया अपर जिला एवं सैशन न्यायालय सरकार से स्वीकृत कराने का आग्रह करूंगी। झुन्झुनूं में पूर्व में तीन उप खण्ड थे—झुन्झुनूं, खेतड़ी और नवलगढ़। झुन्झुनूं एवं खेतड़ी में तो ए.सी. जे.एम. कोर्ट चालू हैं जब कि नवलगढ़ इससे वंचित है, जब कि इस कस्बे में एस.डी. एम कोर्ट है, ए सी जे एम कोर्ट है, यातायात से यह कस्बा जुड़ा हुआ है, सड़क, रेलवे मार्ग से यह कस्बा जुड़ा हुआ है, यहां कालेज है, और भी कई पुरानी शिक्षण संस्थाएं हैं, पुलिस का एक उप अधीक्षक कार्यालय नवलगढ़ और उदयपुरवाटी का भी नवलगढ़ में है। यानि कि यहां पर सारी स्थितियां मौजूद हैं इसलिए यहां पर अपर जिला एवं सैशन न्यायालय खोला जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान दे।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

मैं मांग संख्या 16 पुलिस पर अपने विचार रखूंगी, विलमोर ने कहा है- The fear of crime is falling more rapidly than the crime itself. यानि अपराध का डर अपराध से ज्यादा रहेगा तो स्थिति हमारे यहां पर सुधरने वाली नहीं है पुलिस की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसे और स्पष्ट करूंगी कि बिहार और यू.पी. का उदाहरण हम लें, जहां अपराध मैं मानती हूं है, लेकिन उसका खौफ लोगों में बहुत ज्यादा है। जैसे शाम को लोग नहीं निकलते, अकेले नहीं चलते हैं लोग, ग्रुप में ट्रैवलिंग करते हैं। अल्टीमेटली जो यह अपराध से ज्यादा अपराध का डर है इससे माहौल खराब होता है।

दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि किसी भी सत्ता को अपने निर्णय को एनफोस कराने व ला एण्ड आर्डर के लिए एक व्यवस्थित तंत्र की आवश्यकता होती है। यह अति महत्वपूर्ण कार्य पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा किया जाता है लेकिन राजनीति सूचनाएं एकत्रित करना, कलेक्शन आफ पोलिटिकल इम्फार्मेशन का कार्य भी हमारे यहां पुलिस के जिम्मे ही है। जहां पुलिस को कानून व्यवस्था, अपराधों को रोकने के लिए कार्य करना चाहिए वहां इस कार्य को पुलिस 20 प्रतिशत करती है जब कि अन्य सोशल एक्टिविटीज का कार्य 80 प्रतिशत करती है- जैसे धार्मिक जुलूसों को रोकती है, धरना-प्रदर्शनों को रोकने का कार्य करती है। मेरे एक माननीय विधायक साथी बता रहे थे कि वी आई पीज के साथ भी बराबर लगी रहती है, आपसी झगड़ों को निपटाने का कार्य करती है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि क्राइम इन्वैस्टिगेशन की एक अलग विंग हमको बनानी चाहिए। एक इसको इम्प्लीमेंट करे और एक इन्वैस्टिगेशन करे ताकि पुलिस प्रापरली जो उसका लॉ एण्ड आर्डर बनाने का बेसिक काम है उसको 80 प्रतिशत करे और दूसरे पर 20 प्रतिशत अपना ध्यान लगाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो एक कमी पुलिस प्रशासन में देखने को मिली है वह यह है कि हमारे यहां पर पुलिस के पास हाई फ्रीक्वेंसी उपकरण मौजूद हैं उसके बावजूद भी राजस्थान आतंकवादियों का और अन्य अपराधियों का हाइड-आउट बनता जा रहा है। इसका क्या कारण है, यह हमें खोजना चाहिए। जो भी अपराध करें वो लोग राजस्थान में आकर पनाह लें, छिपे रहें, इसको खोज कर हमको कम करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1960 के दशक में अमरीका में नस्लवाद

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

का पूरे एक दशक तक झगड़ा चला था, हजारों आदमी उसमें मरे। जब रिसर्च हुई तो यह तथ्य सामने आया कि जो पुलिस दंगे रोकने के लिए एक्शन करती है यानि पैट्रोलिंग, उससे दहशत होती है और उससे दंगे अधिक होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, रिसर्च में यह भी आया कि 7 प्रतिशत जो पुलिस की गिरफ्तारियां हैं वो फुट पैट्रोलिंग से होती हैं और 93 प्रतिशत गिरफ्तारियां जनता की सूचना के आधार पर की जाती हैं। माननीय मंत्रीजी, आज हमें पुलिस को 21वीं सदी की पुलिस के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। इसे हमें लोगों के प्रति अधिक दोस्ताना बनाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां हम उत्पन्न करें जिनमें अपराध घटित होने की सम्भावनाएं कम हों। उनको हमें बदलना होगा, लोगों को अधिक जागरूक बनाना होगा। जनता के साथ पुलिस को संवाद बराबर कायम रखते रहना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं में जैसे फैमिली, आज एकल परिवार हो गये हैं, नेबर का कंट्रोल हमें बढ़ाना पड़ेगा। पड़ौस में क्या हो रहा है, कौनसा अपराध घटित हो रहा है, इस चीज का भी हमें मालूम नहीं है। समाज को भी साथ लेकर इस चीज को हमें बढ़ाना चाहिए। अतः पुलिस की भूमिका का पुनर्निर्धारण साइंटिफिकली हमें करना चाहिए और उसका वर्क-लोड घटना चाहिए। जो पुलिस की कंडीशंस हैं नीचे के लेवल पर, वो बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही गिरी हुई हैं उनको सुधारना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं कांस्टेबल का उदाहरण दूंगी कि चौराहे पर ड्यूटी के लिए उसको लगा दिया जाता है। न वहां पर छाया है, न पीने का पानी है, न बैठने की कोई व्यवस्था है, न उसका कोई ब्रीथिंग मास्क है। उसको वहां इतनी सुविधाहीन स्थितियां हैं उनमें खड़ा कर दिया जाता है। अपराधियों के पास उसके कम्पेरिजन में अत्याधुनिक गाड़ियां होती हैं, हथियार होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? कि पुलिस को जो मनोबल होता है वह गिर जाता है और वो अपराध से लोहा लेने के बजाय अपने परिवार के भरण-पोषण का अधिक ध्यान रखने की ओर मजबूर हो जाता है और ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है। ऐसे में हमें उसे आजीविका की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसके परिवार की सुरक्षा हमको देनी चाहिए। बेहतर माहौल मिले। उसके स्वास्थ्य की तरफ भी प्रापरली हमारी गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए ताकि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सके और वह मानसिक अवसाद की स्थिति में नहीं जाए। बेहतर कार्य करने वाले पुलिस वालों को....

श्री अध्यक्ष: अब कृपया समाप्त करें, कनक्लूड करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट, आप 13-14 मिनट तो बोल लीं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन में मैं एक ही महिला तो हूं जो बोलने के लिए यहां बची हुई हूं।

श्री अध्यक्ष: यहां महिला-पुरुष सब बराबर हैं, सब माननीय सदस्य हैं। महिला के नाम पर थोड़े ही जीतकर आई हैं आप।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस वालों के बच्चे....

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पहली बार बोली हैं।

श्री अध्यक्ष: पहली बार कैसे बोली हैं, कई बार बोल चुकी हैं। कौन कहता है? पिछली बार बोली हैं। नहीं-नहीं, इससे पहले बोल चुकी हैं आपको ध्यान नहीं है। बोल चुकी हैं पहले।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): आज आपके सहयोग से। पुलिस फोर्स में कुछ प्राथमिकताएं उनके बच्चों को मिलें, ऐसी स्थितियां हमको उत्पन्न करनी चाहिए। टाइम-टाइम पर क्रेश-कोर्सेज हमें करते रहने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस के वार्षिक प्रतिवेदन में पुलिस प्राथमिकताएं वर्ष 2007 के बिन्दु नम्बर 3 के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। उसमें आपने संगठित अपराध जिसमें जुआ सट्टा, शराब माफिया, भू-माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने की इच्छा जताई है। यह कैसी विसंगति है? मंत्री महोदय, यह आपके अंतर्द्वन्द्व को दिखाती है। आप यह काम तो करना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि बहुत से शराब के व्यापारी आपकी पार्टी की तरफ से सदन के सदस्य हैं। आप थोड़ी इच्छाशक्ति दिखाइये। अध्यक्ष महोदय, मैंने शराब व्यापारी कहा है, मैंने कोई माफिया नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी के सदस्य हैं, यह क्या कह रही हैं आप?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मैंने शराब व्यापारी कहा है। मैं शराब माफिया नहीं कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप यह कह रही हैं कि शराब व्यापारी आपकी

(श्री अध्यक्ष)

पार्टी के सदस्य हैं। यहां पर कोई शराब व्यापारी नहीं है, यहां सब माननीय सदस्य हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मैं पार्टी नहीं कह रही हूं। पूर्व में रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष: यह क्या कह रही हैं आप?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): यह पूरा राजस्थान जानता है और...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य अपनी बात कह रही हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर यह कह देना कि आपकी तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य शराब के व्यापारी हैं, यह आप किस आधार पर कह रही हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी के माननीय सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, किस आधार पर कहा है? किस आधार पर कहा है? यह अच्छी बात नहीं है। मैं बीच में टोकना नहीं चाहता। आप यहां किसी के व्यापार की चर्चा करें, यह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): कुछ लोग हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हुई तो आप उठ गये। मैं नाम कहां ले रही हूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप यहां पर अपनी बात कहें। यहां पर किसी के व्यापार की चर्चा करें, यह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, आपने यहां पर पार्टी का नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष: तो क्या हुआ नाम नहीं लिया तो? आपने नाम नहीं लिया लेकिन आपने कहा है कि आपकी पार्टी के माननीय सदस्य शराब के व्यापारी हैं। यह कहा है आपने।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): थे और आज भी हैं।

श्री अध्यक्ष: यह बात कही है आपने।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अगर पार्टी का नाम लिया है, माननीय सदस्या, आपकी बगल में जो बैठे हैं, अलवर से शराब का काम किये हुए हैं। आपकी बगल में बैठे हुए हैं। (व्यवधान) हां, तो ऐसा बोलते कि कांग्रेस में भी हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): वह मेरी पार्टी के नहीं हैं। मैं तो इंडिपेंडेंट हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपनी बात कहिये यह क्या बात हुई, अध्यक्ष महोदय, यहां किसी के व्यापार पर चर्चा होगी क्या? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपने क्या कहा, माननीय सदस्य?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रैशर आ जाता है और वह काम नहीं कर पाती है। पर्याप्त संख्या नहीं होना, यह भी पुलिस की एक बहुत बड़ी प्राब्लम है। मेरे साथी विधायक कह रहे हैं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा अपराध के आंकड़े हमारे यहां कम हैं। इसका श्रेय गवर्नमेंट को न होकर लोगों के स्वभाव को भी जाता है कि बेसिकली राजस्थान के लोग शूरवीर तो हैं लेकिन ठंडे भी हैं। इसके अलावा, एक और कारण है कि थानों के अन्दर एफ.आई.आर. को रजिस्टर ही नहीं किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह पूरे राजस्थान के लोगों को ठंडा कह दिया।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): एक अघोषित रोक लगा रखी है कि इनकी संख्या कम करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप 15 मिनट से ज्यादा बोल लीं, अब तो समाप्त करें प्लीज।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मिनट और लेना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, कर रही हूं।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ के अन्दर एक मामला हुआ था दहेज हत्या का, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि 2003 के अन्दर वह दहेज हत्या का मामला हुआ...

श्री अध्यक्ष: तो 2003 की बात आप आज क्यों कर रही हैं?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): आज तक चालान नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। सी.आई.डी. सी.बी. द्वारा तीन-तीन बार जांच होकर उन लोगों को दोषी पाया गया है उसके बावजूद भी आज तक इस मामले का चालान नहीं हो पाया, इसलिए मैं यहां सदन में इस बात को रख रही हूं।

श्री अध्यक्ष: सज़ा तो कोर्ट देगा। यह सरकार थोड़े ही देगी, सज़ा कोर्ट देगा।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): चालान ही नहीं हुआ है। चालान का काम तो सरकार करेगी, विभाग करेगा। तीन साल में तीन बार जांच के अन्दर यह आ गया कि वे लोग दोषी हैं, दहेज हत्या का मामला है टोड़ाराम का और उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, तीन साल तक चालान नहीं हुआ क्या इसका? क्या बात है?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): तीन साल तक चालान नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं मंत्री महोदय से इस मामले में दो-तीन बार मिली थी। मैं कोई गलत नहीं कह रही हूं। आपको कागज भी दे दूंगी मैं।

श्री अध्यक्ष: How is it possible? How is it possible?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसमें तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अभी हुई है कोई महीने-15 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): चालान ही नहीं हुआ है। एक ही की हुई है गिरफ्तारी, जो दोषी है इन्वैस्टिगेशन में। माननीय गृह मंत्रीजी, तीन साल में एक अपराधी पकड़ा जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): तो बाकी की भी होगी जांच के बाद। ऐसा है, 498 के मुकदमे में, नहीं, नहीं, ऐसा है, उस केस के बारे में वह जांच में गया क्योंकि सारे परिवार के लोगों को उसमें मुल्जिम बना रखा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

498 में जब तक हम नहीं करेंगे, परिवार के सारे लोगों को चाहे वह साथ रहे हों या न रहे हों, लिखा देते हैं। तो सबको मुल्जिम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो उसका पति है, उसको मुल्जिम बनाया है, उसको गिरफ्तार किया है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-17 पर अपने विचार रखना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष: अब तो आपने बहुत रख लिये हैं विचार, प्लीज अब आप बैठ जाइये। कृपया कनक्लूड कर लें। समाप्त करें, माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): मैं एक ही मिनट बोलना चाहूंगी। एक लाइन बोलनी है कि भारत में तिहाड़ जेल में सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस रहते हुए किरण बेदी ने जो सुधार किये थे, वे पूरे विश्व के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इनका राज्य सरकार को भी अध्ययन करना चाहिए। जिलों में थानों की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष: वह पढ़ा हुआ मान लेंगे, वह दे दो आप उनको। अब बहुत हो गया, अब पढ़ा हुआ मान लेंगे।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): आज आलमोस्ट जेलें क्राइम स्कूल बन चुकी हैं और वहां पर अपराधियों का जबरदस्त नैटवर्क चलता है और हमें...(व्यवधान) मैं एक ही मिनट में समाप्त कर रही हूं। आप बहुत ज्यादा प्रैशर लगा रही हैं तो एक ही बात कहूंगी। अब तो मैं जेल की ही बात कह रही हूं, दूसरी बात थोड़े ही कह रही हूं। (व्यवधान) जेलों में अपराधियों को सुधारने हेतु नियमित प्रोग्राम सरकार को चलाने चाहिए। मंत्री महोदय, टाइम पैरोल अत्यन्त आवश्यक रूप से इन कैदियों को देनी चाहिए ताकि इनका मानसिक अवसाद दूर हो। यह न्याय का मूल सिद्धान्त भी है और आदमी की एक नैचुरल नीड्स भी है, टाइम से पैरोल देने से वह पूरी हो। ओपन जेल की हमारी जो क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहिए ताकि एक व्यक्ति के साथ में पूरे परिवार को नहीं भोगना पड़े और अवसाद से हम उन्हें बचा सकें।

श्री अध्यक्ष: बस अब हो गया। धन्यवाद। श्री सी.डी. देवल।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद।

(श्री. सी. डी. देवल)

मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-16 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब आपका क्रमांक बोलने वालों में 10वां आ गया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नहीं, यह अध्यक्ष महोदय की मेहरबानी है कि आज दो बार मेरा नाम पुकार लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): लेकिन 10 नम्बर पर आने वाले पर गृह मंत्रीजी नजर रखते हैं। 10 नम्बर पर आने वाले पर गृह मंत्रीजी नजर रखते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उसकी चिंता आप मत करो। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस के बारे में यहां पर वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने अपनी सारी बातें कही हैं। राजस्थान की पुलिस...

श्री अध्यक्ष: आप क्या कम वरिष्ठ हो?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ... आंकड़ों के आधार पर यह बताया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था अच्छी है और क्राइम रेट कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, क्राइम रेट तो इसलिए कम हो गई कि कुछ तो साम्प्रदायिक दंगे करने वाले सत्ता पक्ष में चले गये, इसलिए दंगे बन्द हो गये। दूसरा, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है पुलिस विभाग की तरफ से कि एस.सी. एस.टी का कोई केस...(व्यवधान) एस.सी. एस.टी. के कम से कम मुकदमे थानों में दर्ज होने चाहिए। परिवादी जाता है, पांच-सात बार फिरकर, थककर बैठ जाता है। एफ.आई.आर. थानों के अन्दर दर्ज करने के अन्दर बहुत कंजूसी होती है ताकि क्राइम रेट कम आ सके और आप दुनिया को बता सको कि आपकी सरकार के अन्दर अपराधों की संख्या में कमी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रोज सुबह उठकर अख़बार देखो, अख़बार के अन्दर कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि लूटपाट की घटना का जिक्र नहीं हो, बलात्कार की घटना का जिक्र नहीं हो, डकैती का जिक्र नहीं हो या किसी न किसी कांड का जिक्र नहीं हो। तो आपका यह सोच उचित नहीं है।

हमारे जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से पुलिस कमिशनर की मांग जयपुर के लिए की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस

(श्री सी. डी. देवल)

मांग का भरपूर शब्दों में विरोध करता हूं। पुलिस कमिशनर की व्यवस्था आज राजस्थान के अन्दर, आप स्वयं ही कह रहे हैं, आपके आंकड़े कह रहे हैं कि

(समय : 20.18 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के अन्दर क्राइम रेट कम है... जबकि दिल्ली में, महाराष्ट्र में जहां भी पुलिस कमिशनर की व्यवस्था है, वहां अपराधों की संख्या बढ़ी हुई है। जब अपने यहां क्राइम रेट कम है तो आप इस पुलिस कमिशनर की व्यवस्था को लाकर पुलिस को निरंकुश क्यों बनाना चाहते हो? अभी भी पुलिस का जगह-जगह लोगों पर आतंक है। आज ट्रैफिक पुलिस को देखिये, सड़क पर जाइये, जान को हाथ में लेकर देखिये, खुले आम पैसों की वसूली होती है। थानों के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाते हैं तो उससे पैसा वसूल किया जाता है। तो आप क्या पुलिस कमिशनर व्यवस्था को जयपुर में लागू करके इस जयपुर का जो शांतिप्रिय शहर है, सत्यानाश करना चाहते हो? इस क्राइम रेट को दिल्ली और मुम्बई की तरह ले जाना चाहते हो तो यह आपकी मर्जी है। कृपा कर पुलिस कमिशनर की व्यवस्था नहीं करें। जो व्यवस्था इस समय न्यायपालिका की, पुलिस की चल रही है, दोनों पक्ष अलग अलग हैं, उनको अलग-अलग रखें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। अगर पुलिस को ही सारे अधिकार दे दिये तो फरियादी को कहीं जाने का कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा। आज पुलिस शराब माफियाओं के और ठेकेदारों के गिरवी रखी हुई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो गत वर्ष में शराब के मामले पकड़े गये हैं, पुलिस ने 33 प्रतिशत अधिक मुकदमे पकड़े हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: देवल साहब, यह तो राठौड़ी भाषण है आपका।

श्री सी. डी. देवल: 33 प्रतिशत अधिक मुकदमे पुलिस ने पकड़े हैं, आप अपनी पुलिस के आंकड़े देख लें। क्या यह आपकी पुलिस जब कि कमिश्नर के लिए आपने कलकत्ता, बम्बई का उदाहरण दिया है...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ: देवल साहब, उदाहरण दिया है, हमने तो राजकोट में भी पुलिस कमिश्नरी दी है, आपके शहर में दी है हमने। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल: कि दिल्ली के अंदर क्राइम ज्यादा है, मुम्बई के अंदर ज्यादा है, कलकत्ता में ज्यादा है....

श्री कालीचरण सर्राफ: नहीं, सूरत और राजकोट में कम है। आपके राजकोट में कम है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल: आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये, आपने स्वयं यह बात कही है। तो क्या आप यह चाहते हैं, जो आपके सत्ता पक्ष के सारे सदस्य कहते हैं कि राजस्थान में क्राइम बहुत कम है, आप इस रेट को पुलिस कमिश्नर बनाकर बढ़ाना चाहते हैं? यह आपकी मर्जी है।

श्री कालीचरण सर्राफ: यह जो राजकोट में कम है, आप बम्बई का, दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं...

श्री सी. डी. देवल: राजस्थान में कम है या ज्यादा है, बता दो आप?

श्री कालीचरण सर्राफ: हां, है।

श्री सी. डी. देवल: है? ज्यादा है? बोलो सदन में कि क्राइम ज्यादा है।

श्री कालीचरण सर्राफ: मैं यह नहीं कह रहा। मैं यह कह रहा हूं कि जहां पुलिस कमिश्नरी लागू है वहां कई शहरों में राजस्थान से कम है।

श्री सी. डी. देवल: बात करते हो। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था राजस्थान में लागू कर दी तो कानून-व्यवस्था चौपट हो जाएगी, गरीब लोगों को कहीं न्याय नहीं मिलेगा और पुलिस बिलकुल निरंकुश हो जायेगी। आज पुलिस की इंटेलिजेंस यह है, अखबारों में पढ़िये, कि आज एक आतंकवादी जयपुर में पकड़ा गया। एक आतकंवादी जोधपुर में पकड़ा गया। इनकी इंटेलिजेंस कितनी कमजोर है, संसद पर हमला हो गया और ये इसकी कोई सूचना तक नहीं दे सके। तो पुलिस की इंटेलिजेंस की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यह विंग इनकी इतनी कमजोर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाए।

जहां तक क्राइम का सवाल है, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं तो पाली जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से दो साल पहले सादड़ी के अंदर एक मकान के अंदर डकैती हुई, दो साल में भी उसका पता नहीं चल सका। एक पैट्रोल पम्प और एक गूजर सेल्समैन था उसको गोली मार दी गई, आज तक उसका पता नहीं लगा। जैतारण के कुए पर एक गूजरी की सरेआम हत्या कर दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पाली के अंदर कलक्टर और एसपी के बंगले के बीच में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जिसका भी कोई पता आपकी पुलिस नहीं लगा सकी। और

(श्री सी. डी. देवल)

जितने अपराध हो रहे हैं, डीजल की चोरियां हो रही हैं सरेआम, अफीम की तस्करी हो रही है, सरेआम अफीम लोगों में खाया जाता है। वह अफीम सारा मेवाड़ का, अरावली के माध्यम से जो नया रास्ता खुल गया है उससे आता है। आपने पुलिस चौकियों की व्यवस्था करने का कहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम रायपुर विधान सभा क्षेत्र का जो मगरा और मारवाड़ का क्षेत्र बसता है, जो बीच में आया हुआ है, जहां से सारे तस्कर मारवाड़ की सीमा में जाते हैं, वहां पर खोड़िया, कालब और काणूंजा में तीन पुलिस चौकी स्थापित जरूर करें ताकि यह क्राइम रूक सके। जितना पैसा लोगों के साथ जाता है उससे क्राइम बढ़ता है। इसलिए इस क्राइम को रोकने के लिए इन चौकियों को आप स्थापित करें और कानून की व्यवस्था को सुधारने की बात करें। बाकी तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे बाजार हो, चाहे बैंक हो, चाहे अस्पताल हो, दिनों-दिन क्राइम हो रहे हैं। क्राइम को रोकने के लिए आप कोई विशेष व्यवस्था करें। आपके जो ये रेलें शुरू हुई हैं, हावड़ा एक्सप्रेस, अपराधी आता है, अपराध करके चला जाता है, इसलिए आप रेलवे पुलिस को भी ज्यादा मजबूत करें। यह व्यवस्था करें कि रेलवे पुलिस स्टेशन पर इस बात की चौकसी रखे कि कौन-सा व्यक्ति संदिग्ध है और कौन-सा व्यक्ति यहां अपराध कर सकता है।

पुलिस की जो व्यवस्था है, निःसंदेह जैसा हमारे टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था, ऊपर तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और नीचे घटती जा रही है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कांस्टेबलों की आपने पाँच हजार की भर्ती की घोषणा की है, आप दस हजार की भर्ती करें ताकि कांस्टेबल ज्यादा से ज्यादा हो सकें। अधिकारियों के वेतन में से कटौती करके आप कांस्टेबलों को पैसा ज्यादा दें ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके। कांस्टेबलों के आप आवास की व्यवस्था करें, आप उनके बच्चों के लिए छात्रावास खोलें, आप उनके लिए छात्रावास खोलें जहां उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। मैस का जो सबने बताया आपको, बहुत कम पैसा उनको दिया जाता है जिससे कोई सामान्य व्यक्ति अपना काम नहीं चला सकता, तो मैस की रेट भी बढ़ाई जाए और जो गाड़ियां आपने थाने में दे रखी हैं उनमें भी पैट्रोल की व्यवस्था करें।

इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी का मैं

(श्री सी. डी. देवल)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस का मनोबल दिनों-दिन घटता जा रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि आपने पदोन्नति तो करा दी लेकिन पता नहीं, सरकार के मन में उन पदोन्नति से वह राज़ी नहीं है या पुलिस विभाग राज़ी नहीं है। जो थानेदार सीआई बन गया वह थानेदार की पोस्ट पर बैठा हुआ है, जो सीआई डिप्टी की पोस्ट पर चला गया या आरपीएस में चला गया वह डिप्टी की पोस्ट पर बैठा हुआ है और जो व्यक्ति आईपीएस में सलेक्ट हो गया, आज वे 22-23 आदमी एडिशनल एसपी के पद पर काम कर रहे हैं, जबकि जो रूल्स बने हुए हैं आइएएस, आईपीएस के, कि उसमें कोई भी व्यक्ति कैडर पोस्ट पर ही काम करेगा, तो उनको आज तक भी आपने किसी का पदस्थापन ही नहीं किया, यह तो आपकी सरकार की एफीशिएंसी है और उसी वजह से यह लोग कानून की कितनी रक्षा कर पायेंगे, उसको आप देख लें।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पाली जिले के अंदर कानून की व्यवस्था कितनी खराब है कि कलक्टर के साथ गाली-गलौच हो गया, एसपी के बंगले पर जाकर गाली-गलौच हो गया और सरकार देखती रही। उस कलक्टर को हटा दिया, एसपी को तो पता नहीं आपने क्यों नहीं हटाया, शायद बेचारा होता तो उसको भी आप हटा देते। तो आप कम से कम यह व्यवस्था करें कि लोग कानून की पालना करें। पुलिस अधिकारी जिनका पदस्थापन होता है, उनको आप यह व्यवस्था करें कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनको कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त कर दें। वह कहते हैं कि मैंने काम नहीं किया, एमएलए साहब मेरी बदली करा देंगे। सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आप इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की व्यवस्था करें।

साथ ही जो न्यायपालिका की मांग है उस पर माननीय मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि बर जो सेंट्रल जगह पर आया हुआ है वहां एडीजे कोर्ट खोलें। अगर एडीजे कोर्ट खोलने की मंशा नहीं है तो कम से कम सोजत का जो एडीजे है उसका सात दिन का कैम्प आप बर में भी करवाएं और एक एसीजेएम का पद वहां सृजित करा दें। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

संक्षेप में अपनी बात न्याय प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगा। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। ये मेरे निजी विचार हैं। सबसे पहले मैं पार्टी को इससे अलग रखना चाहता हूं, मेरे निजी विचार हैं ये।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा: माननीय सदस्य, आपके ज्यादातर सदस्य बोलते हैं कि पार्टी को अलग रखता हूं, मेरे निजी विचार हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह: हां, है। सही बात है क्योंकि पार्टी ने इस बारे में कोई निर्णय लिया नहीं है। पार्टी ने कोई निर्णय लिया नहीं है तो उसके बाद तो लाने पड़ेंगे न। यह बड़ा नाजुक मसला है जुडीशियरी का, अपने पार्लियामेंटरी सिस्टम का। कांस्टीट्यूशन में बिलकुल साफ डिस्टिंग्विश है लैजिस्लेशन का काम है टू लैजिस्लेट। और कानूनों की व्याख्या, संविधान की व्याख्या करने का काम, उन पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह है जुडीशियरी का काम। एग्जीक्यूटिव का काम फंक्शन आफ द गवर्नमेंट। लेकिन आज यह चर्चा की नौबत क्यों आई? मैंने शुरू में कहा कि बड़ा डैलिकेट मसला है, जब ऐसा लगने लगा, आज जुडीशियरी की महत्ता को हम कम करना नहीं चाहते, एक आवश्यक अंग है लोकतंत्र का और किसी तरह से भी उसको कमजोर करने की मंशा कम से कम मेरी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मसले इन दिनों के अंदर खड़े हो रहे हैं पिछले कई सालों से जब लगने लगा है कि वे अपनी जो लक्ष्मण रेखा है, मैं उसको लक्ष्मण रेखा कहता हूं, उससे आगे निकल रहे हैं, तब यह चर्चा का विषय बन गया। यहां सिर्फ कहने का अभिप्राय यह है कि यह बात उन तक पहुंचे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या सोचते हैं इस बारे में। यहां माननीय जोगारामजी ने जो कहां, चाहे वह बहुत पुरानी बात है, यह बात सही है कि जो उनकी गाडियां थीं, मूलभूत सुविधाएं थीं, वे भी नहीं थीं, यह बहुत पुरानी बात है, सिक्स्टी-सैवन्टीज की बात है। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होने लगा। तब जिले में कहीं एक एसडीएम पर गाड़ी हुआ करती थी, आज तो सारे डीएलओज के पास गाड़ियां हैं। कलक्टर के पास गाड़ी थी, एडीएम के पास थी। एसडीएम्स के पास थीं वे खटारा गाड़ियां थीं, अब तो डीएलओज के पास गाड़ियां हैं। उस मसले में नहीं पड़ना चाहता, गाड़ी वाड़ी के मसले में। आज 2-3 मसलों के ऊपर आज सबसे बड़ी समस्या जो मेरे दिमाग में है, अब वो लैजिस्लेट करने के लिए कहने लगे कि आप फलां कानून बनाएं, सबसे ज्वलंत उदाहरण है पुलिस एक्ट का। मेरा निश्चित मत है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डायरेक्टिव देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

क्योंकि राज तो आएगा ही, आज हम ताली, बजाते हैं, चलो यह बीजेपी की सरकार है इसके पावर्स कर्टेल हो रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि इसके पावर कर्टेल हो रहे हैं, कल क्या तो सरकार आएंगी और जाएंगी क्योंकि आज लैजिस्लेचर के प्रति सरकारें आन्सरेबल, जनता के प्रति आन्सरेबल हैं, अब आप कह दें कानून है, वह भी अपनी पसंद का माडल एक्ट सर्कुलेट किया है। यह सोचते हुए माडल एक्ट को उन्होंने सर्कुलेट किया कि पुलिस के सारे अधिकारी और नीचे के स्तर के कर्मचारी बहुत सज्जन हैं। जैसा जोगारामजी ने कहा कि यह भी एक समस्या पैदा हुई है, कुछ प्रांतों के अंदर पुलिस प्रशासन के अंदर पोलिटिकल इन्टरफियर सीमा से ज्यादा बढ़ गया था। यह बात भी सही है इसलिए उनके सोच दिमाग में आई। प्रकाश सिंहजी यूपी के पुराने डी जी थे शायद, उन्होंने वहां पर पी आई.ए.एल. के जरिए या तरीके से एक माडल एक्ट वहां से आया। यूपी और बिहार के हालात राजस्थान में नहीं है। कई प्रांतों में नहीं है। आपने यह कह डाला, मैं तो गृह मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हम से चर्चा की। मैंने तो फर्स्ट इंस्टेन्स कहा कि कम से कम इससे मैं सहमत नहीं हूं, इस प्रकार का इन्टरफियरेंस नहीं होना चाहिए। और आप भी थे, सभापति महोदय, उस कमेटी के अंदर आपकी भी करीब करीब यही राय थी। सब की राय यह थी कटिंग एक्रोस दी पार्टी लाइन्स। पुलिस वाले बड़े खुश हुए, यह एक्ट तो आना चाहिए। इन पोलिटिशियंस के चंगुल से हम बाहर आ जाएंगे, आन्सरेबल ही नहीं रहेंगे. They are very happy. कम से कम मैं तो नहीं मानता इस चीज को। तब यह समस्या आई दिमाग के अंदर कि इस प्रकार के डायरेक्शंस अब आने लगेंगे, तब क्या स्थिति पैदा होगी? विकृति पैदा हो जाएगी। फिर तो एग्जिक्यूटिव का फंक्शन और लैजिस्लेचर का फंक्शन दोनों ही जुडीशियरी अपने हाथ में ले लेगी। इसके अंदर, नम्बर एक अभी आपके गृह मंत्रीयों की सब की आपने मीटिंग बुलाई थी, क्या हुआ? मैं था नहीं, उन दिनों में, पढ़ने को जानकारी मिली ही नहीं। लेकिन साथ में 31 मार्च की डैड लाइन भी दे दी, बढ़ गई तो मुझे पता नहीं, कि 31 मार्च से पहले आप एक्ट ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। हमने कोशिश भी की उस मॉडल एक्ट के अंदर कुछ सुधार करने की। वो प्रश्न अलग है लेकिन इस प्रकार के डायरेक्शन जब आते हैं तब हमको सोचने के बारे में विवश होना पडा, एक तो प्रश्न यह है। फिर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दे दिया कि नाईंथ शिड्यूल के अंदर जो कानून दिये गये हैं उनको

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। नाईंथ शिड्यूल में वहीं कानून डाले गये थे जो व्यापक जन हित के अंदर बहुत आवश्यक थे। मैं वही कह रहा हूं, मैं बस टाइम के अभाव को देखते हुए उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। अगर आज उनका रिव्यू शुरू हो गया और कहीं आपने सर्टिफाई कर दिये तो कई प्रांतों में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ला एण्ड आर्डर किसको डील करनी है? स्टेट गवर्नमेंट को। दिल्ली का सीलिंग का मुद्दा आपके सामने है। नाईथ शिड्यूल की बात तो मैं कह रहा हूं, सीलिंग का मुद्दा आपके सामने है। लाखों व्यापारी परेशान हैं, सरकार ने राहत देने के लिए कुछ नये नोटिफिकेशन जारी किये, उनको भी मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लुब्बे-लुबाब यही है उसका। अब ये कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं मैं कहता हूं कि केशवानंद भारती का जजमेंट हो चाहे गोलकनाथ वाले केस का, लैण्डमार्क जजमेंट्स इसके अंदर माइनारिटी या मैजोरिटी का सवाल नहीं है, होमरी साहब का केस है, वह भी अपने आप में एक लैण्डमार्क जजमेंट है। जो कुछ भी लैजिस्लेचर के फ्लोर के बारे में तय होना चाहिए. It should not be left to the discretion of the Governor to dismiss the government, elected governments. लेकिन यह सब परिस्थिति पैदा हुई, कहीं-न-कहीं विकृति हमारे अंदर भी आ गई है जिसकी वजह से है। लेकिन तब भी, विकृति आने के बाद उसका सुधार हम खुद करेंगे, आप कृपया आप हमको डायरेक्शन न दें, इन्टरफियर न करें कि हमको क्या करना है। बाकी तो आप पी.आई.ए.एल. के मार्फत आप बहुत सारी चीजें करते हैं, उसकी पालना भी होती है। रामनिवास बाग़ या जोधपुर I don’t want to go into individual cases. दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट का कंजेशन वाला मामला, लेवी लगाई। No, you cann’t do all these things. अब टैक्सेज मैजर के अंदर, it is sort of a taxation measure, आप उसके अंदर भी कौनसा कर लाएंगे, कौन से फंडामेंटलराइट्स का एनक्रोचमेंट हो रहा है? इसके अंदर, आपने कहा, यह नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है, आप नहीं कर सकते। फिर एक सवाल और आ रहा है जो सबसे इम्पार्टेंट है, शेट्टी कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें क्या दिया, क्या लिया, क्या किया, क्या न किया, हमारे आर जे एस आफसर्स आर.पी.एस.सी. के थ्रू आते हैं उनकी सर्विस कंडीशंस के बारे में रिमुनरेशंस के बारे में आपने तय कर दिया क्योंकि उनका सैपरेट पे कमीशन बना था। आपका 5th पे कमीशन बना, उनके लिए अलग कमीशन बना और सबसे अलग। उस पे कमीशन की रिपोर्ट तो गयी थी गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ने भी मिनिस्टर्स की कमेटी कांस्टिट्यूट कर दी थी जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री इन्द्रजीत खन्ना थे और शरद यादव साहब और रामविलास पासवान थे। जहां तक मेरा ख्याल है, थे। उन्होंने जो कुछ दिया था, उसे यहां दे दिया। चलिए, दे दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तो गवर्नमेंट को सब्मिट किया नहीं कि डायरेक्शन दे दिया कि आप इसको कीजिए। यह उन दिनों की बात है, माननीय सभापति महोदय, जब राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। जसवंतसिंहजी वित्तमंत्री थे उन्होंने किसी अन्य सिलसिले में, वैट के सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी उस वक्त भी यह मामला उठाया। हमने कहा कि साहब कहां से दें, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का भार भी था गवर्नमेंट आफ इण्डिया के ऊपर, वे काफी इस मामले से चिंतित थे। उन्होंने कहा हम खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, पता नहीं किन कारण से तब भी मन मारकर मैंने इसका विरोध किया था, शेट्टी कमीशन की रिकमण्डेशन को मानने का। हमारे चीफ सैक्रेटरी साहब को डर लग रहा था कि कंटैम्पट हो गया। एकाध चीफ सै को, कर्नाटक के चीफ सैक्रेटरी को सज़ा हो गई थी, वे घबराये हुए थे। अल्टीमेटली देना पड़ा। तब दिमाग में आया कि काहे के लिए कन्फरटेशन मोल लें। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर तो पार्लियामेंट और लैजिस्लेचर का कंट्रोल है, सिर्फ हाईकोर्ट जजेज की सैलेरी चार्ज एकाउंट के अंदर है बाकी सब रोटेड के अंदर है। आप वहां डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये चीज चाहिए। मैं विगत में नहीं जाना चाहता, एज्स फाइनेंस मिनिस्टर मेरे पास बहुत सारी फाइलें तरह-तरह की सुविधाओं की आती थीं, कि क्या निर्णय लिया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा मुझे एडवांटेज यह मिला, जब भी कोई प्रॉब्लम आई मैं पर्सनली तत्कालीन फाइनेंस सैक्रेटरी को लेकर चीफ जस्टिस से मिला, he was kind enough, हमारी दिक्कतों को उन्होंने महसूस किया। और हमने कहा था जो बेयर मिनिमम आपको चाहिए, वह आप हमको बता दीजिए, वह हम कर देंगे। दूसरे चीफ जस्टिस साहब आये, उनसे मिले जाकर। In fact, I had to submit a detailed note about the State's finances. तो एक तो आपके बीच में गैप है, दोनों के बीच में। सरकार के बीच में पहली दफा ही आया है जब आपके लॉ सैक्रेटरी की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। तब आप और मुख्य मंत्रीजी उनसे मिले जाकर। आप, विधि मंत्री पहले ही मिल लेते सार्टआउट कर लेते। आपका एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि हाई कोर्ट से नाम आएगा, हम लगा देंगे। आप एक तरफ तो यह कहते हैं। उन्होंने भी जल्दी की, दूसरे आफिसर्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को विथड्रा कर लिया। कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, देखिये, अच्छी बात नहीं है। जो भी करना है आप करें, लेकिन एक सीमा को लांघने की जो बात आ रही है उस सीमा को लांघने के लिए सदन के अन्दर निश्चित रूप से चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने कई दफा सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो कहा उसका उद्धरण यहां दिया है, I don't want to repeat. I don't want to waste the time उसको दुहरा कर। अब सब जगह चिंता शुरू हो गयी है और खास तौर से सीलिंग के मामले में, पुलिस एक्ट के मामले में दिल्ली में। अब एक नया ही आर्डर दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की समस्या है, ट्रैफिक कहां से निकलेगा कहां से नहीं निकलेगा अब इस किस्म के डाइरेक्शंस आते हैं तो बड़ी एक अजीब-सी स्थिति होती है। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर आ रहे हैं। पालिसी बनाने का काम किसका है? कहीं पर कानून का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है तो आप इसको सैटअसाइड करिये कि ये फलां कानून का इंफ्रिंजमेंट है। पालिसी मैटर्स के ऊपर आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर डाइरेक्शन देने लगेंगी तो मुश्किल हो जाएगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं मामला नाजुक है ये। नाजुक मामले पर कोई आलोचना के हिसाब से नहीं सिर्फ आगाह करने के लिए कि कृपया, श्रीमान्, आप अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश न करें। यही कह कर मैं अपनी बात यहां पर इस मुद्दे पर समाप्त करता हूं।

मैंने तीन वर्ष से, माननीय गृह मंत्रीजी, आपके विभाग के बारे में कभी कुछ कहा नहीं। क्योंकि मेरे पास भी खुशकिस्मती से बदकिस्मती से यह महकमा रहा हुआ है। 1980 में था, 1985 तक था, फिर इसके बाद एक साल अब रहा है। आपके यहां एक बात की जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आ रही है, आपके यहां केसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बहुत परेशानी आ रही है । ये पता नहीं यहां से आदेश गये हैं कि कहां से गये हैं, इसकी आड़ में करप्शन होता है। कृपया आप एक सर्कुलर निकाल दीजिये कि आप केसेज का रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि आबादी बढ़ रही है। बाकी मैं विगत में नहीं जाना चाहता। क्योंकि आबादी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ेंगे। क्राइम बढ़ना-वढ़ना मैं नहीं मानता। क्राइम का डिटेक्शन आवश्यक है । क्राइम का डिटेक्शन आवश्यक है। सज़ा नहीं होती है। सज़ा क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका पब्लिक प्रोसीक्यूटर चाहे हमने किया है, इस सिस्टम को बदल दीजिये। पोलिटिकल आधार पर जिलों में जो घटिया-घटिया 90 प्रतिशत वकील आपने लगा रखे हैं, सारे सत्यानाश की जड़ ये ही हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): डिटेक्शन आफ क्राइम और राजाखेड़ा में! Is it possible?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा नहीं है, अब वो जमाना गया। वो जमाना गया। आपके सम्माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री भी धौलपुर के विधायक रहे हैं। आप कहेंगे कि आपके राज में भी यही था, हां था, पर आप कुछ करिये इसमें। क्या सिस्टम होगा, इस पर चिंता की बात ये है कि बड़ा वकील तो बनना नहीं चाहता आपका सरकारी वकील, क्योंकि उसकी रोअरिंग प्रैक्टिश है, वो काहे के लिए आएगा। साफ-सुथरा आदमी नहीं आता है। आप इसको बदल दीजिये। भगवान के लिए इसको बदल दीजिये। जो भी आपको करना है आप पहल कर लेंगे तो फिर कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा उससे। एक दफा आपने पहल कर ली तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं कर पाएंगे, एक सिस्टम जब शुरू हो जाता है तो। आप भी अपने मन में जानते हैं आप भी दुःखी हैं लेकिन कुछ करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सीधा यह कहेंगे कि कांग्रेस वाले तो ऐसा कर गये थे आप ऐसा करते थे, आप नहीं कर रहे हैं। हमसे कहते थे, बीजेपी वाले ऐसा करते हैं। आप गये तो आपके सबको हमने हटा दिया, हम आये तो हमारे सबको हटा दिया। लेकिन इसको बदल दीजिये, बिलकुल मैरिट के आधार पर अपाइंमेंट हो और give them more salary. आज तो राज्य की वित्तीय स्थिति भी बढ़िया है, give them more salary.

एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि आप इंटेलिजेंस ब्रांच की भर्ती अलग शुरू कर दीजिये। फेल्योर आफ इंटेलिजेंस का सबसे मूल कारण है कि आपके पुलिस के अधिकारी अनविलिंग रूप से वहां जाते हैं. They are not willing. They are not willing at all to go over there. मैंने 1980-85 के बीच में शुरू किया था, भर्ती भी हो गयी थी एक दफा, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते हुए जो लोग भर्ती हुए थे उनको पुलिस में ट्रांसफर कर दिया गया। शुरूआत हुई थी, आप रिकार्ड निकलवा कर देख लीजिये, शुरूआत हुई थी और भर्ती भी हुई थी। तत्कालीन डीआईजी मि. दत्ता थे उस वक्त तब यह भर्ती की थी और उनके सुझाव पर ही थी। आप इसको शुरू कर दीजिये, नहीं तो आपका इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो जाएगा। जिस तरह की इंटेलिजेंसी बढ़ रही है वो आपके फेल्योर के कारण बढ़ रही है। अब ये मत कीजिये कि आपने नहीं किया। आप कर देंगे तो क्या है। उसी नफरी में से, आप पुलिस की नफरी में से ही जाते हैं लोग। उसी नफरी में से आप रिक्रूटमेंट शुरू कर दीजिये सब इंस्पेक्टर लेवल तक का, डीवाईएसपी लेवल तक का, क्योंकि मालूम है यहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भर्ती है, अपने आप में भर्ती होगा कि नहीं होगा उसकी मर्जी। आज सबसे बड़ी आफत यह हो रही है, कृपया इसके ऊपर भी आप विचार कर लेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

एक आपसे और निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं की एक आईआर रेज करने की बात यहां कह डाली बहुत होशियारी से। आईआर का पैसा भारत सरकार से मिलेगा। तीन साल से भारत सरकार कह रही थी, बनाइये, खड़ी कीजिये, आपको अब ध्यान आया। पुलिस में तो आपको मिलती नहीं है। एक तरफ भाषण में यह कह दिया मुख्य मंत्रीजी ने कि पुलिस कांस्टेबल्स महिला कांस्टेबलों की भर्ती के खिलाफ पुरुषों को नहीं किया जाएगा और वो वेकेंसी खाली रखी जाएंगी। इसका मतलब कि महिला कांस्टेबल्स भी नहीं मिल रहीं पूरी आपको, फिर ये आईआर कहां से खड़ी हो जाएगी? I have my own doubts.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ये सीकर, झुंझुनूं से खड़ी हो जाएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लेकिन पुलिस में कांस्टेबल भी तो नहीं मिल रहे, श्रीमान, आईआर कहां से खड़ी हो जाएगी? कहां नागालैंड, मिजोरम, कोहिमा और आसाम जाएगी?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महिला डकैतों ने सरेण्डर किया है कुछ वो भर्ती हो जाएंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): समझे आप? आपने बड़ी खूबसूरती से उनसे कहलवा दिया। गृह मंत्रीजी, आप इतनी चतुराई से भारत सरकार के पैसे के बल पर ये खड़ी करके महिलाओं की ये वाहवाही लेना चाहें, यह अपनी समझ में नहीं आता है। खैर! आप कामयाब हों, मैं उम्मीद करता हूं। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहली बार जब शुरूआत करते हैं किसी चीज की तो एकदम उसमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब शुरूआत हुई है तो आने वाले कुछ वर्षों में महिलाएं भी मिलेंगी और ये पद भी भरे जाएंगे और उनकी योग्यता का लोगों को लाभ भी मिलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आशा करता हूं कि आपकी कामना पूरी हो।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन, मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17 कारागर पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, आज जितनी सारगर्भित चर्चा सदन में हो रही है, मैं समझता हूं विधान सभा सत्र प्रारंभ होने के बाद यह पहला अवसर है। एक बात और, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शायद आज का दिन पुलिस के सुकून का दिन रहा है। न्याय प्रशासन और पुलिस की मांग साथ-साथ आने के कारण विद्यमान परिस्थितियों में सभी माननीय सदस्यों की जो चर्चा की धारा रही वो न्याय प्रशासन पर आधारित रही। वर्ना सामान्यत: पिछले तीन सालों से जब कभी पुलिस की चर्चा होती थी तो जो राज्य प्रशासन की दाहिनी भुजा के रूप में पुलिस काम करती है, यदा कदा अवसर को छोड़ कर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इस राइट आर्म को सदैव आलोचना का ही शिकार होना पड़ता था। माननीय सभापति महोदय, जिस स्तर की गंभीर चर्चा आज इस सदन में हुई है मैं उसमें अपनी बात कहना चाहता हूं। विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका के बढते हुए हस्तक्षेप पर सदस्यों ने चिंता की है और इसमें दो मत भी आये हैं । न्याय पालिका को हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी और न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिये, यह विचार भी जोरदार तरीके से आया । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी व्यवस्था में न्याय पालिका का पूरा सम्मान है। हमने देखा है कि जब कभी भी कोई जन हित याचिका दायर हुई, सरकार और प्रशासन के फैसलों में कोई लीगल काम्प्लीकेंसी के आधार पर कोई न्यायालय का फैसला आया तो कभी हमने विधान सभा के स्तर पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, न्यायालय के फैसले का सम्मान किया । लेकिन आज चिंता का विषय सामने आया है कानून की व्याख्या से बढ़ कर कानून किस प्रकार का बने। इतना ही नहीं, विधायिका और कार्य पालिका किस रूप में काम करेंगे, आज इस प्रकार के हस्तक्षेप भी कार्यपालिका ने खड़े किये हैं । अभी माननीय सदस्यों ने रामनिवास बाग़ के बारे में चर्चा की, यातायात व्यवस्था और वीआईपी के निकलने के बारे में माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में चर्चा की । सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इससे चिंताजनक और दुःखद स्थिति दूसरी नहीं हो सकती कि जो काम राज्य के प्रशासन को करने हों, कानून और व्यवस्था की स्थिति के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बारे में, उस बारे में न्यायपालिका दिशा-निर्देश प्रदान करे। यह गंभीर मसला उस समय और अधिक संवेदनशील हो जाता है जब वीआईपी की सुरक्षा को लेकर भी न्यायपालिका टिप्पणी करे । हमारे सामने देश के इतिहास में कई गंभीर हादसे देश की सुरक्षा की खामियों के कारण उदाहरण बन कर खड़े हैं । हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। अगर आज ईमानदारी से हमने इस विषय पर विचार नहीं किया, न्याय पालिका की बढ़ती हुई भूमिका के बारे में चिंतन नहीं किया तो सभापति महोदय, बहस में पक्ष-विपक्ष के आधार पर हम अपनी बात कहें लेकिन ये स्थितियां इस बात का संकेत देती हैं कि यह लोकतंत्र के लिये सुखद अनुभूति नहीं है । ऐसा होना लोकतंत्र के लिये किसी भी कीमत पर सुखद अनुभूति पैदा नहीं करता । संविधान सम्मत व्यवस्था है विधायिका कानून बनाएगी, न्याय पालिका उसकी व्याख्या करेगी । लेकिन आज कानून कैसा बनना चाहिये, सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया कि देश में माडल पुलिस एक्ट बनना चाहिये । अगर इस स्थिति पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, इस पर विचार नहीं किया तो फिर इस भयानक स्थिति से वे परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं कि न्यायपालिका कल जहां सब के सैपरेशन की व्यवस्था की गई है, कल विधायिका और कार्य पालिका को न्याय पालिका सुपरसीड करेगी । कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर न्यायपालिका की सुप्रीमेसी कायम होगी । सभापति महोदय, यह केवल माडल पुलिस एक्ट का मामला नहीं है । जब हम यह विचार करते हैं। देश की पार्लियामेंट का मसला आया, मुझे ठीक से उदाहरण तो याद नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक बार किसी प्रेस को सदन की मानहानि के मामले में अध्यक्ष महोदय ने सज़ा का प्रावधान किया। जब वह रिपोर्टर अदालत में अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई सज़ा के खिलाफ गये और स्टे दे दिया तो सदन ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर के मजिस्ट्रेट के फैसले को उलटा करते हुए उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किये उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने। न्याय पालिका ने अपनी मूंछ का सवाल समझ कर विधान सभा के अध्यक्ष पर गिरफ्तारी का वारंट गलत जारी करने के लिये मुकदमा दायर करने का फैसला कर लिया । उन हालातो में देश के विधिवेत्ताओं की राय के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस बारे में निर्णय दिया। आज भी इस बात का उदाहरण है कि हिन्दुस्तान की कोई भी न्यायपालिका विधान मण्डल के अंदर होने वाली चर्चा पर किसी भी प्रकार का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कोई फैसला नहीं दे सकती। यह केवल हमारी विधान सभा की नियम निर्देशिका का विवरण नहीं है। आज हालात किस प्रकार के बनते जा रहे हैं।

लेकिन इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ हमको यह भी विचार करना पड़ेगा कि न्याय पालिका का यह हस्तक्षेप क्यों बढ़ रहा है। अगर आज हम ईमानदारी से विचार करेंगे तो, सभापति महोदय, मैं दो बात आज आपके सामने कहना चाहता हूं । अभी राजाखेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने दिल्ली में सीलिंग का मामला उठाया, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। जिस शेट्टी कमीशन की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले दिनों शेट्टी कमीशन की सिफारिश पर इस सदन में एक बिल आया । सभापति महोदय, उस समय आप स्वयं ने भी इस चर्चा में भाग लिया था, और सभी सदस्यों ने कहा था हाई कोर्ट में सप्ताह में पांच दिन काम होता है, 6 दिन के कार्य दिवस नहीं होते। अभी तो यह भी चर्चा में आया कि आफिस में कब कौन बैठेगा, कब नहीं बैठेगा, हाई कोर्ट के जज दिन भर में चार मुकदमे सुनेंगे, दो मुकदमे सुनेंगे। लेकिन शेट्टी कमीशन ने यह मंशा व्यक्त की कि निचली अदालतों में राज्य सरकार का जो लोकल होलीडेज का हस्तक्षेप है, यह बंद होना चाहिये । हम कानून ले आये, बिल पास कर दिया । उस समय हमने यह कहा था कि हमको किसी शेट्टी कमीशन से गाइड होकर कानून लाने की आवश्यकता नहीं है । उस कानून का हश्र क्या हुआ? हमने परिवर्तन कर दिया कानून को, संशोधन कर दिया कि राज्य सरकार के स्थान पर उच्च न्यायालय की शक्तियां होंगी । सभापति महोदय, लेकिन इस सदन में बिल लाने के बाद भी, विषय भावनाओं से जुड़ा हुआ था चाहे वह जयपुर की गणगौर का मामला हो, चाहे बूंदी की कदली तीज और कोटा की अनंत चतुर्दशी पर छुट्टी का मामला हो, राजस्थान के वकीलों ने हड़ताल की। माननीय चीफ जस्टिस के निर्देश से जस्टिस शिव कुमारजी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी जन भावनाओं को देखते हुए कि सरकारी अवकाशों के अतिरिक्त जो लोकल होलीडेज थे वे यथावत रहेंगे वह कैलेंडर चीफ जस्टिस ने जारी कर दिया । क्या हश्र हुआ हमारे बिल का? आज मंथन करने की आवश्यकता है, इस बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

जो हालात पैदा हो रहे हैं चाहे वह दिल्ली की सीलिंग का मामला हो, चाहे वह कानूनों की अवहेलना कर के इंटरफियरेंस के बढ़ने का मामला हो, व्यवस्थापिका ने आज अपनी भूमिका को कमजोर किया है । यह प्रशासनिक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निर्णय कि क्या कमर्शियल कम्प्लेक्स बनेंगे, कहां बनेंगे, कहां नहीं बनेंगे, ईमानदारी से अगर व्यवस्थापिका अपने प्रशासनिक फैसलों पर दृढ़ होकर काम करे, ईमानदारी से अगर व्यवस्थापिका यानि विधायिका अपने फैसलों पर दृढ़ होकर काम करें तो मैं समझता हूं कि न्याय पालिका का हस्तक्षेप करने का साहस नहीं बने । सभापति महोदय, इसका कारण है कि हम लोगों ने यहां बैठकर विधायिका की गरिमा बढाने के बजाय, इसके फैसलों के मानकों को ऊँचा करने के बजाय हमेशा अवसरों की तलाश की है । सरकार के किसी फैसले पर गोल को सरकार के पाले से निकाल कर हमारे पाले में लाया जाये, सरकार के किसी फैसले को जनता की अदालत में राइट और रोंग साबित करने के लिये किस प्रकार की राजनीति की व्यूह रचना तैयार की जाए, इस प्रकार का दृष्टिकोण लैजिस्लेटर्स का इस सदन में बन गया सदन के फैसलों के मानक स्थापित हों न हों, विधायिका की सुप्रीमेसी कायम हो ना हो, इसके फैसलों की गरिमा बढ़े न बढ़े, लेकिन मुझे राजनीतिक अवसर की तलाश करके एक दूसरे के पाले से गेंद निकालकर सावधानी से जनता की अदालत के कठघरे में एक दूसरे को खड़ा करने का फैसला करना चाहिये। इस दृष्टिकोण ने विधायिका की तस्वीर को धूमिल कर दिया, विधायिका की ताकत को क्षीण कर दिया, विधायिका को कमजोर बनाकर खड़ा कर दिया। आज हम यह देख रहे हैं कि अधिकारों पर अतिक्रमण के विचार की रैड लाइट क्रास हो रही है और जब रैड लाइट क्रास हो रही है तो अंदर का डर कांप रहा है।

(समय : 21.00 बजे)

सभापति महोदय, इसलिए मैं कहता हूं किसी भी कारण से इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ हो लेकिन इस अवसर पर आज हमें इस बारे में विचार करना पड़ेगा ईमानदारी से कि हम यहां राजनैतिक दल के नाते चर्चा में भाग लेकर, पक्ष-विपक्ष की भूमिका को निभाने के नाते नहीं, ईमानदारी से अगर राजस्थान की जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो हम जनता के हित में, जनता के कल्याण में, इस विधायिका में, सदन में बैठकर कानून का निर्माण करें। हम वैलफेयर स्टेट के नाते काम कर रहे हैं। राजस्थान में वैलफेयर स्टेट के कन्सैप्ट को लागू करने के लिए इस प्रकार के जो भी काम, जो भी कानून और नियम विधायिका के लिए बनाना आवश्यक है उनको बनाने के लिए हम लोग यदि ईमानदारी से लैजिस्लेटर की भूमिका को निभाने के लिए यहां आये तो आज हमको इस अवसर पर इस बात की दृढ़ इच्छाशक्ति व्यक्त करनी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पड़ेगी कि विधायिका को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुपरसीड नहीं कर सकती। अगर हमने आज इस अवसर की भी अनदेखी की, इस अवसर पर ईमानदारी से गम्भीरतापूर्वक निर्णय नहीं किया, तो माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: इस बात को दोहरा रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं जब व्यवस्थापिका और विधायिका को कोर्ट की सुप्रीमेसी में काम करना पड़ेगा।

आप देख लीजिए, शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट आ गई। अभी राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य कह रहे थे, कंसोलिडेटेड फण्ड पर राज्य का अधिकार है। तनख्वाह क्या होगी राजस्थान उच्चतर सेवा के अधिकारियों की, फैसला कर दिया। सभापति महोदय, मैं समझता हूं आज इस हाउस में हम सब लोग बैठे हैं, हम लोकतंत्र में जनता के माध्यम से चुनकर आते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं लेकिन नैतिकता के दायरे से बाहर जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते। यदा-कदा जब सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ाने की बात सदन में आती है तो आज भी हम नैतिकता के आधार पर यह बात कहते हैं, जननीति का प्रभाव हमारे दिमाग में रहता है कि यह संदेश जनता के बीच में नहीं चला जाए कि चुनकर गए लोगों ने कूलड़ी में गुड़ फोड़कर अपना मानदेय और बढ़ा दिया और जनता के साथ अन्याय किया है। जिस पैसे से गरीब का कल्याण होना चाहिये, जिस पैसे से गरीब की झोंपड़ी में उजाला जाना चाहिये था, अपने वेतन भत्ते बढ़ाकर हमारे चुने हुए फैसले को अपमानित करने की कोशिश की। यह डर सदैव लैजिस्लेटर के दिमाग में बैठा रहता है। जिस प्रकार का फैसला न्यायपालिका ने किया, आज वैलफेयर स्टेट का कन्सैप्ट न्यायपालिका के जज की तनख्वाह बढ़े यह नहीं, उसको बहुत सारी सुविधाएं, वेतन और आराम मिले यह नहीं है। वैलफेयर स्टेट का कन्सैप्ट यह है कि आज भी राजस्थान के सैकड़ों स्कूलों में कमरा नहीं है, आज भी राजस्थान की कच्ची बस्तियों में नाली नहीं है और आज भी राजस्थान के हजारों गांव बिजली से बिना जुड़े हुए हैं। आज भी राजस्थान के हजारों गांव ऐसे हैं जिनमें सड़क नहीं पहुंच पाई है। इस वैलफेयर स्टेट का कन्सैप्ट जज की तनख्वाह बढ़ाना नहीं है, उसको गाड़ी और डीजल पैट्रोल बढ़ाना नहीं है। उसकी प्राथमिकता है राजस्थान के गरीब को स्कूल पहुंचाना, राजस्थान के गरीब को सड़क और बिजली पहुंचाना। लेकिन किस प्रकार की स्थिति है। हमारे कन्सैप्ट चेंज होंगे, हमारे फैसले बदलेंगे, हमारी थीम चेंज होगी, हम गाइड होंगे न्यायपालिका से। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का मुकाबला करने के लिए, यह संदेश देने के लिए कि विधायिका सुप्रीम कोर्ट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसकी सुप्रीमेसी में काम करने की स्थिति में नहीं है। अपना काम विधायिका कर रही है, न्यायपालिका अपना काम करे। माननीय सभापति महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा दो मिनट और।

माननीय सभापति महोदय, इसके बजाए अब मैं मांग संख्या 16 की बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने यह तय कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद चाहे हम कान को इधर से पकड़ने के बजाए इधर से पकड़ें, अपना स्वयं का एक पुलिस माडल एक्ट तैयार करके हमने उसकी सुप्रीमेसी को मानने के लिए अपने आपको सरेण्डर किया है। उस पर व्यापक चर्चा होगी और जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उस पर मैं बात करूंगा। आज पुलिस के बारे में मैं दो-तीन छोटी-छोटी बातें, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं।

यह बात सच है कि पुलिस को राज्य प्रशासन का राइट आर्म कहते हैं और हम एक वैलफेयर के कन्सैप्ट को लेकर काम कर रहे हैं। हम उस वैलफेयर स्टेट के कन्सैप्ट को लागू करने के लिए ला एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में पुलिस की भूमिका मानते हैं और जब पुलिस की भूमिका ला इनफोटमेंर्स एजेंसी के रूप में बनती है तो उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, उसके सामने कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। हम देखते हैं कि आज पुलिस का काम केवल कानून व्यवस्था बनाना, अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को दंडित करना नहीं बचा है। इस समाज में आज ऐसा कोई काम नहीं होगा चाहे वह शादी समारोह हो, चाहे वीआईपी डयूटी, चाहे राजनीतिक सम्मेलन, चाहे किसी प्रकार का जुलूस, धरना, प्रदर्शन, यहां तक कि पति-पत्नी के झगड़े निपटाने का काम जो आज राजस्थान की पुलिस को करना पड़ रहा है। इन हालातों में पुलिस के सामने बर्डन बढ़ा और चुनौतियों अपराध के तरीकों की बढ़ी हैं आज, सभापति महोदय, जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, तीव्र गति का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, अपराध के तौर-तरीके बदले हैं जिस प्रकार से इंटरनेशनल गेंगवार बढ़ा है, जिस प्रकार से संगठित अपराध और समूह के अपराध के तौर तरीके बने, उन हालात में पुलिस के सामने चुनौतियां बनीं, उन चुनौतियों में, उन हालात में पुलिस को कोसने मात्र से काम नहीं चलेगा। हम ईमानदारी से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें पुलिस की भूमिका को सुदृढ़ करना पड़ेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विज्ञान- प्रौद्योगिकी के तीव्र ट्रांसपोर्टेशन के युग में जिस प्रकार से आज हम इससे अपेक्षा करने लगे, कन्सैप्ट आफ कम्युनिटी पुलिस, पुलिस की सामुदायिक, सामाजिक भूमिका हर काम में हम देखना चाहते हैं तो फिर हमको पुलिस के ताने-बाने को मजबूत करना पड़ेगा। पुलिस को संसाधनयुक्त करना पड़ेगा। पुलिस की भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। इतने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, पुलिस को इन संगठित अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक तरीके के हथियार, तीव्र गति से चलने वाले वाहन भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं एक छोटी सी बात कहकर। चूंकि आपने दस-दस मिनट का समय तय कर दिया है, माननीय सभापति महोदय, मैं दो बात आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा चाहिये कहना चाहता हूं। माननीय नगर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि कई बार अर्धसैनिक बलों में भी और पुलिस के जवानों में डिप्रैक्शन आने लगा है। वे डयूटी से उकता जाते हैं तो आत्महत्या करते हैं। कई बार गोली चलाते हैं। मैं आज आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं, जो पुलिस का जवान 24 घंटे डयूटी करता है और 24 घंटे डयूटी करने के बाद अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में असक्षम पाता है तो उसके मन में फ्रैक्शन आ जाता है। इसलिए सरकार उसमें सहभागी बने, सहयोगी बने। जिस प्रकार से मिलिट्री की सेंट्रल स्कूल की व्यवस्था है, पुलिस के कर्मचारी के बच्चों के लिए भी उच्च मानक के सेंट्रल स्कूल के स्टैण्डर्ड के स्कूल राजस्थान में स्थापित किये जाने चाहिये।

गृह मंत्रीजी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि एशिया में आपके दो थानों को आइएसओ मार्क मिला और एक नम्बर एक पर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह सारी चर्चा तो हम कर रहे हैं लेकिन मूल बात यह है कि पुलिस का व्यवहार आम आदमी के साथ, फरियादी के साथ किस प्रकार का होता है। मुल्जिम तो कोई बचता होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार से पांच-दस प्रतिशत फरियादी भी बच पाता है इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने आईएसओ दो थानों को दिया है, इस सिलसिले को बढ़ाइये। कई बार हम गलत से गलत आदमी को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सार्वजनिक रूप से अगर कायम करते हैं तो वह भी गलत काम सार्वजनिक रूप से करने से डरता है। हो सकता है, गांधीगीरी का आपका यह कन्सैप्ट पुलिस पर अगर लागू हो जाए तो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार की पुलिस की शिकायतें कम होंगी। आज केवल इतना करने मात्र से काम नहीं चलेगा। हिन्दुस्तान में जिस प्रकार से अपराध, चोरी, डकैती, लूट बढ़ रही है, यहां तक कि इन्टरनैट के साइबर कैफे के अपराध हो रहे हैं, लोग कैश कार्ड के नम्बर की चोरी करने लगे हैं। इस प्रकार के अपराधों के चलते हुए फरियादी को न्याय दिलाने के लिए, सुलभ न्याय दिलाने के लिए, आज राजस्थान का कोई व्यक्ति जयपुर रहता है, उसके साथ अपराध घटित हो गया कोटा में, पहले उसको अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जयपुर आना पड़ेगा। नौकरी वह जोधपुर में कर रहा है। आंध्र प्रदेश के पैटर्न को, ईको पैटर्न को राजस्थान में लागू करना चाहिये कि आदमी जहां बैठा है वहां कम्प्यूटर से अपनी एफआईआर दर्ज करा दे, सम्बन्धित थाने में वह एफ.आई.आर. पहुंच जाए। और पहुंच ही नहीं जाए उस एफ.आई.आर. की प्रगति उसके तथ्यात्मक प्रतिवेदन, जो भी उसकी प्रोगैस, जांच और इंक्वायरी हुई है, वे डाटाज, उस वैबसाइट और ई-मेल पर इंक्वायरी आफिसर डाले और घर में बैठा हुआ व्यक्ति इस बात की संतुष्टि महसूस करे कि जयपुर में हुए अपराध की मैंने कोटा में बैठकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। ईमानदारी से आज ई गवर्नेंस के युग में पुलिस अपनी इस भूमिका को बढ़ाते हुए आम आदमी के लिये वैलफेयर स्टेट के आस्पैक्ट की तरफ काम करना प्रारम्भ करे, तभी आम आदमी सुकून महसूस करेगा। वह घर बैठे किसी दूर के थाने में अगर एफ.आई.आर. कम्प्यूटर में दर्ज ई-कोप सिस्टम में दर्ज कराएगा तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। सिस्टम ठीक होगा, पारदर्शी होगा। इतना ही नहीं, हमको आन्ध्र-प्रदेश की तर्ज पर वैब-कैमरे भी अब शहरों में लगाने चाहिए। हाई कोर्ट डाइरेक्शन दे रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसकी व्यवस्था सुधारो। आन्ध्र प्रदेश में वैब कैमरे लगे हैं। एक जगह ट्रैफिक जाम होता है, तुरन्त सारे थानों और सारे चौराहों पर उसका दृश्य आने के बाद ट्रैफिक को चारों तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। वैब कैमरों से केवल ट्रैफिक नियंत्रण का काम नहीं होता, कहीं किसी चौराहे पर कोई दुर्घटना घटती है, अपराधी भागता है तो कई बार वायरलेस फ्रीक्वेंसी के सिस्टम में डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है सूचना चूक जाए, लेकिन वैब कैमरे के माध्यम से एक साथ सारे शहर के थानों को चौकस किया जा सकता है। जब हम ई-गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर पुलिस के रुढ़िवादी तंत्र और तौर-तरीकों में भी परिवर्तन करके हम इसको आधुनिक तौर-तरीकों से साज-सज्जा करके संवारने की कोशिश करें। आज के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

शुभ अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस, न्याय एवं कारागार की डिमाण्ड पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जो पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया, कहना चाहूता हूं कि कार्यपालिका पर न्यायपालिका का अन्याय जिसको कह दीजिये, नहीं होना चाहिए, वास्तव में यह हस्तक्षेप ठीक नहीं है। यह आगे के लिये भी ठीक नहीं है। अब न्यायपालिका के लिये क्या किस तरीके से सोच सकते हैं, आज गांव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति कोर्ट में जाने से घबराता है।

(समय : 21.12 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्योंकि वहां की भी व्यवस्था इस प्रकार से है। मैं एक बहुत ताजा उदाहरण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दूंगा, एक गांव का कोई मुद्दा है, स्टे लेने के लिये वह कोर्ट के द्वार पर जाता है। एक वकील कहता है कि स्टे चाहिए तो मुझे 15 हजार देना और एक वकील कहता है 5 हजार रुपये। अब उसकी ताकत है 5 हजार की और उसे स्टे नहीं मिलता है। वैसा ही केस, ऐसे ही पड़ौस के गांव का केस, बिलकुल सेम केस, वह 15 हजार वाले वकील के पास जाता है और उसको जज वैसा का वैसा स्टे दे देता है। यह एक प्रश्न-चिन्ह लगाता है वकील से लगाकर जज की भूमिका पर। इस बात को भी सोचना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका के विषय में चूंकि समय बहुत लिमिटेड है, मैं मेरे क्षेत्र का विषय कहना चाहता हूं मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र का जो उप-खण्ड मुख्यालय है, वहां पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोलने के बाबत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करुंगा। वर्तमान में ए.सी.जे.एम. कोर्ट जालौर हैड-क्वार्टर पर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो थाने हैं आहोर और नोसरा, इनके मुकदमों की स्थिति-फौजदारी 763 मुकदमे हैं, सिविल 101 हैं, एफ.आर. लम्बित मुकदमे 150 हैं, कुल 1000 मुकदमे ए.सी.जे.एम. कोर्ट जालौर में चल रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक मुंसिफ कोर्ट

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

है, एक अतिरिक्त सिविल है, एक मुख्य न्यायिक, एक फास्ट-ट्रैक, ए.डी.जे., एक जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत है। अब मैं पूरे जिले की स्थिति बता देता हूं। भीनमाल तहसील में एक मुंसिफ, एक अतिरिक्त सिविल, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। सांचोर एवं रानीवाड़ा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यरत है। आहोर उप खण्ड ही एक ऐसा बचा है जहां पर कोर्ट नहीं है। यह मेरे आहोर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि मुकदमों की स्थिति देखते हुए आहोर में एक कोर्ट की इजाजत आप दिलवाएं। जो जालौर जिले में, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आदेश फर्माया है बजट भाषण में, वह मेरे आहोर में या नासोर, जैसा भी आप करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी पाजिटिव चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा गृह विभाग पर प्रतिपक्ष के बंधुओं ने भी रखी है और पक्ष के बंधुओं ने भी रखी है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): बांधवी ने भी रखी है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): जी, जी, बंधुओं ने रखी है। नहीं, वह एक बात मैं आपको बताऊं, बहिनजी। प्रतिपक्ष के एक बहुत वरिष्ठ..

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बहन ने भी रखे हैं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): हां, बहन ने भी रखे हैं। आदरणीय बहन ने, मैं आपकी सराहना करता हूं।

प्रतिपक्ष के एक वरिष्ठ बंधु ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा, अभी बात चलते-चलते कि वास्तव में गृह विभाग की तो हर व्यक्ति ने सराहना की है। उसके पीछे, मैने कहा, क्या कारण है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो कहा, इसका कारण है, तिकड़ी। मैंने कहा, यह तिकड़ी क्या है? तो कहा तिकड़ी, तीन लोग, तीनों एक सरीखे हैं। और उसके कारण पूरे राज्य में पुलिस व्यवस्था इतनी बढ़िया है। मैंने कहा, यह तीनों लोग कौन-कौन? गृह मंत्री, डी.जी. पुलिस, होम सैक्रेटरी। तीनों की रात-दिन यही चिन्ता रहती है कि मेरे राजस्थान की पुलिस इतना काम करे, यह वास्तविकता है। यह हिन्दुस्तान के मानचित्र पर आता है, आपको यह बताऊं। आज हमारी पुलिस की व्यवस्था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके अपराधों में जो कमी हुई है इसके पीछे रीजन यही है कि मन में चिन्ता लेनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है, पिछले 5 वर्षों में डकैती... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सदस्य, वह आपको कहां पर पिलाई थी कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिली हुई चीज?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अभी बताता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यू.पी. में या उत्तरांचल में।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं बता देता हूं, (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। सुनो, आगरा के जो तीन लोग पकड़े गये, वो नामचीन मुस्लिम ऐसे गुण्डे पकड़े गये जिन्होंने यह पायजन पिलाया। वे जेल में बंद हैं।

कानून-व्यवस्था की जहां तक बात करते हैं, यह हकीकत है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तीन जनों ने पिलाया था क्या एक साथ?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): दिल्ली की जेल में बंद हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तीन जनों ने पिलाया। जब मैं आपसे मिलने आया राजस्थान हाउस में, आपकी तबीयत पूछने आया था, तब तो आपने कहा, अनजान आदमी थे, मुझे पता ही नहीं है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): नहीं, वह तो पकड़ा गया न।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, अब मैंने पूछ लिया तो मेरे ऊपर डाल दिया आपने। वाह भाई वाह, खूब बढ़िया रही। (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं इनकी तबीयत पूछने गया कि क्या घटना हो गयी, अख़बार में पढ़ी तब। तब इन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ होश नहीं है, कौन थे और आज इनको वे तीनों, तिकड़ी याद आ गयी। एक तिकड़ी आगरा की बात रहे हो, एक तिकड़ी डी.जी. साहब और होम सैक्रेटरी की। यह तिकड़ी ही तिकड़ी बताते रहोगे क्या?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): नगर से आने वाले माननीय सदस्य, इनको उस दिन होश नहीं था। इसलिये भूल गये और इसलिये बात आप ही के ऊपर डाल दी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और आप भी इसलिये गये कि आप ही ने भेजे थे वे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उन तीनों को भी आपकी इसी तिकड़ी ने पकड़ा था क्या?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपने पूछा क्यों?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने कहा कि यू.पी. और एम.पी. में अपराधों में कमी हुई है, तो मैंने कहा, जहां आपके साथ ऐसी घटना हुई, वहां भी आप बोल रहे हो। राजस्थान की बोलो न आप तो, कमी हुई है या ज्यादा हुई है। इसलिये मैंने इनको पूछा। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे उत्तम बात है वास्तव में हमारे गृह मंत्री महोदय का पुलिस के काम में कम से कम हस्तक्षेप करना। मतलब, स्वतंत्र तरीके से इनको खोज-बीन करने देना। इसके पीछे यही रीजन है, आज जो अच्छा स्वरूप दिख रहा है। इसी कारण से 5 सालों में डकैती हुई 351, तीन वर्षों में 136, हत्या प्रकरण हुए 6830 और तीन वर्षों में 3709, लूट के प्रकरण हुए 4508 और तीन वर्षों में 1894 हुए हैं। बलात्कार के प्रकरण हुए 9590 और तीन वर्षों में 3116 । इसी प्रकार चोरी के भी। मतलब हर वस्तुस्थिति में कम हुआ। साम्प्रदायिक दंगे, भीषण दंगे। दो दंगे हुए पांच वर्षों में, हमारे तीन वर्षों में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक निवेदन इस सदन के माध्यम से कर रहा हूं कि साम्प्रदायिक जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के पीछे भी हमारे प्रतिपक्ष के बंधुओं का खुला हाथ था इसलिए साम्प्रदायिक घटनाएं हुई, नहीं तो वे भी नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आपने अब मुख्य बात कह दी। बोल रहे हैं, ठीक है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): पांच मिनट दीजिए। अब कोई नहीं बोलेगा? नहीं, नहीं, मुख्य बात कहनी है न मेरी। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, कमिश्नर व्यवस्था, इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। भारत के 25 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों में कमिश्नर व्यवस्था है तो जयपुर में भी होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो जुलूस, धार्मिक आयोजन होते हैं, जुलूस निकलते हैं तो उसकी परमिशन के लिए पुलिस को कलक्टर के पास जाना पड़ता है, बाद में मिलती है। उसका एक दूसरा मुद्दा यह है कि कमिश्नर व्यवस्था होने के बाद पुलिस के इस प्रकार के एक लाइसेंस के माध्यम से पुलिस की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और एक अच्छा रूप सामने दिखेगा। स्वरूप दिखेगा जिसके कारण व्यापारी को, जुलूसों के माध्यम से और अन्यान्य

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

घटनाओं में भी एक पुलिस का कण्ट्रोल हो जाएगा। न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था में जो टकराव होता है वह भी टकराव बंद हो जाएगा और जयपुर की एक अच्छी स्थिति कहलाएगी। यह एक पुलिस कमिश्नर व्यवस्था के लिए मेरा पुरजोर समर्थन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है, एक मिनट, मेरा एक विषय बाकी है अभी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल। माननीय सदस्य, समय है नहीं अभी। आपने अभी कह दिया। ... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक इतना ही ... (व्यवधान) एक मिनट खाली। एक मिनट में कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट बैठिये आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): विदेश सेवा में राज्य की ओर से जो डैपुटेशन पर पुलिस के बंधु जाते हैं, तीन-चार वर्गों में जाते हैं। डिटेल बहुत लम्बी है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिन-जिन का भी चयन होता है, विदेशों में सेवा देने के बाद उनकी तारीफ अगर होती है तो इनको यहां पर प्रमोशन दिया जाना चाहिए उन सेवाओं के बदौलत भी, यह मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मुख्य मुद्दा यह है, अभी जैसा माननीय सदस्य ने बताया था कि आज पुलिस की नफरी बहुत कम है। अभी जो भर्ती हुई है वह खाली जगह की भर्ती हुई है। अभी जो पुलिस वर्ग चाहिए हमको उसके लिए मुख्य मंत्री महोदया ने आदेश किया है लेकिन वह भी कम है। और एक मुख्य मुद्दा मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, रिटायर्ड अफसरों के यहां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी संख्या बताऊंगा तो आप ताज्जुब करोगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह आ गयी बात, पहले माननीय सदस्यों ने बता दिया। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): 1500, मैं बताऊं। रिटायर्ड अफसरों के यहां आज पुलिस विभाग के 1500 कांस्टेबल, जहां तक जानकारी मिली है। अब वह जानकारी कितनी सही होगी, कितनी गलत है, मुझे यह जानकारी मिली है। पुलिस के अफसरों के यहां, रिटायर्ड अफसरों के यहां एक

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

मापदंड बना लीजिए, माननीय गृह मंत्री महोदय, कि किसके पास कितनी व्यवस्था करनी है। आवश्यकतानुसार भले ही व्यवस्था करिये आप। जहां जैसी जिनको सुरक्षा, रिटायर्ड होने के बाद भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, वह भी करिये लेकिन एक मापदंड उसका रखिये और मापदंड रखकर इसका आगे निर्धारण करिये, एंटी करप्शन का विषय है। अच्छा काम, शिकंजा वगैरह सब बहुत बढ़िया है। महिला टास्क फोर्स के लिए भी जो मुख्य मंत्री महोदया ने किया उसके लिए भी बधाई।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जैसी बात कह रहे थे अफसरों के ऊपर चालान वगैरह, मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा। पहले राजनीति का पुलिस के काम में जबरदस्त हस्तक्षेप। सबसे बड़ी यह जो अधिकारी वाली बात है, कांग्रेस प्रतिपक्ष के समय की बात, पूरी सरकार आरोपों से घिरी हुई, चाहे वह सी.डी. प्रकरण हो, चाहे घोटालों के प्रकरण हों, एक-एक मंत्री घिरा हुआ था। ईवन चालान भी पेश हुए थे। यही कारण है कि उस समय इतनी आपराधिक घटनाएं हुई क्योंकि आपराधिक तत्वों को शह दी जा रही थी। आज के शासन में अपराधी इतना भयभीत है, अपराधी इतना घिरा हुआ है कि वह कभी भी अपने आपको खतरे से बाहर नहीं समझता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उस समय मंत्रियों ने मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अपने पार्टी आलाकमान को शिकायत नहीं की थी। आज जो हो रही है रोज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल। आप समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ऐसा है कि कहना चाहेंगे तो बहुत कहना है लेकिन मैं फिर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि इतना बढ़िया गृह विभाग का है कि एक भी माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो भी सुझाव दिये वे सुझाव भी अपने को मान्य करने चाहिए। गृह मंत्री महोदय, मेरे चांदराई में चौकी अब बहुत आवश्यक है, जिसकी आप पूर्ति कराएं। बाकी जाली नोट वगैरह में काफी अच्छी अपने को सफलता मिली है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): खतम करिये। भाई साहब, खतम करो अब तो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक चीज है, जो बार्डर के थाने हैं उनमें एंटी करप्शन की भी टीम बहुत बढ़िया होनी चाहिए और पुलिस बल की भी टीम बढ़िया होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, वहां पर आपका सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, आपका परिवहन डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन के लोग भी ... (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ये मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए वहां पर कुछ सजग आफिसर आपको देने पड़ेंगे, छवि सुधारनी पड़ेगी जिससे बार्डर पर किसी प्रकार की तस्करी नहीं हो। इसके लिए आप अपने आप में मजबूत आफिसर, एक जांबाज आफिसर, बार्डर के थानों में दें। यही निवेदन है। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय इस सदन में न्याय, प्रशासन, पुलिस और कारागार विभागों की मांगों के विषय में चर्चा हो रही है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने सारगर्भित बहुत-सी बातें कहीं। मैं कुछ हटकर उन बातों को, उन विचारों को इस सदन में रखना चाहता हूं, जो आम जनता, गांव की जनता, गली-मोहल्ले की जनता, चौपाल पर खड़ी आम जनता इन कोर्ट- कचहरियों के बारे में विचार रखती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन कोर्ट कचहरियों के बारे में आम जनता का यह विचार है कि ये अक्सर (एन.जी.ओज.,) नान गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंस के सदस्यों की जन हित याचिकाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। जैसे ही जन हित याचिका कोर्ट कचहरियों में आती है तो ये फौरन उनको एंटरटेन करती है, उन पर विचार करती है और फौरन उनका निर्णय भी देती है और निर्णय अक्सर नकारात्मक होता है। निर्णय इस प्रकार का होता है, तोड़-फोड़ कर दो, विध्वंस कर दो। 60 हजार दुकानों को सील कर दो। मल्टीप्लैक्स को गिरा दो। रामनिवास बाग़ में जो रोड निकल रही है उसको बंद करके उस पर घास लगा दो। फिर निर्णय आता है, नहीं, रोड को फिर दुबारा से चालू कर दो। इसी प्रकार एक दफे

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

निर्णय आया था कि अरावली पर्वत मालाओं में, अरावली श्रेणी में जो खानें चल रही थीं उनको बंद कर दो। मतलब इस प्रकार के ये निर्णय देते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, विध्वंसकारी होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ये एन.जी.ओज., अक्सर इस प्रकार के नकारात्मक कोर्टों में एप्लीकेशंस देते हैं और विध्वंसकारी निर्णय करवाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि एन.जी.ओज. हमेशा खानों को बंद करने के लिए, फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए, दुकानों को सील कराने के लिए ही क्यों एप्लीकेशंस देते हैं? इन्होंने कभी किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी दुकान को चलाने के लिए, मतलब बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर दुबारा से चालू कराने के लिए कभी कोई आन्दोलन नहीं किया। कोर्ट-कचहरियों में कभी कोई एप्लीकेशंस नहीं दीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे यहां सवाईमाधोपुर में जयपुर उद्योग सीमेंट फैक्ट्री पिछले दस साल से बंद है, मेधा पाटकरजी ने उस फैक्ट्री को चलाने के लिए कभी आन्दोलन नहीं किया। (एच.एम.टी.) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, उनको खोलने के लिए, पुन: चालू करने के लिए उन्होंने कभी आन्दोलन नहीं किया। मेधा पाटकरजी तो केवल इसी बात का आन्दोलन करती है कि फलानी जगह नर्मदा बाँध बन रहा है उसको बंद कर दीजिएगा, उसको बंद कर दीजियेगा, उसका निर्माण मत करियेगा। वैस्ट बंगाल में जाकर टाटा की छोटी कार बनाने का जो कारखाना है उसको रोकने के लिये आन्दोलन करती हैं। फिर राजस्थान में आकर कोल्ड ड्रिंक का एक कारखाना चल रहा था उसको रोकने के लिये आन्दोलन करती हैं। एज.जी.ओ. से जन हित याचिकाएं जो कोर्टों में देते हैं, इनके बारे में कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बारे में क्यों नहीं इंक्वायरी करती कोर्ट? हमेशा नकारात्मक रूख रखकर कोर्ट में जो एप्लीकेशन देते रहते हैं और फैक्टरियों को बंद करवाते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनके खिलाफ कोई भी शिकायत आती है तो उसकी गवर्नमेंट इंक्वायरी करती है। सेंट्रल से भी आती है, यहां से भी इंक्वायरियां होती हैं। स्पेसिफिक शिकायत आनी चाहिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): कोर्ट को भी देखना चाहिये कि आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है। एप्लीकेशन देने के लिये, मौज मस्ती करने के लिये, इनके परिवार और खुद का पालन-पोषण

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

करने के लिये पैसा कहां से आता है ? इनके पास और कोई धंधा तो है नहीं। आम जनता तो यह कहती है कि ये ब्लैकमेलर्स हैं। ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं और इनका सिर्फ धंधा ही यह है। जैसे कोई फैक्टरी चलती हुई होती है और कोई पर्यावरण की बात हो जाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी बोलते हैं। इनकी पीड़ा है उसको बालेंगे। अभी तो तीन-चार मिनट ही हुए हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मैं अपनी बात नहीं कह रहा, आम जनता की जो बात है, वही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह विषय से अलग हटकर कह रहे हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आम जनता जो चर्चा करती है, जिसको हम सुनते हैं, उसको इस सदन में रख रहा हूं मैं। ये बात हकीकत है, आजकल जनता बड़ी परेशान है इन लोगों से। यह ब्लैकमेलर्स जाकर जो फैक्टरी चलती है उससे जाकर कहते हैं, भाई साहब, आपका काम गड़बड़ चल रहा है, इतने पैसे चाहिये । अगर आप इस पैसे को देते हो तो ठीक है, नहीं तो जन हित में जा रही है कोर्ट के अंदर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे 60 हजार दुकान सील करने का एक आदेश दिया, मल्टीप्लैक्स को गिराने का आदेश दिया, कोर्ट-कचहरी ने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि जब ये दुकानें बन रही थीं, जब यह मल्टीप्लैक्स बन रहा था तब नगर परिषद्, नगर पालिका, जे.डी.ए. के कर्मचारी/ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लेना चाहिये था। जिस वक्त उनका निर्माण हो रहा था उस वक्त उनको पाबन्द क्यों नहीं किया ? जब ये बन गये तो ध्वस्त करने के लिये, उनको बंद करने के लिये आदेश दिये जाते हैं । जिन्होंने उनका निर्माण होने दिया उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस वक्त कोर्ट जो अपने अधिकारों का हनन कर रही है, एक तरह से अतिक्रमण कर रही है, इसके विषय में भी हमें इस सदन में सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं करने देंगे। श्री धर्मपाल चौधरी ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मैं पुलिस के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी दस मिनट तो हुए ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी मुख्य बात कह दी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): पुलिस के बारे में तो कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में मेरा निवेदन है कि पुलिस को वास्तव में सुविधाएं मिलनी चाहिये। इनकी जीपें पुरानी हैं, इनको माडर्न इक्विपमेंट मिलने चाहिये, हथियार भी मिलने चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहां कालोनी में एक घटना हुई, एक रामबाबू मीणा वहां पर डकैत है उसने सरेआम अपनी दोनों लड़कियों की शादी बुगडार में जाकर की। पुलिस को पता था कि दस दिन बाद में वह जाकर अपनी दोनों लड़कियों की शादी करेगा। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, यह अख़बार में बात आई है । सरेआम डंके की चोट पर अपने 10-15 साथियों को लेकर बंदूक की नोक पर वह उस गांव में गया। रात भर एशो आराम किया। सवेरे आठ बजे दोनों बच्चियों की शादी करके और दोनों बहुओं को लेकर वह चला गया। उसके जाने के करीब एक घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंची और खानापूर्ति करके आ गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गंगापुर में आप देख लीजिये, गंगापुर के आस-पास के एरिये में देख लीजिये। पहले तो बड़े लोगों का अपहरण होता था, मालदार लोगों और उनके बच्चों का अपहरण होता था। अब वह अपहरण तो होता ही होता है, अब तो वाहनों का अपहरण हो रहा है। मोटर साइकिल का अपहरण हो जाता है, ट्रैक्टर का अपहरण हो जाता है, जीप का, टैक्सी का अपहरण हो जाता है। जिस व्यक्ति का अपहरण होता है वह एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये थाने में जाता है । अभी जो नया थानेदार आया है, वह तो सही है, इससे पहले का थानेदार था, वह यह कहता था कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने क्यों आया है, दो-चार दिन इन्तजार कर, लैटर आ जाएगा या टेलीफोन आ जाएगा। दस-बीस-पचास हजार रुपये देकर अपने वाहन को छुडा लेना। एफ आई आर के चक्कर में पड़ा तो तेरा वाहन वापस नहीं आएगा। अगर मिल गया तो कोर्ट-कचहरी से जमानत कराने में जंग लग जाएगी, कबाड़ बन जाएगा। इसलिए बेहतर तो यही है कि पैसे ले-देकर अपने वाहन को छुड़ा ला। जो एप्लीकेंट है, वह यही करता है कि थक-हारकर वापस आ जाता है और वाहन को पैसे ले-देकर छुड़ा लाता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी। अब सारी आ गयी आपकी बात।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक इम्पोर्टेन्ट बात और कहना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष: यह मंत्रीजी को लिखकर दे दें कागज में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, एकदम मौलिक विचार रखे हैं, एकदम मौलिक।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): एक व्यक्ति जो जिंदा है, वह करीब तीन साल से लगातार यह कहता फिर रहा है कि मैं जिंदा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी को लिखकर दे दें।

डा.श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह पता नहीं कि इस राज में पुलिस थानों में पिट रही है, पुलिस करेगी क्या ? थानों में पुलिस पिट जाती है और फिर भी वे गिरफ्तार नहीं होते, इसलिये चलेगा यह तो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति तीन साल से यह कहता हुआ फिर रहा है..

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके राज में तो छह-छह एम.एल.ए. पिटे थे, छह एम.एल.ए...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मेरे भाई-बन्धुओं ने मुझे मृत घोषित कराकर उसे अपने नाम करा लिया है। मैं जिंदा हूं। एफ.आई.आर. दर्ज कराई तो उसके ऊपर एफ आर लगा दी। यह एफ.आर. लगाई गई कि मामला सिविल केस है, हम इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोर्ट में इस्तगासा किया। इस्तगासे में पुलिस ने जो इंक्वायरी की, पुलिस ने यह नहीं पूछा, जो आदमी मरा है वह कहीं रहता तो होगा, उसके कोई भाई-बन्धु होंगे । पुलिस वाले जो गुनहगार हैं, उनसे मिलकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट किया हुआ था, पंडे ने एक बही दिखा दी कि फलां आदमी तो मर चुका है। उसके आधार पर वह कह रहे हैं। जो आदमी जिंदा है वह यह कहता है कि मैं जिंदा हूं । मेरी बहन से पूछ लो, मेरी भाभी से पूछ लो, भाई से पूछ लो, मैं जिंदा हूं । किसी से नहीं पूछा गया और फिर एफ आर लगा दी कि नहीं, यह मर गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा आपका। श्री धर्मपाल चौधरी, मैंने नाम पुकार लिया है। अब आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16, 17 व 6 पर सदन में बहस हो रही है। मांग संख्या 16-पुलिस के ऊपर बहुत-से विद्वान माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं ज्यादा आंकड़ों के चक्कर में नहीं आऊंगा कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, या इसके पीछे क्या कारण हैं। सन् 1971 के अंदर पूरे मुकदमों की संख्या 36,743 थी और पुलिस की नफरी थी 38,800 और आज मुकदमों की संख्या है डेढ़ लाख और नफरी उससे दुगनी भी नहीं हुई। पहले जो क्राइम होता था और आज का जो क्राइम है, आज व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया, तेज चलने वाली गाड़ियां हो गयीं, मोटर साइकिल हो गयी और दूसरी स्पीड से चलने वाली गाड़ियां हो गयीं और पुलिस के पास जो साधन हैं पुलिस का साधन उसका पीछा नहीं कर पाता। इन व्यवस्थाओं के बारे में सोचने की जरूरत है कि पुलिस तंत्र को कैसे सुदृढ़ किया जाए। उनके लिये अच्छी जीपें हों, कार हो, जिप्सी हो उनके लिये। थानों में भी बहुत-सी सुविधा उनको मिलनी चाहिये। आज थाने में स्टेशनरी नहीं, थाने में मेज-कुर्सी नहीं। सारा सामान उस आने वाले मुल्जिम से, जो वहां पर जाता है सब उसके साधन से करता है। गाड़ी में डालने के लिए तेल नहीं, पैट्रोल पम्प वाले भी हम से शिकायत करते हैं कि पुलिस के डर के मारे तेल तो दे देते हैं पर उनको पैसा समय से मिलता नहीं। इन व्यवस्थाओं के साथ अगर हम पुलिस तंत्र को सुदृढ़ करें तो ये सब जो क्राइम है उसको रोक देंगे और यहां पर कह देंगे। अभी रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, बहुत लम्बे समय से नौकरी की, आई.ए.एस. की नौकरी से रिटायर हुए, कि साहब, सुबह अख़बार पढ़ते हैं उसमें लूट हो गयी, बलात्कार हो गया, साढ़े 6 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान की है ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): साढ़े 6 नहीं, साढ़े 5 करोड़ है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): साढ़े 6 करोड़ है, साहब।

एक माननीय सदस्य: कोई बात नहीं, एवरेज निकाल लो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कोई बात नहीं, निकाल लो। ऐसा है, साढ़े पाँच नहीं है। जो विधान सभा में अपने वोट मिले थे तो साढ़े पांच होगी, आपकी दुरुस्ती कर लें। साढ़े 5 करोड़ की जनसंख्या में क्या पहले कांग्रेस ने राज किया तो इस राजस्थान में कोई क्राइम हुआ ही नहीं? सब देवता बस रहे

(श्री धर्मपाल चौधरी)

थे पहले? आज राज आ गया तो, साहब, सुबह क्राइम हो गया, साहब, चेन लूट ली। तो ये अपराध की जो आदतें हैं ये हर राज में होती रही हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि जो राजस्थान में एक ईमानदार गृह मंत्री गुलाबजी को बनाया। और हमारे डी.जी. हैं। दोनों की इच्छा-शक्ति है, मंत्रीजी की और डी.जी. साहब की इच्छा-शक्ति है कि इस पुलिस तंत्र को कैसे न कैसे सुधारें। चिंता में रहते हैं।

अब थाने में मानवाधिकार आयोग आ गया, साहब। अब मुल्जिम को सामने कुर्सी पर बैठा कर पूछोगे कि तू ने चोरी की, तू ने डकैती की, तू ने लूट की? तो बता देगा क्या? बहुत-सी समस्याएं हैं पुलिस के सामने। पुलिस की समस्याओं को देखते हुए मंत्रीजी और डी.जी. साहब का है कि व्यवहार पुलिस का ठीक हो। कोई थाने में जाए तो एफ.आई.आर. दर्ज हो। होती भी है। अब किसी कारण से कोई एकाध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो और उसके कारण से हम यहां बैठ कर एक ही बात कह दें कि थाने में जाते हैं तो एफ.आई.आर. तो दर्ज होती ही नहीं है, यह सही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और नेता का तो चोली-दामन का साथ है। चाहे कोई फिल्म देख लो, चाहे बैठे-बैठे जनता से बात कर लो, नेता और पुलिस दोनों एक हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): मतलब क्या है?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मतलब यह है कि अपन जो यहां बात करें ...

श्री उपाध्यक्ष: दोनों को पब्लिक की चिंता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): दोनों को पब्लिक के अन्दर छवि सुधारनी पड़ेगी, मैं यह बात कहता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): सरकार की हालत आज आपने पहली बार बतायी है कि आपको अपनी छवि सुधारनी है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है कि आपके लिए भी यही चीज लागू है। अब इसको कोई आदमी कह देता है और कोई नहीं कहता।

यहां पर आ गये, विधायक बन गये, सब एक-दूसरे पर छींटाकशी करने लग रहे हैं। वहां से खड़ी होकर नवलगढ़ से आने वाली विधायक यहां पर बोलने लगीं, बहुत अच्छा बोल रही थीं। आज शराब माफिया को अगर असली

(श्री धर्मपाल चौधरी)

रूप में खतम किया है तो इस राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने खतम किया है। हमने बहुत लम्बे समय तक ठेकेदारी भी की हुई है, लोग वहां से खड़े हुए और कह देते हैं, बहुत-से लोग हैं, वहां भी काम करने वाले होंगे, लेकिन क्योंकि अभी अपना सब का रिकार्ड तो वैब साइट पर है, हमारे यहां 323 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ मेरे खिलाफ। कोई भी कोई काम करता होगा, अब अपन आपस में एक-एक के जीवन पर जाने लग जाएं कि आपने क्या किया तो 200 के 200 यहां लड़ते रहेंगे आपस में कि आपने यह किया। यही लड़ाई लड़ने के लिए आये हैं क्या यहां पर?

प्रतिपक्ष के नेता को एक ही थोड़ी-सी बात कही थी तो प्रतिपक्ष के नेता ही कहने लग गये। दो बार जनता ने विधायक बनाया, ऐसे ही नहीं बनाया। एक बार गलती से बन जाएं, लेकिन दोबारा बन कर आये हैं। अपन सब संगठित होकर किसी भी काम को करने की इच्छा-शक्ति नहीं रखेंगे तो किसी भी बात में सुधार नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक भी अधिकारी, कर्मचारी आपस में नहीं लड़ता है। पूरी विधान सभा में कभी भी कोई अधिकारियों, कर्मचारियों के मामले में मामला आता है तो अधिकारी पक्ष के सामने से पर्चियां आती हैं और मंत्री उसी के ऊपर बोलते हैं। इनको यहां पर सस्पैण्ड करना और उनको नौकरी से निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन हम पक्ष में, सत्तापक्ष में उधर और इधर बैठने का सिस्टम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार हम यहां पर बैठे थे, अब इधर आ गये। लेकिन हम यहां बैठ कर किसी बात पर चर्चा सिर्फ इसीलिए करें कि कोई अच्छा काम कर रहा है, नहीं, हमें तो बताना ही नहीं। कि हां पक्ष और ना पक्ष लिखा हुआ है। हम हां पक्ष में हैं और आप ना पक्ष में हैं। अगर कोई भी काम अच्छा होता है तो हमको कहना चाहिए कि यह अच्छा काम है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी यह है कि सरकार के तंत्र के अन्दर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप सरकार को सजग करें, आप सरकार के सामने वो बात रखें जिससे कि अच्छी बहस हो। इसमें कोई भी अधिकारी और चाहे और कोई भी हो, सरकार की भी मंशा ऐसी नहीं हो कि उसको बचाने की कोशिश करे। अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो उस अधिकारी को सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात को अगर आप और हम लेकर चलेंगे तो मैं कहता हूं अच्छी, सार्थक बहस होगी और आपस में छींटाकशी नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों की आदत है छींटाकशी

(श्री धर्मपाल चौधरी)

की, उनसे वही निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपस में छींटाकशी न करें। पर्सनल लाइफ है, हर आदमी की अपनी-अपनी जिंदगी है, उसके बारे में यहां पर कम से कम नहीं बोलें। आप बोलेंगे तो हम भी कोई न कोई बोलेंगे। हर आदमी के जीवन में क्या-क्या निकला, वैसे भी राजनीति में कहते हैं कि जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसी के अगर मां-बाप का पता नहीं हो तो चुनाव लड़ने जाए जब जनता बता देती है वहां पर। तो वहां से आकर जब हम यहां बैठते हैं तब तो कम से कम इस बात में नहीं पड़ें।

अब पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, पुलिस का मनोबल बढ़ना चाहिए। तीन साल से, हमारी सरकार आने के बाद चाहे पुलिस की नयी भर्ती की बात हो, हमने दो साल में 6000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की। अभी बजट में मुख्य मंत्रीजी ने आने वाले दो साल में 5200 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की बात की। जहां तक प्रमोशंस की बात है, पाँच साल के राज में आपने पुलिस बल को हमेशा कमजोर किया, आपने पदोन्नतियां दी नहीं। हमारी सरकार ने आने के बाद में जितनी पदोन्नतियां दी हैं, चाहे ए.एस.आई. के पद हों, चाहे हवलदार बनाने की बात हो, चाहे हवलदार से ए.एस.आई. हो, ए.एस.आई. से थानेदार हो, थानेदार से डीवाई.एस.पी. है, एडीशनल एस.पी. है और आई.जी. है, डी.आई.जी. है हर पोस्ट में इस सरकार ने एक साल में जिन-जिन पर पदोन्नति चाहिए थी, उनकी पदोन्नति की।

(समय : 21.47 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अब हमारे क्षेत्र के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। अलवर जिले में नीमराणा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हैं और इलाका हरियाणा के नजदीक सटा हुआ है, दिल्ली भी उसके नजदीक है, वहां पर क्राइम को बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस हैं इसलिए नीमराणा में जो पुलिस चौकी है उसको थाने के रूप में क्रमोन्नत करना चाहिए। मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में जो बार्डर पर गांव हैं, अंग्रेजों के जमाने से पुलिस चौकी है वहां पर, उस अजरगा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करना चाहिए। इस भिवाड़ी और नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस तंत्र को ठीक करने के लिए अगर पुलिस को कोई भी काम वहां पर है, वहां पर नया थाना खोलना पड़े या चौकी करनी चाहिए, समय से पहले उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद ए.सी.डी. है, जो निकम्मे से निकम्मा अफसर होगा, जिसकी सिफारिश नहीं होगी उसको लगाते हैं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और क्राइम, इन दोनों विभागों की तो सीधी भर्ती होनी चाहिए और जो उस विभाग में भर्ती हो जाए उसका ट्रांसफर पुलिस विभाग में नहीं होना चाहिए, तब इसका तंत्र सुधर सकता है। आज पुलिस का भ्रष्ट अफसर वहां पर लगा हुआ है, छोटा अधिकारी, कर्मचारी, वो किसको पकड़ेगा? वो पकड़ेगा पटवारी को, दूसरे महकमे के लोगों को। आज तक पुलिस तंत्र में कितने लोगों को, पुलिस के अफसरों को, किस को पकड़ा? इसलिए भ्रष्टावार निरोधक विभाग जो है उसकी भर्ती सीधी होनी चाहिए, क्राइम ब्रांच की भर्ती भी सीधी हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में आज दूसरी न्याय प्रशासन पर बहस हो रही थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में भी बहुत लम्बी-चौड़ी बहस यहां पर हुई। मैं अलवर का उदाहरण देना चाहता हूं कि अलवर की कोर्ट में एक रीडर पकड़ा जाए रिश्वत के मामले में। उस रीडर को पकड़ने के बाद वहां पर सरेआम फोटो खींची है, वहां पर दंगा फसाद हो, एक पत्रकार को छत पर से नीचे डाल दिया जाए, उस पत्रकार के कैमरे को दीवार के मार-मार कर तोड़ा जाए और पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा देखता रहे और फिर कोई कार्यवाही नहीं हो क्योंकि जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां एक एल. डी. सी. पकड़ा गया, एक कर्मचारी पकड़ा गया। औरों पर तो कानून लागू हो और वहां पर कानून नहीं लागू हो, यह भी बहुत दुःख की बात है। ऐसे में भी कार्यवाही बेधड़क हमको करनी चाहिए। जो दोषी है वह चाहे कितना ही बड़ा, कोई भी आदमी हो उसके खिलाफ कार्यवाही हो।

नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेवों के साथ भेदभाव होता है, मेवों की मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी अलवर के हैं, हम भी अलवर से एम. एल. ए. हैं, तीन बार साम्प्रदायिक दंगा होने की बात अलवर में आयी, तीनों बार मेव जाति के लोग थे जिनके हाथ से वहां पर मर्डर हुआ। मूसाखेड़ा का बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, तीन व्यक्ति उसमें मरे हैं। मैं तो मुख्य मंत्रीजी को, मंत्रीजी को और पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस मामले को जिस मुस्तैदी से निपटाया और वहां पर साम्प्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। उन लोगों को हम सब लोगों ने बीच में जाकर चाहे भारतीय जनता पार्टी का मामला हो, चाहे

(श्री धर्मपाल चौधरी)

कांग्रेस का मामला हो, क्रिमिनल कोई भी आदमी होता है उसकी पूरी कौम दंगा नहीं करती कि पूरी कौम के ऊपर, पूरे मजहब के ऊपर कोई बात आए, हमने कहा कि जिन्होंने दोष किया है उन छत्तीस परिवार के लोगों को चाहे पकड़ो, उनको कोर्ट देगा फांसी, सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन बड़ी मुस्तैदी से मंत्रीजी ने डी. जी. पी. साहब ने और वहां पर लोकल पुलिस ने बड़े ढंग से निपटाया। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ही मुस्लिमों के रक्षक हो। आपके समय में आप रिकार्ड उठा लो, साम्प्रदायिक दंगे जितनी बार भी हुए क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है। आज जो आदमी क्राइम करता है उस क्राइम करने वाले आदमी को अगर कोई मदद मिल जाती है, उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। यह सोचता है कि मेरे को मदद नहीं मिलेगी, तू क्राइम करेगा तेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं होगा। गंगापुर सिटी भी गए थे, एम. एल. ए. साहब गंगापुर सिटी वाले बैठे हैं, गंगापुर दंगे में हम गये थे और देखकर भी आए थे। उसके बारे में विधायकजी इस विधान सभा में भी आकर बोले, मेरे साथ यह हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं एक मिनट में कनक्लूड करता हूं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले के बारे में जो जो आपसे मांग रखी है उस पर विचार करेंगे। न्याय प्रशासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मुण्डावर उपखण्ड है इस पर ए. डी. जे. कोर्ट का कैम्प हो। हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि किशनगढ़ से सात दिन के लिए कैम्प कोर्ट अगर ए. डी. जे. का हो जाए तो हमारे उस क्षेत्र की समस्या दूर हो जाए।

दूसरा खैरथल थाना, आधे गांव मुण्डावर के खैरथल थाने में लगते हैं। अब वहां के जो केस हैं वे किशनगढ़ की कोर्ट में जाते हैं। मैं इस बारे में भी पहले निवेदन कर चुका कि अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसको जाना पड़ेगा किशनगढ़ और बाकी सब काम के लिए आना पड़ता है मुण्डावर। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि जितने भी मुकदमे खैरथल थाने में मुण्डावर के दर्ज हों, उनको मुण्डावर की कोर्ट में पेश करने का आदेश पारित करेंगे। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-6, 16 व 17 में माननीय मंत्रीगण की रिप्लाई एवं तीनों मांगों के पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अब मैं मंत्रियों के जवाब करवाऊंगी क्योंकि दस बज गये हैं ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): एक-एक घंटा वाहियात बातों में समय गुजर जाता है ...(व्यवधान) नये-नये सदस्य आते हैं उनको आप सुनना ही नहीं चाहते ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दो-दो मिनट तो देओ, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में कोई नहीं मानते हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): दो मिनट में मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट की बात कह रहे हो ...(व्यवधान) पन्द्रह मिनट में भी नहीं मानते हो ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): दो-दो मिनट क्यों, हम कोई दो दो मिनट की भीख मांगते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब मैं मंत्री का जवाब करवाऊंगी।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में बात समाप्त कर देंगे।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): दो मिनट की क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप नहीं करते हैं दो मिनट में। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): नहीं, दो मिनट के आदेश की पालना होगी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य जो सत्ता पक्ष के हैं वे अपनी पार्टी की मीटिंग में बोल लेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवरात्रे चल रहे हैं, अगर इतनी देर तक सदन चलेगा तो सुबह पूजा पाठ करके सदस्य किस प्रकार से आएंगे?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मुख्य-मुख्य बातें दो मिनट में बोल देंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहती हूं कि यह सदन के नियमों के विपरीत है कि माननीय सदस्य अपना भाषण दें और देकर चले जाएं। मैंने नोट कर लिया है नाम कि कौन-कौन ने यहां पर भाषण दिया और कौन यहां से उठकर चला गया। मैं अब उनको बोलने का दूसरी मांग पर मौका नहीं दूंगी।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो जाए तो ......

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में सुबह पूजा-पाठ करके आना पड़ता है सभी सदस्यों को, बारह बजे तक सदन चलाएंगे तो किस प्रकार से अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर सकेंगे, आप थोड़ा यह तो ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष: मैं तो खुद भी महसूस कर रही हूं कि बहुत-से लोग नवरात्रे कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): इस सदन में एक-एक घंटा तो कई वाहियात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है माननीय सदस्यगण, आप लोगों ने जो कटौती के प्रस्ताव दिए हैं, यदि आपको बोलने का मौका सदन में नहीं भी मिला तो भी उनके जवाब आपके पास रिटिन में चले जाएंगे इसलिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): तो यह सबके लिए मान लो आप। यह तो सबको कह दो आप। फिर क्या बोलने की जरुरत है?

श्री अध्यक्ष: मैं जवाब दिलवाऊंगी मंत्रीजी से।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

अलावा भी दो-दो बातें हैं, कट मोशन के बाद भी छोटी-छोटी बातें हैं, जो सुझाव हैं दो-दो मिनट में खतम कर देंगे। दो-दो मिनट में ।

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट में नहीं करोगे खतम।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): दो मिनट में, आप समय देख लीजिए, दो मिनट में बात समाप्त करेंगे हमारी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह तो सदस्यों के साथ अन्याय है, मैं स्पष्ट कहता हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: 9 बजकर 56 मिनट हुए हैं, मैं आपको दो मिनट का समय दे रही हूं और 10.58 पर आपको बंद करना पड़ेगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): 57 हो गये हैं, 57 के हिसाब से....

श्री अध्यक्ष: नहीं, 56 हुए हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): 57 हो गये।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये आप दो मिनट में ।

मांग संख्या 6, 16 व 17 पर विचार

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन, मांग संख्या 16- पुलिस और मांग संख्या 17- कारागार पर मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए संक्षेप में अपनी दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। न्याय प्रशासन में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता को शीघ्र सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने के लिए मुकदमों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान सरकार करे। इसके अलावा माननीय विधि मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रागपुरा थाना क्षेत्र के जितने भी मामले हैं वे कोटपूतली अपर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में सुने जाते हैं। अपर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में उस प्रागपुरा थाने के अलावा कोई मामले नहीं सुने जाते हैं। बीस किलोमीटर तक जाकर परिवादियों को परेशानी उठानी पड़ती है। मेरा आग्रह है कि इसमें बजट का कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं, केवल उस न्यायालय को कोटपूतली से पावटा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस न्यायालय को पावटा में स्थानांतरित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

दूसरा पुलिस के मामले में दो-तीन सुझाव विशेष तौर से देना चाहता हूं। एक तो जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा चरित्र सत्यापन किया जाता है वह बहुत बड़ी लम्बी प्रक्रिया है। मेरा, अध्यक्षजी, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से और आपसे निवेदन है कि चरित्र सत्यापन पुलिस अधीक्षक के बजाए डी वाई एस पी या सम्बन्धत थाना अधिकारी के स्तर पर ही करवाया जाए। मैं समझता हूं, सौ डेढ़ सौ किलोमीटर दूर पुलिस अधीक्षक के पास जाकर जो करैक्टर सत्यापन करवाते हैं उससे बहुत भारी परेशानी होती है जिससे बचा जा सकता है।

एक विशेष तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राज मार्गों से आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में थानों में लगा हुआ स्टाफ लगता है । माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए अलग से स्क्वाड की व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा काम आप कर पाएंगे।

एक मैं यह कहना चाहता हूं कि डिप्टी एस पी से एडिशनल एस पी में प्रमोशन के 42 पद रिक्त हैं । आपने केवल 29 को पदोन्नति दी है, आप बाकी तेरह को क्यों छोड़ना चाहते हैं? उन तेरह को भी साथ में पदोन्नति देकर 42 पदों को भरने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी बात होगी।

श्री अध्यक्ष: बात आ चुकी है पहले।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): एक बात और कह दूं, शेट्टी कमीशन की सिफारिशें जो किसी भी दवाब में लागू की गयी हैं क्या सरकार उन सिफारिशों को वापस लेने का विचार रखती है और पैसों को जन समस्याओं के लिए, जन कल्याण के अन्दर खर्च करना चाहती है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिसकर्मियों को राजस्थान रोडवेज में जाने-आने की सुविधा आथेन्टिक रूप से नहीं मिली हुई है। मेरा आपसे आग्रह है, सभी पुलिसकर्मी भाइयों की एक मांग है इस बात के लिए कि उनको मुकदमों के निस्तारण के लिए और जिलों में कैदियों को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए जरुरत पड़ेगी। माननीय अध्यक्षजी, आपसे निवेदन है कि प्रत्येक कर्मचारी की तनख्वाह से पचास सौ रुपये काटकर के राजस्थान रोडवेज में उनको जाने की अगर सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए तो सारे 72,000 पुलिसकर्मियों के लिये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। राजस्व भी

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

आपको इससे मिल पाएगा। इसके लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था...

(समय : 22.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: 10.00 बज गये। अब नहीं। आपने केवल दो मिनट कहा था, तीन मिनट मिल गये आपको।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम जन का पुलिस में सहयोग स्थापित करने के लिये पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता है। थानों के अन्दर जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी, मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक तरीके से मुकदमों का निस्तारण हो, वैज्ञानिक तरीके से इनवैस्टिगेशन हो, वैज्ञानिक तरीके से यह किया जाए, इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): इतनी देर से तो हम लोग बैठे हैं, 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का हो रहा है, एक महिला बोली है सिर्फ।

श्री अध्यक्ष: आपको केवल दो मिनट का समय दे रही हूं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: क्योंकि अकेली महिला आप ही बैठी हुई हैं इसलिये दे रही हूं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर शहर में महिला थाना खोलने के लिये मैंने मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव लगाया है। पहले भी हमारे गृह मंत्रीजी को मैंने कहा था कि सीकर शहर में एक महिला थाना खोला जाए और आपने सहर्ष स्वीकार भी किया था, लेकिन अभी तक महिला थाना नहीं खोला गया है। महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं पर दहेज, बलात्कार जैसे अत्याचार, उनको घर से निकालना, उनका स्त्री धन छीन लेना बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिसमें महिलाओं की भर्ती होगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में भी कहा है कि महिलाओं को लेंगे तो महिलाओं का जो थाना खुलेगा, महिलाओं की समस्या महिला ही समझती है ऐसा मैं समझती हूं, इसलिये जो जांच दी जाए वह महिला को ही दी जाए। मैं महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति की सदस्य हूं, हमने थानों में जाकर देखा है कि जितना स्त्रीधन है वह बाहर सामान के रूप में पड़ा रहता है। न तो वह उस स्त्री के काम आता है और न दहेज लेने वालों के काम

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

आता है। उसका सदुपयोग हो, इसका गृह मंत्रीजी आश्वासन दें। या तो उनके यहां लौटा दिया जाए या फिर समाज कल्याण विभाग में भेजकर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए। अभी बहुत-से हमारे माननीय सदस्यों ने, विद्वान लोगों ने बहुत सारी बातें बतायी हैं, उसके बीच में हम नहीं जाना चाहेंगे। हम तो कहेंगे कि हमारे पुलिस की भर्ती ज्यादा से ज्यादा ली जाए। महिलाओं पर अत्याचार कम किये जाएं। एक बात बहुत-से माननीय कह रहे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी नीमकाथाना गयी थीं, वहां से पहले एक सदस्य थे, मैंने उनको नहीं देखा है, आदरणीय मोहन लालजी मोदी साहब, उन्होंने कहा कि इतने मुख्य मंत्री रहे लेकिन किसी ने भी शराब पर ऐसी रोक बंदी नहीं की। आप ही के सदस्य कह रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने एक महिला होते हुए भी इस तरह का काम किया है वह किसी के भी वश की बात नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगी, भ्रूण हत्या महिलाएं नहीं करातीं, पुरुष भी उन पर जोर डालते हैं। भ्रूण हत्या हो रही हैं, पढ़े-लिखे लोग भ्रूण हत्या करवाते हैं। गांव के लोग भ्रूण हत्या नहीं कराते हैं उनको तो पाप और धर्म का डर रहता है। जितने भी डाक्टर हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं सिर्फ वे भ्रूण हत्या करवाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब गौ माता भगवान के पास जाती है कि मेरी रक्षा कीजिये। पहले गौ माता का बछड़ा जन्म लेता था, आठ महीने में हजारों रुपये में बिकता था। आज गौ माता के बछड़े डंडे खा रहे हैं। थोड़े ही दिन की बात है कि भ्रूण हत्या नहीं होगी, ये पुरुष बछड़े डंडे खाएंगे, महिलाएं राज करेंगी, मैं आपको कहती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं क्षमा चाहती हूं आपसे। अब 10.04 हो गये हैं ... (व्यवधान) आप नहीं बैठेंगे।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): दो मिनट में कह लेंगे ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कंटीन्यू रखना चाहती हैं डिबेट तो अब हमारी तरफ से बुलवाइये। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपकी कृपा होगी तो हम दो मिनट में कह देंगे। (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): दो मिनट में अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हरिमोहन शर्माजी बोलेंगे क्योंकि उधर से दो माननीय सदस्य बोल लिये।

श्री अध्यक्ष: हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य एक घण्टे से पहले बैठेंगे नहीं, आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): 15 मिनट में। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): दो मिनट का समय दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): दो मिनट बस मेरे क्षेत्र में ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वर्ना आप मंत्रीजी से जवाब कराइये।

श्री अध्यक्ष: आप सब का देखिये ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): जवाब क्यों कराएं ? उधर से तीन बोल लिये तो फिर काहे का जवाब? उधर से तीन बोल लिये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊंगा। दो मिनट के लिये ... (व्यवधान) केवल दो मिनट ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। घनश्याम तिवाड़ीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मपालजी बोल लिये, राजकुमारीजी बोल लीं, सुभाष शर्माजी बोल लिये, तीन-तीन बोल लिये। हिण्डोली से आने वाले सदस्य को दो-पाँच मिनट बोल लेने देंगे तो क्या हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: आप पैरवी न करें, वह रोज बोलते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातें बता दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप नहीं। अब विराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): एक सैकिण्ड। मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं एक चीज आपकी नालेज में डाल दूं उसका जवाब दे देना। एक-दो लाइन की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात। यह कोई बात हुई ? आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन कई बार आसन की अवहेलना करके अपने नम्बर कटा लेते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): मैं तो आपकी आज्ञा के बिना तो बोलूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष: अब उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। बोलना शुरू कर दिया, आप बीच में बोलोगे, अच्छा लगेगा क्या ? आप क्वेश्चन पूछ लेना उनको।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): तो आप दो मिनट ... (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): केवल हमारे विधान सभा क्षेत्र की मांग हम बता दें आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो वह बोल कर बैठें तब आपको क्वेश्चन पूछ लेने दूंगी। बाकी अब आप नहीं। प्लीज अब नहीं। मैं आपसे फिर कह रही हूं, अब नहीं। अब इनको बोल लेने दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप तो सुन लो। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। अब नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): जिस क्राइम रेट होने की बात यह करते हैं ... (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): यह प्रक्रिया गलत है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): ×××

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही आप।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 73 माननीय सदस्यों ने 192 कटौती प्रस्ताव मुझे दिये हैं। उनका प्रत्येक का जवाब तैयार है, मैं आपके पास व्यक्तिशः उसको आने वाले 2-3 दिन में पहुंचाऊंगा। उसके बाद भी कोई माननीय सदस्य यहां पर कुछ बोले हों और अगर मान लो, 10-15 दिन में मेरा उसके बारे में भी आपको जवाब न जाए तो आप मुझे दुबारा कहें। मैं आप प्रत्येक ने जो भी विषय उठाया है उस सारे विषय को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि इसमें क्या रहा, कहां कमी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रही, अगर उसमें कहीं सफलता नहीं मिली तो मैं आगे क्या प्रयास कर रहा हूं। जिस भावना से आपने यहां विषय को उठाया है मैं उसके अनुसार आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

मैं अपनी बात को इस आधार से नहीं कि पिछली सरकार में क्या हुआ और हमने क्या किया या नहीं किया, कुछ विषय जो आपने उठाये हैं मैं पहले तो उनके बारे में थोड़ी-सी जो भी जानकारी है, दे दूं, कि जो अर्दली लगे हुए हैं जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत कुछ मैनपावर कहीं रिटायर्ड लोगों के पास में या कहीं और जगह है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सौ प्रतिशत तो मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी लेकिन मैं जरूर प्रयास करूंगा कि उसमें पचास प्रतिशत से अधिक सफलता मिलेगी। मैं उस मैनपावर को फिर से अपने इस काम में लेने का प्रयास करूंगा।

सभी विधायकों को जहां तक गनमैन देने का सवाल है, यद्यपि मैंने बाकी लोगों को, मेरे मन की इच्छा है कि जो भी एम एल ए बनकर आते हैं उन्हें निश्चित रूप से गनमैन मिलना चाहिये, कुछ लोगों को मिले, कुछ को नहीं मिले। जो आग्रह करके ले लेते हैं वह लगा लेते हैं और कुछ रह जाते हैं। मैं अगले वर्ष इस बात का प्रयास करूंगा कि जितने भी एम एल ए हैं उनको निश्चित रूप से गनमैन मिले।

जहां तक टौंक की ठगी का प्रकरण है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जनता के प्रतिनिधि को क्या आवश्यकता है गनमैन की ? जनता के प्रतिनिधि को क्या आवश्यकता है गनमैन की ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब जैसा महसूस करते हैं तो ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सबसे बड़ी जनता की प्रतिनिधि तो मुख्य मंत्रीजी और आप ही हैं, आप दोनों भी सरेंडर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: हमने तो कर रखा है सरेंडर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): टौंक ठगी का प्रकरण माननीय सदस्य ने उठाया, उसमें हमने उसके भाई, उसके पिताजी को और बाकी मुल्जिमों को पकड़ा है। 20 लाख रुपया उनसे रिकवर भी किया है। कुछ उनकी प्रापर्टी भी हमने सीज की है। मेन मुल्जिम एक बाकी है जिसको हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में निश्चित रूप से भू-माफियों का एक शिकंजा यहां बना है, इसके लिए हम यहां एक यूनिट अलग से गठित करेंगे ताकि भू-माफियों को किसी तरह से कंट्रोल कर सकें। जहां तक मालखानों का सवाल है, हमने लगातार इन दो महीनों में मानिटरिंग की है, 60-70 प्रतिशत मालखाने का डिस्पोज आफ किया है। लेकिन कुछ विषय रह गये हैं जिनके बारे में कोर्ट से नहीं मिला है उनको हम डिस्पोज आफ नहीं कर सकते हैं तो वह पड़ा है। हम हर दो महीनों में मानिटरिंग करते हैं सारे मालखाने की।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमिश्नरी का सवाल है, अभी हमारा विचार चल रहा है, कमेटी इस बारे में विचार कर रही है, अभी किसी फाइनल स्टेज पर तो हम नहीं हैं। आज भी सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से विचार आये हैं, दोनों को ध्यान में रखकर अगर उपयोगी होगा और सब लोगों की राय बनेगी तो निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में वी.आई.पी. डयूटी के लिये एकदम तो नहीं कह सकते हैं कि इसको हम कल लागू कर देंगे, लेकिन प्रारंभिक रूप में जयपुर शहर में वी.आई.पी. को लाने और छोड़ने के लिये अलग से कोई व्यवस्था बने ताकि हमारे जो रैगुलर थाने हैं वे किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हों।

अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था और अनुसंधान का जहां तक सवाल है, विषय तो सिद्वांतत: स्वीकार करते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। हमने केन्द्र सरकार के सामने भी विषय रखा है कि हम इन दोनों को सिद्वांतत: स्वीकार करते हैं लेकिन इसको तुरंत लागू नहीं कर सकेंगे। लगभग पाँच साल के समय की हमको इसमें आवश्यकता पड़ेगी। केन्द्र की आर्थिक मदद की भी इसमें हमको आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें हमको उतना ही स्टाफ तैयार करना पड़ेगा और उसके लिये हमको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम इसको तुरंत लागू नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम इसको सिद्वांतत: मानते हैं और इसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक एफ.एस.एल. के रिक्त पदों के बारे में है, दिसम्बर में जरूर 140 थे, इस समय केवल 95 रिक्त पद हैं। अभी हमने 104 लोगों का सलैक्शन किया था और उसमें से 103 को हमने ले लिया है। 20 अभी आरपीएससी में गये हुए हैं जिनकी हम भर्ती कर रहे हैं। यह बात जरूर है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि इस यूनिट को जितना हम सशक्त करेंगे उतना ही अनुसंधान हमारा अधिक होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक विषय था कि सी.आई.डी. को हम स्ट्रेंथन करें, उनको एक्सट्रा बेनिफिट देकर इस सर्विस को स्ट्रेंथन करने के लिये विचार बना है और मैं सोचता हूं कि अगले वर्ष इसको हम लागू करने की स्थिति में आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक सुझाव था कि हमारे संभागीय केन्द्रों पर जितने भी कांस्टेबल हैं या हैड कांस्टेबल हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई की दृष्टि से छात्रावासों में रखें, तो हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभागीय केन्द्र पर आने वाले दो साल में सौ-सौ बच्चों का छात्रावास हम प्रारंभ कर देंगे और उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी कांस्टेबल के बच्चे को होगी। उसके बाद रिक्त स्थान रहेगा तो उसके ऊपर के लोगों को लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में किसी प्रकार की कोताही बरतते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं है। हम लोगों ने बार-बार आग्रहपूर्वक कहा है, अगर कहीं से ऐसा समाचार आया है कि वहां पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है तो हमने चलाकर उनको कहा कि नहीं, एफ.आई.आर. दर्ज करो। मुकदमों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, इससे किसी भी राज्य की कानून-व्यवस्था नहीं नापी जा सकती है। अपराध होने के बाद अपराधी को सज़ा दिलाने में और न्याय दिलाने में हम कितने सफल हो सकते हैं, उसके ऊपर हमारा मापदंड रहेगा। इसलिए यह मन में संदेह होना कि हमने यहां से कोई आदेश जारी करके एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना किया, तो ऐसी बात नहीं है, यह मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: हमने गत वर्ष जो बजट में घोषणा की, हमने शत-प्रतिशत तो नहीं, लेकिन उसके अंदर ही पालना की है। 6 हजार कांस्टेबलों की भर्ती की बात की, उसको हमने पूरा किया है। सभी थानों के कम्प्यूटराइजेशन की, मैं सभी विधायकों को और सांसदों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे विभाग के लोगों ने उनसे सम्पर्क किया और उनके सहयोग से और कुछ विभाग के मोडर्नाइजेशन के आधार पर मैं 31 मार्च के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिन तक यह विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के 711 थाने हैं ये सारे कम्प्यूटराइज्ड हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार यहां बजट में घोषणा की थी कि हम लगभग 25 हजार कांस्टेबलों की ट्रेनिंग हर साल करेंगे। आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा और प्रसन्नता भी होगी कि हमने 25 हजार का जो ट्रेनिंग करने का लक्ष्य रखा था उसकी जगह 35137 लोगों को हम ट्रेनिंग करा सके।

अध्यक्ष महोदय, विधि प्रयोगशाला की दृष्टि से भी हमने उदयपुर की जो संभागीय लैब है उसको शुरू कर दिया है। जोधपुर की हो गयी, कोटा की इस समय बन रही है, कुछ हमारे इंस्ट्रुमेंट आ गये हैं, कुछ आने हैं, वह भी तैयार हो जाएगी। तीस जो मोबाइल यूनिट हमको तैयार करनी थी जो हमने पिछले बजट में कहा था, उसमें से 16 हमने प्रारंभ कर दी हैं। जैसा कहा था, कुछ गाड़ियां जो अभी भी काम नहीं आयीं, 16 यूनिट अभी चालू हुई हैं, 14 अभी बाकी हैं। मैं सोचता हूं कि आने वाले एक-दो महीने में हम इन 14 मोबाइल यूनिट को भी प्रारंभ कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपको और मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि राजस्थान में हमने पहली बार इस बात की कोशिश की कि कुछ मॉडल थाने तैयार किये जाएं प्रत्येक जिले से। सरकार ने भी प्रत्येक थाने को मॉडल थाना बनाने के लिए पचास हजार रुपये सहायता के रूप में दिये। पिछली बार एक सर्टिफिकेट मिला था हमको विधायक पुरी का आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट। हमने बराबर प्रयास किया और अभी राजस्थान के 41 थानों को आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट मिला है। हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में इतने थानों को आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट नहीं मिला। 165 थाने अभी पाइप लाइन में हैं, अगर हम उसमें सफल हो गये तो 711 में से 200 थाने हम आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट के लायक थाने बनाएंगे। आपको और मुझे इस बात की खुशी है। वास्तव में इसका धन्यवाद तो हमारे सारे के सारे अधिकारियों को और वहां काम करने वाले लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने इस दिशा में काम किया। हमारी भी कल्पना नहीं थी, मुझे भी यह पता नहीं था कि राजस्थान में और विशेषकर जयपुर में भी ऐसा थाना है जो एशिया के कंपीटिशन में है। नीदरलैंड की एक एन.जी.ओ. है अल्टास, उसने इस सारे का सर्वे किया और एशिया में दो प्राइज, पहला प्राइज शिप्रा पथ को और दूसरा स्थान भी रामगंज को मिला। यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके लिये, मेरे लिये और राजस्थान के सब लोगों के लिए एक सम्मान है। आने वाली 5 तारीख को नीदरलैंड में ही उनका सम्मान होगा। जिसमें हमारे आई.जी. और शिप्रा पथ के जो हमारे एस.एच.ओ. हैं सुनील पूनिया, ये दोनों वहां जाकर पुरूस्कार लेकर आएंगे। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको बधाई देता हूं। इसी प्रकार से मेरे और साथी इसी प्रकार का प्रयास करें कि अगली साल इसमें हमें और सफलता मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैने दस हजार हाउस निर्माण करने के लिए भी विधान सभा में कहा था। हम प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं कि कौन से जिले में, कौन से स्थान पर कितने बनेंगे। जमीन हमने तय कर ली, केवल लोन के अंदर हमको थोड़ा-सा विलंब हुआ है। मैं सोचता हूं कि इस वर्ष और अगले वर्ष तक दस हजार पुलिस के लिये जो क्वार्टर बनाने के लिए घोषणा की थी, हम उसको पूरा कर लेंगे।

जहां तक बजट का सवाल है, मैं आपकी और हमारी कोई तुलना नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमने इस बात की बराबर मान्टिरिंग की, जो कुछ बजट हमको मिला, वह बजट हमारा पूरा खर्च हो गया। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि 1999-2000 में 660 करोड़ का जो हमारा बजट था, इस बार राजस्थान की पुलिस का बजट 1111 करोड़ का हुआ जो कि लगभग दुगना है। हर साल आपने देखा होगा, 2000 में हम अपने बजट का 38 करोड़ खर्च नहीं कर पाये, 2001-02 में हम 57 करोड़ का उपयोग नहीं कर पाये, 2002-03 में भी 51 करोड़ का उपयोग नहीं कर पाये, 2003-04 में भी 10 करोड़ का उपयोग नहीं कर पाये। लेकिन 2004-05 में 2 करोड़ 38 लाख रुपया हमने अतिरिक्त खर्च किया, 2005-06 में 14 करोड़ 99 लाख अतिरिक्त खर्च किया। यानि शत-प्रतिशत जो बजट हमें मिला उसको हमने पूरा उपयोग किया। बजट की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि राजस्थान में आप सब लोगों की भावना थी, हिन्दुस्तान में सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल हमारे पास है, जनसंख्या जो हमारी 1971 में ढाई करोड़ थी, वह आज 6 करोड़ के आसपास पहुंच गयी है। पुलिस बल जो उस समय हमारा 36 हजार था, आज वह लगभग 65 हजार के करीब पहुंचा है, यानि दुगने से भी ज्यादा। क्राइम जो हमारा 38 हजार था, वह आज लगभग 1 लाख 50 हजार के आसपास पहुंच

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गया है। निश्चित रूप से हमें इस दृष्टि से अभी भी अभाव है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो कुछ मुख्य मंत्रीजी ने हमें दिया है वह मैं आपको आगे बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी पुलिस का बहुआयामी काम हो गया है। आजकल पुलिस का काम सीमित नहीं रहा है। रोज कोई न कोई जुलूस निकलता है, प्रदर्शन होता है, कोई धार्मिक फंगशन होता है, वी.आई.पी. डयूटी है। इतने काम उसके पास हो गये हैं उसके बाद भी जो कुछ उसकी क्षमता है उसके अनुसार कर रहा है। उसके बाद भी नये-नये अपराध के जो तरीके निकले हैं, साइबर क्राइम है, मादक पदार्थ हैं, तस्करी है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, कई प्रकार के कामों से वह जूझता रहता है। इससे भी ज्यादा जैसा मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह तो शहर की संख्या के आधार पर हम कह रहे हैं, कि एक लाख के ऊपर 102 पुलिस है लेकिन सच में अगर ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर कहें तो लगभग 2500 के ऊपर हमारे पास एक पुलिस मैन आता है। उसके बाद भी हमारे राज्य का सौभाग्य है कि कुछ तो जनता का ही सहयोग है और कुछ पुलिस की भी अपनी मेहनत है कि हम ठीक प्रकार से अपने काम को चला पा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इतनी कम पुलिस होने के बाद भी जो कुछ भी मैंने आंकड़े दिये, अगर आप उसका विश्लेषण करते तो आपके मन में भी संतोष होता। हमने लगातार इस बात की कोशिश की, चालानी परसेंटेज 2003 में सब में बढ़ा है। हमने केवल इस साल की ही मानिटरिंग नहीं की कि हमारा चालानी परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं, हत्या में जो 89.78 था वह अब 93.56 था, हत्या के प्रयास में 96 था, अब 98 है। डकैती में जो 84 परसेंट था वह अब हण्डरेड परसेंट है, लूट का 65 परसेंट था वह चालानी परसेंट अब 73 पर आया है। बलात्कार में 98 परसेंट था अब हण्डरेड परसेंट है। नकबजनी में केवल 28 परसेंट था अब 35 परसेंट है। चोरी में जिसमें हमेशा से चालानी परसेंटेज बहुत कम रहता है, यद्यपि 2003 में 25 परसेंट था उसको हम 29 परसेंट तक लाए। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे लोग इस काम में हैं, बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं और इस चालानी परसेंट को बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है।

मैं सोचता हूं कि अपने देश के अंदर हमारी जो क्राइम रिपोर्ट 2005 है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह आपने देखी होगी, निश्चित रूप से आपको, मुझे, सबको इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान का पेंडिंग केसेज का जो परसेंट रहता है, हर साल का चालान होने के बाद जो पैंडिंग केस रह जाते हैं उनका परसेंटेज केवल 3.9 है। हिन्दुस्तान में सबसे कम पैडिंग केस अगर कहीं पर हैं तो राजस्थान में है। उसमें हमें पहला स्थान मिला है, उसके कारण से आपको और हमको सबको प्रसन्नता है। इसी तरह से हमारा जो टोटल चालानी परसेंटेज है वह 80 है। हिन्दुस्तान में 10 राज्यों का 80 या 80 से ऊपर है, उसमें से राजस्थान भी एक है। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं कि सज़ा का परसेंटेत जो 42 चलता था सब प्रकार का मिलाकर, वह अब 58 पर आया है। हिन्दुस्तान में हमारा सज़ा परसेंटेज की दृष्टि से नवां स्थान है। इसी तरह से सम्पत्ति के अपराधों में सामान्यतया 23 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत है, हमारा सम्पत्ति के अपराधों में सज़ा का परसेंटेज 55.8 है। यानि निश्चित रूप से हमने इस बात की बराबर कोशिश की। अगर इसको आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हत्या का राष्ट्रीय जो एक लाख पर है 3.0 है, हमारा 2.0 है। इसी तरह से डकैती में राष्ट्रीय औसत 0.5 है, हमारा 0.1 है। इसी तरह से लूट में राष्ट्रीय औसत 1.6 है, हमारा केवल 1 है। इसमें जो ग्रेडिंग है उसमें हम 23वें स्थान पर हैं, ऊपर से लेकर काफी नीचे है। 2810 है तो प्रसन्नता का विषय होगा।

इसी तरह से आपने देखा होगा, मैं सोचता हूं और भी बातों के आंकड़ों में, हमने पुलिस बल में वृद्धि के लिए, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप सब लोगों का भी कि आपने हर सत्र में इस बात को उठाया कि पुलिस बल कम है। मुझे 6 हजार पहले और 5 हजार 200 अभी, यानी कुल 11 हजार 200 पुलिस बल इन तीन साढ़े तीन सालों की अवधि में मिलना अपने आप में पुलिस विभाग के लिए बहुत सुखद विषय होगा। यही नहीं हमने इस बात की कोशिश की, जो हैड कांस्टेबल हैं वे 9-18-27 के हिसाब से आल रेडी एस आई के वेतन को प्राप्त कर रहे हैं तो उनको एक साथ ही 1418 लोगों को प्रमोट करके एएसआई बनाया ताकि हमारी तफ्तीश की कार्यवाही बढ़े। इसी बजट में आपने देखा कि हमको 150 नई चौकियां मिली हैं। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है, मैं उसमें से देखकर कौनसी चौकी बन सकती है उसके बाद ही उसके बारे में करूंगा। लेकिन यह पुलिस का सौभाग्य है कि बड़े लम्बे समय के बाद, 1996 में हमको दो थाने मिले थे, यह पहली बार है जब हमको 150 चौकियां नई मिली हैं। वे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चौकियां भी वह 4-1 की नहीं, 1 एस आई और 6 कांस्टेबल की हैं जो 1 मिनी थाने के रूप में बन सकता है। तफ्तीश से लेकर सारा काम निश्चित रूप से उसमें होगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि पहरे पर लोग खड़े रहते हैं हमारे घरों पर, इनको हटा कर हम 8 सौ मिलिटरी के लोगों को उनके स्थान पर भरेंगे। 800 और हमको एक तरह से एक्स्ट्रा लोग मिले हैं उन 11200 के अलावा तो यह मिलाकर हमारी 12000 की स्ट्रेंथ बन जाती है। जेल प्रहरी 550, वे भी हमको स्वीकृत हुए हैं, भूतपूर्व सैनिकों में से लेकर उसको पूरा करेंगे। होम गार्ड के बारे में मैं सोचता हूं कि गुजरात में सबसे पहले ट्रैफिक के काम में लेना शुरू किया, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने इस बार के बजट में हमको साढ़े सात सौ होम गार्ड दिये जिनको हम ट्रेन करके ट्रैफिक पुलिस के रूप में उपयोग करेंगे। तो यह भी हमको मिला है। मैं सोचता हूं सभी रेंजों- 7 रेंज और गंगानगर और अलवर में इमर्जेन्सी रेस्पांस टीम का गठन किया है जिसमें 306 लोगों का हमने किया है ताकि विशेष प्रकार की घटना में इन लोगों का हम उपयोग ले सकें। आपको मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है, यद्यपि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, महिलाओं की बटालियन का क्या होगा, केन्द्र का पैसा है। पैसा केन्द्र का होगा किन्तु बच्चियां तो हमारे यहां की ही उसमें सलैक्ट होंगी। 1,037 बच्चियों का इसमें चयन होकर हाड़ी रानी के नाम से यह बटालियन बनेगी, इससे ज्यादा और क्या सुखद हो सकता है कि इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने मैंने तो इस बारे में एप्रोच भी बहुत ज्यादा नहीं की लेकिन उन्होंने चला कर ही, मेरे ध्यान में भी नहीं था, यह कोई बटालियन हमको मिलने वाली है, यह वास्तव में मेरे आग्रह से बाहर निकल कर उन्होंने जिस भावना से हाड़ी रानी के नाम से लगभग 1040 महिलाओं को इसमें लगाने का किया, पहली बार हमको इतनी उपलब्ध नहीं होगी, एक साल, दो साल में हमको निश्चित रूप से इसकी पूर्ति हो जाएगी।

जहां तक कानून व्यवस्था के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा, हमने इस बात की कोशिश की है, हम पर जो एक छाप लगी हुई है कि हम साम्प्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, हम साम्प्रदायिक दंगे करवाते हैं हम झगड़े कराते हैं तो मन में कई बार कचोटता है कि हमारे इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने के बाद भी बार-बार यह आरोप लगता है। इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे माननीय सदस्यों ने सारे आंकड़े रखे हैं। वर्ष 2001 में साम्प्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हुई वे 59 थीं, उसके बाद 2002 में 84

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थीं। 2003 में 39 थीं। यह तीनों सालों में मिलाकर 153 घटनाएं हुई। हम अगर अपने इन तीन सालों को मिलाएं तो दोनों तरह की घटनाओं को मिलाकर 2004 में 17 थीं, 2005 में 21 और 2006 में फिर 17, कुल 49 हैं। आपकी 153 घटनाएं और हमारी 49 घटनाएं, आप समझ सकते हैं कि साम्प्रदायिक सौहार्द कितना बना है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, न मैं इन आंकड़ों को तैयार कर सकता हूं, कौनसे दिन कहां कौनसी घटना घट जाए, लेकिन ये बातें यह प्रमाणित करती हैं कि हमने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए भी पूरा प्रयास किया और हमको उसमें सफलता मिली है।

यही नहीं, अगर मृत्यु को लें तो इन सालों में लगभग 18 मृत्यु हुईं, पिछली सरकार के समय में, हमारी एक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि घायल 161 थे, हमारे टाइम में 55 हैं। फायरिंग 23 बार हुई, हमारे टाइम 5 बार हुई। साम्प्रदायिक उन्माद में दो फायरिंग हुई। निश्चित रूप से कुछ सुधार आपको इसमें लगता है कि हमने कुछ कोशिश की है।

अपराध नियंत्रण की दृष्टि से हमने इस बात की कोशिश की है कि जितने आंकड़े हमारे पास आठ वर्ष के हैं उनसे अगर तुलना करके कहें तो आपके समय ज्यादा कम थी। इससे कोई मैं बहुत ज्यादा इससे नहीं हूं लेकिन दो चीजों की ओर मैं आपका ध्यान केन्द्रित कर रहा हूं। मुकदमों की पैंडेंसी का परसेंटेज लगातार इन तीन सालों में घटा है। पहले साल 2004 में मैंने आपको बताया था कि हम हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर हैं। 2004 में हमारा था 6.7 पैंडिंग और 2005 में उससे कम होकर 4.5 हुआ और 2006 में 2.9 हुआ। तो लगातार इसमें हमने इस बात की कोशिश की है कि चालान होने चाहिए, केस पैंडिंग नहीं पड़े रहें एक साल से दूसरे साल में। यही नहीं, सम्पत्ति अपराधों में भी हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। सम्पत्ति अपराधों की दृष्टि से 2003 में हमको 51.7 परसेंटेज रिकवरी हुई थी, 2004 में 53, 2005 में 55.8 और 2006 में 56.4 परसेंटेज हुई। तो निरन्तर हमने बरामदगी की। कम से कम चोरी और लूट का जो सवाल है उसमें बरामदगी परसेंटेज पर पहले कोई ध्यान नहीं देते थे, हमने इस बात की भी कोशिश की कि हमारा बरामदगी परसेंटेज बढ़े।

यह बात सच है कि महिला अत्याचार को अगर हम जोड़कर देखें तो निश्चित रूप से महिला अत्याचार बढ़ा है। मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह नहीं है कि इसमें कोई कोताही करूं। लेकिन आप इसके सारे आंकड़ों को ध्यान में लाएंगे तो आपको लगेगा कि महिला उत्पीड़न का सबसे बड़ा हैड है, हमारा इस समय में बढ़ा है,

वो है महिला उत्पीड़न 498(ए), अकेले इसमें ही 2500 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर इन 2500 को मायनस कर लें तो लगभग 11 हजार मुकदमे रह जाते हैं जो 99 से लेकर अब तक सबसे कम हैं। लेकिन हमने 498 के लिए जिस प्रकार से महिला डैस्क बनायी, जिस प्रकार से महिलाओं के थाने बनाये, महिलाओं के अलग से न्यायालय बने उसके कारण से निश्चित रूप से जाग्रति आयी। अगर इसके कारण से कोई मुकदमा बढ़ता है, उसके कारण से कोई हम पर लांछन लगाता है कि आपके यहां महिला अत्याचार बहुत है तो मैं सोचता हूं कि मुझे कम से कम मन में कोई दुःख नहीं होगा, अगर महिला अपने हक के लिए आये और 498 का मुकदमा दर्ज कराये। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इन मुकदमों में जब हमने सारी तफ्तीश की तो 36 परसेंट मुकदमे फाल्स भी निकले। लेकिन हमने दर्ज करने में कोई कोताही नहीं बरती कि मुकदमे ज्यादा बढ़े उसके कारण से किसी प्रकार की कोई कोताही करें। महिला अपराध की दृष्टि से आपने देखा कि तुरंत एफआईआर के लिए कह रखा है। सात दिन के अंदर चालान पेश हो इसके लिए हमने आदेश दे रखा है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक महिला सहायता समिति बनायी हुई है, स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से 13 सलाह और सुरक्षा केन्द्र बनाये हुए हैं, पुनर्स्थापना के लिए सात महिला समूहों एवं सुरक्षा केन्द्रों की स्थापना की है, 14 महिला पुलिस थाने और 22 महिला प्रकोष्ठ बनाये हैं। महिला डैस्क सेंट परसेंट सभी थानों में हमने बनायी है। दहेज हत्या प्रकरणों में पुलिस उप अधीक्षक स्तर का व्यक्ति ही जांच करेगा ताकि कहीं नीचे के लेवल पर किसी प्रकार का कोई अनजस्टिस न हो जाए, इसकी भी हमने उसमें देखभाल की है।

मैं सोचता हूं कि इस तरह से तुरंत अनुसंधान और सज़ा की दृष्टि से हम लोगों ने बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। शायद यह सोचते होंगे कि फोरेन महिला के साथ ही कोई महिला अत्याचार हुआ तो उसकी ही सज़ा मिली, ऐसा नहीं है। विदेशी लड़की वाला वीतीहोत्रा मोहन्ती है इसको सात दिन में हमने चालान पेश करके सज़ा दिलायी है। इसी तरह से जर्मन महिला के साथ वाले में 36 घंटे में चालान पेश करके आजीवन कारावास दिलाया है। इसी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरह से चौथ का बरवाड़ा में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार में हमने तुरंत चालान किया। विधायकपुरी थाने में कुछ घंटों में चालान पेश करके उसको छह महीने की सज़ा दिलायी है। इसी तरह से आपने देखा होगा कानोता थाने में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको सात दिन में चालान करके आजीवन कारावास दिलाया है। तो एक सफलता अर्जित करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूं कि मन को एक संतोष होता है। यह बात सच है कि अनुसूचित जाति, जनजाति में अपराध लगभग समान से रहे हैं कोई एकाध परसेंट का कम या ज्यादा है। अगर इसकी 99 आंकड़े से तुलना करें तो हम बहुत नीचे हैं, किया है, लेकिन 2005 से तुलना करें तो थोड़ा- सा बढ़ा है। अगर इसी को 2004 से करें तो 5391 मुकदमे थे और इस साल 4877 हैं, जो घटा है। आप हिन्दुस्तान के राज्यों के साथ देखेंगे कि एस.सी., एस.टी. एक्ट में हम लोगों ने क्या किया और उन्होंने क्या किया तो एस.सी., एस.टी. का सज़ा का प्रतिशत है वह सबसे ज्यादा है उत्तरप्रदेश का 49 परसेंट और सकिण्ड नम्बर हिन्दुस्तान में अगर कोई आता है तो राजस्थान है जिसका सज़ा प्रतिशत 41 प्रतिशत है।

हमने इस बात की भी कोशिश की, पैंडिंग प्रतिशत की दृष्टि से मध्यप्रदेश नम्बर वन पर है, गुजरात नम्बर दो पर है, नम्बर तीन पर हम हैं, तो हमने बराबर इस बात की मोनिटरिंग की है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कहां बैठते हैं। हमारे द्वारा जो काम हो रहा है, नवाचार की दृष्टि से, केवल हमने यही नहीं कि हम उससे अपेक्षा तो करें कि आप यह काम करो वह काम करो, लेकिन उसकी सुविधा के लिए हम चिन्ता नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम सफल नहीं होंगे, इसलिए हमने नवाचार की दृष्टि से केस आफिसर स्कीम बनायी। मुझे वास्तव में बहुत मन में संतोष है कि इस केस आफिसर स्कीम के कारण सज़ा का परसेंटेज बहुत अच्छा गया और निश्चित रूप से उन लोगों के मुकदमों में सज़ा दिलाने में हम परफैक्ट हुए। माननीय सदस्य ने इसका आंकड़ा बताया था, हमने हर थाने के अंदर किसी एएसआई या एसआई को एक केस आफिसर बनाया। उसके थाने में जो गंभीर किस्म के मुकदमे हैं, उसका पीछा करके कोर्ट में ठीक प्रकार से एविडेंस हो जाए, जब तक इसमें फैसला नहीं हो तब तक उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें हर प्रकार से चिन्ता करे और उसके कारण से 3565 संगीन प्रकरण हमने चिह्नित किये थे, 1301 प्रकरणों में फैसला हुआ 5 में मृत्यु दण्ड, 148 में आजीवन कारावास, 67 में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

10 साल की सज़ा, 80 में 7 साल की सज़ा और 410 में 5 साल तक की सज़ा मिली है। यह सारा मिलकर सज़ा का परसेंटेज केस आफिसर स्कीम में 70 से लेकर 72 प्रतिशत तक बढ़ा है जो हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है और इस केस स्कीम को बाकी सारे राज्य भी इस दृष्टि से लेने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी का निर्माण किया, उसने कई अच्छे, बैंक की 22 लाख की डकैती को खोला है, मनीष हत्याकाण्ड खोला है, वैभव अग्रवाल का केस खोला है, पैट्रोल में नेफ्था डालने वाली बड़ी गैंग थी उसको पकड़ा है, क्रेडिट कार्ड के आधार पर पैसा निकालने वाली गैंग को हमने पकड़ा है, शेयर में घोटाला करने वाली सारी गैंग को पकड़ा है। एक केस लगा था टौंक का, नौकरी दिलाने के नाम से बाहर भेजने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले कबूतरबाजी करने वाले हैं उनकी एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा। यह सोचकर एक यूनिट है एसओजी की, दो यूनिट और बनाकर तीन यूनिट को देकर करेंगे ताकि राजस्थान में इस तरह के जो गंभीर अपराध हो रहे हैं उनको बिलकुल पाइंट करके उनके पीछे पड़ सकें।

हमने हार्ड कोर क्रिमिनल को भी ढूंढा है कि हार्ड कोर क्रिमिनल को सूचीबद्ध करके उनको निगाह में लाया जाए कि हार्ड कोर क्रिमिनल कौन हैं और ये क्या करते हैं। 2005 में 1402 लोगों को आइडेंटीफाई किया है, इसी तरह से 2006 में 1525 लोगों को आइडेंटीफाई करके अपने सामने रखा कि ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपको बहुत संतोष होगा, 2005 में इन्हीं लोगों के द्वारा 683 अपराध हुए थे जिनको हमने बिलकुल लिस्ट कर रखा था, इन्हीं लोगों के द्वारा 2006 में जब हमने देखा तो 333 अपराध इन्होंने किये। तो एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है।

हमने एक नई कोशिश की है, जो बीट प्रणाली पुरानी थी उसी बीट प्रणाली को हमने फिर से जिंदा किया ताकि अपने थाना क्षेत्र में जो एरिया आता है वह बीट आफिसर के नाम से रहे। उसके एरिया में कोई हलचल होती है तो उसके जिम्मे रहता है, वह उसका सम्पर्क करता है। इसके लिए भी बराबर कोशिश की है।

हमने एक नई टीम बनायी है इमरजेंसी रेस्पोंस टीम (ईआरटी) इसी तरह से इंटेलिजेंस के बारे में आपने कहा था, हम अलग से इसकी यूनिट बनाकर ..(व्यवधान) इसी तरह से हमने उदयपुर शहर में एक प्रयोग किया,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उदयपुर शहर के सारे थाने एस.पी. के आफिस से सीधे ही कंट्रोल होते हैं, स्क्रीन पर सारे थानों का व्यू दिखता है, वहां पर कस्टडी में कौन है, वेटिंग रूम में कौन आया, क्या बात कर रहा है। अगर आप बात सुनना चाहें तो उसे ऑन करें तो थाने की सारी एक्टिविटीज् सुनें। चार लाख रुपया जरूर हमें जन सहयोग से इकट्ठा करना पड़ा। मैं माननीय सदस्य से भी अनुरोध करूंगा जहां-जहां बड़े शहर हैं और जहां 3-4 थाने हैं, आप लोग सहयोग करें तो मैं सोचता हूं कि आपके शहर के थाने हम इस तरह से ऑनलाइन लाकर कैमरे पर उसको अच्छी तरह से देख सकेंगे तो कम से कम बड़े शहरों में क्राइम को रोकने में हमको काफी सफलता मिलेगी।

एफएसएल के बारे में आपके मन में था, कोशिश की है इसका स्ट्रेंथन हो। अभी हम परफैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि अब राजस्थान में किसी भी प्रकार के क्राइम के लिए कहीं बाहर अपना सैम्पल भेजने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में कंप्यूटर और साइबर फोरेंसिक अनुभाग तैयार हो गया। वीडियो, आडियो टेप और सीडी रिकार्डिंग वैरिफिकेशन का अनुभाग हमारे पास तैयार हो गया। वन्य जीव से सम्बन्धत अपराध है उसकी लेब तैयार हो गई। डीएनए परीक्षण की लेब तैयार हो गई जो हमको हर बार हैदराबाद भेजकर, कई बार एक-एक लाख रुपये देकर उस टैस्ट को कराकर मंगाना पड़ता था। ध्वनि परीक्षण ..(व्यवधान) आज की तारीख में जयपुर में ये सारी की सारी यूनिट तैयार हो गई हैं और सारे टेस्ट हमारे यहां हो सकेंगे। लगभग 10 करोड़ के उपकरण, जो आपने कहा है, उसमें हमें केन्द्र से सहायता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके कारण से हम जितनी भी मशीनें हैं उनको मंगाने से निश्चित रूप से सफल हुए हैं। इसी में उदयपुर की लैब तैयार हुई, काम शुरू कर रही है। जोधपुर की लैब काम कर रही है। कोटा की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, आने वाले एकाध महीने में हम उसमें भी अपने सारे के सारे साइंटिस्ट लगाकर उसको शुरू करेंगे। जो 30 हमने मोबाइल का कहा, उसमें से 16 हमने शुरू कर दीं, 14 एकाध महीने में और शुरू करेंगे।

पुलिस का मनोबल बढ़े इसको भी हमने ध्यान में रखा, क्योंकि जो काम करता है उसके बारे में कमियां निकालना बहुत आसान है। मैं आज भी बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का ऐसा कोई राज्य कर्मचारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं है जो इतने घण्टे काम करता है। आप और हम सब जानते हैं, भले ही वे हजार गलती करते होंगे, एकाध कोई गलती ऐसी होती है जो लोगों की आंखों में किरकिरी की तरह से आती होगी, स्वाभाविक है, आनी भी चाहिए, मैं उसके लिए कोई उसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आखिर वह 16 घण्टे काम करता है, 12 घण्टे काम करता है, उसके बाद उसको सोने की जगह भी नहीं मिलती। सबसे ज्यादा परेशान मेरी इस सारी फोर्स में है तो वह कांस्टेबल है, उसका परिवार कहां रहता है, बच्चा कहां पढ़ता है, छोटी-सी तनख्वाह है, उसका घर कहां है, वह कहां है, फिर भी वह किस प्रकार से काम करता है। जब कहो तब व्हिसिल बजे तब तैयार होकर उसको खड़ा होना पड़ता है। इसके कारण से जिस टेंशन में वह जीता है, कभी-कभी जाने-अनजाने में इस प्रकार की गलती करता है जिसके कारण से सारे विभाग को असर पड़ता है। लेकिन हमने सारी पदोन्नतियों में आज इस सदन में कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्न्ता है कि मेरे सैक्रेटरी से लेकर डीजी और सब लोगों ने मिलकर किया, आज की तारीख में राजस्थान में एक भी डीपीसी पैंडिंग नहीं है, जो प्रमोशन देने चाहिए, वे सेंट परसेंट प्रमोशन हमने दे दिये हैं। यही नहीं, हमने गारंटी प्रमोशन का भी, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको भी हमने प्रमोशन दिया। डीवाई.एस.पी. बने 5, सीआई बने 10, एसआई बने 5, हैड कांस्टेबल से एएसआई बने 6 और कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल 68 लोगों को हमने गारंटी प्रमोशन देकर अच्छा काम करने वाले कांस्टेबल को भी हमने रिकोग्नाइज किया और एक तरह से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, मैंने आपको कहा कि केवल 6 प्रशिक्षण केन्द्र हैं हमारे पास और उनकी 2750 लोगों को ट्रेनिंग देने तक की क्षमता है। फिर भी इसको रूटीन में लाकर पिछले साल हमने दी थी 17971 लोगों को और इस बार हमने 35137 लोगों की ट्रेनिंग कराई। हम सोचते हैं कि दो साल में पूरी फोर्स की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। यही नहीं, हमने सारे ऊपर के अधिकारियों को भी जहां-जहां भी ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है, वहां बाहर भी ट्रेनिंग में भेजकर उन सब की ट्रेनिंग कराई ताकि उनके काम में ज्यादा गुणवत्ता को सुधारा जा सके।

इसी तरह से पुलिस कल्याण कार्यक्रम का हितकारी निधि है इसमें राज्य सरकार हमको 15 लाख रुपये हर साल देती है जो आज भी शायद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घोषणा करेंगे तो उसमें मिलेगा, बाकी हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सब का पैसा कटता है तनख्वाह से। वह जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे में से हम लोग या तो उसकी मृत्यु पर या उसके बालकों को छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं। लगभग हमने 190 पुलिस कर्मचारियों के स्वर्गवास होने पर 31 लाख 31 हजार रुपये उनको दिया था, 3370 बच्चों को हमने 60 लाख रुपये स्कालरशिप दी है अपने इस फंड से। इसी तरह से पुलिस कल्याण निधि में 25 लाख रुपये हमको पिछली बार सरकार से मिले बाकी हमारे कर्मचारियों का मिलता है, हमने 67 लाख रुपये उनको देकर उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं। उन्हें पूरा किया। इसी तरह से मृतक कर्मचारियों के लिए हमारी बीमा योजना पर आपको सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी। इस बीमा योजना में इन तीन सालों में 3 करोड़ 24 लाख रुपये हुए। जितने भी सामूहिक बीमा साल भर में एक किश्त देते हैं और उसमें से मिलता है, तो हमने दिया है। अनुकम्पा नियुक्ति में हमने कोशिश की है, मृतक राज कर्मचारी कांस्टेबल यहां जिसको स्कूटर पर था और उसको शूट कर दिया, उसके बच्चे को हमने नौकरी भी दी सीधा एएसआई बनाया, क्योंकि उसने जिस प्रकार की बहादुरी का काम किया, हमने उसके बच्चे को भी उतना ही सम्मान देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी तरह से हमने 134 कांस्टेबल्स की भर्ती की, चतुर्थ श्रेणी के 54, कनिष्ठ लिपिक के 8 की तो अनुकम्पा नियुक्ति देकर।

जो 10 हजार आवास के बारे में मैंने कहा, प्रत्येक जिले में कितने आवास बनाएंगे, कहां-कहां बनाएंगे, सारे के सारे कौन एजेंसी बनाएगी, केवल लोन लेने में हमको थोड़ी-सी देरी हुई है, आरएसआरटीसी, पीडब्ल्यूडी और एवेल जो हैं ये हमको देंगे। 7370 तो हम जिलों में बनाएंगे 2286 हमारे आरएसी की बटालियन के बनाएंगे और 344 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, इस प्रकार से 10 हजार क्वाटर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

पुलिस आधुनीकरण का जितना पैसा हमको मिला, हमने उसका पूरा उपयोग करने का प्रयास किया और बराबर इस बात की मानिटरिंग की। मैचिंग ग्रांट राजस्थान सरकार से हमको मिलनी चाहिए, वह समय पर हमने ली। आपको सुनकर आश्चर्य और संतोष होगा कि 467·54 करोड़ रुपये हमको टोटल मिला है जिसमें राज्य का शेयर भी है और केन्द्र का भी है, केन्द्र से हमको 277 करोड़ रुपये मिला और राज्य से हमने 190 करोड़ रुपये लेकर इस 467 करोड़ में से 427 करोड़ रुपये पिछले महीने की 31 तारीख तक खर्च कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया और सेंट परसेंट पैसा इस ईयर में करेंगे। एकाध जगह कोई लिटिगेशन है, वह काम जरूर पैंडिंग रह जाएगा बाकी सारे के सारे उससे बनाये। यही नहीं, आधुनीकरण की योजना में हथियार भी हैं, सभी माननीय सदस्यों ने कहा, हमारे हथियार ठीक नहीं हैं, हमारे पास व्हीकल भी ठीक नहीं हैं। यह बात सच है कि जितनी आवश्यकताएं हैं उतने तो नहीं हैं, लेकिन हमने इन तीन सालों में 861 मोटरसाइकिल खरीद कर इनको दी हैं, हल्के वाहन हमने 697 दिये हैं, मध्यम वाहन 15 दिये हैं, भारी वाहन 10 दिये हैं, एम्बुलेंस हमने 7 दी हैं। ऐसे मिलाकर लगभग 1590 व्हीकल हमने इन तीन सालों में हमारी पुलिस के जो साथी हैं उनको उपलब्ध कराये ताकि उनकी एक्टिविटी किसी तरह से बढ़ सके। हमारी सफलता का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वह यह है कि हमने संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक पुलिस और जनता मिलेगी नहीं तब तक अपराधियों को ढूंढने और उन पर कंट्रोल करना भी संभव नहीं होगा। हमने राज्य स्तर पर भी एक कमेटी बना रखी है जिसमें रिटायर्ड आईएएस भी हैं, मीठालालजी मेहता उसमें हैं, जज भी हैं चोपड़ाजी हैं, इसी तरह से डीजी हैं और पत्रकार हैं, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अल्पसंख्यक हैं। ऐसी एक टीम बनाकर हर 6 महीने में उनके साथ बैठते हैं और उनके जो सुझाव आते हैं उनके अनुसार हम काम करने का प्रयास करते हैं। यही कमेटी मैंने जिला स्तर पर भी बनाई यद्यपि अभी तक उसकी क्रियान्विति मैं कर नहीं पाया हूं, लेकिन जन प्रतिनिधि वहां के हमारे एसपी और यहां के मेरे साथ एक कमेटी बनी हुई है, एमएलएज की। उनमें से हरेक को कोई न कोई जिला दिया हुआ है वह जाकर बैठें और वहां थाने के अनुसार जो भी अपराध हैं उनकी मानिटरिंग करें कि कहां क्या कमी है। इसी तरह से हमने देखा, मैंने स्वयं संभागीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। लगभग दो राउण्ड मेरे पूरे हुए हैं, अभी दो संभाग मेरे लास्ट में बच गये बीकानेर और भरतपुर। बाकी के सारे के सारे संभागों में आप सब जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर, पुलिस और आपको आमने-सामने बिठाया कि क्या हमको समस्या आती है और आप क्या महसूस करते हैं। मुझे पहले तो डर लगा था लोगों ने मुझे कहा था कि ये तो आपस में भिड़ जाएंगे, वातावरण बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं बिगड़ा और जन प्रतिनिधियों का भी बहुत सकारात्मक सहयोग मिला और उसके कारण से भी हम अपराध को कंट्रोल करने में काफी कुछ सीमा तक सफल हुए हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यातायात की दृष्टि से वास्तव में जो फीगर्स आते हैं डैथ के और घायल के, उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई। इस बार जरूर हमने लक्ष्य तय किया कि 2007 में हम 20 परसेंट इसमें कटौती लाने का प्रयास करेंगे, डैथ में भी और घायल में भी, तो इसके लिए प्रयास शुरू किया है। मैं सोचता हूं, शायद सफलता मिलेगी। लेकिन पिछले 3 वर्षों में तो सड़क दुर्घटना जो 23 हजार 2004 में हुई थी, 2005 में भी वही 23 हजार है, 2006 में भी वही 23 हजार हुई। मृतकों की संख्या भी 6477, 6793 और 7154, और बढ़ी है। इसी तरह से घायल में भी बढ़ी है। लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से एक बात जरूर आज आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी यहां बैठी हैं, हम लोग चालान करते हैं, बहुत राज्य को रेवेन्यू देने की कोशिश करते हैं, हमारी कमेटी भी कई बार बैठी है, इस पर विचार किया कि हम जितना रेवेन्यू अर्जित करते हैं उसका कुछ हिस्सा हमको हमारे ट्रैफिक पुलिस को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से मिले तो, पिछले साल 12 करोड़ रुपये चालान से करके सरकार के खाते में जमा कराये। अगर कुछ इसमें से हमको सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

होमगार्डस को सामान्यतया नैगलेक्ट करने हैं, किसी की रुचि नहीं जाती है, जबकि वास्तव में बहुत बड़ा मैन-पावर है। जितनी संख्या मेरे पास पुलिस बल है उतनी की उतनी संख्या होमगार्डस और वालेंटियर्स की है, लगभग 68 हजार संख्या उनकी बनती है। आपको सुनकर आंकड़ा ताज्जुब होगा, मुझे भी पता नहीं था होमगार्डस का दैनिक भत्ता। जब 90 में हम राज में आये थे उस समय 20 रुपये था, उस समय हम लोग इसको बढ़ाकर 60 रुपये तक लाये थे। उसके बाद आपका बीच में राज आया, आपने उसमें 15 रुपये और वज़ीफ़ा किया, 75 लाये। आज मैं मुख्य मंत्रीजी का सारे होमगार्डस बंधुओं की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 110 रुपये तक बढ़ाया है। अगर ईमानदारी से इस खाते को टटोलें तो कांग्रेस के 42 साल में 35 रुपये मिले थे, होमगार्डस को और हमारे इस छोटे-से पीरियड और भैरोंसिंह के समय को मिलाकर हमने 75 रुपये उनको दिये प्रति दिन के। अगर इसको महीने के हिसाब से करें तो इसी सरकार ने 1 हजार उनकी तनख्वाह का किया है, एक महीने में एक हजार रुपया केवल इस तीन साल के पीरियड में। इसके साथ-साथ हमने इस बात की कोशिश की कि होमगार्डस को भी हम स्ट्रेंथन करें। गृह रक्षा की दृष्टि से जो मानव दिवस सृजित हुए थे पिछले पांच साल में,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वे 2 लाख 56 हजार हुए थे। हमने केवल इन तीन सालों में 3 लाख 75 हजार मैन-डेज इनको काम दिया। प्रशिक्षण की दृष्टि से आपके पूरे पांच साल में 5608 और हमने 32474 लोगों को ट्रेनिंग भी कराई। क्योंकि गैप इतना रहता है, अगर वह ट्रेंड नहीं हुआ और दम नहीं रहा तो वो फील्ड में काम नहीं कर सकेगा, इसलिए उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आपके समय में कुछ हुआ ही नहीं, हमने 589 लोगों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कराया। राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण में भी आपके समय में केवल तीन लोग गये, हमने 56 लोगों को भेजकर इसको भी स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। सबसे बड़ा जो प्रसन्नता का विषय है, आपदा प्रबन्धन में आपके समय में एक नया पैसा नहीं मिला, हमको आपदा प्रबन्धन में 2 करोड़ 99 लाख 26 हजार रुपया मिला जो अपने आप में इस विभाग के लिए और होमगार्ड के लिए एक तरह से बहुत सुखद होगा। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि उदयपुर में भी सिविल डिफेंस की एक यूनिट प्रारम्भ करें। हमने एक व्यक्ति को लगाया है, वो वहां पर लोगों से मिलकर वहां के जन-प्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़कर प्रयास करेगा। तो वास्तव में इस बात की कोशिश की, क्योंकि यह विभाग इस प्रकार का है कि 100 दिन अच्छा काम करे और एक दिन ही कोई खराब घटना हो जाती है तो 100 दिन के किये हुए काम पर पानी फिर जाता है। यह बात जरूर है कि रोज सवेरे पढ़ते हैं तो कोई ऐसी ही न्यूज पढ़ते हैं जिसमें कोई न कोई घटना, दुर्घटना होती है। मैं इसको कोई कंट्रोल कर लूंगा, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अपराध करने वाले को दंडित करने का काम मेरा और मेरे विभाग के लोगों का है और वो अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जो टीम मुझे मिली है और जिस टीम भावना से हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम राजस्थान में शांति- व्यवस्था बनाये रखने में जो कुछ भी हमसे हो सकता है उसमें हम पूरा प्रयास करके उनको आश्वस्त करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे साथियों को जो कुछ भी देने का, हर साल जो हम इस मांग के समय उनको देने का प्रयास करते हैं, मुझे खुशी है कि इस बार मुख्य मंत्रीजी ने वास्तव में खुले दिल से हमको सारा मिलाकर 4 करोड़ 97 लाख 96 हजार रुपया इसमें जो हमको दिया है। सामान्यतया हम तीन करोड़, साढ़े तीन करोड़ के आस-पास रहते हैं, अब की बार हमको 5 करोड़ रुपया इनकी वैलफेयर के लिए दिया उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 25 लाख रुपया,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुलिस उत्सव फण्ड में 10 लाख रुपया, पुलिस, जेल, होमगार्ड विभाग के कर्मियों को मैस भत्ता जो 625 रुपया था उसको 50 रुपया बढ़ाकर यानि इसी में केवल 3 करोड़ 66 लाख रुपया केवल मैस भत्ते में हमको मिला है। राजस्थान पुलिस की हितकारी निधि में हमको 15 लाख मिला। इसी तरह से जो पार्ट टाइम लांगरी काम करते हैं जिनको सामान्यतया 1250 रुपये देते थे, अभी बढ़ाकर उसको 1500 रुपये किया जिसमें हमको 56 लाख रुपया अतिरिक्त प्राप्त हुआ। इसी तरह से पुलिस के स्पोर्टस के लिए 10 लाख रुपया, बंदी कल्याण कोष, जेल के लिए 5 लाख रुपया, जेल कर्मचारी कल्याण के लिए 5 लाख, होमगार्ड और स्थायी कार्मिक कल्याण कोष के लिए भी 5 लाख रुपया, ऐसा करके 4 करोड़ 97 लाख 96 हजार रुपया हमको अपने इन साथियों के लिए जो कुछ भी मुख्य मंत्रीजी ने दिया उनका आभार।

मैं एक बार फिर सदन को यह विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है मैंने कुछ बातें इकट्ठी कर रखी हैं लेकिन मैं शायद उनको नहीं कह पाया। आपने जो भी यहां बोला है या आपने जो भी यहां कट-मोशन दिये हैं, मैंने सब का जवाब इस समय ही तैयार कर रखा है, मैं आने वाले एक-दो दिन में उसका जवाब भेजूंगा। उसके बाद भी आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आपको अगर कहीं भी हमारी वर्किंग में कोई कमी-खामी लगती है तो आप सीधा मुझे बताएं, मेरे अधिकारियों को बताएं। मैं निश्चित रूप से राजस्थान को आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी हो सकता है, ईमानदारी से जो उसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिलेगा। इसमें न कोई पार्टी है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। जो अपराध करता है वो दंडित होगा। अगर इसमें कोई डिले हो जाती है कभी-कभी किसी कारण से, कभी आप लोग भी आते हैं कि इसकी तफ्तीश चेंज करो, मैं स्वभाव में कर देता हूं लेकिन मैं बचाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं कई बार तफ्तीश बदलने की कोशिश जरूर करता हूं पर यह नहीं कहता हूं कि इसमें यह करके लाओ, इसमें इसको निकाल दो। यह काम मैंने न तो किया है और न मैं करूंगा। आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं राजस्थान की जनता को न्याय देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने विभाग के सारे के सारे अधिकारियों को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पूरी टीम वर्क से इस काम को किया। इसके कारण से राजस्थान आज अमन, चैन और शांति का राज्य बना हुआ है। धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय गृह मंत्रीजी, मूसाखेड़ा में वो 4-5 परिवार बचे हुए हैं उनको भी बसवाने की व्यवस्था करवा दीजियेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको कहा है मेरी बात हो रही है, जैसे ही संभव होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 – पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,60,86,48,000/- (रुपये दस अरब साठ करोड़ छियासी लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जवाब छोटा रखें।

मांग संख्या 6 का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): एकदम छोटा लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। मांग संख्या 6 पर जिस प्रकार की संजीदगी से, विद्वतापूर्ण तरीके से, समस्या की ओर इंगित करते हुए और विधायिका के अधिकारों के संरक्षण में जिस प्रकार की बात आज सदन में कही गई है, मैं माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से और मेरी ओर से उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर आज तीन प्रकार की चर्चा हुई, एक चर्चा विधि-न्याय विभाग के बारे में कि किस प्रकार का काम है, कैसा काम करना चाहिए इसके बारे में हुई। दूसरी चर्चा सम्पूर्ण राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हुई जिसमें यह कहा गया कि एक समय आ गया है जब इस बात पर चिंतन शुरू हो गया है कि विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है और न्यायपालिका का क्या काम है। यहां पर कुछ उदाहरण भी माननीय सदस्यों ने दिये। टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य नाथूसिंहजी ने इसकी शुरूआत की और माननीय सदस्य मदनजी राठौड़, माहिर आजाद साहब, सी. पी. जोशी साहब, प्रद्युम्न सिंह साहब और बाकी सभी माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी गहन चिंता व्यक्त की। सरकार उस चिंता से भली-भांति अवगत है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां पर यह प्रश्न उठाया गया कि सर्वप्रभुत्ता किसमें निहित है। अध्यक्ष महोदय, मार्कण्डेय काटजू जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने अभी-अभी एक आर्टिकल लिखा है। किसी राजनेता ने नहीं लिखा है। उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार के फैसले करती है लेकिन वह चूक कर रही है। प्रभुसत्ता किसी में निहित नहीं, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भारत की प्रभुसत्ता अगर किसी में निहित है तो भारत के लोक में निहित है और भारत का लोक भारत की लोक सभा और भारत की विधान सभाओं का निर्वाचन करता है इसलिए प्रभुसत्ता उनमें निहित है। उनमें जो निहित प्रभुसत्ता है, वो जो कानून बनाते हैं, वो जो विधि की रचना करते हैं, संविधान के अन्तर्गत उनकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालयों को प्राप्त है। नाइंथ शिड्यूल के बारे में उन्होंने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, कुछ लोगों ने उस पर चर्चा की। उन्होंने लिखा कि जब पार्लियामेंट ने, जब संविधान निर्माताओं ने, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने कहा कि नाइंथ शिड्यूल में क्यों डाल रहे हैं। अगर जागीरदारी उन्मूलन करना था तो कुछ बातों को उसमें रखना था, अगर उनको ऐसे लोक-कल्याणकारी काम करने थे तो उसमें रखना था, तो नाइंथ शिड्यूल के बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के बारे में भी लिखा। उन्होंने लिखा कि कंटेम्प्ट आफ कोर्ट किस बात का है। मार्कण्डेय काटजू जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, अभी उनका आर्टिकल छपा, उसके बारे में कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जुडीशियरी राजा को रिप्रजेंट करती थी, किंग को रिप्रजेंट करती थी। वो किंग या क्वीन जो थीं वो न्यायपालिका के लोगों को नियुक्त करती थीं और उसी प्रकार से व्यवहार करते थे इसलिए उसका कंटेम्प्ट राजा का कंटेम्प्ट माना जाता था। भारत में ब्रिटिश सिस्टम एडॉप्ट किया होगा लेकिन यहां किसी राजा को या किसी नेता को या किसी अभिनेता को न्यायपालिका रिप्रजेंट नहीं करती। यहां की न्यायपालिका भारत के लोक को रिप्रजेंट करती है इसलिए उसके ज्यादा कंटेम्प्ट होने की आवश्यकता नहीं है। वो शब्द अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि यह जो कंटेम्प्ट है या निर्देश, विधायिका को निर्देश के बारे में उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में न्यायपालिका विधायिका को यह निर्देश प्रदान नहीं कर सकती कि इस प्रकार के कानून का पालन वो करे। यह पुलिस एक्ट के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा कि यह बात कहना कि इस प्रकार का कानून बनाओ, यह अतिक्रमण है और इस प्रकार का कानून बनाने के लिए वो नहीं कह सकते। और भी बहुत-सी बातों की उन्होंने चर्चा की। मेहता का भी एक लेख है वो भी मैंने पढ़ा है। उन सारे लेखों के बारे में स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से विधायिका का अपना जो कार्यक्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार से न्यायपालिका अतिक्रमण नहीं कर सकती।

(समय : 23.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुईं। मान लीजिये, कोई आदेश कर दिया, आदेश की पालना नहीं हुई तो क्या होगा? बहुत बड़ा संयम का काम किया है लोक सभा और विधान सभाओं ने। आज भी हमने संयम के साथ काम किया है। मैं माननीय सदस्यों को यह बात कहना चाहूंगा कि बहुत स्पष्ट रूप से हमारा काम विभाजित है। विधायिका से सम्बन्धित अनुच्छेद 168 से 212 तक विधान मण्डल के सम्बन्ध में हमारे संविधान में वर्णित हैं। अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायिका द्वारा कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में सारा विवरण किया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक कार्यपालिका के बारे में कहा गया है और संघ न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 से 147 तक है और न्यायपालिका के बारे में अनुच्छेद 214 से 237 तक है जिनकी व्याख्या की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आपको बताता हूं जिसमें कहा गया है, वह बहुत साफ करता है इस बात को कि न्यायालय को ऐसी अधिकारिता नहीं है। यह न्यायालय का फैसला है, हिमाचल प्रदेश के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि न्यायालय को ऐसी अधिकारिता नहीं है कि वह राज्य सरकार को किसी सिफारिश के अनुसार विधि बनाने का आदेश जारी करे। यह सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है। इसी प्रकार से उन्होंने एक बात और कही है पैसों के बारे में, जैसा अभी कहा गया कि शेट्टी कमीशन आया, उसमें वह सब कुछ तय कर दिया कि इतना पैसा उसको दे दो, इतना पैसा उसको दे दो, उसके बारे में भी कोर्ट का फैसला है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उम्मेद राम शर्मा 1986(2) सुप्रीम कोर्ट, इसमें साफ लिखा है, सड़क इत्यादि प्रोजैक्ट पूरा करने के लिए बजट पास होता है। बजट पास कराना विधान मण्डल का काम है। न्यायालय कार्यपालिका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के बजट से अधिक राशि व्यय करने का आदेश नहीं दे सकती, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह बात बहुत साफ, स्पष्ट है कि हम किस प्रकार की रचना करते हैं। इसमें आगे और कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, कि किसी भी प्रकार से हम वह काम नहीं करते कि इस प्रकार की पोस्ट क्रीएट कर लो, यह कैडर बना दो। यह काम करने का काम कार्यपालिका का है, सरकार का है। बजट देने का काम, कानून बनाने का काम विधायिका का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो राज्य सरकार की तरफ से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज सारे माननीय सदस्यों का इसमें जो संवाद हुआ है, उस संवाद को सुनकर राज्य सरकार की साफ स्पष्ट नीति है, निश्चित रूप से हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम न्यायपालिका की अलग से स्वतंत्रता की बात को स्वीकार करते हैं। उसके अधिकार में हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सभी प्रकार की बातें जिस प्रकार से सदन में आई हैं, राज्य सरकार विधायिका के भी अधिकारों के संरक्षण के लिए सनद रहेगी, कार्यपालिका के अधिकारों की रक्षा करेगी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में राज्य सरकार का अभिमत बिलकुल स्पष्ट है, हम उसकी रक्षा करेंगे।

यहां पर एक बात और बहुत जोरों से उठाई गई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि विधि की अलग से सर्विस बनाई जानी चाहिए। नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद हैं उन्होंने कहा है। बहुत-से राज्यों में अलग से सर्विस है। विधि सचिव सर्विस का होता है, उस सर्विस से बनाया जाए, इस प्रश्न पर भी यहां पर कई बार चर्चा हुई। इस प्रसंग के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हमने विधि सचिव का पद आज जो राजस्थान हायर जुडीशियल सर्विस का है, उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रमण नहीं किया है। हमने केवल एक अम्ब्रेला सिस्टम की व्यवस्था की कि प्रिंसिपल सैक्रेटरी हमने एजुकेशन में भी बनाया, प्रिंसिपल सैक्रेटरी हमने एग्रीकल्चर में बनाया, प्रिंसिपल सैक्रेटरी हमने मेडिकल एण्ड हैल्थ में बनाया, उसी प्रकार से प्रिंसिपल सैक्रेटरी लॉ एण्ड जस्टिस में बनाया। उसमें किसी प्रकार से किसी को ऊपर-नीचा करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कोर्ट का भी यह फैसला हुआ कि न्यायपालिका सैक्रेटेरिएट में क्या होता है, उसको ठीक से नहीं जानती। उसी प्रकार से कोर्ट में क्या होता है, सैक्रेटेरिएट के लोग उसको ठीक प्रकार से नहीं जानते। वह अपना काम करे, वह अपना काम करे। यहां जो विधि सचिव

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनकर आता है, वह विधि सचिव जुडीशियल पोस्ट पर नहीं आता है। वह यहां प्रशासनिक पद पर आता है। उसके पद का जो भी काम है, वह प्रशासनिक काम है इसलिए उसको प्रशासनिक तरीके से देखा जाना चाहिए। यह राज्य सरकार का स्पष्ट मत है। अध्यक्ष महोदय, "Just as the Executive cannot know the requirements of a particular court, the High Court also cannot know the requirements of any post in the Secretariat. Just as the High Court resents any interference by the Executive in the functioning of the judiciary, the Executive has a right to ask the court not to interfere with its functioning. It is for the Executive to see whether a particular officer would meet its requirements or not." यह साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस फैसले के बाद में और यह सारे डिस्कसन के बाद में, वैसे भी मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने स्वयं मिलकर इस बात का आग्रह किया है कि हमारा जो पद है, वह विधि सेवा का है। वह क्यों सृजित किया गया है अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह सृजित इसलिए किया गया कि बार-बार एक बात उठती थी कि न्याय में विलम्ब हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने आज भी एक प्रश्न उठाया कि 51 प्रतिशत से ज्यादा तो सरकार ही लिटिगेंट है, सरकार ही काम नहीं करती इसलिए फैसलों का बोझ बढ़ता जा रहा है इसलिए हमने सरकार ने पहली बार राजस्थान में न्याय विभाग अलग से सृजित किया। इस विभाग को सृजित करने के बाद में क्या फायदा हुआ? पहला फायदा हुआ कि 400, अब हम कितने करोड़ का सम्मान करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, 488 प्रतिशत अधिक निर्णयों का इस विभाग के बनने के बाद में क्रियान्वयन किया गया है 488 प्रतिशत। 20 प्रतिशत कंटेम्प्ट के मामले कम हो गये और 112 से अधिक निपटारा हुआ अधिक केसों का। जवाब प्रस्तुत करने में 11 प्रतिशत से अधिक सफलता हमको मिली। इसी के कारण से पहली बार न्याय विभाग को फरवरी, 2007 में भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस का पुरस्कार राजस्थान सरकार को प्रदान किया है। वह हमको प्राप्त हुआ है, इसी कारण से प्राप्त हुआ है इसलिए इस विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का गठन किसी की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए नहीं, किसी के अधिकार को कम करने के लिए नहीं है बल्कि प्रशासनिक मामलों का ठीक प्रकार से समुच्चय हो और हम लोगों को भी न्याय दिला सकें, इसलिए इस विभाग का गठन किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अधिकारियों को कि उन्होंने इसकी अपनी काबिलियत सिद्ध की और हमको भारत सरकार से ई-गवर्नेंस का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, हमने इसी प्रकार से "लाइट" लिटिगेशन, इन्फार्मेशन, ट्रैकिंग एण्ड इवेल्युएशन सिस्टम का साफ्टवेयर बनाया। उस साफ्टवेयर में 1,10,000 प्रकरणों को हमने फीड किया। उन सारे प्रकरणों को भी हम देखेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इतना बड़ा काम किया है। हमने छांट लिया है कि किस-किस प्रकार के कितने-कितने मामले हैं और किस मामलों के कारण से कितना हो रहा है। उनको अगर विभाग देखेगा, उन विभागों को जैसे हमने छांटा है, 20000 से अधिक मामले हैं जो मुआवजे के सम्बन्ध में हैं। कुछ मामले हैं जो कांट्रेक्ट से सम्बन्धित हैं। कुछ मामले सरकारी कर्मचारियों के हैं। उन सारे विभागों के मामलों को हमने छांट-छांट कर अलग कर दिया। अगर उनके रिड्रेसल के लिए अलग से व्यवस्था हो जाती है तो एक साथ हजारों मुकदमे इसमें कम हो जाएंगे। यह इस विभाग की उपलब्धि है। इस न्याय विभाग को अलग से सृजित करने के कारण से हमने यह आंकड़ों का काम करके, इस काम को हमने पूरा किया है। यह इस विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अध्यक्ष महोदय। इसके साथ ही इस विभाग ने जो काम किया है, 468 प्रतिशत हमको अधिक मिला। प्रभावी कार्यवाही से गत वर्ष में 112 प्रतिशत केसों का निपटारा हुआ। अलर्ट सिस्टम हमने जारी किया नोटिस का। जिस विभाग के भी मुकदमे हैं, उनको हमने पहले नोटिस दे दिया, टाइम से पहले कि आपकी इस तारीख को कोर्ट में यह पेशी है, आपको वहां पर जाना है। इस कारण से हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। न्यायालय में रिक्तियां नहीं रहें, यह भरने का काम किया है। आर.जे.एस. की भर्ती की प्रक्रिया दुबारा हमने शुरू की। 85 पद दुबारा भर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो बैकलाग का मामला उठाया था, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें सम्पूर्ण बैकलाग के पद को समाहित कर दिया गया है और भर्ती के बाद राजस्थान के न्यायिक सेवा में बैकलाग पूरा हो जाएगा और किसी प्रकार का एस.सी. एस.टी. का बैकलाग हमारे यहां पर नहीं रहेगा। यह काम हमने इसमें पूरा कर दिया। दो बार हमने भर्ती की। 17 विधि सहायकों की नियुक्ति की है। 142 नोटेरी पब्लिक की हमने नियुक्ति की है। 80 बीघा भूमि में हमने न्यायिक अधिकारियों के लिए राज्य में प्रशिक्षण उपलब्ध हो, इसके लिए न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए जोधपुर में भूमि का आबंटन किया है। हाई कोर्ट के भवनों का विस्तार किया है और वहां पर निर्मित भवनों का उपयोग भी चालू हो गया है। न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए बजट का आबंटन किया गया है। अण्डरग्राउण्ड पार्किंग हाई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोर्ट में हो गई है। पीने के पानी की और बैठने की उचित व्यवस्था हमने वहां पर कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जो भी पैरवी करने वाले विभाग हैं, उन सभी के मानदेय में वृद्धि की है और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ न्यायिक अधिकारियों को दिया गया है। लोक अदालतों के माध्यम से हमने 1,27,716 वादों का निपटारा किया है। इसके साथ दूसरी बात और कहना चाहूंगा आज विधान सभा में कि हमने भारत सरकार को स्वीकृति दे दी है और हमारा समझौता हो गया है। सब विधि मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान में ग्राम न्यायालय बिल, 2006 केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत करने के बाद में राजस्थान ने अपनी सहमति दे दी है और राजस्थान में भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना होगी। इसके लिए भारत सरकार ने पैसा देने की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद में बहुत-से केसों का निस्तारण उधर हो जाएगा। न्यायालयों में आई.पी.सी. के मामले भी इसमें जाएंगे, सिविल भी जाएंगे, जमीन के मामले भी जाएंगे। बहुत बड़े मामले होंगे और समरी ट्रायल करके उन मामलों को किया जाएगा। तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना राजस्थान में होगी, यह न्यायालय के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम होगा, इसकी भी स्वीकृति हमने उनको दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, अब यहां पर दो-तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये थे, एक प्रश्न था कि कितनी संख्या है, कितने लोग काम करते हैं, कितनी किस प्रकार की बातें हैं। संख्या बिलकुल साफ है, किसी भी प्रकार की बताने में कोई नहीं। कोर्ट बढ़े हैं, कोर्ट में नियुक्ति बढ़ी हैं, कोर्टस की संख्या बढ़ी है। राजस्थान में टोटल कोर्ट 746 हैं, राजस्थान में टोटल जजों की संख्या 785 है। यह बात बिलकुल सही है कि राज्य में 785 जज, 6005 न्यायिक सेवा के कर्मचारी-अधिकारियों के अलावा 3985 लगभग चार हजार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उसमें काम करते हैं। यह बात भी सही है कि पिछले वर्षों की बजाय वादों की संख्या बढ़ी है। सन् 2000 में 8 लाख 93 हजार मामले पैण्डिंग थे, अब राज्य में 10 लाख 50 हजार वाद लम्बित हैं। यह बात सही है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि राष्ट्रीय औसत एक जज का 1900 केसों का प्रतिवर्ष निर्धारण करने का है और राजस्थान का 1300 है। अब हम पूछेंगे, हम हर न्यायिक सुधार को करने के लिए तैयार हैं? अभी न्यायिक सुधारों के लिए हमारे पास कोई सिफारिश नहीं आई, अगर उच्च न्यायालय से न्यायिक सुधारों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के लिए हमारे पास सिफारिशें आएंगी, राज्य सरकार उनको मानने के लिए तैयार बैठी है। हम जान-बूझ कर मांगेंगे। 10 लाख 50 हजार मुकदमे पैण्डिंग हैं, अगर तुरंत न्याय नहीं मिलता तो वह न्याय नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमको सुझाव दिये जाएं, राज्य सरकार उन सुझावों को निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा, माननीय नाथू सिंहजी ने भाषण देते समय कहा था, वह तो अंग्रेजी में बोले थे, वह अंग्रेजी वाला कागज तो मुझे मिल नहीं रहा है, उन्होंने कहा था कि justice delayed is justice denied. वह उन्होंने कहा था, अध्यक्ष महोदय, इसीलिए...

डा. सी. पी. जोशी: घनश्यामजी, वह उनके लिए, खुद के लिए कहा उन्होंने। आप गलत ले रहे हैं, वह खुद के लिए कहा उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद: नहीं, माननीय विधि मंत्रीजी, आप तो यह बताओ कि यह लॉ सैक्रेटरी जो आपने लगाया है, आप इस पर स्टैण्ड करोगे न, कायम तो रहोगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: बता रहा हूं न, मैंने बिलकुल साफ कहा है। मैं आपको...

मोहम्मद माहिर आजाद: जब कई राज्यों में आईएएस लग रहे हैं तो राजस्थान ने कौन-सा गलत काम कर दिया? अभी लाओ रूल में अमैंडमेंट और रखाओ आप इसको। क्या दिक्कत है? डर मत जाना, पीछे मत हट जाना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नहीं-नहीं, मैंने एक बात बहुत साफ कही है कि हमने प्रिंसिपल सैक्रेटरी की पोस्ट अम्ब्रेला पोस्ट के रूप में सभी विभागों में की है। उसी के साथ जो उसमें किया और उसके कारण से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वह परिणामों का भी आपको बताया, तुरंत न्याय, जल्दी न्याय, सस्ता न्याय मिलने के लिए जो व्यवस्थाएं भी राज्य सरकार को उचित हैं वे राज्य सरकार निश्चित रूप से करेगी और उसके करने के लिए कदम उठाये गये हैं। साफ-साफ कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्कम्, सुलभम्, शीघ्रम्, निष्पक्षम् न्यायम् आदि स। न्याय सस्ता, सुलभ, शीघ्रता से, निष्पक्ष होना चाहिए। इस काम के लिए हमने इस प्रकार की पोस्टों का क्रियेशन किया है, उसी के लिए काम कर रहे हैं, यह मैंने आपको बताया।

दूसरा प्रश्न यहां पर आपने उठाया कि जजों की इतनी संख्या के बाद भी यहां मुकदमों का निस्तारण कम क्यों हो रहा है। और बजट के बारे में भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उठाया। बजट के बारे में बहुत साफ बता दूं, 2000-01 में 86 करोड़ का बजट था, आज जो बजट आपसे मांग रहे हैं वह एक अरब अस्सी करोड़ है। तो बजट बढ़ा है। इसलिए कोई यह कहे कि किसी प्रकार की कोताही की गई है, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में राज्य सरकार न्यायिक सेवा के माध्यम से राज्य की जनता की सेवा करना चाहती है। हम गरीब आदमी को न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं, गरीब आदमी को अगर सस्ता न्याय नहीं मिला तो न्याय का मामला उलट जाता है। चाणक्य ने अपने सूत्र 186 में कहा है कि विलम्ब किया हुआ न्याय फल को पी जाता है। मतलब, अगर न्याय विलम्ब होकर प्राप्त हुआ है तो न्याय करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए न्याय सस्ता हो, न्याय सुलभ हो और न्याय ठीक ढंग से मिल सके, इसलिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना होगी, लोक अदालत के माध्यम से होगी। हमने ट्रैकिंग का सिस्टम किया है, हमने 'लाइट्स' का निर्माण किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। जो उच्च न्यायालय से भी हमारे पास सुझाव आएंगे, हम उन न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया में उसको लागू करने की कोशिश करेंगे।

इसके साथ ही एक बात जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कही गई है, हम इस बात की प्रतिज्ञा लें कि विधायिका का जो अपना अधिकार है, उस अधिकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत में जो पार्लियामेंटरी सिस्टम, जो डैमोक्रेसी है, जो हम चुनकर आते हैं, हमारे अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, हमको कोई इस बात के लिए आर्डर नहीं कर सकता कि उसको आप इतना दे दो। कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की इंडिवीजुअल कोई रिट है, कोई मुकदमा है, कोई डिक्री है, उसको करने का कोर्ट को अधिकार है और उसको पालन करने का हमारा धर्म है। लेकिन एक वर्ग के साथ नहीं होता है।

अभी यह मांग की गई, हमारे मोहम्मद माहिर आजाद साहब ने बात की कि इनके वेतन भत्तों, इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पर सहमत हूं, केवल जजों का ही नहीं, विधायकों का, सांसदों का और जजों का भी, अपने आप इनको फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि हमारा इतना पैसा बढ़ना चाहिए। इसके लिए कानून बनना चाहिए, पूरा सिस्टम तय होना चाहिए जो तय करेगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि एमएलएज को क्या मिलेगा, एमपीज को क्या मिलेगा, जजेज को क्या मिलेगा। तय करना चाहिए। यह जनता का पैसा है, जनता का पैसा मैं फैसला करके अपने आप ले लूं, यह न विधायकों के लिए ठीक है, न यह जजों के लिए ठीक है। इसलिए इसके बारे में निश्चित रूप से प्रक्रिया प्रारम्भ होनी चाहिए। आज की जो बहस थी वह एक सार्थक बहस थी। यह किसी के विपरीत नहीं थी। किसी को ऊँचा-नीचा दिखाने के लिए नहीं थी। यह इस बात में थी कि भारत की व्यवस्था अब ठीक से चले, सब लोग अपने-अपने, जैसे प्रद्युम्न सिंहजी ने कहा कि सब लोग अपनी-अपनी लक्ष्मण रेखा में रहें- विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। तभी यह सारे काम मिलकर ढांचा ठीक चल सकता है। हमारी सरकार मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में निश्चित रूप से राज्य की जनता के हितों की रक्षा करेगी, न्यायालय का सम्मान करेगी और राज्य के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त कराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि मांग पारित की जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,80,21,82,000 (रुपये एक अरब अस्सी करोड़ इक्कीस लाख बयासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग 6 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 का पारण

डा. सी. पी. जोशी: आप तो प्रस्ताव रख दो पास करने का।

श्री अध्यक्ष: पांच-सात मिनट तो बोलने दीजिये। आप पांच-सात मिनट तो बोल लेने दीजिये। जब इतनी देर बैठे हैं, पाँच-सात मिनट और बोल लेने दीजिये।

श्री अमराराम चौधरी (गृह राज्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य जीवन देवन से दुर्लभ मिले न दूजी बार। पका फल जब गिर पड़े तो बहुरे लागे न डार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कारागृह विभाग का यह उद्देश्य है कि जो हमारी जुडीशियल कस्टडी में आते हैं विधि के द्वारा, अदालत

(श्री अमराराम चौधरी)

के द्वारा, उन अपराधियों को इस प्रकार से रखना, उनका इस प्रकार से प्रबंध करना ताकि वे वापस अच्छे मानव बनकर समाज के साथ समाज की धारा में जुड़ जाएं। यह हमारे विभाग का उद्देश्य है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कारागृह विभाग प्रशासन की दृष्टि से राज्य के गृह विभाग के अधीन जरूर है लेकिन कारागार विभाग के मुख्यालय जयपुर में तो इसके विभागाध्यक्ष महा निदेशक व महा निरीक्षक हैं। इसके साथ-साथ में पिछले वर्षों के अंदर दो डीआईजी कार्यालय खोले गये, एक उदयपुर के अंदर और एक कोटा के अंदर। इसका उद्देश्य यही था कि आये दिन जो जेलों में शिकायतें होती हैं वे शिकायतें नहीं हों, उनका जो सुपरविजन है वह ठीक तरह से हो सके, उसके लिए यह प्रयास किया गया था।

श्री अध्यक्ष: आप तो जो जेलों से भाग जाते हैं उनका क्या बंदोबस्त करोगे, यह बता दो। और सब बात ठीक है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: साढ़े ग्यारह बज गये।

श्री अध्यक्ष: आप तो यह बता दें, बस, उनकी क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री अमराराम चौधरी: राजस्थान राज्य के कारागृहों में दिनांक 1.1.99 से 31.12.03 तक की अवधि में 38 फरारी की घटनाओं में 69 बंदी फरार हुए जिनमें से 45 बंदी पुन: गिरफ्तार कर लिये गये, 24 बंदी गिरफ्तार किये जाने शेष हैं। राजस्थान में जैर हिरासत से फरार व गिरफ्तार बंदियों का विवरण इस प्रकार है- 1999 में बंदी फरार हुए 6, 2000 में 7, 2001 में 12, 2002 में 21, 2003 में 23 । कुल 69 बंदी फरार हुए थे। लेकिन दिनांक 1.1.2004 से 19.3.2007 तक की अवधि में 28 फरारी की घटनाएं हुई। 62 बंदी फरार हुए जिनमें से 43 बंदी पुन: गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा पांच बंदियों की मृत्यु हत्या पुलिस मुठभेड़ आदि में हो चुकी है। अब हमारे पास 14 बंदियों को गिरफ्तार किया जाना शेष है। मेरा निवेदन यह है कि दिनांक 22.3.2004 को उप-कारागृह डीग से फरार हुए बंदियों में से बंदी सुखविन्द्र सिंह ऊर्फ सुखा का पुत्र गुरूचरण सिंह यूपी मुठभेड़ में मारा गया। फरारी के प्रकरणों में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सीसीए नियम-16 व 17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के कारागृहों में दण्डित विचाराधीन बंदियों को निम्न प्रकार रखा जाता है:- केन्द्रीय कारागृह में

(श्री अमराराम चौधरी)

आजीवन कारावास एवं मृत्युदण्ड से दण्डित बंदियों को रखा जाता है। ए श्रेणी जिला कारागृहों में 10 वर्ष तक की सज़ा के बंदियों को रखा जाता है और बी श्रेणी (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो इतना बता दो, क्या सुधार करोगे उनमें? भ्रष्टाचार कैसे कम करोगे? खाने-पीने की व्यवस्था कैसे करोगे? भाग गये वे तो भाग गये, उसमें क्या बताएंगे यह मारा और वह मरा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भागें नहीं, यह इंतजाम तो करना पड़ेगा।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): 44 माननीय सदस्यों ने कम से कम 86 कटौती के प्रस्ताव दिए। आज इस हाउस के अंदर सिर्फ चार हमारे माननीय सदस्यों ने कारागृह की डिमाण्ड पर एक-दो बातें रखीं। बाकी जो 86 कटौती प्रस्ताव आये हैं उनके जवाब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो जिन चार ने रखे हैं उन चार का ही जवाब दे दो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलो मत अब।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): वो सारे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनका लिखित में जवाब दो-तीन दिन में भेज दिया जाएगा। मैं आप सब का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं...

श्री अध्यक्ष: शांति से सुनो आप।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): और आपको धन्यवाद देता हूं। आज खास तौर से जो कटौती प्रस्ताव आये उनमें सभी की यह चिंता थी कि जेलों में प्रहरियों की कमी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, माननीय हमारे जेल मंत्रीजी ने वर्कचार्ज के रूप में जो कर्मचारी थे उनके लिए तारीख 1.3. को विज्ञप्ति जारी कर दी है, इसी 2007 को जिसकी फार्म भरने की अंतिम तारीख 21.3. है। अभी तक जो शेष हैं, कुल 580 में से 512 प्रहरियों के पदों पर भर्ती वर्कचार्ज कर्मचारियों से किए जाने की कार्यवाही जारी है। जेल की जो चिंता है कि जेल के कर्मचारी कम हैं, भर्ती होने पर उसकी पूर्ति हो जाएगी। हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इन दो सालों के अंदर, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। रिमाण्ड के लिए कैदी को जेल से मजिस्ट्रेट तक ले जाना पड़ता था, उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम किया गया। यह

(श्री अमराराम चौधरी)

अगस्त, 2005 के अंदर जोधपुर में प्रारंभ किया गया। 2006 के अंदर जयपुर के अंदर यह वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बंदियों को न्यायाधीश महोदय के समक्ष करते हैं। यह इसलिए है कि हमारे पास एक तो पुलिस की कमी है, दूसरा कैदियों के भागने का डर भी रहता था। उसमें कम समय के अंदर उनको रिमाण्ड जेल के अंदर ही मिल जाता है। इसी सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए ये कार्य किये गये हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं की क्रियान्विति कर दी गई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 4, 5, 6 मई, 2005 को झालावाड़ भ्रमण के दौरान वहां के जिला कारागृह झालावाड को वर्तमान स्थल से अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए जो आदेश दिया गया था, उस आदेश की पालना हो गई है। कारागृह का ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 2005 में मुख्य मंत्रीजी ने झालावाड़ में घोषणा की और वह 2007 में कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जेल एक दिन में थोड़े ही भरती है, जेल धीरे-धीरे भरती है।

श्री अध्यक्ष: अपनी उपलब्धियां बताएंगे, सारी उपलब्धियां बताएंगे अपनी, सुनो आप।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): पूरी कर दी गई है और जिला कारागृह, झालावाड के जेल बाउंड के लिए द्वितीय चरण के कार्य... (व्यवधान) 5 करोड़ 96 लाख 81 हजार रूपए का प्रावधान रखा गया है। राज्य योजना 2006-07 के अंतर्गत 3 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत हैं, उक्त राशि में से 2005-06 का चालू निर्माण कार्य, केन्द्रीय कारागृह जयपुर पर दो बंदी बैरक का निर्माण, जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ में चतुर्थ श्रेणी आवास गृह व एक प्रहरी लाइन का निर्माण तथा जिला कारागृह झालावाड़ में नवीन जेल भवन प्रथम चरण में कार्य करवाया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 2007-08 की मांग पर चर्चा हो रही है, 2005-06 को बिना इजाजत ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको सुनना पड़ेगा।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): 1999 से 2002 तक जो खर्चा किया है वह 9 करोड़ 15 लाख 34 हजार का किया जबकि 2003-04 से

(श्री अमराराम चौधरी)

2006-07 तक की प्रगति किस प्रकार से की है, वह करीब 48 करोड़ 6 लाख 74 हजार रुपए हमने खर्च किए हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन संतुष्ट हो गया, माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल का मैं निवेदन कर रहा हूं कि आधुनीकरण योजना के तहत हमने 2006-07 में 13 करोड़ 9 लाख 29 हजार रुपए के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे थे। अभी तक वह राशि आना शेष है। जेल आधुनीकरण के तहत केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर का निर्माण, दस जेलों का निर्माण किया गया।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, सदन संतुष्ट हो गया, आपका उत्तर पर्याप्त है, सदन संतुष्ट हो गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, सदन को संतुष्ट थोड़े ही करना है मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं उनको संतुष्ट करना है, नंबर तो वहां से लेने हैं।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी पार्ट आफ सदन ही तो हैं।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): मेरा निवेदन यह है कि जोधपुर के अंदर एक महिला जेल करीब 19 करोड़ और 3 लाख के अंदर निर्मित हो गई, कार्य पूर्ण हो चुका है। और पांच जेलों का कार्य प्रगति पर है। उनमें है परबतसर, उप-कारागृह जैतारण, जिला कारागृह करौली, उप-कारागृह सांभर, उप-कारागृह अनूपगढ़, इनका बहुत जल्दी ही निर्माण किया जाएगा। आवास गृहों का निर्माण-वर्ष 99 से 2003 की अवधि में कोई आवास निर्मित नहीं करवाया आपने (व्यवधान) आपने अपने समय में एक भी आवास गृह निर्मित नहीं करवाया, 2003 से 2007 की अवधि में जेल आधुनीकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 13 लाख 89 हजार रुपए के आवास गृहों का निर्माण कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी आपका जवाब पर्याप्त है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्रीजी आपसे संतुष्ट हैं, अब आप मांग को पास करा लीजिए।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): नये कारागृह भवनों के निर्माण के साथ-साथ में मैं यह....

श्री अध्यक्ष: अरे भाई, रोको न इसको।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री): जो हमारी पुरानी क्षतिग्रस्त जेलें थीं उनकी मरम्मत करायी है। खास तौर से जो आज दुनिया के अन्दर एक मिसाल है, अपने यहां पर दस खुली जेल हैं जो कि दुनिया के अन्दर या हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं। ऐसी दो और खुली जेलों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनमें एक केशवाना है, दूसरा तिबीजी अजमेर में है, उनका भी निर्माण कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री): मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में 456 लोग खुली जेलों में रह रहे हैं जो हिन्दुस्तान में एक उदाहरण है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मंत्री महोदय, आप कितना ही आकर्षक वर्णन करो हम में से कोई आपके यहां आने को तैयार नहीं है।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदियों को करावासकालीन अवकाश सुविधा पैरोल आदि के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रश्न उठाया कि पैरोल देना चाहिए। तो पैरोल कमेटी के द्वारा उनको अवकाश की सुविधा दी जाती है। 1.1.04 से 31.12.06 तक पैरोल पर रिहा किया हुए बंदियों में से 27 बंदी वर्तमान सज़ा भुगतने हेतु कारागृह में प्रविष्ट नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष: अब आप सदन को भी सुविधा दो, 11.32 हो गये हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो, मंत्रीजी, डीआईजी मोहंती जो उड़ीसा के हैं उनका बता दो, उनका क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपका उत्तर पर्याप्त है। पर्याप्त उत्तर है, सदन संतुष्ट हो गया।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पैरोल समिति द्वारा स्वीकृति नियमित पैरोल 1075 ...

श्री अध्यक्ष: सबके जवाब दे दिये आपने।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री): ... इस प्रकार से 1457 लोगों को रिहा किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप तो मांग को पारित करने के लिए रिक्वैस्ट कर दो।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री): इस प्रकार कई कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें बंदी हितकारी न्यास बना हुआ है, कल्याण कोष बना हुआ है। उनके

(श्री अमराराम चौधरी)

बच्चों के लिए उनके मरने के बाद में उस कल्याण कोष में से पैसे दिये जाते हैं और सरकार की ओर से सहायता पांच लाख रुपये हर साल इस कोष में देते हैं। मैं आपका सब का आभार प्रकट करते हुए इस मांग को पारित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं और जिन माननीय सदस्यों ने आज यहां अपने विचार रखे हैं उन सब के कटौती प्रस्ताव के जरिये उत्तर भेज दिये जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: यह सदन भी बहुत आभारी है आपका।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,22,77,000/- (चालीस करोड़ बाइस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सख्या-17 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही

कार्य-विन्यास में परिवर्तन

मैं सदन की बैठक को स्थगित करूं उससे पूर्व मैं आपकी अनुमति लेना चाहूंगी कि 30 तारीख को चूंकि प्रेसीडेंट साहब आ रहे हैं, राष्ट्रपतिजी इसलिए उस दिन की जो मांग है, मांग तो 28 की है, लेकिन एक दिन पहले करने के लिए 24 तारीख को सदन में बैठ लें हम, तो कैसा रहे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बहुत ठीक रहेगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि 24 तारीख को बैठक हो?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 23.35 बजे, बुधवार; 21 मार्च, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

इंदिरा गांधी मुख्य नहर की संसारदेसर माइनर (रोजड़ी वितरिका) का निर्माण

134. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 507.290 से निकलने वाली रोजड़ी वितरिका की आर.डी. 19.000 से संसारदेसर माइनर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो कब व कितनी लागत से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त माइनर का निर्माण कार्य अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त माइनर के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य की कुल लागत 80.80 लाख रूपये आंकी गई थी। मार्च 1992 में एक रीच (बुर्जी 0 से 5) का कार्य लागत रूपये 10.20 लाख का प्रारम्भ किया था ।

(2) जी हां । कृषकों द्वारा नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के मुआवजे की मांग के कारण कार्य रूकवा दिया गया ।

(3) जी हां । वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी (अलवर) में प्रदूषण नियंत्रण हेतु ट्रीटमैन्ट प्लान्ट

135. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) **:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषण युक्त गंदा पानी हरियाणा राज्य द्वारा हरियाणा में जाने पर रोक लगा दी गई है तथा क्या गंदे पानी की निकासी रोके जाने से

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

भिवाड़ी क्षेत्र के हालात गंभीर हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार भिवाड़ी क्षेत्र में ट्रीटमैन्ट प्लान्ट लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। हरियाणा के निवासियों द्वारा पानी के प्रवाह को रोकने के कारण भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र व रिहायशी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर पानी का भराव हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा इस पानी का निस्तारण किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में कार्यरत ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने का सैद्धान्तिक निर्णय हो चुका है। अपग्रेडेशन करीब दो वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा।

दलपुरा ग्राम पंचायत (टोडाभीम) की वन भूमि पर अतिक्रमण

136. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले की तहसील नादौती के ग्राम पंचायत दलपुरा की वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि रेंज गुढाचन्द्रजी के माचड़ी से दलपुरा तक वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(4) क्या सरकार इन अवैध अतिक्रमणों को हटवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला करौली की तहसील नादौती के ग्राम पंचायत दलपुरा की वन भूमि पर अतिक्रमण के 18 प्रकरण है।

(2) रेंज गुढाचन्द्रजी में मांचडी से दलपुरा की आबादी से सटी हुई कुछ वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण है।

(3) जी नहीं। वन भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध 10 प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दर्ज किये गये हैं तथा 8 प्रकरण राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत दर्ज किये गये हैं।

(4) जी हां। भू-राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किये गये 10 प्रकरणों

(वन मंत्री)

में न्यायालय सहायक वन संरक्षक के निर्णय आने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा राजस्थान वन अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण/प्रकाशन पर रोक

137. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मिथ्या एवं भ्रामक विज्ञापन अखबारों/दूरदर्शन में प्रकाशित/प्रसारित कर आम लोगों को गुमराह करने, ठगने के प्रकरण सामने आये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2004 से 2006 तक राज्य में इस प्रकार के कितने प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार मिथ्या एवं भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करने वाले लोगों/संस्थाओं पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं इस प्रकार के विज्ञापनों की रोकथाम करने के लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी या सेल गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 2004 से 2006 तक कुल 33 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनकी सूची वर्षवार पृथक से संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में दोषी व्यक्ति कुल 47 गिरफ्तार हुये हैं जिनमें से 41 के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया है तथा 3 मुल्जिमानों के खिलाफ मुकदमा जैर तफतीश है, 3 मुल्जिमानों के खिलाफ एक मुकदमा में एफआर अदमवकु सिविल नेचर में दी गई है तथा 1 मुल्जिम क खिलाफ धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान जारी है। जिनका विवरण पृथक से सूचीवार व वर्षवार संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था के अधीन त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-138

(स्थगित)

छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना

139. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) **:** कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नई कृषि उपज मण्डी समिति के गठन/स्थापना हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार मध्यप्रदेश सीमा पर स्थित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र तहसील मुख्यालय छोटी सादड़ी में कृषि उपज मण्डी समिति के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । प्रतिलिपि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। छोटी सादड़ी, कृषि उपज मण्डी समिति निम्बाहेड़ा की गौण मण्डी है स्वतन्त्र मण्डी समिति की स्थापना हेतु निर्धारित वार्षिक आय 20.00 लाख के मापदण्ड की अपेक्षा बहुत कम होने के कारण छोटी सादड़ी स्वतंत्र मण्डी समिति की स्थापना के रूप में जीवनक्षम इकाई (वाईबल यूनिट) नहीं होगी ।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 6(22) कृषि/ग्रुप-2/96		जयपुर, दिनांक

निदेशक,

कृषि विपणन विभाग

राज. जयपुर ।

विषय : सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अजमेर व कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) अजमेर का क्षेत्र निर्धारण करने बाबत ।

संदर्भ : आपका पत्र सं. प.1 (137) ग्रुप-2/नियमन/98/56959 दिनांक 30.10.98

महोदय,

उपरोक्त विषायान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि नई कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु 20 लाख रुपये वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं।

भवदीय

ह./-

उप शासन सचिव

जिला स्तरीय सतर्कता समितियों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी

140. श्री हीरालाल (निवाई) **:** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर राशन सतर्कता एवं विजिलेंस समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो टोंक जिले में उक्त समिति का गठन कब किया गया और इस समिति में किन-किन जन प्रतिनिधियों को लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि समितियों में विधायकों, प्रमुख व प्रधान को नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब इन जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 97 (3) खा.वि./सा.वि.प्र./97 II दिनांक 11.05.99 के अन्तर्गत जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। इन निर्देशों की अनुपालना में टोंक जिले में जिला सतर्कता समिति का निम्न प्रकार गठन किया हुआ है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3	जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4	जिला प्रमुख	सदस्य
5	जिले की समस्त पंचायत समिति के प्रधान	सदस्य
6	जिले की समस्त नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
7	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8	उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9	जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

(2) जी नहीं। जिला स्तर पर गठित सतर्कता समिति में विधायकों, प्रमुख व प्रधान सम्मिलित हैं।

हनुमानगढ़ टाउन में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य-योजना

141. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार हनुमानगढ़ टाउन की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ टाउन में वर्तमान में कुओं व नहरों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो कितना-कितना? क्या यह भी सही है कि इस पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी होने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है?

(3) क्या सरकार हनुमानगढ़ टाउन की जनसंख्या को दृष्गित रखते हुये नये स्तर पर सर्वे करवाकर यहां की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये प्रोजेक्ट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है ।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। हनुमानगढ़ टाउन में नहर से औसतन 5640 किलोलीटर प्रतिदिन तथा स्थानीय स्त्रोत (2 नलकूप व 3 डग कम बोर वेल) से 876 किलोलीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा 1.05 से 1.36 मिलीग्राम/लीटर है जो मानक 1.50 मिलीग्राम/लीटर से कम होने के कारण स्वीकार्य है।

(3) वर्ष 2025 की आबादी को आधार मानकर योजना बनाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रोथ सेन्टर्स/कोचिंग सेन्टर्स हेतु भू-आबंटन

142. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों/ग्रोथ सेन्टर्स में कोचिंग सेन्टर्स को भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में कब-कब कितनी-कितनी भूमि किस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त आबंटित भूखण्डधारियों ने आबंटन की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य तथा औद्योगिक कार्य पूरा किया है ? यदि नहीं, तो आबंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) मांग संख्या 1 के उत्तर के परिपेक्ष में लागू नहीं ।

बारां एवं कोटा जिले की वन भूमि पर अतिक्रमण

143. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां व कोटा जिले की हजारों बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है? यदि हां, तो उक्त जिलों में कहां-कहां पर कितने वर्षो से कितनी वन भूमि पर अतिक्रमण है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(2) उक्त अतिक्रमण के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। बारां एवं कोटा जिले में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण का रेंजवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बारां जिले में वर्ष 2000-01 से 2005-06 की अवधि में 35465 अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही कर 1 करोड़ 13 लाख रुपये की शास्ति वसूल की गई । 5380 अतिक्रमियों को सिविल कारावास कसे दण्डित किया गया । 407 हैक्टेयर वन भूमि को क्लोजर में लेकर अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

इसी प्रकार कोटा जिले में 2004 के पश्चात 549.19 हैक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया । रुपये 1,48,434/- की शास्ति अतिक्रमियों से वसूल की गई एवं 65 अतिक्रमियों को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया । समय-समय पर की गई कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में किसी के विरुद्ध कार्यवाही का मामला नहीं बनता है ।

(3) जी हां। न्यायालय सहायक वन संरक्षक के निर्णय के उपरांत तदनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

परिशिष्ट 'क'

जिला बारां में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण का विवरण

क्र. सं.	**नाम रेंज**	**अतिक्रमण (है. मे)**	**अतिक्रमण का वर्ष**
1	नाहरगढ़	1127	1992 से
2	किशनगंज	556	1992 से
3	शाहबाद	182.96	1995 से
4	केलवाड़ा	1192.16	1990 से
5	छबड़ा	916.47	1993 से
6	छीपाबड़ौद	278.47	1992 से
7	शेरगढ	83.37	1992 से
8	अटरू	135.44	1991 से
	योग	**4471.87**	

जिला कोटा में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण का विवरण

क्र.सं.	नाम रेंज	अतिक्रमण (है.में)	अतिक्रमण का वर्ष
1	लाडपुरा	9.50 48.41 72.23	2004-05 से पूर्व 2005-06 में 2006-07 में
2	मोडक	2.0505 4.499	2005-06 2006-07
3	इटावा	30.98	2006-07
4	सुल्तानपुर	7.20 90.47	2005.06 2006.07
5	मंडाना	1.28 4.80	2004-05 से पूर्व 2006-07
6	कनवास	24.70	2006-07
	योग	**296.12**	

जयपुर में हज हाउस का निर्माण

144. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर में हज हाउस बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

(2) क्या राज्य से हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर में हज हाउस का निर्माण राजस्थान हज समिति द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान हज समिति द्वारा इस बाबत आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाये जा रहे हैं ।

(2) हज यात्रा का प्रबन्धन केन्द्र सरकार, केन्द्रीय हज समिति एवं राज्य हज समिति करती है एवं आवश्यक सुविधाएं भी उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। चूंकि हज पर जाने वाले हाजियों के साथ काफी संख्या में लोग विदा करने एवं रिसीव करने आते हैं। जिसके लिये राज्य हज समिति द्वारा व्यवस्था की जाती है।

तारांकित प्रश्न संख्या-145

(स्थगित)

लूणी की क्षतिग्रस्त सड़कें

146. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी समितियों (अनाज तथा फल एवं सब्जी) जोधपुर द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में किन-किन सड़कों का निर्माण करवाया गया? इन सड़कों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी समितियों (अनाज तथा फल एवं सब्जी) जोधपुर द्वारा निर्मित कौन-कौनसी बी.ओ.टी. सड़कों की गत दस वर्षों में मरम्मत (रिनेवल) करवाई गई? रिनेवल पर कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) में कृषि मण्डी समिति द्वारा निर्मित डब्ल्यू.बी.एम. से बी.ओ.टी. में सड़को को अपग्रेड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कौन-कौनसी सड़कों को तथा इस हेतु कितनी राशि आबंटित की जानी प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) में कृषि मण्डी समिति द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों की मरम्मत (रिनेवल) करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व कौन-कौन सी व नहीं, तो क्यों ?

(5) गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में कृषि मण्डी समिति द्वारा राज्य में डब्ल्यू.बी.एम. से बी.ओ.टी. पर व सड़कों के रिनेवल पर कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी (जिला जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (फल व सब्जी) के द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षो में तीन सड़कें 5.00 कि.मी. लंबाई में, 29.12 लाख रु. व्यय कर निर्माण करवायी गयी हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी (जिला जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (फल एवं सब्जी) के द्वारा निर्मित बी.टी. सड़कों में से गत दस वर्षो में 14 सड़कों पर 53.10 कि.मी., 119.69 लाख रु. व्यय कर रिनिवल करवायी है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है ।

(कृषि विपणन मंत्री)

(3) जी नहीं । मण्डी समिति के पास बचत राशि उपलब्ध नही होने के कारण वित्तीय वर्ष 2007-08 में डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. में अपग्रेड करने का विचार नहीं है ।

(4) जी नहीं। मण्डी समिति के पास बचत राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2007-08 में सड़कों की मरम्मत (रिनिवल) करवाने का विचार नहीं है ।

(5) वित्तीय वर्ष 2006-07 में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. पर कार्य नहीं करवाया गया ।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़कों में कराये गये रिनिवल पर राज्य में वित्तीय वर्ष 2006-07 में 581.74 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है । जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'स' संलग्न है ।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा लूणी में कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर (फल सब्जी) द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में सड़कों का निर्माण का विवरण

क्र. सं.	जिला	मण्डी समिति का नाम	विधान सभा क्षेत्र	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	कुल व्यय (लाखों में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	जोधपुर	जोधपुर (फल एवं सब्जी)	लूणी	उचियाड़ा से बिसलपुर	1.00	7.00
2	जोधपुर	जोधपुर (फल एवं सब्जी)	लूणी	जोधपुर सरदार समन्द से फिटकासनी	1.00	4.43
3	जोधपुर	जोधपुर (फल एवं सब्जी)	लूणी	धुन्धाडा से रामपुरा जिला बॉर्डर	3.00	17.69
				योग	**5.00**	**29.12**

(परिशिष्ट : ब)

विधान सभा क्षेत्र लूणी में गत दस वर्षों में रिनिवल सड़कों की सूचना का विवरण

क्र. सं.	जिला	मण्डी का नाम	विधान सभा क्षेत्र	सड़क का नाम	निर्मित वर्ष	डामरीकरण रिनिवल किमी.	योजना का नाम	व्यय राशि										कुल व्यय
								1996-97	1997-98	1998-99	1999-200	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	जोधपुर	जोधपुर (फल एवं सब्जी)	लूणी	भाण्डू चौराहा से बडलिया	1989-90	4.00	आर.यू.पी-01 (पी.डब्ल्यू.)	-	-	-	-	-	-	7.75	-	-	-	7.75
2				मोडी जोशियान	1989-90	1.00	आर.यू.पी-01 (पी.डब्ल्यू.)	-	-	-	-	-	-	1.66	-	-	-	1.66
3				झंवर पुलिस स्टेशन से लुणावास खारा	1995-96	8.00	आर.यू.पी-01	-	-	-	-	-	0.70	18.56	-	-	-	19.26
4				भाण्डू चौराया से फीच	1996-97	5.00	आर.यू.पी-01	-	-	-	-	-	0.04	11.13	-	-	-	11.17
5				ए.आर. खुडाला मंदिर	1998-99	3.00	आर.यू.पी-01	-	-	-	-	-	0.02	6.49	-	-	-	6.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6				बिनायकिया राजोला रोड़	1984-85	6.50	आर.यू.पी-02 (पी.डब्ल्यूडी.)	-	-	-	-	-	-	-	11.65	-	-	11.65
7				भाण्डु से फिंच	1996-97	1.00	आर.यू.पी-02 (पी.डब्ल्यूडी)	-	-	-	-	-	-	-	2.08	-	-	2.08
8				सालावास से रेल्वे स्टेशन	1996-97	4.00	आर.यू.पी-02 (पी.डब्ल्यूडी)	-	-	-	-	-	-	-	7.43	-	-	7.43
9				लुणावास, कला	1998-99	3.500	विशेष मरम्मत	-	-	-	-	-	-	-	8.32	1.45	-	9.77
10				झंवर से जानादेसर	1998-99	1.00	विशेष मरम्मत	-	-	-	-	-	-	-	2.18	0.42	-	2.60
11				जाटों की प्याऊ से तनावड़ा	1991-92	2.00	विशेष मरम्मत	-	-	-	-	-	-	-	4.55	-	-	4.55
12				सतलाना से धुन्धाड़ा	1990-91	5.00	विशेष मरम्मत	-	-	-	-	-	-	-	11.01	0.19	-	11.20
13				डोली से गांगाणा	1995-96	6.600	विशेष मरम्मत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.08	18.08
14				ए.आर. कुड़ी से सांगरिया	1994-95	2.50	आर.यू.पी-01	-	-	-	-	-	-	5.98	-	-	-	5.98
				योग		**53.10**							**0.76**	**51.57**	**47.22**	**2.06**	**18.08**	**119.69**

परिशिष्ट 'स '

वर्ष 2006-07 में राज्य में सडकों के रिनिवल पर किये गये व्यय का जिले वार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2006-07 में व्यय राशि
1	बाड़मेर	10.07
2	पाली	142.51
3	जोधपुर	48.17
4	जालौर	-
5	सिरोही	-
6	जैसलमेर	23.77
7	बूंदी	7.90
8	बारां	-
9	कोटा	-
10	झालावाड़	-
11	अजमेर	19.80
12	नागौर	102.38
13	चित्तौड़गढ़	-
14	भीलवाड़ा	-
15	सीकर	2.54
16	झुंझूनूं	0.35
17	चुरू	9.65
18	उदयपुर	0.07
19	डूंगरपुर	-
20	बासंवाड़ा	0.10
21	राजसमन्द	0.10
22	हनुमानगढ़	19.50

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2006-07 में व्यय राशि
23	बीकानेर	1.61
24	श्रीगंगानगर	26.93
25	जयपुर	136.77
26	अलवर	20.81
27	भरतपुर	0.43
28	टौंक	0.16
29	दौसा	-
30	सवाईमाधोपुर	8.12
31	करौली	-
32	धौलपुर	
	योग	**581.74**

बी.पी.एल/ए.पी.एल परिवारों को गेहूं वितरण में व्याप्त अनियमितताएं

147. डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. व ए.पी.एल परिवारों के लिये वर्ष 2004 से अब तक राज्य सरकार ने केन्द्र से गेहूं की मांग की है? यदि हां, तो कितने गेहूं की मांग की गई व कितना गेहूं आबंटित हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि गेहूं वितरण में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर किस-किस जिले में क्या-क्या? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें

(3) प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा कब-कब क्या–क्या कार्यवाही की गई? इसमें कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये एवं इन पर क्या क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. व ए.पी.एल. परिवारों के लिए केन्द्र सरकार से गेहूं की मांग की गई है ।

शहरी बी.पी.एल. सर्वे जो 01 अप्रैल, 2005 से लागू हुआ है, में बढ़े हुए परिवारों के लिए 10.430 में. टन गेहूं की मांग की गई है ।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

इसमें लगभग 3528 मै.टन गेहूं प्रतिमाहका आवंटन प्राप्त हो रहा है।

वर्ष 2006 से जून माह से राज्य का ए.पी.एल. गेहूं का आबंटन 1,57,682 मै. टन प्रतिमाह से घटाकर मात्र 16,959 मै. टन कर दिये जाने पर केन्द्र सरकार को ए.पी.एल गेहूं का आबंटन पूर्व के अनुसार करने हेतु अनुरोध किया गया । जो स्वीकार नहीं होने पर राज्य को प्राप्त नियमित गेहूं आबंटन के अतिरिक्त 1.0 लाख मै. टन ए.पी.एल. गेहूं की मॉग की गई है । नियमित आबंटन के अतिरिक्त माह सितम्बर, 06 से राज्य को 6000 मैं.टन ए.पी.एल. गेहूं का प्रतिमाह विशेष आबंटन प्राप्त हो रहा है।

केन्द्र द्वारा बी.पी.एल व ए.पी.एल. परिवारों के लिये गेहूं की मात्रा मेंकटौती कर चावल का आबंटन किया गया है । राज्य में चावल प्रमुख खाद्यान्न नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने चावल के स्थान पर गेंहूं की मात्रा बढ़ाने हेतु समय-सयम पर अनुरोध किया गया है किन्तु केन्द्र सरकार ने चावल के स्थान पर गेहूं आबंटन करने में असमर्थता व्यक्त की है ।

(2) विभागीय अधिकारी समय-समय पर वितरण व्यवस्था पर निगरानी के अन्तर्गत निरीक्षण करते हैं। पाई गई अनियमितताओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है

(3) गेहूं के वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	जिले का नाम	अनियमितताओं/ शिकायतों की संख्या	अनियमितताओं/ शिकायतों का विवरण	प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण	दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	अजमेर	11	गेहूं वितरण में अनियमितता	2,452.86 क्विन्टल गेहूं की अन्तर राशि एवं प्रतिभूति जप्त	
2	अलवर	04	गेहूं वितरण में अनियमितता	तीन में् प्राथमिकी दर्ज व एक में प्राधिकार पत्र निरस्त	

1	2	3	4	5	6
3	बांसवाडा	40	गेहूं वितरण में अनियमितता	15 प्रतिभूति जप्त 04 निरस्त, 09 प्रतिमूति जप्त व निरस्त, 12 विचाराधीन	
4	बारां	शून्य	शून्य	शून्य	
5	बाड़मेर	शून्य	शून्य	शून्य	
6	भरतपुर	36	गेहूं वितरण में अनियमितता	06 विभागीय जांच, 04 निरस्त, 01 प्रतिमूति जप्त 25 निलम्बित एवं विभागीय जांच	
7	भीलवाडा	शून्य	शून्य	शून्य	
8	बीकानेर	58	गेहूं वितरण में अनियमितता	18 में विभागीय कार्यवाही, 27 निराधार एवं 13 विचाराधीन	
9	बूंदी	01	गेहूं वितरण में अनियमितता	प्राथमिकी दर्ज	
10	चित्तौड़ग ढ़	12	गेहूं वितरण में अनियमितता	3 प्राथमिकी, 3 प्राधिकार पत्र निरस्त, 3 अन्तर राशि वसूली एवं 3 प्राधिकार पत्र निलम्बित	
11	चूरू	34	गेहूं वितरण में अनियमितता	06 निलम्बित, 01 प्रतिभूति जप्त, 13 विचाराधीन, 06 निरस्त, 06 निराधार, 01 सामग्री जप्त, 01 त्याग पत्र	
12	दौसा	53	गेहूं वितरण में अनियमितता	41 विचाराधीन, 08 लम्बित, 03 असत्य, 01 निरस्त	

1	2	3	4	5	6
13	धौलपुर	98	गेहूं वितरण में अनियमितता	07 निरस्त, 67 प्रतिमूति जप्त, 23 विचाराधीन, 1 समाप्त	
14	डूंगरपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
15	श्री गंगानगर	03	गेहूं वितरण में अनियमितता	एक एफ.आई.आर, दो प्राधिकार पत्र निरस्त	
16	हनुमानगढ़	15	गेहूं वितरण में अनियमितता	8 निलम्बित व 7 विचाराधीन	
17	जयपुर	53	गेहूं वितरण में अनियमितता	06 उ.म.दु. निरस्त, 28 निलम्बित एवं प्रतिमूति जप्त, 07 विचाराधीन, 03 प्रकरण दर्ज, 09 तथ्यहीन	
18	जैसलमेर	शून्य	शून्य	शून्य	
19	जालौर	03	गेहूं वितरण में अनियमितता	एम प्राधिकार पत्र निलम्बित, दों में अन्तर राशि की वसूली	रामदेव क्रय-विक्रय समिति सांचौर द्वारा 25 क्विन्टल गेहं का दुरूपयोग रुपये 17,585 (सत्रह हजार पांच सौ पिचासी) वसूले गए ।
20	झालावाड	08	गेहूं वितरण में अनियमितता	8 विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6
21	झुन्झुनूं	59 (निरीक्षण के दौरान अनियमित ताएं+30 शिकायतें	गेहूं/कैरोसीन वितरण में अनियमितता/ कालाबाजारी	26 प्राधिकार पत्र निरस्त प्रतिभूति जप्त, 12 विचाराधीन, 43 प्रतिभूति जप्त, 1 असत्य	
22	जोधपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
23	करौली	27	गेहूं वितरण में अनियमितता	12 प्रतिभूति जप्त, 14 निलम्बित, 01 निरस्त	
24	कोटा	01	गेहूं वितरण में अनियमितता	न्यायालय एवं जिला कलक्टर में विचाराधीन	
25	नागौर	20	गेहूं वितरण में अनियमितता	06 निरस्त 08 निलम्बित, 05 प्रतिभूति/अन्तर राशि 01 विचाराधीन	
26	पाली	04	गेहूं वितरण में अनियमितता	03 प्राधिकार पत्र निरस्त, 01 में अन्तर राशि व प्रतिभूति राशि जप्त	
27	राजस मन्द	08	गेहूं वितरण में अनियमितता	03 निरस्त, 05 प्राथमिकी दर्ज	
28	सीकर	39	गेहूं वितरण में अनियमितता	10 प्राधिकार पत्र निरस्त, 29 निलम्बित	
29	सिरोही	14	गेहूं वितरण में अनियमितता	एक प्राथमिकी व 13 प्रकरणों में गेहूं की अन्तर राशि एवं प्रतिभूति राशि जप्त	कृषि क्रय–विक्रय समिति आबू रोड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उनके पुत्र तथा गोदाम कीपर द्वारा गेहूं का दुरूपयोग-प्राथमिकी दर्ज

1	2	3	4	5	6
30	सवाई माधोपुर	83	गेहूं वितरण में अनियमितता	23 प्रतिभूति, 40 विचाराधीन, 11 पिलम्बित, 02 निरस्त, 4 प्राथमिकी 03 विभागीय कार्यवाही	
31	टोंक	15	गेहूं वितरण में अनियमितता	7 विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हैं एक प्राधिकार पत्र निरस्त, 06 एफ.आई.आर. एक में गेहूं की अन्तर राशि वसूली	
32	उदयपुर	05	गेहूं वितरण में अनियमितता	04 अन्तर राशि वसूली 01 निलम्बित	

भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु कोटा संभाग में एनीकट निर्माण

148. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या भूजल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भू-जल विभाग का कार्य राज्य में उपलब्ध भू-जल की खोज और दोहन करना है ?

(2) क्या भू-जल विभाग भू-जल भण्डार के पुनर्भरण पर भी ध्यान देता है? यदि हां, तो प्रदेश में भू-जल विभाग द्वारा भूजल पुर्नभरण हेतु वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग में नदियों में पानी के भरण

(श्री भरत सिंह)

से भू-जल रीचार्ज होता है ?यदि हां, तो सरकार द्वारा नदियों में जल के भण्डारण पर किन-किन कारणों से ध्यान नहीं दिया गया?

(4) क्या सरकार कोटा जिले में भू-जल भण्डार के पुनर्भरण हेतु प्रमुख नदियों –कालीसिंध परवन पर बडे एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एनीकट अपनाना प्रस्तावित है व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग राज्य में उपलब्ध भू-जल की खोज करता है ।

(2) जी हां । विवरण परिशिष्ट–अ पर सलंग्न है ।

(3) जी हां । सरकार द्वारा नदियों से जल के भण्डारण पर ध्यान दिया गया है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं उपादेयता अनुसार नदियों के जल का भण्डारण किया जा रहा है ।

(4) जी हां। कालीसिंध व परवन नदी पर जिला परिषद कोटा से समय-समय पर प्रापत बढ़े एनिकटों के प्रस्ताव परिशिष्ट–ब पर सलंग्न हैं। इन प्रस्तावित एनीकटों की उपादेयता की जांच उपरान्त कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट 'अ'

राज्य में भू-जल पुनर्भरण हेतु किया गया व्यय

क्र.सं.	**वर्ष**	**व्यय राशि (रु. लाख में)**
1.	2000-01	13.164
2.	2001-02	14.627
3.	2002-03	16.05
4.	2003-04	4.69
5.	2004-05	1044
6.	2005-06	-
7.	2006-07	22.24
	कुल राशि	**101.161**

परिशिष्ट 'ब'

जिला परिषद कोटा की मांग के अनुसार कोटा जिले के अन्तर्गत परवन एवं काली सिंध पर बड़ी नदियों के प्रस्तावों में निम्न एनीकटों का निर्माण सम्मिलित है :-

एनीकटों का नाम	अनुमानित लागत
पखन नदी :-	
1. बाहेड़ा एनीकट	30 लाख
2. अड़ूसा एनीकट	30 लाख
3. ठीमली व बम्बूलिया के मध्य एनीकट	30 लाख
काली सिन्ध नदी :-	
1. एबरा गांव व माताजी के देवस्थान के मध्य	70 लाख
2. पीपल्दा बीरम व गावडी के बीच	70 लाख
3. बालुहेडा एनीकट	65 लाख
4. डागी-डाबरा एनीकट	65 लाख
5. मामोर एनीकट	40 लाख
6. नोनेरा एनीकट	60 लाख
7. घटाल एनीकट	70 लाख

टैक्सटाइल जोन ग्राम सोनियाना (गंगरार) में आधारभूत सुविधाएं

149. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सोनियाना ग्राम के पास टैक्सटाइल जोन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त टैक्सटाइल जोन के विस्तार के लिए और भूमि अधिग्रहित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(3) सरकार द्वारा उक्त टैक्सटाइल जोन के निर्माण के लिये अब तक क्या क्या आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया?

(4) क्या सरकार उक्त टैक्सटाइल जोन को वर्ष 2007 तक विकसित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सोनियाना की 8.66 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जा रही है। अवार्ड दिनांक 26.2.07 को घोषित किया गया है। अभी तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

(2) जी हां। तहसील गंगरार के ग्राम मुलाबपुरा, नक्शनपुरा व सोनियाना की कुल 266.71 हैक्टेयर खातेदारी भूमि अवाप्ति किया जाना प्रस्तावित है।

(3) टैक्सटाइल जोन के लिए आवश्यक सुविधाओं यथा बिजली, सड़क व पानी की उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है ।

(4) टैक्सटाइल पार्क का विकास दो वर्ष की अवधि में किया जाना संभावित है ।

अजमेर जिले में खनन लीज/पट्टों हेतु लम्बित आवेदन

150. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में बत एक वर्ष में सभी प्रकार के खनिजों के कुल कितने पटटे किस-किस के नाम जारी किये गये? मालिक का नाम खनिज का नाम ग्राम का नाम एवं अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) स्वीकृत पट्टेधारियों द्वारा किस दिनांक को आवेदन किया गया व किस दिनांक कों स्वीकृति जारी की गई? शेष लम्बित रहे आवेदकों के नाम व आवेदन तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में गत एक वर्ष में सभी प्रकार के खनिजों के कुल 49 खनन पटटे जारी किये गये। इनमें से प्रधान खनिज के 40 एवं अप्रधान खनिज के 9 खनन पट्टे है जिनकी सूची मय मालिक के नाम खनिज का नाम, खान का नाम एवं अवधि सलंग्न परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है

(2) स्वीकृत पट्टेधारियों द्वारा जिस दिनांक को आवेदन किया गया व जिस दिनांक को स्वीकृति जारी की गई का विवरण प्रधान खनिज के खनन पट्टे हेतु प्रश्न संख्या एक कूे उत्तर के साथ सलंग्न परिशिष्ट-अ में अंकित है व अप्रधान के खनन पट्टों के सम्बन्ध में प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के साथ सलंग्न परिशिष्ट–ब में अंकित है । वर्तमान में शेष लम्बित रहे आवेदकों के

(खनिज मंत्री)

नाम व आवेदन तिथि का विवरण प्रधान खनिज के खनन पटटे हेतु परिशिष्ट–स व अप्रधान खनिज के खनन पट्टों हेतु परिशिष्ट–द में अंकित है ।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्रीय विद्यालय, नसीराबाद (अजमेर) का यौन-शोषण प्रकरण

151. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद स्थित सैनिक छावनी में संचालित केन्द्रीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं के यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं को ब्लैकमेल करने की शिकायत दिसम्बर, 2006 में नसीराबाद सिटी थाना प्रभारी को दी गई थी? यदि हां, तो शिकायत पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में अब कब तक सरकार द्वारा कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार छात्र-छात्राओं के साथ यौन शोषण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) अब तक जांच से यह तथ्य सामने आया है कि थाना अधिकारी नसीराबाद के यहां प्रकरण बाबत दिसम्बर में शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट फरवरी में दर्ज हुई है। मामले की विस्तृत जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) से करायी जा रही है।

(3) उक्त दोनों प्रकरणों में मुल्जिमों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, अनुसंधान जारी है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होने पर कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट ''अ''

1. मुकदमा नम्बर 20/07 धारा 377 ता.हि. दि. 17.2.2007 थाना नसीराबाद सिटी जिला अजमेर:-

दिनांक 17.2.2007 को प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय नसीराबाद श्रीमति विजयलक्ष्मी नागर की एक लिखित रिपोर्ट थाने पर विद्यालय के तीन छात्रों में समलैंगिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में इस आशय की प्राप्त हुई कि छात्र मास्टर आलोक, कक्षा 7वीं, के दादाजी द्वारा विद्यालय प्रशासन को सूचित किया कि उसका पौत्र समलैंगिक सम्बन्ध का शिकार है। उकत सूचना पर दिनांक 6.2.07 को तीन सदस्यों की जांच कमेटी गठित की गई। जांच समिति द्वारा आलोक के बयान लिये गये तो उसने बताया कि श्यामसुन्दर गुप्ता जो पेशे से पेन्टर है तथा फ्राम जी चौक में गुप्ता आर्ट की दुकान है ने इस दुकान में तीन-चार माह पूर्व उससे रोहित सैनी तथा श्यामसुन्दर गुप्ता ने समलैंगिक सम्बन्ध बना लिये। है। श्यामसुन्दर गुप्ता व रोहित सैनी ने विद्यालय के छात्र अंकित एवं मुनीम खां से भी समलैगिक सम्बन्ध बना लिये है। जो तीनों छात्रों ने स्वीकर किया। श्याम सुन्दर गुप्ता व रोहित सैनी जो सिविल क्षेत्र में रहते हैं, संदेह है कि यौन शोषण का संगठित गिरोह चलाते है। ये बच्चों में गलत आदतें डालते हैं फिर बच्चों को डरा धमका कर उनके साथ समलैगिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। तीनों छात्रों ने अपने साथ हुए यौनाचार की जानकारी विद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवाई। उसके बाद विद्यालय में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि हुई। घटना की संवेदनशीलता व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की सुरक्षा प्रदान की जाये। इस रिपोर्ट पर मु.स. 20/07 धारा 377 ता.हि. थाना नसीराबाद सिटी में दर्ज कर अनुसंधान श्री हरीशचंद शर्मा थानाधिकारी द्वारा प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान पीड़ित आलोक, मुनीम, अंकित के बयान लिये एवं इनका मेडीकल मुआयना करवाया प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान श्री अर्जुनराम पुलिस निरीक्षक, थाना नसीराबाद सदर द्वारा की जाकर मुल्जिम श्याम सुन्दर गुप्ता व रोहित सोनी को धारा 377 ता.हि. में दि. 18.2.07 को गिरफ्तार किया। जो न्यायिक अभिरक्षा में है। मुकदमें में तफ्तीश पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया जायेगा।

2 मुकदमा नम्बर 22/07 धारा 506, 509, 427 ता.हि. थाना नसीराबाद सिटी जिला अजमेर:-

दिनांक 20.2.07 को केन्द्रीय विद्यालय की प्राचार्य श्रीमति विजयलक्ष्मी नागर, ने मु.न. 20/07 की जांच के दौरान श्री अर्जुनराम, थानाधिकारी नसीराबाद सदर को रिपोर्ट पेश की केन्द्रीय विद्यालय नसीराबाद में दि.

5.12.06 को लगभग 2 बजे के करीब विद्यालय के 12वीं वाणिज्य के छात्र अभिषेक राणा ने कक्षा में लगी खिडकी के शीशे मुक्का मार-तोड दी एवं विद्यालय के स्वीच बोर्ड तोडे जा रहे हैं। शीशा व स्वीच बोर्ड तोडने का एक जैसा तरीका है, जो शायद अभिषेक राणा का ही काम है। उसे टी.सी दी जाकर उसकी माताजी को समझा दिया कि यह टी.सी एक सप्ताह के लिए है, आप सहयोग दे व बच्चे को घर पर समझायें। दि. 8.12.06 को 12वीं वाणिज्य के कुछ बच्चे स्कूल गेट पर खडे हो गये जो बुरी तरह से भडके हुए थें। प्राचार्य विद्यालय ने बच्चों को अन्दर बुलाया, बच्चे अभिषेक की टी.सी. वापस लेने की मांग की प्राचार्य ने जांच पडताल की तो पता लगा कि अभिषेक राणा की माताजी एवं बडा भाई आशीष ने बच्चों को घर बुलाकर समस्त बच्चों को हडताल करने एवं पेरेन्ट्स को स्कूल के अन्दर न आने देने के लिए उकसाया और कहा कि जब भीड इकट्ठी हो जाये तब हमें फोन कर देना। हम ताला लेकर आ जायेंगे ओर ताला लगा देगें। प्राप्त शिकायतों से कुछ साजिश और ब्लैकमेलिंग के पहलू भी सामने आये हैं। मामला छात्राओं का है, उनके नाम गुप्त रखें जायें। इस रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 22/07 दर्ज कर अनुसंधान श्री अर्जुनराम, थानाधिकारी नसीराबाद सदर के लिए जिम्मे किया गया। प्रकरण में प्रयुक्त मोबाईल फोन जब्त किया गया। फोटोग्राफ डवलप बाबत् एफ.सी.एल में मोबाईल जमा करवाया गया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान श्रीमती शिल्पा चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक के जिम्मे की गई। प्रकरण में तफ्तीश से मुल्जिमान 1 आशीष राणा, 2 मुकेश सक्सैना, 3 मोहम्मद असगर को धारा 363, 366, 506, 509, 427, 354 भा.द.स. में दि. 1.3.07 को गिरफ्तार किया। जो न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय

227. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं, उनमें से कितने लाभ की स्थिति में और कितने हानि में चल रहे हैं? इन उपक्रमों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने उपक्रम बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक इन उपक्रमों द्वारा कितनी-कितनी राशि विज्ञापन पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा इस हानि को कम करने के सम्बन्ध में कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां तो क्या ?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में 26 उपक्रम कार्यरत हैं। इनमें 11 लाभ में हैं, 12 हानि में हैं, दो उपक्रम न लाभ में न हानि में तथा एक उपक्रम परिसमापन प्रक्रिया में है। विवरण वरिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इन उपक्रमों में 80993 कर्मचारी कार्यरत हैं

(2) जनवरी 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक इन उपक्रमों द्वारा दिये गये विज्ञापन की राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों के अपविनियोजन, सुदृढ़ीकरण, पुन:संर्चना एवं औद्योगिक विकास हेतु श्री राजसिंह निर्वाण की अध्यक्षता में गठित समिति ने कुछ राजकीय उपक्रमों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की समीक्षा व्यय सुधार आयोग द्वारा की गयी। तद्उपरान्त वित्त विभाग, जो कि व्यय सुधार आयोग का प्राशासनिक विभाग है, ने सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लाभ/हानि/ बंद की स्थिति	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	1 जनवरी, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक दिये गए विज्ञापनों की राशि (लाख रुपयों में)
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	हानि	21891	4843
2	राजस्थान जल विकास निगम	हानि	37	0.75
3	राजस्थान आवासन मंडल.	लाभ	2117	1006.49
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	लाभ	1943	110.00
5	राजस्थान राज्य बीज निगम लि.	लाभ	216	3.00
6	राजस्थान भूमि विकास निगम	लाभ	12	0.42
7	राजस्थान लघु उ़द्योग निगम लि.	हानि	326	16.28
8	राजस्थान राज्य कृषि उ़द्योग निगम लि.	बंद परिसमापन प्रक्रिया में	0	0
9	राजस्थान वित्त निगम	लाभ	876	12.97
10	राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण निगम	लाभ	306	2.51
11	राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	लाभ	523	2.66
12	राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि.	लाभ	1158	364.28

13	राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लि.	हानि	166	0.05
14	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि.	हानि	79	1.73
15	राजकीय लवण उद्योग डीडवाना	लाभ	5	0.12
16	सोडियम केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना	हानि	4	
17	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक निगम लि.	हानि (समापन की प्रक्रिया)	4	0.00
18	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	ना लाभ ना हानि	7457	8.04
19	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	ना लाभ ना हानि	3297	33.94
20	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	हानि	14466	7.55
21	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	हानि	12543	120.00
22	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	हानि	9412	134.60
23	राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लि.	लाभ	64	7.10
24	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	लाभ	1217	48.76
25	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि.	लाभ	1992	10.76
26	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	हानि	882	13.50
	योग	**80993**		

परबतसर में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त भूमि

228. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में रीको द्वारा गत दस वर्षों में कितनी भूमि अवाप्त की गई?

(2) अवाप्त भूमि में से कितनी भूमि आबंटित की जा चुकी है और कितनी भूमि आबंटित की जानी शेष है?

(3) सरकार द्वारा उक्त भूमि किन-किन को किस-किस दर पर आबंटित की गई?

(4) सरकार द्वारा अवाप्त भूमि में क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये व क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में रीको द्वारा विगत दस वर्षों में कुल 367.74 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु अवाप्त की गई है।

(2) अवाप्त भूमि में से कुल 205.90 एकड़ भूमि आबंटन योग्य है। 41.00 एकड़ भूमि आबंटित की जा चुकी है और 164.90 एकड़ भूमि आबंटन की जानी शेष है।

(3) कुल 115 व्यक्तियों को भूमि 292.64 लाख रुपये में आबंटित की गई है। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(4) (अ) भूमि के 87.10 एकड़ भूमि (प्रथम व द्वितीय चरण) में निम्न विकास कार्य करवाये गये हैं :-

1. सर्वेक्षण व सीमांकन
2. सड़कें व पुलियाएं
3. वृक्षारोपण (आंशिक)
4. जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत नलकूप स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, पम्प हाउस, स्विच रूम, मशीनरी, पाइप लाइन की आपूर्ति व बिछाई का कार्य
5. बिजली की लाइनें बिछाने का कार्य
6. सड़क प्रकाश व्यवस्था (आंशिक)
7. सहायक स्थल अभियंता कार्यालय व चारदीवारी का कार्य

प्रस्तावित विकास कार्य निम्नानुसार हैं :-

1. वृक्षारोपण कार्य
2. सड़क प्रकाश व्यवस्था

(ब) शेष अवाप्त 280.64 एकड़ भूमि (औद्योगिक क्षेत्र विस्तार) में विकास कार्य चरणबद्ध रूप से करवाये जायेंगे।

परिशिष्ट 'क'

OFFICE OF THE Sr. REGIONAL MANAGER, RIICO LTD., NAGAUR
LIST OF ALLOTMENT AT (SPLIT) GROWTH CENTRE
PARBATSAR

क्र.सं.	आबंटी का नाम	वसूली योग्य राशि	विशेष विवरण
1.	मैसर्स रोशन इन्टरप्राइजेज	190000	
2	मैसर्स दशरथ इन्जी वर्क्स	93500	
3	मैसर्स कमल इन्डस्ट्रीज	85000	
4	मैसर्स आनन्दी लाल अग्रवाल	95000	
5	ईश्वर चन्द	85000	
6	मैसर्स श्रवण कुमार	95000	
7	मैसर्स जितेन्द्र कुमार	95000	
8	मैसर्स नत्थुलाल	85000	
9	मैसर्स श्रीमती प्रेम लता	95000	
10	मैसर्स श्रीमती सन्तोष सोनी	95000	
11	मैसर्स घासी राम	133000	
12	मैसर्स फजू खां	380000	
13	मैसर्स श्रवण लाल	44412	
14	मैसर्स मिलन इन्जीनियर	118137	
15	मैसर्स किसना राम गुर्जर	304320	
16	मैसर्स श्रीमती सीता देवी	48125	
17	मैसर्स जगदम्बा आइस फैक्ट्री	96250	
18	मैसर्स एम.डी. फलार मिल	267761	
19	मैसर्स एम.डी. फलार मिल		
20	मैसर्स रिधी सिद्धि आइसक्रीम	122500	
21	मैसर्स आर.के. वायर इण्डस्ट्रीज	119227	
22	मैसर्स ऊषा रानी	288750	
23	मैसर्स अहमद खान	374000	
24	मैसर्स सन्तोषी मिनरल एण्ड केमीकल	305550	

क्र.सं.	आबंटी का नाम	वसूली योग्य राशि	विशेष विवरण
25	मैसर्स जोधाणा प्लास्टिक बेग इण्डस्ट्रीज	175000	
26	मैसर्स एस.के.डी. इपैक्स	341250	
27	मैसर्स राजीव गोयल	341250	
28	मैसर्स मुकेश अग्रवाल	175000	
29	मैसर्स के.के. शर्मा	175000	
30	मैसर्स के.पी. इन्टरप्राइजेज	175000	
31	मैसर्स विनोद शर्मा	341250	
32	मैसर्स शिवराज बंसल	34120	
33	मैसर्स देवेन्द्र कुमार अग्रवाल	175000	
34	मैसर्स रिधी सिद्धि इण्डस्ट्रीज	262500	
35	मैसर्स बनारसीदास कैलाशवाली इण्ड.	175000	
36	मैसर्स गुप्ता इण्ड.	175000	
37	मैसर्स तृप्ती इण्ड.	175000	
38	मैसर्स महिन्द्रा इण्ड.	175000	
39	मैसर्स दधीमती प्लास्टिक उद्योग	87500	
40	मैसर्स लक्ष्मी अका उद्योग	134750	
41	मैसर्स गुप्ता इण्ड.	412913	
42	मैसर्स गेन्ट इण्ड.	341250	
43	मैसर्स गोतल इण्ड.	341250	
44	मैसर्स मीतल इण्ड.	341250	
45	मैसर्स डी.के. इन्टरप्राइजेज	341250	
46	मैसर्स के.पी.आर. इन्टरप्राइजेज	341250	
47	मैसर्स कन्नू इण्ड.	87500	
48	मैसर्स नोऐडा इण्ड.	122500	
49	मैसर्स गर्ग इण्ड.	412913	
50	मैसर्स एस.एस. इन्टरप्राइजेज	341250	
51	मैसर्स हरीहर दास गर्ग	341250	
52	मैसर्स श्रीमती अनु गोयल	341250	
53	मैसर्स मयंक अग्रवाल	341250	
54	मैसर्स श्रीमती रजनी	412913	

क्र.सं.	आबंटी का नाम	वसूली योग्य राशि	विशेष विवरण
55	मैसर्स जैन इण्ड	341250	
56	मैसर्स एम.एस. इण्ड	175000	
57	मैसर्स आरती गुप्ता	175000	
58	मैसर्स विनायक इण्ड	175000	
59	मैसर्स डी.डी. शर्मा	122500	
60	मैसर्स अनुराधा	87500	
61	मैसर्स कपूर इण्ड	175000	
62	मैसस कपूर इण्ड		
63	मैसर्स चौपड़ा एसोसियट	175000	
64	मैसर्स चौपड़ा एसोसियट		
65	मैसर्स रस्तौगी इण्ड	175000	
66	मैसर्स रस्तौगी इण्ड		
67	मैसर्स के.पी.आर. इन्टरप्राइजेज	770000	
68	मैसर्स कृष्णा इण्ड	341250	
69	मैसर्स माखन लाल इण्ड	341250	
70	मैसर्स राहुल इण्ड	341250	
71	मैसर्स राकेश इण्ड	341250	
72	मैसर्स राजा इण्ड	341250	
73	मैसर्स सविता इण्ड	375375	
74	मैसर्स सविता इण्ड	341250	
75	मैसर्स पवन इण्ड	341250	
76	मैसर्स सचिन इण्ड	317625	
77	मैसर्स डी.पी. इण्ड	262500	
78	मैसर्स मीना इण्ड	262500	
79	मैसर्स शर्मा इण्ड	262500	
80	मैसर्स श्रीजी इण्ड	175000	
81	मैसर्स श्रीजी इण्ड		
82	मैसर्स बी.पी. इण्ड	87500	
83	मैसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेज	87500	
84	मैसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेज	122500	
85	मैसर्स गुप्ता इण्ड	122500	

क्र.सं.	आबंटी का नाम	वसूली योग्य राशि	विशेष विवरण
86	मैसर्स डोलर इण्ड	122500	
87	मैसर्स साया इण्ड	122500	
88	मैसर्स आकार इण्ड	122500	
89	मैसर्स वी.पी. फेब्रीकेशन	700000	
90	मैसर्स यु.वी. मेनुफैक्टीरींग	700000	
91	मैसर्स उमा गोरमेन्ट	770000	
92	मैसर्स एस.आर. लिमिटेड	700000	
93	मैसर्स एस.ए. इन्ट	770000	
94	मैसर्स डी.डी. इन्ट	341250	
95	मैसर्स महाशक्ति इलै.	700000	
96	मैसर्स भातेयवरी मिनरल	700000	
97	मैसर्स ए.के. फैबीकेशन	341250	
98	मैसर्स देवागी फैशन	341250	
99	मैसर्स पारस इण्ड	341250	
100	मैसर्स प्रीती महेश्वरी	262500	
101	मैसर्स सुनिता फेब्रिक्स	262500	
102	मैसर्स केशव स्टोनेक्स	262500	
103	मैसर्स सन्तोष इण्ड	87500	
104	मैसर्स कृष्णा इण्ड	87500	
105	मैसर्स राजस्थान क्राफ्ट इण्ड	949375	
106	मैसर्स दिस एण्ड देट	682500	
107	मैसर्स दिस एण्ड देट		
108	मैसर्स रजत कुमार	175000	
109	मैसर्स गणेशम टैक्सटायल	1312500	
110	मैसर्स गणेशम टैक्सटायल		
111	मैसर्स गणेशम टैक्सटायल		
112	मैसर्स गणेशम टैक्सटायल		
113	मैसर्स गणेशम टैक्सटायल		
114	मैसर्स कक्कड इण्ड	262500	
115	मैसर्स याम एसोसियटस	179025	
	कुल योग	**292.64**	

औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा, जयपुर के भू-खण्ड संख्या ई-412 का हस्तान्तरण प्रकरण

229. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन (वर्तमान रीको) द्वारा वर्ष 1972 में विश्वकर्मा, जयपुर में औद्योगिक भू-खण्ड संख्या ई-412 प्रोपराइटर, एस.आर. इण्डस्ट्रीज को लीज पर आबंटित किया गया था? यदि हां, तो लीज की शर्ते क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त लीज डीड को बाद में किसी अन्य के नाम पर स्थानान्तरित कर दिया गया? यदि हां, तो किसके नाम पर व किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व लीज डीड को बिना निरस्त किये नया लीज डीड नहीं जारी किया जा सकता? यदि हां, तो उक्त लीज डीड को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जारी किये जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त एस.आर. इण्डस्ट्रीज के नाम जारी लीज डीड को एस.आर. आर्च स्टील प्रावइेट लिमिटेड के नाम से करवाकर राजस्थान वित्त निगम से ऋण भी स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किस व्यक्ति को किन शर्तो पर कितना ऋण स्वीकृत किया गया?

(5) क्या यह सही है कि उक्त ऋण स्वीकृत करने में अनियमितताएं बरती गई हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। लीजडीड की शर्ते परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न लीजडीड की प्रतिलिपि के अनुसार थी।

(2) जी हां। लीज राइट्स का हस्तान्तरण मैसर्स एस.आर. आर्च स्टील प्रा. लि. के पक्ष में किया गया है। उक्त हस्तान्तरण रीको (भू निपटान नियम) 1979 के नियम 18 (v) के तत्कालीन प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया। संदर्भित नियम की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी हां। प्रकरण में गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है।

(4) जी हां। एस.आर. आर्च स्टील प्रा. लि. को राजस्थान वित्त निगम द्वारा 29.70 लाख रुपये का ऋण दिनांक 31.5.1994 को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

औद्योगिक क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं

230. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा श्रीडूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए विगत तीन वर्षों में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीडूंगरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में अनेकों/उद्योग/इकाईयां सरकारी उदासीनता के चलते बंद हैं तथा सुविधाओं के अभाव में कोई भी नया उद्योग स्थापित होने की संभावना नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या नई योजना बनाई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रीको द्वारा श्रीडूंगरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अविकसित भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। विगत तीन वर्षों में विकास कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। श्रीडूंगरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी उदासीनता के कारण कोई इकाई बन्द नहीं है। 17 इकाइयां सीजनल इकाइयां होने के कारण, पारिवारिक विवाद, प्रबन्धन की कमी एवं प्रतिस्पर्द्धा के कारण बन्द हुई हैं।

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के प्रोत्साहन एवं छूट देय हैं यथा मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत छूट, रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट, ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, मण्डी सैस में 50 प्रतिशत छूट, मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत छूट, विलासिता कर में 100 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत नियोजन अनुदान।

गंगापुर सिटी के स्वीकृत/कार्यरत हैण्डपम्प

231. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी के स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से अधिकांश बोर नहीं करवाये गये अथवा उनमें (लोरिंग मशीन) यानी खैंचू नहीं लगाया गया? यदि हां, तो क्यों? ऐसे हैण्ड पम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधायक गंगापुर सिटी की अभिशंसा पर हैण्ड पम्पों की सूची को लम्बी अवधि व्यतीत होने पर स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति अभिशंसा के कितने समय पश्चात जारी की गई एवं क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, गंगापुर सिटी में वित्तीय वर्ष 2005-06 तक (मार्च, 2006 तक) स्वीकृत समस्त हैण्ड पम्प निर्मित कर क्रियाशील कर दिये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में हैण्डपम्प निर्माण के सन्दर्भ में स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	**स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण**		
शहरी	13	02	11
ग्रामीण	178	69	109
योग :-	**191**	**71**	**120**

उपरोक्तानुसार शेष 120 हैण्ड पम्पों में से 50 हैण्ड पम्पों की स्वीकृति माह फरवरी, 2007 में जारी हुई है। सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। माननीय विधायक द्वारा विधान सभा क्षेत्र, गंगापुर-सिटी के गांवों में 30 हैण्ड पम्पों निर्माण बाबत दिनांक 8.4.2006 को की गई अनुशंषा के सन्दर्भ में दिनांक 29.5.2006 को स्वीकृति जारी की गई। इनमें से 22 हैण्ड पम्प निर्मित कर चालू कर दिये गये हैं। शेष 8 हैण्ड पम्प अप्रैल, 2007 तक निर्मित कर चालू करना लक्षित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सुमेरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जवाई बांध से पेयजल आपूर्ति

232. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जवाई बांध से पाली जिले के अनेक गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के वंचित रहे गांवों को भी उक्त योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा जवाई बांध से 10 शहर एवं 531 गांवों को शुद्ध पेयजल जवाई बांध से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसमें से 6 शहर एवं 228 गांव पूर्व ही जवाई-हेमावास बांध से लाभान्वित थे। प्रस्तावित योजना में 4 शहर (3 पाली जिले के एवं 1 सिरोही जिले का) एवं 303 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है।

योजना की स्वीकृति दिनांक 26.05.2006 को रुपये 395.83 करोड़ की प्रदान की गई।

(2) सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के मात्र 30 गांव ऐसे हैं, जो वर्तमान में इस स्वीकृति में शामिल नहीं हैं। जवाई बांध स्रोत से लाभान्वयन बाबत प्रकरण प्राथमिक अन्वेषण में है।

अजमेर में बीसलपुर के पानी संग्रहण हेतु स्टोरेज टैंक

233. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बीसलपुर पानी स्टोरेज के लिये अजमेर में स्टोरेज टैंक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां?

(2) क्या यह सही है कि इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गयी है? यदि हां, तो कब तक स्टोरेज टैंक बन जायेंगे?

(3) इन स्टोरेज टैंक की क्या क्षमता होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर शहर में बीसलपुर बांध का पानी संग्रहण करने हेतु एक दिवस की शहर की पेयजल मांग की क्षमता (75.5 मिलियन लीटर) का स्टोरेज टैंक (स्वच्छ जलाशय), एस.आर. 7 (माखुपुरा) स्थान पर निर्माणाधीन है।

इसके अतिरिक्त 2 दिवस की मांग की क्षमता (200.97 मिलियन लीटर) का अन्य स्वच्छ जलाशय माह अगस्त, 2006 में स्वीकृत हुआ है। इसके निर्माण हेतु वांछित स्थान बाबत चयन प्रक्रियाधीन है।

(2) एस.आर. 7 (माखुपुरा) पर निर्माणाधीन एक दिवस मांग की क्षमता का स्टोरेज टैंक का कार्य माह दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण करना लक्षित है।

दो दिवस मांग की क्षमता के स्टोरेज टैंक निर्माण बाबत स्थान तय होने के उपरान्त ही निर्माण सम्भव होगा।

(3) उपरोक्तानुसार।

बनीपार्क में पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित योजनाएं

234. प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नलकूप/हैण्डपम्प लगाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने नलकूप किन-किन स्थानों पर लगाये जावेंगे इनमें से कितने नलकूप नये तथा कितने नाकारा (अबन्डन) के बदले लगाये जावेंगे? किन-किन स्थानों पर पेयजल हेतु पाइप लाइन डाली जावेगी तथा कितने हैण्डपम्प लगाये जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वित्तीय वर्ष 2007-08 में पेयजल हेतु सी-स्कीम आनन्दपुरी, मोतीडूंगरी क्षेत्र में टंकी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा क्षेत्र में आर.यू.डी.आई.पी. द्वारा पेयजल हेतु डाली गई पाइप लाइन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हैण्ड आवर कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब तक हैण्ड ओवर कर दी जावेगी?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन हेतु कैम्प लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु 39 नलकूप (30 नलकूप नवीन स्थानों पर व 9 नलकूप परित्यक्त नलकूपों के स्थानों पर), 36 हैण्डपम्प एवं 31.595 मीटर पाइप लाइन का कार्य वर्तमान में स्वीकृत है। नलकूप एवं पाइप लाइन का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(2) सी-स्कीम क्षेत्र के लिये विभाग द्वारा स्वीकृत योजनान्तर्गत स्वच्छ जलाशय के निर्माण हेतु आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने बाबत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आनन्दपुरी मोती डूंगरी क्षेत्र में जलाशय के निर्माण हेतु समुचित भूमि की तलाश जारी है। भूमि उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार एवं संवर्धन हेतु योजना बनाई जाकर प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धि अनुसार इसकी स्वीकृति सम्भव होगी।

(3) आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा झोटवाड़ा क्षेत्र में पेयजल हेतु बिछाई गई कुल 180 किलोमीटर पाइप लाइन में से 83 किलोमीटर पाइप लाइन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे माह मई, 2007 तक पूर्ण कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित करना प्रस्तावित है।

(4) उक्त क्षेत्र में उपरोक्तानुसार पूर्ण हो चुकी पाइप लाइन से विभाग द्वारा नियमित प्रक्रिया के तहत वर्तमान में उपभोक्ताओं को जल सम्बन्ध जारी किये जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर कैम्प आयोजित करने बाबत निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या-235

(स्थगति)

सहाड़ा में अवैध खनन

236. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल कितने आवेदन पत्र किस-किस व्यक्ति के, कौन-कौन से मिनरल के, किस-किस गांव के लिये प्राप्त हुए? इनमें से किस-किस को खनन की स्वीकृति दी गई एवं कितने शेष हैं? क्या सरकार अवशेष आवेदनों को स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

(2) जनवरी, 2004 से आज तक विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अवैध खनन कार्य करने वाले एवं बिना रायल्टी के कितने चालान किये गये व इनसे किनती राशि वसूल की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में तहसील रायपुर व सहाड़ा के अन्तर्गत कुल 736 आवेदन पत्र अलग-अलग व्यक्तियों/फर्मो द्वारा अलग-अलग खनिज एवं अलग-अलग गांव के लिए प्राप्त हुए हैं। कुल 42 व्यक्तियों/फर्मों को खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र के लिए स्वीकृति दी गई है एवं वर्तमान में 694 आवेदन पत्र शेष हैं। आवेदित क्षेत्र रिक्त होने पर एवं आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की समस्त पूर्तियां करने पर शेष आवेदकों को भी खनन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। परन्तु इसके लिए निश्चित समय सीमा की जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है। स्वीकृत खनन क्षेत्रों एवं शेष आवेदन पत्रों की सूची मय क्षेत्र साथ में संलग्न है। परिशिष्ट-ए

(2) जनवरी, 04 से आज तक विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अवैध खनन कार्य करने वाले एवं बिना रायल्टी के 30 चालान (पंचनामें) बनाये गये हैं एवं इनसे 3,20,890/- रुपये वसूल किये गये हैं, सूची संलग्न है। परिशिष्ट-बी

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में अवैध खनन पर रोक

237. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में अवैध खनन जारी है? क्या सरकार अवैध खनन रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अवैध खनन करने वालों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर जिले में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही कर अवैध खनन कार्य बन्द कराया जाता है।

(खनिज मंत्री)

(2) जी हां। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अधिकारी, कर्मचारी अवैध खनन रोकने में तत्परता से कार्यवाही करते हैं। अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपनिरीक्षक पुलिस के पद पर चयनित कार्मिक

238. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान पुलिस विभाग की अधीनस्थ सेवा उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2003 से 2006 तक सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस-किस व्यक्ति का किस वर्ष में चयन किया गया? चयनित व्यक्ति के पद, नाम, पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, तहसील व जिले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान पुलिस की अधीनस्थ सेवा में उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 23 के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान को अभिस्तावित की जाती है एवं उसमें से महानिदेशक पुलिस द्वारा मेरिट के अनुसार वर्गवार चयन कर नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 2003 से 2006 तक की अवधि में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पद के लिए अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से चयनित किए जाकर नियुक्त हुए 185 उपनिरीक्षक एवं 16 प्लाटून कमाण्डर अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, पदनाम, जाति वर्ग, चयनित वर्ष एवं स्थाई पते की सूची परिशिष्ट (अ) संलग्न कर दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले में अपराधियों को नि:शुल्क विधिक सहायता

239. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले के विभिन्न थानों में वर्ष 2006 में किस-किस अपराध के कुल कितने मुकदमें दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) उक्त मुकदमों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 के दौरान जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई? यदि हां, तो क्या–क्या सहायता किन-किन अपराधियों को उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के थानों में वर्ष 2006 में भिन्न-भिन्न अपराधों के कुल 7430 मुकदमें दर्ज किये गये हैं। अपराधों का विवरण थाना वाईज, शीर्षक वाईज परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) उक्त 7430 दर्ज मुकदमों में से 4728 मुकदमों में चालान, 2508 मुकदमों में एफ.आर. पेश न्यायालय किये जा चुके हैं तथा 194 मुकदमें अनुसंधानाधीन पुलिस है।

(3) जी नहीं। पुलिस द्वारा अपराधियों को नि:शुल्क विधिक सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2006 में विभिन्न थानों में दर्ज अपराध शीर्षक वाईज सूचना जिला भरतपुर

क्र. सं.	नाम थाना	कत्ल	हत्या का प्रयास 307	डकैती	लूट	अपहरण	बलात्कार	वल्बा	नकबजनी	चोरियां	अन्य IPC	योग IPC	लोकल एवं स्वयल एक	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कोतवाली	2	7	-	3	8	1	-	16	60	202	299	71	370
2	मथुरा गेट	4	4	-	1	10	1	-	7	99	365	491	111	602
3	अटल बन्द	3	3	-	1	2	1	-	1	32	126	169	85	254
4	उद्योग नगर	3	-	1	1	2	1	-	-	21	178	207	45	252
5	चिकसाना	6	1	-	1	6	2	-	-	22	190	228	30	258
6	बयाना	5	5	-	-	9	5	-	5	60	463	552	83	635
7	रूपवास	6	6	1	-	5	-	-	3	63	377	461	84	545
8	उज्जैन	-	-	-	1	2	1	-	3	21	143	171	33	204
9	गठीवाजना	1	2	-	-	-	-	-	2	8	48	61	15	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	भुसावर	2	-	-	-	1	-	-	5	32	287	327	45	372
11	वैट	3	1	-	1	-	1	-	-	16	169	191	35	226
12	हलैता	1	-	-	-	1	-	-	2	15	162	181	35	216
13	सेवर	4	3	-	-	4	1	-	-	33	265	310	64	374
14	कुम्हेर	6	4	-	-	7	2	1	4	31	316	371	68	439
15	नदबई	5	1	-	-	-	7	-	1	61	335	410	65	475
16	डीग	11	4	1	1	12	1	-	2	53	417	502	91	593
17	नगर	3	2	-	2	-	-	-	2	20	179	208	48	256
18	सीकरी	4	6	-	-	1	1	-	-	13	154	179	35	214
19	कापा	-	3	-	2	4	5	-	-	52	251	321	115	436
20	पहाडी	-	6	-	1	5	1	-	2	18	138	171	64	235
21	जुरहरा	1	1	-	-	-	2	-	-	23	109	136	53	189
22	गोपालगढ़	1	1	-	-	2	1	-	-	15	63	83	21	104
23	महिका थाना	-	-	-	-	1	1	-	-	-	103	105	-	105
	योग	**75**	**60**	**3**	**15**	**82**	**35**	**1**	**768**	768	**5040**	**6134**	**1296**	**7430**

कोटा सम्भाग में विद्युत उपकरणों की चोरी के दर्ज प्रकरण

240. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006-07 में कोटा सम्भाग के विभिन्न थानों में विद्युत तार, ट्रांसफारमर, ट्रांसफारमर का तेल व अन्य उपकरण चोरी के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने प्रकरणों में अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चालान पेश किए गए तथा कितने प्रकरणों में एफ.आर. लगा दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत उपकरण की चोरियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो इस पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किए गए?

उत्तर

(1) वर्ष 2006-07 में कोटा संभाग के विभिन्न थानों में विद्युत तार, ट्रांसफारमर, ट्रांसफारमर का तेल व अन्य उपकरण चोरी के कुल 185 प्रकरण दर्ज हुये हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से 46 प्रकरणों में अभियुक्त गिरफ्तार करके चालान पेश किये गये तथा 107 प्रकरणों में एफ.आर. लगाई गई है व 32 प्रकरण पैण्डिंग चल रहे हैं।

(3) जी हां। विद्युत उपकरण की चोरियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 15 विद्युत थानों की स्थापना की गई है जो केवल विद्युत चोरी एवं मैटेरियल चोरी की वारदातों को रोकने हेतु स्थापित किये गये हैं। पुलिस द्वारा गश्त व विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट 'अ'

जिला-झालावाड़					
क्र. सं.	**नाम थाना**	**अभियोग सं. मय धारा**	**चोरी गया समान**	**नाम अभियुक्त**	**नतीजा**
1	झालावाड़	271/06, 379 भादस	बिजली का सामान	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
2	झालावाड़	301/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता

क्र. सं.	नाम थाना	अभियोग सं. मय धारा	चोरी गया सामान	नाम अभियुक्त	नतीजा
3	झालारा पाटन	278/06, 379 भादस	बिजली का सामान,	शम्भूलाल, हजारी	चालान
4	रायपुर	104/06, 379 भादस	तार चोरी	दुर्गालाल, दयाराम, दुर्गालाल पुत्र देवीलाल	चालान
5	पिन्डावा	85/06, 379 भादस	तार चोरी	रहिश, वहिदा	चालान
6	पिन्डावा	85/06, 379 भादस	तेल चोरी	सरदारलाल, कालू, भगवान, सुल्तान, शम्भू	चालान
7	पिन्डावा	106/06, 379 भादस	तेल चोरी	नारायण, रामलाल, गोपाल	चालान
8	बकानी	166/06, 379 भादस	तेल चारी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
9	खानपुर	226/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
10	भवानी मंडी	83/06, 379 भादस	तार चोरी	भगवान सिंह	चालान
11	भवानी मंडी	223/06, 379 भादस	तार, केबल चोरी	मेमूद, मुकेश	चालान
12	मिश्रोली	37/06, 379 भादस	तार चोरी	भगवान, महरवान, दूले	चालान
13	डग	111/06, 379 भादस	तेल चोरी	सुलतान, गोरधन, उमराव	चालान
14	डग	125/06, 379 भादस	डीपी चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
15	डग	138/06, 379 भादस	तेल चोरी	शिव, दानू, नेपाल, किशन	चालान
16	गंगधार	60/06, 379 भादस	तार चोरी	अमजद, विक्रम, सलीम, अफरोज, हुसैन	चालान
17	उन्हैल	57/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता

क्र. सं.	**नाम थाना**	**अभियोग सं. मय धारा**	**चोरी गया सामान**	**नाम अभियुक्त**	**नतीजा**
18	असनावर	3/07, 379 भादस	तार चोरी	जगदीश	पैण्डिंग
19	रायपुर	13/07, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	पैण्डिंग
20	खानपुर	26/07, 379 भादस	उपकरण चोरी	हेमराज, महावीर	पैण्डिंग
21	झालावाड़	36/07, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	पैण्डिंग
जिला बून्दी					
1	सदर	207/06, 379 भादस	केबिल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
2	सदर	440/06, 379 भादस	बिजली उपकरण	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
3	सदर	490/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
4	के. पाटन	261/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
5	के. पाटन	400/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
6	के. पाटन	8/07, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
7	गेण्डोली	127/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
8	देई	381/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
9	तालेड़ा	347/06,	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
कोटा शहर					
1	उद्योग नगर	218/06, 379 भादस	तार चोरी	पप्पू, राजू, रामरतन, रामा	चालान
2	उद्योग नगर	231/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
3	उद्योग नगर	248/06, 379 भादस	तार चोरी	पप्पू, राजू, रामा	एफ.आर. अदम पता
4	किशोरपुरा	148/06, 379 भादस	तार चोरी	ओमप्रकाश, रामभरोश, सुगना	चालान

क्र. सं.	नाम थाना	अभियोग सं. मय धारा	चोरी गया सामान	नाम अभियुक्त	नाम अभियुक्त
5	किशोरपुरा	160/06, 379 भादस	लाईटे चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
6	किशोरपुरा	186/06, 379 भादस	तार चोरी	गंगा, सुगना, सुमन, रमेश, विरम	चालान
7	किशोरपुरा	260/06, 379 भादस	मोटर चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
8	दादाबाड़ी	274/06, 379 भादस	तार चोरी	ब्रगाली लडडु मारिया, गोटिया	चालान
9	रेलवे कोलोनी	118/06, 379 भादस	ट्रान्सफारमर	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
10	रेलवे कोलोनी	183/06, 379 भादस	तेल चोरी	बलराम	चालान
11	विज्ञान नगर	230/06, 379 भादस	तार चोरी	रानीबाई, राजूडी, रामी	चालान
12	विज्ञान नगर	291/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
13	महावीर नगर	292/06, 379 भादस	तार चोरी	राजेश, पप्पू, महेश	चालान
14	महावीर नगर	367/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
15	उद्योग नगर	7/06, 379 भादस	तेल चोरी	बलराम, सुलतान	चालान
16	दादाबाड़ी	8/07, 379 भादस	केबल चोरी	ओमप्रकाश, रानी, लाली, हुडी	चालान
17	कैथूनपोल	17/07, 379 भादस	लाईट चोरी	अज्ञात	पैण्डिंग
18	विज्ञान नगर	52/07, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	पैण्डिंग

क्र. सं.	नाम थाना	अभियोग सं. मय धारा	चोरी गया सामान	नाम अभियुक्त	नतीजा
जिला बारां					
1	कोतवाली	586/06, 379 भादस	तेल चोरी	जानकी लाल	चालान
2	कोतवाली	643/06, 389 भादस	ट्रांसफारमर	शाहिद, पप्पू, सबीर, रघवीर, सकील, सरदार	पैण्डिंग
3	कोतवाली	1/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर	शाहिद, पप्पू, सबीर, रघवीर, सकील, सरदार	पैण्डिंग
4	सदर	23/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
5	सदर	183/06, 379 भादस	तार चोरी	शोभा, हेमराज, कमलेश	चालान
6	सदर	259/06, 379 भादस	ट्रांसफारमर	सरदार, सकील, रघुवीर, पप्पू	चालान
7	सदर	1/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर	सरदार, सकील, रघुवीर, पप्पू	चालान
8	सदर	2/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर	सरदार, सकील, रघुवीर, पप्पू	पैण्डिंग
9	किशनगंज	1/07, 379 भादस	डीपी चोरी	सरदार, सकील, रघुवीर, पप्पू	पैण्डिंग
10	किशनगंज	2/07, 379 भादस	डीपी चोरी	सरदार, सकील, रघुवीर, पप्पू	पैण्डिंग
11	अन्ता	12/06, 379 भादस	तार चोरी	जाकिर, मोहन, रामगोपाल	चालान

क्र. सं.	नाम थाना	नाम थाना	चोरी गया सामान	नाम अभियुक्त	नाम अभियुक्त
12	अन्ता	119/06, 379 भादस	तार चोरी	शोभा, हेम, कमलेश, चन्द्र, सतू	पैण्डिंग
13	अन्ता	164/06, 379 भादस	तार चोरी	शोभा, हेम, कमलेश, चन्द्र, सतू	पैण्डिंग
14	अन्ता	222/06, 379 भादस	तेल चोरी	मोहन, मथुरालाल	चालान
15	अन्ता	239/06, 379 भादस	तेल चोरी	जुगराज मीणा	चालान
16	अन्ता	18/06, 379 भादस	केबल	शरीफ	पैण्डिंग
17	अन्ता	28/07, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
18	अटरू	110/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
19	अटरू	113/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
20	अटरू	201/06, 379 भादस	26 पोल चोरी	बृजराज, रतन, बाबू, आन्दी, कैलाशी	चालान
21	अटरू	251/06, 379 भादस	तेल चोरी	अहसान, धन्नालाल	चालान
22	अटरू	252/06, 379 भादस	तेल चोरी	अहसान, धन्नालाल	चालान
23	अटरू	262/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
24	अटरू	275/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
25	अटरू	285/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
26	अटरू	297/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
27	अटरू	6/07, 380 भादस	डीपी चोरी	हेमराज, संतोष, ओमप्रकाश	पैण्डिंग

क्र. सं.	नाम थाना	नाम थाना	चोरी गया सामान	नाम अभियुक्त	नाम अभियुक्त
28	कवाई	2/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर	सरदार, सकील, रघुवीर, पप्पू	चालान
29	कवाई	12/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर	मुख्त्यार खां, पप्पू	पैण्डिंग
30	नोठपुर	29/06, 379 भादस	ट्रांसफारमर	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
31	नोठपुर	59/06, 379 भादस	डीपी तेल	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
32	नोठपुर	62/06, 379 भादस	डीपी तेल	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
33	नोठपुर	76/06, 379 भादस	तार चोरी	विजय, रमेश, बाबू, हीरा, नेतराम, गिर्राज	पैण्डिंग
34	नोठपुर	99/06, 379 भादस	तार चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
35	नोठपुर	104/06, 379 भादस	जनरेटर चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
36	छबड़ा	7/07, 379 भादस	बिजली के तार	अनवर	पैण्डिंग
37	छबड़ा	15/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर तार	हेमराज, गोपाल, ओमप्रकाश, संतोष	पैण्डिंग
38	छीपाबड़ौद	220/06, 379 भादस	बिजली के तार	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
39	छीपाबड़ौद	273/06, 379 भादस	बिजली के तार	ओमप्रकाश, सुरेश कुमार	चालान
40	छीपाबड़ौद	340/06, 379 भादस	ट्रांसफारमर	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
41	बापचा	138/06, 379 भादस	ट्रांसफारमर	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
42	हरनावदा	121/06, 379 भादस	बिजली के तार	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता

क्र. सं.	नाम थाना	नाम थाना	चोरी गया सामान	नाम अभियुक्त	नाम अभियुक्त
43	केलवाड़ा	121/06, 379 भादस	बिजली के तार	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
44	शाहबाद	59/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
45	शाहबाद	61/06, 379 भादस	तेल चोरी	अज्ञात	एफ.आर. अदम पता
46	भंवरगढ़	8/07, 379 भादस	ट्रान्सफारमर के तार चोरी	बल्लू, मुबारिक, शहीद, राजेन्द्र, बृजमोहन, मुकेश, बलराम	पैण्डिंग
47	भंवरगढ़	9/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर के तार चोरी	बल्लू, मुबारिक, शहीद, राजेन्द्र, बृजमोहन, मुकेश, बलराम	पैण्डिंग
48	भंवरगढ़	10/07, 379 भादस	ट्रांसफारमर के तार चोरी	अज्ञात	पैण्डिंग

कोटा ग्रामीण

क्र. सं.	नाम थाना	प्रकरण संख्या मय तारीख कायमी	जुर्म धारा	गिरफ्तार मुल. की संख्या	नतीजा तफ्तीश		चोरी किया गया सामान
					सी.एस.नं.	एफआरनं.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीमलिया	123/ 17-08-06	379 ता.हि.	4	107/ 15.09.06	-	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी
2	बयाना	07/ 14-01-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	02/20-02-06	ट्रांसफार्मर का तेल व अन्य सामान चोरी
3	इटावा	220/ 07-12-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	31/28-12-06	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी

1	2	3	4	5	6	7	8
4	कैथून	76/22-03-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	21/24-04-06	बिजली का तार चोरी
5	कैथून	128/02-05-06	379 ता.हि.	1	86/10-05-06	-	बिजली का तार चोरी
6	कैथून	184/13-06-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	42/28-06-06	बिजली का तार चोरी
7	कैथून	335/28-11-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	89/19-12-06	बिजली का तार चोरी
8	मण्डाना	71/15-07-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	17/31-08-06	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी
9	मण्डाना	73/22-07-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	18/31-08-06	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी
10	सांगोद	29/16-02-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	07/24-03-06	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी
11	सांगोद	225/22-16-08	379 ता.हि.	अज्ञात	-	35/30-11-06	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी
12	सांगोद	239/16-11-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	39/28-12-06	ट्रांसफार्मर चोरी
13	रामगंज मण्डी	101/12-05-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	16/30-05-06	बिजली के तार चोरी
14	रामगंज मण्डी	153/18-07-06	379 ता.हि.	2	138/16-08-06	-	बिजली के तार चोरी
15	रामगंज मण्डी	76/16-04-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	12/30-05-06	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी
16	मोडक	94/12-07-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	15/12-08-06	बिजली के तार चोरी
17	मोडक	120/14-09-06	379 ता.हि.	4	102/26-09-06	-	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी

1	2	3	4	5	6	7	8
18	मोडक	127-05 -10-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	20/31-10-06	ट्रांसफार्मर का तेल चोरी
19	मोडक	142/16 -11-06	379 ता.हि.	2	43/19-11 -06	-	अन्य बिजली के उपकरण चोरी
20	मोडक	147/ 05-12-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-		ट्रांसफार्मर चोरी
21	सुकेत	163/ 04-09-06	379 ता.हि.	2	34/18-09-06	23/19-12-06	अन्य बिजली के उपकरण चोरी
22	सुकेत	02/00 -03-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	10/28-05-06	ट्रांसफार्मर का तेल व तार चोरी
23	सुकेत	187/21 -10-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	28/30-11-06	ट्रांसफार्मर का तेल व तार चोरी
24	बपावर	102/ 22-10-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	18/30-11-06	अन्य बिजली के उपकरण चोरी
25	मोडक	149/ 09-12-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	24/19-12-06	अन्य बिजली के उपकरण चोरी
26	चेचट	98/25-08-06	379 ता.हि.	2	96/22. 09.06	-	बिजली के तार चोरी
27	सुल्तान पुर	138/ 26-06-06	379 ता.हि.	अज्ञात	-	33/22-08-06	बिजली के तार चोरी
28	मोडक	08/25-01-07	379 ता.हि.	अज्ञात	-	02/26-02-07	ट्रांसफार्मर का तेल व तार चोरी
29	रेलवे कालोनी	24/06	379 ता.हि.	अज्ञात		FR	तार चोरी
30	महावीर नगर	56/06	379 ता.हि.	मोहन राजू सालरीया	चालान		तार चोरी

विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना जिला कोटा

विद्युत तार, ट्रांसफार्मर का तेल एवं अन्य उपकरण की चोरी की सूची

क्र. सं.	मु.न.	धारा	तारीख कायमी	नाम मुल्जिम	चालान	एफआर	पैण्डिंग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21/06	136	26.4.06	अज्ञात	-	एफआर	-
2	22/06	136	27.4.06	अज्ञात	-	एफआर	-
3	23/06	136	1.5.06	अज्ञात	-	एफआर	-
4	50/06	136	25.5.06	अज्ञात	-	एफआर	-
5	53/06	136	27.05.06	अज्ञात	-	एफआर	-
6	56/06	136	1.6.06	तोलूराम मीणा, शिवराज मीणा	चालान	-	-
7	57/06	136	5.6.06	अज्ञात	-	एफआर	-
8	68/06	136	10.6.06	अज्ञात	-	एफआर	-
9	178/06	136	23.07.06	अज्ञात	-	एफआर	-
10	179/06	136	23.7.06	अज्ञात	-	एफआर	-
11	180/06	136	3.8.06	इकबाल, राजू माली, देवला बंजारा, नेहरा बंजारा	चालान	-	-
12	182/06	136	13.8.06	राजू उर्फ फरीद, सुबराती, प्रकाश, चेतराम, प्रेम शंकर दिनेश	चालान	-	-
13	227/06	136	13.8.06	अज्ञात	-	एफआर	-
14	228/06	136	2.9.06	अज्ञात	-	एफआर	-
15	233/06	136	17.9.06	अज्ञात	-	एफआर	-
16	243/06	136	23.9.06	अज्ञात	-	एफआर	-

1	2	3	4	5	6	7	8
17	250/06	136	29.6.06	अज्ञात	-	एफआर	-
18	256/06	136	6.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
19	278/06	136	14.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
20	276/06	136	14.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
21	278/06	136	15.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
22	284/06	136	17.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
23	283/06	136	29.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
24	286/06	136	18.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
25	295/06	136	25.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
26	302/06	136	29.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
27	303/06	136	31.10.06	अज्ञात	-	एफआर	-
28	308/06	136	17.11.06	अज्ञात	-	एफआर	-
29	315/06	136	13.11.06	रमेश बागरी	चालान	-	-
30	317/06	136	14.11.06	अज्ञात	-	एफआर	-
31	318/06	136	14.11.06	अज्ञात	-	एफआर	-
32	319/06	136	15.11.06	देवीलाल माली	चालान	-	-
33	320/06	136	15.11.06	लाल मोहम्मद, लदूर, प्रभूदयाल	-	-	पैण्डिंग
34	324/06	136	17.11.06	अज्ञात	-	एफआर	-
35	329/06	136	22.11.06	अज्ञात	-	एफआर	-
36	330/06	136	25.11.06	अज्ञात	-	एफआर	-
37	331/06	136	25.12.06	अज्ञात	-	एफआर	-

1	2	3	4	5	6	7	8
38	332/06	136	28.11.06	अज्ञात	-	एफआर	-
39	377/06	136	12.12.06	अज्ञात	-	एफआर	-
40	397/06	136	18.12.06	अज्ञात	-	एफआर	-
41	405/06	136	20.12.06	अज्ञात	-	एफआर	-
42	407/06	136	21.12.06	अज्ञात	-	एफआर	-
43	408/06	136	21.12.06	अज्ञात	-	एफआर	-
44	1/07	136	1.1.07	अज्ञात	-	एफआर	पैण्डिंग
45	2/07	136	1.1.07	अज्ञात	-	एफआर	-
46	15/07	136	5.1.07	अज्ञात	-	एफआर	-
47	16/07	136	6.1.07	अज्ञात	-	एफआर	-
48	21/07	136	8.1.07	अज्ञात	-	-	-
49	22/07	136	8.1.07	अज्ञात	-	-	पैण्डिंग
50	38/07	136	12.1.07	अज्ञात	-	-	-
51	52/07	136	25.1.07	अज्ञात	-	एफआर	-
52	62/07	136	1.2.07	अज्ञात	-	एफआर	-
53	65/07	136	2.2.07	अज्ञात	-	एफआर	-
54	69/07	136	3.2.07	अज्ञात	-	एफआर	-
55	81/07	136	7.2.07	अज्ञात	-	-	पैण्डिंग
56	88/07	136	9.2.07	खेमाराम	-	-	पैण्डिंग
57	89/07	136	11.2.07	अज्ञात	-	-	पैण्डिंग
58	101/07	136	13.1.07	अज्ञात	-	-	पैण्डिंग
59	122/07	136	27.2.07	अज्ञात	-	-	पैण्डिंग

रक्षा सेवा में भर्ती हेतु भ्रामक विज्ञापनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

241. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न समाचार पत्रों में झूंठे एवं भ्रामक विज्ञापन छपवाकर मर्जेन्ट नेवी रक्षा अकादमी-सेना आदि में भर्ती के लिए बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो वर्ष 2006 में इस प्रकार के कितने प्रकरण कहां-कहां सामने आये और

(श्री नवरतन राजोरिया)

उनमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में न्यू सी मेरीटाइम एकेडमी, 242, पश्चिम विहार, वैशाली नगर, जयपुर दूरभाष नं. 4017292, द्वारा मर्जेन्ट नेवी में भर्ती के नाम पर विज्ञापन प्रकाशित कर बेरोजगार युवकों से 350/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट व 79/- रुपये के डाक टिकट लगे लिफाफे मंगाने का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है? क्या सरकार इस विज्ञापन में प्रकाशित तथ्यों की सत्यता का पता लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार गलत तथ्य देकर विज्ञापन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को भ्रमित करने पर इस संस्था के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में विभिन्न समाचार पत्रों में झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन छपवाकर मर्चेन्ट नेवी रक्षा अकादमी सेना आदि में भर्ती के लिये बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी के कुल 8 प्रकरण दर्ज हुये हैं। जिनके 6 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किये गये हैं जो जैर ट्रायल अदालत है। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। प्रकरण में उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच से जो तथ्य सामने आयेंगे उसके अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(3) यदि जांच में संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया तो प्रथम सूचना दर्ज कराई जायेगी।

क्र.सं.	जिला	थाना	मुकदमा नं.	धारा	नाम मुलजिमान	चालान	एफआर	जैर ट्रायल
1	अलवर	-	211/06	406, 420 भादसं.	1. हरसिंह पुत्र मनोहर लाल यादव .नि. पत्थर पहाडी थाना कठूमर जिला अलवर 2. अभिलाख पुत्र दुलेर सिंह राजपूत नि. 133 रूपनगर थाना डांगियावास जोधपुर	चार्जशीट नं. 146 21.12.06	-	ट्रायल अदालत है
2	झुझुनूं	कोतवाली	296/06	420 भादसं. 10/24 इमीग्रेशन एक्ट	अभियुक्तगण संख्या 2	चालान 31.10.06	-	ट्रायल अदालत है
3	कोटा शहर	-	338/06	420, 406 भादसं.	1. अक्षयसिंह पुत्र श्री दयाल सिंह राजपूत उम्र 33 साल नि. 6/62 एसएफएस क्वार्टर मानसरोवर जयपुर 2. कुमारी पिंकी पुत्री श्री मुरारीलाल महाजन उम्र 30 साल नि. इन्दिरा कालोनी करौली	चार्जशीट नं. 249 31.11.06	-	ट्रायल अदालत है

क्र.सं.	जिला	थाना	मुकदमा नं.	धारा	नाम मुलजिमान	चालान	एफआर	जैर ट्रायल
4	अजमेर	ब्यावरसिटी	322/06	420, 406 भादसं.	1. अक्षय सिंह पुत्र दरियाव सिंह 2. कु. पिंकी पुत्री मुरारीलाल महाजन	चार्जशीट 243/06	-	ट्रायल अदालत है
5	जयपुर शहर (दक्षिण)	जालुपुरा	05/07	420, 406 भादसं.	1. अक्षय सिंह पुत्र दरियाव सिंह 2. कु. पिंकी पुत्री मुरारीलाल महाजन	चार्जशीट 10 28.2.07	-	ट्रायल अदालत है
6	जयपुर शहर (दक्षिण)	सदर	304/06	420, 406 120बी भादसं.	1. अक्षय सिंह पुत्र दरियाव सिंह 2. कु. पिंकी पुत्री मुरारीलाल महाजन	चार्जशीट 217 7.12.06	-	ट्रायल अदालत है
7	जयपुर शहर (दक्षिण)	सदर	306/06	420, 406 भादसं.	1. अक्षय सिंह पुत्र दरियाव सिंह 2. कु. पिंकी पुत्री मुरारीलाल महाजन	चार्जशीट 218/06 7.12.06	-	ट्रायल अदालत है
8	जयपुर शहर (दक्षिण)	सदर	56/07	420, 120बी भादसं.	1. अक्षय सिंह पुत्र दरियाव सिंह 2. कु. पिंकी पुत्री मुरारीलाल महाजन	-	-	पैण्डिंग जैर तफ्तीश

नादौती थाना (करौली) में दर्ज अपहरण/हत्या प्रकरण

242. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि थाना नादौती जिला करौली के अन्तर्गत ग्राम ढहरिया में एक नो वर्षीय बालक राजपाल की हत्या 10 दिन अपहरण के बाद माह जनवरी, 2007 में कर दी गई? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा अब तक अपराधियों को नहीं पकड़े जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। यह सही है कि जिला करौली के थाना नादौती के अन्तर्गत ग्राम ढहरियां में एक नो वर्षीय बालक राजपाल की अपहरण के बाद हत्या माह जनवरी, 2007 में कर दी गई। जिसकी प्रथम सूचना संख्या 14/07 दर्ज कर अभियुक्त शेखा उर्फ शेखावत पुत्र गंगासहाय कोम मीणा व रसीद पुत्र नूर जाति फकीर के विरुद्ध जुर्म धारा 302, 201, 364, 343, 109 भा.दं.सं., अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार किये जाकर न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं। अनुसंधान जारी है।

गंगरार में नवीन पुलिस थाना/चौकी

243. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार की बस्सी चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चौकी के भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी भूमि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बोरदा व मात्रीकूण्डिया में पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जावेगा।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। पुलिस चौकी बस्सी के लिए भवन निर्माण हेतु 50 गुणा 30 बराबर 1500 वर्ग फीट भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित की गई है।

(3) जी नहीं। बजट की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जावेगा।

बीकानेर जिले में आरक्षित वर्ग पर अत्याचार के दर्ज प्रकरण

244. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर जिले में अनसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून के तहत गत 2 वर्षों में कितने मुकदमे दर्ज किए गए तथा कितने मुकदमों में चालान पेश हुआ तथा कितने मुकदमों में एफ.आर. लग चुकी है?

उत्तर

बीकानेर जिले में गत 2 वर्ष (2005 एवं 2006) में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 323 अभियोग दर्ज हुए, जिनमें से 175 अभियोगों में चालान न्यायालय में पेश किया गया एवं 139 अभियोगों में एफ.आर. लगाई गई। शेष 9 अभियोग अनुसंधानाधीन हैं।

पाली जिले में वृक्षारोपण

245. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया इसमें से पाली जिले में कितने वृक्षों का लक्ष्य रखा गया तथा कितने वृक्ष लगाये गये और उनमें से वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या क्या है?

(2) क्या लक्ष्य अनुसार वृक्ष जीवित हैं? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं?

उत्तर

(1) वन विभाग में वृक्षारोपण का लक्ष्य वृक्षों की संख्या में निर्धारित न किया जाकर क्षेत्रफल में निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2003-04, 2004 05, 2005-06 तथा 2006-07 में राज्य में निर्धारित किये गये वृक्षारोपण के लक्ष्य का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। जिला पाली में निर्धारित लक्ष्य, लगाये गये पौधे एवं उनमें से जीवित पौधों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

परिशिष्ट 'क'

राज्य में वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	वर्ष	बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य (है. में)
1	2003-04	8500
2	2004-05	26000
3	2005-06	45000
4	2006-07	60000

परिशिष्ट 'ख'

जिला पाली में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य, लगाये गये पौधे एवं जीवित पौधों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (है. मे	उपलब्धि (है. में)	विभाग द्वारा रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत
1	2003-04	-	1820	8,77,000	5,69,517	64.93
2	2004-05	2400	4320	16,52,000	12,93,195	78.28
3	2005-06	3350	4465	20,01,100	16,09,416	80.42
4	2006-07	4125	6815	28,50,500	24,36,668	85.48

बारां जिले की वन भूमि पर अतिक्रमण

246. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में वर्ष 2006 में वन भूमियों पर कितने अतिक्रमी चिन्हित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमियों पर किस-किस अतिक्रमी का किस-किस ग्राम की, किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी वन भूमि पर कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वन भूमि के अतिक्रमियों द्वारा खरीफ व रबी में वर्ष 2006 में कितनी-कितनी भूमि पर किस-किस चीज की फसल की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रेंज में हुई अनियमित गतिविधियों व आर्थिक अपराधों की जांच किसी अन्य एजेन्सी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किससे व कब?

उत्तर

(1) बारां जिले में वर्ष 2006 में वन भूमि पर 1024 अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

(2) उक्त वन भूमि पर अतिक्रमियों की ग्रामवार एवं खसरावार मय रकबा के सूची परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वन भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा वर्ष 2006 में की गई फसल का विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगंज की वन भूमि पर अतिक्रमण

247. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत पांच वर्षों में वन भूमि पर कितने लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जे किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कितनी-कितनी भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटवाये गये व अभी तक कितनी वन भूमि पर कब्जा है?

(3) क्या यह भी सही है कि अनाधिकृत कब्जों के लिये कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत पांच वर्षों में वन भूमि पर 3526 लोगों द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण किये गये हैं। किये गये अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में 21,138 हैक्टेयर वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाये गये हैं तथा वर्तमान में 17,784.15 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है।

(3) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अधीनस्थ वन सेवा संवर्ग को पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान

248. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(1) क्या यह सही है कि सरकार वन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के सेवाकाल में न्यूनतम दो पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसको कब तक लागू कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान नियमों के तहत वन अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कितने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जो 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात भी एक भी पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वन अधीनस्थ कर्मियों के सभी संवर्गों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पुलिस के समान वेतनमान दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पदोन्नति रिक्त पदों के अनुसार ही दी जाती है। राज्य सरकार ने पदोन्नति नहीं मिलने पर 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ देने का प्रावधान किया हुआ है।

(2) वन अधीनस्थ सेवा संवर्गों में 25 वर्ष की सेवा के उपरांत भी जिन्हें एक भी पदोन्नति नहीं मिली है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वन विभाग के अधीनस्थ वन सेवा के वन रक्षक, क्षेत्रीय वित्तीय एवं क्षेत्रीय प्रथम के पदों को पुलिस विभाग के कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं पुलिस इंस्पेक्टर के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग (वन) के द्वारा श्री यतीन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति को भेजे गये हैं।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	**संवर्ग**	**1.2.82 से पूर्व नियुक्त यानि 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक भी पदोन्नति न मिलने वाले कर्मियों की संख्या**
1	वनरक्षक	1088
2	वनपाल	367
3	क्षेत्रीय प्रथम	27

न्यून वेतन वनकर्मियों की भर्ती

249. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में निचले स्तर पर वनकर्मियों की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने व उनको राकने में बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार निचले स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वन रक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

कोटा जिले में घटिया बीज आपूर्ति जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

250. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मैनेजर सीड्स कार्पोरेशन, कोटा द्वारा किसानों को घटिया बीज की सप्लाई की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार इस प्रकरण में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा जिले में घटिया बीज सप्लाई का कोई मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है। वर्ष 2006-07 में राजस्थान राज्य बीज निगम, कोटा इकाई के बीज की जांच के 106 नमूने कृषि विभाग के अधिकृत निरीक्षकों द्वारा लिये गये, जिनमें से 94 नमूने मानक पाये गये। 12 नमूनों के परिणाम प्राप्त होना शेष हैं।

(2) चूंकि घटिया बीज सप्लाई का कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया। अत: इस सम्बन्ध में जांच कराया जाना अपेक्षित नहीं था।

(3) जब कोई प्रकरण ही नहीं है तो आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर जिले में बाढ़ के पानी से चारा उगाने हेतु अनुदान

251. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जगह-जगह बाढ़ का पानी भरा है? यदि हां, तो क्या सरकार पशु चारे के लिए खेती करवाने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार बाढ़ के पानी के उपयोग के लिए चारा उगाने वाले कृषकों को बाड़ बनाने एवं चारा उगाने के लिए अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बाड़ (Fencing) बनाने पर अनुदान का प्रावधान कृषि विभाग की किसी योजना में नहीं है। कृषि विभाग द्वारा जायद, 2007 में चारे की फसलें उगाने के लिए कृषकों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं एवं लक्ष्य भी आबंटित कर दिये गये हैं।

सिरोही जिले की गैस एजेन्सियों में व्याप्त अनियमितताएं

252. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में कुल कितने रसोई गैस के उपभोक्ता हैं, एवं कितनी एजेन्सियां व उप एजेन्सियां कहां-कहां स्थित हैं? एजेन्सीवार उपभोक्ताओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006 में गैस वितरण/विक्रय/कालाबाजारी व अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों की प्रति सहित उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई कार्यवही की गई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में कुल 6 अधिकृत गैस एजेन्सियां हैं, जिनमें 3 आई.ओ.सी. व 3 एच.पी.सी.एल. की हैं, उप एजेन्सियां इस जिले में नहीं हैं। गैस एजेन्सीवार उपभोक्ताओं की संख्या सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2006 में गैस वितरण/विक्रय/कालाबाजारी व अनियमितताओं के सम्बन्ध में 4 लिखित तथा 6 दूरभाष पर कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) हां। यह सही है। कुल प्राप्त 10 शिकायतों में से 7 प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। छः प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

बिन्दु संख्या एक की विस्तृत सूचना

क्र. सं.	गैस एजेन्सी	कम्पनी का नाम	एस.बी.सी. कनेक्शन	डी.बी.सी. कनेक्शन	योग
1	सिरोही गैस सर्विस सिरोही	एचपीसीएल	6487	8857	15346
2	आशापूर्णा गैस सर्विस शिवगंज	एचपीसीएल	6581	1888	8469
3	माथुर गैस एजेन्सी पिण्डावाडा	एचपीसीएल	4844	1900	6744
4	आसोपालव एच.पी. गैस आबूरोड	एचपीसीएल	1495	852	2347
5	अर्बुदा गैस एंजेन्सी आबूरोड	आईओसीएल	5944	8542	14486
6	माउन्ट गैस एंजेन्सी आबूपर्वत	आईओसीएल	10748	3212	13960
	योग :-		**36099**	**25253**	**61352**

परिशिष्ट 'ब'

सिरोही जिले में वर्ष 2006 में गैस वितरण/विक्रय/ कालाबाजारी व अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही

क्र. सं.	शिकाकर्ता का नाम व पता	प्राप्त शिकायत का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	जांच कर्ता अधिकारी का नाम एवं पद	जांच का दिनांक	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण क्षेत्र तहसील सिरोही	25.07.2006	ग्रामीण क्षेत्र में गैस आ्रापर्ति नहीं होने बाबत।	वीरेन्द्र सिंह शेखावत रसद अधिकारी भोमाराम प्रवर्तन निरीक्षक	03.08.2006	मैसर्स सिरोही गैस सर्विस के गोदाम से द्वारा रिफिल प्राप्त करने पर 8 रुपये की छूट नहीं देना पाया गया। जारी कनेक्शनों की बुकिंग के मुकाबले प्रतिमाह 1000 रिफिल का बैकलाग पाया गया। गैस एजेन्सी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 61/06 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभागीय प्रकरण विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	दूरभाष से प्राप्त शिकायत	17.09.2006	एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों से वाहनों में गैस भरने हेतु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना	वीरेन्द्र सिंह शेखावत जिला रसद अधिकारी ज्योति स्वरूप शर्मा उप अधीक्षक पुलिस माउण्ट आबू भोमाराम प्रवर्तन निरीक्षक	17.09.2006	प्रभा स्टेशनर्स एण्ड कलेक्शन आबूरोड की दुकान में संजय अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से भण्डारित 51 गैस सिलेण्डर 3 विद्युत मोटर तथा गैस चालित काईनेटिक स्कूटी जब्त की गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा (ए) के तहत दिनांक 26.09.2006 को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तागासा प्रस्तुत किया गया। दोषी संजय अग्रवाल के विरुद्ध 17.09.2006 को पुलिस थाना आबूरोड में एफ.आई.आर. संख्या 174 दर्ज कराई गई। 6 (ए) का प्रकरण विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	दूरभाष से प्राप्त शिकायत	17.09.2006	एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों से वाहनों में गैस भरने हेतु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना	वीरेन्द्र सिंह शेखावत जिला रसद अधिकारी ज्योति स्वरूप शर्मा उप अधीक्षक पुलिस माउण्ट आबू भोमाराम प्रवर्तन निरीक्षक	17.09.2006	मां कृपा टेलिकॉम-पत्थर गली आबूरोड की दुकान से श्री हनुमान अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से भण्डारित 15 एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर तथा 1 विद्युत मोटर जब्त की गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (ए) के तहत दिनांक 26.09.2006 को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तागासा प्रस्तुत किया गया। दोषी हनुमान अग्रवाल के विरुद्ध 17.09.2006 को पुलिस थाना आबूरोड में एफ.आई.आर. संख्या 175 दर्ज कराई गई। 6 (ए) का प्रकरण विचाराधीन है।
4.	शिव सेना सिरोही	03.10.2006	गैस सिलेण्डरों का वाहनों एवं होटलों में दुरुपयोग तथा कालाबाजारी	वीरेन्द्र सिंह शेखावत जिला रसद अधिकारी भोमाराम प्रवर्तन निरीक्षक	16.12.2006	विश्व कर्मा सर्विस अनादरा रोड सिरोही स्थित मोटर गेराज के मालिक रमेश कुमार/प्रतापजी सुथार द्वारा अवैध रूप से भण्डारित एवं

1	2	3	4	5	6	7
						वाहनों में भरने हेतु उपयोग में लेने के कारण 20 गैस सिलेण्ड्रों को जब्त किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत दिनांक 18.01.2007 को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तागासा प्रस्तुत किया गया। दोषी रमेश कुमार/प्रतापजी सुथार के विरुद्ध 04.02.2007 को पुलिस थाना सिरोही में एफ.आई.आर. संख्या 38 दर्ज कराई गई। 6 (ए) का प्रकरण विचाराधीन है।
5.	पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 14 पंचायत समिति सिरोही	03.10.2006	बरलुट में गैस सिलेण्डर नहीं मिलने बाबत।	-	-	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 04.10.2006 से सिरोही गैस सर्विस सिरोही को नियमित आपूर्ति करने हेतु पाबंद किया गया। वर्तमान में आपूर्ति नियमित है।

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री खीमसिंह चौधरी शिवगंज द्वारा दूरभाष पर शिकायत	07.10.2006	आशापूर्णा गैस सर्विस शिवगंज द्वारा गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी	वीरेन्द्र सिंह शेखावत जिला रसद अधिकारी श्री शक्तिसिंह भाटी तहसीलदार शिवगंज भोमाराम प्रवर्तन निरीक्षक	07.10.2006 तथा 08.10.2006	दिनांक 07.10.2006 की रात्रि में गैस गोदाम से 7 गैस सिलेण्डर आटोरिक्शा में भरकर ले जाते हुए भूराराम पुत्र वदाजी मीणा निवासी केसरपुरा को गैस गोदाम के बाहर पकड़ा गया। 7 गैस सिलेण्डरों को मय आटोरिक्शा जब्त किया गया। गैस गोदाम को सीज किया गया। दिनांक 08.ष10.2006 को गैस एजेन्सी का निरीक्षण एवं गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर 14.2 के.जी. के 44 भरे हुए तथा 66 खाली गैस सिलेण्डर कम पाये गये। 14.2 के.जी. के के 5 सिलेण्डरों में 2.45 किलो गैस कम पायी गयी। 1 सिलेण्डर में 400 ग्राम गैस अधिक पायी गयी। गैस एजेन्सी के मालिक सिदार्थ भण्डारी तथा आटो चालक भूराराम पुत्र वदाजी मीणा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत दिनांक 17.10.2006 को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तागासा प्रस्तुत किया गया। 6 (ए) का प्रकरण विचाराधीन है। गैस एजेन्सीके विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 73/2006 दिनांक 13.10.2006 को दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रकरण विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
7.	दूरभाष पर प्राप्त सूचना	07.12.2006	गैस सिलेण्डरों का अवैध परिवहन	भोमाराम प्रवर्तन निरीक्षक	07.12.2006	बालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह निवासी सरणखेडा ग्राम पंचायत जीरावल तहसील रेवदर तथा जीप चालक पीथाराम पुत्र वणाजी चौधरी निवासी दांतराई तहसील रेवदर के कब्जे से 15 गैस सिलेण्डर मय जीप के जब्त किये गये। दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (ए) के तहत दिनांक 18.01.2007 को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तागासा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14.02.2007 को दोषियों के विरुद्ध पुलिस थाना रेवदर में एफ.आई.आर. संख्या 11 दर्ज कराई गई है। 6 (ए) का प्रकरण विचाराधीन है। माउण्ट गैस एजेन्सी माउण्ट आबू के विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 27/2007 दिनांक 23.02.2007 को दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	आकस्मिक जांच	22.12.2006	एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का वाहनों में उपयोग	वीरेन्द्र सिंह शेखावत जिला रसद अधिकारी	22.12.2006	स्कूली बच्चों को विद्यालय लाने ले जाने हेतु उपयोग में लाई जा रही मारुति वैन से लगा हुआ 14.2 के.जी. का 1 एल.पी.जी. सिलेण्डर तथा 1 एल.पी.जी. सिलेण्डर भरा हुआ मारुति वैन में रखा हुआ पाया गया। मारुति वैन सहित 2 एल.पी.जी. सिलेण्डर जब्त किये गये। दोषी वैन मालिक शम्भुसिंह तथा चालक नगाराम निवासी माकरोडा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत दिनांक 18.01.2007 को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तागासा प्रस्तुत किया गया। दोषी वैन मालिक शम्भुसिंह तथा चालक नगाराम के विरूद्ध 04.02.2007 को पुलिस थाना सिरोही में एफ.आई.आर. संख्या 39 दर्ज कराई गई। 6 (ए) का प्रकरण विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
9.	अध्यक्ष व्यापार संघ जावाल	27.12.2006	गैस सिलेण्डर नहीं मिलने बाबत	-	-	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1102 दिनांक 27.12.2006 से सिरोही गैस सर्विस सिरोही को नियमित आपूर्ति करने हेतु पाबंद किया गया। वर्तमान में आपूर्ति नियमित है।
10.	दूरभाष पर प्राप्त शिकायत	13.01.2007	गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण	वीरेन्द्र सिंह शेखावत जिला रसद अधिकारी राजेन्द्र चौधरी थानाधिकारी मण्डार भोमाराम प्रवर्तन निरीक्षक	13.01.2007	श्री अरविन्द कुमार घाँची निवासी मण्डार के कब्जे से 59 एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर अवैध भण्डारण के कारण जब्त किये गये। दोषी अरविन्द घाँची तथा मैसर्स आसोपालव एचपी. गैस आबूरोड के मालिक विकास अग्रवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत दिनांक 29.01.2007 को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तागासा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14.02.2007 को दोषियों के विरुद्ध पुलिस थाना मण्डार में एफ.आई.आर. संख्या 13 दर्ज कराई गई है। 6 (ए) का प्रकरण विचाराधीन है। आसोपालव एच.पी. गैस आबूरोड के विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 26/2007 दिनांक 23.2.2007 को दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या-253

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-254

(स्थगित)

सलूम्बर के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

255. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले के माध्यमिक विद्यालय एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं विषय अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं? तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार उदयपुर जिले में माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं? सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार से है :-

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
1. व्याख्याता	833	236
2. वरिष्ठ अध्यापक	1751	271
3. अध्यापक	629	174

विषयवार अध्यापकों के रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 41 व्याख्याताओं, 46 वरिष्ठ अध्यापकों तथा 18 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव होगा।

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		प्राध्यापक	व. अ.	अध्या.	प्राध्यापक	व. अ.	अध्या.
1	हिन्दी	182	0	0	51	0	0
2	अंग्रेजी	125	318	0	24	96	0
3	भूगोल	73	0	0	33	0	0
4	इतिहास	71	0	0	25	0	0
5	वाणिज्य	74	0	0	20	0	0
6	अर्थशास्त्र	46	0	0	11	0	0
7	कृषि	10	0	0	5	0	0
8	सिन्धी	1	0	0	1	0	0
9	गृह विज्ञान	14	0	0	1	0	0
10	जीव विज्ञान	23	0	0	8	0	0
11	रसायन विज्ञान	29	0	0	7	0	0
12	भौतिक विज्ञान	28	0	0	3	0	0
13	संस्कृत	29	0	0	10	0	0
14	राज. विज्ञान	86	0	0	29	0	0
15	चित्रकला	8	0	0	1	0	0
16	उर्दू	6	14	0	1	6	0
17	गणित	24	322	0	6	81	0
18	संगीत	4	0	0	0	0	0
19	विज्ञान	0	332	0	0	69	0
20	सामान्य	0	765	0	0	19	0
21	अध्यापक	0	0	629	0	0	174
	योग	**833**	**1751**	**629**	**236**	**271**	**174**

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के प्रेरकों को मानदेय

256. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम लागू है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्यक्रम से जुड़े साक्षरता प्रेरकों को मानदेय का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार साक्षरता प्रेरकों को मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राज्य में ''सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम'' के नाम से कोई कार्यक्रम संचालित नहीं है। साक्षरता कार्यक्रम राज्य के 32 जिलों में तीन चरणों में संचालित किया गया है। प्रथम चरण में ''सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम'' वर्ष 1990-97 तक, द्वितीय चरण में ''उत्तर साक्षरता कार्यक्रम'' वर्ष 1992-2004 तक तथा तृतीय चरण में ''सतत शिक्षा कार्यक्रम'' वर्ष 1997 से संचालित है तथा निरन्तर प्रगति पर है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत प्रावधानुसार निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जाता है :-

1. नोडल सतत शिक्षा केन्द्र पर कार्यरत नोडल प्रेरक को 1200/- रु. प्रतिमाह एवं प्रेरक को 700/- रु. प्रतिमाह।
2. सतत शिक्षा केन्द्र पर कार्यरत प्रेरक को 700/- रु. प्रतिमाह एवं सह प्रेरक को 500/- रु. प्रतिमाह।

(3) यह भुगतान सतत् शिक्षा कार्यक्रम की कुल समयावधि पांच वर्ष तक किया जाता है।

जोधपुर शहर के क्षतिग्रस्त/जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवन

257. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष जोधपुर शहर क्षेत्र के विद्यालय भवनों में जर्जर अवस्था के कारण आकस्मिक भवन गिरने की घटना घटित हुई थी? तथा क्या यह भी सही है कि उक्त घटना की जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) क्या सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विद्यालय भवन मरम्मत मद में विशेष एक मुश्त राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 20.09.05 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला जोधपुर को छज्जा गिर गया था। विभागीय अधिकारियों द्वारा इसका मौका मुआयना/निरीक्षण किया गया। इसकी पृथक से जांच नहीं करवाई गई।

(2) जी हां। जोधपुर जिले में बारहवें वित्त आयोग के तहत 20 विद्यालयों को रु. 74.52 लाख का आबंटन कर दिया गया है। रा.मा. विद्यालय विद्याशाला जोधपुर को 3.50 लाख रु. भवन मरम्मत हेतु आबंटित किये गये हैं तथा भवन मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है।

शिक्षा कर्मी बोर्ड की आडिट रिपोर्ट पर प्रशासनिक जांच

258. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षाकर्मी बोर्ड का आडिट कराया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2000-01 की आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2000-01 की आडिट रिपोर्ट में लगाये गये आडिट आक्षेपों के आधार पर किसी अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किसके विरुद्ध? क्या उक्त के विरुद्ध जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध अन्य प्रकरणों में की गई अनियमितताओं बाबत भी जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दु (2) व (3) में कराई गई जांचों में दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षाकर्मी बोर्ड कार्यालय में प्रतिवर्ष आडिट करवाई जाती है। वर्ष 2000-2001 की महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) उपरोक्तानुसार

(4) उपरोक्तानुसार

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन

259. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं बालिका विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे भवनों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा ब्यावर के निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में मरम्मत की आवश्यकता है। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के तहत वर्ष 2006-07 में 311 विद्यालयों के मरम्म्त 316.66 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंकित 5 विद्यालयों हेतु 12वें वित्त आयोग में 8.74 लाख राशि आबंटित की गई है। साथ ही वर्ष 2005-06 में रुपये 4.00 लाख की राशि आबंटित की गई थी।

प्रश्न के भाग 1 की सूची

1. रा.प्रा. विद्यालय, नीमड़ी खेड़ा
2. रा.प्रा. विद्यालय, अमरपुरा
3. रा.प्रा. विद्यालय, बालक बराखन
4. रा.प्रा. विद्यालय, गणेशपुरा

(शिक्षा मंत्री)

5. रा.प्रा. विद्यालय, बालक खोडमाल

6. रा.उ.प्रा. विद्यालय, नेगडिया

7. रा.उ.प्रा. विद्यालय, आसन

8. रा.उ.प्रा. विद्यालय, रावतमाल

9. रा.उ.प्रा. विद्यालय, रामपुरा दूदा

10. रा.मा. विद्यालय, फतेहपुरिया, दोयन

11. पटेल उ.मा. विद्यालय, ब्यावर

12. रा.उ.मा. विद्यालय, राजियावास

13. रा.मा. विद्यालय, खोडमाल

14. रा.उ.मा. विद्यालय, रामगढ़

पालीटैक्निक कालेजों में रिक्त पद

260. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार पालीटैक्निक कालेजों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पालीटैक्निक कालेजों में तदर्थ आधार पर व्याख्याता नियुक्त किए गए हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में की गई नियुक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पदोन्नति से भरे जाने वाले अधिकांश पदों के लिए विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद व्याख्याता के हैं। वित्त विभाग ने आयोजना भिन्न मद में 48 पदों को भरने की स्वीकृति दी है एवं 177 पद आयोजना मद में उपलब्ध हैं। इन पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	**पदनाम**	**पदों की संख्या**
1	संयुक्त निदेशक	03
2	प्रधानाचार्य/उपनिदेशक	13
3	सहायक निदेशक	02
4	विभागाध्यक्ष	36
5	वरिष्ठ प्रवक्ता	44
6	प्रवक्ता	315
7	ए.टी.पी.ओ.	03
8	मंत्रालयिक	76
9	अधीनस्थ	69
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	55
	योग	**616**

(2) वर्ष पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गई थी एवं पूर्व से 15 तदर्थ प्रवक्ता कार्यरत हैं।

गत 3 वर्षों में तदर्थ आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

नहरी/नदी पानी आधारित उद्योगों से वसूली

261. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नदी तथा नहरी पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों से पानी की समान राशि वसूल नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों तथा एक समान राशि वसूल की जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? उद्योगवार वसूल की जाने वाली राशि के विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान जल निकास अधिनियम, 1954 लागू होने के पूर्व से जिस-जिस उद्योग द्वारा नदी का पानी नि:शुल्क उपयोग में लिया जा रहा था, ऐसे उद्योगों से नया अनुबंध किया जाकर पानी की समान राशि वसूली जाने बाबत सरकार द्वारा कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि नदी पर एनीकट बनाकर पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों के कारण सर्दी एवं गर्मी के मौसम में एनीकटों के

(श्री रामनारायण मीणा)

कारण पानी का बहाव अवरूद्ध हो जाने से नीचे वाले हिस्सों में गंदगी के कारण प्रदूषण में बढ़ोत्तरी होती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ-13/62/सिं/84/पार्ट-द्वितीय दिनांक 17.5.95 के तहत उद्योगों को विभाग द्वारा सप्लाई किये जाने वाले पानी की वसूली बीस रु. प्रति हजार घन फुट की दर से की जाती है एवं ऐसे उद्योग जो कि सीधे ही नदी/नालों से बिना किसी सरकारी खर्चे के पानी लेते हैं उसकी दो रु. प्रति हजार घन फुट की दर अथवा विशेष अनुबन्ध के अनुसार वसूली की जाती है। उद्योगवार वसूल की जाने वाली राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(2) जी हां। जल विकास अधिनियम, 1954 के लागू होने के पूर्व से उद्योगों द्वारा नदी से नि:शुल्क पानी लिये जाने का केवल एक प्रकरण बून्दी जिले में मेज नदी पर एनीकट बनाकर पानी लेने का है, उसकी प्रभार राशि वसूली के लिये जिला कलक्टर बून्दी द्वारा सम्बन्धित उद्योग को डिमान्ड नोटिस दिया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'अ'

उद्योगवार वसूल किये जाने वाली राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
1	मैसर्स ए.के. स्पिनटेक्स बिलिया	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	सम्बन्धत उद्योगों द्वारा नदी/नाले से स्वयं के खर्चे पर पानी लिया जा रहा है।
2	मैसर्स अनन्त सिनटेक्स भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
3	मैसर्स सोना प्रोसेस भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
4	मैसर्स संगम स्पिनर्स भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
5	मैसर्स भीलवाड़ा प्रोसेसर्स, भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
6	मैसर्स रंजन पोलिएस्टर भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
7	मैसर्स संगम प्रोसेसर्स, भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
8	मैसर्स जानकी प्रोसेसर्स भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
9	हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा अगूचा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
10	हिस्दुस्तान जिंक लि.	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	सम्बन्धत उद्योगों द्वारा नदी/नाले से स्वयं के खर्चे पर पानी लिया जा रहा है।
11	जे.के. सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
12	हिन्दुस्तान जिंक लि. देवारी	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
13	हिन्दुस्तान जिंक लि. जावर माइन्स	1.00/Mcft.	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	बांध का निर्माण हिन्दुस्तान जिंक लि. जावर माईन्स द्वारा करवाया गया तथा अनुबंध अनुसार
14	राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लि. उदयपुर	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	सम्बन्धत उद्योगों द्वारा नदी/नाले से स्वयं के खर्चे पर पानी लिया जा रहा है।
15	जे.के. इन्ण्डस्ट्रीज लि. कांकरोली	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
16	कोटा सुपर थर्मल पॉवर, कारपोरेशन, कोटा	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
17	सोयाबीन प्लान्ट, रावतभाटा रोड, कोटा	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
18	चंबल फर्टीलाईजर्स एण्ड केमीकल लि. गडेपान कोटा	2.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	कालीसिंध नदी पर एनीकट का निर्माण चंबल फर्टिलाईजर्स द्वारा वर्ष 2003 में किया गया है।
19	राजस्थान आटोमेटिक पावर स्टेशन, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
20	भारी पानी संयंत्र रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
21	हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन क. रावतभाटा	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
22	ए.सी.सी. लाखेरी		उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	ए.सी.सी. सीमेंट वर्क्स उद्योग लाखेरी द्वारा मेज नदी पर सन् 1935 से एनीकट बनाकर पानी लिया जा रहा है।
23	मल्टी मेटल्स कोटा	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
24	श्रीराम रेओन्स, कोटा	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
25	श्रीराम बिनाईल एण्ड केमीकल	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
26	श्रीराम फर्टीलाईजर्स एण्ड केमीकल	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
27	जे.के. सिन्थेटिक्स, कोटा	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
28	थर्मल पावर स्टेशन, अंता	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
29	मैसर्स बालाजी ईंट भट्टा चक 8 एसडीपी	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
30	रिको उद्योग घड़साना	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
31	रिको उद्योग रावला	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
32	बीएसएफ सतराना	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
33	बीएसएफ खाजूवाला	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
34	उरमूल डेयरी छत्तरगढ़	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
35	जेसीटी मिल श्रीगंगानगर	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
36	शुगर मिल श्रीगंगागनर	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
37	रिको उद्योग विहार, श्रीगंगानगर	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
38	खण्डेलिया ऑयल एण्ड जनरल मिल्स श्रीगंगागनर	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
39	मैसर्स कल्पतरू पॉवर ट्रान्समिशन चक 27 बीबी पदमपुर	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
40	बालाजी ईंट उद्योग चक 12ओ करणपुर	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
41	सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
42	बांसवाड़ा सिन्टेक्स	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
43	लक्ष्मी सीमेन्ट वर्क्स, जे.के. पुरम	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
44	बायोमास वेस्ट पावर प्लांट मैसर्स कलपतरू उनियारा	20.00/प्रति 1000 घनफीट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

रायपुर में एनीकट निर्माण

262. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी 2004 से 31 जनवरी, 2007 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर में सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये एवं प्रत्येक कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा इस क्षेत्र में एनीकट निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र माननीय मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय को दिये गये? यदि हां, तो उन पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माननीय मंत्री और प्रमुख शासन सचिव द्वारा उन पत्रों पर आवश्यक आदेश पारित किये गये? यदि हां, तो प्रत्येक पत्र पर क्या आदेश दिया गया और उसकी क्या पालना हुई? यदि पालना की गई तो विवरण सदन की मेज पर रखें व राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर में जल संसाधन विभाग द्वारा जनवरी, 2004 से 31.01.07 तक 17 कार्य स्वीकृत किये गये। कार्यो की सूची मय स्वीकृत राशि संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है।

(2) जी हां। जन-प्रतिनिधियों द्वारा एनीकट निर्माण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। दिये गये आदेशों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। सभी आदेशों की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पालना की गई, अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

(सूची विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सुवाणा/पोण्ड्रास (भीलवाड़ा) एनीकट निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

263. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा का सुवाणा एनीकट वर्ष 2005-06 में बनाया गया जिस पर 60 लाख रुपये खर्च करने पर भी करीब 50 जगहों से बड़े मौखों द्वारा पानी खाली होता रहा तथा जगह-जगह पर मिट्टी डाली गई और कोई नतीजे हाथ न आने से कृषकगण लाभान्वित नहीं हो सके और न ही जल संसाधन बढ़ा व पोण्ड्रास एनीकट जगह-जगह से जर्जरित होकर रिसाव होता रहा क्योंकि दोनों एनीकटों में घटिया निर्माण सामग्री काम ली गई? यदि हां, तो घटिया निर्माण कार्यों के लिए कौन दोषी है?

(2) उक्त एनीकटों के अलावा हलेड़ में स्वीकृत एनीकट हलेड़ क्षेत्र में न बनाया जाकर माधोपुर क्षेत्र में किस संशोधित स्वीकृति के तहत बनाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सुवाणा एनीकट का निर्माण वर्ष 2005-06 में पूर्ण हुआ है इस एनीकट के निर्माण पर कुल राशि रुपये 47.53 लाख व्यय किए गये। एनीकट में दो तीन जगह सामान्य रिसाव है। एनीकट में कहीं भी मौखे नहीं हैं। एनीकट में अभी भी पानी भरा हुआ है एवं 1 फीट ही खाली है। एनीकट पर जगह- जगह मिट्टी नहीं डाली गई है एवं एनीकट के निर्माण के कारण आस-पास में कुओं के जल स्तर में खासी वृद्धि हुई है। एनीकट के नीचे नदी में कृषकों द्वारा जायद फसल एवं सब्जियों की खेती भी की जा रही है। इस प्रकार एनीकट अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। सुवाणा एनीकट के निर्माण में अनियमितता के सम्बन्ध में करवाई गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

पोण्डारास एनीकट वर्षा ऋतु में पूर्ण भराव क्षमता तक भरा, एक दो स्थानों पर सीपेज पाया गया जिसे अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ठीक करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

इस एनीकट की जांच उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा की जा रही है एवं रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(2) अनुशंसा एवं स्वीकृति अनुसार ही इस एनीकट का निर्माण हलेड़ क्षेत्र के हरणी नाले पर ही करवाया गया है, अन्यत्र नहीं कराया गया।

सुनारी जोधपुर/खरखड़ा (खेतड़ी) नदी पर बांध निर्माण

264. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दाताराम गुर्जर)

(1) क्या सरकार सुनारी जोधपुरा नदी पर बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार खरखड़ा नदी पर प्रस्तावित बांध का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार के समक्ष खेतड़ी में अन्य किसी जगह बांध निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कहां?

उत्तर

(1) सुनारी जोधपुरा नदी पर एक एनीकट बनाये जाने हेतु परीक्षण किया जा रहा है। कार्य की उपादेयता एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार एनीकट का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

(2) खरखड़ा नदी पर बांध बनाने के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य करवाया जा रहा है। सर्वेक्षण पश्चात उपयोगी पाये जाने पर कार्य की उपादेयता एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार बांध निर्माण कराने बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

कंसरवाल (अलवर) योजना का अपूर्ण कार्य

265. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रामगढ़ (अलवर) में कंसरवाल योजना के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा एवं क्या-क्या कार्य किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। रुपये 84.60 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति की प्रति प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) कार्य की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्य में एनीकट निर्माण कार्य के साथ-साथ निजी भवन एवं ग्राम बिलासपुर की ओर जाने वाली सड़क का

(सिंचाई मंत्री)

बचाव कार्य एवं कच्ची नहर द्वारा बरसाती पानी को अपवर्तन करने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र 'अ'

स्वीकृति की प्रतिलिपि

नीति निर्धारण समिति, बैठक : 170/23.06.2006 निर्णयों का सार संक्षेप

नीति निर्धारण समिति की 170वीं बैठक दिनांक 23.06.2006 को माननीय प्रोफेसर सांवर लाल जाट, मंत्री राजस्थान-सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु : 55 एनीकट निर्माण कार्य कंच-खाला पंचायत समिति रामगढ़ जिला अलवर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	एजेण्डा बिन्दु पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर की प्रस्तुति के आधार पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमानित लागत रुपये 84.60 लाख (संलग्न:49/एबि55/नीनिस 170/23.06.2006) की जारी करने का निर्णय लिया गया। एनीकट निर्माण सिंचाई विभाग के माध्यम से डिपोजिट मद में करवाया जावेगा।

क्र.सं. एफ-7(8)पीपीसी/आरडब्ल्यूएसएसएमबी/2006-07/1165-1210

दिनांक 05.07.06

ह./-

अनुभागाधिकारी,

राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर

नोहर के पशु-चिकित्सालयों में रिक्त पद

266. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सरकार ऊंटों, देशी गायों की खतम होती नस्ल को बचाने हेतु प्रयासरत है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बहादुर सिंह)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर के गांवों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालय खोलने के मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

(अ) <u>शहरी क्षेत्र :-</u>

1. कार्यरत अथवा निकटतन पशु चिकित्सालय/संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है
2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 3000 हो।
3. पक्की सड़क/पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।
4. 4 कमरों का पक्का भवन एवं 150 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।

(ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र :-</u>

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय/संस्था से 6 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 5000 हो।
3. पक्की सड़क/पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।
4. 3-4 कमरों का पक्का भवन एवं 200 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।

(2) जी हां।

1. देशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में संशोधित प्रजनन नीति जारी की गई है।
2. उन्नत नस्ल के सांड बछड़े वितरित किये जा रहे हैं।

ऊंट की नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, जोरबीड़, बीकानेर में कार्यरत है।

(3) जी हां। 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा चयन सूची उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

सीमलवाड़ा तहसील/डूंगरपुर के काश्तकारों को मुआवजा

267. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अतिवृष्टि में फसल नष्ट होने पर मुआवजा देने के क्या मानदण्ड हैं तथा तहसील सीमलवाड़ा एवं डूंगरपुर के कितने काश्तकारों को वर्ष 2006 एवं 2007 में फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अतिवृष्टि से लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक नष्ट होने पर प्रभावित कृषकों को 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से (अधिकतम 2 हैक्टेयर भूमि की सीमा तक) कृषि आदान अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अन्य श्रेणी के कृषकों को भी लगातार दूसरे वर्ष भी अकालग्रसित होने पर 2 हैक्टेयर तक की भूमि की सीमा के लिए 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि आदान अनुदान देय है।

वर्ष 2006 एवं 2007 में तहसील सीमलवाड़ा में अब तक कुल 22425 कृषक परिवारों को 224.89 लाख रुपये एवं तहसील डूंगरपुर में 30405 कृषक परिवारों को 223.49 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।

कृषकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण सूची संलग्न किया जाना सम्भव नहीं है। यदि माननीय सदस्य विधान सभा को किसी ग्राम विशेष या व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में सूचना चाहिये तो उन्हें उपलब्ध करा दी जावेगी।

राजकीय दंत महाविद्यालय जयपुर में व्याप्त अनियमितताएं

268. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या उच्च शिक्षा (चिकित्सा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर में नये दांत व नई बत्तीसी लगाने हेतु सरकार द्वारा कितना स्टाफ स्वीकृत है?

(2) स्वीकृत स्टाफ द्वारा एक माह में कितने लोगों के दांत लगाये जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 को पंजीकृत किये गये नामों के व्यक्तियों के आज तक बत्तीसी नहीं लगाई गई है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त तिथि के बाद भी कुछ व्यक्तियों के नये दांत

(श्री मदन मोहन सिंघल)

लगाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के किस आधार पर? रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वीकृत स्टाफ-5 (2 आचार्य, 1 सह आचार्य, 1 सहायक आचार्य, 1 वरिष्ठ प्रदर्शक)

कार्यरत- वर्तमान में 3 (1 आचार्य, 1 सह आचार्य, 1 वरिष्ठ प्रदर्शक)

(2) एक माह में 45-50 लोगों के दांत लगाये जाते हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 को पंजीकृत किये गये व्यक्तियों के आज तक बत्तीसी नहीं लगाई गई है क्योंकि बत्तीसी बनाने की प्रक्रिया लम्बी है। प्रतीक्षा सूची की पालना कड़ाई से की जाती है। जी नहीं।

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-6 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-6 मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

1. जनता को शीघ्र व सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने तथा मुकदमों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

2. राज्य में न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के त्वरित निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

3. विधान सभा क्षेत्र धोद के लोसल कस्बे में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना नहीं करने से जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित मुकदमों का निस्तारण नहीं होने से पक्षकारों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

5. राज्य में गरीब जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

6. न्याय प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

7. न्यायालय में विचाराधीन बाढ़ एवं चालान हेतु शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

8. राज्य में जन सामान्य को न्याय सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

9. तहसील नादौती में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

10. नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय स्वीकृत करने व न्यायालयों में वकीलों एवं उनके मुवक्किलों की सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

11. छोटी सादड़ी में उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. निम्बाहेड़ा में नवनिर्मित न्यायालय भवन में सभी कोर्टो के कार्यालय जो पुराने भवन में हैं, उन्हें स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

13. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा के तहसील हैडक्वार्टर रायपुर में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में ए.डी.जे. क्वार्टर एवं कोर्ट कैम्प्स में बार लाइब्रेरी भवन निर्माण एवं कोर्ट परिसर की चारदीवारी मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

15. राज्य में गरीबों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पावटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राज्य में त्वरित न्याय दिलवाये जाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

19. सुमेरपुर में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट को स्थाई कोर्ट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

20. बर तहसील रायपुर में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

21. राज्य में त्वरित न्याय दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विभाग द्वारा राज्य में न्यायालयों में खाली पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

23. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के चेम्बर निर्माणा हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय होने से स्थानीय व जिले से बाहर से आने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिये अलग से जिला पूल में वाहन आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय बायतु में सिविल न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. जिला सेशन न्यायालय उपखण्ड बालोतरा से जिला मुख्यालय बाड़मेर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला न्यायालय परिसर बाड़मेर में वाहनों के पार्किंग स्थल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

28. न्यायालय निम्बाहेड़ा एवं बड़ी सादड़ी में नोटेरी पब्लिक की नई नियुक्तियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

29. विधान सभा क्षेत्र निवाई में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के नये कार्यालय भवन के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

30. नैनवां (बूंदी) में स्थित न्यायालयों के लिये पर्याप्त भवन व्यवस्था किये जाने में हो रही देरी एवं अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. उपतहसील मुख्यालय देई जिला बूंदी में मुन्सिफ एवं न्यायिक

(श्री रामनारायण मीणा)

मजिस्ट्रेट का कार्य प्रारम्भ कर सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. उपखण्ड मुख्यालय नैनवां (बूंदी) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. न्यायिक अधिकारियों के चयन में दलित वर्ग की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने पर यात्रा व्यय दिलवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

35. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक न्यायालय खोलने व मा. राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्त न्यायाधिपतियों की शीघ्र नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर सन् 1937 में बने भवन को वर्तमान में पक्षकारों, मुकदमों व मा. न्यायाधिपतियों की अधिक संख्या एवं न्यायालय की गरिमा व आवश्यकता को देखते हुए समस्त अधीनस्थ न्यायालयों सहित मा. राजस्थान उच्च न्यायालय के नये भवन का शीघ्र निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. समस्त न्यायिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर तुरन्त नियुक्ति की जाने व बढ़ते हुए प्रकरणों को देखते हुए और अधिक न्यायिक कर्मचारियों के पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सहित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों के रखरखाव, स्टेशनरी, फर्नीचर व अन्य आवश्यकताओं हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यालयों में रखे हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों व फाइलों की सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

40. न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधायी कार्यों में न्यायपालिका द्वारा किये जा रहे दखल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

42. रामगढ़ (अलवर) में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

43. प्रदेश की न्याय व्यवस्था में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु समुचित कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

44. अजमेर में हाईकोट बैंच खोलने एवं आर्थिक अपराध न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

45. मकराना में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने तथा सस्ता न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

46. उदयपुर में हाईकोर्ट की बैंच नहीं खोलने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

47. अदालतों में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. संभाग मुख्यालय बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के तहसील मुख्यालय, पूंगल व छतरगढ़ में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

50. प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

51. बांसवाड़ा जिले के सुदूर पं. समिति आनन्दपुरी में छोटी कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा में उपखण्ड न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

53. किशनगढ़बास जिला अलवर में एस.डी.एम. का नया कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

54. राज्य में जरूरतमंदों को त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

55. मुण्डावर सब-डिवीजन मुख्यालय पर अतिरिक्त न्यायाधीश का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. मुण्डावर तहसील के पुलिस केसेज के चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट मुण्डावर की अदालत में ही पेश करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

57. विधान सभा फुलेरा के सांभर में स्थापित न्यायालयों को खुले एवं उचित स्थान पर बनाने के लिये नये भवन निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में मुंसिफ कोर्ट एवं ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

59. श्रीमाधोपुर ए.डी.जे. न्यायालय कैम्प कोर्ट को स्थाई न्यायालय के रूप में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

60. कोटा संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट की बैंच एवं चेचट में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

61. परबतसर में जिला एवं सत्र न्यायालय का साप्ताहिक कैम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

62. तिजारा जिला अलवर में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश किशनगढ़-बास के कैम्प कोर्ट तिजारा को पूर्णतया तिजारा मुख्यालय पर रखने या अन्य अपर जिला सैशन न्यायालय तिजारा खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. तिजारा जिला अलवर में अन्य अपर मुख्य न्यायिक, मुख्य न्यायिक एवं सिविल न्यायाधीश (व.ख.) न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. अलवर जिले में उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम पर अपर मुख्य न्यायिक, सिविल न्यायालय खोलने एवं अपर जिला सैशन न्यायालय किशनगढ़-बास का कैम्प कोर्ट, कोटकासिम रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

65. मुंसिफ मजिस्ट्रेट गंगरार में आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय राशमी में मजिस्ट्रेट के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

67. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट के लिये कोर्ट परिसर में भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

68. विधान सभा क्षेत्र कपासन में मण्डफीया सांवरियाजी में पूर्णकालिक मुंसिफ न्यायालय एवं कपासन में ए.डी.जे. कोर्ट के साप्ताहिक शिविर की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

69. बाली मुंसिफ कोर्ट में एडवोकेट्स के लिये चेम्बर (भवन) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. मुंसिफ कोर्ट बाली (जिला पाली) के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. ए.डी.जे. फास्ट ट्रेक अदालत बाली के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

72. साण्डेराव पुलिस थाना क्षेत्र के न्याय प्रकरण बाली मुंसिफ कोर्ट/ ए.डी.जे. फास्ट ट्रेक अदालत बाली में निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुरा) :

73. राजगढ़ (चूरू) में न्यायालयों में बार कक्ष बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

74. अजमेर जिले की पं.सं. अराई अथवा ग्रा.पं. रूपनगढ़ प.सं. सिलोरा मुख्यालय पर नवीन मुंसिफ न्यायिक कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

75. राज्य के न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

76. कस्बा गोविन्दगढ़ (अलवर) में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

77. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में ए.सी.जे.एम. कोर्ट इटावा में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

78. राज्य में जिला स्तर के न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिये न्यायालय की संख्या में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बाबू लाल नागर (दूदू) :

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने व पुलिस थाना दूदू का आधुनिकीकरण कर पर्याप्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. पुलिस कर्मियों को पर्याप्त भत्ते व सुविधा देने एवं पुलिस विभाग के प्रशिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

3. राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आमजन व पुलिस में सहयोग स्थापित करने तथा पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

4. राज्य की पुलिस को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने तथा पुलिस के कार्य को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

5. राज्य में पुलिस कर्मियों की सुविधाएं बढ़ाने व पुलिस कार्यप्रणाली के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

6. थाना सांगोद जिला कोटा में सी.आई. स्तर के अधिकारी को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. राज्य में अफीम व नशे से सम्बन्धत अपराधों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. प्रदेश में अवैध हथियार उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

9. थाना लक्ष्मणगढ़ को निरीक्षक स्तर थाना घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. लक्ष्मणगढ़ शहर में यातायात पुलिस की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

(श्री केसर देव बाबर)

11. नीमकाथाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. राज्य में पुलिस के आमजन से बर्ताव में आवश्यक सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के थाना रघुनाथगढ़ का स्थान बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

14. राज्य में दलित परिवारों पर हो रहे अत्याचारों व कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

15. पुलिस विभाग में एम.टी. बैण्ड, आरमोर व घुड़सवार को 9, 18, 27 का ग्रेड 18 वर्ष बाद उप निरीक्षक के वेतन के बराबर 5500 रुपये दिया जाता है जब कि सिपाही को 9, 18, 27 का ग्रेड 18 वर्ष बाद सहायक उप निरीक्षक के ग्रेड 4000 रुपये के वेतन के बराबर दिये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

16. राजस्थान पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. पुलिस के कांस्टेबल को अर्द्ध कुशल श्रमिक की श्रेणी से कुशल श्रमिक श्रेणी में लिये जाने एवं वेतन भत्ते आदि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. झुंझुनूं जिले में पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट किये जाने पर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

19. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पुलिस थाना आंधी एवं चन्दवाजी में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कानून व्यवस्था ठीक करवाने जमवारामगढ़ (जयपुर) क्षेत्र के थानों में रिक्त पद भरने एवं संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

21. उप अधीक्षक कार्यालय जोधपुर ग्रामीण का कार्यालय जोधपुर शहर से बालेसर करने, ग्राम पंचायत घामू व आगोलाई में नई पुलिस चौकी खोलने व पुलिस थाना बालेसर में सर्किल इन्सपेक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

22. पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरस्त करने एवं जनता के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

23. राजस्थान में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में उपयुक्त स्थानों पर पुलिस चौकियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. हिण्डौली में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

26. पुलिस विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने व पुलिसकर्मी को जन रक्षक की भूमिका निभाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

27. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के थाना बसवा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम बैजूपाड़ा एवं गुढाकटला में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

29. अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जैसलमेर में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (लूणी) :

30. मेवात क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को रोकने में पुलिस की नाकामी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के मेवात क्षेत्र में ग्राम बाघोड़ा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

32. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के आदिवासी अंचल क्षेत्र चित्रावास में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

33. निम्बाहेड़ा में ग्रामीण पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी तहसीलों में नई पुलिस चौकियां क्रमश: जलोदा जागीर, ढोरिया, बिनोता, मांगरोल, आदर्श कालोनी (निम्बाहेड़ा) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. पुलिस थाना कनेरा एवं पुलिस थाना-धोलापानी की चारदीवारी व अन्य निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

36. पुलिस थाना गंगापुर (भीलवाड़ा) में कर्मचारियों के ठहरने के लिए बैरक एवं क्वार्टर बनाने एवं वर्तमान में बने क्वार्टरों व थाने के पास वर्षा ऋतु में पानी भरे रहते से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. सहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के रायपुर पुलिस थाना को पुराने रिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा के झाडौल, महेन्द्रगढ़ आशाहोली में पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

39. राष्ट्रीय राजमार्गों से आने वाले अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु थानों के अतिरिक्त अलग से स्क्वाड गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. राज्य में अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस को ज्यादा गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. चरित्र सत्यापन हेतु जिला पुलिस अधीक्षक के बजाए उप अधीक्षक या सम्बन्धित थानाधिकारी स्तर से कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. पुलिस एवं न्याय प्रशासन में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

43. सुमेरपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

44. पाली जिले में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात सुगम बनाने हेतु विशेष पुलिस दल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. पाली जिले में बढ़ते हुए अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. पुलिस विभाग में काफी समय से विभिन्न ग्रेड की सी.आई. से उप अधीक्षक, उप अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सुपर टाईम स्केल और आर.पी.एस. से आई.पी.एस. में हुई पदोन्नतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. रायपुर तहसील के पुलिस थाना सेन्दड़ा व रायपुर के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन हेतु चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अपराधों की रोकथाम के लिए ग्राम कानुजा, कालबकलां व खोड़िया में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

49. पीलीबंगा में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. राज्य में पुलिस व जनता में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

52. बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकी बाटाडू पंचायत समिति बायतु जिला बाड़मेर को पुलिस थाना बाटाडू में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम विशाला की पुलिस चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम कानोड ग्राम पंचायत कानोड पंचायत समिति बायतु में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री तगाराम चौधरी)

55. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कार्यरत पुलिस थानों को कम्प्यूटर व इंटरनेट से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. खनिज तेल, कोयला व थार एक्सप्रेस के संचालन के कारण सीमान्त जिले बाड़मेर में महिला थाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

57. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पंचायत मुख्यालय केसरपुरा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र घाटोल में बाबरीया की नाल के आमली घाटी में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

59. विधान सभा क्षेत्र निवाई में ग्राम जामडोली एवं दतवास में पुलिस थाना तथा ग्राम गुन्सी एवं झिलाय में पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

60. नैनवां शहर खानपोल तथा करवर पुलिस चौकियां (जिला बूंदी) के लिए नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. पुलिस चौकी खटकड़ (गेन्डोली) जिला बूंदी में पदस्थापित पुलिसकर्मियों के लिए पर्याप्त पारिवारिक निवास हेतु क्वाटर्स निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. रायथल (बूंदी) में पुलिस चौकी स्वीकृत नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

64. नेशनल हाईवे 65 व 112 पर बढ़ती दुर्घटनाओं व अपराधों की रोकथाम हेतु एक-एक हाइवे मोबाइल पुलिस दल की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र लूणी के विस्तृत क्षेत्रफल, बढ़ते हुए अपराधों, मुकदमों व जनता की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस थाना झंवर व लूणी में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जोगाराम पटेल)

66. पुलिस थाना झंवर व लूणी में पुलिस अधिकारियों हेतु (एस.एच.ओ.) भवनों व स्टाफ हेतु स्टाफ क्वार्टरों का तुरन्त निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र लूणी के पुलिस थाना लूणी में खेजड़ली चौराहा, कांकाणी व धुन्धाड़ा में नई पुलिस चौकियां स्थापित तथा पुलिस थाना झंवर की बोरानाडा व धवा की अस्थायी चौकियों को स्थायी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र लूणी के पुलिस थाना झंवर व लूणी के भवन जीर्ण-क्षीर्ण होने से दोनों पुलिस थानों के अत्याधुनिक सुविधाओं के युक्त नये भवनों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

69. प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द (कौमी एकता) बनाये रखने तथा दलित एवं महिला अत्याचारों की बढ़ोत्तरी पर रोक नहीं लगाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

70. राज्य पुलिस को अत्याधुनिक हथियार एवं वाहन उपलब्ध कराने व पुलिसकर्मियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. नगर-चाकसू थानों को इन्सपेक्टर स्तर का थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. एफ.एस.एल. के निदेशक का कार्यकाल सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी बढ़ाने से एच.एस.एल. कर्मियों व अन्य में व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश में होने वाले साम्प्रदायिक दंगों के दोषियों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

74. रामगढ़ (अलवर) में उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

75. प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त व प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

76. खानपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित करने व धानोवा कलां पुलिस थाना सारोला में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

77. पुष्कर में थाने को क्रमोन्नत कर निरीक्षक स्तर का बनाने, थाना किश्चयनगंज एवं थाना गज (अजमेर) के क्षेत्र को युक्तिपूर्ण करने व बुढा पुष्कर में पुलिस को दी गई जमीन को मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

78. मकराना थाना में ट्रेफिक स्टाफ बढ़ाने एवं बोरावड़ बड़े ग्राम में पुलिस थाना एवं चौकी खोलने के साथ-साथ गंभीर मुकदमों की तफ्तीश पुन: करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

79. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के ग्राम केथूदा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

80. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बीकानेर का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न थानों में दर्ज हत्या, चोरी, नकबजनी व मारपीट के लम्बित प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. थाना लूणकरणसर को क्रमोन्नत कर इन्सपेक्टर स्तर का किये जाने, कस्बा लूणकरणसर व नापासर में ट्रेफिक पुलिस की व्यवस्था करने, चौकी कालू, जैतपुर 32 हैड में तथा विभिन्न थानों में स्टाफ की पूर्ति करने पर चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में विभिन्न अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

84. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में केलवा तथा कांकरोली में पुलिस थानों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

85. प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

86. बांसवाड़ा जिले में सभी प्रकार के अपराधों का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ने में पुलिस की नाकामी की स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. बांसवाड़ा जिले में गरीब आदिवासियों के साथ पुलिस द्वारा सामन्ती व्यवहार करने, आपसी क्रॉस मुकदमे करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. बांसवाड़ा जिले में हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर अपराधियों को पुलिस द्वारा संरक्षण देने से आम जनता में पुलिस से उठते विश्वास की स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. बांसवाड़ा जिला जनजाति बाहुल क्षेत्र में पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही भारी लूटपाट को रोकने के प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. बांसवाड़ा जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की प्रवृत्ति से जनजाति व आम जनता में बढ़ते आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

91. पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

92. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की अजरका पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. सोडावास (मुण्डावर-अलवर) में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

94. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग थाना बनाने एवं बधाल में पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाने एवं पचकोडिया, त्योद, भादवा में पुलिस चौकी कायम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री नवरतन राजोरिया)

95. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न पुलिस थानों में रिक्त पदों को भरने व पुलिस नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

96. सीताबाड़ी (कोलवाड़ा) जिला बारां में धार्मिक जगह होने से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. पुलिस थानों पर कम मुकदमे दर्ज करने की प्रवृत्ति से थानाधिकारी द्वारा चौथ वसूली करने एवं अन्य हथकण्डे अपनाने से उत्पन्न भ्रष्टाचार की स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. सरकार द्वारा समय-समय पर पुलिस अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ रखी गई बैठकों के निष्कर्ष के अनुसार कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. राज्य में पुलिस कान्सटेबल की भर्ती जिलेवार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

100. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के थानों व चौकियों की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के साकेत नगर में पुलिस चौकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. ब्यावर में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. राज्य में यातायात पुलिस व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) **:**

104. एफ.आई.आर. नं. 46/06 थाना पाचोडी जिला नागौर, एफ.आई.आर. नं. 131/07 थाना वैशाली नगर, जयपुर में कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. अरबन होम गार्डस को स्थाई ड्यूटी नहीं देने से विभागीय कर्मचारियों की कमी से, यातायात एवं अन्य कार्यों में शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

106. एफ.आई.आर. नं. 20/07 व 22/07 में तफ्तीश में उप अधीक्षक पुलिस (ग्रामीण), अजमेर की भूमिका व गलत दखलंदाजी से प्रभावित हुये प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. परिवाद सं. 18/03 (पी.ई. सं. 122/05 ए.बी.सी. उदयपुर) की जांच विरुद्ध उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के पूर्ण होने के उपरान्त, जुर्म साबित होने पर भी चालान प्रस्तुत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. अजमेर जिले में गत एक वर्ष में हुई हत्याओं विशेषत: बलवन्ता के नन्दा गुर्जर व बुबानिया के यादव युवक में अभियुक्तों को गिरफ्तार न कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. नसीराबाद सिटी में मुकदमा नं. 22/07 दो माह तक दर्ज नहीं करने में मुलजिमों को भगाने व साक्ष्य प्रभावित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. नसीराबाद सिटी थाने में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 56/06 पर एक साल में भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

111. धौलपुर जिले में अपहरण, लूटमार व दस्यु गिरोह की गतिविधियों एवं जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

112. धौलपुर जिले में सुरक्षा की दृष्टि से हथियारों के लाइसेन्स नहीं देने, शहर की नई कालोनियों में पुलिस व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. धौलपुर शहर/गांवों में चोरियों से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

114. डेगाना तहसील मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. ग्राम बुटाटी में चतुरदासजी का स्थान होने से रोजाना सैकड़ों यात्रियों के आवागमन से उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

116. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम सांजू में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. डेगाना जंक्शन पर ट्रैफिक जाम होने की स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु स्थायी यातायात पुलिसकर्मी की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

118. पुलिस थानों के वाहनों हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे तेल में की गयी कटौती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के पीलवा व गच्छीपुरा थानों में नये भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के पीलवा थाने में नया वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के थानों में नवीन आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों को क्रमोन्नत करने एवं नई पुलिस चौकियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

123. अलवर जिले की तहसील तिजारा एवं तहसील कोटकासिम में पुलिस थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल देने व पुलिस को आधुनिक हथियार एवं साधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)

124. राज्य में पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

125. ग्राम पंचायत मुख्यालय लाम्बीया तहसील जैतारण में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. ग्राम पंचायत मुख्यालय बलाड़ा तहसील जैतारण में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. पुलिस चौकी रास तहसील जैतारण को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) :

128. गंगरार विधान सभा क्षेत्र में चौकी बस्सी को क्रमोन्नत कर थाना बनाने, मागीकूण्डिया व बोरदा में नई चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के थानों में नई सुसज्जित जीपों का आबंटन करने व लम्बे समय से थानों में रिक्त चल रहे पदों को तुरन्त भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. थाना राशमी में नया भवन व आवास निर्माण तथा थाना गंगरार में आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) :

131. हिण्डौन, जिला करौली में नवीन मण्डी यार्ड में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना, ग्राम जगर तहसील हिण्डौन में पुलिस चौकी भवन का निर्माण, ग्राम महू इब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन में नवीन पुलिस चौकी खोलने, हिण्डौन (करौली) में नवीन सदर थाना व नई मण्डी (हिण्डौन) की पुलिस चौकी की मान्यता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

132. बेरोजगारों से करोड़ों रुपये की नौकरी के नाम पर ठगी प्रकरण में ठगी से परेशान व्यक्तियों की एफ.आई.आर. विलम्ब से दर्ज करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

133. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की हरसोरा पुलिस चौकी को थाना बनाने तथा चतरपुरा ग्राम में नई पुलिस चोकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विभाग में कार्यरत सिपाहियों को अन्य विभागों की तरह सुविधाएं देने तथा भर्ती प्रक्रिया शीघ्र चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (मेड़ता, नागौर) :

135. नागौर जिले में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

136. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सांवरियां जी मण्डफीया में विशेष पुलिस

(श्री बद्रीलाल जाट)

चौकी की स्थापना, भवन रहित पुलिस चौकियों के भवन निर्माण व जर्जर पुलिस थानों भवनों का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

137. टिब्बी विधान सभा क्षेत्र के कस्बा रावतसर में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, पुलिस थाना रावतसर एवं पुलिस थाना टिब्बी को सी.आई. थाना में क्रमोन्नत करने, कस्बा धनासर रेन्ची एवं थालडका में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

138. जालौर जिले में बढ़ती चोरी, डकैती व बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

139. हनुमानगढ़ जिले में सट्टा पर्ची की रोकथाम पर कानून में तरमीम कर सजा के दायरे में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

140. राज्य के पुलिस अधिकारियों की सेवाएं विदेशों/अन्य राज्यों में देने के निर्धारित मापदण्डों के औचित्य पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र आहोर के थाना क्षेत्रों में नवीन चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. राज्य के सीमावर्ती देशों से मादक पदार्थों/हथियारों/जाली नोटों आदि की तस्करी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र आहोर के उम्मेदपुर में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

145. विधान सभा क्षेत्र (झालावाड़) के पिड़ावा नगर में सी.आई. की पोस्ट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के ग्राम धरोनिया व महुड़िया चौराहे पर नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

147. विधान सभा क्षेत्र बाली की लाटाड़ा पुलिस चौकी को पुलिस थाना बाली के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र बाली के बीसलपुर क्षेत्र को पुलिस थाना बाली या फालना से अटेच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम पंचायत मुख्यालय मालनूं एवं लुन्दाड़ा में नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. मालवीय नगर पुलिस थानान्तर्गत गोनेर रोड़, जयपुर की किशन विहार कालोनी के मकान नं. 31 व मकान नं. 34 से चोरी किये गये माल/वाहन की बरामदगी व चोरों को गिरफ्तार करने व इस क्षेत्र में स्थायी पुलिस चौकी स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. वर्ष 1979 पुलिस आन्दोलन के दौरान हटाये गये पुलिसकर्मियों को पुन: सेवा में लिये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक द्वितीय के पत्रांक 5884 दिनांक 26.8.2003 एवं 7329 दिनांक 4.11.2003 के माध्यम से दी गई सकारात्मक टिप्पणी को देखते हुये पाली एवं भीलवाड़ा जिले के पीड़ित पूर्व पुलिसकर्मियों की पुन: बहाली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

152. राज्य में पुलिस को आधुनिक उपकरणों से युक्त करने एवं अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

153. राजगढ़ (चूरू) में हरियाणा सीमा से सटे बड़े गांव रामपुरा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विभाग द्वारा होम गार्ड कर्मियों का दैनिक भत्ता 200 रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. राजगढ़ (चूरू) में यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. राज्य में सीमा पर स्थित थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

157. अजमेर शहर में बढ़ रहे चोरी, सट्टा की घटनाओं एवं अफीम, गांजा,

(श्रीमती अनिता भदेल)

चरस व स्मैक के अवैध रूप से क्रय-विक्रय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. अजमेर शहर में यातायात पुलिसकर्मियों की कमी के कारण शहर में यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. अजमेर शहर में स्थित किश्चयनगढ़ थाना व गंज थाना की सीमाएं अव्यवहारिक होने तथा अलवर गेट थाने की सीमाएं बहुत अधिक होने से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को फील्ड में पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. अजमेर शहर की आबादी तथा अपराधों के आधार पर थानों की संख्या, चौकियों की संख्या तथा पुलिसकर्मियों की कुल संख्या में बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

162. किशनगढ़ पुराना शहर में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित गांधीनगर पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. थाना किशनगढ़ (अजमेर) में पर्याप्त पुलिस बल की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. थाना मदनगंज (अजमेर) में पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

166. राज्य में पुलिस थानों पर एस.एच.ओ. सहित कुल 20 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. मावली में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

168. देसूरी में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

169. किशनगढ़ थाना (अजमेर) परिसर की चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

170. सीकर शहर के महिला थाना में महिला उत्पीड़न की निष्पक्ष जांच करवाने, पुलिसकर्मियों की भर्ती व कोतवाली थाना, सीकर में स्टाफ बढ़ाने व रिक्त पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

171. प्रदेश में पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. मेवाड़, भील और खैरवाड़ा को आर.ए.सी. में नहीं मिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

173. सावरला (समदड़ी) बाड़मेर में अस्थायी पुलिस चौकी को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :

174. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर में कार्यरत स्टेनोग्राफर द्वारा अपने निवास स्थित नागतलाई (सूरजपोल मण्डी) के आसपास के व्यक्तियों की शिकायत अपने कार्यालय से नगर निगम व जयपुर विकास प्राधिकरण को फैक्स भेजकर अनाधिकृत कार्य करने की शिकायत के बावजूद भी उसे वहां से स्थानान्तरित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

175. सिरोही जिले में वर्ष 2004, 2005, 2006 व 2007 के हत्या के कतिपय मामले खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. जोधपुर रेंज में थानेदारों को थाने में लगने के लिए व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।।

177. भाजपा नेताओं के विरुद्ध मृत्यु पूर्व पत्र में नाम होने के बावजूद आबूरोड़ एवं पीपाड़ के धारा 306 में दर्ज मुकदमों में कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

178. जोधपुर रेंज में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. जोधपुर रेंज में पुलिस की मिलीभगत से घटित हो रहे अपराधों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

180. जिला अलवर के कस्बा नौगांवा में पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. राजस्थान के माननीय विधायकों को सुरक्षाकर्मी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

182. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर में उच्च अधिकारियों के संरक्षण प्राप्त स्टेनोग्राफर द्वारा कार्यालय से अनाधिकृत रूप से नगर निगम जयपुर/जयपुर विकास प्राधिकरण को फैक्स/पत्र भेजकर उसके आवास (सूरजपोल मण्डी, नागतलाई) के आसपास के निवासियों को परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

183. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में पुलिस को आवश्यक संसाधनों एवं नवीनतम हथियारों की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में नवीन थानों एवं पुलिस चौकियों की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. राज्य में कांस्टेबलों की पर्याप्त भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) **:**

186. पुलिस अधिकारियों, कर्मियों को एक थाना या चौकी में निर्धारित नियुक्ति सीमा तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

187. जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. जयपुर की जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद पुलिस में नफरी न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

189. जयपुर में जनसंख्या में हुई बढ़ोत्तरी के अनुसार 5 नवीन थाने एवं 10 चौकियां खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. जयपुर में जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के अनुसार यातायात पुलिस की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. जयपुर में आने वाले वी.आई.पी. के लिये अलग से पुलिस प्रकोष्ठ बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

192. पुलिस थाना श्रीविजयनगर को सी.आई. कार्यालय बनाने एवं अनूपगढ़ थाना के अन्तर्गत प्रेम नगर बस्ती में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

1. प्रदेश के कारागारों की दयनीय स्थिति एवं जेल सिपाहियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

2. संगीन अपराध में बन्द कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. संगीन अपराध में पैरोल पर छोड़ने हेतु जमानत राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

4. राज्य के कारागारों में बंदियों की संख्या अधिक होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

5. विभाग द्वारा राज्य के कारागारों में कैदियों में चारित्रिक एवं मानसिक विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

6. जयपुर कारागार सहित राजस्थान के सभी कारागारों में बढ़ते भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. कारागार में कार्यरत सिपाही एवं जेलर आदि के वेतन भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा कारागार में नकली दवाईयां, दूध एवं खाने में घटिया सामग्री की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

9. राज्य के कारागारों में अव्यवस्था एवं स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

10. विभाग द्वारा राज्य में न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे बन्दियों के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

11. कारगार में बंद आरोपियों को अपराध प्रवृत्ति छोड़ने के लिये प्रेरित करने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखां (निम्बाहेड़ा) :

12. रावतभाटा में उप कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. छोटी सादड़ी जेल में जेलर के रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. उप कारागृह, निम्बाहेड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. निम्बाहेड़ा में उप कारागृह के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

16. राज्य की जेलों में कैदियों की चिकित्सा व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

17. राज्य में जेलों में बन्द कैदियों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कार्यक्रमों पर चर्चा के लिये।

18. राज्य में जेलों में बन्द महिला कैदियों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. राज्य में जेल व्यवस्था व जेलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

20. जिला कारागृह बाड़मेर में महिलाओं के लिए कारगार का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. जिला कारागृह बाड़मेर के भवन विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. जिला कारागृह बाड़मेर में रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

23. जिला बांसवाड़ा के मुंसिफ कोर्ट घाटोल के पास सब-कारागार खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

24. निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर उप कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

25. उप कारागृह नैनवां (बूंदी) में कैदियों की सुविधा तथा मनोरंजन के लिये बैरक में टी.वी. आदि की उपलब्धता कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. नैनवां (बूंदी) स्थित उप कारागार में पुराने शौचालयों के स्थान पर नवीन हवादार शौचालय निर्मित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. उप कारागृह नैनवां जिला बूंदी में कैदियों के कपड़ों एवं बिस्तर की कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. उप जेल नैनवां (बूंदी) के लिये नया कैदी वाहन उपलब्ध कराने तथा नवीन भवन निर्माण कराने में हो रही सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये।

29. उप जेल नैनवां में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

30. राजस्थान राज्य स्थित सभी केन्द्रीय कारागारों व जिला कारागारों के बंदियों को दिये जाने वाले भेजन की गुणवत्ता व मात्रा में सुधार किये जाने व इस हेतु आवश्यक मानिटरिंग सेल की स्थापना की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. सैन्ट्रल जेल भरतपुर व श्रीगंगानगर पर जेल सुपरिडेंट व डिप्टी सुपरिडेंट आफ जेल के पद सृजित करने, जिला जेल चित्तौड़गढ़ पर डिप्टी सुपरिडेंट आफ जेल का पद सृजित कर योग्य अधिकारी को नियुक्ति देने व राजस्थान राज्य स्थित सभी सैण्ट्रल जेलों व जिला जेलों की सुरक्षा बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. जेलकर्मियों का वेतनमान, अवकाश सुविधा व हार्ड ड्यूटी एलाउन्स पुलिसकर्मियों के समानान्तर व उसी अनुसार सुविधाएं देने, जोधपुर सैण्ट्रल जेल पर एक डिप्टी सुपरिडेंट आफ जेल का नया पद सृजित

(श्री जोगाराम पटेल)

करने, जोधपुर सैण्ट्रल जेल स्थित डीआईजी कार्यालय में डिप्टी सुपरिडेंट आफ जेल व जेलर के नये पद सृजित कर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

33. भरतपुर जिले की नगर तहसील में जेल (उप कारागार) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. प्रदेश की जेलों में कैदियों से मिलने वालों एवं कार्य के बंटवारे आदि में होने वाले पक्षपात की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. कैदियों को दी जाने वाली भोजन सामग्री की राशि में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. प्रदेश के कैदियों को जिन्होंने खुली जेल की पात्रता या योग्यता प्राप्त कर ली है उन्हें खुली जेल में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. पैरोल से एवं जेलों से कैदियों के भागने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

38. अलवर कारागार को सैण्ट्रल कारागार में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

39. अजमेर जेल में रिक्त पद भरने एवं राजस्थान की जेलों में रोटी बेलने की मशीन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

40. मकराना में एसडीओ, एसडीएम, एमजेएम कोर्ट होने से कैदियों को परबतसर कारागृह से लाने ले जाने की परेशानी के मद्देनजर मकराना में कारागृह खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

41. राजनैतिक बन्दियों को अन्य बन्दियों से पृथक दर्जा/सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

42. खुले बंदी शिविरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. जेलों में बन्दियों की संख्या के अनुपात में सुरक्षा प्रहरी पद सृजित करने तथा अन्य रिक्त पदों की भर्ती करने पर चर्चा के लिये।

44. जेल कर्मचारियों/अधिकारियों की वेतन श्रृंखला में सुधार तथा जेलों में नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

45. राज्य में कैदियों के जेल से भाग जाने की घटना को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

46. बांसवाड़ा जिले कारागार के कर्मचारियों को दूर-दराज जिलों से उनके गृह जिलों में तैनात किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. बांसवाड़ा जिले के में बन्दियों को मिलने के समय में सप्ताह में एक दिन की छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. बांसवाड़ा जिले के बन्दियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिये एडपोस्ट डिस्पेन्सरी के लिए नियमित स्टाफ नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. बांसवाड़ा जिले के कारागार में अल्पावधि या छोटे अपराध में आने वाले या धारा 151 जैसी कार्यवाही में आने वाले लोगों को आदतन अपराधियों के साथ नहीं रखकर अलग बैरक में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

50. किशनगढ़-बास जिला अलवर में कारागार का नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

51. कारागारों में सुरक्षाकर्मियों की कमी पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

52. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर कस्बे में हो रहे कारागर भवन के निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

53. उप कारागार ब्यावर (जिला अजमेर) में नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

54. उप कारागार जैतारण में नफरी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

55. कारागार में बन्द अपराधियों को आदर्श आचरण की प्रेरणा देने वाले विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों को कारागार परिसर में करने की सहमति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. अजमेर केन्द्रीय कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने व वर्तमान केन्द्रीय कारागार में कैदियों के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. राज्य में जेलकर्मियों के आवास, वर्दी, वेतन एवं भत्तों में सुधार तथा जेल प्रहरियों की कम संख्या के कारण नई भर्ती करने के साथ-साथ आधुनिक सुरक्षात्मक साधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. अजमेर केन्द्रीय कारागार के कैदियों के लिये हस्तशिल्प कार्यों को बढ़ावा देने तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की खुली बिक्री की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. प्रदेश के कारागारों में बढ़ती अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं कैदियों पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

60. धौलपुर जेल में कैदियों के परिवारजनों को मुलाकात करने के लिये सुविधा शुल्क देने के लये मजबूर करने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

61. धौलपुर जेल में महिला वार्ड पर महिला सिपाही नहीं होने तथा उक्त जेल में सुरक्षा की दृष्टि से इनरवाल को ऊंचा उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. धौलपुर जेल की सलाहकार समिति की मीटिंग नियमानुसार समय पर नहीं होने एवं धौलपुर जेल में कैदियों को नाजायज परेशान करने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

63. कारागृह कर्मियों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

64. राज्य में नये महिला बंदी सुधार गृह एवं बाल सुधार कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. राजस्थान के समस्त कारागृहों एवं उप कारागृहों में आधुनिक तकनीकी सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

66. राज्य में कारागारों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) :

67. उपखण्ड कार्यालय गंगरार में सब जेल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विचाराधीन व अन्य बन्दियों को जेल में ही सुधार कार्यक्रम चलाने तथा बन्दियों को जेल में पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) :

69. हिण्डौन (करौली) जेल स्थानान्तरण व जेल स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

70. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट है, अत: कैदियों के लिये कारागर बानसूर में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

71. उपखण्ड मुख्यालय कपासन पर स्थित उप कारागार में कैदियों की सामान्य सुविधाएं बढ़ाने व भवन विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता, नागौर) :

72. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कारागार में आवश्यक व्यवस्थाएं व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

73. कैदियों की बढ़ती संख्या एवं कारागार स्टाफ के लिये अपर्याप्त भवन सुविधा होने से पाली किले में संचालित उप कारागार के लिये निर्धारित मापदण्डानुसार नवीन कारागार भवन अन्यत्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

74. राजगढ़ (चूरू) जेल सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त एवं दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मी को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राजगढ़ (चूरू) जेल में प्रहरियों की संख्या बढ़ाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

76. प्रदेश में कारागार प्रहरियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

77. सिवाना (बाड़मेर) के मोखरड़ा क्षेत्र में खुली जेल का निर्माण कर वन विकास एवं जल संरक्षण कार्यों में कारागारवासियों के उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

78. वर्ष 2004-05, 2006-07 में पैरोल पर छोड़े गए कैदियों के वापस न लौटने के सम्बन्ध में व प्रक्रिया में खामियों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 में कारागारों में कैदियों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. सिरोही जिले के कारागार में कैदियों की सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. कारागार से वर्ष 2004, 2005, 2006 व 2007 में कैदियों के भागने की घटना व पुन: न पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. कारागार कर्मियों के वेतन भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

83. आकस्मिक परिस्थितियों एवं गैर इरादतन किये गये अपराधों में सजा पाये कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने व उन्हें अलग रखने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के कारागार का उचित रखरखाव नहीं होने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एवं कैदियों के भागने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. संगीन अपराध में बन्द कैदियों को कोर्ट लाने ले जाने एवं पैरोल पर छोड़ने की उचित व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

86. जयपुर केन्द्रीय कारागार में बंदियों के पास मादक पदार्थ पाये जाने के बावजूद भी दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।